सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

४०

(फरवरी – मई १९२९)

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

४०

(फरवरी-मई १९२९)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भूमिका

इस खण्डमे १५ फरवरीसे ३१ मई, १९२९ तककी अवधिकी सामग्रीका समावेश है। इस अवधिमे गाधीजी मुख्य रूपसे स्वराज्य-सग्रामकी तैयारीके तौर पर खादीका प्रचार-कार्य करने और विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार-आन्दोलनको सगठित करनेके काममें व्यस्त रहे। स्वराज्यके लिए सघर्ष आरम्भ करनेका निश्चय दिसम्बर १९२८ मे काग्रेस-के कलकत्ता-अधिवेशनमें किया गया था। काग्रेस कार्य-समितिने १७ फरवरीको दिल्लीमे हुई अपनी वैठकमे चार घटेकी वहसके बाद वहिष्कार-सम्वन्धी गाधीजीकी योजना-को स्वीकार कर लिया था और उनकी अध्यक्षतामे विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार-समितिकी स्थापना की गई थी। गाधीजीने सिंधके प्रमुख काग्रेस कार्यकर्त्ता श्री जयरामदास दौलतरामको वम्वई विधान-सभाकी सदस्यतासे त्यागपत्र देकर समितिका वाकायदा मत्री वननेके लिए निमन्त्रित किया। एक सुविस्तृत योजना बनाई गई और गाधीजी ने देशके लोगोसे इस योजनापर जोशके साथ अमल करनेकी अपील की। उन्होने खादी तथा अन्य रचनात्मक कार्योके लिए धन इकट्ठा करनेके उद्देश्यसे मार्चमे बर्माकी यात्रा की और विदेशी वस्त्रके वहिष्कारका अपना सन्देश वहाँ भी लोगोको दिया। अप्रैल-मईमे उन्होने आन्ध्रका व्यापक दौरा किया। वे वहाँ दूर-दूर तकके गाँवोमे गये और लाखो गाँववालोके सामने अपनी वाते रखी।

गाधीजी विदेशी-वस्त्रके वहिष्कारको अग्रेजोके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाने-वाला कोई राजनीतिक अस्त्र नही मानते थे, बल्कि वे उसे देशमे फैली चिरकालिक वेरोजगारीको दूर करने और करोडो क्षुधाग्रस्त लोगोके लिए स्वराज्य प्राप्त करनेका सावन मानते थे (पृष्ठ ८१)। उन्होने हर व्यक्तिसे अपनी सामर्थ्य भर प्रयत्न करनेको कहा : "कोई स्त्री या पुरुष अपने वैयक्तिक प्रयासका महत्व कम न समझे। पूर्ण वहिष्कार वैयक्तिक प्रयत्नोका योग ही तो है। . . . देशव्यापी पैमाने पर अगर कभी कुछ हुआ तो वह वैयक्तिक प्रयासोके परिणामस्वरूप ही होगा" (पृष्ठ ४७-८)।

विदेशी कपडेकी सार्वजनिक होली जलानेका कार्यक्रम फिरसे आरम्भ किया गया और ४ मार्चको कलकत्ताके श्रद्धानन्द पार्कमे गाधीजीने स्वयं भी पुलिसके नोटिसकी अवहेलना करते हुए विदेशी कपडोकी एक होली जलाई। नोटिसमें कहा गया था कि विदेशी-वस्त्रोकी होली जलाना कानूनन अपराध माना जायेगा। गांधीजीने कानूनकी इस व्याख्याको स्वीकार नही किया और जब अदालतमें उनके विरुद्ध अभियोग लगाया गया तब उन्होने वहाँ भी वही बात दोहराई जो उन्होने सभामे विस्तारपूर्वक समझाई

थी: "यह बहिष्कार सविनय अवज्ञाका अंग नही है। केवल अवज्ञा करने और गिरफ्तार होनेके ख्यालसे पुलिसके नोटिसकी अवहेलना करनेका कोई इरादा नही था" (पृष्ठ १९१)। गाधीजीको अपराधी करार दिया गया और उनपर १ रुपयेका जुर्माना किया गया। मजिस्ट्रेटके निर्णयसे गाधीजीको आश्चर्य नही हुआ। इससे उनके इस विश्वासकी पुष्टि ही हुई कि "अधिकारियो और जनतामे गभीर विरोधकी स्थितिमे न्यायाधीश, अनजाने ही क्यो न हो, अधिकारियोको ही दोषमुक्त ठहराते है" (पृष्ठ २१२)।

इस घटना पर 'नवजीवन' मे चर्चा करते हुए गाधीजीने कहा. "आशा है कि जो आग उस दिन उस पार्कमे सुलगी है वह लाखो सिपाहियोकी लाठियोसे भी नही बुझ सकेगी" (पृष्ठ ८८)। इस घटनासे देशमे राजनीतिक सरगर्मी बढी और इसने बहिष्कार आन्दोलनको गति दी। तथापि गाधीजीको सतोष नही था। उन्हे देश और काग्रेसकी दुर्बलताका ज्ञान था और उनका पक्का विश्वास था कि राष्ट्रीय पुनरुज्जीवनके बिना, जिसे वह आत्म-शुद्धि कहते थे, सरकारको सुधारा नही जा सकता। गाधीजीके लिए रचनात्मक कार्य, जिसमे खादी-कार्य भी शामिल था, आत्मबलका और आत्मबलमे विश्वासका प्रतीक था। लेकिन अपनी यात्राओके दौरान उन्होने अनुभव किया कि रचनात्मक कार्यक्रमको सही भावनाके साथ कार्यान्वित नही किया जा रहा है। उन्होने कहा कि "अहिंसात्मक साधनोमे सजीव श्रद्धाके मुझे दर्शन नही हुए हैं। लोगोमे अहिंसाके प्रति श्रद्धाकी कमी मैंने देखी है। चारो ओर निराशाका वातावरण फैला हुआ दिखता है। मनुष्यको गिरानेवाले इस अनिश्चयके कारण ही कार्यकर्त्ताओमे काग्रेस द्वारा निश्चित कार्यक्रमको उल्लासके साथ पूरा करनेका उत्साह नही दीख पडता" (पृष्ठ २७४)।

सरकारकी दमन-नीतिकी प्रतिक्रिया-स्वरूप पागलपनपूर्ण प्रतिशोध और असमर्थ क्रोधकी भावनाने जन्म लिया। ८ अप्रैलको जब अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल केन्द्रीय विधान सभामे सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये जनसुरक्षा विधेयकपर अपना निर्णय देनेको खडे हुए, उसी समय भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्तने दर्शक-दीर्घासे दो बम और कुछ लाल पर्चे नीचे सभा-भवनमें फेंके। गांधीजीने उनके इस कार्यकी सार्वजनिक रूपसे निंदा की। लेकिन सरकारसे भी कहा कि "बम फेंकनेवालोके पागलपनके लिए वह खुद भी कुछ कम जिम्मेदार नही है" (पृष्ठ २७३)। साथ ही उन्होने काग्रेस कार्यकर्त्ताओको भी चेतावनी दी: "अहिंसामे विश्वास रखनेवाली काग्रेसके सदस्य इस कृत्यके प्रति गुप्त रूपसे भी कोई सहानुभूति प्रकट न करे, उलटे अगर उन्हे अहिंसामें सच्चा विश्वास हो तो वे अपने तरीकेपर दूने उत्साहके साथ काम शुरू कर दे" (पृष्ठ २७३)।

८ से २२ मार्च तककी अपनी बर्मा-यात्राके दौरान गांधीजीने बर्माके भारतीय निवासियोको सलाह दी कि वे बर्मावासियोके साथ ठीक सम्बन्ध रखे और उनकी आकाक्षाओके प्रति सहानुभूति रखे (पृष्ठ ११२ और ११९)। बर्माके पृथक्करणके सवालके बारेमे गांधीजीने भारतीयोको सलाह दी कि "वे किसी पक्षकी तरफदारी न करे और इस प्रश्नको बर्मी लोगोको ही तय करने दे" (पृष्ठ १९४)।

गैर-राजनीतिक प्रश्नोपर गांधीजीने नरमीके साथ अपने बर्मी मित्रोंको याद दिलाया कि मैंने आपके बीच कुछ बुराइयोको देखा है। उन्होने माडलेकी एक सार्वजनिक सभामे कहा: "आप कुछ ऐसी चीजे करते है जो मुझे बुद्धके उपदेशोके अनुरूप नही लगी . . ." (पृष्ठ १७०)। मै चाहता हूँ कि आप बर्माके लोग अहिंसाके उद्देश्यकी सिद्धि हेतु हतोत्साहित ससारका पथ-प्रदर्शन करनेवाले प्रकाश-स्तम्भ बने और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए आत्म-शुद्धि और प्रायश्चित्तका मार्ग अपनाये (पृष्ठ १७२)।

बर्माकी यात्रासे लौटकर गांधीजीने काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्की अध्यक्षता की। उन्होने स्थानीय कार्यकर्त्ताओको सलाह दी कि वे देशी नरेशोके साथ नरमी बरते। उन्होने कहा कि भारतीय रियासतोमें सुधार लागू करा सकना सम्भव है और इसलिए मै ब्रिटिश सरकारकी भाँति देशी नरेशोको नष्ट नही करना चाहता (पृष्ठ २००-१)। 'नवजीवन' मे लिखे अपने एक लेखमे उन्होने कहा: "देशी राजा तो हमारे जैसे ही है। वे तो यही पैदा हुए है। जो दोष हममे है वे उनमे भी है, इसलिए जो गुण हममे है वे भी उनमे होगे, यह स्वीकार करनेकी उदारता हममे होनी चाहिए" (पृष्ठ ३१४)।

६ अप्रैलसे २१ मईतक उन्होने आन्ध्रका दौरा किया। इतना लम्बा दौरा उन्होने इससे पहले किसी प्रान्तका नही किया था और किसी भी प्रान्तकी अपेक्षा आन्ध्रमें उन्होने सबसे ज्यादा, लगभग २,६४,४०० रुपये इकट्ठे किये। यह उनका सबसे लम्बा और सबसे सघन दौरा था (पृष्ठ ४५०)। उन्होने कहा कि मै देशभक्त कोडा वेकटप्पैया-जैसे अधीक्षकोकी देखभालमे और आन्ध्रकी जैसी जनताके बीच ऐसे सैकड़ो दौरे करनेको तैयार हूँ (पृष्ठ ४२६)। अपने भाषणोमे गांधीजीने जनताको स्वराज्यके चार स्तम्भोकी याद दिलाई और कहा: "स्वराज्यके चार स्तम्भोको हमेशा ध्यानमे रखिए। केवल खद्दर पहनिए, शराब तथा मादक वस्तुओकी बुराईका उन्मूलन कीजिए, अस्पृश्यताका निवारण कीजिए तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता और अन्तर्साम्प्रदायिक एकताके लिए काम करिए" (पृष्ठ ३३०)। गांधीजीकी दृष्टिमे इस दौरेकी एक सबसे महत्वपूर्ण घटना सत्यवती देवी नामकी एक किशोरी विधवाके घर जाना था। यह विधवा अपने सारे रत्नाभूषण खादी-कोषके लिए गांधीजीको अर्पित करना

चाहती थी। वादमें गांधीजीने लिखा: सत्यवतीपर जो-कुछ घटित हुआ है वैसा हजारो हिन्दू घरोमे हर रोज घटित होता है। यह शाप हिन्दू समाजपर तब तक लगता रहेगा जबतक कि समाज विधवाओको अक्षम्य दासतामे जकडे रहेगा (पृष्ठ ३३५)।

गाधीजीने मानव-जातिकी सेवामे अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया था। मानव-मात्रकी सेवाके माध्यमसे स्वय मोक्ष प्राप्त करनेकी दिशामे उन्होने जो व्यक्तिगत तपश्चर्या की उसका इस खण्डमे पर्याप्त दृष्टात मिलता है। हरिलालसे मनमुटाव होनेके बाद वे अपने पौत्र, रसिकका पालन-पोषण स्वय कर रहे थे और उसे राष्ट्रकी सेवाके लिए प्रशिक्षित कर रहे थे। रसिककी असामयिक मृत्यु हो जानेपर लिखते हुए गाधीजीने कहा: "मौतके बारेमे मेरे जो विचार है उनके कारण रसिककी मृत्युसे मुझे दु:खका अनुभव नही हुआ है, और जो थोडा दु:ख हुआ भी है वह निरे स्वार्थवश . . . इस दृष्टिसे उसकी मौत मुझे ईश्वरके और भी अधिक समीप ले जाती है, और पहलेकी अपेक्षा ज्यादा जोरोसे मुझे मेरी जिम्मेदारीका भान कराती है" (पृष्ठ १५)। अपनी बर्मा-यात्राके समाप्त होते-होते मीराबहनको पत्र लिखते हुए गाधीजीने कहा: "डाक्टर मेहतासे बिछुडनेका मुझे दु:ख होगा। मै देख रहा हूँ कि यहाँ रहूँ तो उन्हे आराम दे सकता हूँ। लेकिन यह तो एक ऐसा निजी सौभाग्य है, जिसका सुख मै नही ले सकता" (पृष्ठ १६९)।

लेकिन गाधीजीकी अनासक्तिकी सबसे कठोर परीक्षा तो आश्रममे घटी घटनाओंमें हुई। मगनलालकी एक वर्ष पूर्व मृत्यु हो जानेके बादसे गाधीजी आश्रममे और अधिक नैतिक तथा सामुदायिक अनुशासन लागू करनेमे अधिकाधिक रुचि ले रहे थे। लेकिन अधिकाश अन्तेवासियोके लिए शायद यह चीज उनकी सामर्थ्यसे बाहर सिद्ध हुई। सकटकी घडी उस समय उपस्थित हुई जब अप्रैलमें आश्रमके दो सह-कार्यकर्त्ताओके नैतिक पतनकी और कस्तूरबा द्वारा आश्रमका एक नियम भग करनेकी बात गाधीजीके ध्यानमें लाई गई। आश्रमकी बदनामीकी जोखिम उठा कर भी गाधीजीने इन चूकोके बारेमे 'नवजीवन' में 'मेरा दु:ख, मेरी शर्म' शीर्षकसे एक लेख लिखा (पृष्ठ २११-१४)। उन्होने मीराबहनको लिखा: "इन बातोका भंडाफोड़ होनेसे हमारा लाभ ही हुआ है" (पृष्ठ २६४)। और घनश्यामदास बिड़लाको पत्र लिखकर उन्होने इसे 'दोषके जाहिर स्वीकारका मीठा अनुभव' (पृष्ठ ३२५) बताया।

गांधीजीने इन चूकोंकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ ली। उन्होने कहा. "आश्रममे जो पाप होते है, वे मेरे पापोकी प्रतिध्वनियाँ है" (पृष्ठ २२३)। उनके मनकी व्यथा इस प्रश्नमें फूट निकलती है: "लेकिन मै कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? निकल भागूँ? आत्महत्या करूँ? भूखो मरूँ? आश्रममे ही गड़ जाऊँ? सार्वजनिक कामके

लिए अथवा अपने पेटके लिए एक भी कौड़ी लेनेसे इनकार करूँ?" (पृष्ठ २२३)। वे कोई भी काम यन्त्रवत नही कर सकते थे और उन्होने कहा कि मुझे अपने अन्त.करणकी आवाज क्या कहती है, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। "प्रभु प्रीत्यर्थ जो काम शुरू किया है उसे प्रेरणाके अभावमे मै कैसे छोड़ सकता हूँ? जिस दिन प्रभु मुझसे यह काम छुडाना चाहेगे, उस दिन वह लोगोमे मेरा तिरस्कार करनेकी बुद्धि पैदा करेगे। उस समय भी मेरा हृदय उनसे 'मै तेरा और तू मेरा' कह सकेगा, इसी आशापर मैं जी रहा हूँ" (पृष्ठ २२३)।

इन भंडाफोड़ोके वाद जो तनावकी स्थितियाँ पैदा हुई उनके कारण महादेव देसाई और नारणदास गाधी आदि अनेक अन्तेवासियोने आश्रम छोड़ देनेका विचार किया। गांधीजीने आश्रमके आन्तरिक विकासकी गतिकी सीमाएँ समझते हुए अपने नियन्त्रणको ढीला करने और अन्तेवासी जैसा ठीक समझे वैसे आश्रमको ढालनेकी स्वतन्त्रता देनेका निश्चय किया (पृष्ठ ३५२)। आश्रम "विशुद्ध 'डेमोक्रेसी' (प्रजा-तन्त्र)का प्रयोग" करनेका एक साधन था। उन्होने आश्रमके मन्त्री छगनलाल जोशीसे कह दिया कि आश्रमकी किसी प्रवृत्ति या स्वय आश्रमको ही यदि वन्द कर दिया जाये तो मुझे परवाह नही है।"मैंने घरोको तोड़नेका धन्धा ही अपना रखा है; घरोंको खत्म करते हुए मेरे मनमे कभी क्षोभ नही हुआ। . . . इस आश्रमको भंग करके नया बनाऊँ तो इसमे मुझे तनिक भी दु:ख नही होगा" (पृष्ठ ३६२-६३)। गाधीजीने लिखा कि मै एक ही चीज चाहता हूँ और वह है साथी कार्यकर्त्ताओमे सचाई। "सत्य कई बार निर्दय दिखाई देता है। तुम मेरे प्रति निर्दय होनेमे सकोच मत करना। चाहे जो सहना पडे, किन्तु सचाई न छोडो" (पृष्ठ ३६३)।

आश्रमके बारेमे छगनलाल जोशीको पत्र लिखते हुए गाधीजीने कहा: "सत्यको संसारमे कही भी शर्म नही लगती। यदि सत्य शर्माये तो यह जान लेना चाहिए कि वह असत्य है, सत्य नही" (पृष्ठ ३२०)।

युद्ध-सम्वन्धी अपने रवैयेके वारेमे रेवरेड वी० द लिग्टके एक खुले पत्रका उत्तर देते हुए गाधीजीने कहा: "मै किसी भी परिस्थितिमे कभी भी ब्रिटेनके युद्धोमें हाथ नही वँटा सकता और मै इन पृष्ठोमें पहले लिख ही चुका हूँ कि यदि भारतने हिंसापूर्ण उपायोसे स्वतन्त्रता हासिल की (जिसे मैं तथाकथित स्वतन्त्रता ही कहूँगा) तो मुझे इस देशपर गर्व नही रह जायेगा; उस समय मै नागरिककी हैसियतसे अपनेको मृत मानूँगा" (पृष्ठ ३८०)।

डा० जॉन मॉट एक प्रसिद्ध इवेजलिस्ट थे और उन्होने गाधीजीसे साबरमती-मे भेट की थी। उनसे वातचीत करते हुए गाधीजीने धर्म-परिवर्तनकी निंदा की। उन्होने कहा कि किसी अन्य व्यक्तिके धर्मका महत्व घटानेकी कोशिश नही की जानी

चाहिए वल्कि कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जिस धर्मका माननेवाला है, उस धर्मका वह और अच्छा अनुयायी वने। गाधीजीने यह स्वीकार किया कि ईसाई लोकमत उनकी इस वातसे सहमत नही है, फिर भी उन्होंने कहा कि पैगम्वरोंने जो-कुछ कहा है वह कोरे शब्दोमे नही वल्कि अपने जीवन और अपने आचरणके जरिये कहा है (पृष्ठ ६४)।

आत्म-नियत्रणके लिए सघर्ष कर रहे नौजवानोको सम्वोधित करके लिखे गये एक सक्षिप्त लेकिन मर्मस्पर्शी लेखमे गांधीजीने मनको वलवान और वुद्धिको शुद्ध वनानेके साधनके रूपमें 'गीता' और 'रामायण'का वारम्वार पाठ करनेकी सलाह दी। 'अन्त्यज सर्वसंग्रह'की समालोचना करते हुए अन्तमे उन्होने यह लिखा . "सच्ची कला कभी निरुपयोगी नही होती। . . प्रकृतिकी कलाका कोई अन्त नही है। . . कुदरतका कण-कण उपयोगी है। मोरके पखका एक भी रग निरुपयोगी नही है। यह हमारी त्रुटिकी निशानी है कि हम उनमेसे हरएक का उपयोग करना नही जानते। इसमे दोष कुदरतकी स्वच्छंदताका नही है" (पृष्ठ ३५६)।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास और सग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली, श्रीमती मीराबहन, गाडेन, आस्ट्रिया, श्री रामनारायण पाठक, भावनगर, श्री नारायण देसाई, बारडोली, श्रीमती वसुमती पण्डित, सूरत, श्रीमती राधाबहन चौधरी, कलकत्ता, श्रीमती शारदाबहन शाह, सुरेन्द्रनगर, श्री नारणदास गाधी, पूना, श्री बालकृष्ण भावे, उरूलीकांचन, श्री घनश्यामदास बिडला, कलकत्ता, श्री काकासाहब कालेलकर, नई दिल्ली और श्री वालजी गोविन्दजी देसाई, पूना एव 'बापुना पत्रो–१ : आश्रमनी बहेनोने', 'बापुना पत्रो–७ · श्री छगनलाल जोशीने', 'बापुना पत्रो–६ : ग० स्व० गंगाबहेनने', 'बापुना पत्रो–९ : श्री नारणदास गाधीने', 'बापुनी प्रसादी' के प्रकाशको तथा निम्नलिखित समाचारपत्रो और पत्रिकाओके आभारी है : 'अमृतबाजार पत्रिका', 'आज', 'ट्रिब्यून', 'नवजीवन', 'प्रजाबन्धु', 'फॉरवर्ड', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'यग इडिया', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'हिन्दू'।

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया), नई दिल्ली तथा श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र है। कागज-पत्रोकी फोटो-नकल तैयार करनेमे सहायता देनेके लिए हम सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्लीके फोटो-विभागके आभारी है।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरोंके द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोंकी स्पष्ट भूलें सुधार दी गई हैं।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय भाषाको यथासम्भव मूलके निकट रखनेका प्रयत्न किया गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका उपयोग मूलसे मिलाने और संशोधन करनेके बाद किया है। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणके बारेमें संशय था, उनको वैसे ही लिखा गया है जैसा कि गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दिये गये अंश सम्पादकीय हैं। गांधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अंश उन्होंने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेंटकी रिपोर्टोंके उन अंशोंमें जो गांधीजीके नहीं हैं, कहीं-कहीं कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दायें कोनेमें ऊपर दी गई है। जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई है और आवश्यकता होने पर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी निश्चित आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

इस ग्रन्थमालाके खण्ड १ के सन्दर्भ खण्ड १ के द्वितीय संस्करणके हैं।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका, 'एम० एम० यू०' गांधी स्मारक संग्रहालयकी मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा माइक्रोफिल्म की गई प्रतियोंका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमि देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

१. वक्तव्य : सिन्ध कांग्रेसके मामलोंके बारेमें[1]

[१५ फरवरी, १९२९ या उसके पश्चात्][2]

इस महीनेकी १५ तारीखको मीरपुर-खासमे सिन्ध प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्योंकी एक अनौपचारिक बैठक पार्टीके विभिन्न आपसी मामलोपर विचार करनेके लिए हुई थी, जिसमे मै भी बुलाया गया था। यह सभा मूलत: मणिलाल कोठारी द्वारा उन कुछ विवादोके सिलसिलेमे बुलाई गई थी जो उन्हे प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी दोनो शाखाओने निपटानेके लिए सौपे थे और इसमे कार्यकारिणीका चुनाव भी होना था। लेकिन दलोके बीच तनावको देखते हुए मैंने सदस्योको सलाह दी है कि वे आपसी सहमतिसे स्वामी गोविन्दानन्दको अध्यक्ष चुन ले। स्वामी गोविन्दानन्दने निम्न-लिखित व्यक्तियोंको प्रान्तीय कार्यकारिणीके सदस्यों और निम्नलिखित व्यक्तियोको अ० भा० का० कमेटीके सदस्योके रूपमे मनोनीत किया है।[3]

मै इस बातसे अवगत हूँ कि अध्यक्ष-पद तथा कार्यकारिणीके लिए भी मनोनीत व्यक्तियोके बारेमे काफी तीव्र मतभेद है। लेकिन मुझे विश्वास है कि उक्त व्यवस्थाको ईमानदारीसे काम करनेका अवसर देनेसे ही सिन्धके हितोको सबसे अच्छे ढंगसे साधा जा सकता है; जो लोग असन्तुष्ट है वे चुपचाप बैठे और प्रान्तीय कमेटीके काममें अड़ंगा न लगाये। मैंने सलाह दी है और सभी सम्बन्धित पक्ष इससे सहमत है कि दोनों गुटोका जिन अखबारोपर नियन्त्रण है या जिनपर उनका प्रभाव है उनमे वे अपने विरोधियोका वैयक्तिक रूपसे कोई उल्लेख या टिप्पणी नही करेंगे, और यह भी कि दोनो गुटोको एक-दूसरेके कार्यमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपके बिना कार्य करने दिया जायेगा। चूँकि कई सदस्य अनुपस्थित थे, और चूँकि स्वामी गोविन्दानन्दका कहना था कि यह बैठक अनौपचारिक रहनी चाहिए, इसलिए चुनाव नही किये गये।

अंग्रेजी (एस० एन० १५३४१) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए अगला शीर्षक और "सिन्धके संस्मरण", २१-२-१९२९।

२. गाधीजी १५ फरवरी, १९२९ को मीरपुर-खासमें थे।

३. ये नाम साधन-सूत्रमें नहीं है।

२. पत्र : स्वामी गोविन्दानन्दको

मारवाड़ जक्शन
१६ फरवरी, १९२९

प्रिय स्वामी,

मुझे दुख है कि तुम्हारे साथ अकेलेमे बात करनेका जितना समय मिला था उससे ज्यादा नही मिल सका। अब मै तुमसे अपने हृदयकी बात पत्रके अपूर्ण माध्यमसे कहूँगा।

मै अब तुमसे आशा करता हूँ कि तुम अपने उत्तरदायित्वोको पूरा करोगे और सबके साथ मधुर व्यवहार करोगे, जैसा कि तुमने वादा किया है। तुम्हे दूसरोके हृदय जीतनेके लिए विनम्र बनना होगा। तुम्हे एक सच्चा संन्यासी बनना चाहिए जिसके अन्दर क्रोध न हो, विद्वेष न हो और न अपने लिए कोई इच्छा हो। मैने इस तथ्यको नजरअन्दाज नही किया कि अपने निकटके इनेगिने अनुयायियोके सिवा तुम्हारे पीछे और कोई शक्ति नही है। सार्वजनिक कार्यके लिए धनकी आवश्यकता होनेपर तुम उसे इकट्ठा नही कर सकते। ये सारी चीजे बदलनी चाहिए। तुमने त्याग किया है, तुम्हारे अन्दर साहस है, फिर वह क्या चीज है जो लोगोकी भलाईकी खातिर ही उनके ऊपर और अधिक प्रभाव स्थापित कर पानेसे तुम्हे रोकती है ?

जब पद ही तुम्हे नही चाहता तो तुम पदकी कामना क्यो करते हो? तुम जिस बहुत ही मामूली बहुमतकी सहायतासे पदपर आसीन रह सकते हो, वह कोई सच्चा सन्तोष नही दे सकता, और न तुम्हे सेवाका कोई वास्तविक अवसर ही प्रदान कर सकता है। अगर तुम पदको सेवा करनेका माध्यम मानते हो, तो तुम उस पदको तबतक ग्रहण करनेसे क्यो नही इनकार कर देते जबतक कि तुम्हारे विरोधी लोग भी तुमसे पद-ग्रहण करनेका आग्रह न करे?

मै तुम्हारी इच्छाओको जिस हदतक समझ सका, उस हदतक मैने उन्हे यथा-सम्भव पूरा किया है। लेकिन मै चाहूँगा कि चुनाव पूरे होनेके बाद या उससे पहले ही तुम, यदि तुममे विनयशीलता हो तो, जयरामदास तथा अन्य लोगोसे परामर्श करके किसी दूसरे अध्यक्षका विचार करो जिसे तुम सब सर्वसम्मतिसे निर्वाचित कर सको। किसी भी सूरतमे, मै तुमसे आशा करता हूँ कि तुम सिन्धमे कांग्रेस-सगठनका कार्य सुचारु रूपसे और ईमानदारीसे चलाओगे। अक्लमन्दको इशारा काफी है। मै आशा करता हूँ कि तुम इस पत्रको गलत नही समझोगे और न इसके गलत अर्थ लगाओगे?[1]

हृदयसे तुम्हारा,

१. देखिए "सिन्धके सस्मरण", २१-२-१९२९ भी।

[पुनश्च :]

मैं इतवारसे मंगलवारतक दिल्लीमें हूँ। मेरा पता, द्वारा स्पीकर पटेल होगा; उसके बाद एक हफ्ते साबरमतीमें।

अंग्रेजी (एस० एन० १५३३९)की फोटो-नकलसे।

३. पत्र : छगनलाल जोशीको

१६ फरवरी, १९२९

चि० छगनलाल,

मीरपुर-खासमें तुम्हारा पत्र मिल गया था। रावजीभाईको नाकका ऑपरेशन कराना हो तो करा ले। मुझे तोतारामजीकी आँखकी खबर इस बार भी नहीं मिली। . . .[1] भाईका तो पूरा किस्सा दुःखद माना जायेगा। अब शायद वे वापस नहीं आयेंगे।

मलकानी वहाँ मंगलवारको पहुँचेगा। तुम्हें पत्र लिखेगा। अन्तमें उसके बारेमें फैसला तो और ही किया है। उसे बिडला निधिमें से हर महीने १५० रुपये देने होंगे। वह काम सिन्धमें करेगा और अभी वहाँ खादीका क्रियात्मक शास्त्र सीखनेके लिए आ रहा है।

मैं बुधवारकी शामको वहाँ पहुँचूँगा। आन्ध्रकी यात्रा मुलतवी करके रंगून जानेका निश्चय किया है। ८ मार्चको रंगून पहुँच जाये इस हिसाबसे वहाँसे रवाना होंगे। इस तरह दसेक दिन तो रहनेको मिल जायेंगे। रंगूनसे २१ मार्चतक रवाना होकर २८ मार्चके आसपास आश्रम पहुँच जाऊँगा। वहाँसे ३०, ३१ और १ अप्रैल काठियावाड़में बीतेंगे। फिर तुरन्त आन्ध्र प्रदेशकी ओर। वहाँ एक मास लगेगा। इसके बाद जहाँ भाग्य ले जायेगा वहीं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

जयसुखलालको वेतन मन्दिरमें से देना और उसके लिए धन जिस किसी विभागसे लेना पड़े ले लेना। जयसुखलालको और हमें तो यही मानना चाहिए कि वह मन्दिरका ही सदस्य है।

गुजराती (जी० एन० ५३८९)की फोटो-नकलसे।

१. नाम यहाँ नहीं दिया गया है।

४. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

शनिवार [१६ फरवरी, १९२९][1]

चि० शान्तिकुमार,

मुझे ८ मार्चको रगून पहुँचना है और दूसरी मार्चसे पहले आश्रम नही छोडना है। फिर कौनसे रास्तेसे जाऊँ? कलकत्तेके रास्तेसे सबसे जल्दी पहुँच सकते है न? डेकपर जानेका विचार है। इस विषयमे तुम कुछ सुझाव दे सकते हो। यह मै दिल्ली जाते हुए रास्तेमे लिख रहा हूँ। तारीख १७ से १९ तक दिल्लीमें रहूँगा। अध्यक्ष पटेलके यहाँ रहूँगा। मॉजी अब तो बिल्कुल ठीक हो गई होगी। बम्बईमे क्या हुआ? ठीक पता चला हो तो लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७१२) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

५. पत्र : प्रभावतीको

शनिवार [१६ फरवरी, १९२९][2]

चि० प्रभावती,

तुमारे खत मीले है। मैंने पिताजीको खत लीखा है उसका उत्तर दिल्लीमे मीलनेकी आशा है। जो कुछ भी हो तुमारे निश्चिंत रहना है। बाकी तो मीलने पर क्योकी मै बुधके रोज आश्रम पहोंचनेकी आशा रखता हूँ।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ३३१४ की फोटो-नकलसे।

१. डाककी मुहरसे।
२. गाधीजी सिन्धके दौरेके बाद दिल्ली रुकते हुए बुधवार २० फरवरी, १९२९ को आश्रम पहुँचे थे।

६. सूरत जिलेमें नशाबन्दी

बारडोली सत्याग्रहके गौण परिणामस्वरूप सूरत जिलेमें नशाबन्दीका काम चल रहा है। उसके बारेमे श्रीमती मीठुबहन पेटिट लिखती है.[1]

जिस आन्दोलनके पीछे मीठुबहन पड जाये उसके असफल होनेका डर बहुत थोड़ा ही रह जाता है। इसलिए यह आशा की जा सकती है कि अगर आजके समान यह आन्दोलन आगे भी इसी वेगसे चलता रहा तो थोड़े ही समयमे सूरत जिलेमें शराबका नामोनिशान भी नही रह जायेगा। इस तरहका फल भले ही बारडोली सत्याग्रहका उपपरिणाम कहा जाये, लेकिन कई बार मुख्य परिणामकी अपेक्षा उपपरिणाम ज्यादा महत्त्वके साबित होते है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १७-२-१९२९

७. जातिसे बहिष्कृत होनेका डर

बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और बेजोड विवाहके बारेमें मेरे लेखोको पढ़कर गोधराकी दशा श्रीमाली जातिके एक सज्जनने एक लम्बा पत्र लिखा है। उसका सार इस तरह है:

> जिस गोधरामे आपने नौ-दस साल पहले राजनैतिक परिषद्की नीव डाली थी, उस गोधरामे तो आज भी हमारी जातिमें बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और बेजोड़-विवाह होते ही रहते है। एक विधवा बहनने अपनी लड़की एक छोटी उम्रके लड़केको दी थी। पीछेसे उसकी आँख खुली। उसने पचोसे प्रार्थना की कि उसे इस बन्धनसे मुक्त किया जाये। पचोने मंजूरी नही दी। उस बहनने दृढ रहकर अपनी कन्याका विवाह एक दूसरे योग्य वरके साथ कर दिया। इसपर पचोने उससे दण्डस्वरूप ५०० रुपये माँगे, लेकिन मिले नही। यह एक किस्सा हुआ। इस महीनेमें हमारी जातिके बारह विवाह होनेवाले हैं। उनमेंसे बहुतसे ऐसे है जो तोडे जा सकते है। लेकिन ऊपरकी घटनाने सभीके दिलोमें डर भर दिया है। उन विवाहोमे से एक तो ५६ वर्षके बूढेके साथ होगा। क्या ऐसे विवाहोसे गरीब बालिकाओको बचानेकी आप कोई तजवीज नही करेगे?

अगर मुझमे ऐसे अवसरोपर किसी तरहकी तजवीज करनेकी शक्ति हो तो मै जरूर ही उसका उपयोग करूँ। किन्तु मुझमें ऐसा करनेकी शक्ति ज्यादा नही है।

१. यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें सूरत जिलेमें मद्यपान निषेध कार्यकी प्रगतिका विवरण था।

ऐसे विवाहोंको रोकनेके लिए तो उन विभिन्न जातियो और उन विभिन्न गाँवोमें आन्दोलन किये जाने चाहिए, और सो भी प्रतिष्ठित मनुष्योंके द्वारा अथवा जिनमे प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी शक्ति हो उन्हीके द्वारा। मैं तो सचमुच यह भी महसूस कर रहा हूँ कि यह कोई जरूरी नही है कि इस तरहके स्थानीय आन्दोलन सम्बन्धित जातियोंतक ही सीमित रहे। मेरी रायमे तो दूसरी जातियोके प्रतिष्ठित व्यक्तियो-का यह न केवल धर्म है कि वे निर्दय विवाह-सम्बन्धोको रोकनेमे भाग ले, बल्कि ऐसा करनेका उन्हे अधिकार भी हैं। यह कहनेका जमाना अब नही रहा कि एक जातिके काममें दूसरी जातिको दखल देनेका कोई अधिकार नही है। जहाँ-कही अन्याय हो रहा हो वहाँ उसे रोकना हरएक न्याय-प्रिय और शक्तिशाली मनुष्यका धर्म है।

अब लोगोको जातिसे बाहर किये जानेका डर छोड देना उचित है। कई बार तो जातिसे निकाला जाना स्वागत करनेकी चीज होती है। जिस जातिके पच अन्याय करके अपना बडप्पन खो बैठते है, उस जातिमे रहना तो अनीतिमय राज्यमे रहनेके बराबर है। इससे पहले कि जाति उसका बहिष्कार करे, व्यक्तिको स्वय जातिसे अपना सम्बन्ध तोड लेना चाहिए; और उपजातियोको तो हर हालतमे समाप्त कर देना ही इष्ट है। इस तरह अगर किसी जातिमे से कई लोग स्वेच्छासे बाहर चले आये तो वह जाति अपने-आप खत्म हो जाये। जहाँ, जिस देशमे जातियोके बाडे नही है वहाँकी जनता भी जब सुखपूर्वक रहती है तो फिर हिन्दू धर्ममे इस तरह न रह सकनेका कोई कारण नही है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-२-१९२९

८. न्यायकी जय

गुजरात कालेजके विद्यार्थी और उनके संचालक अपनी जीतके[1] कारण धन्यवाद के पात्र है। शिक्षा-सचिवको भी साहसपूर्वक निष्पक्ष न्याय करनेके लिए धन्यवाद। शिराज साहबने[2] तो कोई ऐसा काम नही किया जिसकी वजहसे उन्हे धन्यवाद दिया जाये। धन्यवादको पात्रता पानेके लिए उन्हे स्वेच्छापूर्वक इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अध्यापक विद्यार्थियोका प्रेम खो बैठता है और जो अपने वचनका पालन नही करता वह अध्यापक-पदके योग्य ही नही है।

जो बात बारडोलीमे थी, वही यहाँ भी थी। बारडोलीवाले न्याय चाहते थे, लड़नेवाले सरदार सावधान थे और लोग नियमके पाबन्द और दृढ थे। अपने शान्त

१. 'साइमन कमीशन बहिष्कार दिवस' को जो विद्यार्थी कालेजमें उपस्थित नहीं हुए थे उन्हें दण्ड दिया गया था। इसपर विरोध व्यक्त करनेके लिए विद्यार्थियोंने हड़ताल कर दी थी। विस्तृत विवरणके लिए देखिए खण्ड ३८, पृष्ठ ४१२-१४ और ४५०-५१।

२. गुजरात कालेजके प्रधानाचार्य।

बर्तावसे बारडोलीके किसान लोकमतको अपने पक्षमें कर सके थे। नतीजा यह हुआ कि आखिर सरकारको झुकना पड़ा।

ठीक यही बातें विद्यार्थियोंके मामलेमें भी पाई जाती है। यहाँ भी संचालक सावधान थे। विद्यार्थियोंको उनके नेतृत्वमें विश्वास था। वे दृढ़ थे। उनकी माँग न्यायपूर्ण थी। विद्यार्थी नियमके पाबन्द थे और अपने शान्त व्यवहारसे उन्होंने भी लोकमतको अपने पक्षमें कर लिया था।

मुझे आशा है कि विद्यार्थी अपनी जीतसे दर्पवश आचार्यका या अध्यापकोंका किसी भी हालतमें अपमान नहीं करेंगे। शान्तिमय लड़ाई लड़नेवाला जीतसे कभी फूल नहीं उठता और न मर्यादा ही छोड़ता है। लेकिन जिस तरह विद्यार्थियोंके लिए विनय और मर्यादाका पालन करना जरूरी है, उसी तरह उन्हें अपनी शक्तिको परखनेकी भी आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयोंमें पढ़ते हुए भी वे अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा करें और कभी भी स्वाभिमानपर आँच न आने दें। इसके लिए उन्हें 'डिग्री'के प्रति उदासीन रहनेका अभ्यास करना चाहिए। सार 'डिग्री' में नहीं है। जो-कुछ सार है सो तो ज्ञान-सम्पादनमें है। और ज्ञान-सम्पादन भी वहीं तक उपयोगी है जहाँतक स्वाभिमानकी रक्षा हो। इस तरह तटस्थ होकर अगर वे विद्याभ्यास करेंगे तो दिन-दिन उनका तेज बढ़ेगा। उन्होंने अपने बलके द्वारा यह तो सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्रीय कार्योंमें भाग लेनेसे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हमें आशा करनी चाहिए कि वे इस बलका संग्रह करेंगे और स्वराज्य-यज्ञमें अपना योग देंगे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १७-२-१९२९

९. पत्र : मीराबहनको

१८ फरवरी, १९२९

चि० मीरा,

मुझे तुम्हारे सब पत्र मिल गये। यह पत्र नई दिल्लीसे लिख रहा हूँ। [उद्योग] मन्दिर जानेके लिए कल रवाना हो जाऊँगा। मन्दिरसे बहुत करके पहली मार्चको रंगूनके लिए चल दूँगा और २७ मार्चके करीब साबरमती लौट आऊँगा। बर्माका पता है: ८, पैगोडा रोड, रंगून, मार्फत डा० मेहता।

तुम्हारे सब पत्र बहुत सान्त्वनादायक हैं। स्पष्ट है कि तुम्हारा काम फल-फूल रहा है। जब यह समझो कि तुम उसके बारेमें किसी हदतक निश्चयपूर्वक कह सकती हो, तब मैं 'य० इं०' में उसका विवरण छापना चाहूँगा। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे नरम तकुओंके बारेमें अपनी प्रगतिके समाचार देना। मैंने इस बातकी चर्चा केशूसे की तो उसे यकीन नहीं हुआ। अगर सब आश्रमवासी आश्रमके समयपर काम करनेकी आदत सीख लें तो अच्छा रहेगा।

मेरे आहार सम्बन्धी प्रयोगमें अबतक जो सफलता मिली है, उसपर डा० अन्सारीको बड़ा आश्चर्य है। मेरे वजनके बारेमें उन्हे कोई चिन्ता नही है, बशर्ते कि वह और न घटे।

देवदासने शोकको[1] अद्भुत संतुलनके साथ सहन किया है। बा और कान्ति अभी यही है। बहुत करके वे कल मेरे साथ जायेंगे।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

हाँ तुम्हे 'आत्मकथा' मे सुधारका काम जरा तेजीसे करना है। एन्ड्रचूज आज-कल न्यू यार्कमे है और ग्रेग भी वही है।

बापू

अंग्रेजी जी० एन० ९३९९ और ९४०० से, तथा सी० डब्ल्यू० ५३४४ से भी।
सौजन्य : मीराबहन

१०. पत्र : प्रभावतीको

मौनवार [१८ फरवरी, १९२९][2]

चि० प्रभावती,

तुमारे खत मीले है। तुमारे बारेमें कल तार आ गया प्रभावतीको घर पर जानेकी आवश्यकता नहिं है। अब तो निश्चित होकर रह सकती है। बुधको तो मीलेंगे इसलीये और कुछ लीखनेका नहिं है।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ३३३३ की फोटो-नकलसे।

१. रसिककी मृत्युपर, देखिए "एक होनहार बालक", २१-२-१९२९।
२. बुधवारको मिलनेके उल्लेखके आधारपर; सोमवार १८ फरवरीको था।

११. सिन्धके संस्मरण

यह तो सच है कि भारतवर्षकी हरएक चीज मुझे आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें मनुष्यकी ऊँचीसे-ऊँची महत्वाकांक्षाको सफल करनेके साधन भरे पड़े हैं। लेकिन जब सन् १९१६ में मैंने पहली बार सिन्धकी यात्रा की थी, तो उसने मुझे एक विशेष ढंगसे अपनी ओर आकर्षित किया था और तबसे सिन्धियोंके तथा मेरे बीच एक ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो गया है, जो कठिनतम दबावोंमें भी उतना ही मजबूत बना रहा है। मैंने आवश्यकता पड़नेपर सिन्धियोंसे अप्रिय सत्य भी कहा है, और उन्होंने मेरी आलोचनाको कभी गलत रूपमें नहीं लिया है। सिन्धकी अपनी पिछली व्यापक लेकिन जल्दी-जल्दीमें की गई यात्रामें मैंने खरी बात कहनेमें कहीं कसर नहीं रखी। लोगोंने मेरी बातोंको अच्छी तरह सुना और जहाँ हो सका उन्होंने तत्काल ही मेरी सलाहके मुताबिक काम कर दिखलाया। कराचीके विद्यार्थियोंको मैंने अंग्रेजीमें मानपत्र देने और उसमें खोखली प्रशंसा (खोखली इसलिए कि जिन बातोंकी उसमें प्रशंसा की गई थी उसके मुताबिक कामका सर्वथा अभाव था) भरनेके विरुद्ध जो चेतावनी दी थी उसका तत्काल ही असर होता दिखाई पड़ा। इसके बाद विभिन्न अवसरोंपर जो अनेक मानपत्र मुझे दिये गये, वे कहीं अधिक संयत, सरल, सादी और सुन्दर सिन्धी भाषामें या उतनी ही सरल और सुन्दर हिन्दीमें पढ़े गये थे। इनमें अंग्रेजी मानपत्रोंकी वह शब्दाडम्बरपूर्ण भाषा नहीं थी, जिसे ९० फीसदी आदमी समझ नहीं पाते। इस विषयमें प्राय: पूरी सफलता हैदराबादके विद्यार्थियोंकी सभाको मिली। मानपत्र पहले सिन्धीमें तैयार कर लिया गया था और फिर उसका एक सुन्दर हिन्दी अनुवाद मुझे दिया गया था। इसके बारेमें विस्तारसे अगले सप्ताह लिखूँगा[1]। इस मानपत्रमें एक त्रुटि अवश्य थी, वह यह कि जिन विद्यार्थियोंकी ओरसे यह दिया गया था उन्हें स्वयं इस बातका कोई ज्ञान नहीं था कि मानपत्रमें क्या लिखा गया है। हम लोग ऐसी छोटी-छोटी बातोंमें बहुत ज्यादा असावधानीसे काम लेते हैं। जो मानपत्र संस्थाओंकी तरफसे दिये जायें, देनेसे पहले उनपर संस्थासे सम्बन्ध रखनेवाले सब लोगोंकी राय जरूर ही ले लेनी चाहिए।

लालाजी-स्मारक

लालाजी-स्मारक कोषमें चन्दा देनेकी अपीलके उत्तरमें सिन्धकी जनताने जो रकम दी, वह मेरी अपेक्षाके अनुरूप थी, बल्कि परम आशावादी और सफल राष्ट्रीय-याचक श्री मणिलाल कोठारीको जितनी आशा थी उससे ज्यादा ही थी। सिन्धके चन्देकी रकम ७०,००० रुपयेसे भी बढ़ गई है। इन पृष्ठोंमें जिन तरीकोंका मैंने उल्लेख किया है उसके अनुसार सिन्धके हिस्से जितने चन्देका कोटा अनुमानसे निर्धारित किया

१. देखिए "सच्चे बनो", १४-३-१९२९।

गया था, यह रकम उससे कही अधिक है। अगर दूसरे प्रान्त सिन्धके मुकावले आधी भी कोशिश करे तो लालाजी-स्मारक कोषके लिए जितनी रकमकी अपील की गई है उससे ज्यादा रकम इकट्ठी हो जायेगी। यह काम तभी सरलतापूर्वक हो सकेगा जब लालाजीकी स्मृतिका आदर करनेवाले लोग सरगर्मीसे चन्दा एकत्र करनेमे लग जायेगे। जिस तरह ईश्वरके अस्तित्वकी याद दिलानेके लिए और उसकी प्रार्थनाके लिए हम मन्दिरोके घण्टनादकी प्रतीक्षा करते रहते है उसी तरह हम लोगोने अभीतक, बिना लगातार याद दिलाये खुद-ब-खुद अपना फर्ज अदा करनेकी आदत सीखी नही है।

खादी

त्रावणकोरकी भाँति ही सिन्धमे भी खादी-प्रचारके लिए असीमित गुजाइश है। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि सिन्धमे युवती और वृद्धा सब स्त्रियाँ सुन्दर किनारीवाली रग-बिरगी साडियोके पीछे नही भागती। वे बिना किनारीवाला सफेद दुपट्टा पहनती है। अगर सिन्धके पुरुष कार्यकर्त्ता वहाँकी स्त्रियोमे थोडा भी राष्ट्रीय प्रचार-कार्य करे तो उन्हे सिन्धी महिलाओको खादी पहनानेमे जरा भी कठिनाई पेश न होगी। लेकिन दु खकी बात तो यह है कि कुछेक सम्माननीय अपवादोको छोड कर बाकीके सिन्ध-निवासी खादीमें दिलचस्पी ही नही रखते। वे विदेशी वस्त्रोके मोहको छोड नही सकते। लोगोकी भयकर गरीबी, जिसका वे कभी खयाल भी नही करते, उनके दिलको पिघलानेमे कामयाब नही होती। इसी कारण जहाँतक खादीका सम्बन्ध है, सिन्ध सबसे पिछडे हुए प्रान्तोमे से एक है।

खादीका उत्पादन तो वहाँ नाम लेनेको भी नही होता। आचार्य कृपलानी, जिन्हे अब आचार्य न कहकर 'फेरीवाला' कृपलानी कहना अधिक ठीक लगता है, बडे विश्वासके साथ कहते है कि सिन्धमें खादीके उत्पादनके लिए बहुत सम्भावनाएँ है, क्योकि उनके विचारमे सिन्धके अमीलो[1] और भाईबन्धोकी[2] समृद्धिके बावजूद सिन्ध प्रान्तमे काफी गरीबी है। अपने कथनकी पुष्टिके लिए वह कहते है कि सिन्धमे आज भी पाइयोका चलन है। इस बातकी साक्षीके रूपमे इतना तो मै भी कह सकता हूँ कि उडीसाको छोड कर और किसी प्रान्तमे मुझे चन्देमे इतनी अधिक पाइयाँ नही मिली है जितनी कि सिन्धमे। एक जगह सौ से ज्यादा आदमियोकी सभामे लगभग दस रुपयेका चन्दा हुआ, जिसमे ४० पाइयाँ इकट्ठी हुइ थी। इस बातको यह कह कर टाला नही जा सकता कि लोग कजूस थे या देना नही चाहते थे। सिन्ध मे मैने कजूसी तो कभी देखी ही नही और जिन लोगोने १२ दिनके थोडेसे समयमे ७०,००० रुपयेसे भी ज्यादा रकम दे डाली हो वे देना नही चाहते थे, यह कैसे कहा जाये? चन्देकी रकममें उन्होने जो पाइयाँ दी थी वे इस बातका सबूत है कि सिन्धमें रेलमार्गके आसपासके देहातो तकमे आज भी पाईकी कुछ कीमत है। एक जगह तो

१. नौकरी पेशा अथवा डाक्टरी-जैसे धन्धे करनेवाला वर्ग।
२. व्यापारी वर्ग।

संग्रहकी रकममें मुझे कौड़ियाँ भी दिखाई पडी। पूछनेपर मालूम हुआ कि वहाँ ५ कौड़ियाँ एक पैसेके बराबर होती है। फिर भी मै खुले दिलसे इतना तो मंजूर करता हूँ कि इस 'फेरीवाले' (कृपलानी)की बातको सम्पूर्ण सत्य नही मान लेना चाहिए, क्योकि इसने वर्षोसे अपने आपको एक निष्कासितके रूपमे प्रान्तके बाहर रख छोड़ा है। साथ ही यह भी सच है कि अबतक सिन्धमे खादीके उत्पादनकी दृष्टिसे जमकर गम्भीरतापूर्वक और नियोजित ढंगसे कोई प्रयत्न नही किया गया है और न किसी कुशल खादी-कार्यकर्त्ताका हाथ ही इस प्रयत्नके पीछे रहा है। इसके साथ ही यह भी खयाल कीजिए कि सिन्ध एक कपास पैदा करनेवाला प्रान्त है और यहाँ अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षाका नियम जारी है, जैसा कि हैदराबादमे है। अगर सिन्धमें खादीके अनुकूल वायुमण्डल होता तो वहाँकी पाठशालाओ द्वारा यज्ञार्थ खादी हमेशा तैयार की जा सकती थी। अगर केवल सिन्धकी पाठशालाओमे ही उचित देखभालके साथ नियमित रूपसे प्रतिदिन सूत कतवाया जाये तो भी वहाँ अच्छी, टिकाऊ और सस्ती खादी बडी मात्रामे तैयार हो सकती है। कालेजोका तो मै जिक्र ही नही कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ श्रद्धाका अभाव होता है वहाँ असख्य शंकाएँ राज करती है।

कांग्रेसकी हालत

कोटरी काग्रेस-कमेटीके साहसी अध्यक्षने वहाँकी सार्वजनिक सभामे मुझे बताया कि उनके काग्रेस-सदस्योकी सूचीमे केवल २० सदस्योके नाम है और अगर खादी-मताधिकारका ईमानदारी और कडाईसे पालन करवाया जाये तो शायद वहाँ दो से ज्यादा सदस्य न रह पाये। इसके जवाबमे मैने एक बहुत सीधी-सादी बात कही। वह यह कि अध्यक्ष महोदय खादी-मताधिकारका प्रामाणिक पालन करवानेके लिए बँधे हुए है और उनका कर्त्तव्य है कि वह कार्य-समितिको अपना विवरण लिख भेजे, और अगर उन्हे खादीमे विश्वास है तो उन्हें अकेले ही डटे रहनेमे हिचकना नही चाहिए।

सिन्धके दूसरे भागोमे भी काग्रेस सगठनकी यही हालत है। हर जगह काग्रेसका काम नाम-मात्रको चल रहा है। कवि तुलसीदासके शब्दोकी व्याख्या-रूपमे यो कह सकते है कि इधर नामधारीके मुकाबले उसके नामका महत्त्व ज्यादा बडा है। आज काग्रेसकी जो हालत है वह बडी दयनीय-सी है; जीवनके हर पहलू और समाजके हर अगमें उसका प्रसार होनेके बदले काग्रेस अब केवल किसी राजनीतिक उथल-पुथलके अवसरोसे ही सम्बन्धित रह गई है। सारांश यह कि इस रेतीले मैदानवाले प्रदेशमे काग्रेसने न तो किसी तरहकी तरक्की करके दिखलाई है और न कोई रचनात्मक कार्य ही वह कर रही है। शायद दूसरे प्रान्तोंकी भी बहुत-कुछ यही हालत होगी। इसलिए मेरे विचारमे काग्रेसके राजनीतिज्ञोके सामने बड़ीसे-बडी समस्या तो यह है कि वे किसी तरह काग्रेसको वैसी ही प्रतिष्ठा और प्रभुत्व प्रदान कराये जैसी कि उसे सन् १९२१ मे प्राप्त थी। मै नि.संकोच होकर यहाँ यह कह देता हूँ कि अगर इस कार्यमे खादी-मताधिकार बाधक होता हो तो बिना किसी संकोचके खादी-मताधिकारको काग्रेस-संगठनकी वेदीपर बलि चढा देना चाहिए और हर तरह काग्रेस-क्षेत्रसे पाखण्ड,

अप्रामाणिकता तथा खोखलापन उठ जाना चाहिए। मेरी अपनी राय तो यह है कि स्वयं सगठनकर्त्ताओं और नेताओंमें खादीके प्रति पूर्ण विश्वास नही है। लेकिन मेरी रायका उस प्रत्यक्ष प्रमाणके सामने, अगर सचमुच वह प्रत्यक्ष है, कोई मूल्य नही रह जाता, जिसके अनुसार कहा जाता है कि खादी-मताधिकारकी योजना असफल हुई है। फिर भी इस सम्बन्धमें अपनी यह राय देनेके साथ ही मै एक दूसरी राय भी प्रकट कर देता हूँ और वह यह है कि खादी-मताधिकारको निकाल दें तो भी हमे कोई बहुतसे ऐसे लोग नही मिल जायेगे जो काग्रेसके सदस्य बननेको लालायित होगे।

कांग्रेसके झगड़े

सिन्धमें काग्रेसके पतनका मूल कारण उसके आन्तरिक झगडे है। मुझे आशा नही थी कि उन्हे मिटानेके लिए मुझे बुलाया जायेगा। लेकिन बात ठीक यही हुई और इसपर श्रीयुत मणिलाल कोठारीको कार्य-समितिने चुनाव वगैरा का निरीक्षण करनेके लिए नियुक्त किया। उन्होने इस कामके साथ-साथ लालाजी-स्मारक-कोषके सग्रह-का काम भी हाथमें ले लिया। इस कारण मै भी सहज ही इस फन्देमें फाँस लिया गया। जहाँ-जहाँ मै गया वहाँ-वहाँ कार्यकर्त्ताओसे शान्तिपूर्वक बातचीत करनेके लिए एक घण्टेका समय अलग निकाल लिया गया था। हर जगहकी बातका सार लगभग एक ही था: 'हमारे झगडे काग्रेसके काममें बाधक हो रहे है। कृपया सिन्ध छोडनेसे पहले आप उन्हे निपटाते जाइए।' झगडेका कारण मेरी रायमें एक मामूली-सी बात थी, यानी अधिकारोका बँटवारा। लेकिन दु ख तो इस बातका है कि वहाँ कोई ऐसे अधिकार ही नही है, जो बाँटने योग्य हो; न कोई कोष है और न किसी चीज की संरक्षाका सवाल है। सब मिलाकर सिन्धके काग्रेस-सदस्योकी सख्या मुश्किलसे ४०० है। ४५ सदस्य प्रान्तीय कमेटीके है। कार्य-समितिके १५ सदस्य है, जो मेरी रायमें काफीसे ज्यादा है। अगर केन्द्रीय संस्थाका काम १५ सदस्योसे भलीभाँति चल जाता है तो प्रान्तीय संस्थाको ५ सदस्योसे काम निकाल लेना चाहिए। लेकिन अभी हममें वह व्यवहार-कुशलता नही आई है, जिससे हम तमाम सम्भव उत्साह, धन और समयकी बचत कर सकें।

सिन्धमें काग्रेसके दो दल है। दोनोका ज्यादातर ध्येय कार्यकारिणीपर अपना प्रभुत्व जमानेका है। कार्यकर्त्ताओमें से हरएकने मुझसे कहा कि सिन्ध काग्रेसका प्रान्तीय संगठन, जो किसी समय बहुत समरस था, उस समय टुकड़े-टुकडे हो गया, जब बद-नसीबीसे कौंसिल प्रवेशका सवाल एक सजीव समस्या बना। सिन्धको अलग प्रान्त बनानेके नये सवालने इस भेदको और भी पुष्ट कर दिया। एक दलके मुखिया स्वामी गोविन्दानन्द है और दूसरेके श्री जयरामदास। स्वामी गोविन्दानन्द पिछले तीन या उससे ज्यादा साल (मुझे याद नही कितने)से अध्यक्ष रहे है। श्री जयरामदासके दलने कई अनियमित बातोकी निश्चित शिकायतें की है। लेकिन मैंने इनकी जाँच नही की। जब मीरपुर-खासमें दोनोंके प्रतिनिधियोसे मुझे आखिरी बातचीत करनेका मौका मिला, तो मैंने दोनोको समझाने और परस्पर मिलानेकी कोशिश की। वहाँकी स्थितिको देखने-भालनेके बाद मैंने एक समझौता पेश किया जो, मेरी रायमें, एक

कच्चा काम था, दोनोंको मिलानेका एक प्रयोगात्मक हल था। इस बातचीतके सिलसिलेमे मैंने देखा कि गोविन्दानन्दके दलवाले स्वामीको अध्यक्ष बनाये रखनेके ज्यादा पक्षपाती थे। स्वयं स्वामी गोविन्दानन्द काग्रेसके शासनकी बागडोरको अपने हाथोमे रखनेके हिमायती थे। जहाँतक मै देख पाया हूँ, श्री जयरामदासकी ऐसी कोई इच्छा नही थी, हाँ, वह और उनके दलवाले चाहते थे कि कोई तीसरा आदमी, जो निष्पक्ष हो, अध्यक्ष बने। संघर्षशील चुनावके सिवाय इसका कोई रास्ता मुझे निकलता दिखाई नही दिया। मेरी रायमे अगर अध्यक्षकी कुछ प्रतिष्ठा होनी है तो या तो वह सर्वसम्मतिसे चुना जाना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा बहुमतसे। लेकिन दोनो दल मुझे बराबर जोटके जान पड़े। इसी कारण दलगत मत लेकर चुनाव करलेकी सलाह देनेके लिए मै तैयार न था। और मैंने सोचा कि अगर श्री जयरामदास और उनके खास-खास सहयोगी काग्रेसकी लगामको अपने हाथोमे लेनेके लिए उत्सुक या इच्छुक नही है तो अच्छा हो अगर वे स्वामी गोविन्दानन्दका चुनाव निर्विरोध हो जाने दे और इस तरह अपनी अनिच्छुकताका प्रमाण दे। उसके बाद कार्यकारिणीका चुनाव तो आसान था। इस सम्बन्धमे मैंने केन्द्रीय संस्थाकी परिपाटीकी ओर उनका ध्यान खीचा, यानी अध्यक्ष जिन्हे नामजद करे उन्हे ही चुन लिया जाये। और वैसे भी हरएक अध्यक्षको इस बातका अधिकार मिलना चाहिए और उसमे इतनी योग्यता तो होनी चाहिए कि वह अपनी कार्यकारिणीका चुनाव खुद कर ले। इसी विचारसे मैंने इस कामके लिए कलम स्वामीके हाथमे थमा दी। उन्होंने जयरामदासके दलमें से पाँच नाम चुन लिये और इस तरह दस सदस्य उनके अपने दलके और पाँच प्रतिपक्षके चुने गये। मैंने तो उन्हे अ० भा० का० कमेटीके लिए भी खुद ही नाम चुन देनेकी सलाह दी, जिससे अधिकारियोके चुनावका झगड़ा ही न रहे। मुझे आशा है, सिन्धमे इस तरहका चुनाव शीघ्र ही बिना किसी सघर्षके कर लिया जायेगा।

मै जानता हूँ कि श्री जयरामदासके दलको इस योजनासे सन्तोष नही हुआ है। शायद, मेरी मूल सलाहके अनुसार काम करना उन्हें ज्यादा पसन्द होता, जिसके मुताबिक प्रान्तीय संस्थासे निवृत्ति पाकर वे उन जिलोमें काम करते जहाँ उनका निर्विरोध और स्पष्ट बहुमत रहता। मैंने स्वामीसे पूछा कि वह क्या चाहते है, और उन्होने कहा कि कार्यकारिणीमे वह श्री जयरामदासके दलके प्रतिनिधियोको रखना चाहेगे। इसलिए मैंने जयरामदासके दलको जोर देकर यह सलाह दी कि कार्यकारिणी मे शामिल होकर निष्क्रिय सहयोगी बने रहनेमे और इस प्रकार स्वामीको देशकी परीक्षाके इस वर्षमें काग्रेसका कार्यक्रम पूरा करने देनेमे उनका आत्म-त्याग बढ़ेगा। मैंने उन्हे यह भी सलाह दी है कि वे कार्यकारिणीकी उन्ही बैठकोमे शामिल हो, जिनमें स्वामीको उनकी उपस्थितिकी जरूरत हो और अगर वे देखें कि जो-कुछ हो रहा है या जिस नीतिसे काम किया जा रहा है उसके साथ वे अपना नाम जान-बूझकर नही आने देना चाहते तो उस हालतमे वे पद-त्याग कर दे।

स्वामी गोविन्दानन्दके सम्बन्धमे भी दो शब्द कहे देता हूँ। उनका स्वार्थ-त्याग निर्विवाद है। उनके साहसके सम्बन्धमे भी दो मत नही हो सकते। फिर भी मै

समझता हूँ कि अगर वह पदमुक्त हो जायें और किसी दूसरेको अध्यक्ष बनानेकी बातपर जोर दें तो वह अपनी सेवा करनेकी शक्तिको और बढ़ा सकेंगे।

'सिन्धके सेवक'

कुछ थोड़ेसे लोगोंने बड़े जोरोंसे यह चर्चा की कि सिन्धसे लालाजी-स्मारकके लिए जो धन इकट्ठा हो वह सबका-सब बाहर न भेजा जाये। मैंने इस बारेमें खुलासा करते हुए कहा कि स्मारक-कोषके लिए जिन नेताओंने अपील की है वे पहले ही यह प्रकट कर चुके है कि स्मारक-कोषका उपयोग किस उद्देश्यके लिए किया जायेगा। इस कारण अब कोषके उद्देश्यको बदलनेका मुझे कोई अधिकार नहीं है। फिर भी मैंने यह बताया कि सिन्धका ज्यादातर रुपया सिन्धके काममें आ सकता है, बशर्ते कि कुछ योग्य सिन्धी लालाजीकी सोसायटीके, जो एक देशव्यापी संगठन है, सदस्य बन जायें अथवा दलित जातियोंमें काम करनेके लिए कोई सुन्दर योजना पेश करें। मैं उन्हें विश्वास दिला चुका हूँ कि न तो लालाजीकी सोसायटी और न स्मारक-कोषके न्यासी ही सिन्धकी माँगोंकी उपेक्षा करेंगे जबकि उसने लालाजी-स्मारकके लिए इतनी उदारतापूर्वक दान दिया है। हाँ, साथ ही मैं सिन्धकी जनता को यह भी सूचित कर देता हूँ कि कुछ सिन्धी कार्यकर्त्ताओंको लालाजीकी सोसायटीमें शामिल करनेके लिए अभीसे बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन जिस समय इस विषयपर वादविवाद चल रहा था उसी समय स्वामी गोविन्दानन्दने एक सुझाव पेश किया, जिसका आशय यह था कि लालाजीकी सोसायटीके समान ही सिन्धमें एक प्रान्तीय संगठन होना चाहिए। यह विचार मुझे बहुत ज्यादा पसन्द आया। अगर किसी व्यक्तिको सहयोगी कार्यकर्त्ता मिल जायें तो इस तरहकी सोसायटी स्थापित करनेमें किसी तरहकी बाधाकी संभावना नहीं है। सोसायटीके अनुरक्षणके लिए किसीको चिन्तित होनेकी भी आवश्यकता नहीं है। काम करनेवालेको उसकी योग्यताके मुताबिक मजदूरी मिल ही जाती है। जो स्वयंसेवक किसी राष्ट्रीय संस्थामें काम करता है, उसे अपनी सेवाओंके बाजारू मूल्यसे कम मूल्यपर काम करना पड़ता है, और उसे करना भी चाहिए। अतः जबतक वह अपने कार्यसे राष्ट्रको सन्तुष्ट कर सकता है तबतक न तो उससे किसीको ईर्ष्या हो सकती है और न उसे कोई तंगी हो सकती है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे जाने हुए सिन्धी कार्यकर्त्ताओंमें डाक्टर चोइथराम जैसे पुराने राष्ट्रीय सेवक हैं और अपना सर्वस्व देशकी सेवाके लिए समर्पण कर चुके है, तो मैं उनसे मिला और स्वामीका प्रस्ताव उनके सामने रखा। इसपर उन्होंने कहा कि यह चीज तो पहले ही से उनके सामने है। अतः मैंने उनसे और श्री जयरामदाससे कहा कि वे मिलकर एक अच्छी-सी योजना तैयार करें, उसे प्रकाशित करें और उम्मीदवारोंके नाम माँगें। यद्यपि उनके पास साधन हैं, जनतापर प्रभुत्व भी है, और जब-जब उन्होंने धनके लिए प्रार्थना की है तब-तब लोगोंने उसमें उदारतासे धन दिया है, फिर भी उन्हें इस बातमें सन्देह है कि इस योजनाके लिए उन्हें लोगोंका पर्याप्त समर्थन मिलेगा। लेकिन अपने स्वभावके अनुसार मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे इस व्यर्थके भयको अपने दिलसे निकाल डालें और अपने आपमें

तथा हाथमें लिए हुए कार्यमे विश्वास रखे। क्योकि मैंने ऐसा कभी नही देखा कि जिस कामका हेतु अच्छा हो और उसके करनेवाले भी अच्छे हो, वह काम धनकी कमीके कारण पूरा न हुआ हो। यह जरूर होता है कि हम अक्सर बुरे कामको अच्छा मान बैठते है और बुरे आदमियोको अच्छा समझ लेते है, और फिर शिकायत करते हैं कि धनाभावके कारण हमारा काम बिगडा जा रहा है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-२-१९२९

१२. एक होनहार बालक

जिन सज्जनोने मेरे एक पौत्रकी मृत्युका समाचार सुनकर मेरे पास समवेदना-सूचक तार और पत्र भेजे है, मैं उन्हे नम्रतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। रसिक अभी सत्रह वर्षका हो था; लेकिन बचपनसे ही उसे राष्ट्र-सेवक बननेकी तालीम दी गई थी। वह होशियार, प्रगतिशील और महत्त्वाकांक्षी था। साथ ही उसने रुई धुनकनेके काममे प्रवीणता प्राप्त की थी और वह मेरे पुत्र देवदासकी सहायताके लिए दिल्ली गया था, जो जामिया मिलियामे कताई और हिन्दी-शिक्षकका काम करता है। पिछले कुछ महीनोमे रसिककी बुद्धिमत्ता बहुत-कुछ बढ गई थी। मृत्युशय्याका सहारा लेनेसे कुछ दिन पहले उसने मुझे लिखा था कि वह बड़ी लगन और श्रद्धाके साथ 'रामायण' तथा 'गीता'का अभ्यास कर रहा है। उसमे जिम्मेदारीकी अच्छी भावना पैदा हो गई थी। मौतके बारेमे मेरे जो विचार है उनके कारण रसिकको मृत्युसे मुझे दुःखका अनुभव नही हुआ है, और जो थोडा दु.ख हुआ भी है वह निरे स्वार्थ-वश। मैं देहधारी रसिकसे बडीसे-बडी राष्ट्रीय सेवाकी आशा रख रहा था। जहाँतक उसका सवाल है, उसको अब इस शरीरकी आवश्यकता नही रह गई थी। फिर वह उस कल्याणकारी मार्गसे गया है जिसका अनुसरण हममे से हरएकको करना चाहिए। इस दृष्टिसे उसकी मौत मुझे ईश्वरके और भी अधिक समीप ले जाती है, और पहलेकी अपेक्षा ज्यादा जोरोसे मुझे मेरी जिम्मेवारीका भान कराती है। जब मैं सोचता हूँ कि वह अपना कर्त्तव्य करते-करते महाप्रयाण कर गया तो मुझे हर्ष होता है। उसकी मौतने मुझमे मुसलमानोके और निकट आनेमे मदद की है। देवदासने मुझे बताया है कि रसिकके मुसलमान दोस्त उसपर हमेशा मेहरबान रहे। डाक्टर अन्सारीने न केवल उसकी एक कुशल चिकित्सककी हैसियतसे शुश्रूषा ही की थी बल्कि उसपर पिता-तुल्य प्रेमभाव भी बरसाया था। जामियाके आचार्य और अध्यापकोने भी उसकी सार-सभालमे कोई कसर नही रखी थी। मै आदरपूर्वक इन सबका आभार मानता हूँ, और तिब्बिया कालेजके डाक्टर शर्मा, रोगीकी लगनपूर्वक शुश्रूषा करनेवाली नर्सो और उन अनेक हिन्दू मित्रोंको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होने रसिककी सेवा-शुश्रूषामे देवदासका हाथ बँटाया था। अगर देवदासको उसके प्रेमी और सेवा-तत्पर हिन्दू, मुसलमान मित्रोकी सहायता न मिलती तो अपने प्यारे रसिककी बीमारी

और बेहोशीकी लम्बी अवधिमें उसकी सार-सभाल करते-करते स्वय देवदास आसानीसे टूट गया होता। रसिककी मौत दिलमें दुःख नही बल्कि ईर्ष्या पैदा करती है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-२-१९२९

१३. चरखा-गीत

पुरुलिया कुष्ठाश्रमके रेवरेंड डोनाल्ड मिलरने 'वाच टावर' नामक पत्रिकाकी एक कतरन भेजी है, जिसमें रानीगंज कुष्ठाश्रमकी एक महिला रोगीके बारेमें रेवरेंड एफ० डब्ल्यू० रॉस द्वारा दिया गया विवरण छपा है। श्री रॉसके रोचक विवरणको, जिसमें सरोका चरखा-गीत भी शामिल है, आंशिक रूपमें नीचे दे रहा हूँ।[1]

> सरो हमारे अनेक चरित्रोंमें से एक है, वह सचमुचमें जानने योग्य महिला है। जब कोई माननीय दर्शक हमारे कुष्ठालयमें आता है तो उसका कार्य तब तक पूरा हुआ नहीं माना जाता जबतक सरो उसे यह आशीष नहीं दे लेती . . . 'प्रसन्न रहो, तुम्हारे धन और सन्तानमें वृद्धि हो, तुम इतने साल जियो जितने तुम्हारे सिरमें बाल हैं और तुम्हारा शरीर लोहे-जैसा मजबूत हो।' इस सूत्रको कहनेमें वह कभी थकती नहीं इसलिए यह किंचित् सौभाग्य की ही बात है कि अभीतक कोई बिलकुल गंजा आदमी यहाँ आशीष लेने नहीं आया है . . . जब बुनाईकी चर्चा की जाती है तो सरो खिल उठती है . . . जब उससे यह पूछा जाता है कि क्या वह जानती है कि चरखेका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? . . . तब वह अपनी किशोरावस्थाका एक पुराना गीत गाने लगती है . . .
>
> 'चरखा मेरा पति है, पुत्र है और पौत्र है;
> चरखेकी मददसे अब हम हाथी बाँध सकते हैं;
> हुम-म-म, हुम-म-म चलता चरखा।'

इस लोकगीत और इसी तरहके और गीत जो मुझे गुजरात तथा भारतके दूसरे भागोंसे प्राप्त हुए हैं, उनमें जो साम्यता है, वह ध्यान देने योग्य है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-२-१९२९

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये जा रहे हैं।

१४. मेरी आसन्न बर्मा-यात्रा

पिछली बार बर्मा मैं सन् १९१५ मे गया था, सो भी सिर्फ रंगून शहरमें। उसके बादसे अबतक समयकी कमीके कारण मैं उस महान प्रान्तमे नही जा सका हूँ, यद्यपि उधरसे मुझे बहुतसे निमन्त्रण आ चुके है। अगले महीनेकी शुरुआतमे ही मैं वहाँ जानेकी आशा रखता हूँ। मैं बर्मा मुख्यत. खादी और गुजरात विद्यापीठके कार्यके लिए जा रहा हूँ, क्योकि इन दोनो कामोमे बर्माके गुजरातियोने हमेशा उदारतापूर्वक सहयोग दिया है। मैं तो लालाजी-स्मारकके लिए भी दान पानेकी आशा रखता हूँ। और यह सोचकर कि इस यात्रामे मैं अपने आजीवन मित्र और साथी डाक्टर प्राण-जीवन मेहतासे भी मिल सकूँगा, मुझे और हर्ष होता है। जो बर्मी मित्र मुझे पहले ही निमत्रण भेज चुके है, वहाँ मुझे उनसे मिलकर परिचय बढानेकी भी आशा है। लेकिन मैं अपने सब मित्रोको सूचित किये देता हूँ कि मेरे पास समय बहुत थोडा है। मार्चके अन्तिम सप्ताहमे मुझे गुजरात लौट आना है जिससे मैं मार्चके अन्तमे मोरवीमे सरदार वल्लभभाई पटेलकी अध्यक्षतामे होनेवाली काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्मे भाग ले सकूँ। साथ ही मैं अपने मित्रोसे यह भी कह देना चाहता हूँ कि अब मेरा शरीर ऐसा नही रह गया है, जो किसी समय बिना थके लगातार हर तरह की मेहनतमे लगा रहता था। इसी सिलसिलेमे मैं उन्हे यह भी याद दिला देता हूँ कि मुझे दो साप्ताहिक पत्रोका सम्पादन करना पडता है और रोजाना पत्रोका जवाब भी लिखना-लिखाना पडता है। अत. मैं स्वागत-समितिसे आशा रखता हूँ कि वह मुझे स्नान, भोजन, आराम, सम्पादन-कार्य और दूसरी लिखा-पढीके लिए लगातार छ: घटोका समय देगी। मैं सवेरे ४ बजे उठता हूँ, इसलिए आशा है स्वागत-समिति इसका खयाल रखेगी और रातमे ८ बजेके बाद मेरा कोई कार्यक्रम नही ठहरायेगी, जिससे मैं रातमे ९ बजे ही सो सकूँ।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-२-१९२९

१५. दुर्बल गाय बचेगी?

श्री काशिनाथजी त्रिवेदी आश्रममे रहते है और 'हिन्दी-नवजीवन' मे मदद देते है। उज्जैनमे उनकी तेरह सालकी एक बहन है। वह नही चाहते कि उसका विवाह इतनी छोटी उम्रमे हो। लेकिन काशिनाथजी कहते है कि उनके पिताजी तीस वर्षके एक विधुरसे उसका सम्बन्ध तय कर चुके है। वह यह भी कहते है कि इन विधुरकी पत्नीका देहान्त पिछले जनवरी महीनेमे हुआ है। विधुर डाक्टर है और मध्यभारतकी एक रियासतमे नौकर है। काशिनाथजीके पिताजी समाजकी रूढिके कायल है और इस लिए 'योग्य वर' न मिलनेकी हालतमे 'बदर्जे मजबूरी' अपनी निर्दोष कन्याका विवाह एक विधुरके साथ करनेको तैयार हुए है। विवाहका मुहूर्त गुरुवार ता० ११ मार्च १९२९ के दिन रखा गया है। काशिनाथजीने इस विवाह-सम्बन्धका स्पष्ट विरोध किया है और अपने पिताजीको लिखा है कि उनकी आज्ञानुसार बहनके विवाहमे शामिल होने और उसमे किसी भी तरहका योग देनेसे कर्त्तव्यबुद्धि उन्हे रोक रही है। लेकिन मैंने काशिनाथजीसे कहा है कि केवल लेखी विरोध काफी न होगा, इसलिए वह प्रत्यक्ष जाकर इस पापमय सम्बन्धको रद करानेकी भरसक कोशिश करना चाहते है। लडकीके पिताजीसे मेरी प्रार्थना है कि वह अपना निर्णय बदल दे। अगर वह न बदले और अपनी हठधर्मीपर कायम रहे, तो मै आशा करता हूँ कि मध्य-भारतके तमाम विचारशील और जिम्मेदार व्यक्ति काशिनाथजीको उनके पवित्र काममे मदद देंगे और हर तरहके शान्त और नम्र प्रयत्न द्वारा इस विवाहको रोकनेमे सहायक बनेगे।

एक शब्द इन विधुर डाक्टरको भी, जो इस तरहका दुस्साहस करनेको तैयार हुए है। मै आशा करता हूँ कि डाक्टर अपना धर्म समझेगे और अपने आप गौ-माता के समान इस बालिकासे व्याह करनेका पापी खयाल तक अपने मनसे निकाल डालेगे। यहाँ डाक्टर महाशयको यह याद दिलाना अनुचित न होगा कि पत्नीके स्वर्गवासके बाद कमसे-कम एक वर्षतक अपनी पशुवृत्तिका निग्रह करना न केवल अनुचित ही नही है, बल्कि यही उनका शुद्ध कर्त्तव्य है।

हिन्दी-नवजीवन, २१-२-१९२९

१६. पत्र: डी० को

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२१ फरवरी, १९२९

प्रिय मित्र,

आपके दो पत्र मिले। दिल्लीमें आपका पत्र मिलनेसे पहले पण्डित मालवीयजीसे मेरी बातचीत हो चुकी थी। मैंने आपको लिखे अपने पत्रका सार उन्हे बताया, और उन्होंने कहा कि मैंने आपको बिल्कुल ठीक लिखा है कि मालवीयजी शारीरिक दौर्बल्यके कारण आपको कभी अस्वीकार नही कर सकते थे। कुछ भी हो, उन्होंने आपको एक बहुत अच्छा प्रमाणपत्र दिया और कहा कि अगर मैं आपका काम कर सकूँ तो उन्हे बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपको तुरन्त अपने यहाँ लगाना उनके लिए मुश्किल है। वह सहमत है कि आपको अविलम्ब सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इस बातचीतके समय संयोगवश श्रीयुत घनश्यामदास बिडला भी मौजूद थे। इस बातचीतमें और आपमें उनकी भी दिलचस्पी हो गई और उन्होंने आपको तुरन्त अपने पिलानीके कालेज या हाईस्कूलमें, ठीक याद नही है, रख लेनेका प्रस्ताव किया। वहाँके लिए उन्हे एक अच्छे प्रोफेसरकी जरूरत है और वहाँ जो वेतन आप चाहते है वह मिलनेमें कोई दिक्कत भी नही होनी चाहिए। यदि यह पद आपको मंजूर हो तो आप श्रीयुत घनश्यामदास बिडलाको लिख दे और उनसे मुलाकात तय करके वहाँ चले जायें। उनका पता है: बिडला ब्रदर्स, सब्जी मडी, दिल्ली।

आप क्या कर रहे है, कृपया इससे मुझे अवगत कराइएगा। मै इस पत्रकी और आपके दूसरे पत्रकी भी एक प्रति श्रीयुत घनश्यामदास बिड़लाके पास भेज रहा हूँ। मैं मार्चकी पहली तारीखको साबरमतीसे बर्माके लिए रवाना हो रहा हूँ। मै चाहता हूँ कि इससे पहले ही आपको कामपर लगा देख लूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३२९८)की माइक्रोफिल्मसे।

१७. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२१ फरवरी, १९२९

प्रिय सतीश बाबू,

आपके पत्र मिले। आपके तथा हेमप्रभा देवीके स्वास्थ्यके बारेमें जो विवरण मिला है वह तो बुरा है। बिना दिये कभी कुछ न लेनेके विचारको सदा मनमें जमाये रखनेकी बात मुझे पसन्द नहीं। स्वार्थमय दृष्टिकोणके एक बार समाप्त हो जानेपर बिना दिये कुछ न लेनेका सवाल तो फिर उठता ही नहीं, यह सब तो बिना सोचे सहज ही होता रहता है। यदि मुझे हमेशा स्वयं अपने आगे यही साबित करनेकी जरूरत महसूस होती रहे कि मैंने आपसे एक तोला चावल लेकर आपको बदलेमें दो तोला दाल दी है, तो ऐसी हालतमें मैंने दिया तो कुछ नहीं, लिया-भर ही है। क्योंकि इस बातका अहसास कि आपने मुझे जितना दिया, मैंने आपको उससे अधिक दिया है, मेरे उपहारका मूल्य नष्ट कर देता है। हेमप्रभा देवीके लिए यह सुखकी बात क्यों नहीं हो सकती कि वह अभय आश्रममें रहकर बदलेमें कुछ दिये बिना प्रकट रूपसे सारी सेवाएँ प्राप्त करती रहें। क्या आप हर छोटी-छोटी बातमें इसी तरह व्यवहार करते हैं और हर लेन-देनको तराजूपर रखकर देखते हैं? किन्तु कहीं सतुलन न बिगड़ जाये? और अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो इस मामलेमें लेन-देनका विचार ही मनमें क्यों लाते हैं, खास तौरसे जब यह पति और पत्नीके बीचकी नहीं बल्कि दो भिन्न संस्थाओंके बीचकी बात है, ऐसी संस्थाओंकी जो एक-दूसरेसे खिंची भी रहती हैं। पता नहीं मैं अपना आशय स्पष्ट कर भी सका हूँ या नहीं। अवश्य, यह दलील मैं यह मानकर दे रहा हूँ कि अभय आश्रम हेमप्रभादेवीको अपने यहाँ रखनेको खुशीसे तैयार है।

आपके खूराक-सम्बन्धी प्रयोगसे मैं प्रसन्न हूँ। इसमें किया गया परिवर्तन अच्छा है। और जब आप प्रयोग कर ही रहे हैं तो विभिन्न प्रकारके तेलोंके गुणोंकी ठीक जानकारी अब आप मुझसे ज्यादा ठीक कर सकते हैं। जहाँतक मेरा अपना अन्दाज है अलसीका तेल सबको मात करता है। लेकिन यह क्या चीज है जो उसे विकार रहित बनाती है, यह मैं नहीं जानता। और अगर आप अपने तेल सम्बन्धी प्रयोगको वैज्ञानिक ढंगपर चलाना चाहते हैं तो खुदका निकाला हुआ तेल ही प्रयोगमें लायें, क्योंकि बाजारमें आप शुद्ध तेल कभी नहीं पा सकते। और पता नहीं किस कारणसे कोई भी तेल ज्यादा समयतक अच्छा नहीं रह पाता।

आप 'उपवास-उपचार'[1] पर 'यंग इंडिया'में प्रकाशित सामग्रीको सावधानीसे अवश्य पढ़ें। लेखक एक विद्वान व्यक्ति है और वह बहुत ही कायदेसे काम करनेवाले

१. इस सम्बन्धमें गांधीजीके विचारोंके लिए देखिए "विलक्षण उपवास-उपचार", २८-२-१९२९।

मालूम होते है। हेमप्रभा देवी और तारिणीके लिए मै उपवासको हर तरहसे एक अच्छा इलाज मानता हूँ, जलवायु परिवर्तनसे भी अच्छा। आपके बारेमे मै ठीक नही कह सकता। लेकिन इस उपायमे सावधानी बरती जानी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब अन्धविश्वासकी इस भावनाको कि शक्तिको बनाये रखनेके लिए कुछ खाना जरूरी है, खत्म कर दिया गया हो। और उपवासमे धूप-स्नानकी क्रिया भी शामिल करूँगा, जो बिलकुल वस्त्रहीन होकर की जानी चाहिए। इसके लिए चारो तरफसे घिरी हुई जगह होनी चाहिए। और जब उपवाससे इलाज चल रहा हो तो एनीमाकी मददसे पेट साफ रखना चाहिए। एनीमाके जलके साथ उपवासके तीन सप्ताह उपरान्त भी कभी-कभी मलके कितने ठोस अश निकलते रहते है, जैसा कि मेरे अपने मामलेमे हुआ है, और यह गौर करनेकी चीज है।

मै नही समझता कि 'यग इडिया'मे जो-कुछ मै लिख चुका हूँ उसके अलावा खादीके बारेमे मै आपको कुछ और बता सकूँगा। मेरी योजना[1] स्वीकार कर ली गई है। मेरा केवल यही सुझाव है कि जहाँ-कही भी कार्यकर्त्ता प्राप्त हो सके, वहाँ वे इस पूरी योजनाको, या जिस हदतक उसे कार्यान्वित करना सम्भव हो उस हदतक उसे स्वय अमलमें लायें।

कांग्रेसका शुद्धीकरण कोई आसान क्रिया नही है, लेकिन हम इसके लिए आशान्वित रहे। इसे तो होना ही है अगर—पत्रका यहाँ तकका अश मंगलवारको[2] दिल्लीमे बोलकर लिखाया गया। लेकिन हम सभी इतने व्यस्त थे कि यह अधूरा पत्र भी टाइप न हो सका और न इतना साफ-साफ लिखा जा सका कि आपके पास भेजा जा सके। मै जब पत्र लिखा रहा था तब बीचमे बाधा पड़ गई क्योंकि कार्यकारिणीके सदस्य अन्दर आ गये थे। अब मै पत्र जहाँ छोड़ा था वहाँसे फिर जारी कर रहा हूँ—हमें सत्य और अहिंसाके द्वारा स्वराज्य हासिल करना है। जबतक हम स्वय शुद्ध न हों सरकारको शुद्ध नही बना सकेगे। इसीलिए मै कहता हूँ कि मै खुद अपने ढंगसे, और उन तरीकोसे जिन्हे मै जानता हूँ, अपनी और काग्रेसकी, दोहरी शुद्धताके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। और आप सदा यह माने कि दोनो काम साथ-साथ चलेगे। काग्रेसमे अशुद्धताएँ हम सबकी अशुद्धताओके ही कारण है, और चूँकि इस सवालको उठानेवालोमे मै प्रथम हूँ, इसलिए शुद्धताकी दिशामे काग्रेसकी सफलतामे सर्वाधिक बाधक मेरी ही कमियोको मानना होगा। मुझे एकमात्र सन्तोष इस बातमे है कि अपनी कमियोंको दूर करनेमे मै कोई कसर नही रख रहा हूँ।

खादीके नियमको कार्यरूप देनेके बारेमें निर्देशो सम्बन्धी आपका तार मिला। फिलहाल कोई निर्देश जारी करना जरूरी नही है। 'यग इडिया'में मै इसके बारेमे लिखनेकी आशा रखता हूँ। फिलहाल इन सबके बारेमे जाननेके लिए आप 'यंग इडिया'के पृष्ठोको ही देखे। बहुत-सी चीजे कार्यसमितिके प्रस्तावोकी अपेक्षा 'यंग इडिया'मे दिये गये सुझावोके द्वारा ही की जा सकती हैं।

1. देखिए खण्ड ३८, पृष्ठ ४१५-१६।
2. १९ फरवरी, १९२९।

मेरा कार्यक्रम यह है। मार्चकी पहली तारीखको मै यहाँसे चल दूँगा, नही तो दो तारीखको तो निश्चित ही। फिर ३ अथवा ४ को सुवह कलकत्ता पहुँचूँगा। जो गाड़ी मै पकडूँगा उसीके अनुसार समयमे कुछ फेर-बदल होगा। दिल्ली होकर आनेकी मेरी इच्छा है। ऐसा करनेसे ८ रुपये प्रति यात्रीकी बचत होती है और थोडा समय भी बचता है। मै रेलवेकी समयसारिणी देखूँगा। मै मगलवार ५ मार्चकी सुवह कलकत्तासे रंगूनके लिए चल दूँगा। मार्चके अन्तिम सप्ताहमे मै रगूनसे साबरमतीके लिए रवाना होऊँगा ताकि २७ मार्चतक वहाँ जरूर पहुँच जाऊँ।

रामविनोदके बारेमे लिया गया निर्णय मेरे लिए बहुत चिन्ताका कारण बन रहा है। राजेन्द्र बाबूको इससे बहुत गहरी चोट लगी है।[1] वे और उनके साथी कार्यकर्त्ता इस निर्णयको अपने ऊपर लाछन मानते है। उन्होने अपने साथियोसहित अपना त्याग-पत्र दे दिया है। मैंने इस बातको हँसीमे टाल दिया है, राजेन्द्रबाबूको सान्त्वना दी है और उनसे कहा है कि आखिरकार इसका अन्तिम निर्णायक तो मै हूँ और इसलिए मुझे प्रसन्नतापूर्वक प्रमाणोके हर अशको देखना चाहिए और प्रमाणोको सामने रखकर किये गये आपके निर्णयपर गौर करनेके बाद मुझे अपना निर्णय सुनाना चाहिए। आगेकी प्रगतिके बारेमें मै आपको सूचित करूँगा। अभी आपको इस बारेमे परेशान होनेकी जरूरत नही है। जरूरत पडनेपर मै आपसे मददके लिए कहूँगा। आशा है इस कठिनाईपर मैं विजय प्राप्त कर सकूँगा। लेकिन इस समय मेरे ऊपर काफी बोझ पहले ही है और इस कामसे वह बोझ और बढेगा। लेकिन यह तो अनिवार्य है।

इस विषयमे दूसरी चीज जो मै सिन्ध जानेसे और भूलनेसे पहले लिखना चाहता था वह अखिल भारतीय चरखा सघकी समितिके जमानत विषयक प्रस्तावके सम्बन्धमे श्री निरजन बाबूके पत्रके बारेमें है। प्रस्ताव उतना आलोचनीय नही है जितना निरजनबाबूका खयाल है। यह काफी लोचदार है और मेरी समझसे यह आवश्यक है। जैसे-जैसे हमारा सगठन बढता जायेगा जमानतकी माँग करनी ही होगी। और कोई व्यक्ति राष्ट्रभक्त अथवा राष्ट्रसेवी है, केवल इस आधारपर जमानत देनेके नियमसे मुक्त नही हो। जिनके बारेमे कोई शका नही है और जो अपनी ईमानदारीको साबित कर चुके है और जमानत दे नही सकते उनको जमानत देनेसे मुक्त कर दिया जायेगा, और करना भी चाहिए। क्या आप इस प्रस्तावसे सहमत नही है ?

हृदयसे आपका,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १६०३) की फोटो-नकलसे।

१. विहारके एक खादी कार्यकर्त्ता रामविनोद सिन्हाको उनकी परियोजनाओंमें सहायता देनेके लिए २५,००० रुपयेका ऋण दिया गया था। वादमें उनपर आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक धनसे जिस सस्थाकी स्थापना उन्होंने की है उसे वह अपनी निजी मिल्कियत मानते हैं। इस आरोपकी जाँचके लिए सतीशचन्द्र दासगुप्तको गाधीजीने नियुक्त किया। श्री दासगुप्तने निर्णय दिया कि चरखा संघकी विहार शाखाका प्रवन्ध वहुत गड़वड़ है। डा० राजेन्द्र प्रसादने, जो इसके प्रधान थे, इसका विरोध किया और गाधीजीसे प्रार्थना की कि वे खुद इसकी जाँच-पड़ताल करें। कुछ समय वाद इस मामलेको गाधीजीने नारणदास गाधीके सुपुर्द किया और उन्होंने विहार चरखा सघ द्वारा प्रस्तुत किये गये हिसावको स्वीकार कर लिया।

१८. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२१ फरवरी, १९२९

प्रिय जयरामदास,

तुम्हें मुझसे इस पत्रकी बहुत कम आशा थी, पर मैं भेज रहा हूँ। मैंने विदेशी वस्त्र-बहिष्कार समितिका कार्यभार सँभाल लिया है। इसको चलानेके लिए मुझे पूरे समयके लिए एक मन्त्री जरूर चाहिए। और मेरे खयालमें इस कामके लिए तुमसे ज्यादा उपयुक्त और कोई नही होगा। इसलिए अगर तुम यह न समझो कि देशहितके लिए कौंसिलमे तुम्हारा होना आवश्यक है, तो मैं चाहूँगा कि तुम एकदम त्याग-पत्र दे दो और मन्त्री-पदका काम सँभाल लो। सालके अन्तमे इस कामसे निवृत्त होनेके लिए तुम कह सकते हो, हालाँकि मै तो चाहूँगा कि तुम उस समयतक रहो जबतक मुझे तुम्हारी जरूरत है। कौसिलमे ९ महीनेकी तुम्हारी अनुपस्थितिसे कोई अधिक हर्ज नही होनेवाला है, और कौसिलके दृष्टिकोणसे देखा जाये तो संभवतः यह तुम्हारे लिए अच्छा ही है। मै तुमसे बहस नही करना चाहता और न इसकी जरूरत है। और न इसके लिए [मुझे] फुर्सत ही है। इस पत्रको पढनेसे जितना दबाव तुम महसूस कर सकते हो करो, पर ऐसा करनेके बाद जो निर्णय तुम लो वह स्वच्छन्द रूपसे लो। मैं बिना किसी शिकायतके उसे स्वीकार कर लूँगा, भले ही वह प्रतिकूल हो। अगर मेरे प्रस्तावके पक्षमे तुम्हारा झुकाव हो, और सम्भव हो तो पत्रके जवाबमें तुम स्वय साबरमती आ जाओ। पहली मार्चको मुझे बर्माके लिए जरूर रवाना हो जाना चाहिए — ज्यादासे ज्यादा २ तारीखतक — और मै बम्बई होते हुए नही जाऊँगा।

मलकानी कल मारवाड जक्शनपर मेरे साथ शामिल हो गया है।

तुम्हारे तारकी अपेक्षा करता हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत जयरामदास दौलतराम
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १५३४९) की फोटो-नकलसे।

१९. पत्र : बहरामजी खम्भाताको

आश्रम
साबरमती
२३ फरवरी, १९२९

भाईश्री खम्भाता,

तुम्हारा पत्र मिला। ९ मार्चको तो मैं बर्मामें होऊँगा। ५ अप्रैलको कुछ सम्भव हो सकता है। तुम्हें मेरा निश्चय कितनी जल्दी मालूम होना चाहिए? १ मार्चको मैं अहमदाबादसे दिल्लीके रास्ते कलकत्ता और वहाँसे बर्मा जानेके लिए रवाना होऊँगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

श्री बहरामजी खम्भाता
२७५, हॉर्नबी रोड
फोर्ट, बम्बई

गुजराती (जी० एन० ६५९१) की फोटो-नकलसे।

२०. पत्र : बेचर परमारको

आश्रम
साबरमती
२३ फरवरी, १९२९

भाईश्री बेचर,

तुम्हारा पत्र मिला। वह अन्त्यज शिक्षक यदि विवाह मुलतवी कर दे और अच्छे चाल-चलनका हो तो उसे विद्यापीठमें रख सकते हैं और उसे छात्रवृत्ति भी दे सकते हैं। यदि वह तैयार हो तो सभी तथ्यों सहित उसकी अर्जी अपने पत्रके साथ काकासाहबके पास भेज दो।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५५७७) की फोटो-नकलसे।

२१. पत्र: माधवजी वी० ठक्करको

आश्रम
साबरमती
२३ फरवरी, १९२९

भाईश्री माधवजी,

आपका पत्र मिला। केला न खायें। सेव छिलके सहित उबाले, फिर छिलका और बीज आदि निकाल कर थोडा लेनेमें कोई हानि नहीं है। अनन्नास मीठा हो तो वह भी ले सकते हैं। उपवास इतना ही करें जितना सहन हो सके। कलकत्तामें सूर्य-स्नान क्यों नहीं किया जा सकता, यह मेरी समझमें नहीं आता। सूर्य-स्नानके बिना भी यदि कटि-स्नान कर सकें तो करें। यह तो मैं मानता ही हूँ कि कच्छा पहने रहना ज्यादा अच्छा होगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७६२) की फोटो-नकलसे।

२२. हमारी लाचारी?

बिजोलिया (राजपूताना)से श्री जेठालाल गोविन्दजी लिखते हैं:

सम्भव है, पाँच-छः महीने बाद इस जगहको छोड़ सकूँ। फिर भी यहाँ छः हजार लोग तो अपने कपड़ेके लिए खुद सूत कात ही रहे होंगे। बहुत-से तो अपना कपड़ा आप बुन भी लेते होंगे। लेकिन रंगका सवाल उलझन पैदा कर रहा है। लाल, पीले और गुलाबी, इन तीन रंगोंकी जरूरत है। इस बारेमें हम परावलम्बी हैं। हमें विलायती रंग काममें लाने पड़ते हैं। अगर इस तरह बाजारके भरोसेपर रहना पड़ा तो मुनाफेके लालचमें व्यापारी हमें धोखा देंगे, और लोगोंको बाजारोंमें जाकर कपड़ा खरीदनेका लोभ होगा। इस कारण जो काम हो चुका है, उसे आगे निभानेके लिए लोगोंको घरपर रंग तैयार करनेका रास्ता बतलाना पड़ेगा। अतः या तो आप इस उलझनको सुलझाइए अथवा इसे सुलझानेके लिए 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' द्वारा किसीको प्रेरित कीजिए। आशा है, इससे कुछ-न-कुछ मदद तो मिल ही सकेगी। क्या यहाँ और क्या दूसरी जगह जबतक यह समस्या नहीं सुलझती हमारी यह लाचारी बनी ही रहेगी।

घरमे ही रग तैयार तो किये जा सकने चाहिए। आशा है, रंगाई-शास्त्रके जानकार इस काममे मदद करेगे। लेकिन भाई जेठालालके समान अनन्य खादीभक्तोसे एक वात यही कह देना ठीक समझता हूँ। जिस परिस्थितिको लानेके लोभके चक्करमें भाई जेठालाल पडे है, सो तो पहले भी नही थी। पुराने जमानेमे भी किसानोको कई जरूरी चीजे दूकानदारसे लेनी पडती थी, और मेरी रायमे इस स्थितिका हमेशा वना रहना अनिवार्य है। मनुष्य जितना स्वावलम्वी है, उतना ही वह परावलम्वी भी है, उसे होना भी चाहिए। मनुष्यका जीवन सामाजिक है। जवतक वह समाजका सहारा नही लेता तवतक वह अद्वैतकी साधना नही कर सकता, शून्यताको पा नही सकता, जगतकी कसौटीपर चढ नही सकता और अपनी श्रद्धाकी परीक्षा कर नही सकता। अगर वह अपने आस-पास ऐसा वातावरण वना ले या वना सके, जिससे कि उसे किसी भी हालतमे दूसरेका आश्रय लेना ही न पडे तो वह महा अभिमानी — अहकारी — वन जाये और फलस्वरूप ससारके लिए भाररूप हो जाये। समाजका अवलम्वन मनुष्यको नम्र वनाता है। यह नि सन्देह सच है कि कई काम ऐसे है जिन्हे खुद कर लेना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अगर सभी काम स्वय करनेका लोभ करे तो वह लोभ दोप बन वैठेगा। विचार करके देखें तो कपास वोनेसे लेकर कातने तककी क्रियाओमे भी मनुष्य एकदम स्वाश्रयी नही वन सकता। अगर वह उस काममे अपने कुटुम्वियोकी मदद न ले तो उसकी गाडी शुरूमे ही रुक जाये। और अगर वह कुटुम्वियोकी मदद स्वीकार करता है तो फिर अपने पडोसियोकी क्यो न स्वीकार करे? इसी तरहके विचारोके फलस्वरूप 'वसुधैव कुटुम्वकम्' महावाक्य निष्पन्न हुआ है।

एक वात और है। भाई जेठालालके दु खकी तहमे, वहुत गहरे अविश्वासकी गन्ध आती है। हम यह क्यो मान ले कि जितने दूकानदार है वे सव दगा देंगे? खादीकी प्रवृत्तिमे तो आत्मशुद्धिका अपना विशेष स्थान है। खादीकार्य करते हुए हमे समाजके लगभग सारे अगोसे काम लेना है और यह करते समय हम यह मान लेते है कि इस कामसे हम और वे दोनो शुद्ध वनेंगे। हम दूकानदारोको समाप्त नही करना चाहते, हमारी इच्छा तो उनके धन्धेमे परिवर्तन करने और उनके हृदयको वदलनेकी है। हममे यह अडिग श्रद्धा होनी चाहिए कि दूकानदार भी देश-प्रेमी और ईमानदार वन सकता है। यह बात नही है कि आज ऐसे दूकानदार है ही नही। हर वातमे हमे तो 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' के सिद्धान्तका प्रयोग कर देखना चाहिए, क्योकि मध्यम मार्ग ही सच्चा मार्ग है। स्वावलम्वन स्वमान और परमार्थकी पूर्तिके लिए जरूरी है, अगर वह इससे आगे वढता है तो दोपरूप वन जाता है। ईश्वरका साम्राज्य कवूल करनेके लिए मनुष्यके लिए नम्रता और आत्महितकी साधनाके लिए सम्मानपूर्ण परावलम्वन भी आवश्यक है। यही सुवर्ण मध्यम मार्ग है। जो इसे छोडता है वह 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट.' हो जाता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-२-१९२९

२३. दिल्लीमें क्या हुआ?

सिन्धसे मैं दिल्ली गया और वहाँ तीन दिन रहा। वाइसराय महोदयसे भी मिला था। इसलिए वहाँ क्या हुआ यह जाननेकी जिज्ञासा लोगोमे होना स्वाभाविक ही है। यदि हम सच्चे अर्थोमें स्वावलम्बी बन गये होते तो हमे यह जाननेकी उत्सुकता न होती। वाइसरायसे मिले तो क्या और न मिले तो क्या? किन्तु एक राष्ट्रके रूपमे हम अभी ऐसी उदासीनता विकसित नही कर पाये है। अभीतक अंग्रेजी राज्यका प्रभाव हमारी दृष्टिमे चकाचौध पैदा कर पाता है और जबतक यह हाल है तबतक वाइसरायके कार्य, उनके वचन और उनसे मिलनेवालोने क्या देखा और क्या सुना इत्यादि जाननेकी हमारी इच्छा बनी रहेगी, और इसलिए इस जिज्ञासाको कुछ हदतक तृप्त करना भी उचित है।

दिल्ली जाते समय मुझे श्री विट्ठलभाईकी योजनाका कोई अन्दाजतक नही था। विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके कार्यके सम्बन्धमें मोतीलालजीने मुझे दिल्ली बुलाया था और काग्रेसकी कार्यकारिणी समितिकी बैठक मुलतवी की गई थी। कुछ असुविधा होनेपर भी दिल्लीको १७ से १९ तारीखतक समय देनेका मैने मोतीलालजीको तार किया था और उसी कारण मै वहाँ गया। दिल्ली पहुँचनेपर श्री विट्ठलभाईकी योजनाका पता चला।

विधानसभामे जाकर कोई भारतीय जितनी कुछ देश-सेवा कर सकता है, उतनी सेवा श्री विट्ठलभाई बहुत होशियारीसे कर रहे है। वे अपने निर्भय व्यवहारसे देशकी और अपने पदकी शोभा बढा रहे है। अपनी स्वतन्त्रता, निर्भयता और देश-प्रेम प्रकट करनेका एक भी मौका वे जाने नही देते। और ऐसा करनेपर भी वे अपने स्थानके योग्य मर्यादा और तटस्थताका पालन करते है। वे यों मानते है कि वे कुछ भी कर सकते हों फिर भी यदि भिन्न-भिन्न मतके नेताओको यदि एक-दूसरेसे मिला सके तो वही बहुत है, और उन नेताओको वाइसरायसे मिला सके तो और भी अच्छा। इसलिए उन्होने मेरे दिल्ली जानेके अवसरपर वाइसराय और दूसरे नेताओको चाय पीनेका निमन्त्रण भेजा। उसमे उनका मेहमान होनेके कारण सामान्यतः मुझे हाजिर तो होना ही चाहिए था। ब्राह्मणका काम विवाह करा देना है, किसीका घर चला देना नही। विट्ठलभाईने भिन्न-भिन्न मतके नेताओको एकत्र तो कर दिया किन्तु इस तरह एकत्र होनेवाले चाय पीने और गप्प लडानेके अलावा और कर ही क्या सकते थे। किन्तु विट्ठलभाई तो बहुत-कुछ करना चाहते थे, और उन्होने हँसी-हँसीमे बहुत-सी बाते छोड करके लोगोके मनकी बात निकालनेका प्रयत्न भी किया। परन्तु ऐसे प्रयत्नकी मर्यादा होती है। इसलिए मेरे विचारसे यह कहा जा सकता है कि जिस विषयके सम्बन्धमें वे बातचीत कराना चाहते थे वह न हो सकी। इस चायकी मजलिसके कारण मियाँ और महादेव एक दूसरेसे मिले और यदि अंग्रेजी उक्तिका[1] शब्दार्थ

१. ब्रेक आइस—किसी गतिरोधको समाप्त करनेकी कोशिश करना।

करे तो उन्होंने वर्फ तोड़ी, राजपूतोकी भाषामें कहे तो कसुवा[1] पिया और लौकिक भाषामें कहे तो कह सकते है कि पारस्परिक झिझक टूटी। पाठक यह समझ ले कि इससे अधिक और कुछ नही हो सका। यदि कोई यह कहे भी कि कुछ हुआ है तो जो समझदार है वे यही समझेंगे कि ऐसा कहना केवल भोलापन है, वस्तुत ऐसा कुछ भी नही हुआ होगा। वास्तवमें हमारा उद्धार हमारे अपने ही हाथो होगा। जब हममें शक्तिका सचार होगा और उसका हमे भान होगा, तभी कोई ऐसा मिलाप फलदायी हो सकेगा। आज तो हममें आत्मविश्वास नही है। अभी हमने कुछ भी करके नही दिखाया है, और जबतक हम लोगोमें आत्मविश्वास नही होगा, अर्थात् जबतक हमने कुछ भी करके नही दिखाया है तबतक हम भले ही ऐसी मुलाकाते करे या उनके लिए प्रयत्न करते रहे, हमें उनसे अपने मनोवाछित फलकी प्राप्ति न होगी। उसकी आशा भी नही रखनी चाहिए। इसलिए दिल्लीकी उस मजलिसका मेरा निदान तो यही है कि लोग उसे भूल जाये और स्वराज्यका थोडा-बहुत कुछ काम करनेमें लग जाये।

इस दृष्टिसे विचार करनेपर तो मैं यह चाहता हूँ कि उस चायकी मजलिसमें क्या हुआ यह जाननेकी इच्छा करनेके बदले पाठक मुझसे कार्यकारिणी समितिमें क्या हुआ यह जाननेकी इच्छा रखे और समाचारपत्रोमें प्रकाशित प्रस्तावसे सन्तोष न माने। अब मैं इस विषयपर आता हूँ।

कार्यकारिणी समितिमें मुख्य रूपसे चर्चा विदेशी कपडेके बहिष्कारके सम्बन्धमें हुई, क्योकि उसीके लिए मुझे वहाँ बुलाया गया था। सिन्धके सम्बन्धमें लिखे मेरे लेखमें[2] कोटडीके जिस अनुभवका मैंने उल्लेख किया है उसका मैंने समितिके सामने वर्णन किया, और यह सूचित किया कि यदि कार्यकारिणी समितिके सदस्य यह मानते हो कि खादीकी शर्त निकाल दी जाये तो काग्रेस अधिवेशनके पहले ही उसे यह शर्त निकाल देनेका जोखिम स्वीकार करना चाहिए। यह जोखिम लेनेको कोई तैयार नही था। सबने यह महसूस किया कि जब बहिष्कारकी बात चल रही हो तब खादीकी शर्तको निकाल देनेकी बात चलाई ही नही जा सकती। सबने यह भी महसूस किया कि विदेशी कपडेका बहिष्कार ही आज हमारे पास सबसे उत्तम शस्त्र है। जो योजना मै प्रकाशित कर चुका हूँ वह सर्वानुमतिसे पास की गई। उसके लिए एक विशेष समिति चुनी गई और समितिको अन्य सदस्य चुननेका भी अधिकार दिया गया। मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने नम्रतापूर्वक इस पदको स्वीकार किया है परन्तु इस स्थानके योग्य सामर्थ्य और आत्मविश्वास आज मुझमें नही है यह मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। 'आत्मविश्वास नही है' इसका यह अर्थ नही कि बहिष्कार के सम्बन्धमें मेरे मनमें उत्साहकी थोडी भी कमी हुई है। परन्तु मै यह नही जानता कि इस दिशामें लोगोसे कहाँतक काम लिया जा सकेगा। फिर भी जिस पदको

१. अफ़ीमसे निर्मित एक पेय, जिसे बैठकर पीना मित्रताका लक्षण माना जाता है।
२. देखिए "सिन्धके संस्मरण", २१-२-१९२९।

मैं अस्वीकार नहीं कर सकता था उस पदका बोझ मैंने ईश्वरका सहारा माँग कर स्वीकार लिया है। मैं आशा करता हूँ कि गुजरात इस बोझको उठानेमें मेरी मदद करके उसे हलका कर देगा और उसमें स्त्री-पुरुष, बालक, वृद्ध सभी अपना हिस्सा अदाकर सकते हैं। जिसके पास विदेशी वस्त्र हों वह उसे बिना माँगे ही निकाल दे, और इससे भी आगे बढ़े तो उसे मेरे पास या प्रान्तीय समितिको भेज दे। वस्त्र भेजनेवाले द्वारा किसी विशेष सूचनाके अभावमें उन वस्त्रोंको जला दिया जायेगा। और जो यह न करे वह खुद ही उन्हें जला दे। लेकिन उनका उपयोग तो हमेशाके लिए छोड़ दे और उसके बदले खादी पहने। यदि इस बहिष्कारका जनता सच्चे दिलसे स्वागत करेगी तो कुछ अशतक कपडेकी तगी अवश्य होगी। तगी न हो इस दृष्टिसे वह कम कपडा काममें लाये और अपनी आवश्यकतासे अधिक खादी न ले। ऐसा करनेपर खादी सबको मिल सकेगी और बिना किसी तकलीफके हम बहिष्कारको सफल बना सकेंगे। इस प्रकार अपनेसे शुरू करके लोग अपने पडोसी, मित्र और रिश्तेदारों तक, जो विदेशी कपड़े पहनते हो, पहुँचे। जनता यदि इस काममें जुट जाये तो विदेशी कपड़ोका बहिष्कार जितना कठिन लगता है उससे बहुत ही आसान काम है।

इतना तो विदेशी कपडेके बहिष्कारके सम्बन्धमें। अब बडे महत्त्वका दूसरा प्रस्ताव भारतभूषण पण्डित मालवीयजीका है। प्रस्ताव यह है कि १० मार्चको हर जगह जुलूस निकाले जाये और नेहरू रिपोर्टके समर्थनमें प्रस्ताव पास किये जाये। इसका मतलब यह है कि नेहरू रिपोर्टको स्वीकार किये बिना लोगोको कभी सतोष न होगा। १० मार्चको रविवार है। लोग उसके बादके रविवारको खादीकी फेरी और प्रदर्शनियो द्वारा खादी-प्रचारका काम करे। उसके बादके रविवारको मद्यपान-निषेधका काम और उसके बादके रविवारको लाठी दाँवपेच आदि प्राचीन कसरते करे। और इस प्रकार लगातार तीन रविवारोको अनुक्रमसे उपरोक्त तीन प्रकारके रचनात्मक कार्य करते चले जाये। १० मार्चके प्रस्तावका पुनरावर्तन प्रति मास नहीं करना है। इस प्रस्तावका कोई यह अर्थ भी न करे कि महीनेमें एक-एक रविवारको खादी, मद्यपान निषेध और कसरत आदिका काम कर लिया तो फिर दूसरे दिनो उसे कुछ नहीं करना है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कार्यकारिणी समितिने ही खादीका दैनिक कार्यक्रम तैयार किया है। दूसरे दो कार्योंके लिए और ऐसे अनेक प्रजाशक्तिवर्धक कार्योंके लिए भिन्न-भिन्न संस्थाओको अपना कार्यक्रम तैयार करना ही होगा। मालवीयजीके प्रस्तावका हेतु प्रति मास एक-एक रविवारको उपरोक्त कार्योंमेंसे एक-एक कामको खास तौर पर और विशेष रूपसे लोगोसे कराना है।

कार्यकारिणी समितिमे दूसरे प्रस्ताव भी हुए थे। किन्तु ऊपरके प्रश्नके उत्तरमें उनका उल्लेख नहीं हो सकता। उपरोक्त दो प्रस्तावोसे ही दिल्लीके कामकी समाप्ति नहीं हो जाती। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नके बारेमें जिन्ना साहब और दूसरे भाइयोके साथ जो चर्चा हुई उसको मैं कम महत्त्वपूर्ण नहीं मानता। मैं यह नहीं कह सकता कि इस चर्चाका कोई तात्कालिक परिणाम हुआ है। फिर भी उस विषयमें जो प्रयत्न हुआ है वह कभी निष्फल न होगा, यह मेरा दृढ अभिप्राय है। मुझे दिल्ली खींच ले

जानेका मोतीलालजीके मनमे यह भी एक महत्त्वका कारण था। पाठकोको यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि इस प्रयत्नकी स्पष्ट मर्यादा थी। और यह प्रयत्न नेहरू कमेटीकी रिपोर्टके सम्बन्धमे था। उसके सम्बन्धमें मुसलमानोकी ओरसे जो असन्तोष प्रकट किया जाता है उसके बारेमे हममे जी-भरकर चर्चा हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि मौका आनेपर सबकी सम्मतिसे उसमें कुछ रद्दोबदल भले ही की जाये, परन्तु जनताकी दृष्टिसे तो आज और इस वर्षके लिए यह रिपोर्ट उसकी अन्तिम और निश्चयात्मक माँगके तौरपर ही गिनी जानी चाहिए। और जहाँ-जहाँ उसका समर्थन किया जाये वहाँ-वहाँ वह बिना किसी शर्तके स्वीकार किया जाना चाहिए। यह हो सकनेपर ही तो इस रिपोर्टके द्वारा लोगोकी शक्तिका जबर्दस्त सगठन हो सकता है। जिसके विषयमे प्रजाका मत अच्छी तरह तैयार न हो उस कामकी मार्फत कभी भी शक्तिका सगठन नही हो सकता। यह नियम सब प्रकारके युद्धोके विषयमे लागू होता है। परन्तु सत्याग्रह अर्थात् असहयोगके विषयमे यह नियम अनिवार्य है। निश्चयपूर्वक कही गई वस्तुके बारेमे ही सत्याग्रह सम्भव हो सकता है और वही वह शोभा देता है। जहाँ अपनी इच्छासे वस्तुको घटाया-बढाया जा सकता है वहाँ सत्याग्रह कैसे किया जा सकता है? अनिश्चित वस्तुके लिए तीनो कालमे निश्चित सत्यरूपी बलवान शस्त्रका उपयोग हो ही नही सकता। यही उसकी खूबी है और यही मर्यादा भी।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २४-२-१९२९

२४. उदय होते ही अस्त हो गया

मेरे पौत्र रसिकके देहान्तका समाचार पाकर कई लोगोने सवेदनाके पत्र और तार भेजे है। मैने उनका उत्तर व्यक्तिगत रूपसे न देकर 'नवजीवन' और 'यग इडिया' द्वारा देनेका निश्चय किया है। आशा है कि व्यक्तिगत रूपसे उत्तर न देनेके लिए ये सब पत्र-लेखक मुझे क्षमा करेगे।

रसिककी मृत्युके बारेमे कुछ भी लिखनेका मेरा इरादा नही था। लेकिन समाचारपत्रोमे इस खबरके छप जानेसे बहुत-से लोगोने मुझे पत्र लिखे। इस कारण यहाँ थोड़ा लिख देना उचित समझता हूँ।

अब मुझे मित्रो या सगे-सम्बन्धियोकी मृत्युसे बहुत वेदना नही होती, वह क्रमश. कम होती जा रही है। मौतके डर या शोकको सभी धर्मोमे निषिद्ध माना गया है। तिसपर भी हम मौतसे डरते है और अपने प्रियजनोकी मृत्युसे दु खी भी होते है। खासकर जब किसीकी मौत चढती जवानीमें होती है तो खेदकी मात्रा और भी बढ़ जाती है। सच पूछा जाये तो कहना होगा कि मौत ईश्वरकी अमर देन है। काम करनेवाला शरीर चेतनाशून्य हो जाता है और उसमे रहनेवाला पछी उड जाता है। जबतक इस पछीकी मौत नही होती तबतक शोक करनेका सवाल ही नही उठता।

इतनेपर भी सिर्फ स्वार्थ और मोहके कारण हमें स्नेहीकी मृत्युसे दुःख होता है। बहुत वर्ष पहलेसे मैं इस बातकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे मोहसे मुक्त हो जाऊँ और फलस्वरूप रसिकके देहावसानके समाचारसे मुझे दुःख नहीं हुआ। जो हुआ सो तो केवल स्वार्थवश।

रसिककी उम्र १७ वर्ष थी। बचपनसे ही वह मेरी देखरेखमें था और दूसरे बालकोंकी तरह उसे भी धर्ममय देश-सेवाकी तालीम दी जाती थी। रसिक चंचल, शरारती और तेजस्वी बालक था। उसके शरीरका गठन सुन्दर था। वह साहसी था। जोखिम-भरे कामोंमें वह हमेशा आगे रहता था। पिछले एक सालसे उसकी शरारत कम हो गई थी और वह शक्तिका रूप धारण कर रही थी। वह 'गीता'का अभ्यासी था, कताई-पिंजाईमें कुशल था। एक दो बार उसने लगातार २४ घंटोंतक पीजनेका व्रत लिया था और उसमें वह सफल भी हुआ था।

मेरा सबसे छोटा पुत्र देवदास दिल्लीकी जामिया मिलियामें काम कर रहा है। वहाँ वह विद्यार्थियोंको कताई और हिन्दी सिखा रहा है। लगभग चार महीने पहले बढ़ईगिरी और पिंजाई कामके लिए उसने मेरे एक दूसरे पौत्र नवीनको और रसिकको दिल्ली बुला लिया था। दोनों दिल्ली जाकर सुन्दर सेवा कर रहे थे। इससे पहले तीव्र इच्छा होनेके कारण रसिक सेवा करनेके लिए बारडोली गया। वह जहाँ जाता लोकप्रिय बन ही जाता था। ऐसे सेवकको प्रकृतिने उठा लिया; इस स्वार्थजनित दुःखने मुझे दुःखी जरूर कर दिया। लेकिन मैंने मनमें सोचा कि प्रकृति हमेशा न्याय करती है, वह दयालु है इस कारण रसिकसे भी वह अधिक काम करा लेगी। बस इसी अटल श्रद्धाके बलपर मैं शान्तिका अनुभव कर रहा हूँ।

दिल्ली जानेपर रसिकमें भक्तिका उदय हुआ। कांग्रेस अधिवेशनसे लौटते समय मैं दिल्ली होता हुआ आश्रम आया था। दिल्लीमें रसिकने मुझे कहा था कि उसे १७ वाँ वर्ष शुरू हुआ है। इस सिलसिलेमें दूसरे बालकोंकी भाँति उसने भी कुछ व्रत लिये है। उसने तीन व्रत लिये थे: एक बारमें केवल तीन तरहकी वस्तु खाना, २४ घंटोंमें सिर्फ तीन बार खाना, और दो वर्षोंमें अर्थसहित 'रामायण'का अध्ययन कर लेना। उसके चंचल स्वभावका खयाल करके मैंने उसे सचेत किया। लेकिन उसने कहा, "अब मुझे ऐसे व्रत कठिन नहीं मालूम होते। 'रामायण' मुझे प्रिय है।" मैं खुश हुआ।

इस व्रतके सिलसिलेमें १८ जनवरीके दिन रसिकने नीचे लिखा पत्र मुझे भेजा था। ८ फरवरीको तो वह चल ही बसा।

आपका पत्र मिला। मुझे कुछ दिनसे बुखार आ रहा है; रोज तो नहीं लेकिन किसी-किसी दिन आ जाता है। अच्छा हो जायेगा। व्रत चालू है। मेरे 'रामायण' सीखनेका प्रबन्ध करके जाइए। क्योंकि अगर आप बाहर प्रवासमें हों और मैं आश्रममें पहुँचूँ तो मुझे कौन सिखायेगा और उसकी सुविधा कैसी होगी? मुझे भोजन-सम्बन्धी व्रत तो बड़े सहल मालूम पड़ते हैं। इस

समय तो मेरा वजन बहुत घटा हुआ होगा; क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। नवीनका वजन तो बढ़ा ही होगा।

आजकल यहाँ कताईका काम खूब चल रहा है। पिंजाई भी होती है। अब एक दो हफ्तोंमें एक दूसरा थान उतरेगा और महीने भर बाद तीसरा। अब तो जल्दी-जल्दी तैयार होने लगेंगे। मार्चके मध्यमें अथवा अन्तमें वहाँ आयेंगे।

रसिककी जो सेवा की गई वह शायद ही किसी व्यक्तिको प्राप्त हुई हो। वह देवदासका प्रिय भतीजा और शिष्य था। उसने तो रसिककी अनुपम सेवा की और डा० अन्सारीने उसकी वैद्यकी तरह नही बल्कि पिताकी तरह देखभाल की। डा० शर्मा उसकी सेवामे खडे ही रहे। डाक्टरोने उसके लिए दो सेविकाओका प्रबन्ध कर रखा था। जामियाके मुसलमान भाइयोने उसकी सेवामे कोई कसर नही रखी। जिन हिन्दू भाइयोको उसकी बीमारीका समाचार मिला उन्होने दिन-रात एक कर दिया। इन सबका मैं ऋणी हूँ। रसिक इतनी छोटी उम्रमे सेवाधर्मको पहचान ले, उसमे परायण रहे, उत्साहसे 'गीता' पाठ करे, कठिन व्रत स्वीकार करे, उन्हे सरल माने, दो वर्षमें 'रामायण'का अभ्यास समाप्त करनेकी इच्छा रखे और ऐसी शुभ भावनाओका सग्रह करता हुआ अनन्य सेवा पाकर मृत्युसे मिले, ऐसी मृत्यु पानेवालेसे सभी ईर्ष्या ही करेगे। और ऐसे पौत्रके बारेमे मुझ-जैसा दादा शोक करे सो तो स्वार्थ और मोहवश ही कहलायेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन २४-२-१९२९

२५. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

आश्रम
साबरमती
२४ फरवरी, १९२९

प्रिय जयरामदास,

तुम्हारा पत्र मिला और तार भी। चायपार्टीका कोई ठोस परिणाम निकलनेकी तो सम्भावना थी नही। लेकिन इसके बारेमे मेरा विवरण[1] तुम आजके 'नवजीवन' मे देखोगे। इसे किसीसे पढवा लेना।

लेखा-परीक्षक और निरीक्षकको निःसन्देह सिन्ध भी जाना होगा।

सिन्धके मामलेमे मैंने मोतीलालजीसे बातचीत की तो थी। उन्हे इस बातकी खुशी हुई कि मैंने मामलेको समझ लिया है और वे इससे भी सहमत है कि जहाँ कही भी इसमे अनियमितता हो, उसे दूर कर देना चाहिए। मेरा खयाल है कि 'यग इडिया'मे मेरी टिप्पणीसे यह मामला साफ हो गया है।[2]

१. देखिए "दिल्लीमें क्या हुआ?", २४-२-१९२९।
२. देखिए "सिन्धके संस्मरण", २१-२-१९२९ का उपशीर्षक "कांग्रेसके झगड़े"

तुम्हारे तारसे यह जानकर कि तुम आ रहे हो, मुझे खुशी हुई। पहली मार्चको मैं दिल्ली होते हुए वर्माके लिए रवाना हो रहा हूँ। इसलिए तुम २८ तारीख [या] उससे पहले आनेकी कोशिश करना। बाकी मिलनेपर।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १५३५३)की माइक्रोफिल्मसे।

२६. पत्र : गिरधारीलालको

आश्रम
साबरमती
२४ फरवरी, १९२९

प्रिय लाला गिरधारीलाल,

आपके दो पत्र मिले। पहलेसे यह कहना कठिन है कि जब कभी मैं दिल्ली जाऊँगा तो आपके पास ठहरूँगा। मैं जब कभी दिल्ली जाता हूँ तो किसी खास मकसदसे ही जाता हूँ। और मेरे कार्यको देखते हुए ही मेरे ठहरनेका स्थान निश्चित होता है, जैसा कि पिछली बार मेरी दिल्ली-यात्राके समय हुआ था।

पंजाब मेरे कार्यक्रममें शामिल है। जूनमें मेरे वहाँ पहुँचनेकी आशा है। लेकिन इसे जवाहरलालके साथ तय करना चाहिए।

मैंने जो-कुछ लिखा है उससे सम्बन्वित आपके लम्बे पत्रोंकी चर्चा मुझे यहाँ नहीं करनी है। जब हम मिलेंगे तो इनके बारेमें आप स्वयं बात कर लीजिएगा।

प्रदर्शनीके बारेमें जो आपका कहना है वह मैं समझता हूँ। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रान्तीय कमेटी इसका सारा आवश्यक प्रबन्ध करनेमें बिलकुल समर्थ है। लेकिन मुझे इस बातमें भी सन्देह नहीं है कि जहाँतक खादीका और प्रदर्शनीके स्वदेशी तत्वका सम्बन्ध है, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी गड़बड़-घोटाला कर देगी। लेकिन मुझे जो कहना है वह तो कह ही चुका हूँ।

कांग्रेस अधिवेशनके समय ही दूसरे सम्मेलन न होनेके बारेमें आपका जो सुझाव है वह विचारके योग्य है। इसके पक्षमें बहुत-कुछ कहा जा सकता है। इस सम्बन्धमें मैं डा० सत्यपालके पत्रके उत्तरमें विस्तारसे अपनी राय पहले ही लिख चुका हूँ।

महन्तवाद, राजनीतिक मठों और उद्योग मन्दिरके बारेमें आपने जो-कुछ कहा है वह रोचक है। इस प्रश्नपर आपका और मेरा मतभेद है, और उसे दूर नहीं किया जा सकता। आपने यह याद रखनेकी वाकई परवाह नहीं की कि उद्योग मन्दिर एक दीनतासूचक नाम है जो हमारी कमजोरियोंके कारण रखा गया है और

जब हमें यह लगेगा कि हमने अपनी कमजोरियोंपर विजय पा ली है तो हमारा इरादा है कि हम वास्तविक नामको फिर अपना लेंगे।[1]

नौजवानोंसे सम्बन्धित आपके प्रवचन भी इतने ही रोचक हैं।

हृदयसे आपका,

लाला गिरधारीलाल
दीवान भवन
दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १५३४६)की माइक्रोफिल्मसे।

२७. पत्र : जसवन्तरायको

आश्रम
साबरमती
२४ फरवरी, १९२९

प्रिय लाला जसवन्तराय,

आपका १३ तारीखका पत्र मिला। मीरपुरखासकी मेरी यात्राके दौरान आचार्य गिडवानी मुझसे मिले थे और अन्त्यज लड़कों तथा खादीके बारेमें मुझसे बातें की थीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आपका एक पत्र मिलना चाहिए। यह पत्र मुझे, जब मैं दिल्लीसे साबरमती वापस आया, तब मिला। मैं नहीं सोचता कि आपके और आचार्य गिडवानीके मामलेमें मेरा हस्तक्षेप करना जरूरी है। निश्चय ही आप वही करेंगे जो उचित है। यदि श्रीयुत मणिलाल कोठारी यहाँ होते तो मैं आपका पत्र उन्हें दिखला देता। इस समय तो वह वढवानमें अपने बीमार पिताकी सेवामें लगे हुए हैं।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत लाला जसवन्तराय
जसवन्तराय एंड सन्स
कमीशन एजेंट्स
कराची

अंग्रेजी (एस० एन० १३३६७)की माइक्रोफिल्मसे।

१. १८ फरवरीके अपने पत्रमें गिरधारीलालने लिखा था : "मैं व्यक्ति पूजाके तथा संस्थाओंको धर्म-स्थान बनानेके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। व्यक्तिगत श्रद्धा, आदर और स्नेह अलग-अलग चीजें हैं। इस देशमें हम महन्तवाद बहुत देख चुके हैं। अब समय है कि हम इस नीतिके पुनः प्रचलनका विरोध करें। देश भरमें जो तमाम धार्मिक मठ हैं वे ही काफी बुरे हैं। अब राजनीतिक मठोंकी स्थापना करके हम उस बुराईको बढ़ावा नहीं चाहते। किसी भी वस्तुमें धार्मिक पवित्रता आरोपित करनेके अवास्तविक रवैयेके विरुद्ध नौजवान लोग विद्रोह करेंगे। इस कारण 'सत्याग्रह आश्रम' का नाम बदल कर 'उद्योग मन्दिर' करनेका मुझे दुःख है।"

२८. पत्र : कान्तिमतीको

आश्रम
साबरमती
२४ फरवरी, १९२९

प्रिय कान्ति,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी सास यदि इतनी हठीली है तो मेरे ख्यालमें यह ज्यादा अच्छा है कि तुम उन्हे दो बगलौरी साडियाँ खरीद लेने दो। तुम इन्हे तभी पहनना जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हारी सासकी दृष्टिसे इन्हे पहनना निहायत जरूरी है। मुझे यकीन है कि यदि तुम डटी रही तो तुम अपने इर्द-गिर्दके लोगोको खादीमें अपनी आस्थासे प्रभावित कर दोगी।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १५०१२)की माइक्रोफिल्मसे।

२९. खादी और स्वराज्य[१]

[२४ फरवरी, १९२९][२]

क्योकि जनता जिस सरकारका विरोध करती है और मिलोको अपने अस्तित्वके लिए उसी सरकारकी सद्भावनापर निर्भर रहना होता है इसीलिए मिले घोर सकटके समय राष्ट्रको धोखा देगी और

क्योकि मिले सदा विदेशी मशीनरीपर तथा ज्यादातर विदेशी विशेषज्ञोंपर निर्भर रहती है।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३४५)से।
सौजन्य : मीराबहन

१. मीराबहनने निम्नलिखित प्रश्नके उत्तरमें जो मसविदा तैयार किया था, ये दो अनुच्छेद उसमें जोड़े गये थे। प्रश्न था: "भारतीय मिलोंके कपडेकी अपेक्षा खादी स्वराज्य-प्राप्तिमें क्यों अधिक सहायक है?" मीराबहनके मसविदेके लिए देखिए, परिशिष्ट १।

२. देखिए अगला शीर्षक।

३०. पत्र : मीराबहनको

आश्रम
साबरमती
२४ फरवरी, १९२९

चि० मीरा,

खादीपर लिखी गई तुम्हारी टिप्पणियोको तथा तुम्हारे चार्टको अब मैंने ध्यानपूर्वक देख लिया है। चार्ट बहुत अच्छा है। खादीपर लिखी गई टिप्पणियाँ भी अच्छी हैं। हिज्जोमे सुधार करो और जहाँ कही तुम्हे तनिक भी सन्देह हो, शब्दकोश देख लो। हिज्जोमे सुधार करनेकी कोई गुजाइश नही छूटनी चाहिए और जो भी चीज छपवाओ, उसमे कोई त्रुटि नही होनी चाहिए।

मिलोसे सम्बन्धित तुम्हारी टिप्पणीमे मैंने दो अनुच्छेद[1] जोड़ दिये है। बाकी सब ठीक है। तुम्हारी टिप्पणियोपर तुम्हारे हस्ताक्षर न रहे, इसके बारेमे मैं निश्चय-पूर्वक कुछ नही कह सकता। इसलिए तुम इसके बारेमें या तो राजेन्द्रबाबूसे बात कर लेना या फिर स्वय निर्णय कर लेना। ये टिप्पणियाँ प्राधिकृत होनी चाहिए, इस-लिए यदि इनपर तुम्हारे हस्ताक्षर न हो तो ये अखिल भारतीय चरखा सघकी बिहार शाखाकी ओरसे तो अवश्य होनी चाहिए।

सप्रेम,

बापू

श्रीमती मीराबाई

अग्रेजी जी० एन० ९४०१से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३४५से भी।
सौजन्य : मीराबहन

१. देखिए पिछला शीर्षक।

३१. पत्र: कोंडा वेंकटप्पैयाको

आश्रम
साबरमती
२४ फरवरी, १९२९

प्रिय मित्र,

आपके तारसे मुझे इत्मीनान पहुँचा। मुझे बर्मा जानेका फैसला क्यों करना पड़ा, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। अप्रैलमें आन्ध्रकी यात्रा करनेकी प्रतिज्ञाको पूरा करनेके लिए अब मैं हर तरहसे तैयारी कर रहा हूँ। अगर काठियावाड़ राज-नीतिक परिषद्में मेरा जाना जरूरी न होता तो मैं बर्मासे सीधे आन्ध्र आ जाता। फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार मैं गुजरातसे अप्रैलके प्रथम सप्ताहमें आन्ध्र देशके लिए रवाना होऊँगा। कृपया एक कामचलाऊ कार्यक्रम तैयार कर लें और मुझे भेज दें। १४ मईको इलाहाबादमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें मेरी उपस्थिति वाछनीय है। इसलिए आप मुझे उस समयतक आन्ध्रसे फुर्सत दे दें जिससे कि मैं १४ मईको इलाहाबाद पहुँच जाऊँ।

नेल्लूरसे मुझे एक अजीब ढंगका पत्र मिला है। मैंने उसका जो उत्तर दिया है उसकी प्रति भी मैं साथ भेज रहा हूँ।[1]

इस महीनेकी २८ तारीखतक मैं आश्रममें ही हूँ। पहली मार्चको मैं दिल्लीके लिए रवाना होकर दो तारीखको वहाँ पहुँच रहा हूँ। कलकत्ताके लिए दूसरी गाड़ी मिलने तक मुझे वहाँ रुकना है। दिल्लीमें मेरा पता है: मार्फत लक्ष्मीनारायण गाडोदिया, गाडोदिया स्टोर्स, चादनी चौक, दिल्ली। ३ तारीखकी रातको मैं कलकत्ता पहुँचूँगा। सोमवार ४ तारीखको मैं कलकत्तामें रहूँगा। कलकत्तामें मेरा पता होगा: मार्फत श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त, खादी प्रतिष्ठान, सोदपुर, (ई० बी० रेलवे)। ५ मार्चकी सुबह मैं रगूनके लिए रवाना होऊँगा। रगूनमें मेरा पता है: मार्फत प्रा० जी० मेहता, १४, मुगल स्ट्रीट, रगून। मैं यह ब्योरा इसलिए दे रहा हूँ जिससे जरूरत पड़नेपर इन विभिन्न स्थानोंपर आप मुझसे पत्र-व्यवहार कर सकें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत कोंडा वेंकटप्पैया
गुण्टूर

अंग्रेजी (एस० एन० १५३५२)की फोटो-नकलसे।

१. यह उपलब्ध नहीं है।

३२. पत्र : देवचन्द पारेखको

आश्रम
साबरमती
[२४ फरवरी, १९२९][1]

भाईश्री देवचन्दभाई,

जूनागढमें महन्त गोपालनाथ भोलानाथ रहते हैं। वे अन्त्यज हैं और उनका पता है: रावरा मंडपका अहाता, वाघेश्वरी दरवाजेके अन्दर। वहाँ अन्त्यजोका एक धाम है। उस स्थानपर एक कुआँ आधा बना पडा है। उनका कहना है कि न पैसा है और न काम करनेवाले मिलते हैं। यह काम इसीसे अधूरा पडा है। यदि जूनागढमें आप किसी ऐसे व्यक्तिको जानते हो जिसकी मार्फत यह कुआँ पूरा कराया जा सके तो उसके लिए पैसेका प्रबन्ध मैं यहाँसे कर सकता हूँ। यह हो सकता हो तो मुझे तुरन्त लिखें। यह भी लिख भेजें कि कितना खर्च पडेगा।

चम्पा आनन्दसे होगी। मैं १ तारीखको बर्माके लिए रवाना हो रहा हूँ। आशा है, परिषद्के[2] लिए समयसे पहुँच जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५६८८)की फोटो-नकलसे।

३३. तार : एफ० डब्ल्यू० विल्सनको[3]

[२४ फरवरी, १९२९ या उसके पश्चात्][4]

सम्राट्के स्वास्थ्य-लाभपर अंग्रेजोकी खुशीमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मैं ऐसे किसी आन्दोलनमें शामिल नही हो सकता जिसका अनिवार्य रूपसे राजनीतिक महत्त्व है और जिसमे शामिल होनेसे मैं परोक्ष रूपसे एक ऐसी प्रणालीके साथ प्रतिबद्ध हो जाऊँगा जिसके कि सम्राट् प्रतीक हैं और जिसे नष्ट करना मेरा जीवन ध्येय है।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १५३५१)की फोटो-नकलसे।

१. डाककी मुहरसे।

२. काठियावाड राजनीतिक परिषद्।

३. इलाहाबादके पायनियरके सम्पादक एफ० डब्ल्यू० विल्सनने सम्राट्के स्वस्थ हो जानेपर एक तार भेजकर सुझाव दिया था कि इस खुशीमें ईश्वरके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापनके लिए एक कोष आरम्भ किया जाये जिसका उपयोग "सारे भारतके गरीब और जरूरतमन्द लोगों"के लिए किया जाये। उन्होंने चन्दा देनेवालोंकी सूचीमें गांधीजीका नाम प्रकाशित करनेके लिए उनसे इजाजत चाही थी।

४. विल्सनका तार साबरमती आश्रममें २४ फरवरी, १९२९ को प्राप्त हुआ था।

३४. पत्र : गंगादेवी सनाढ्यको

मौनवार [२५ फरवरी, १९२९ से पूर्व][१]

प्रिय भगिनि,

भाई छगनलाल लीखते है की दुबारा आपकी तबीयत बिगड़ी है। उपचारके लीये आश्रमके बाहर न जानेका निश्चय ही है इसलीये मै तो इतना ही लीख सकता हुं कि ईश्वर आपको शांति दे। बीमारी और मोत देहके साथ है ही। गीताके हम पूजारी है इसलीये बीमारीसे या मृत्युसे क्यो दुःख मानें? हा, इतना तो है ही हम जानबूझ कर बीमार न पडे।

यदि हवा बदलनेके लीये आश्रमके बाहर जानेका दिल हो जाय तो उसमे कुछ शरमकी बात नहिं है न कोई पाप है। "ज्यो त्यो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे।"[२]

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २५४७ की फोटो-नकलसे।

३५. पत्र : जसवन्तरायको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२५ फरवरी, १९२९

प्रिय लाला जसवन्तरायजी,

जिन-जिन सदस्योंने कराचीमें लालाजी-स्मारक-कोषके लिए धन दिया है उन्हें मैं अलग-अलग रजिस्ट्री द्वारा रसीदें भेज रहा हूँ। कुल मिलाकर ४०,९३५-१५-० की रकमकी रसीदें भेजी जा चुकी है। आपने जो सूची हमें तथा कलकत्तामें कोषाध्यक्षको भेजी थी यह उसीके मुताबिक है। रसीदें भेजते समय कोषाध्यक्षने हमसे कहा है कि हम बकाया ९३५-१५-० जल्दसे-जल्द भेज देनेके लिए आपसे निवेदन करें।

आभूषणोंका आपने क्या किया? यदि आपने उन्हें बेच दिया है तो कृपया बतायें कि उनसे कितना धन प्राप्त हुआ।

पहली मार्चको हम अहमदाबादसे दिल्ली और कलकत्ता होते हुए रंगूनके लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्लीमें मेरा पता है: मार्फत लक्ष्मीनारायण गाडोदिया, गाडोदिया

१. गंगादेवीके स्वास्थ्यके तथा गांधीजी द्वारा उन्हें 'प्रिय भगिनि' सम्बोधित करनेके उल्लेखसे लगता है कि यह पत्र २५ फरवरी, १९२९ को गंगादेवीको लिखे पत्रसे पूर्व लिखा गया था।
२. तुलसीदासकी विनयपत्रिकासे।

स्टोर्स, चांदनी चौक, दिल्ली जहाँ हम दो मार्चको ठहरेंगे। हमारा कलकत्ताका पता है: मार्फत श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त, खादी प्रतिष्ठान, सोदपुर (ई० बी० रेलवे)। यहाँ हम ३ तारीखकी रातको पहुँचेंगे और ५ तारीखकी सुबहतक रहेंगे। ५की सुबह हम रंगूनके लिए स्टीमर पकड़ेंगे और ८ मार्चको वहाँ पहुँचेंगे। रंगूनमें हमारा पता है: मार्फत डा० प्रा० जी० मेहता, १४, मुगल स्ट्रीट, रंगून।

हृदयसे आपका,

संलग्न: (अलग पंजीयित पैकिट द्वारा भेजी गई रसीदें)

अंग्रेजी (एस० एन० १३३६८)की माइक्रोफिल्मसे।

३६. पत्र: मीराबहनको

सोमवार [२५ फरवरी, १९२९][1]

चि० मीरा,

तुम्हारे शिक्षाप्रद पत्र मुझे रोज मिलते हैं। तुम्हारे कार्यका भविष्य बड़ा उज्ज्वल दिखता है। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम इस ढंगसे काम कर रही हो, जिसमें विरोधकी गुंजाइश कमसे-कम है। योगेन्द्र बाबूकी पत्नीके आ जानेसे तुम्हारा छोटा-सा आश्रम एक अच्छा नमूना बन गया है, जिसमें ठीक प्रयोग किये जा सकते हैं।

मैं पहली मार्चको यहाँसे चलूँगा और दिल्ली होते हुए जाऊँगा। संभवतः पटना रास्तेमें पड़े। दिल्लीसे होकर जानेमें समय भी सबसे कम लगता है और पैसे भी। कलकत्ता मैं रविवारकी रात ३ मार्चको पहुँचूँगा। ४ मार्चको मौन-दिवस है। मंगलवार, ५ मार्चकी सुबह मैं कलकत्तासे चल दूँगा।

कल बालकृष्ण यहाँ आया था। वह बुनाई विभागका काम सम्भालेगा। 'गीता' अध्ययनके कार्यक्रमको ठोस रूप देनेका नया प्रयास किया जा रहा है। छोटेलालके बारेमें अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह सदाकी तरह दूर ही है। महादेव मेरे साथ रहेगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी जी० एन० ९४०३से, तथा सी० डब्ल्यू० ५३४७से भी।
सौजन्य: मीराबहन

१. लगता है कि यह पत्र १ मार्च, १९२९ से पहले वाले सोमवारको लिखा गया था, जो कि २५ फरवरीको था।

३७. पत्र : गंगादेवी सनाढ्यको

मौनवार [२५ फरवरी, १९२९][1]

चि० गगादेवी,

तुमारा पत्र मीलनेसे मुझको बहोत अच्छा लगा। सूर्य स्नान ठीक सवेरे लेना और अच्छा लगे वहा तक ही लेना चाहीये। सर बीलकुल घूमना नहिं चाहीये। शरीरमे जो चुनी नीकल पडी वह तो शुभ चिन्ह हैं। हड्डीयोंकी पीडाका कारण मै नहिं समझा हूं। एक घंटे बैठनेमे परिश्रम लगे तो आध घंटा बैठो। प्यास तो लगनी ही चाहीये। उबाला हुआ पानी खूब पीना उसमे चार पाच ग्रेन सोडा डालनेसे अच्छा रहेगा। सीसाके द्वारा घाम लेनेका आगे देखा जायगा। मुझको हालात लीखते रहो। तोता-रामजीकी आंखके वारेमें कुछ नहिं लीखा है। क्यो ?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २५४२की फोटो-नकलसे।

३८. पत्रः जवाहरलाल नेहरूको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ फरवरी, १९२९

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे पत्र मिले। मै तुम्हे एक लम्बा-सा पत्र भेजनेवाला था, लेकिन अब मुझे नही भेजना चाहिए। सीतलासहायके बारेमे मै तुम्हें तार[2] भेज चुका हूँ। आज मैंने तुम्हे इस आशयका तार[3] भेजा है कि मै इलाहाबादसे होकर गुजरूँगा और दिल्लोमे ७ घंटे बिताऊँगा। मै चाहता हूँ कि दिल्ली अथवा इलाहाबादमे हमारी मुलाकात हो और यदि सम्भव हो तो तुम मेरे साथ कुछ दूरतक यात्रा भी करो।

बहिष्कार समितिके मन्त्रीके रूपमें मै जयरामदासकी सेवाएँ उपलब्ध करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। वह कल यहाँ आ रहे हैं। अगर वह सहमत हो गये तो अवश्य ही उन्हे कमसे-कम इस सालके लिए तो कौंसिल छोडनी पड़ेगी। बहिष्कार समितिके

१. गाधीजी द्वारा गंगादेवीको सूर्य स्नानकी सिफारिश करनेके उल्लेखसे लगता है कि यह पत्र सोमवार ४ मार्च, १९२९ को छगनलाल जोशीको लिखे पत्रसे पहले, लिखा गया था।

२. तार उपलब्ध नहीं है। अपने २० फरवरीके तारमें जवाहरलाल नेहरूने गाधीजीसे पूछा था कि क्या वह यह चाहेंगे कि सीतलासहाय तुरन्त आश्रम चले जायें अथवा अगले महीने-भर या ६ सप्ताह उत्तर प्रदेशमें रहकर गाधीजीके दौरेके बारेमें बन्दोबस्त करनेके बाद आश्रम जायें।

३. तार उपलब्ध नहीं है।

आगेके कार्यक्रमके बारेमे हम बात करेगे। मुझे भेंट की गई थैलियोके उपयोगके बारेमे तुमने जो-कुछ कहा है, वह बिलकुल ठीक है। इनका उपयोग मुख्यत. खादीकार्यके लिए होगा। यात्रा तो खादीके लिए ही करनी थी परन्तु स्वभावत अब मै रचनात्मक कार्यक्रमोके बारेमे बातचीत करूँगा। लेकिन यदि लोगोने बिना किसी शर्त पैसा दिया, जैसा कि उन्हे करना चाहिए, और यदि तुम समझो कि इन थैलियोके कुछ भागको दूसरे काममे खर्च किया जाये, तो हम इसपर भी बातचीत कर लेगे। लेकिन इसे भी तुम मुलाकातके समय चर्चाके मुद्दोकी सूचीमे लिख लो, वर्ना कही ऐसा न हो कि मुलाकातके समय मै इन्हे भूल जाऊँ।

मै यह नही चाहूँगा कि तुम मेरे दौरेका तूफानी कार्यक्रम बनाओ बल्कि मै तो चाहूँगा कि कुछ स्थलोपर जहाँ आसपासके स्थानोके लोग एकत्र हो सके, वहाँके लिए ज्यादा समय रखो, और किसी एक ही गाँवमे बहुतसे समारोहोका आयोजन न किया जाये। यदि इस सम्बन्धमे तुमने 'यग इडिया'मे मेरी टिप्पणी[1] न पढी हो तो मेहरबानी करके अब पढ लेना।

हृदयसे तुम्हारा,
ए० सुब्बैया
कृते बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १५३५४)की फोटो-नकलसे तथा गाधी-नेहरू कागजात, १९२९ से भी।

सौजन्य . गाधी स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

३९. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२६ फरवरी, १९२९

आपका तार मिला। इसे मै अपनी टिप्पणीके साथ प्रकाशित कर रहा हूँ।[2] लेकिन मै अपनी शिकायतको फिरसे दोहराता हूँ। कारण जो भी हो, आप अपनी अपीलके समर्थनमे हर सप्ताह तथ्य और आँकडे नही देते। समयकी कमीका बहाना आपको नही बनाना चाहिए, और यदि आप ऐसा करना ही चाहते है तो फिर कोई आशा मत रखिए। आप लड्डू हाथमे पकडे भी रहना चाहे और उसे खाना भी चाहे, ये दोनो चीजे एकसाथ सम्भव नही है। अपीलके प्रकाशित होनेके बाद मै तो खुद नही जान पाया था कि यह सब क्या हो रहा है। सन्तानम, अथवा जो कोई भी इन्चार्ज हो, हर सप्ताह यह अवश्य बता सकता है कि कितनी सहायता पहुँचाई गई,

१. देखिए "मेरी आसन्न बर्मा-यात्रा", २१-२-१९२९।

२. देखिए "तत्काल सहायताकी आवश्यकता", २८-२-१९२९।

किस प्रकारकी सहायता पहुँचाई गई और किसको पहुँचाई गई। आप गाँवोमें जाकर ब्योरा एकत्र करनेवाले स्वयंसेवकोसे भी बात कर रहे है। अपने कुछ प्रभावशाली अनुभव भी उन्हे बताने चाहिए। उन लोगोके घरोकी दशा भी बताई जानी चाहिए। सैकड़ो बाते है जो मेरी समझसे की जा सकती है। यदि इसी प्रकारके प्रभावशाली आँकड़े प्रति सप्ताह, बल्कि रोज-ब-रोज, लोगोके सामने पेश [नही] किये गये, उस हालतमे आप यह कैसे आशा कर सकते है कि वे अपीलपर ध्यान देंगे? आप कह सकते है कि अगर आप ऐसे विवरण भेजेंगे तो वे छपेंगे नही।

मेरी टिप्पणीसे आप देखेंगे कि किसी-न-किसी प्रकार मैंने आपके तारका समर्थन ही किया है। आपसे मेरी जो शिकायत है वह यह कि आपका तार कोई बहुत आवश्यक नही था। तारमे जिन तथ्योका उल्लेख किया गया है वे आपकी जानकारीमे कोई अचानक नही आये है। भू-स्खलन हो जाये या बाढ भयकर रूप धारण कर ले तो आप तार दे सकते है, लेकिन अकालग्रस्त क्षेत्रकी रोजमर्राकी सामान्य घटनाओके सम्बन्धमें आप तबतक तार नही दे सकते जबतक आप किसी दूरस्थ-समाचारपत्रको दिन-प्रतिदिन खबर न भेजते हो। कृपया अब जागिए। मै किसी-न-किसी तरह ५,००० रुपयेका इन्तजाम कर लूँगा। लेकिन उससे फायदा क्या है? वह आपकी अपीलके जवाबमें नही होगा, बल्कि वह तो केवल एक मित्रकी ओरसे दूसरे मित्रको भेंट होगी और यदि मै ठीक समझा हूँ तो आप इस ढंगसे सहायता नही चाहते है। यदि आप ऐसा चाहते तो आप केवल यह तार दे सकते थे: मेरी क्षुधापीडित जनताके लिए ५,००० रुपये अवश्य भेजिए। अक्लमन्दको इशारा काफी।

श्रीयुत च० राजगोपालाचारी
गाधी आश्रम
तिरुचेनगोडू

अंग्रेजी (एस० एन० १५३५५)की फोटो-नकलसे।

४०. पत्र : डी० जी० आम्बेकरको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ फरवरी, १९२९

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपका पिछला पत्र भी मिल गया था। लेकिन सिन्धके दौरे और कामके भारी बोझके कारण पत्रका जवाब न दे सका।

मै यह माननेके लिए तैयार नही हूँ कि श्रीयुत अवारीको खादीका प्रयोग करनेसे इसलिए रोका गया क्योकि वे खादी पहनना चाहते है। यदि इस सदर्भमे आपके

पास कोई लिखित प्रमाण हो तो मैं उन्हे देखना चाहूँगा और यदि तथ्योका मुझे पता चल गया तो फिर मैं आपका पथप्रदर्शन भी कर सकूँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत डी० जी० आम्बेकर
मंत्री
नागपुर टाउन कांग्रेस आर्म्स ऐक्ट सत्याग्रह कमेटी
दाजी स्कूलके निकट
सर्किल न० ८, नागपुर

अंग्रेजी (एस० एन० १५०१४)की माइक्रोफिल्मसे।

४१. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

आश्रम
साबरमती
२७ फरवरी, १९२९

श्रीयुत घनश्यामदास बिड़ला
कोषाध्यक्ष, लालाजी स्मारक कोष
८, रॉयल एक्सचेज प्लेस
कलकत्ता

प्रिय महोदय,

लालाजी कोषके लिए कराचीसे प्राप्त चन्देकी पूरक सूची[1] इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। कुल मिलाकर ४५,००० रुपये हैं जिनमे से नकद अभी तक ४३,२२३ रुपये मिले हैं।

४०,००० रुपये आपको पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब मैं बकाया नकद रुपयोके लिए ३,२२३ रुपयेका चेक सलग्न कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कराचीके कोषाध्यक्षसे बाकी रुपये मिलेगे मैं आपको भेज दूंगा।

कृपया हर सदस्यके लिए अलग-अलग रसीद और मुझे अपनी कार्यालय प्रतिमें रखनेके लिए एक कच्ची रसीद भेजनेका इन्तजाम करे।

हृदयसे आपका,

संलग्न' १ चेक (नं० ए०/सी० सी० ११३०९ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडियाके नाम)

अंग्रेजी (एस० एन० १३३६९)की माइक्रोफिल्मसे।

१. यहाँ नहीं दी गई।

४२. पत्र : रोमाँ रोलाँको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
२७ फरवरी, १९२९

प्रिय मित्र,

इस पत्र द्वारा मैं आपका परिचय अपने युवा मित्र वी० बी० देसाईसे करा रहा हूँ। बीमारीके बाद स्वास्थ्य-लाभके लिए जब मैं इनके समुद्रके किनारे स्थित बंगलेमें ठहरा हुआ था उस समय इन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरहसे देखभाल की थी। श्री देसाई फ्रेंच भाषाके लगनशील छात्र हैं। बम्बईके एक कालेजमें ये फ्रेंचके प्रोफेसर रहे हैं। तथापि यह अपना फ्रेंचका ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए यह फ्रेंच विद्वानोंके पास रहना चाहते हैं। अगर इस दिशामें आप इनकी कोई मदद कर सकें तो मैं आभार मानूँगा।

हृदयसे आपका,

एम० रोमाँ रोलाँ
विला ओल्गा
विलनोव
स्विटजरलैंड

अंग्रेजी (एस० एन० १५०१५)की फोटो-नकलसे।

४३. पत्र : चमनको

साबरमती
२७ फरवरी, १९२९

भाईश्री चमन,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे लगता है कि तुमने बहुत-कुछ शककी नजर रखकर देखा है। किन्तु तुमने जो-कुछ भी लिखा है, यदि वह सब ठीक ही है तो फिर तुम्हें मेरे ऊपर श्रद्धा कदापि नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम फल और बीजसे वृक्षकी पहचान करते हैं उसी तरह तुम्हें मेरी कृतिसे मुझे जानना चाहिए।

यदि छगनलाल, पण्डितजी[1] आदि खोटे और निकम्मे हों तो मैं, जिसपर उन्हें लानेकी जिम्मेदारी है, अच्छा कैसे हो सकता हूँ? हो सकता है कि मैंने भूल की हो, पर तुम्हारे जैसे किसी व्यक्तिके जता देनेके बाद तो मुझमें भूल देखनेकी शक्ति

१. नारायण मोरेश्वर खरे।

आ सकनी चाहिए न? यदि न आये तो मेरे साथियोके बारेमें तुम्हारी राय मुझपर भी लागू की जानी चाहिए। उसी तरह यदि चरखेमे कुछ नही है तो मुझमें कैसे हो सकता है? किन्तु मै जानता हूँ कि अन्तमे आश्रम, मेरे साथियो और चरखेके बारेमे तुम्हारा विचार बदलेगा। जो व्यक्ति, हमारी इच्छानुसार नही चलते वे सब खराब है ऐसा मान लेनेकी आदत ही खराब है।

'जड चेतन गुन दोषमय' यह दोहा याद करना। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा। क्रोधको रोकना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० १५३७२)की माइक्रोफिल्मसे।

४४. विलक्षण उपवास-उपचार

'यग इडिया'को स्वास्थ्यके सन्देश-वाहकके रूपमें परिवर्तित करनेका मेरा विचार न तो पहले था और न ही अब है। यह इसलिए नही कि ऐसा करना गलत होगा, बल्कि इसलिए कि इस कामके लिए न तो मेरे पास समय है और न योग्यताएँ ही, और चूँकि मैंने भारतके स्वतन्त्रता-आन्दोलनके लाभकी खातिर 'यग इडिया'का कार्य-भार सभाला है इसलिए श्री के० जी० डी० द्वारा उल्लिखित रिपोर्ट[1] मेरी फाइलमें चार सप्ताहतक पडी रही और उसको प्रकाशित करनेसे मैं झिझकता रहा। इस रिपोर्टको मैंने दो बार पढा है। यह इतनी सच्ची लगती है और इतने अच्छे ढंगसे लिखी गई है कि मै श्री के० जी० डी०के आग्रहको और अधिक नही टाल सकता। जैसा कि पाठकोको मालूम ही है कि उपवासमे मेरी आस्था आध्यात्मिक और स्वास्थ्य, दोनो दृष्टियोसे है। उद्योग मन्दिरमे इसके बारेमे मै रोज सलाह देता हूँ और इसके परिणाम निरन्तर लाभकारी ही निकलते है। मैं यह जानता हूँ कि अगर चिकित्सक साहसके साथ अपने मरीजोमे उपवासको लोकप्रिय बना दे तो लोगोको रोगोसे होनेवाले कष्ट बहुत कम हो जायेंगे। और जो लोग आज औषधि तथा आहार-सम्बन्धी प्रयोगोके कारण मर रहे है उनमेसे बहुत-से बच जायेंगे। इसलिए के० जी० डी०की अपनी पत्नीकी बीमारीके सम्बन्धमे ठीक-ठीक तैयार की गई रिपोर्टको मै खुशी-खुशी प्रकाशित कर रहा हूँ। फिर भी उपवास और इसी प्रकारके दूसरे प्रयोगोमे रुचि रखनेवाले अन्य लोगोको मै चेतावनी दे दूँ कि वे यह आशा न रखें कि यदि वे अपनी रिपोर्टें भेजेंगे तो उन्हे भी 'यग इडिया'मे छाप दिया जायेगा। फिर भी, मेरी अपनी जानकारी तथा पथ-प्रदर्शनके लिए उन्हे प्रमाणित रिपोर्टें भेजने-की स्वतन्त्रता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-२-१९२९

१. यह रिपोर्ट यहाँ नही दी गई है।

४५. दिल्ली-यात्रा

मैंने स्पीकर द्वारा दी गई पार्टीकी[1] चर्चा अन्यत्र की है, किन्तु मैं चाहूँगा कि जिस कार्यसे मुझे दिल्ली जाना पडा उसे पाठकगण पूरी गंभीरताके साथ समझ ले और उसपर विचार करें। कार्यसमिति चाहती थी कि विदेशी कपड़ेके बहिष्कार-सम्बन्धी मेरी योजनाको स्वीकार करनेसे पहले वह उसे मुझसे समझ ले। कार्यसमिति-का इस विषयमे काफी आग्रह था। अतः मुझे सिन्धके बाद अपने कार्यक्रमको बीचमे अधूरा छोड़कर पण्डित मोतीलालजीके बुलानेपर दिल्ली जाना पड़ा। कार्य-समितिने योजनापर बड़े विस्तारसे विचार किया और अन्तमे बिना किसी बड़े परि-वर्तनके उसे स्वीकार कर लिया। इस योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। मैंने काफी हिचकिचाहटके बाद इस समितिके अध्यक्ष-पदका भार उठाना स्वीकार कर लिया है। मेरी हिचककी वजह यह थी कि मुझे लगता था कि वे लोग इसमे सहयोग नही करेगे जो, यदि वे चाहे तो, बहिष्कारको सफल बना सकते है; और शायद उन्हे खादीमे विश्वास भी नही है। लेकिन मैंने यह भी देखा कि केवल इस एक खयालकी वजहसे, जिसका कि मुमकिन है कोई आधार ही न हो, मेरा इस उत्तरदायित्वको उठानेसे इनकार करना ठीक नही होगा। मेरा कर्त्तव्य तो प्रयत्न-भर करना है।

अब यह योजना देशके सामने है। समिति इस बातकी कोशिश करेगी कि वह यथासम्भव हर व्यक्तिको इसके बारेमे बताये और समझाये। लेकिन यहाँ भी हम इतना तो कह ही सकते है कि यह योजना इतनी सरल है कि हर स्त्री-पुरुष इसे अपनी हदतक कार्यान्वित कर सकता है। जिस स्त्री या पुरुषके पास कोई विदेशी कपडा हो, वह उसे त्याग दे और उसकी जगह प्रामाणिक खादी उपयोगमे लाये। 'प्रामाणिक' शब्दपर जितना भी जोर दिया जाये, कम ही होगा। अतः योजनामे यह व्यवस्था है कि जो खादी अखिल भारतीय चरखा सघ द्वारा प्रमाणित न हो उसे प्रामाणिक न माना जाये। यह बहुत सरल बात है और सिर्फ इतना ही करना है कि खादीको अखिल भारतीय चरखा सघ द्वारा प्रमाणित भण्डारो या विश्वसनीय व्यक्तियोसे ही खरीदा जाये। कोई स्त्री या पुरुष अपने वैयक्तिक प्रयासका महत्त्व कम न समझे। पूर्ण बहिष्कार वैयक्तिक प्रयासोका योग ही तो है। हर एक गज विदेशी कपड़ेका त्याग बहिष्कारको निकट लाता है, हर एक गज खादीकी खरीद कुछ बहनोको राहत पहुँचाती है। जिस प्रकार लगातार बूँदे गिरनेसे पत्थर भी घिसता जाता है उसी प्रकार विदेशी कपडेका बराबर और लगातार बहिष्कार भारतका धन विदेशोमे जानेके सबसे बडे साधनको बन्द कर देगा और इस प्रकारके बहिष्कारके सभी अवश्यम्भावी फलितार्थ सामने आयेगे। इसलिए हाथपर हाथ धर

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २८-२-१९२९ का उपशीर्षक "स्पीकर महोदयकी पार्टी"।

कर बैठना और यह सोचकर कुछ न करना कि एक व्यक्तिके किये क्या हो सकता है, तथा समितिके आह्वानकी अथवा देश-व्यापी पैमानेपर किसी कार्रवाईकी प्रतीक्षा करते रहना पाप है। देशव्यापी पैमानेपर अगर कभी कुछ हुआ तो वह वैयक्तिक प्रयासोंके परिणामस्वरूप ही होगा।

पण्डित मालवीयजीके प्रस्तावपर भी प्रत्येक राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताको पूरा ध्यान देना चाहिए। इस प्रस्तावका उद्देश्य १० मार्चको, जो कि रविवार है, सारे देशका ध्यान नेहरू-रिपोर्टकी ओर आकृष्ट करना है। इस वर्षके लिए यह रिपोर्ट राष्ट्रीय युद्धका नारा है। हम जैसा स्वराज्य चाहते हैं वह इस रिपोर्टमें बताया गया है। आत्म-सम्मानकी माँग है कि हम इस रिपोर्टमें पारिभाषित स्वराज्यको प्राप्त करनेके लिए कार्य करें। यदि हमने अगले ३१ दिसम्बरकी मध्य-रात्रितक नेहरू-रिपोर्टकी स्वीकृतिके लिए अनवरत रूपसे काम नहीं किया, तो हम १ जनवरी, १९३० को पायेंगे कि हम पूरी तरह तैयार नहीं हैं। लेकिन पूछा जा सकता है कि नेहरू-रिपोर्टका राग अलापनेका क्या फायदा जबकि बहुतसे मुसलमान और बहुतसे सिख उससे बहुत अधिक असन्तुष्ट हैं। मेरा जवाब यह है कि इस दस्तावेजको जितना समर्थन प्राप्त हुआ है उतना न किसी अन्य दस्तावेजको कभी मिला है और न मिलनेकी सम्भावना ही है और जब मैं कहता हूँ कि हमें रिपोर्टके लिए समर्थन प्राप्त करनेकी दिशामें ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तो मैं ऐसा मानकर नहीं चलता कि उसमें संशोधन-परिवर्धनकी सम्भावना नहीं है। हाँ, मैं यह अवश्य मानता हूँ कि उसमें संगीनके बलपर किसी संशोधनकी सम्भावना बिलकुल नहीं है। जहाँ न्यायकी दृष्टिसे आवश्यक हो वहाँ संशोधन अवश्य ही किये जायेंगे और किये जाने चाहिए। यही कारण था कि सम्मेलनको भंग नहीं किया गया बल्कि उसकी बैठकको अनिश्चित कालके लिए स्थगित ही किया गया था। ये संशोधन अभी इस समय नहीं किये जाने चाहिए बल्कि तब किये जाने चाहिए जब इस रिपोर्टको जनताका इतना भारी समर्थन प्राप्त हो जाये कि सरकार इसे स्वीकार करनेके लिए विवश हो जाये और तब उस अवस्थामें इस रिपोर्टको सर्वसम्मतिसे निर्णीत अत्यावश्यक संशोधन करनेके बाद ही सरकारको स्वीकृतिके लिए दिया जाये। इस एक शर्तके साथ मैं कहूँगा कि नेहरू-रिपोर्टको सभी सार्वजनिक सभाओंमें ज्योंका-त्यों, पूर्णतः स्वीकार करानेके लिए पेश किया जाये और जनतासे उसे स्वीकार करनेके लिए कहा जाये। आखिरकार यह रिपोर्ट बड़े परिश्रमका परिणाम है और एक पंच-फैसलेके समान है। कोई भी पार्टी इसको हँसकर टाल नहीं सकती। इसलिए मैं पूरे दिलसे इस प्रस्तावका समर्थन करता हूँ कि आगामी १७ तारीखको समस्त देशमें नेहरू-योजनाके समर्थनमें सभाओंमें प्रस्ताव पास किये जायें।

मालवीयजीके प्रस्तावका दूसरा अंग इस पूर्वांगका स्वाभाविक परिणाम है। इस अंशमें यह आशा व्यक्त की गई है कि समस्त देश प्रत्येक माहके अमुक रविवारोंको अमुक रचनात्मक कार्य करेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि हफ्तेके और दिनोंमें हम सोते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि उन-उन रविवारोंको हम सप्ताहके अन्य दिनोंकी अपेक्षा निर्धारित रचनात्मक कार्य ज्यादा पूरी तरह करेंगे। कांग्रेसने

पूर्ण गम्भीरतापूर्वक नेहरू-रिपोर्टको बल प्रदान करनेके लिए रचनात्मक कार्य करनेका तरीका निकाला है। इसलिए हमे यही शोभा देता है कि उस काग्रेस-कार्यक्रमको, जिसे मालवीयजीके प्रस्तावमे आशिक रूपसे करनेका ध्येय रखा गया है, हम पूरी तरह कार्यान्वित करे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-२-१९२९

४६. बर्मा कांग्रेस कमेटीसे

काग्रेस कार्यसमितिने एक प्रस्ताव द्वारा मुझसे कहा है कि मै बर्मा काग्रेस कमेटीके हिसाब-किताबका लेखा-जोखा कराऊँ और जाँच-पडताल स्वय करूँ। इसलिए मै बर्मा काग्रेस कमेटीसे कहूँगा कि वह अपना हिसाब-किताब तैयार रखे, किसी प्रतिष्ठित लेखा-परीक्षकसे लेखा-परीक्षण करवा ले, और मेरे वहाँ पहुँचनेके समयतक अपना रजिस्टर आदि ठीक हालतमे कर ले, ताकि मै बिना समय गँवाये अपना काम शुरू कर सकूँ। जिन चीजोकी आवश्यकता होगी उनमे से एक तो वह रजिस्टर है जिसमे मूल सदस्योके नाम, पते, उनका धन्धा और उनसे प्राप्त रकमका हवाला दिया गया हो, दूसरे, कमेटीने काग्रेसके प्रस्तावोके आधारपर जो कार्य किया हो उसका तथा काग्रेसकी खातिर जो कार्य किया गया हो उसका भी एक सक्षिप्त ब्योरा तैयार रखा जाये। स्वयसेवकोंकी सूचीवाला रजिस्टर, कमेटीके कार्यालयमे प्राप्त होनेवाले चन्देकी रकम, कार्यालयमे काम करनेवाले कर्मचारियोका ब्योरा, बाहर भेजे जानेवाले पत्रो तथा अन्य सामग्रीका विवरण रखनेवाली पुस्तिका तथा काग्रेस सविधानमे सदस्यो सम्बन्धी खादीकी शर्तके बारेमें कमेटीकी रिपोर्ट — ये चीजे भी तैयार रखी जानी चाहिए।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-२-१९२९

४७. टिप्पणियाँ

स्पीकर महोदयकी पार्टी

किसीने मुझसे यह नही पूछा है कि कार्यसमितिने क्या किया, अथवा श्री जिन्ना और अन्य मुसलमान मित्रोके साथ बातचीतमे क्या हुआ। हर आदमी केवल यह जाननेको उत्सुक है कि उस विलक्षण स्पीकर — श्रीयुत विट्ठलभाई पटेल — द्वारा दी गई चाय-पार्टीमे क्या हुआ। उस चाय-पार्टीमे चूँकि वाइसराय महोदय उपस्थित थे, इसलिए वहाँ जो-कुछ हुआ उसके बारेमे जाननेकी उत्कट उत्सुकता यह प्रकट करती है कि हम अब भी अपनी बनिस्बत अग्रेजोसे ज्यादा अपेक्षाएँ रखते है। १९२२ में और उसके बाद हमे जो तथाकथित धक्का लगा है, उसके बावजूद १९२० के मुकाबले

आजकी स्थितिमें जो अन्तर है वह बहुत बड़ा अन्तर है, लेकिन हमारे अन्दर आत्म-विश्वासकी भावना पैदा कर दे इतना अन्तर आज भी नहीं हुआ है। हमारे लक्ष्यकी ओर हमारी प्रगतिके मार्गमें आत्म-विश्वासकी यह कमी सबसे बड़ा रोड़ा है।

इस चाय-पार्टीका आयोजन स्पीकर महोदयकी अपनी सूझ थी। हालाँकि वह अपनी भावनाओंको कभी नहीं छिपाते, लेकिन वह अपने पदकी सर्वैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी नहीं करते, और उस मर्यादामें रहते हुए वह अपने उद्देश्यके लिए — स्वराज्यकी प्राप्तिके उद्देश्यके लिए — कुछ कर सकनेका कोई अवसर कभी नहीं चूकते। इसलिए उन्होंने इस चाय-पार्टीका आयोजन गत्यवरोधको तोड़नेके लिए किया था। लेकिन एक अनौपचारिक, खानगी ढंगकी चाय-पार्टीमें गत्यवरोधको तोड़नेमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती। और मेरे विचारसे जबतक दोनों पक्ष तैयार न हों तबतक कोई प्रगति या कार्य सम्भव नहीं है। हम जानते हैं कि हम अभी तैयार नहीं हैं। इंग्लैंडको जबतक मजबूर नहीं किया जायेगा तबतक वह भारतकी आकांक्षाओंको सन्तुष्ट करनेके लिए कोई कदम नहीं उठायेगा। ब्रिटेन भारतमें किसी उपकार-भावनासे शासन नहीं कर रहा है। उसका शासन तो एक शुद्ध व्यावसायिक कार्य है जिसे वह दैनिक लाभालाभका ध्यान रखते हुए सावधानी और सतर्कता तथा बारीकीके साथ निर्मम भावसे चला रहा है। इसके ऊपर बीच-बीचमें उदारताका जो मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है उससे तो हमारी पीड़ा और लम्बी खिंचती है। अतः इस प्रकारकी चाय-पार्टियाँ इसी हदतक अच्छी हैं कि इनसे सिद्ध होता है कि जब दोनों पक्ष उपयोगी समझौतेके लिए तैयार होंगे उस समय उन दोनोंको एक जगह इकट्ठा करना आसान चीज होगी। उस समयतक के लिए पाठक इस आश्वासनसे सन्तोष करके बैठें कि इस चाय-पार्टीका कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं है। यह पार्टी स्पीकर पटेलकी अनेक सराहनीय विचित्रताओंमें से एक थी।

एक बूढ़े नौजवानकी बात

शीर्षक पढ़कर पाठक चौंकें नहीं। हम ऐसे कई बूढ़ोंको जानते हैं जिनमें जवानीकी उमंग होती है और बहुतसे ऐसे नौजवान देखनेमें आते हैं जो जवान होते हुए भी उमंगकी दृष्टिसे बूढ़ोंके समान शिथिल होते हैं। विदुषी एनी बेसेंट वृद्ध होते हुए भी जवानके समान काम करती हैं। उनके समान समयकी पाबन्दी करनेवाले बहुत थोड़े आदमी पाये जाते हैं। जोशमें भी वे किसीसे कम नहीं हैं। यही जोश बंगालके ८० वर्षीय वृद्ध नेता बाबू हरदयाल नागमें हैं। वे मौके-मौकेसे अपने जोश-भरे पत्र मुझे भेजते रहते हैं। इसी तरहका उनका एक पत्र अभी-अभी मिला है। यह सब देश-प्रेमियोंके जानने योग्य है, इस विचारसे उसे यहाँ दे रहा हूँ।[1]

> मुझे हिक्काका एक गम्भीर दौरा हो गया था उससे अभी-अभी उठा हूँ। मुझे विश्वास है कि अगले दिसम्बरकी ३१ तारीखकी आधी रातके बाद

१. यह अनुच्छेद नवजीवन २४-२-१९२९में प्रकाशित गुजराती टिप्पणीसे लिया गया है। २८-२-१९२९ के यंग इंडियामें यही अनुच्छेद संक्षिप्त रूपमें दिया गया है।

स्वाधीनताकी लड़ाई शुरू होगी। ऐसा मालूम होता है मानो प्रभुने उसमें भाग लेनेकी गरजसे ही मुझे जीवित रहने दिया है। इस युद्धका नायक तो ईश्वर आप ही को बनायेगा, मै तो यह भी मान रहा हूँ कि आप अभीसे इस युद्धकी तैयारी करने लगे है। मै जानता हूँ कि मेरे जीवनका मूल्य कुछ-नहीं के बराबर है। चाहे जो हो, मुझे इस युद्धमें अपना हिस्सा देना है। रूस और जापानकी लड़ाईमें एक जापानी सरदारको एक खाई पार करनेका मौका आया। उसने अपने सिपाहियोंसे कहा कि वे उस खाईमें कूद कर उसे अपने शरीरोंसे पाट दें और फौजके जानेके लिए रास्ता तैयार कर दें। मै जानता हूँ कि आपको भी ऐसी बे-पुलकी खाइयाँ लाँघनी पड़ेंगी। इस तरह की खाइयोंको पूरनेवाले स्वयंसेवकोंकी नामावलिमे मेरा नाम जरूर लिख लीजिएगा। अगर मै इतनी-सी सेवा भी कर सका तो इसे प्रभुकी कृपा समझूँगा।[1]

जिस युद्धकी बात हरदयाल बाबू करते है वह दिसम्बरकी आधी रातको शुरू होगा या नही सो तो दैव जाने। और युद्ध छिडनेपर उसकी सरदारी मेरे हिस्से आयेगी या क्या होगा सो भी वही जाने। इसके सिवा हरदयाल बाबूके कथनानुसार काग्रेसकी माँगे अस्वीकार हो होगी, किन्तु इस बारेमे मै तो अभी इस निर्णयपर नही पहुँचा हूँ। हरदयाल बाबू आशावादी है। मेरा आशावाद शायद उनसे कुछ बढकर हो। मृत्युसे प्रेमपूर्वक मिलनेके लिए तैयार रहते हुए भी जबतक मृत्यु न आये तबतक अमरवत् जिन्दा रहनेके धर्ममे मेरा विश्वास है। उसी तरह अगर हमारी उचित माँगे स्वीकार न की जाये तो युद्धके लिए तैयार रहते हुए भी माँगोके मजूर हो जानेकी आशा रखनेके धर्मको मै मानता हूँ, और सो भी अवधिके भीतर। कई बाते ऐसी होती है जो मनुष्यकी दृष्टिसे या उसके लिए नामुमकिन होती है या नामुमकिन-सी लगती है। लेकिन ईश्वरकी दृष्टिसे और ईश्वरके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नही है। हम देखते है कि जिस बातको हम सपनेमे भी नही सोचते वही रात-दिन होती रहती है। अत. सिर्फ हमारी माँगके बारेमे ही कोई अनहोनी नही होगी, यह मै कैसे मान सकता हूँ। इसके विपरीत मै तो यह मानता हूँ कि जिस दिन स्वराज्य मिलनेवाला होगा उस दिन वह अकल्पित रूपमे ही मिलेगा। इस कारण उसे निकट लानेके लिए हमे जो-कुछ करना चाहिए वह हम कर गुजरे, यही हमारा धर्म है। फिर भी बाबू हरदयाल नागका पत्र अवश्य ही स्वागतके योग्य है। इस पत्रमे उनका उत्साह छलका पडता है। वह युवकोके मनन करनेकी चीज है। जिस तरह बगालके यह बूढे नेता तैयारी कर रहे है, नौजवान भी वैसी ही तैयारी करे। और अगर वे तैयारी करना चाहते है तो काग्रेसके रचनात्मक प्रस्तावको ध्यानमे रखे। उसकी शर्तोका वे पालन करे। क्योकि यह प्रस्ताव जनताको अगले सालके लिए तैयार करनेके लिए काफी है। सरदार या नेताका सवाल मौका आनेपर अपने आप ही सुलझ जायेगा। हमे मतलब सरदारसे नही, बल्कि सरदारके जरिये मिलनेवाली

१. इसके बादका अनुच्छेद २४-२-१९२९ के गुजराती नवजीवनसे लिया गया है।

वस्तुसे है। वह वस्तु स्वराज्य है। उसके लिए हम जीते हैं और उसीके लिए हम मरनेकी तैयारी करें।

अमेरिकामें दीनबन्धु

दीनबन्धु एन्ड्रयूजकी अमेरिका-यात्राके बारेमें अमेरिकासे मुझे दो तार मिले हैं। पहला तो इसी १८ तारीखको बोस्टनसे भेजा गया था, जिसका आशय इस तरह है:

> श्री एन्ड्रयूजके बोस्टन आनेपर उनके सम्मानमें यहाँ एक भोज दिया गया था, जिसमें कई प्रभावशाली संस्थाओंके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत-वासियोंके प्रति सदिच्छा और भ्रातृभावका प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे मंजूर किया गया। जिन संस्थाओंके प्रतिनिधि आये थे उनमें 'अमेरिकी महिला बोर्डका प्रार्थना समाज', 'विद्यार्थियोंका वाई० एम० सी० ए०', 'बोस्टन फेडरेशन चर्चेज', 'मैसेच्युसेट्स फेडरेशन चर्चेज', 'फेलोशिप्स यूथ' वगैरा प्रमुख थीं।
>
> —आर० ए० ह्यूम

दूसरा ता० २४ फरवरीको टस्कीगीसे भेजा गया था। उसमें लिखा है:

> एन्ड्रयूजके सहवाससे बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी बातें और उनकी उपस्थिति तो मानो प्रभुका आशीर्वाद है। पिछली रातको भारत, आफ्रिका और अमेरिका मानों एक साथ हिले-मिले। टस्कीगीकी ओरसे प्रेम और शुभकामनाएँ स्वीकार कीजिए। —मोटन, प्रिंसिपल

जब श्री एन्ड्रयूजने यूरोप जानेका निश्चय किया था तो उन्हें वहाँ पहुँचकर थोड़ा आराम कर सकनेकी आशा थी। लेकिन उन्हें आरामके नामपर कुछ भी नहीं मिला। विलायतमें रहते हुए भारतके हितकी चिन्ताने उनसे अथक परिश्रम करवाया और अब नई दुनिया (अमेरिका)के आग्रहपूर्ण न्यौतेको पाकर वे वहाँ गये हैं। अपने पत्रोंमें उन्होंने मुझे लिखा है कि उन्हें ब्रिटिश गियाना जाना पड़ेगा और उनके विचारमें उन्हें दक्षिण आफ्रिका भी जाना चाहिए। उस उपमहाद्वीपमें माननीय शास्त्रीजीका काम आश्चर्यजनक होते हुए भी दीनबन्धुका यह विचार है कि दक्षिण आफ्रिकामें शीघ्र ही जो आम चुनाव होनेवाले हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए शान्तिके आत्मनियुक्त दूतके नाते उनका वहाँ जाना जरूरी है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-२-१९२९
नवजीवन, २८-२-१९२९

४८. तत्काल सहायताकी आवश्यकता

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वड़े व्यस्त आदमी है। वह आजकल हिन्दी-प्रचारके सिलसिलेमे सेठ जमनालालजीके साथ सारे दक्षिण भारतका दौरा कर रहे है। इसी कारण उन्होने मुझे पत्र न भेजकर, जो कि यदि वह दौरा न कर रहे होते तो आसानीसे भेज सकते थे, निम्नलिखित तार भेजा है.[1]

> पिछले अक्टूबर और दिसम्बरमें 'यंग इंडिया'मे छपी अपीलोके जवाबमें पुडुपालयम गांधी आश्रमको अबतक ७६९ रुपये प्राप्त हुए। इनमें से २२५ रुपये हमें सीधे मिले और ५४४ रुपये साबरमती आश्रमकी मार्फत। . . . हमने आश्रमके इर्द-गिर्द एक मीलतक बसे पाँच गाँवोके आदि द्रविड़ निवासियोंतक ही अपना सहायता-कार्य सीमित रखा है। . . . प्रत्येक परिवारको एक कार्ड दिया गया है जिससे रियायती मूल्यपर हर शनिवारको आश्रमसे प्रति वयस्क ५ माप और १२ वर्षसे कम प्रत्येक बच्चेके लिए २½ मापतक ज्वार प्राप्त की जा सकती है। . . . अभीतक १०८ परिवारोंका पंजीकरण किया गया है जिनमें कुल ३४४ वयस्क और १७९ बच्चे हैं। ये लोग २ फरवरी, १९२९ से ऊपर बताई गई सहायता प्राप्त कर रहे हैं। . . . तब भी सहायताकार्यपर १,३१२ रुपये खर्च आयेगा जिसमें से हमने केवल ७६९ रुपये प्राप्त किये हैं। किन्तु आश्रमके निकट अन्य गाँव भी हैं जहाँके आदि द्रविड़ निवासी बड़ी दयनीय अवस्थामें हैं और सहायता पानेके लिए शोर मचा रहे हैं। . . . इनमें से बहुतसे लोग गाँव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जो बहुत गरीब हैं या बूढ़े हैं, विशेष रूपसे औरतें और बच्चे, वे इस असहनीय स्थितिसे बचनेके लिए गाँव छोड़कर जानेका रास्ता भी नहीं अपना सकते। . . . हम बहुत चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त खाना दे सकें। लेकिन हमारे पास सीमित कोष है। . . . किसी हदतक सन्तोषजनक काम करनेके लिए हमें कमसे-कम और ५ हजार रुपये की आवश्यकता है। सहायता तत्काल चाहिए।

इस तारमे अपनी तरफसे और कुछ कहनेकी कोई जरूरत नही। लेकिन लैटिन की एक कहावत है "जो समयपर सहायता देता है उसका महत्त्व बादमें मिली सहायतासे दूना होता है।" यह एक ऐसा अवसर है जहाँ यह कहावत पूरी तरह लागू होती है। सहायता भेजनेवाले लोग जब-तब छोटी-छोटी रकमे भेजते रहे है जिनके लिए राजगोपालाचारी और मैं आभारी हूँ। लेकिन इस बीच अकाल-पीड़ित लोग भुखमरीके शिकार बनते जा रहे हैं। और किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि बजाय यह कहनेके कि लोग भूखे रह रहे है, राजगोपालाचारीको यह सूचना देनी पड़े कि लोग भोजनके अभावमे मर रहे हैं और उस समय यदि सहायता दी भी

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

गई तो बहुत देर हो चुकेगी। दानकर्त्ता जो देना चाहे वे इसी समय — अभी दें। ५ हजार रुपया जुटाना कोई बड़ी चीज नहीं। सहायताकी आवश्यकता है, यह बात तारमें दिये गये विवरणसे स्वयं-सिद्ध है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-२-१९२९

४९. तार: सतीशचन्द्र दासगुप्तको

साबरमती
२८ फरवरी, १९२९

खादीस्थान
कलकत्ता

रामजीभाईकी सहमतिसे जैसा चाहे वैसा आप तय कर लें।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ८७१४) की फोटो-नकलसे।

५०. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको

२८ फरवरी, १९२९

प्रिय सतीश बाबू,

मैं दिल्ली-कलकत्ता एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली होता हुआ रविवार, ३ मार्चको लगभग ८ बजे रात कलकत्ता पहुँचूँगा। गाड़ीके पहुँचनेका ठीक समय मुझे नहीं मालूम। मैं अपना मौन-दिवस कहाँ बिताऊँ, इसके बारेमें आपकी क्या इच्छा है, मुझे पता नहीं। मैं जीवनलालके बंगलेकी बात सोच रहा हूँ। मेरा सोदपुर जाना बेकार है। स्टीमर मंगलवार, ५ मार्चको सुबह तड़के रवाना होता है। तथापि इसके मतलब होंगे कि मैं हेमप्रभा देवीसे नहीं मिल सकूँगा। लेकिन यह अनिवार्य प्रतीत होता है। मुझे उस बीच लिखनेका भी काफी काम करना है।

मैं आशा करता हूँ कि हेमप्रभा देवी अब संकटसे निकल चुकी हैं। उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। क्या मैंने ऐसा सुझाव दिया था कि वह धूप-स्नान किया करें? इस उपचारका मैं रोज सेवन कर रहा हूँ।

सप्रेम,

आपका,
बापू

[पुनश्च:]

अवश्य ही आप इस बातकी सावधानी बरतेंगे कि नये संघका कांग्रेससे कोई टकराव न हो। यदि ऐसा हो तो आप संघको कांग्रेससे अलग कर लें, और इसके बावजूद भी काम जारी रखें।

मुझे अभी-अभी राजेन्द्र बाबूका पत्र मिला है। मैंने उन्हें तार कर दिया है कि मेरा मौन टूटनेके बाद सोमवारकी रात मैं उन सभीकी बातें बड़ी खुशीसे सुनूँगा। क्या आपके पास कोई कागजात है?

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ८७१३)की फोटो-नकलसे।

५१. पत्र : पोनका कनकम्माको[1]

२८ फरवरी, १९२९

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं कोई रकम इस कामके लिए अलग निश्चित करनेके पक्षमें नहीं हूँ। सबसे अच्छी चीज यह है कि इस मामलेको मेरे निर्णयपर छोड़ दिया जाये और संस्थाके बारेमें मुझसे बातचीत कर ली जाये।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२३७) की छपी हुई प्रतिकृतिसे।

५२. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

२८ फरवरी, १९२९

प्रिय मित्र,

तुम्हारा साफ-साफ लिखा हुआ पत्र मिला। मुझे तुम्हारी अच्छी तरह याद है। तुम जब चाहो तब आ सकती हो। तुम्हें यहाँ अपना खर्च निकालने लायक रकम अर्जित करनेमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

कल सुबह मैं बाहर जा रहा हूँ और मार्चके आखिरमें वापस लौटूँगा। लौटने के तुरन्त बाद आन्ध्र देश जाऊँगा। मैं लम्बे अरसे तक आश्रममें कब रह सकूँगा, यह नहीं कह सकता।

तुम्हारा,
मो० क० गांधी

श्रीमती प्रेमाबाई कंटक
पी० एल० लेडीज हॉस्टल
वाच्छा गांधी रोड, गामदेवी, बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० १०२१२)की फोटो-नकलसे।

१. नेल्लूर-स्थित कस्तूरबा विद्यालयकी संस्थापिका।

५३. पत्रपर निर्देश

२८ फरवरी, १९२९

इन दोनो पत्रोका जवाब दे देना। मराठी पत्र पढनेके बाद पैसेका जैसा उपयोग करना ठीक लगे, वैसा कर लेना।[1]

बापू

गुजराती (एस० एन० १५३७४)की माइक्रोफिल्मसे।

५४. पत्र : बेचर परमारको

२८ फरवरी, १९२९

भाईश्री बेचर,

तुम्हारा निर्मल पत्र मिला। इस समय मैं तुम्हारी बातका विरोध नहीं करूँगा। तुम चाहो तो नाईका धन्धा अवश्य करो और शाला छोडनी हो तो छोड दो। वही काम करो जिससे तुम्हारी आत्माको शान्ति मिले।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५५७८)की फोटो-नकलसे।

५५. पत्र : वि० ल० फड़केको

२८ फरवरी, १९२९

भाई मामा,

तुम्हारा पत्र मिला। फाँसी देनेवाला गलेमे फाँसी डालने आ रहा है। यदि हिम्मत हो तो उसे पहनो। तुम अन्त्यज आश्रममे असफल नही हुए। मन्त्री बनोगे तो भी असफल नही होओगे। इसमे जो रचनात्मक कार्य हो वही करना। यदि वह अन्त्यज कार्यमे विघ्नरूप होता हो तो मत करना। जग्गूके बारेमे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३८२४)की फोटो-नकलसे।

१. ये पंक्तियाँ २५-२-१९२९को लिखित शंकरराव देवके पत्र परसे ली गई हैं। उस पत्रमें किसी दान-दाता द्वारा ५१ रुपयेकी सहायताका उल्लेख था।

५६. भाषण: तिलक प्रतिमाके अनावरण समारोहपर, अहमदाबादमें

२८ फरवरी, १९२९

यह तो निर्विवाद है कि वल्लभभाईके नगरपालिकामें प्रवेश करनेके बाद उसमें हिम्मत भी दिखाई देने लगी है। नगरपालिकाने लोकमान्यकी प्रतिमा[1] प्रस्थापित करनेका जो साहस दिखाया है उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। कुछ ही वर्ष पूर्व यदि कोई ऐसा काम करता तो यह धृष्टता मानी जाती। पहले तो किसी पुस्तकालयतक मे लोकमान्यका चित्र होता था तो सरकार या तो उसे चित्र हटानेके लिए विवश करती थी या उसे मदद देना बन्द कर देती थी। लेकिन अब समय बदल गया है; और यह खुशीकी बात है।

स्वर्गीय लोकमान्य तिलक महाराजने स्वराज्यके लिए अपनी समस्त शक्ति समर्पित कर दी थी। उनकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा तो वही कर सकता है जो स्वराज्यके लिए प्राण बलिदान करनेको तैयार हो और जिसमे हमे थोडे समयके भीतर स्वराज्य दिलानेकी सामर्थ्य हो। आज मेरे साथ आप सब लोग इस समारोहमे शामिल हुए है तो आप सबका भी यही कर्त्तव्य है कि जिस स्वराज्यको पानेके लिए लोकमान्यने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उसी स्वराज्यको प्राप्त करनेकी तैयारी करे। कांग्रेसका भी यही आदेश है, इसलिए यह तैयारी करना हरएकका कर्त्तव्य है।

इस समय यद्यपि हिन्दुस्तानका आकाश स्वच्छ है किन्तु उसमें कब बादल घिर आयेंगे, यह नही कहा जा सकता। इस प्रतिमाका अनावरण करनेमें और राष्ट्रीय झण्डेको फहरानेमे नगरपालिकाने जैसी हिम्मत दिखाई है वैसी कठिन समय आ जाने पर भी दिखानी चाहिए। पहले तो स्वराज्यका नाम लेना राजद्रोह माना जाता था। ऐसे कठिन समयमे भी लोकमान्यने स्वराज्य और स्वदेशीका जो मन्त्र फूंका, हमे पहले उसे अपने मस्तिष्कमे और फिर अपने हृदयमे भी स्थान देना चाहिए और उसके लिए हमे अपने प्राण देनेके लिए भी तैयार रहना चाहिए।

लोकमान्यका दूसरा बडा गुण उनकी सादगी थी। वे लाखो रुपये चन्देमें जमा कर सकते थे तब भी उन्हें अपने खान-पान और वस्त्रोमे बहुत ही अधिक सादगी और किफायत पसन्द थी। इंग्लैड और अमेरिका जैसे मालदार देशोके मुकाबलेमे हमारा देश बहुत गरीब है। हमारे देशमे लोगोकी दैनिक आमदनी सिर्फ सात पैसे है। और इसमें से यदि सेठ लालभाई और सेठ अम्बालाल-जैसे करोडपति एक ओर कर द तो सामान्य मनुष्यकी स्थिति कितनी बुरी है, यह तुरन्त समझमें आ जाता

१. प्रतिमा देशके ही कलाकार श्री कोल्हटकर द्वारा निर्मित कराये जानेके लिए भी गांधीजीने नगरपालिकाको धन्यवाद दिया था।

है। इसलिए हर व्यक्तिको खानपान और वस्त्रोमें सादगी और मितव्ययितासे काम लेना चाहिए और स्वदेशीको प्रोत्साहन देना चाहिए।

[गुजरातीसे]
प्रजाबन्धु, ३-३-१९२९

५७. भाषण: अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामें[1]

२८ फरवरी, १९२९

शास्त्रीजी और मेरे सम्बन्ध ऐसे है कि मुझे उनके बारेमें अपने मुँहसे कुछ कहने की जरूरत नही है। उनके और मेरे राजनैतिक विचारोमें चाहे उत्तर-दक्षिण-सा अन्तर हो, फिर भी उनके और मेरे हृदयका जो मेल है वैसा दृढ मिलन अन्य दो व्यक्तियोमें हो ही नही सकता। बहुत-सी बातोमें मतभेद होनेपर भी यह मित्रता निभ रही है, इसमें किसकी उदारताका हाथ ज्यादा है, यह मैं नही जानता। मेरे विषयमें तो उन्होने यह भी कहा है कि मैं किसी भी दूसरे व्यक्तिकी बात सहन नही कर सकता। फिर भी हममें मित्रता या विरोधका सम्बन्ध मधुर ही रहा है। शास्त्रीजीने दक्षिण आफ्रिकामें भारतकी जो सेवा की है उसका मूल्याकन इस समय करना ठीक नही होगा। पर्वतकी तलहटीमें खडा मनुष्य उसकी शोभा नही देख पाता। किन्तु जैसे ही वह पर्वतके दूर जाकर देखता है वैसे ही उसे उसकी शोभा दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार शास्त्रीजीके बीस महीनेके इस कार्यकालसे आप जैसे-जैसे दूर जाते जायेंगे वैसे ही उनके कार्यका मूल्याकन करनेके योग्य बनेंगे। दक्षिण आफ्रिका जाकर उन्होने दोनो हाथोसे अपना पैसा लुटाया। दक्षिण आफ्रिकामें मैं अपने देशकी प्रतिष्ठा कैसे बढा सकता हूँ, यही विचार उनके मनमें था। दक्षिण आफ्रिकामें उनके कुछ आलोचक भी थे। और मुझे दोनो प्रकारके वर्णन मिले है। जिनकी कोई आलोचना करनेवाला नही होता, उनका कार्य बिलकुल ठीक है, इस विषयमें मनमें शका रहती है। शास्त्रीजीने दक्षिण आफ्रिकामें रहकर सभी उपनिवेशवासी भारतीयोकी सेवा की है। उनपर शास्त्रीजीने अपनी दक्षता और शुद्धताकी छाप डाली है। प्रजाके दूतकी तरह वहाँ रहकर वे स्वराज्यको भी दो कदम पास ले आये हैं। अब हमें उनके अनुभवसे कुछ सीखना है और मेरी तो यही इच्छा है कि वे दीर्घायु होकर भारत की सेवा करे।

[गुजरातीसे]
प्रजाबन्धु, ३-३-१९२९

१. यह सभा श्रीनिवास शास्त्रीके दक्षिण आफ्रिकाके अनुभव सुननेके लिए आयोजितकी गई थी। सभाकी अध्यक्षता गाधीजीने की थी।

५८. भाषण: ध्वजारोहण समारोहपर, अहमदाबादमें

२८ फरवरी, १९२९

मैंने तो यह सोचा था कि यहाँ आकर मुझे कुछ समासदोके समक्ष झण्डा ही फहराना होगा। किन्तु जैसा प्रमुखने कहा है यहाँ भी मुझे कुछ शब्द कहने ही होगे। आपने मुझे राष्ट्रीय झण्डा फहरानेका अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं नगरपालिकाको दुबारा धन्यवाद देता हूँ कि उसने राष्ट्रीय झण्डा अपनाया। इस झण्डेका जो अर्थ है, मुझे लगता है कि सब लोग उसे नही समझते। मैंने तो अपनी एक कल्पना व्यक्त की[1] और उसे भारतके अधिकाश लोगोने अपना लिया। यद्यपि उसके विषयमे काफी मतभेद हैं तो भी जहाँतक मैं देख पाया हूँ वहाँतक भारतके अधिकाश लोग उससे सहमत है।

इस झण्डेमें तीन रंग है — लाल, हरा और सफेद। लाल हिन्दुओके लिए, हरा मुसलमानोंके लिए तथा सफेद दूसरी जातियोके लिए है। इसमे एक बहुत बडी भावना निहित है। वह तो मानो त्रिवेणीका संगम है और सभीके मिलकर चलनेकी कामना करता है। इसके बीच जो चरखेका चिन्ह है वह इस बातका सूचक है कि हम सबको उसका आश्रय लेना है। निश्चय ही इस झण्डेमें ये बाह्य चिह्न है किन्तु यदि चरखे और सब अलग-अलग रंगोके होते हुए भी उसमे निहित भावना हममे न हो तो जैसा मैंने बगीचेमें[2] कहा था, वह कपडेका एक चिथडा-मात्र है।

आज भारतमें कई लोग कहते है कि हिन्दू और मुसलमानोमे मेल नही हो सकता। वे कहते हैं मियाँ और महादेवकी न कभी बनी है, न बन ही सकती है। यहाँपर स्वराज्य या तो हिन्दुओको मिल सकता है या मुसलमानोको। इन दोनो कौमोके अतिरिक्त दूसरे लोग सोचते हैं कि हमारा काम जापान या जर्मनीके राज्यके बिना नही चल सकता। यदि अब भी यही विचार हो तो इस झण्डेको फहरानेका कोई अर्थ नही है। इस झण्डेको फहरानेके समय जो लोग साक्षी हैं उन्हे यही प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वे हिन्दू हों, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे जिस किसी और कौमके हो यदि वे भारतको अपना देश मानते हो तो उन्हे एक-दूसरेके साथ मिलकर भारतके लिए स्वराज्य प्राप्त करना है। अध्यक्षने[3] सच ही कहा है कि हम सब स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते हैं।

हम जिस स्वराज्यकी कामना करते हैं, वह इन तीन रंगोकी शक्तिसे ही प्राप्त होगा। और यदि हम यह मानते हो कि स्वराज्य हमें दूसरे किसी भी तरीकेसे

१. देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ५६८-७०।

२. गांधी-भवनपर ध्वजारोहणका यह कार्यक्रम विक्टोरिया बागमें लोकमान्य तिलककी मूर्तिके अनावरण समारोहके तुरन्त बाद हुआ था।

३. नगरपालिकाके अध्यक्ष दौलतरामजी।

प्राप्त नहीं हो सकता, तब तो इस झण्डेको फहराना ठीक है। चरखेमें जो संकल्प निहित है वही हम सबके मनमें होना चाहिए। अध्यक्ष और सब लोगोंके मनमें भी वही होना चाहिए। भविष्यमें प्रतिकूल अवसर आनेपर यदि आपसे यह झण्डा उतारनेको कहा जाये तो आप उसे उतारेंगे या नहीं? हिन्दुस्तानकी कई नगरपालिकाओंने यह झण्डा फहराया और फिर उतारा भी। और इसीलिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि एक बार झण्डा फहरानेके बाद उसे उतारना नहीं है और इसके लिए सिर्फ नगरपालिकाके सभासदोंको ही नहीं, किन्तु मत देनेके अधिकारी हरएक नागरिकको जान लड़ा देनी है। इस कामको सम्पन्न करनेसे हमारी शक्ति बढ़ी है। मैं ईश्वरसे यही प्रार्थना करता हूँ कि यह झण्डा आप सबको प्रेरणा दे।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ३-३-१९२९

५९. तार : प्राणजीवन मेहताको

[फरवरी, १९२९][1]

मणिलालको उसके स्वास्थ्यकी मौजूदा हालतमें ऐसा कुछ भी करनेके लिए विवश करना जो उसके बिना हो सकता है क्रूरता है।[2]

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १५१३९ ए०)की फोटो-नकलसे।

६०. पत्र : जगन्नाथको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
[१ मार्च, १९२९ से पूर्व][3]

प्रिय जगन्नाथजी,

शिकारपुर और सक्खरसे लिखे आपके दोनों पत्र मुझे मिले। शिकारपुरवाले पत्रके साथ मुझे १,७०० रुपयेकी हुंडी भी मिली जिसे मैंने कोषाध्यक्षके पास कलकत्ता भेज दिया है।

१. इस तारकी तारीख उपलब्ध नहीं है। इस तारका मसविदा सी० एफ० एन्ड्रयूज द्वारा **एस० एस० मेजेस्टिक** नामक जहाजपरसे १५ जनवरी, १९२९ को लिखे गये पत्रके अन्तमें लिखा हुआ था। एन्ड्रयूजका यह पत्र गांधीजीको किसी समय फरवरीमें मिला होगा।

२. साधन-सूत्रमें गांधीजीके निम्नलिखित निर्देश लिखे हुए हैं: "इसकी नकल और डा० मेहताके तारको आश्रमके पतेपर मणिलालको डाकसे भेज दो।" इससे यह बात स्पष्ट है कि यह तार गांधीजीने जब भेजा तब वह आश्रममें नहीं थे।

३. गांधीजी १ मार्च, १९२९ को बर्मा-यात्राके लिए रवाना हुए थे। पत्रके पाठसे स्पष्ट है कि इसे उस तारीखसे पहले लिखा गया था।

आपने इस माह १७ तारीखको जो पत्र हैदराबादसे लिखा था उसके अनुसार तो मुझे २,६७७ रुपया २ आना ६ पाईका चैक मिलना चाहिए था। (जिसके बारेमे आप कहते है कि आपने १५ तारीखको उसे दिल्ली भेज दिया था) आपसे विदा लेनेके बाद मुझे अबतक पजाब नेशनल बैंकके नाम २,००९ रुपये ४ आनाकी हुंडी ही मिली है, जो मुझे दिल्लीमे प्राप्त हुई थी और १,७०० रुपयेकी एक दूसरी हुडी भी, जो मुझे अहमदाबादमे मिली। मै आपका बहुत कृतज्ञ होऊँगा यदि आप मुझे यह सूचित करे कि क्या आपने मुझे तीन किस्तोमे रकमे भेजी है, और यदि ऐसा हो तो आप २,६७७ रुपये २ आने ६ पाईवाले उस चैकके बारेमे फौरन पूछताछ करे, जिसके बारेमे आपका कहना है कि आपने उसे मुझे इस महीनेकी १५ तारीखको डाकसे दिल्ली भेजा था।

हम लोग अहमदाबादसे १ मार्चको दिल्ली और कलकत्तेके रास्तेसे रगूनके लिए रवाना होगे। हम २ तारीखकी सुबह दिल्ली पहुँचेगे और दिल्ली आगरा कलकत्ता एक्सप्रेस पकडेगे, जो हमे ३ तारीखकी शामको कलकत्ता पहुँचायेगी। हम ५ तारीखकी सुबह स्टीमरसे रवाना होकर ८ तारीखको रगून पहुँचेगे। दिल्लीमे हमारा पता है: मार्फत, लक्ष्मीनारायण गाडोदिया, गाडोदिया स्टोर, चाँदनी चौक, दिल्ली। हमारा कलकत्तेका पता है. मार्फत सतीशचन्द्र दासगुप्त, खादी प्रतिष्ठान, सोदपुर (ई० बी० रेलवे)। और हमारा रगूनका पता है: मार्फत डा० प्रा० जी० मेहता, १४, मुगल स्ट्रीट, रगून।

अभिवादन सहित,

हृदयसे आपका,

अग्रेजी (एस० एन० १३३२०)की माइक्रोफिल्मसे।

६१. भेंट: जॉन मॉटसे[1]

[१ मार्च, १९२९से पूर्व][2]

[डा० मॉट:] आपके विचारमें भारत विश्वकी प्रगतिमें सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान क्या कर सकता है?

[गाधीजी:] अहिंसाका; जिसका प्रदर्शन यह देश आज जिस व्यापक पैमानेपर कर रहा है, वह इतिहासमे अभूतपूर्व है। अहिंसा न होती तो देशमे आग भडक उठी होती क्योकि जहाँतक सरकारका प्रश्न है उसने गम्भीरसे-गम्भीर ढंगसे लोगोको उत्तेजित करनेमे कोई कसर नही छोडी है। इसमें कोई शक नही कि देशमे ऐसी विचारधाराके लोग है जो हिंसामे विश्वास रखते है, लेकिन यह विचारधारा सतह पर फैली हुई मैलकी तरह है और देशमे इसके आदर्शोको अनुकूल वातावरण मिलनेकी कोई सम्भावना नही है।

१. प्यारेलालकी रिपोर्टपर आधारित।
२. भेंट सम्भवत: आश्रममें सोमवारके दिन हुई थी। तिथि उपलब्ध नहीं है।

देशके भविष्यके लिए आपकी चिन्ताका क्या कारण है?

यदि मैं 'बाइबिल' की भाषामें कहूँ तो इसका कारण हमारे हृदयकी वह भावशून्यता तथा कठोरता है जो कि जनता और उसकी निर्धनताके प्रति हमारी मनोवृत्तिसे प्रकट होती है। हमारे नवयुवक उच्च भावनाओं और मनोवेगोंसे परिपूर्ण हैं लेकिन अभीतक उन्होंने कोई निश्चित और व्यावहारिक रूप ग्रहण नहीं किया है। उदाहरणके लिए, यदि हमारे नवयुवकोंको सत्य और अहिंसामें जीवन्त और सक्रिय श्रद्धा होती तो अबतक हम कहीं अधिक प्रगति कर चुके होते। फिर भी हमारे सभी नवयुवकोंमें उदासीनता नहीं है। वास्तवमें अपने कुछ शिक्षित नवयुवकों तथा नवयुवतियोंके निकट सहयोगके बिना मैं न तो जनतासे सम्पर्क स्थापित कर सकता था और न ही इतने बड़े पैमानेपर राष्ट्रकी सेवा ही कर सकता था और मेरी यह आशा बनी हुई है कि ये नवयुवक और नवयुवतियाँ खमीरका काम करेंगे और समय आनेपर सारी जनताका स्वरूप बदल कर रख देंगे।

उसके बाद उन्होंने भारतवर्षके निर्माणमें हिन्दू, इस्लाम और ईसाई धर्मोंने जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया उसकी चर्चा की।

भारतीय संस्कृतिमें हिन्दू-धर्मका सबसे महत्त्वपूर्ण और महान् योगदान अहिंसाका सिद्धान्त है। पिछले तीन हजार या उससे भी अधिक वर्षोंसे इसने देशके इतिहासको एक निश्चित दिशा दी है और आज भी भारतके करोड़ों लोगोंके लिए यह एक जीवन्त शक्ति है। यह एक विकासशील सिद्धान्त है, और इसका सन्देश आज भी दिया जा रहा है। इसकी शिक्षा हमारी जनताके मनोंमें इस हदतक पैठ चुकी है कि भारतमें सैनिक क्रान्ति एक लगभग असम्भव-सी चीज बन गई है। इसका कारण यह नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते होंगे, कि हमारी जातिमें शारीरिक बल नहीं है — क्योंकि इसमें शारीरिक शक्तिकी उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि किसी व्यक्तिकी हत्याके उद्देश्यसे गोली दागनेकी दानवीय इच्छा की — बल्कि यह है कि अहिंसाकी परम्पराने जनतामें अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली हैं।

भारतकी राष्ट्रीय संस्कृतिमें इस्लामका महत्त्वपूर्ण योगदान है इसकी ईश्वरके एक होनेमें पक्की श्रद्धा तथा इस्लामके अनुयायियोंमें मानव-बन्धुत्वके सत्यका व्यावहारिक प्रयोग। मैं इन दो चीजोंको विशेष योगदान मानता हूँ। क्योंकि, हिन्दू-धर्ममें तो बन्धुत्वकी भावनाको बहुत ज्यादा दार्शनिक जामा पहना दिया गया है। इसी तरह यद्यपि दार्शनिक हिन्दू-धर्मका ईश्वर भी वही ईश्वर है लेकिन इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दू-धर्मका व्यावहारिक पक्ष उतना अधिक दृढ़ और अटल नहीं है जितना कि इस्लामका।

तब फिर भारतके राष्ट्रीय जीवनमें ईसाई-धर्मका क्या योगदान है? मेरा तात्पर्य ईसाई-धर्मसे अलग ईसाका जो प्रभाव है उससे है; क्योंकि मुझे डर है कि इस समय दोनोंमें काफी अन्तर है।

हाँ, बस यही तो कठिनाई है। एक धार्मिक गुरुकी शिक्षाओंको उसके अनुयायियोंके जीवनसे अलग करके देख सकना सम्भव नहीं है। दुर्भाग्यसे, पिछले डेढ़ सौ

वर्षोंसे भारतमे ईसाई-धर्म घनिष्ठ रूपसे ब्रिटिश शासनके साथ जुडा रहा है। यह धर्म हमें भौतिकवादी सभ्यताका तथा बलवान गोरी जातियो द्वारा संसारकी निर्बल जातियोके साम्राज्यवादी शोषणका पर्याय प्रतीत होता है। इसीलिए ईसाई-धर्मका भारतके प्रति योगदान ज्यादातर नकारात्मक ही है। जो लोग अपनेको ईसाई-धर्मका अनुयायी बताते है, उनके बावजूद इसने कुछ भलाई की है। इसने हमे चौका कर सचेत किया है और अब हम अपने घरको दुरुस्त करनेकी तरफ ध्यान देने लगे है। ईसाई मिशनरी साहित्यने हमारी कुछ बुराइयोको तीव्रताके साथ हमारे सामने रखा है और हमे सोचनेपर मजबूर किया है।

जो चीज मुझे सबसे अधिक दिलचस्प लगी है वह है, अस्पृश्यता-निवारणसे सम्बन्धित आपका कार्य। क्या आप मेहरबानी करके मुझे यह बतायेंगे कि वह ऐसा कौन-सा आशाजनक चिह्न है जिससे यह प्रकट होता है कि यह प्रथा, जैसा कि आप कहते हैं, आखिरी साँस ले रही है?

रूढिवादी हिन्दू-धर्ममे जो प्रतिक्रिया हो रही है और वह प्रतिक्रिया जितनी तेजीसे हुई है उससे यह बात साफ प्रकट होती है। एक सुप्रसिद्ध उदाहरणके तौर पर मै पण्डित मालवीयजीका उल्लेख करूँगा। दस साल पहले वह अस्पृश्यताके नियमोका पालन बहुत आग्रहपूर्वक किया करते थे, जैसा कि उस समयके अधिकाश कट्टर हिन्दू किया करते थे। लेकिन आज वह गगाके तटपर अस्पृश्योमे शुद्धिका मन्त्र फूँककर गर्वका अनुभव कर रहे है और इसके चलते कभी-कभी तो नासमझ रूढिवादिताके कोपभाजन भी बनते है। इस कामकी वजहसे पिछली दिसम्बरमे कलकत्तामे वह कट्टरपथी लोगोके हाथो लगभग मार खाते-खाते बचे थे। हालमे वर्धामे एक धनी व्यापारी सेठ जमनालाल बजाजने अपने सुन्दर मन्दिरको अस्पृश्योके लिए खोल दिया है और इसमे उन्हे किसी खास विरोधका सामना नही करना पडा। इसके बारेमे सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि मन्दिरमे आनेवालोका रिकार्ड देखनेपर पता चला कि जबसे मन्दिरमे अस्पृश्योका प्रवेश शुरू हुआ है तबसे सख्यामे कमी होनेके बजाय वृद्धि ही हुई है। स्थितिका सार-सक्षेप यह है कि मै आशा करता हूँ कि अस्पृश्यताके प्रति यह जो ज्वार उठ रहा है इसमे निकट भविष्यमे ही और अधिक तेजी आये, हालाँकि यह पहले ही आश्चर्यजनक रूपसे तेज रही है।

आपको अपने मित्र कहाँसे मिलते हैं? क्या मुसलमान और ईसाई इस काममें आपको सहायता देते हैं?

यह ऐसा मामला है जिसमे मुसलमान और ईसाई कुछ भी सहायता नही दे सकते। अस्पृश्यता-निवारणका प्रश्न खास तौरपर हिन्दू-धर्मकी शुद्धिका प्रश्न है। यह अन्दरसे ही की जा सकती है।

लेकिन मेरा तो यह खयाल था कि इस काममें ईसाई आपकी ज्यादा मदद कर सकते हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंडकी मिशनके बिशप रेवरेंड व्हाइटहेडने मद्रास प्रेसीडेंसी में अस्पृश्योंकी दशा सुधारनेसे सम्बन्धित ईसाई जन-आन्दोलनके प्रभावके बारेमें कुछ महत्त्वपूर्ण बातें बताई हैं।

मै इस प्रकारके जन-आन्दोलनोको शककी निगाहसे देखता हूँ। इसका उद्देश्य अस्पृश्योका सुधार नही बल्कि अन्तत. उनका धर्म-परिवर्तन करना होता है। ऐसे आन्दोलनोके पीछे व्यापक पैमानेपर धर्म-परिवर्तनका जो उद्देश्य छिपा हुआ है उससे मिशनरी कार्य दूषित हो जाता है।

इस मुद्देपर परस्पर विरोधी मत हैं। कुछ लोगोंका तो यह दृढ़ विश्वास है कि अस्पृश्य लोग धर्मकी दृष्टिसे धर्म-परिवर्तनकी आवश्यकताके कायल होकर ईसाई बनें तो उन्हें ज्यादा लाभ होगा; और इससे उनका जीवन भी सुधर जायेगा।

मुझे दु ख है कि इस दृष्टिकोणकी पुष्टि करनेवाला कोई ठोस प्रमाण मुझे नही मिल सका है। एक बार मुझे ईसाइयोके एक गाँवमे ले जाया गया था। लेकिन इन धर्मान्तरित व्यक्तियोमे मैंने वह सरल खुलापन नही देखा जो आध्यात्मिक परिवर्तनको प्राप्त हुए व्यक्तिमे मिलता है। बल्कि उलटे मुझे तो उनमे आँखे चुरानेका वातावरण दिखाई दिया। वे बोलनेमे डरते थे। इससे मुझे लगा कि यह परिवर्तन भलेके लिए नही बल्कि बुरेके लिए हुआ है।

तब फिर आपका क्या किसी भी प्रकारके धर्म-परिवर्तनमें विश्वास नहीं है?

एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तिका धर्म-परिवर्तन करनेको मै उचित नही मानता। मेरी कोशिश किसी दूसरेके धार्मिक विश्वासको हिलानेकी या उनकी नीव खोदनेकी नही, बल्कि उसे अपने धर्मका एक अच्छा अनुयायी बनानेकी होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है सभी धर्मोकी सच्चाईमे विश्वास और इस कारण उन सबके प्रति आदर-भावका होना। इसका यह भी मतलब है कि हममे सच्ची विनयशीलता होनी चाहिए, इस तथ्यकी स्वीकृति होनी चाहिए कि चूँकि सभी धर्मोको हाड-मासके अपूर्ण माध्यमसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी धर्मोमे कम या ज्यादा मात्रामे मानवीय अपूर्णताएँ मौजूद है।

क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हमें जो ज्यादासे-ज्यादा सत्यका ज्ञान है उस ज्ञानको हम अपने मानव-बन्धुओंको प्रदान करें? और उन्हें अपने गूढ़ आध्यात्मिक अनुभवोंमें भागीदार बनायें?

मुझे दुख है कि मुझे आपसे फिर असहमत होना पड रहा है। इसका कारण यह है कि गूढ आध्यात्मिक सत्य सदैव अनिर्वचनीय होते है। आपने जिस प्रकाशका उल्लेख किया है वह वाणीसे परे है। इसकी अनुभूति केवल अन्तर्ज्ञानसे ही हो सकती है; और फिर उच्चतम सत्यको सम्प्रेषित करनेकी आवश्यकता नही पडती क्योकि स्वाभाविक रूपसे यह स्वत स्फूर्त होती है। यह चुपचाप प्रभावित करती है, जैसे कि गुलाब बिना किसी बाहरी मददके अपनी सुगध फैलाता है।

लेकिन ईश्वर भी कभी-कभी अपने पैगम्बरोके माध्यमसे बोलता है।

यह तो ठीक है, लेकिन पैगम्बर अपनी जिह्वासे कुछ नही कहते बल्कि अपने जीवन और आचरणके जरिये बोलते है। तथापि इतना मुझे पता है कि इस मामलेमें ईसाइयोका अपना दृढ मत है और वह मेरी रायके खिलाफ है।

ऐसा नहीं है। ईसाइयोंमें भी ऐसी विचारधाराके लोग मौजूद हैं — और उनकी संख्या बढ़ रही है — जिनका कहना है कि इस मामलेमें लोगोंपर कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए बल्कि हरेक व्यक्तिको इस बातकी छूट होनी चाहिए कि वह अपने ढंगसे जीवनके गूढ़तम सत्योंकी खोज करे। इसकी पुष्टिमें यह तर्क दिया जाता है कि हरेक व्यक्तिकी आवश्यकता तथा स्वभाव भिन्न-भिन्न होनेके कारण उनके अन्दर आध्यात्मिक खोजकी प्रक्रियाका भी तदनुसार अलग होना लाजिमी है। दूसरे शब्दोंमें उनका ऐसा खयाल है कि प्रचार शब्दके प्रचलित अर्थमें प्रचारका तरीका सबसे कारगर तरीका नही है।

आपके मुँहसे यह बात सुनकर मुझे खुशी हुई। वास्तवमे हिन्दू-धर्म लोगोके मनमे यही बात बैठाता है।

आप ऐसे नवयुवकोंको क्या सलाह देंगे जो अपनी कमजोरियोंको जीतनेके लिए विफल प्रयास कर रहे हैं और आपके पास सलाह लेनेके लिए आते हैं?

मैं उन्हे बस प्रार्थना करनेकी सलाह दूँगा। मनुष्यको अपने आपको बिलकुल दीन बना देना चाहिए और शक्तिकी प्राप्तिके लिए ईश्वरकी तरफ देखना चाहिए।

लेकिन यदि नवयुवकोंने यह शिकायत की कि उनकी प्रार्थनाकी सुनवाई नहीं होती और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे एक निर्मम ईश्वरके सामने खड़े बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा?

अपनी प्रार्थनाका उत्तर पानेकी कामना करनेका अर्थ है ईश्वरको प्रलोभन देना। यदि प्रार्थनासे कोई आराम नही मिलता तो ऐसी प्रार्थना केवल झूठी प्रार्थना है। यदि प्रार्थनासे ही कोई मदद नही मिली तो फिर किसी चीजसे नही मिलेगी। व्यक्तिको निरतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। नवयुवकोको मेरा यही सन्देश है। नवयुवकोको अपनी कमजोरियोके बावजूद प्रेम और सत्यकी सर्वविजयी शक्तिमे विश्वास रखना चाहिए।

हमारे नवयुवकोंके साथ दिक्कत यह है कि विज्ञान और आधुनिक दर्शनके अध्ययनने उनकी आस्थाको समाप्त कर दिया है और इस कारण वे अनास्था रूपी अग्निके ग्रास हो गये हैं।

इसका कारण यह है कि उनकी दृष्टिमे आस्था बुद्धि-जन्य चीज है, आत्मानुभव नही। जीवनके संघर्षमे बुद्धि कुछ हदतक तो हमारा साथ देती है लेकिन सकटकी घड़ीमे यह हमे दगा दे देती है। आस्था तर्कसे परेकी चीज है। जब चारो ओर अन्धेरा ही दिखाई पडता है और मनुष्यकी बुद्धि काम करना बन्द कर देती है उस समय आस्थाकी ज्योति प्रखर रूपसे चमकती है और हमारी मददको आती है। हमारे नवयुवकोको ऐसी ही आस्थाकी जरूरत है और यह तभी आती है जब कोई बुद्धिके घमंडको तिलाजलि देकर अपने-आपको उस ईश्वरके सामने पूर्ण रूपेण समर्पित कर देता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-३-१९२९

६२. भेंट: विदेशी आगन्तुकोंसे[1]

[१ मार्च, १९२९से पूर्व][2]

पहली भेंट ब्रिटिश लेबर पार्टीकी एक सदस्यासे हुई जो साम्राज्यवादी विचार-धाराकी थीं। इस महिला अतिथिने बात शुरू की, "बेशक आप चाहेंगे कि हम इस देशसे बिल्कुल निकल जायें।"

नहीं, इसके विपरीत मैं अंग्रेजोंको यहाँ रखना चाहूँगा लेकिन अपनी शर्तोंपर ——स्वामियों और मालिकोंकी तरह नहीं बल्कि सच्चे जन-सेवकोंकी तरह। स्वतन्त्र भारतमें अंग्रेजोंको इस धरतीके बेटोंके साथ समान दर्जेपर रहनेके लिए राजी होना पड़ेगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें उन विशेष सुविधाओंका परित्याग करना पड़ेगा जिनका आज वे शासक वर्गके सदस्य होनेके नाते उपभोग कर रहे हैं।

"लेकिन हो सकता है कि वे उन शर्तोंपर यहाँ रहना पसंद न करें।" उस महिला अतिथिने आगे कहा, "और फिर आप क्या यह नहीं सोचते कि भारतको इंग्लैंड अभी बहुत-कुछ सिखा सकता है——कुछ चीजोंमें तो उसे विशेष वरदान प्राप्त है।" गांधीजीने उनसे खुलासा करनेको कहा। उन्होंने इंग्लैंडमें व्याप्त राजनीतिक चेतनाका, लोकतांत्रिक संस्थाओंके विकासका तथा इनके प्रबन्ध करनेकी कुशलताका उल्लेख किया जिन्हें वह भारतको प्रदान कर सकता है।

राजनीतिक ज्ञानपर अंग्रेजोंके इस एकांतिक अधिकारके दावेको मैं नहीं मानता। यह इस युगके महानतम अंधविश्वासोंमें से एक है और मुझे ताज्जुब तो इस बातपर होता है कि कभी-कभी तो बहुत समझदार अंग्रेज भी इसके शिकार हो जाते हैं। ब्रिटेनकी राजनीतिक संस्थाओंमें बहुत-कुछ ऐसा है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मैं जड़ वस्तुओंका पुजारी नहीं हूँ। मैं यह नहीं मानता कि ये संस्थाएँ पूर्णताकी आदर्श हैं या भारतको हर कीमतपर इन्हें अपना लेना चाहिए। अंग्रेज लोग अपने देशमें भी उन्हें पूरी तरह सफल नहीं बना सके हैं, सारे संसारके अपनानेके लिए उन्हें बेहतरीन नमूना बनाकर दिखाना तो दूर रहा। कुछ ऐसे अंग्रेज भी हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि ब्रिटिश संसद उन सारी आशाओंको पूरी नहीं कर पाई है जिनकी उससे अपेक्षा थी।

"श्रेष्ठताकी भावना छोड़ भी दें", प्रश्नकर्त्ताने टोका, "जिसे मैं समझती हूँ कि यह केवल ऊपरी बात है, तो भी क्या अंग्रेज कुछ-एक मामलोंमें जिनमें भारत पिछड़ा हुआ है, भारतकी मदद नहीं कर सकते?"

इंग्लैंड बहुत तरहसे भारतकी मदद कर सकता है, मैं इससे इन्कार नहीं करता। मैं तो केवल उसके न्यासी होनेके दावेको अस्वीकार करता हूँ। ब्रिटेनकी राजनीतिक

१. प्यारेलालकी रिपोर्टपर आधारित।
२. भेंटकी तारीखें उपलब्ध नहीं हैं।

संस्थाओंमें जो श्रेष्ठ चीज है वह सारे विश्वके सामने है, और वह उसकी नकल कर सकता है। लेकिन महज राजनीतिक ज्ञानकी शिक्षा देनेके लिए अंग्रेजोको शासकके रूपमें भारत आनेकी कोई जरूरत नही है। जो-कुछ भारतके ग्रहण करने योग्य है वह आत्मसात् करनेकी क्रियाके जरिये आना चाहिए, ऊपरसे थोपा नही जाना चाहिए। मिसालके तौर पर चित्रकलाके काममे चीनी निपुण होते है, इसपर उनका पूरा अधिकार है, अत. सारी दुनियाको उसको प्रशसा और उसका अनुकरण करना चाहिए। चीनी लोग आये और इग्लैडको ललित कलाओकी शिक्षा देनेके लिए इग्लैडपर कब्जा कर ले, आप यह अपेक्षा तो नही करेगी या करेगी?

"नहीं!" अंग्रेज मित्रने अपनी गलत स्थितिको महसूस करते हुए कहा जिसमें उन्होंने अपनेको अनजाने डाल दिया था।

इसके बाद इंग्लैंड और भारतके बीच आपसी सम्बन्ध किस प्रकार ठीक किये जायें, इसके बारेमें बातचीत होने लगी।

इसके लिए एक ऐसा सिद्धान्त होना चाहिए जिसके अनुसार हर राष्ट्र उस नीतिसे बाज आये जो दूसरोके हितोके प्रतिकूल हो।

दूसरी भेंट एक अमेरिकी महिलाके साथ हुई। "क्या अस्पृश्योंकी दशा भी उतनी ही बुरी है जितनी अमेरिकामें नीग्रो लोगोंकी?" उसने पूछा।

दोनोंमे कोई सही तुलना नही की जा सकती। ये एक जैसी नही है। अपने देशमे अस्पृश्य व्यक्ति दलित और उत्पीडित जैसा-कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ कोई कानूनी भेदभाव नही रखा जाता है, जैसा कि अमेरिकामे नीग्रो लोगोके मामलेमे है। फिर भी यद्यपि कभी-कभी हमारे रूढ़िवादी लोग बहुत कठोर व्यवहार करते है जिससे और कुछ तो नही पर मानवतावादी लोगोको तीव्र व्यथा हो सकती है, लेकिन फिर भी अस्पृश्योंके प्रति अधविश्वासपूर्ण पूर्वग्रह वैसी हिंसक उग्रताका रूप ग्रहण नही कर सकता जैसा कि अमेरिकामे नीग्रो लोगोके विरुद्ध कभी-कभी हो जाता है। अमेरिकामे नीग्रो लोगोंको मारना-पीटना कोई असाधारण घटना नही है। लेकिन अहिंसाकी परम्पराकी वजहसे भारतमे ये सब बाते असम्भव है। इतना ही नही, भारतमे लोक-कल्याणकी प्रवृत्ति जातिगत भेदभावके खिलाफ रही है जिसके फलस्वरूप अस्पृश्योमे किसी-किसीको सन्त भी स्वीकार कर लिया गया है। हमारे यहाँ बहुतसे अस्पृश्य सन्त है। मुझे नही मालूम कि आपके यहाँ भी नीग्रो सन्त है या नही। अस्पृश्यताके प्रति द्वेष तेजीसे मिट रहा है। मै चाहता हूँ कि कोई मुझे आकर यह आश्वासन दे कि अमेरिकामे रगभेद खत्म हो गया है।

तीसरी भेंट दक्षिण आफ्रिकाके एक उच्च शिक्षा-प्राप्त नीग्रोके साथ हुई . . . उसे इस बातका बहुत दुःख था कि पढ़े-लिखे नीग्रो खुद अपनी जातिके प्रति उदासीन है। उसने दुखी मनसे यह शिकायत की, "वे बिल्कुल पराये-जैसे हो गये है। अपनी जातिको वे भूल गये है" . . . "हमें रौंदा गया, कुचला गया, तथा उत्पीड़ित किया गया। हमें यह नहीं मालूम कि हम किस राह चलें। हममें से अधिकांश अज्ञानी

हैं। अज्ञानतासे गरीबीका जन्म हुआ है। ये दोनों चीजें साथ-साथ रहती हैं और इनको एक दुष्चक्र-जैसा चलता है। इसके अलावा, यदि वह बाह्य-शक्ति है जो प्रकृतिकी अंधशक्तिकी भाँति ही निर्मम और क्रूर है, और जिसके आगे क्षमा माँगने या याचना करनेसे कोई नतीजा नहीं निकलता। हम अपनेको दुखी और पराजित महसूस करते हैं। आशा और मुक्तिके सन्देशकी खातिर हम स्वाभाविक रूपसे भारतकी ओर झुके हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि विश्वकी सभी उत्पीड़ित जातियोंके सम्बन्धमें भारतको अपना ध्येय पूरा करना है।" गांधीजी इससे बहुत प्रभावित हुए।

जब मैं दक्षिण आफ्रिकामें था तो मुझे वहाँके वतनियोंके साथ इस विषयपर बातचीत करनेका मौका मिला था। मैंने उन्हे बताया कि उन्हे अपनी सहायता स्वयं करनी है और उन्हें सदैव इस आशाके साथ काम करना है कि वक्त आनेपर उन्हे कही-न-कहीसे सहायता मिल जायेगी। इस बीच उन्हे आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया द्वारा इस कामके लिए तैयार होना है।

मैं आपका मतलब समझता हूँ, लेकिन जो बात हम आपसे जानना चाहते हैं वह यह है कि इस आन्तरिक प्रक्रियाका सम्बन्ध हम उन वास्तविक दैनिक समस्याओंके साथ, जो इस समय हमारे सामने मौजूद हैं, कैसे स्थापित करें — इस आत्मशुद्धिकी प्रक्रियाकी शुरुआत कैसे करें।

पहला काम तो यह है कि आप अपने अन्दर झाँकिये और अपने अवगुणोंको, स्वय अपने तथा विश्वके सामने स्वीकार कीजिए। अपनी कमजोरियोंको छिपाने और अपनी झूठी शक्तिका बखान करने-जैसा भ्रष्ट और अपमानजनक अवगुण और कोई नही है। दूसरा काम सार्वजनिक जीवनको शुद्ध बनानेमे निधडक और निडर होकर जुट जाना है। दुर्भाग्यवश आज लोगोमें यह धारणा पैदा हो गई है कि किसीके सार्वजनिक कार्योपर उसके व्यक्तिगत आचरणका प्रभाव नही पडता। यह अन्धविश्वास अवश्य मिटना चाहिए। हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ता पहले तो अपनेको सुधारे और फिर समाज-सुधारके काममे जुट जाये। आत्मशुद्धिका यह आध्यात्मिक शस्त्र हालाँकि अमूर्त लगता है, लेकिन किसीकी स्थितिका कायापलट करने और बाह्य बधनोसे मुक्त करानेका यह एक बहुत शक्तिशाली साधन है। यह सूक्ष्म और अप्रकट रूपमे काम करता है। यह एक गहन प्रक्रिया है, हालाँकि यह अक्सर थका देनेवाली और धीमी प्रक्रिया लगती है। पर मुक्तिके लिए यह सबसे सीधा, सुनिश्चित और द्रुतगामी रास्ता है और इसके लिए जितना भी प्रयास किया जाये वह कम ही होगा। इसके लिए जरूरत विश्वासकी है — उस विश्वासकी जो पर्वतकी तरह अटल है, जो किसी चीजके सामने पीछे नही हटता।

गांधीजीने समझा कि उन्होंने काफी-कुछ कह डाला है और बातचीत अब समाप्त हो गई है, लेकिन आफ्रिकी मित्रने यह बताकर कि भारत द्वारा कताई-बुनाईके घरेलू धन्धोंके पुनरुत्थानमें वे कितनी रुचि लेते हैं, गांधीजीको भारी आश्चर्यमें डाल दिया। उन्होंने बताया कि इसे वह अपने लोगोंके बीच, जो बेरोजगारी और बेकारीके

आर्थिक और नैतिक परिणामोंको भुगत रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं। कताईके सम्बन्ध-में वह जिस चीजसे सबसे अधिक प्रभावित हुए थे वह थी इसके द्वारा जनतामें भाईचारे और ऐक्यकी भावनाको जगाने और उसे विकसित करनेकी संभावनाएँ। "हमारे यहाँ कुछ गाँव ऐसे हैं जो अपनी खाद्य सामग्री स्वयं पैदा कर लेते हैं। हमने प्रयोगके तौरपर कपास भी पैदा करनी शुरू कर दी है। अब हम जनताको अपना कपड़ा स्वयं तैयार करनेके लिए शिक्षित करना चाहते हैं और इस तरह गाँवोंको व्यावहारिक रूपसे हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इससे समाजका एक नया रूप हमारे सामने उपस्थित होगा, एक नई चेतना लोगोंमें दिखाई देगी।" इन मित्रको पूरा विश्वास था कि राजकीय शोषणके विरुद्ध जातिगत चेतनाको बल देनेके लिए कताई एक बहुत शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकता है। उन्होंने गांधीजीसे पूछा कि क्या वह दक्षिण आफ्रिकामें एक शिक्षक भेज सकेंगे?

मेरा लडका मणिलाल कताईकी शिक्षा दे सकता है। लेकिन मैं इससे अच्छी और अधिक क्रियाशील सहायता दूँगा। आपके यहाँके ६ नवजवानोको मैं निश्शुल्क यहाँ रखूँगा और यहाँ मै उन्हे पूर्ण रूपसे प्रशिक्षण दूँगा। उन्हें यहाँ महज आश्रमका अनुशासन और यहाँकी सादगी अपनानी होगी।

इस सहायतासे आफ्रिकी मित्रको खुशी हुई और उन्होंने कहा: "निस्सन्देह, मेरे यहाँके लोगोंको सादा जीवन बिताना चाहिए। आपकी इस उदार सहायतासे लाभ उठानेकी मैं वाकई कोशिश करूँगा। आशा है कि मैं दक्षिण आफ्रिकासे आपको लिखूँगा।"

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-३-१९२९

६३. तार: सतीशचन्द्र दासगुप्तको

दिल्ली
२ मार्च, १९२९

खादीस्थान
कलकत्ता

आपका तार मिला। खुशीसे शामिल होऊँगा।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ८७१५)की फोटो-नकलसे।

१. इसके बादके दो अनुच्छेद यहाँ नहीं दिये गये हैं। ये "धन्य हैं शान्तिके स्थापक" शीर्षकसे छपे हैं इनमें एक आस्ट्रेलियावासीसे भेंटका विवरण है।

६४. पत्र : कोंडा वेंकटप्पैयाको

दिल्ली
२ मार्च, १९२९

मै ५ या ६ अप्रैलको बम्बईसे रवाना होऊँगा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे भाग लेनेके लिए १४ मईको इलाहाबाद पहुँच सकूँ, इसके लिए मै चाहूँगा कि आप मुझे उससे पहले मुक्त कर दे। मै चाहता था कि आपको और अधिक समय दे सकूँ, लेकिन इस पूरे वर्षके लिए मेरे सामने जो तमाम काम है उन्हे यदि मुझे पूरा करना है तो जो समय मैने आपको दिया है वह काफी ज्यादा है। कृपया मोटे तौर पर एक कार्यक्रम बना लीजिए और उसे ८ पॅगोडा स्ट्रीट, रगूनके पतेपर मुझे भेज दीजिए। इसे तूफानी दौरेका कार्यक्रम मत बना दीजिए। इस कार्यक्रमको पूरी तरह कामसे ही सम्बन्धित रखिए और अलग-अलग अनेक समारोहोके आयोजनसे बचिए। सभी अभिनन्दनपत्र एक ही स्थानपर अर्थात् एक ही सार्वजनिक सभामे दिये जाये। उन्हे पढा न जाये, लेकिन इनकी प्रतियाँ मुझे पहलेसे दे दी जाये। मूल अभिनन्दनपत्र तेलुगु भाषामे होने चाहिए और वे भेंट करनेवाली सस्थाओ द्वारा विधिवत् स्वीकृत किये जाने चाहिए। अभिनन्दनपत्रोके हिन्दी अनुवाद भी मुझे मिल जाने चाहिए। इन अनुवादोको छपवाना अनावश्यक है। आप यथासम्भव एक-एक पाई बचाइए और मेरी शक्ति भी बचाइए। मुझे अपने पत्र-व्यवहार, सम्पादन-सम्बन्धी कार्य और विश्रामके लिए भी पर्याप्त समय दीजिए।

मै आपको 'यग इडिया' के लिए लिखी गई एक टिप्पणीकी[१] अग्रिम प्रति भेज रहा हूँ जिसमे आपको वास्तवमे काफी जानकारी मिल जायेगी।

मेरे आहारमे अब बकरीका दूध शामिल नही है, अब मै बहुत महीन, पिसे हुए बादाम, कुछ ताजी सब्जी और नीबू लेता हूँ। अन्य किसी आहारकी आवश्यकता नही।

कृपया मुझे सूचित करे कि मै बम्बईसे पहले कहाँ जाऊँ।

अपनी दिनचर्या मै एक बार फिर दोहरा देता हूँ :

प्रात॰ ४ से ७-३० बजेतक : मुझसे कोई काम नही लिया जायेगा।
प्रात॰ ७-३० से १० बजेतक आप कार्यक्रम रख सकते है।
सुबह १० बजेसे शाम ५ बजेतक : कोई कार्यक्रम नही।
शाम ५ बजेसे रात ८ बजेतक : आप कार्यक्रम रख सकते है।

मेरा भोजन करनेका समय सुबह १०-३० बजे और शाम ४-३० बजे है। आम तौरपर शाम ५-३० बजे खाता हूँ। सुबह १० बजेसे शाम ५ बजेतक अपना काम करने, आराम करने और भोजन करनेके लिए मुझे निर्विघ्न समय मिल सके, इस

१. देखिए "आगामी आन्ध्र-यात्रा", ७-३-१९२९।

ख्यालसे मैं शामके भोजनका समय बदल रहा हूँ। अन्य कोई समय अनुकूल नही है क्योंकि मैं सूर्यास्तके बाद नही खाता।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ७-३-१९२९

६५. काम-विकारको कैसे जीतें

काम-विकारको जीतनेका प्रयत्न करनेवाले एक पाठक लिखते है:[1]

इन पाठककी भाँति और भी कई लोगोकी यही हालत है। कामको जीतना कठिन अवश्य है पर असम्भव नही। लेकिन प्रभुका कथन है कि जो कामको जीत लेता है वह संसारको जीत लेता है और भवसागरसे पार हो जाता है। सो हम देखते है कि कामपर जय पाना सबसे कठिन बात है। लेकिन काम-विजयकी कोशिश करनेवाले बहुतसे लोग यह स्वीकार नही करते कि ऐसे कठिन उद्देश्यको पानेके लिए धीरज बहुत ही अधिक जरूरी रहता है। हम जानते है कि अक्षर-ज्ञानसे लेकर किसी विषयका ठीक अध्ययन कर पानेके लिए लगन, धीरज और एकचित्त होनेकी कितनी आवश्यकता पड़ती है। इस परसे अगर हम हिसाब लगा कर देखें तो हमे पता चले कि केवल ऐसे शाब्दिक ज्ञानको पानेमें धीरज आदिकी जितनी जरूरत होती है उसके अनन्त गुनी ज्यादा धैर्यकी जरूरत काम-विजयके लिए होती है।

यह तो हुई धीरजकी बात। इसी प्रकार हम काम-विजयके अन्य अनेक उपायोंके बारेमे भी उदासीन रहते हैं। साधारण बीमारीको दूर करनेके लिए दुनिया-भरकी धूल छान डालते हैं; डाक्टरोके घर-घर भटकते है; जन्तरमन्तर तक नही छोड़ते; लेकिन काम-रूपी महारोगको मिटानेके लिए जितने चाहिए उतने उपाय-उपचार हम नही करते। थोडा-बहुत करके थक जाते है और उलटे ईश्वरके साथ या उपाय बतानेवालेके साथ शर्त करते है कि इतनी चीज तो नही ही छोडेंगे, फिर भी काम-विकारको मिटाना होगा। तात्पर्य, काम-विकारको नष्ट करनेकी सच्ची व्याकुलता हममे नही होती है। उसके लिए सर्वस्व न्योछावर करनेके लिए हम तैयार नही होते। हमारी यह शिथिलता काम-विकारको जीतनेके मार्गमे एक बहुत बडी रुकावट है। यह सच है कि निराहारीके विकार शान्त हो जाते है। लेकिन आत्मदर्शनके बिना आसक्तिका नाश नही होता। लेकिन उक्त श्लोकका[2] अर्थ यह नही है कि काम-विजयके लिए निराहार निरर्थक है। उसका अर्थ तो यह है कि आहार विषयक संयममे कभी प्रमाद नही करना है; हो सकता है उस तरहकी दृढता और लगनसे आत्म-दर्शन हो जाये। उसके होते ही आसक्ति भी मिट जायेगी। इस तरहका निराहार किसी दूसरेके कहनेसे नही लिया जा सकता, न आडम्बरकी खातिर ही मंजूर किया जा सकता है। इसके लिए तो मन, वचन और शरीरका सहयोग जरूरी है। अगर यह

१. यहाँ नहीं दिया गया है।

२. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय २-५९। इसे पत्र-लेखकने पत्रमें उद्धृत किया था।

सहयोग सध जाये तो ईश्वरकी प्रसादी अवश्य ही मिले और प्रसादी मिल जाये तो फिर विकार तो शान्त होंगे ही।

लेकिन निराहार व्रतसे पहलेके कई हलके उपाय भी है। उनका आश्रय लेनेसे अगर विकार शान्त न भी हो तो कमसे-कम कमजोर तो जरूर ही हो जायेंगे। अत भोग-विलासके सारे अवसरोका एकान्त त्याग कर देना चाहिए। उनके प्रति अभाव बुद्धि जागृत करनी चाहिए। क्योकि अभाव विहीन त्याग सिर्फ बाहरी त्याग होगा और इस कारण चिरस्थायी नही हो सकेगा। यहाँ यह बतानेकी जरूरत तो होनी ही नही चाहिए कि भोग-विलास किसे कहा जाये। जिन चीजोसे विकार पैदा हो उन सबका त्याग किया जाना चाहिए।

इस सिलसिलेमें आहारमें क्या लिया जाये, क्या नही, यह सवाल भी बहुत विचारणीय है। अभी यह क्षेत्र अछूता पडा है। मेरे विचारमे विकारोको शान्त करनेकी इच्छा रखनेवालोको घी-दूधका कमसे-कम उपयोग करना चाहिए। वनपक्व अनाज खाकर अगर जीवन-निर्वाह किया जा सके तो कृत्रिम अग्निके ससर्गसे तैयार की गई खुराक न ले, अथवा बहुत थोडी ले। फल और कई प्रकारकी हरी शाक-सब्जियाँ बिना राँधे भी खाई जा सकती है और खाई जानी चाहिए। लेकिन बिना आग पर पकाई हरी शाककी खुराकका प्रमाण बहुत थोडा रखना चाहिए। दो-तीन तोला ऐसी हरी शाकसे काफी पोषण मिल जाता है। मिठाई, मसालो वगैराका एकदम त्याग कर देना चाहिए। इतना बता चुकनेपर भी मैं जानता हूँ कि सिर्फ खुराकसे ही ब्रह्मचर्यकी पूरी रक्षा नही हो सकती। लेकिन विकारोत्तेजक खुराक खाते हुए तो मनुष्य ब्रह्मचर्य पालनकी आशा न रखे, उसे रखनी ही नही चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३-३-१९२९

६६. बहिष्कार

विदेशी कपडेके बहिष्कारकी हलचलके सम्बन्धमें एक शुभ-चिन्ह तो यह है कि श्री जयरामदासने बम्बईकी धारासभामें अपनी जगहसे इस्तीफा देना और बहिष्कार समितिका मन्त्रिपद सँभालना स्वीकार कर लिया है। पाठकोको इस निश्चयसे प्रसन्नता होगी। बहिष्कार समितिको दिल्लीमें ही इस बातकी आवश्यकता प्रतीत हुई थी कि सम्बन्धित कामके बारेमे दिन-रात विचार करने और उसे करनेके लिए एक मन्त्री होना चाहिए। मुझे फौरन ही श्री जयरामदासका खयाल आया। मैं मानता हूँ कि इस कामके लिए वे बहुत योग्य है। इसलिए मैंने उन्हे एक छोटा-सा पत्र[1] ही लिखा कि इस महान कार्यके लिए यदि आप धारासभा छोड दें तो अच्छा हो। उन्होंने मुझे तारसे जवाब दिया कि "आपसे मिलने आ रहा हूँ।" वे इस्तीफा देनेका निश्चय करके ही बम्बईसे रवाना हुए। मेरे साथ कुछ सलाह-मशविरा करके अब वे उसकी

१. देखिए "पत्र: जयरामदास दौलतरामको", २१-२-१९२९।

तैयारी करनेके लिए गये है, और १७ मार्चको तो वे धारासभासे अलग हो चुकेंगे। मन्त्रिपदसे सम्बन्धित उनका काम तो गत सप्ताहमे बुधवारसे ही शुरू हुआ माना जा सकता है। भाई जयरामदाससे मुझे ऐसी ही आशा थी।

श्री जयरामदासके इस तत्परतापूर्ण त्यागसे यदि हम सब अपना-अपना कर्त्तव्य समझ जायें तो बहिष्कार इसी वर्षमे सफल हो जाये। मेरा यह दृढ मत है कि जिस कामको समस्त जनता सरलता और शीघ्रतासे कर सकती है और जिसका जबर्दस्त असर होगा वह काम विदेशी कपडेका बहिष्कार ही है। दूसरी सब बाते व्यर्थकी झझटे है। जो लोग हर बातपर सिर हिला दिया करते है, उनसे तो मै यही कहूँगा 'इसे करो, और देखो'। जो बात आजमाईश करके देखी जा सकती है, उसके बारेमे केवल सिर हिला देनेका तो कुछ भी अर्थ नही है।

'साइमन बहिष्कार' से तो यह बहिष्कार हजार गुना अधिक कारगर है। साइमन बहिष्कार आवश्यक था। उससे कुछ जागृति हुई। परन्तु उससे प्रजाकी दरिद्रताका नाश नही हुआ। इस महाव्याधिको दूर करनेके लिए तो विदेशी कपड़ोका बहिष्कार ही एकमात्र औषध है।

'नवजीवन'के पाठकोके सामने यह कहनेकी तो कोई आवश्यकता ही नही होनी चाहिए कि यह बहिष्कार खादीको अपनाये बिना कभी सिद्ध नही किया जा सकता।

खादी उत्पन्न करनेवालोको मै यही बताना चाहता हूँ कि बहिष्कारका मूल खादीकी उत्पत्तिमे ही है। खादी बिकेगी या नही इसका विचार किये बिना ही उन्हे तो जितनी मात्रामे जितनी अच्छी खादी उत्पन्न की जा सके उतनी करनेमे और करानेमे लग ही जाना चाहिए। आज या कल, निश्चित रूपसे एक दिन जनतामे ऐसा जोश आयेगा कि सब खादीकी ही माँग करेगे। खादी उत्पन्न करनेवाले यदि उस समय उस माँगको पूरी न कर सकेंगे तो उन्हे अपना सिर नीचा करना पडेगा। ऐसी नौबत उन्हें नही आने देनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३-३-१९२९

६७. 'आदतन खादीधारी' किसे कहें?

काग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमपर अमल करनेकी थोड़ी-बहुत इच्छा सभीको है। यह कोई नई बात नही है कि यह इच्छा गुजरातमे विशेष रूपसे है। इस स्थितिमे यदि कार्यकर्त्ता खादी पहननेसे सम्बन्धित धाराका स्पष्टीकरण चाहें, तो उनकी यह बात समझमें आती है।

काग्रेसके सविधानके अनुसार जो खादी न भी पहनता हो ऐसे व्यक्तिको भी काग्रेसका सदस्य बननेका अधिकार है और उसे सदस्य बननेसे कोई रोक नही सकता। किन्तु इस तरह बना हुआ सदस्य खादी पहनने वाला न हो तो वह काग्रेस या उसकी समिति या उपसमितिमे बिलकुल भाग नही ले सकता। वह न बोल सकता है, न मत

दे सकता है और न किसी भी समितिके चुनावमें खड़ा हो सकता है। इस प्रकार खादी-की शर्तका यही परिणाम निकलता है कि सदा खादी न पहननेवालेको कांग्रेसमें किसी प्रकारका भी अधिकार प्राप्त नही हो सकता। वह अनेक प्रकारकी सेवा करनेसे भी वंचित रह जायेगा, जैसे वह स्वयंसेवक नही बन सकता। ठीकसे देखें तो काग्रेसमें अधिकार पानेका अर्थ ही यह है कि अधिकारी सेवा करे या उसे सेवा करनी चाहिए।

चूंकि मैं ऐसा अर्थ लगाता हूँ इससे 'आदतन खादीधारी' शब्दोका अर्थ मालूम करना आवश्यक है। मूल अंग्रेजी शब्दोका[1] अक्षरश अर्थ हुआ नियमित रूपसे पहननेवाला। किन्तु जो नियमपूर्वक पहनेगा वह सदा पहननेवाला ही होगा। सदा खादी पहननेवालेके कपडे चोरी चले जायें और उसे तुरन्त खादी न मिले तो जो मिले उसे पहन तो लेगा किन्तु मौका मिलते ही खादी प्राप्त करेगा। ऐसा होनेपर ही वह सदा खादी पहननेवाला माना जायेगा। जो सिर्फ काग्रेसका काम पूरा करनेके लिए खादी पहने और बाकी समय विदेशी या यहीकी मिलोका कपडा पहने वह आदतन खादी पहननेवाला नही है। उसी प्रकार जो घरमें विदेशी वस्त्र और बाहर खादी पहनता हो वह भी आदतन खादी पहननेवाला नही है। उसी तरह जो मिलकी धोती पहने, वह खादीकी टोपी या खादीका कुर्ता पहन लेनेपर भी आदतन खादीधारी नही माना जायेगा।

इस प्रकार 'आदतन खादीधारी' शब्दोका अर्थ मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। फिर कार्यकर्त्तागण सदस्य कैसे दर्ज करे? मेरी सलाह यह है कि जो खादी न भी पहनता हो पर खादीका समर्थक हो, खादी पहननेके लिए तैयार हो, जिसे काग्रेसके ध्येय स्वीकार हो, जो चार आना दे और अपना काता हुआ सूत दे उसे कार्यकर्त्ता-गण खादी सम्बन्धी धारा समझायें और उसे काग्रेसका सदस्य बना ले। ऐसे चाहे जितने सदस्य बन जायें तो भी उन्हे उपसमितिके चुनावमें भाग लेनेके उपरान्त दूसरा कोई अधिकार नही रहता है। यदि वे खादी पहननेवाले न हो तो वे इस अधिकारको छोड़कर अनेक प्रकारसे काग्रेसकी दूसरी मदद करे और मौका मिलते ही सिरसे पैरतक खादी पहनने लगें।

कार्यकर्त्ताओका यह कर्त्तव्य है कि सदस्य बना लेनेपर वे उनपर नजर रखे, आँख ओट न करे और खादी पहननेका सुझाव देते रहे। उनके साथ खादीकी फेरी लगायें, उनकी कठिनाइयोको जानें और उन्हे सुलझायें।

गुजरातमें सबसे बडी कठिनाई धोतियो और स्त्रियोंकी साडियोकी है। ऐसा जान पडता है कि गुजरात महीन सूत कातनेके लिए तैयार नही है और खादीकी महीन धोतियाँ महँगी मिलती है। यदि हम चाहे तो धोतियाँ गुजरातमें ही तैयार हो सकती हैं। हमारे यहाँ रुई तो अच्छी होती है। गुजरातमें जागृति भी काफी हुई है, यहाँ स्वयसेवक है और राष्ट्रीय शालाएँ भी है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जो अच्छी तरह पिंजाई कर लेता है, वह अच्छी तरह कताई भी कर सकता है। बारीक और मजबूत सूत कातनेके लिए हमारे पास अच्छी तरह धुनी रुईकी पूनियाँ होना

१. कांस्टेंट वियरर।

जरूरी है। पिंजाईके काममें गुजरातने ,सबसे ज्यादा प्रगति की है। गुजरातमें धुनकी काफी संख्यामें बनाई जा सकती है। सीखनेवाले भी है पर क्या उनमें सीखनेकी इच्छा है? गुजरात चाहे तो जल्दी महीन सूत तैयार कर सकता है पर यदि वह महीन सूत कातनेमे आलस्य करे और महीन धोतियोंको न खरीदना चाहे तो फिर वहाँके स्त्री-पुरुषोंको मोटी खादीको कम लम्बे पनेकी धोतियाँ पहननी चाहिए।

किन्तु यह सब तो समझदार और खादीप्रेमी व्यक्तिके लिए है। जहाँ इच्छा हो वहाँ मार्ग भी निकल आता है। जहाँ इच्छा नही है, वहाँ मार्ग होते हुए भी हम अन्धेकी तरह भटकते रहते है। नाच न जाननेवालेको आँगन तो टेढा लगेगा ही।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३-३-१९२९

६८. सुन्दर सत्याग्रह

कुछ महीने पहले मिरजमें जो सत्याग्रह किया गया था उसके विषयमे अखबारो-में थोडे-बहुत समाचार छपे थे। किन्तु अखबारोंमें प्रकाशित ऐसा वृत्तान्त अधूरा और कई बार गलत भी होता है, ऐसा सोचकर मैंने उसपर कुछ ध्यान नही दिया था। किन्तु उसके सिलसिलेमें मैंने भाई पुण्डरीकका नाम सुना। भाई पुण्डरीक आश्रममें रह चुके है; वे श्री गगाधरराव देशपाण्डेके अनुयायी है इसलिए मै उन्हे अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मैने उनसे तथ्य मँगवा भेजे। घटना विचारणीय है इस कारण मै उनके पत्रका मुख्य भाग छाप रहा हूँ। मूल पत्र हिन्दीमें है।[1]

कहा जा सकता है कि इस छोटेसे सत्याग्रहका अन्त बड़े सुन्दर ढगसे हुआ है। इसमें तीन बातें देखने योग्य है। एक तो यह कि नेताओंका काम मुख्य रूपसे शान्ति बनाये रखना है क्योकि वही सत्याग्रहका आधार है। नेताओंने अपने झूठे मानकी खातिर लोगोंको नही लड़ाया और उनके द्वारा नियुक्त पंचको समझौता करनेके लिए जाने दिया। सत्याग्रहियोके नेताको इस प्रकार अभिमान रहित होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि यह कतई जरूरी नही है कि सत्याग्रहियोका नेता कोई बडा विद्वान, वकील अथवा बैरिस्टर हो। उसमें सत्य, शान्ति, दृढता, हिम्मत, बहादुरी आदि गुण होने चाहिए। पुण्डरीक इस सत्याग्रहका योग्य नेता सिद्ध हुआ। उसे विद्वान तो नही माना जा सकता। उसको अग्रेजीका ज्ञान लगभग नही ही है किन्तु जिन सब गुणोको मैंने आवश्यक माना है, वे सब उसने दिखाये है।

किन्तु यह नही कहा जा सकता कि काम समाप्त हो गया है। जो काम बाकी रह गया है वह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। लोगोमें हुई जागृतिका उपयोग उन्हें अपनी स्थिति, अपनी शक्ति और मर्यादाका भान करानेके लिए किया जाना चाहिए,

१. यहाँ नहीं दिया गया है। पत्रमें लेखकने मिरज ताल्लुकेमें मालगुजारीमें अनुचित वृद्धिके विरुद्ध किये गये सफल सत्याग्रहका वर्णन किया था। सत्याग्रहका नेतृत्व उन्हींने किया था।

तभी हम उससे हुए लाभको बनाये रख सकेंगे और वह फूलकी सुगन्धकी तरह आस-पास व्याप्त हो सकेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३-३-१९२९

६९. आदर्श छात्रालय

छात्रालयोका सम्मेलन इस महीने यही होनेवाला है, इसलिए इस बारेमें मेरी राय माँगी गई है कि आदर्श छात्रालय किसे कहा जाये। सन् १९०४ से मैं अपनी बुद्धिके अनुसार छात्रालय चलाता रहा हूँ। इसलिए ऐसा कहनेका मोह भी है कि मुझे छात्रालय चलानेका थोडा ज्ञान है। यहाँ छात्रालयका जरा विस्तृत अर्थ करनेकी आवश्यकता है। कोई कुछ भी सीखता हो, हम उसे छात्र मान ले, और यदि कही एकसे ज्यादा छात्र साथ रहते हो, तो मैं कहूँगा कि वे छात्रालयमे रहते है।

ऐसे छात्रालयके गृहपति चरित्रवान व्यक्ति होने चाहिए।

छात्रालय ढाबेका रूप कभी अख्तियार न करे, यानी यह कदापि नही माना जाना चाहिए कि छात्र सिर्फ खाने-पीनेके लिए ही एक-साथ रहते है। छात्रोमे कुटुम्बकी भावना व्याप्त होनी चाहिए।

गृहपति पिताकी जगह होना चाहिए। इसलिए उसे छात्रोके जीवनमे ओतप्रोत हो जाना चाहिए और अपना खाना-पीना छात्रोके साथ ही रखना चाहिए।

आदर्श छात्रालय विद्यालयसे बढकर होना चाहिए। सच्चा विद्यालय तो वही होता है। शाला या कालेजमे तो विद्यार्थियोको किताबी ज्ञान ही मिलता है। छात्रालयोमे विद्यार्थियोको सब तरहका ज्ञान मिलता है। आदर्श छात्रालयका सम्बन्ध किसी अन्य शालासे नही होता, सारा शिक्षण एक ही तन्त्र या प्रबन्धके मातहत होता है और यथासम्भव सारे विद्यार्थी और शिक्षक साथ ही रहते है। इस तरह जो हालत आज स्वाभाविक कुटुम्बोमे नही होती, वह हालत छात्रालयोके जरिये नये और बड़े कुटुम्ब बना कर पैदा करनी पडेगी। इस दृष्टिसे छात्रालय गुरुकुलका रूप ले सकेंगे।

आजकल छात्रालयोमें बहुत-सी बुराइयाँ पाई जाती है। उनका कारण मै यह मानता हूँ कि उनमे कुटुम्बकी भावना पैदा नही की जाती और छात्रालय चलानेवाले लोग विद्यार्थियोके जीवनमे पूरी तरह भाग नही लेते।

छात्रालय शहरके बाहर होने चाहिए और जिन सुधारोके करनेकी जरूरत शहरो या गाँवोमे मानी जाती है, वे सब सुधार उनमे दाखिल किये जाने चाहिए। यानी शौचादिके नियमोका वहाँ पालन किया जाना चाहिए। चाहे जैसा मकान किराये पर लेकर उसमे आदर्श छात्रालय नही चलाया जा सकता। आदर्श छात्रालयमे नहाने और पाखानेकी ठीक सहूलियते होनी चाहिए और हवा और रोशनीकी पूरी सुविधा रहनी चाहिए। उसके साथ बाग होना चाहिए।

आदर्श छात्रालयका वातावरण हर तरहसे स्वदेशी होना चाहिए। छात्रालयकी इमारतमे और सजावटमे देहाती जीवनकी छाया आवश्यक है। उसकी रचना भारतकी

गरीबीके लिहाजसे होगी। पश्चिमके ठडे और धनी देशोमे बने छात्रालय हमारे लिए नमूना नही बन सकते।

आदर्श छात्रालयोमे ऐसा कुछ नही होना चाहिए, जिससे छात्र आलसी, नाजुक और आवारा बन जाये। इसलिए वहाँ साधु-जीवनको शोभा दे ऐसी सादी खुराक होगी, प्रार्थनाको स्थान होगा और सोने-बैठनेके नियम होगे।

आदर्श छात्रालय ब्रह्मचर्याश्रम होगा। विद्यार्थी नये जमानेका शब्द है। विद्यार्थीके लिए ठीक शब्द तो ब्रह्मचारी है। विद्याभ्यासके समय ब्रह्मचर्यका पालन जरूरी है। आजकी छिन्न-भिन्न स्थितिमे मै यह चाहूँगा कि यदि विवाहित विद्यार्थी छात्रालयमे भरती किये जाये, तो उन्हें भी विद्याभ्यास पूरा होनेतक ब्रह्मचर्य पालना चाहिए, यानी विद्याभ्यासके समयमें उन्हें अपनी स्त्रीसे बिलकुल अलग रहना चाहिए।

पाठक याद रखे कि मैंने आदर्श छात्रालयका वर्णन किया है। यह बात समझमे आ सकती है कि सब छात्रालय इस हदतक नही पहुँच सकेगे। किन्तु यदि ऊपरके आदर्शको ठीक माने तो सभी छात्रालयोको इसे ध्यानमे रखकर तदनुसार चलना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३-३-१९२९

७०. पत्र : मीराबहनको

४ मार्च, १९२९

दुबारा नहीं पढ़ा

चि० मीरा,

इस पत्रसे तुम्हे मालूम हो जायेगा कि मै कहाँसे लिख रहा हूँ।

कल मै तुमसे काफी दूर चला जाऊँगा। मेरी तीसरे दर्जेकी मुसाफिरी तो एक तरहकी धोखेबाजी होती जा रही है। दिल्लीसे मुझे और मेरी मडलीको एक पूरा डिब्बा दे दिया गया था। इस तरह इसमे दूसरे दर्जेसे भी ज्यादा आजादी थी और सारी मडलीके मेरे साथ होनेका मुझे सन्तोष था। वियोगसे मुझे दु.ख होता। साथ रहनेसे मुझे आनन्द होता है।

मेरे खयालसे उद्योग मन्दिर प्रगति करता दिखाई पडता है। सयुक्त भोजनालय अधिकाधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है और मै नही समझता कि साल खतम होनेपर कोई भी उसे भग करना चाहेगा। लेकिन देखे क्या होता है।

मेरे बारेमें चिन्ता न करना। रगूनसे सप्ताहमे तीन बार डाक आती है। इसलिए मुझे आशा है कि मैं तुम्हें सप्ताहमे तीन बार लिखूँगा। कलकत्तासे रगूनके लिए जहाज रविवार, मगलवार और शुक्रवारको चलते है। इसलिए तुम्हे भी सप्ताहमे तीन बारसे ज्यादा पत्र लिखनेकी जरूरत नही है। स्टीमर हमेशा सुबह ही रवाना होते है।

अब कुछ समय बाद तुम मुझे अपने कामके बारेमे संक्षिप्त विवरण भेजना न भूलना। मै चाहता हूँ कि नरम तकुओंके बारेमे तुम अपनी निश्चित राय दो और धुनकीमे जो सुधार हुए है उनका वर्णन लिखो। साथ ही तुलना करके संक्षेपमे यह भी बताओ कि अच्छी धुनी हुई पूनियो और पहलेकी पूनियोके परिणाममे क्या अन्तर है? मुझे उम्मीद है कि तुम इन प्रत्यक्ष अनुभवोकी एक डायरी रख रही हो। मै चाहता हूँ तुम यह प्रयोग वैज्ञानिक ढगसे करो।

मै यह भी चाहता हूँ कि तुम समय-समयपर मुझे सुबह और शामकी प्रार्थनाके बारेमे, और जो भजन तुम वहाँ गाती हो उनके बारेमे, लिखती रहो। खुराकके बारेमे तुम अपना अन्तिम फेरबदल भी मुझे सूचित करो। मै तुम्हारे प्रयोगको अधिकाधिक महत्त्व दे रहा हूँ क्योकि मै जानता हूँ कि इन बातोके बारेमे तुम ठीक-ठीक राय रखती हो और आसानीसे अपने-आपको धोखा नही दोगी।

अबकी बार एक विचित्र दल मेरे साथ है। इसमे एक पागल लड़की भी शामिल है जो स्नातक है। वह एक जाने-माने तमिल नेता — राजाजीके एक मित्र — की पुत्री है। पिछली बार जब मै दिल्लीमे था, तब वह और उसका एक सम्बन्धी मुझसे मिलने आये थे। मैने उन्हे तबदीलीके लिए आश्रम आनेको कहा था। उसके पिताको यह बात बहुत पसन्द आई। और वे वहाँ आ पहुँचे। लडकीकी ज्यादा सुविधापूर्वक देखभाल हो सके, इस दृष्टिसे मैने उसके बाल छोटे-छोटे काट दिये है। अब वह और उसका सम्बन्धी मेरे साथ बर्मा जा रहे है। अगर वह किसीकी बात मानती है तो केवल मेरी, अन्य किसीकी नही। यह बडी भारी जिम्मेदारी है। लेकिन यह जिम्मेदारी तो ईश्वरकी है, मेरी नही। फिर चम्पा और उसके दो बच्चे भी है। डा० मेहताको तो तुम जानती हो, चम्पा उन्हीकी पुत्रवधू है। डा० मेहता चाहते थे कि मै उसे अपने साथ ले जाऊँ। आशा है कि वह रगूनमे उतर जायेगी। बाकी लोगोमे प्यारेलाल, गिरधारी, सुब्बैया, महादेव और पुरुषोत्तम है। महादेव आज सुबह आया है। चूँकि पुरुषोत्तमको अब भी थोडा-बहुत कब्ज था इसलिए मैने उससे अपने साथ चलनेको कहा था। उसके साथ रहनेसे मुझे प्रार्थनामे बत्तियोकी जरूरत नही पडती। वह बिना किसी प्रकारकी सहायताके 'गीता' का पाठ करता है।

मै फिरसे अधिकाधिक बिना पका हुआ भोजन ले रहा हूँ। प्रवासके दिनोमे मैने कच्ची भाजी कटवाकर रोटीके साथ ली। इस प्रकार पकी हुई चीज सिर्फ रोटी ही थी। फल तो अब फालतू पदार्थ बनते जा रहे है। कच्ची हरी भाजी सस्ती पडती है और पूरी तरह फलोका स्थान ले रही है। बदगोभी, फूलगोभी या और किसी भी भाजीसे काम चल जाता है। जब तरकारीको कच्ची हालतमे खाया जाता है, तो बहुत थोडी मात्रासे ही जरूरत पूरी हो जाती है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी जी० एन० ९४०४ से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३४८ से भी।
सौजन्य: मीराबहन

७१. पत्र : छगनलाल जोशीको

मौनवार [४ मार्च, १९२९][1]

चि० छगनलाल,

कल शामको बड़े आरामसे कलकत्ता पहुँच गये। हमें एक पूरा डिब्बा ही दे दिया गया था। पगली रुक्मिणी हमारे साथ ही है। उसके बापने तो उम्मीद छोड दी है। लेकिन उसे छोड देनेकी मेरी हिम्मत नही हुई। महादेव अभी पहुँचा नही है। अभी सुबहके सात बजे है।

भाई जवाहरलाल नेहरूको ५०० रुपये संयुक्त प्रान्तके अकालके लिए बिडला कोषसे भेज दो। इलाहाबादमे यह पैसा कृपलानीकी मार्फत इस्तेमाल किया जायेगा।

मै देखता हूँ कि अभीसे सब लोग खादीकी कमी अनुभव कर रहे है। हम तो समुद्रमें बिन्दु-मात्र है। किन्तु जितनी ज्यादा खादी हम बना सके, उतनी बनानी चाहिए। चलालामे ज्यादा बना सके तो बनाने दे। तुम जो भेजोगे वह तो फौरन खप जायेगी।

आश्रमके सभी विभागोका काम और हिसाब ठीक-ठाक कर लो। यह जरूरी है कि हम किसी तरफसे भी भयभीत न रहे। प्रत्येक वस्तुके बारेमें निश्चय कर लेनेसे हम बहुत-सी मुसीबतोसे बचेंगे।

अपने स्वास्थ्यका खयाल रखना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च .]

पद्मावतीकी आँखें डा० हरिलालकी[2] डिस्पेन्सरीमें दिखाकर चश्मेका नम्बर ले लेना। नम्बर सीतलासहायको भेज देना। उसके अनुसार चश्मा बनवाकर वहाँ भेज देगा।

तोतारामजीकी आँखें ठीक हो गई होगी। गंगादेवीके लिए सूर्यस्नानका प्रबन्ध कर दिया होगा।

बापू

गुजराती (जी० एन० ५३९०)की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजी बर्मा जानेके लिए ३ तारीखको कलकत्ता पहुँचे थे।

२. डा० हरिलाल देसाई।

७२. पत्र : प्रभावतीको

कलकत्ता
४ मार्च, १९२९

चि० प्रभावती,

तुमारी गभराहट मुझको दु:खकर थी। अब गभराहटको छोडना है। तुमारे पाससे वडे काम तो तब ही ले सकता हु जब कही भी अकेली रख सकु।

गीताजीका अभ्यास चलता होगा। शरीरको विगडने मत दो। घी की आवश्यकता लगे तो घी लेना ही।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

राजेद्र बावु यहा है।

जी० एन० ३३३६ की फोटो-नकलसे।

७३. भाषण : कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामें[1]

४ मार्च, १९२९

काग्रेसके आदेशके अनुसार हमे विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार करना ही पडेगा। हमे न केवल ब्रिटिश वस्त्रोका बल्कि सभी विदेशी वस्त्रोका वहिष्कार करना है। केवल ब्रिटिश वस्त्रोका बहिष्कार करनेसे काम चलनेका नही। ऐसा करनेसे अन्य विदेशी वस्त्रोके साथ ब्रिटिश वस्त्र भी हिन्दुस्तान पहुँच जायेगे। इसकी जानकारी स्वदेशी आन्दोलनके समय वगाली भाइयोको अच्छी तरह हो ही चुकी है।

हिन्दुस्तान वडा ही दरिद्र देश है। हिन्दुस्तानके गरीवोको अपने साथ रखकर मै अपना वल वढाना चाहता हूँ। इसलिए मै खादीके प्रचारपर इतना जोर देता हूँ। दरिद्रोकी सेवाका महात्म्य हमे महाभारतकारने अच्छी तरह वतलाया है। वुद्धदेवने भी इसकी चर्चा की है। हिन्दुस्तानके लोग अन्न-वस्त्रके कष्टसे मरते है। भूखे हिन्दुस्तानी पेटकी ज्वालासे पीड़ित होकर अपने बच्चोतक को फेक देते हैं। खादीके प्रचारके सिवा इनका दु ख दूर करनेका दूसरा उपाय नही है। सारे भारतमे भ्रमण करनेके वाद मै इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ। इन दरिद्रोके उद्धारका दूसरा उपाय वतानेवालेके पैरपर मै अपना सिर रख दूंगा। करोडो भूखे भारतीयोके उद्धारका उपाय

१. यह सभा श्रद्धानन्द पार्कमें हुई थी।

बतानेवालोको मैं अपना गुरु मानूँगा। इस विदेशी वस्त्र बहिष्कारसे ही गरीबोका दुख दूर होगा। वस्त्र बहिष्कारका मुझे पूर्ण विश्वास है।

मैं आशा करता हूँ कि आपके बदनपर जो विदेशी वस्त्र है उन्हे आप अभी उतार कर जलानेको दे देंगे और कल कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित स्थानपर अपने घरके सभी विदेशी कपड़ोको जलानेके लिए लाकर इकट्ठा कर देंगे। अपने विदेशी वस्त्रोको आप फौरन उतार फेंके।[1]

(चूँकि महीनेकी चार तारीखको कलकत्तामें विदेशी वस्त्रोकी होली जलानेके अवसरपर दिये गये मेरे भाषण तथा अखबारोंको दिये गये मेरे वक्तव्यका महत्त्व भारत ही नही भारतके बाहर भी है और चूँकि इस भाषण तथा वक्तव्यसे बहिष्कार आन्दोलन तथा सविनय अवज्ञाकी सम्भावनाओकी व्याख्या भी होती है, इसलिए मैं अखबारोमें छपे उक्त भाषण तथा वक्तव्यको नीचे देता हूँ:)

मो० क० गांधी

मित्रो,

मैंने जो-कुछ हिन्दुस्तानीमें कहा है उसका अनुवाद करके बतानेका मेरा विचार नही है। मैं इतना ही कहना काफी समझता हूँ कि यदि हमे करोडो क्षुधाग्रस्त लोगोके लिए स्वराज्य प्राप्त करना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि हम केवल ब्रिटिश वस्त्रोका ही नही बल्कि हर विदेशी कपडेका बहिष्कार करे।

कांग्रेसने इस प्रस्तावको पिछले वर्ष स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस कार्य-समितिके कहनेपर मैंने बहिष्कारकी जो योजना प्रस्तुत की उसे स्वीकार करके कार्य-समितिने उस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। कांग्रेस कार्यसमितिने मुझसे इस बहिष्कार-योजनाको कार्यान्वित करनेका भार उठानेको कहा। मेरे देशवासियो, मुझे आपपर विश्वास है, मुझे ईश्वरपर विश्वास है। अपने उद्देश्यके बिलकुल सही होनेका मुझे पक्का विश्वास है, और इसलिए मैंने काँपते मनसे और डरते हुए, लेकिन पूरी आशाके साथ, इस भारको उठाना स्वीकार कर लिया है और अब आपसे कहता हूँ कि आप इस भारको उठानेमे मेरी मदद करे। यह सभा मैंने नही बुलाई है। यह सभा आपने बुलाई है और यहाँ जो-कुछ होनेवाला है उसके बारेमें अच्छी तरह जानते हुए आप यहाँ आये है। मैं आशा करता हूँ कि यह इस बातका संकेत है कि आप मेरे भारको अपने कन्धोंपर लेकर उसे हल्का करनेके लिए कृतनिश्चय है। खादीके जरिए विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेका क्या परिणाम होगा, वह ठीक है या नही, मैं इस बहसमे नही पडना चाहता। याद रखिए कि बहिष्कार योजनामें इसी प्रस्तावका प्रतिपादन किया गया है। कार्यसमिति मेरी योजनाको स्वीकार करनेसे पहले मुझसे बात करके अपनी तसल्ली करना चाहती थी। समितिकी बैठक चार घंटेतक चली और मुझसे जिरह करनेके बाद अन्तमे उसे पूरा इतमीनान हो गया कि यदि हमें इस कार्यक्रमको इसी वर्ष पूरा करना है और सारे

१. आरम्भके तीन अनुच्छेदोंमें गांधीजीके हिन्दी भाषणकी रिपोर्ट है जो आजसे ली गई है। इसके बाद उनके अंग्रेजी भाषणका जिसकी रिपोर्ट यंग इंडियामें छपी थी, अनुवाद दिया जा रहा है।

देशको अगले वर्ष पहली जनवरीकी सुवह स्वतन्त्रताका सूर्योदय देखना है तो यही एक चीज है जो हम सम्भवत. कर सकते है। यदि हमे अपना उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसके लिए यह कार्यक्रम ही एक कारगर कार्यक्रम है। इसलिए मै चाहता हूँ कि आप अपने प्रति और इस कार्यक्रमके प्रति वफादार और सच्चे रहे। इस ढगकी सभाओमे तमाशबीनोके रूपमे इकट्ठा होने, तालियाँ बजाने और फिर इन सभाओमे जो-कुछ किया जाये उसके बारेमे सब-कुछ भूल जानेके लिए ही शामिल होकर अपनेको और अपने देशको अब और धोखा मत दीजिए। मै चाहता हूँ कि आप जो-कुछ भी कहे उसके एक-एक शब्दको कार्यान्वित करे। मै चाहता हूँ कि आप मेरे सामने नही बल्कि अपने ईश्वरके सामने यह शपथ ले कि अब आगेसे आप विदेशी कपडोका इस्तेमाल नही करेगे, आपके पास जो भी विदेशी कपडे है उन्हे आप त्याग देंगे, उन कपडोको आप छूतहे कपड़ोकी तरह जला डालेगे — उसी प्रकार जिस प्रकार कि कोई शराबी व्यक्ति एक दिन सहसा शराब छोडनेका निश्चय करने पर अपनी आलमारी खाली करके अपने पास रखो शराबकी सब बोतलोको तोडकर फेक देता है, भले ही इसमे उसकी कितनी ही हानि क्यो न हो। आप अपने देशकी स्वतन्त्रता और सम्मानके लिए बडीसे-बडी कीमत चुकानेको तैयार रहे।

लेकिन इसमे एक बाधा भी है। मैने प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके मन्त्रीके ऊपर तामील की गई एक नोटिस देखी है, जिसमे कुछ इस ढगकी बात कही गई है कि इस सभामे कपडे जलानेकी कोई घटना नही होनी चाहिए, क्योकि पुलिस अधिनियम या पुलिस विनियमोके अन्तर्गत ऐसा करना अपराध है। उक्त अधिनियमकी धारामे इस आशयकी बात कही गई है कि किसी सार्वजनिक सडक या आम रास्तेपर घास-फूस या ऐसी ही चीजे नही जलाई जा सकती। मै अपने दिमागपर बहुत जोर देता रहा हूँ कि इस पार्कको आम रास्ता कहा जाये या न कहा जाये। दो वकीलोने इस प्रश्नपर बैठकर विचार किया — मै अपनेको वकोल नही गिनता, मै वकीलोकी सस्थामे से निकाल दिया गया हूँ — और उन दोनो वकीलोने आपसमे सलाह करके मुझे बताया कि शब्दके अर्थकी कितनी ही खीचतान करनेके बाद भी इस पार्कको आम रास्ता नही कहा जा सकता। उन्होने मेरा ध्यान अधिनियमके एक दूसरे खण्डकी ओर दिलाया जिसमे सार्वजनिक सडक, आम रास्ता और सार्वजनिक मैदानका भी उल्लेख है। खण्डमे सार्वजनिक मैदानका उल्लेख खास तौरसे छोड दिया गया है। इस पार्कको एक सार्वजनिक मैदान कहनेकी बात तो मै समझ सकता हूँ।

ऐसी परिस्थितिमे, मै करूँ तो क्या करूँ? मै ऐसा मानता हूँ कि इस नोटिसकी तामील खुद मुझ अदना आदमीके ऊपर की गई है। मै इस कानूनके परिणामोसे बचना नही चाहता। लेकिन आज मै आपके सामने कानूनका सविनय उल्लंघन करने-वालेके रूपमे नही आया, मै आपके सामने सविनय अवज्ञा करनेवालेके रूपमें नही आया, और मै ऐसा नही चाहता कि आप इस समय किसी कानूनको भग करे। मेरी नैतिक भावनाको जिन कानूनोसे चोट पहुँचे ऐसे सभी कानूनोको तोडनेकी मुझमें क्षमता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा करनेका समय अभी नही आया है, यह समय कल ही आ सकता है, लेकिन आज उसका समय नही है। तथापि मुझे आपके सामने एक सार्व-

जनिक कर्त्तव्यको पूरा करना है और इस कानूनका जो अर्थ मुझे बताया गया है या इसका जो अर्थ मै लगाता हूँ उसके हिसाबसे मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीके ऊपर तामील की गई नोटिस खुद मेरे ही ऊपर तामील की गई मानी जाये तो इस नोटिसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नही पड़ता। अगर मुझे इसी अदालतके सामने ले जाया गया तो मै यह स्पष्ट वचन देता हूँ कि मैं यह दलील नहीं रखूंगा कि यह नोटिस तो मुझपर तामील नही की गई थी। मेरा कहना है कि यह पार्क आम रास्ता नही है। मैं यह भी कहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नही कर रहा हूँ जो खतरनाक हो। यह बात सभी जानते है कि यह चीज कांग्रेसकी, बल्कि कहे कि कार्यसमितिकी सुनिश्चित नीति है। कार्यसमितिको इस मामलेमे अपने कर्त्तव्यको पूरा करना है। मैं कार्यसमितिका एक सदस्य हूँ, मै बहिष्कार समितिका अध्यक्ष हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा इस कामसे पीछे हटना और कानूनी कार्रवाईसे बचनेकी कोशिश करना अपने कर्त्तव्यसे भागना होगा।

अगर मुझे जाने दिया गया तो मै कल यहाँसे चला जाऊँगा और एक सार्वजनिक पार्कमें, जिसके बारेमे मेरा दावा है कि वह आम रास्ता नही है, विदेशी कपडोंकी होली जलानेके आरोपमे अपने खिलाफ चलाये गये मुकदमेमे हाजिर होनेके लिए इस महीनेकी २५ या २६ तारीखको लौटूंगा। यही वह महत्त्वपूर्ण बात है जो मै आपके सामने कहना चाहता था। होली आप नही जला रहे है, आग लगानेका काम मैं कर रहा हूँ, और इसकी सारी जिम्मेदारी केवल मेरी होगी। दर्शक-मात्र होनेके कारण आपका कोई नुकसान नही होता — मै तो चाहता हूँ कि आप भी बचने न पाये। लेकिन आज यह आन्दोलन सविनय प्रतिरोधका आन्दोलन नही बल्कि बहिष्कारका, विदेशी कपडोके जोरदार बहिष्कारका आन्दोलन है जिसे जबतक सम्भव होगा, कानूनकी मर्यादाओके अन्दर रहते हुए ही चलाना है। मैं आज यह नही चाहता कि आप इस प्रकारके कानूनोको जाने या अनजाने तोड़नेका अपराध करे, भले ही ये कानून कैसे ही हों। यदि आप कार्य-समितिके निर्देशोका पालन करेगे तो उचित समय आनेपर हमको देशके कुछ कानूनों अथवा सभी अनैतिक कानूनोको तोडनेका मौका मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इसका समय अभी नही आया है। मैं उसके लिए कोई जल्दबाजी नही करना चाहता और न समय आनेसे पहले ही कुछ करना चाहता हूँ। और यदि सरकार ठीक रास्तेपर चलेगी, यदि पुलिस ठीक रास्तेपर चलेगी तो मै यह वचन देता हूँ कि सविनय अवज्ञा करनेका अवसर ही नही आयेगा, यहाँतक कि कर-बन्दी आन्दोलन, जो कि सविनय अवज्ञाका ही एक अग है, की भी जरूरत नही पड़ेगी और हम सरकारसे समझौता कर सकेंगे। आप विश्वास कीजिए कि मैं संघर्ष बचानेकी पूरी चेष्टा करूँगा। मेरे कन्धोपर जो जिम्मेदारी है उसके पूरे एहसासके साथ मै यह बात जानता हूँ कि इस विशाल देशमें — ऐसे देशमे जहाँकी जनता अनुशासनविहीन है — सविनय अवज्ञा और कर-बन्दी आन्दोलनके क्या जबर्दस्त परिणाम होगे, लेकिन मेरे जैसे व्यक्तिको, जो स्वतन्त्रताके पीछे दीवाना है, जो स्वतन्त्रताका भूखा है — और स्वतन्त्रताकी सच्ची भूख रोटीकी भूखसे कही अधिक दुःसह और कष्टकर होती है — इस अमूल्य स्वतन्त्रताको प्राप्त

करनेके लिए जबर्दस्त जोखिम उठानी पड़ती है, अपना सब-कुछ दावपर लगाना पड़ता है। और चूँकि मैं उस स्वतन्त्रताका भूखा हूँ, चूँकि मैं चाहता हूँ कि मृत्युके द्वारपर पहुँच कर भी मैं अन्तिम साँस लेनेसे पहले स्वराज्य देख लूँ, इसीलिए मैं वे तमाम जोखिम उठाना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं हर प्रकारकी सावधानी बरतना चाहता हूँ, और इसलिए मैं सरकारको समझानेकी कोशिश करूँगा, उससे होशमें आनेको कहूँगा।

लेकिन यदि आप मेरी सहायता-भर करेंगे तो हम न केवल इन सब जोखिमोंको टाल सकेंगे बल्कि आगामी ३१ दिसम्बरसे पहले ही स्वतन्त्रताका सूर्य उदित होते हुए देखेंगे।

यदि [आप सच्चे रहेंगे,][1] और आपके सामने समय-समयपर जो कार्यक्रम रखा जाये उसे ईमानदारीसे, निष्ठापूर्वक और पूरी तरह कार्यान्वित करेंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कोई जोखिमका कदम उठानेकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार करना कोई जोखिमका काम है? क्या कांग्रेसको संगठित और व्यवस्थित करना जोखिमका काम है? क्या हजारोंकी संख्यामें लोगोंको कांग्रेसका सदस्य बनाना या [अमीरों और गरीबों द्वारा] केवल खादीका ही प्रयोग करना कोई जोखिमका काम है? यदि आप सोचते हों कि ये काम कोई बड़े दुस्साहसके काम हैं तो मैं ईमानदारीसे आपको बता सकता हूँ कि आप जानते ही नहीं कि साहसिक कार्य क्या होते हैं, साहसिक कार्य इससे कहीं अधिक कठिन होते हैं। ऐसा मत मान बैठिये कि आपके सामने जो कार्यक्रम है, उसको पूरा करनेके लिए किसी साहसिक प्रयत्नकी जरूरत है। आपके सामने यह आसान कार्यक्रम रखनेका सीधा-सादा कारण यह है कि आपका संख्याबल आपके विरोधीकी तुलनामें कई गुना ज्यादा है — उसकी संख्या एक लाख है और आप कई करोड़ हैं।

यदि हम किसी सम्मोहनके वशमें न होते अथवा यदि हम निष्क्रियताके शिकार न होते और हममें आत्म-विश्वासका अभाव न होता तो हमें स्वतन्त्रताकी सांस लेना एक अत्यन्त स्वाभाविक चीज लगती, जो कि हमारा अधिकार है। यदि हम इस सम्मोहनमें न पड़े होते तो हमें संघर्षकी इन आसान अवस्थाओंसे भी गुजरनेकी जरूरत न पड़ती। [आप इन चीजोंको इस वर्ष प्रयत्न करके पूरा कीजिए और फिर मुझसे आकर पूछिए, "स्वराज्य कहाँ है?" आपको मेरे पास आनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे अपनी मुट्ठीमें पायेंगे। आपके करोड़ों देशवासी आपपर मुस्कानें बिखेरेंगे। उनकी वास्तविक शिकायतोंको समझकर उन शिकायतोंको दूर करानेके लिए आप उनकी तरफसे लड़ेंगे तो वे आपको आशीर्वाद देंगे। इसीलिए मैं आपसे यह सब करनेको कहता हूँ।

मुझे आपमें भरोसा है। पुलिस कमिश्नरकी इस नोटिसने मुझे अधिकारियोंसे अपनी अपील करनेका अवसर प्रदान किया है। मैं यहाँ जोखिम उठानेके लिए आया हूँ। जो कपड़े मुझे सौंपे गये हैं, मेरा निश्चय उनको जला देनेका है, और यह

१. बड़े कोष्ठकोंमें दिये गये अंश अमृतबाजार पत्रिका, ५-३-१९२९ और हिन्दुस्तान टाइम्स, ७-३-१९२९ से लिये गये हैं।

पवित्र कार्य मैं सम्पन्न करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने सब कपड़े यहाँ मंचपर मेरे पास फेंक दें। कोई शोर न करे।]

इस अनुष्ठानमें यदि आप चाहते हों कि मैं भाग लूँ तो आप कोई शारीरिक हिंसाका प्रयोग न करें। मैं अहिंसाका समर्थक हूँ — वह मेरा सिद्धान्त है। मैं अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका अन्य कोई रास्ता खुला नहीं देखता। [मेरे इस सिद्धान्तके बावजूद जबतक आप चाहते हो कि मैं इस आन्दोलनमें शामिल रहूँ तबतक मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अहिंसाके नियमका पालन करें और आप देखेंगे कि आपने अच्छा ही किया है।]

कपड़ोंकी होली जलानेके इस कृत्यकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे कन्धोंपर है। कृपया यह भी स्मरण रखें कि हम सभी विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार चाहते हैं, केवल ब्रिटेनमें बने कपड़ोंका ही नहीं। इस मामलेमें आपके मनमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग इस योजनाके लिए जिम्मेदार हैं उन्होंने बिना विचारे कुछ नहीं किया है। उन्होंने विदेशी कपड़े बनाम ब्रिटिश कपड़ेके सवालपर गहराईसे विचार किया और इस निष्कर्षपर पहुँचे कि सभी विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार करना उचित है। मैं भारतीय मिलोंके सवालपर विचार नहीं करना चाहता। यदि आप खादीकी चिन्ता करेंगे तो मिलें अपनी चिन्ता आप कर लेंगी। [अन्यथा ये मिलें आपके गलेमें फंदे जैसी साबित होंगी।][1]

[अंग्रेजीसे]

आज, ८-३-१९२९ और यंग इंडिया, १४-३-१९२९

७४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

[५ मार्च, १९२९][2]

पुलिसने अनुचित और सर्वथा अनावश्यक रूपसे जो हस्तक्षेप किया, विशेषकर विदेशी कपड़ोंको जलानेसे सम्बन्धित मेरे भाषणके बाद, उससे मुझे दुख और आश्चर्य हुआ है। मैंने पुलिस कमिश्नरका लिहाज करके अपने सिद्धान्तके विरुद्ध अपना भाषण, जिस हदतक उसका सम्बन्ध कपड़े जलानेकी घटनासे था, अंग्रेजीमें दिया था।

मेरे इस स्पष्ट वक्तव्यके बाद, कि हम सविनय अवज्ञा करके कोई कानून नहीं तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिनियमकी सम्बन्धित धाराकी जो व्याख्या की गई है उसे हम स्वीकार नहीं करते, मुझे पूरी आशा थी कि कपड़ोंको जलानेके काममें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दुनियाके विभिन्न देशोंमें लागू पुलिस अधिनियमोंका थोड़ा-बहुत अनुभव मुझे है। जबतक कि कोई आसन्न और गम्भीर खतरा न हो तबतक पुलिस जनताके कार्योंमें कभी हस्तक्षेप नहीं करती, भले ही ये कार्य नियमों और विनियमोंका उल्लंघन ही क्यों न करते हों। वहाँ पुलिस ऐसा करनेवालोंको अदालतके सामने पेश

१. भाषणके बाद विदेशी कपड़ोंकी होली जलाई गई। शीघ्र ही पुलिस घटनास्थलपर आ गई और उसने आग बुझा दी। देखिए अगला शीर्षक भी।

२. यह वक्तव्य इस तारीखको रातको ढाई बजे जारी किया गया था।

करती है, और यह करना उस पुलिसके लिए अत्यन्त स्वाभाविक चीज भी है, क्योंकि वह अपनी मर्यादाओंको पहचानती है और इसीलिए कानूनको अपने हाथमें लेनेकी जगह अदालतकी मार्फत कानून-भंगके मामलोको तय कराती है। पुलिस जानती है कि आज रात कोई फौरी खतरा नही मंडरा रहा था, गम्भीर खतरा तो निश्चय ही नही था। भीड बिलकुल शान्त थी और प्रदर्शनका सारा दायित्व जिम्मेदार लोगोके हाथोमे था। पुलिसको मालूम था कि यह प्रदर्शन एक विशाल जन-आन्दोलनका अग है और इतना ही नही मै स्वय उनको स्पष्टसे-स्पष्ट शब्दोमें आश्वस्त कर चुका था। कपडे जलानेका कार्यक्रम भी वास्तवमे सम्पन्न हो चुका था और मुझे पूरा विश्वास था कि पुलिस तो वहाँ महज निगरानीके लिए है। लेकिन एकाएक मैंने देखा कि पुलिसके सिपाही आगके चारो ओर खडी भीडको अपनी बडी-बडी लाठियोसे खदेडने और लाठियाँ पीट-पीट कर आग बुझाने लगे।

इसके बाद जो-कुछ हुआ उसका वर्णन करनेकी जरूरत नही। दोस्तोसे घिरा होनेके कारण मेरे चारो तरफ जो-कुछ हो रहा था वह सब तो मै देख नही सका, लेकिन इतना मैंने देखा कि एक स्थिति ऐसी आई जब पुलिसने भीडपर अपने डंडोका प्रयोग शुरू कर दिया। बादमे मुझे सर चार्ल्स टेगार्डसे पता चला कि पथ-रावके कारण कुछ कास्टेबिलोको थोडी-बहुत गम्भीर चोटे आ गई थी। इसका मुझे दुख है। मुझे अपने मित्रोसे पता चला है कि जनताके कुछ आदमी भी कमोवेश गम्भीर रूपसे घायल हुए हैं।

बस थोडी ही सूझ-बूझ और थोडी सहिष्णुता दिखानेसे, ससारके सभी देशोमे सभ्य पुलिस द्वारा बनाई गई परम्पराका पालन करनेसे इस सारी दुर्घटनाको टाला जा सकता था। हाँ, यदि विदेशी कपडोके जलानेके प्रश्नको लेकर अदालतमे मुकदमा दायर किया गया होता, उसमें पुलिस अधिनियमकी समुचित व्याख्या की गई होती और फिर यदि उक्त अधिनियमकी किसी अदालत द्वारा की गई व्याख्याकी अवहेलना करते हुए हमने अपने सविनय अवज्ञाके कार्यक्रमके दौरान या अन्य किसी प्रसगमे विदेशी कपडोकी होली जलानेकी चेष्टा की होती, तो उस समय पुलिसके हस्तक्षेपकी बात मै ठीक मान सकता था।

हालाँकि पुलिसने सार्वजनिक प्रदर्शनमें जैसा कि मै बता चुका हूँ उस प्रकार मनमाने ढगसे हस्तक्षेप किया था फिर भी मुझे खुशी है कि वे मुझपर तथा उन लोगोपर मुकदमा चलाने जा रहे है जिन्होने होली जलानेमें भाग लिया था।[1] मै इसे पुलिस

१. ४ मार्चको लगभग ११. १५ बजे दिनमें गांधीजीको असिस्टेंट पुलिस कमिश्नरने सूचित किया कि उन्हें ५ मार्चको सुबह १० बजे चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटके सामने उपस्थित होना है, और इसकी स्वीकृति-स्वरूप उनसे एक वचन-पत्रपर हस्ताक्षर करनेको कहा गया। गांधीजीने कहा कि मैं "मंगलवारको अदालतमें हाजिर होनेके लिए किसी ऐसे वचन-पत्रपर हस्ताक्षर नहीं कर सकता क्योंकि यह पहले ही तय हो चुका कि मैं उस दिन बर्माके लिए रवाना हो जाऊँगा। . . . मैं बर्मामें प्रतीक्षा कर रहे हजारों व्यक्तियोंको निराश नही कर सकता। वहाँ जानेसे रोकनेकी जिम्मेदारी पुलिस चाहे तो अपने ऊपर ले सकती है। यदि पुलिस चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर सकती है।" बादमें ५ तारीखकी सुबह गांधीजीने ५० रुपयेका मुचलका दे दिया।

कमिश्नरका सौजन्य मानता हूँ कि उन्होंने मुकदमेकी सुनवाई कल ही करनेका आग्रह नहीं किया और मेरे बर्मासे लौट आनेतक उसे रोक दिया है। उनका यह आशा करना उचित ही था कि जबतक इस मामलेका फैसला न हो जाये तबतक मैं वचन दूँ कि कलकत्तेके सार्वजनिक मैदानोंमें विदेशी कपडोंकी होली नहीं जलाई जायेगी। स्थानीय कांग्रेसी मित्रोंके साथ सलाह करनेके बाद मैंने यह वचन पहले ही दे दिया है और मैं आशा करता हूँ कि जनता इस वचनका ईमानदारीसे पालन करेगी।

तथापि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसके अर्थ बहिष्कारके सिलसिलेमें प्रदर्शन करना, विदेशी कपड़ोंको इकट्ठा करना या उनकी होली जलाना भी कदापि नहीं है। इस वचनका मर्म इतना ही है कि पुलिस अधिनियमके इस खण्ड विशेषकी अधिकृत व्याख्या न हो जानेतक कलकत्ताके सार्वजनिक मैदानोंमें और स्वभावत. सार्वजनिक सडकोंपर कपड़ोंकी होली नहीं जलाई जायेगी। लेकिन जब भी जरूरी माना जायेगा, और जब भी कांग्रेसके अधिकारी वैसा निर्णय करेंगे, तब वे इकट्ठा किये गये विदेशी कपड़ेको निजी स्थानोंपर या ऐसे स्थानोंपर जलानेमें नहीं हिचकेंगे जो उक्त खण्डकी पुलिस द्वारा की गई व्याख्याके अन्तर्गत नहीं आते।

श्रद्धानन्द पार्कमें आयोजित प्रदर्शनमें पुलिस द्वारा अनुचित और अनावश्यक हस्तक्षेप करनेके बाद भी यदि सभी लोग विदेशी कपडेका त्याग न कर दें और बहिष्कारको पूर्णत सफल न बना दें तो मुझे वास्तवमें ताज्जुब होगा। पुलिस-हस्तक्षेपका सबसे कारगर जवाब यह होगा कि नगरेतर क्षेत्रोंमें रहनेवाले लोग और अन्य प्रान्तोंके लोग जो भी विदेशी कपडा उपलब्ध हो उसे इकट्ठा करके आगमें झोंक दें। विदेशी कपड़ोंको जलानेके प्रश्नपर मैंने काफी गहराईसे चिन्तन किया है। मैं जानता हूँ कि कुछ मित्र मुझसे भिन्न राय रखते हैं, किन्तु यदि यह बात सत्य है कि विदेशी कपडोंका आयात हमारे देशके साधनोंको यहाँसे बाहर ले जानेका सबसे बड़ा साधन है और इसके कारण करोडों क्षुधा-ग्रस्त लोग विवश होकर कंगालीका जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब यह विदेशी कपडा, जिसमें ऐसे विषैले कीटाणु लगे हुए हों, इसी लायक है कि उसे नष्ट कर दिया जाये।

[अंग्रेजीसे]

फॉरवर्ड, ५-३-१९२९ और यंग इंडिया, १४-३-१९२९

७५. अग्नि-संस्कारका धर्म

[५ मार्च, १९२९][1]

ठीक १७ मार्चको यह लेख पाठकोके हाथमे होगा। मै इसे कलकत्तासे रगून जाते हुए जहाजमे बैठे-बैठे लिख रहा हूँ। अत. श्रद्धानन्द पार्कमे ४ मार्चके दिन जो-कुछ हुआ उसका दृश्य अभी भी मेरी आँखोके सामने खड़ा है। आशा है कि जो आग उस दिन उस पार्कमें सुलगी है वह लाखो सिपाहियोकी लाठियोसे भी नही बुझ सकेगी।[2]

क्योकि धर्म किसीके मिटाये मिट नही सकता। एक बात मनुष्यके हृदयमे प्रकट होनेके बाद उसके शरीरके नष्ट होनेपर भी उसका नाश नही होता। दुनियाके अवतारों, पैगम्बरो, सन्तो, औलियाओने जिस धर्माग्निको सुलगाया था वह उनके शरीरके न रहनेपर भी आजतक सुलग रही है।

लेकिन कहनेवाले कहेगे, कपडा जलाना भी कोई धर्म है? मेरी नम्र सम्मतिमे कपडा जलानेका यह धर्म एक ऐसा धर्म है, जो सिद्ध किया जा सकता है। जिस देहमे प्राण नही रहता उसे तो हम जला डालते है या दफन कर देते है। जो चीज छूत लगनेके कारण दूषित हो जाती है उसे भी हम जला देते हैं। जिसे शराब छोडने लायक मालूम होती है, वह उसे छोड देता है। और फिर शराब चाहे जितनी कीमती हो तो भी, जिस चीजको वह स्वयं पापपूर्ण समझकर छोड चुका है, उसे दूसरोके हाथो बेचकर वह पापका भागी नही बनेगा। जो चीज किसी सक्रामक बीमारीके कारण कीटाणुयुक्त हो गई हो वह भी जला दी जाती है, उसे जलाना धर्म माना गया है। जिस समय जोहानिसबर्गमे महामारीका प्रकोप शुरू हुआ तो वहाँकी नगरपालिकाने बिना किसी झिझक और दुखके शहरके बाजारके कीमती मकान और दुकानोमे भरी हुई मेवा वगैरा बहुमूल्य चीजे देखते-देखते जलवा डाली, उन्हे जलाना ही उसने अपना धर्म समझा। इन सब चीजोको जलानेकी जरूरतके बारेमे मतभेद हो सकता है, लेकिन जो ऐसे काम करनेकी जरूरतको महसूस करता है, उसके विरोधी भी इस बातको मंजूर करेगे कि उसके लिए तो अग्नि-सस्कार जैसे धर्म ही बन जाता है।

इसी तरह मेरी नम्र रायमें हरएक भारतवासीका यह धर्म है कि वह अपने विदेशी कपडे जलाये और मै मानता हूँ कि कलकत्ताकी पुलिसके उस उद्धत और क्रूरतापूर्ण बरतावके बादसे इस धर्ममें दुगुना जोर आ गया है। जिन्हे इस घटनाके पहले विदेशी कपडे जलानेकी जरूरतके बारेमे कुछ शका थी, इस घटनाके बाद उन्हे बिलकुल ही शका नही करनी चाहिए।

१. गांधीजी ५ मार्चको सुबह रंगूनके लिए रवाना हुए थे।

२. पुलिसने विदेशी कपडोंकी होलीको उस दिन लाठियोंसे पीट-पीटकर बुझानेका प्रयत्न किया था और इस प्रकार जनताको उत्तेजित करके लोगोंपर भी लाठियाँ चलाई थीं।

जिस विदेशी वस्त्रने हमारे देशको कंगाल बनाया है, जो हर साल हमारे देशसे ६० करोड़से भी ज्यादा रुपया विदेशोमे खीच ले जाता है, उस विदेशी कपडेका बहिष्कार करना हमारा धर्म है; इस बारेमें तो किसीको शंका नही है। अगर यह बात सच है तो फिर बहिष्कृत कपड़ेका सिवा जलानेके और क्या किया जा सकता है? कुछ लोग कहते है, उसे गरीबोको दे डालो। इस तरहके विचार रखनेवाले यह नही देख पाते कि अपने इन विचारोके कारण वे गरीबोका और स्वय अपना निरादर करते है। गरीबोको अपनेसे कम समझना उनका अपमान करना है, और गरीबोको नीचे दर्जेका समझ कर खुद नीचे दर्जेका बनना है, स्वयं अपनी अवगणना करना है। क्या गरीब स्वाभिमानी नही होते? क्या उन्हे स्वराज्य नही चाहिए? जिस चीजको हम छूत-भरी वस्तु समझे, उसीको किसी दूसरेके हाथो किस तरह सौप सकते है? गरीबोको जूठन देनेकी ओछी वृत्ति तो आज हममे है ही। क्या इसी ओछी वृत्तिको बहिष्कृत कपड़े गरीबोमें बाँटकर हम और बढ़ाये, उसे उत्तेजन दे?

इन कपड़ोके बारेमे हम थोडा विचार करे। आजतक जो कपडे मैने जलाये है, उनमे रूमाल, मैली या अच्छी काली टोपियाँ, नेकटाई, कालर, मोजे, महीन कुर्ते, वास्कट और महीन साड़ियाँ आदि होते है। इनमे की कौन-सी चीजे गरीबोंको दी जाये? गरीबोमें उन्हे पहननेका शौक पैदा करना कितनी अजीब बात होगी? इस तरहके कार्यसे हम विदेशी वस्त्रके बहिष्कारको कबतक और कैसे सफल बना सकेंगे?

और आखिर श्रद्धानन्द पार्कमे उस दिन जो-कुछ हुआ उसके बाद तो विदेशी कपडेको जलानेके औचित्यके बारेमे किसीके मनमें शंकाका लेश भी नही बचना चाहिए। पुलिसको मैने पहले ही चेता दिया था कि विदेशी कपडे जलानेके सिलसिलेमें मेरा इरादा किसी कानूनको तोडनेका नही था। जब वकीलोने भी यह राय दी कि शासनने जिस कानूनकी धाराके मुताबिक कपडे न जलानेका आदेश दिया है और उस धाराका पुलिसने जो अर्थ लगाया है वह ठीक नही है, मैने उसके बाद ही उस पार्कमे कपड़े जलानेका निश्चय किया था। इतना होते हुए भी जब पुलिसने विशेषत. लोगोको चिढ़ानेकी दृष्टिसे आग बुझानेका असफल प्रयत्न किया, तो लोगोमें जोश फैल गया और उन्होने पार्कमे जगह-जगह कपडे जलाने शुरू किये; और इसी सिलसिलेमे पुलिस और जनताके बीच थोडी मार-पीट भी हो गई। पुलिसकी इतनी मनमानीके बाद भी अगर देशके घर-घर और गाँव-गाँवमे विदेशी कपडोकी आग न जले तो मेरी रायमे इससे देशकी हर तरह नाक कटेगी। पुलिसकी इस करतूतके बाद बहिष्कारकी सफलताके बारेमे जहाँ लोगोको अविश्वास था वहाँ अब उनमें आशाका उदय होना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-३-१९२९

७६. पत्र : छगनलाल जोशीको

मगलवार [५ मार्च, १९२९]

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। कलकत्तामे मेरे आराम कर पानेका सवाल ही नही था। आज लगभग दो बजेके करीब सोने जा पाया। यह पत्र ५ तारीखको स्टीमर परसे लिख रहा हूँ। कलकत्ताकी बातोका पूरा हवाला तो महादेवने 'नवजीवन'मे दिया है।

यशोदाबहनसे आग्रह करके तुमने ठीक ही किया है। जहाँ धर्म क्या है इस विषयमे कोई शका न हो वहाँ कठोर बन जानेमे कोई बुराई नही है। कठोर बनना ही ठीक है। उसके बालोके बारेमे तो मैने मजाक ही किया था। सबसे कहा था कि यदि रुक्मिणी घबराये तो और सभीको अपने बाल दे देनेके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे काममे मन्त्रीका समय तो लगेगा ही। समय व्यर्थ गया ऐसा न मानना।

उद्योग-प्रशिक्षण-शाला (टेक्निकल स्कूल) की व्यवस्था एक वर्षके लिए हुई हो तो भी ठीक है। उसका कारण अविश्वास नही, जमनालालकी सावधानी है। यदि उसका कारण अविश्वास हो तो भी तुम्हारे लिए चिन्ताकी कोई बात नही है।

सदेहशीलता और अधीरताके सिवा तुममे मैने और कोई दोष नही देखे। ये दोनो बाते कुछ समयके बाद चली जायेंगी, क्योकि मैंने तुम्हे देखते ही अनुभव किया था कि तुम प्रयत्नशील और सरल प्रकृतिके हो। तुम्हारी सफलताके विषयमें मुझे शका नही है।

हम २४को कलकत्ता वापस पहुँच जायेंगे, यह निश्चित है। मामलेकी सुनवाई २६को है। उसी दिन अहमदाबादकी गाडी लेनेका इरादा है। फिर जो हो सो ठीक है। 'न जाने जानकीनाथ. प्रात काले किं भविष्यति'— कलकत्तामे जो-कुछ हुआ उसकी खबर किसे थी?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

ऊपर जो लिखा है उससे तुम देखोगे कि मै आश्रम २८की रात या २९ तारीखको सुबह पहुँच पाऊँगा। उसी दिन रातको काठियावाड़ जाना होगा।

बापू

गुजराती (जी० एन० ५५६४) की फोटो-नकलसे।

७७. पत्र : रामनारायण पाठकको

६ मार्च, १९२९

भाई रामनारायण,

आज रंगून जाते हुए ही तुम्हारे पत्रका उत्तर दे पा रहा हूँ। किसानोके पाससे चन्दा इकट्ठा करना भी एक कला है। इस कलाको जाननेवाले सेवक हमारे यहाँ कम ही हुए हैं। फिर किसानोके पाससे धन जमा करनेसे पहले उन्हे धन देना जरूरी है। साहूकारोंको तो चन्दा देना ही चाहिए। यही दलील आश्रमपर भी लागू होती है। फिलहाल तो साहूकारोंके सम्पर्कमे आये, उनका मन पिघलाये और उनसे जो कुछ भी प्राप्त हो वह ले। इसमें सारा मध्यम वर्ग आ जाता है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

भाई रामनारायण
आश्रम, छाया
बरास्ता पोरबन्दर (काठियावाड)

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७८५) से।
सौजन्य . रामनारायण पाठक

७८. पत्र : मथुरादास पुरुषोत्तमको

६ मार्च, १९२९

चि० मथुरादास,

तुम्हारे पत्रका 'नवजीवन' में उपयोग किया था; किन्तु तुम्हें पत्र लिखनेका इरादा था। अब रगून जाते हुए ही ऐसा कर पा रहा हूँ।

तुम्हारा पत्र आये हुए कोई तीन महीने हो गये है । इस बीच तो तुम्हारे व्रतकी और भी अच्छी तरह कसौटी हो गई होगी। मुझे सब हाल खोलकर लिखना। मुझे हर समय लगता है कि इस व्रतके पालनके लिए सतत जागृत रहनेकी आवश्यकता है। दूसरे सयमोके पालनमे हम तनिक भी ढीले पडे तो उसका असर ब्रह्मचर्य पालनपर पडता है । कही सारी इन्द्रियोंका काम किसी एक ही इन्द्रियका दास बनकर रहना तो नही है। क्योकि वे बरतती तो कुछ ऐसे ही है। इसलिए हमें इन्द्रियोको इस दासताके बन्धनसे छुड़ाना है। ऐसा करनेसे काम-वासना निराधार और दीन बनकर रह जाती है।

आँखके रोहे कटवा लिए होंगे; यदि रोहे सचमुच नष्ट हो गये होगे तो उससे आँखको भी लाभ होगा।

वहाँ खादीकी प्रगति कैसी है इसका समाचार दिया करो। देखता हूँ कि दर्जी सम्बन्धी तुम्हारे सुझावसे बहुत-कुछ हो सकता है। किन्तु उसमे भी लोगोमे प्राण फूंकनेके लिए एक मनुष्यको तो खपना ही पडेगा। कई पत्र मेरे पास आये तो है किन्तु मै उनका उपयोग किस प्रकार कर सकता हूँ?

मै इस मासके अन्तमें आश्रम लौटूंगा; और उसके साथ ही आन्ध्रकी यात्रा शुरू हो जायेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३७२९) की फोटो-नकलसे।

७९. आगामी आन्ध्र-यात्रा

मेरे कावूसे वाहरकी परिस्थितियोके कारण आन्ध्र देशके मित्रोको जो बार-बार निराश होना पडा है, आशा है, इसके लिए वे मुझे क्षमा कर देंगे। अगर हो सकता तो मै खुशी-खुशी इससे पहले ही आन्ध्र देशकी यात्रा कर लेता। अब मै अगले महीनेकी शुरुआतमे आन्ध्र पहुँचनेकी आशा रखता हूँ। अभीसे जो कार्यक्रम तय हो चुका है वह पहली अप्रैलको काठियावाडमें समाप्त हो जायेगा। मै एक या दो दिन उद्योग मन्दिरमे ठहरूँगा और शीघ्र ही वहाँसे आन्ध्रके लिए चल दूंगा। इस हिसाबसे मै करीब ५ या ६ अप्रैलको वम्बईसे आन्ध्रके लिए रवाना हो जाऊँगा। १४ मईको इलाहाबादमे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी वैठक है, जिसमे मेरा हाजिर रहना जरूरी है। इस कारण आन्ध्रमे मुझे एक महीनेसे कुछ ही ज्यादा समय मिलेगा। मै चाहता तो था कि मुझे इस कामके लिए अधिक समय मिलता, लेकिन लाचार हूँ। फिर भी सुन्दर व्यवस्थाके जरिये एक महीनेके समयमे भी बहुत-कुछ काम किया जा सकता है।

मेरी यात्राका खास हेतु तो खादी ही रहेगा, लेकिन मै लालाजी स्मारकके लिए मिलनेवाली रकमका भी स्वागत करूँगा और इसके लिए चन्देकी माँग करूँगा। इस भीख माँगनेके कामके अलावा मै काग्रेसके रचनात्मक प्रस्तावके सिलसिलेमें कुछ सक्रिय प्रचार करनेका भी इरादा रखता हूँ, खासकर उस वहिष्कार योजनाके प्रचारका जो कार्य-समितिने तैयार की है। अगर आन्ध्र देश वहिष्कार आन्दोलनमे पूरे उत्साहके साथ हाथ नही वँटायेगा तो मुझे खेद और आश्चर्य होगा। आन्ध्रवासियोको सुन्दर खादीकी कोई शिकायत नही है। उनमें मोटी या महीन खादी तैयार करनेकी अनन्त शक्ति भरी पडी है। वे बहुत-सा कपास पैदा करते है। उनके पास योग्य कार्यकर्ता भी है और देशभक्तिकी लगनमें वे किसी भी प्रान्तसे पीछे नही है। वात केवल इतनी है कि उनमें नेता तो जरूरतसे ज्यादा है लेकिन अनुयायी मात्र इनेगिने है। उनमें बहुमुखी प्रतिभा होनेसे आपसमें छोटी-मोटी ईर्ष्या और कलह उत्पन्न हो गया है। क्या यह आशा करना बहुत ज्यादा होगा कि मेरे आन्ध्र देश पहुँचनेके पहले ही वे अपनी-

अपनी सामर्थ्य-भर कोशिश करके एकता स्थापित कर चुके होंगे और नेता बननेका दावा करनेके बजाय नम्रतापूर्वक अनुयायी बननेको तैयार हो चुके होंगे?

बर्माकी भाँति ही कार्य-समितिकी ओरसे मुझे सूचना मिली है कि मै आन्ध्र और उत्कल प्रान्तोकी प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोंका निरीक्षण करूँ और उनके हिसाब-किताबकी जाँच-पड़ताल करूँ। मुझे आशा है कि मैंने बर्माके बारेमे जो-कुछ कहा है उसे दोनो कमेटियोंके अध्यक्ष, मन्त्री और सदस्यगण याद रखेंगे और जब मै आन्ध्र पहुँचूँगा तो हर चीज तैयार रखेंगे। उत्कलके मन्त्री कृपा करके मुझे अपने तमाम कागजात साथ लेकर आन्ध्रमे किसी भी जगह, जो उन्हें विशेष सुविधाजनक मालूम पड़े, मिल ले।

एक बात थैलियाँ भेंट करनेके बारेमे भी कह देता हूँ। अभीसे मेरे पास इस आशयके प्रस्ताव आ रहे है कि जो थैलियाँ मुझे दी जाये उनपर उनका हेतु भी लिखा रहना चाहिए। मै कार्यकर्त्ताओंको इस तरहकी कारंवाईके खिलाफ चेतावनी दिये देता हूँ। वे स्थानीय कामके लिए मेरे नामसे लाभ न उठाये। स्थानीय कामका आधार उसका अपना गुणावगुण ही होना चाहिए। स्थानीय कार्यकर्त्ताओंका चरित्र, उनकी साख और उनकी योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि वे स्थानीय कामके लिए जितनी आर्थिक सहायताकी जरूरत हो, स्वय ही जुटा सके। मै यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई प्रान्त खादीका उत्पादन-केन्द्र है तो वहाँके चन्देका अधिकांश मै उसी प्रान्तके खादीकार्यमे खर्च करता हूँ। लेकिन जहाँ, जैसे लका और बर्मामें, खादीका उत्पादन नही होता, वहाँका सारा चन्दा उन प्रान्तोके बाहर ही खर्च होना चाहिए। आन्ध्र देशके बारेमे तो वस्तुस्थिति यह है कि जब मैंने शुरू-शुरूमे वहाँ जानेका निश्चय किया था उस समय मेरी यात्राका हेतु केवल आन्ध्रके खादी-कार्यके लिए धन-सग्रह करनेका था। वही निर्णय इस समय भी कायम है। हाँ, इसमें शक नही कि चन्देकी रकमका कुछ भाग केन्द्रीय कार्यालयकी व्यवस्थामे खर्च किया जायेगा। अत. मै चाहता हूँ कि कार्यकर्त्तागण कृपा करके किसी विशेष हेतुसे तबतक कोई थैली अर्पण न करे जबतक उस सम्बन्धमे मुझसे राय न ले ले। इस तरहके तमाम प्रस्ताव देशभक्त श्री वेकटप्पैयाके जरिये तथा उनकी सिफारिशके साथ आने चाहिए क्योकि आन्ध्र-यात्राके कार्यक्रमका प्रबन्ध उन्हीके जिम्मे है।

आखिरी बात यह है कि उत्साही लोग मुझपर दया करे तो अच्छा हो। चाहे वे मेरे शरीरको ठीक हालतमें रखनेके भारको पूरा-पूरा न भी उठाये तो भी कमसे-कम वे उसमे मेरा हाथ तो जरूर ही बँटाये। अक्सर मुझसे कहा जाता है कि अपनी देहकी सार-संभाल करनेकी जिम्मेदारी मेरी नही है, यह तो राष्ट्रकी धरोहर है। लेकिन बात ऐसी ही है, इसका मुझे पूरा भरोसा नही होता। हाँ, आन्ध्रके राष्ट्र-प्रेमियोंके लिए इस बारेमें मेरी दिलजमई करनेका मार्ग अभी भी खुला पडा है। यहाँ मैं उन्हें थोडी-सी 'न करनेवाली बातो' की सूचना दिये देता हूँ:

[मेरे] शरीरसे ६ घटेसे ज्यादा काम न लें।
सभाओंमे या और जगहोमें शोर न मचायें।
जुलूस न निकालें।

दिखावटी वस्तुओके पीछे न दौडे।

एक दिनमे बहुत-सारे कार्यक्रम निश्चित न करे।

[मेरे] शरीरको उन जगहोपर न ले जाये जहाँ न तो द्रव्य मिलनेका ही प्रबन्ध हो और न कोई दूसरा ऐसा काम ही हो जिसका कि यात्राके हेतुसे कोई सम्बन्ध हो।

किसी व्यक्तिकी सनक अथवा किसीके स्वाभिमानकी तृप्तिके लिए [मेरे] शरीर-को कही मत ले जाइए।

[मेरे] शरीरको बहुत जगहोपर मत ले जाइए।

शरीरको केवल मिट्टीका लोदा समझनेकी भूल कभी न करिए, इसमे शक नही कि वह मिट्टीका लोदा है, फिर भी उसमें एक ऐसा छोटा-सा चेतनामय प्राणी निवास करता है जो शरीररूपी पार्थिव ढाँचेके साथ की जानेवाली हर चीजको बारीकीसे देखता रहता है।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-३-१९२९

८०. लालाजी-स्मारक

स्मारकके लिए धन सग्रह करनेके मामलेमे सिन्धको छोडकर और दूसरे प्रान्तोके परिणाम बडे निराशाजनक रहे है। यहाँतक कि पजाब भी अभी उस आशाको पूरी नही कर पाया है जो उससे रखी जाती है। यह उम्मीद रखनी चाहिए कि पजाबको किसी बाहरी प्रेरणाकी आवश्यकता नही है। पजाबको न केवल उससे की जानेवाली सारी आशाओको ही पूरा करना है बल्कि उसे तो स्मारकके लिए की गई अपीलका तुरन्त उत्तर देकर दूसरे प्रान्तोपर भी उचित प्रभाव डालना है। ऐसे मामलोमे फुर्ती दिखानेमे जो शोभा होती है, वह सुस्ती दिखानेसे यो ही आधी रह जायेगी।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-३-१९२९

८१. समृद्धि-प्रदायिनी

मै 'दुग्ध शालाओ'के बारेमें श्रीयुत तालमकीके निबन्धमें से यहाँ कुछ दिलचस्प उद्धरण दे रहा हूँ।[1] इन पृष्ठोंमे गोरक्षाके एकमात्र उपायके वारेमें जो-कुछ पहले कहा जा चुका है, ये उद्धरण उसकी पुष्टि करते हैं। राव बहादुर साहबने दुग्ध-शालाओंको एक पूरक धन्धेके रूपमे लेखकर ही उसपर विचार किया है। निस्सन्देह पूरक धन्धेके रूपमे भी दुग्धशालाओका उपयोग काफी महत्त्वपूर्ण है। परन्तु गो-रक्षाके वृहत्तर उद्देश्यमें एक यह सीमित उद्देश्य भी शामिल है कि एक पूरक धन्धा ही नही बल्कि अनेक ऐसे पूरक धन्धे खोजे जाये जो पाठकोको सूझ पड़े। मुख्य रोगका उपचार मालूम होनेके वाद अगला काम उस उपचारको प्रयोगमे लानेका तरीका ढूँढना है। और किसी भी समझदार व्यक्तिको यह समझनेमे जरा भी देर नही लगेगी कि इसका एकमात्र तरीका यह है कि ऐसी प्रौढ़-शिक्षाकी व्यवस्था की जाये जो हमारी जानीमानी उन खामियोंको दूर करनेमें सहायक हो जिनको सब लोग शीघ्रातिशीघ्र खुशी-खुशी दूर करना चाहेगे। शिक्षाका रूप यही हो सकता है कि आदर्श किस्मकी दुग्धशालाओं, चमडा पकानेके कारखानों और नस्ल सुधारनेके प्रजनन-केन्द्रोंको चलाकर इनका व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाये। मै इन पृष्ठोमे सिद्ध कर चुका हूँ कि ये तीनो काम सम्मिलित रूपसे लाभकारी ढगसे चलाये जा सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-३-१९२९

८२. भूल सुधार

अपने सिन्धवाले पत्रमें [प्यारेलाल]ने भूलसे लिख दिया था कि राष्ट्रीय ध्वज हैदरावादमें प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके कार्यालयपर फहराया गया था और यह कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके पास अपना भवन है। तथ्य यह है कि ध्वजारोहण समारोह जिला कांग्रेस कमेटीके कार्यालयमें सम्पन्न हुआ था और इसी जिला कांग्रेस कमेटीके पास अपना भवन है। सिन्ध प्रान्तीय काग्रेस कमेटीका प्रधान कार्यालय कराचीमें है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-३-१९२९

१. उद्धरण यहाँ नहीं दिये गये हैं।

८३. 'धरोहर है'

श्री पेनिंगटनकी उम्र ९० वर्षकी है। उनसे किसीका चाहे जितना मतभेद हो फिर भी उनकी सचाईके विषयमें दो मत नहीं हो सकते। वह मुझे सदा पत्र लिखा करते हैं और समय-समयपर मुझे चेतावनी देनेसे कभी नहीं थकते। उनकी अभी हालकी चेतावनी यों है:

> मैंने अभी-अभी 'कांग्रेसमें प्रवेश' शीर्षकसे आपका लेख (३ जनवरीके अंकके ५ वें पृष्ठ पर)[1] पढ़ा। इस सालके अन्तमें (?) स्वराज्य प्राप्त करने सम्बन्धी आपके विश्वासकी बात पढ़कर मेरी उलझन पहलेसे भी ज्यादा बढ़ गई है। चाहे जिस तरह क्यों न हो, भारत आज ग्रेट-ब्रिटेनके अधिकारमें है— कुछ लोग, जिनमें मेरे पुराने सहायक स्वर्गीय सर जॉन रीस एम० पी० भी हैं, उसे विजयजन्य अधिकार (जैसा कि उसे पंजाबके मामलेमें हासिल है) के कारण अपने अधीन समझते हैं। लेकिन हममें से बहुतसे, मुझे आशा है, अपनेको भारतकी सारी आबादीका खासकर निचली श्रेणीके लोगोंका, न्यासी समझते हैं; और एक न्यासीकी हैसियतसे हमें अपने न्यासको छोड़ देनेका कोई अधिकार नहीं है, सिवा इसके कि हम किन्हीं योग्य हाथोंमें अपने इस कार्यको सौंप दें जिसे हमने अभी-अभी आरम्भमात्र किया है। क्या आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस गणतन्त्रका आप जैसा अध्यक्ष पाकर भी इस तरहकी एक संस्था हो सकती है? मैं तो सचमुच यही सोचता हूँ कि इस कामके लिए आप ही एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन क्या आप इस जिम्मेदारीके कार्यको ब्रिटिश-सेनाके साथ या बिना उसके मंजूर करेंगे? अगर आप शान्ति बनाये रखनेमें कामयाब न हुए तो क्या होगा?
>
> एक छोटी-सी बातके लिए क्षमा चाहता हूँ: इस समय मेरी उम्र ९० वर्षकी है और अब मैं सांसारिक प्रपंचोंकी चिन्तासे मुक्त-सा हूँ; लेकिन आजसे नहीं बल्कि सन् १८६१ से मुझे इंग्लैंडसे ज्यादा दिलचस्पी भारतके मामलोंमें रही है। एक बार फिरसे सारे भारतके दुःखोंसे आपके निर्विघ्न छुटकारेकी कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप प्रस्तुत उलझनको और ज्यादा उलझानेसे बाज आयेंगे।

कोई श्री पेनिंगटन-जैसे आदमियोंको किसी तरह समझाये कि हम धरोहरवाली बात को नहीं मानते और यदि मत-गणना की जाये तो जिन्हें वे 'निचली श्रेणीके लोग' कहते हैं वे भी इस बातको मंजूर नहीं करेंगे। मैं इन निचली श्रेणीके लोगोंको जानता हूँ; औरोंकी अपेक्षा अधिक जाननेका दावा करता हूँ। मैं साहसपूर्वक कहता

१. यंग इंडियामें, देखिए खण्ड ३९, आत्मकथा, भाग ५, अध्याय ३८।

हूँ कि ब्राण्डीकी बोतलके पतनकारी प्रभावमे जो लोग आ गये है उन्हे छोडकर देशकी विशाल बहुसख्यक जनता उन स्वयनियुक्त सरक्षकोसे रक्षा करानेकी इच्छा नही रखती है। इसे चाहे सरक्षा कहिए या विजय, लेकिन इस सरक्षणको लोगोपर थोपा गया है और शक्तिशाली उपायों द्वारा इसे बल प्रदान किया गया है। इस कारण अग्रेजोका अपने-आपको भारतके विजेता कहना या संरक्षक कहना हमारे लिए कोई मूल्य नही रखता। हमे तो वस्तुसे मतलब है, उसके वर्णनसे सरोकार नही। ऐसी हालतमे पता नही कि श्री पेनिगटन वर्षके आखिरमे स्वराज्यकी मेरी बातसे पहलेसे भी ज्यादा अचरजमे क्यो पड़ गये! अचरज तो यह है कि भारतके ३० करोड लोग आज अपनी सम्पत्ति खोये बैठे है और लुटेरोंके हाथोसे उसे छुडानेकी अपनी ताकतमे भी उन्हे विश्वास नही है, भले ही ये लुटेरे विजेता कहे जाये या सरक्षक। अगर मैं किसी तरह अपना आत्मविश्वास काग्रेसवालोमे भर सकूँ और पुन. स्वतन्त्रता पानेकी अपनी योग्यताका उन्हे भान करा सकूँ तथा उसे पानेके तरीकेकी सचाईपर उनकी श्रद्धा जमा सकूँ तो १२ महीनोमें से शेष १० महीने ही इस कामके लिए काफीसे ज्यादा साबित हो सकते है। अत. मै श्री पेनिंगटनसे कह देना चाहता हूँ कि न तो सेनाबल और न उदारताके कारण ही भारत ग्रेट-ब्रिटेनके अधीन है बल्कि वह अधीन इसलिए है कि भारतकी सन्तानमे अभी आत्मविश्वासकी कमी है और यही सारी विपत्तिकी जड है। जिस दिन जनतामे इस आत्मविश्वासका उदय होगा, अद्भुत घटनाएँ घटेगी और इस आत्मविश्वासके आते ही सारी दुनियाके साथ-साथ श्री पेनिगटन-जैसे अग्रेज भी हमारी सम्पत्तिपर हमारे अधिकारकी क्षमताको मंजूर करने लगेगे। ९० सालके होते हुए भी उस मगल दिवसको देखनेके लिए जिन्दा रहनेकी अपनी क्षमतापर श्री पेनिंगटन अविश्वास न करे। क्योकि मै सच कहता हूँ कि जब वह दिन आयेगा तब श्री पेनिंगटन, जो इस लूटको 'धरोहर' का नाम देते है और यह नही चाहते कि अग्रेज लोग इसे छोड़े,— वह भी हर्षका अनुभव करेगे।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-३-१९२९

८४. सुदूर दक्षिणमें हिन्दी

त्रावणकोरकी राजधानी त्रिवेन्द्रमसे सौ मीलसे कुछ अधिक दूरीपर कन्याकुमारीका स्थान है, जहाँ हिन्द महासागर बगालकी खाडीसे मिलता है और दोनोंकी सयुक्त जलराशि भारत माताके चरणोंको धोती रहती है। उसी त्रिवेन्द्रमसे केरल प्रान्तीय हिन्दी प्रचार-परिषद्के सभापति श्रीयुत के० जी० शेष अय्यर लिखते है कि परिषद्का अधिवेशन पिछली १० फरवरीको एर्नाकुलम (कोचीन)मे हुआ था और वहाँ नीचे लिखा प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास किया गया:

> यह परिषद् गांधीजी और सेठ जमनालाल बजाजके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है क्योंकि ये दोनों महानुभाव दक्षिण भारतमें हिन्दी-प्रचार आन्दोलनको बढ़ानेके लिए और हिन्दीको भारतकी राष्ट्र-भाषा बनानेके लिए

अथक परिश्रम कर रहे हैं। परिषद् भारतके तमाम देशभक्त पुत्रों और पुत्रियोंसे आग्रह करती है कि वे स्वयं हिन्दी भाषा सीखें और केन्द्रीय कोषमें चन्दा दें और इस प्रकार इस आन्दोलनकी सहायता करें।

उक्त प्रस्तावको श्रीयुत ए० शंकर पुडुवाल, वी० ए०, वी० एल० ने प्रस्तुत किया था। श्री एच० करुणाकर नैयरने उसका अनुमोदन और श्री एच० डी० कामतने समर्थन किया था।

इस प्रस्तावको प्रकाशित करके मैं अपना, सेठ जमनालालजीका या प्रस्तावसे सम्बन्धित लोगोका विज्ञापन नही कर रहा हूँ। दक्षिणमे हिन्दी-प्रचारके वारेमे मुझे कितनी दिलचस्पी है सो हर कोई जानता है। जब मै १९१५ मे भारत लौटा उसके पहले ही से सेठ जमनालालजी हिन्दीके पक्के प्रेमी वन चुके थे। दक्षिण भारतकी उनकी यात्राने वहाँके हिन्दी-प्रचारके कार्यको नया उत्तेजन दिया है। प्रस्तावको पेश करने-वालोको उनके कार्यका पुरस्कार उसी समय मिल गया जब वे अपने परिचित श्रोताओ-के सामने प्रस्तावको पेश करने, उसका अनुमोदन और समर्थन करने खडे हुए थे। प्रस्तावके साथ ही उनके नाम छापनेका आशय केवल सार्वजनिक रूपसे यह आशा व्यक्त करना है कि जिन सज्जनोका प्रस्तावसे सम्बन्ध है, वे खुद प्रस्तावकी दो मुख्य वातोका पालन करते है, यानी वे स्वय हिन्दी सीख रहे है और धनसे केन्द्रीय कोषकी सहायता भी कर रहे है। मै इस घटनाको लेकर एक मोटी वातकी छाप लोगोके दिलपर डाल देना चाहता हूँ। जहाँतक इन सज्जनोका सम्वन्ध है, यह वहुत सम्भव है कि वे हिन्दीके ज्ञाता है और केन्द्रीय कोषमे वरावर चन्दा देते रहते है। लेकिन इस वातसे अभी हम इनकार नही कर सकते कि आज भी हममें ऐसे प्रस्ताव पेश करने, उनका समर्थन करने और उन्हे पास करनेकी आदत वनी हुई है, जिन्हे हम खुद कभी अमलमे लानेकी इच्छा नही रखते। अगर हम उन प्रस्तावोका समर्थन न करें, उनके अनुकूल मत न दें जिन्हे अमलमे लानेकी न तो हमारी इच्छा है और न योग्यता ही, तो मै समझता हूँ, इससे हम राष्ट्रकी प्रगतिमे सहायक होंगे और अपना बहुत-कुछ समय और कष्ट वचा सकेंगे। मुझे मालूम है कि जहाँ-जहाँ सेठ जमना-लालजी और श्रीयुत राजगोपालाचारी गये है वहाँकी सभाओमे पूर्वोक्त प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव पास किये गये है। अगर उन-उन स्थानोके सब सज्जन इन प्रस्तावोपर उसी ढगसे अमल भी करने लगे तो हिन्दी-प्रचारका काम दिन दूना, रात चौगुना वढने लगे और उसे धनकी भी कमी न रहे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-३-१९२९

८५. राष्ट्रीय झंडा

अहमदाबाद नगरपालिकाके टाउन हॉलपर राष्ट्रीय झण्डा फहरानेका जो समारोह उस दिन हुआ था उसने इस सम्बन्धमे मेरे गुजराती पत्रलेखकोंके दो पत्रोंकी स्मृतिको फिरसे ताजा बना दिया है। अहमदाबादकी नगरपालिकाने अपने टाउन हॉलपर राष्ट्रीय झडा लगा कर जिस साहस और देश-प्रेमका परिचय दिया है उसके लिए मैंने ध्वजारोहण समारोह सम्पन्न करते समय उसे बधाई दी थी[1]; इन पत्रोंकी बातपर आनेसे पहले मैं उसे फिरसे बधाई देता हूँ। कुछ ही साल पहले इस तरहकी कारंवाई असम्भव मानी जाती थी। अहमदाबादकी नगरपालिकामे सरदार वल्लभ-भाईके साहसपूर्ण कार्यसे यहाँके टाउन हॉलपर राष्ट्रीय झडेका फहराना और नगर-पालिकाके एकमात्र सार्वजनिक उद्यानमें लोकमान्य तिलककी कास्य-प्रतिमाकी स्थापना करना न केवल सम्भव ही बल्कि सहज हो गया। अब मैं यही आशा करता हूँ कि नगरपालिकाके सदस्य और अहमदाबादके नागरिक अपने राष्ट्रीय झडेको कभी झुकने नही देंगे और उसके सम्मान और गौरवके अनुरूप व्यवहार करेंगे। साथ ही अपने नगरके उद्यानमे लोकमान्यकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कर चुकनेके बाद अब वे तबतक सन्तुष्ट नही होंगे जबतक लोकमान्यका दिया हुआ स्वराज्य-मन्त्र हमारे लिए एक सजीव सत्य न बन जाये।

लेकिन उल्लिखित पत्रलेखकोमें से एक कट्टर राष्ट्रप्रेमीका कथन है कि काग्रेसके कार्यकर्त्ता और काग्रेस कमेटियाँ राष्ट्रीय झडेके उपयोगमे मनचाही स्वतन्त्रतासे काम लेती है। उनकी शिकायत है कि कुछ लोग झडेमे तीन रग नही रखते, कुछ चरखेको छोड़ देते है और कुछ ऐसे भी है जो हाथबुनी खादीके बजाय राष्ट्रीय झडेके लिए विदेशी कपडेका उपयोग करते हैं। वह सच ही कहते है कि झडेके सम्बन्धमे लोगोका यह व्यवहार, फिर वह अनजानमें ही क्यो न हो, उसकी प्रतिष्ठाको घटानेवाला है। दूसरे पत्रप्रेषक झडेका रूप-रग, आकार-प्रकार आदि जैसा कुछ तय हुआ है उसका बारीकी के साथ अनुसरण करनेका आग्रह करते हैं। उनका कहना है कि तीनो रंगोके क्रम का पालन सर्वत्र एक सरीखा होना चाहिए। इसी तरह झडेपर चरखा निश्चित स्थान पर होना चाहिए। मैं इसमें इतनी बात और बढा देता हूँ कि रगकी पट्टियाँ आड़ी हों, खड़ी नही। लम्बाई और चौडाईके मापका पारस्परिक सम्बन्ध भी निश्चित होना चाहिए। चौडाईसे उसकी लम्बाई दुगनी होनी चाहिए। ऊपरी सिरेपर सफेद रग हो, उसके बाद हरा और फिर लाल। लाल रंग भारतकी बहुसंख्यक आबादीका प्रतीक है। हिन्दू और मुसलमानोको छोडकर देशमें और जो अल्पसंख्यक लोग बसे है सफेद रंग॰ उनका प्रतीक है। उनकी रक्षाका संयुक्त भार और हिन्दू मुसलमानोपर है और इसी कारण उनका स्थान सर्वोपरि है। इसी तर्कके अनुसार मुस्लिम अल्प-

१. देखिए "भाषण: ध्वजारोहण समारोहपर, अहमदाबादमें", २८-२-१९२९।

सख्याका झडेमे दूसरा नम्बर है। चरखा झडेके बीचोबीच इस तरह बनाया जाये कि वह तीनो रगोको छूता रहे।

कार्यसमितिकी पिछली बैठकमे झडेके बारेमे अनौपचारिक ढगसे चर्चा हुई थी। मैने समितिका ध्यान झडे सम्बन्धी अनियमितताओकी ओर खीचा था और यह भी बतलाया था कि राष्ट्रीय झडेकी विशेषताओकी व्याख्या करनेवाला कोई भी प्रस्ताव न तो कार्यसमितिमे ही उठाया गया है और न अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे ही। इसपर सदस्योकी जो राय मालूम पडी वह यह थी कि झडेमे तीन रग हो। उसमें चरखा बना हो और झडा खादीका हो। ये तीनो चीजे इतनी बद्धमूल हो गई है कि अब करीब-करीब उसने नियमका रूप धारण कर लिया है और जो कोई किसी दूसरे ढगका झडा बनाता या काममे लाता है, स्पष्ट ही उस नियमके भगका दोषी है।

इस स्थितिको देखते हुए मैंने सुझाया है कि काग्रेसकी ओरसे विभिन्न आकारके झंडे तैयार कराये जाये और देश-भरके भडारोमे बिक्री तथा प्रचारके लिए रखे जाये। इस तरह सही ढगके और सस्ते झडे सुलभ हो जायेगे। सबसे सरल और लाभदायक तरीका तो यह है कि अखिल भारतीय चरखा सघ ऐसे झडे तैयार कराये और काग्रेसकी ओरसे उन्हे अपने भण्डारोमे विक्रीके लिए रखे। चूंकि किसी भी काग्रेस कमेटीका अखिल भारतीय चरखा सघसे सस्तेपनमे स्पर्धा करना असम्भव है इसलिए सारे भारतमे इन झडोकी बिक्री खूब बढ सकेगी। इसमे हमे यह बात पहले ही से मान कर चलना पडेगा कि राष्ट्रीय जागृतिका आरम्भ हो चुका है और तमाम काग्रेसवालो द्वारा तथा काग्रेस सगठनो द्वारा झडेकी शुद्धताका पूरा-पूरा खयाल रखा जाता है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-३-१९२९

८६. विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार

मेरे लिए यह अत्यन्त हर्षका विषय है और मुझे आशा है कि हर राष्ट्रप्रेमीको इस बातसे खुशी होगी कि श्रीयुत जयरामदासने विदेशी कपडा बहिष्कार समितिकी ओरसे किये मेरे आह्वानपर इस समितिका मन्त्री-पद बडी तत्परतासे स्वीकार कर लिया है, और उन्होने बम्बई विधान परिषद्की सदस्यता त्याग दी है जो कि वैसा करनेके लिए जरूरी था। जयरामदास उन लोगोमे से है जो कोई काम तबतक नही उठाते जबतक उसमे उनका विश्वास न हो। इसलिए इस आन्दोलनमे पूरा समय देनेका उनका फैसला मेरी रायमे इस आन्दोलनको एक बहुत बडा लाभ है। यदि जनता भी विदेशी कपडा बहिष्कार समिति द्वारा समय-समयपर किये जानेवाले आह्वानोका इसी तत्परतासे जवाब देगी तो सारा देश कुछ ही महीनोके अन्दर निश्चित प्रगति दिखा सकेगा। बहिष्कारको जनताका संकल्प-बल प्राप्त हो तो केवल सावधानीके साथ सगठन करनेकी ही जरूरत रह जाती है।

खादीका उत्पादन और उसकी बिक्री, ये दोनो काम साथ-साथ करने होंगे। जब भी जनता विदेशी कपड़ोका बहिष्कार करनेका सचमुच इरादा कर लेगी, उस समय खादीकी जबर्दस्त माँग पैदा हो जायेगी। यदि खादीकी भावी माँगको ध्यानमे रखते हुए उत्पादन भी उसी हिसाबसे बढाया नही गया, तो खतरा इस बातका है कि कही लोगोंमे गहरी निराशा न पैदा हो जाये और महज खादीकी कमीके कारण बहिष्कारकी सम्भावनापर से उनका विश्वास न उठ जाये। इसलिए यह जरूरी है कि जनता अपनी आवश्यकतासे अधिक खादी न खरीदे। लोगोको अपनी जरूरते यथासम्भव कमसे-कम कर देनी चाहिए।

मै जानबूझकर देशी मिलोके बारेमे चुप्पी साधे बैठा हूँ, क्योकि मुझे इस बातका पक्का भरोसा है कि यदि हमने मिलोंपर ही भरोसा किया तो मिले, अपनी जिस मर्यादाके अन्दर उन्हें काम करना पड़ता है उसके कारण, हमे आखिरकार निराश ही करेंगी। दूसरे, मिलोंका खास हेतु तो मुनाफा कमाना है, फिर चाहे उनके मुनाफेकी आयके कारण राष्ट्रको हानि ही हो। इस कारण, मिले जनताको लूटने और दो कदम आगे बढकर स्वदेशीके नामपर विलायती कपड़ा बेचनेमे भी कोई सकोच नही करेगी। मैं इन पृष्ठोमे पहले कई बार बतला चुका हूँ कि किस तरह मिले अपना कपड़ा खादीके नामपर बेचती और जनताको ठगती है।[1] साथ ही, एक बात यह भी है कि देशकी सारी मिले स्वदेशी नही है, जिस तरह हमारी वर्तमान सरकारका निवास यहाँ होनेपर भी वह स्वदेशी सरकार नही है उसी तरह कई मिले भारतमे स्थित होते हुए भी स्वदेशी मिले नही है। उनमे से कुछ तो हर मायनेमे विलायती है। विदेशी भागीदारोकी एकदम विदेशी पूजीपर ही विदेशियों द्वारा ये मिले चलाई जाती हैं और इनका प्रबन्ध किया जाता है। इनकी हस्ती ही देशमे इस बातके लिए है कि ये देशकी सम्पत्तिके साधनोको सदा लूटती रहे। बड़ी अनिच्छापूर्वक जो एक काम ये मिलें करती हैं वह है इन मिलोमे देशकी सस्ती मजदूरीका उपयोग; और ऐसा करके वे अपने स्वदेशीपनपर देशकी भोलीभाली जनताका विश्वास जमाती हैं।

लेकिन इससे मेरा यह मतलब नही है कि मिले बहिष्कार-आन्दोलनमे किसी तरहका भाग ही न लेगी। वे भाग तो लेगी, लेकिन परिस्थितिके दबावसे और लाभ देखकर ही। काग्रेसवालोके लिए एक-साथ भारतके हरएक देहातमे पहुँचना सम्भव न होगा। हम तो कस्बो और उनके आसपासके देहातोतक ही पहुँचेगे। किन्तु मिलोकी पहुँच तो भारतके हरएक गाँवमे है। देशमे जो नया वायुमण्डल तैयार होगा उसके कारण देहातवाले मिलोके एजेंटोकी मुँहजोई करने लगेंगे और एजेंट लोग स्वदेशीके नामपर मिलोकी जो भी चीज उन्हे देगे, वे खरीदेंगे। इस सम्बन्धमे काग्रेसवालोको सदा सावधान रहना पडेगा। देशमे कुछ देश-प्रेमी मिले ऐसी भी है जो अपनी सीमाओंके कारण अगर आन्दोलनमे सक्रिय सहायता नही पहुँचायेंगी तो देशको ठगनेमें भी हाथ नही बँटायेगी। मुझे तो विश्वास है कि वह समय आयेगा और कुछ ही महीनोमें आयेगा जब मिलोको निर्णय करना पडेगा और पिछले साल

१. देखिए खण्ड ३६, पृष्ठ २०१-३ और ३२१-२।

जो शर्तें उनके सामने रखी गई थी उन्हे मजूर करना पड़ेगा। लेकिन यह भी तभी होगा जब जनता विदेशी-वस्त्र बहिष्कारके लिए दृढ सकल्प कर लेगी और उसके बदले देशको सच्ची खादीसे पाट देनेपर तुल जायेगी। खादीके विस्तारकी कोई सीमा नही है; क्योंकि हमारे पास मनुष्योके रूपमें करोडों तकुए और लाखों करघे है। केवल जिस एक बातकी जरूरत है वह है काम करनेकी इच्छा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-३-१९२९

८७. 'सतलज' जहाजकी दुःखद घटना

'सतलज' जहाजकी दु:खद घटनासे सम्बन्धित मेरे लेखके बारेमें कलकत्तासे डा० मेननने निम्नलिखित पत्र लिखा है :[1]

मेरी रायमें इस जोरदार पत्रसे पता चलता है कि हालातको मै जितना खराब समझता था वे उससे कही ज्यादा खराब है। लेकिन मै जहाजके कप्तान और अफसरोको उतनी आसानीसे दोषमुक्त नही कर सकता जितनी आसानीसे डा० मेननने किया है। जहाजका हर कप्तान अपनी देख-रेखमें जहाजपर यात्रा करनेवाले यात्रियोकी भलाई-बुराईके लिए निश्चय ही जिम्मेदार होता है। मै ऐसे सहृदय कप्तानोको भी जानता हूँ जिन्होने कठिन परिस्थितियोमे भी अपने यात्रियोको यथासम्भव सुखी बनानेकी कोशिश की, और मै ऐसे निर्मम कप्तानोको भी जानता हूँ जो अपने जहाजके यात्रियोंका जीवन अकारण दुखी बना देते हैं। जहाजके अफसरोकी उपेक्षाके कारण अक्सर यात्रियोकी हालत असहनीय हो जाती है। लेकिन मेरा उद्देश्य लोगोके दोषकी मात्रा निर्धारित करना नही था। मेरे लिए इतना दिखला देना ही काफी था कि इस मामलेको केवल इसीलिए समाप्त हुआ नही माना जा सकता क्योंकि सरकार उसकी एक जाँच करा चुकी है — ऐसी जाँच जिसे निष्पक्ष नही कहा जा सकता।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-३-१९२९

१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। "अमानुषिक प्रणाली", ७-२-१९२९ (खण्ड ३९) के सिलसिलेमें डा० मेननने लिखा था कि प्रवासियोके प्रबन्धकी सीधी और पूरी जिम्मेदारी जहाजके कप्तान पर नहीं बल्कि जहाजके सर्जन-सुपरिंटेंडेंटपर ही थी और जहाज बिलकुल अनुपयुक्त थे तथा इस अमानुषिक व्यवस्थाके लिए सरकार दोषी थी।

८८. पूरक धन्धेके रूपमें चरखा

मेरे सामने पूरक धन्धोंके विषयपर एक निबन्धकी प्रति है, जिसे बम्बई प्रान्तीय सहकारिता संस्थाके अवैतनिक मन्त्री राव बहादुर एस० एस० तालमकीने पढ़ा था। यह एक सुविस्तृत प्रबन्ध है जिसमे ऐसे अधिकाश धन्धोके ऊपर विस्तारसे विचार किया गया है जिन्हे समय-समयपर गाँवोमे पूरक धन्धोके रूपमें लागू करनेके सुझाव दिये गये है। उन्होने कुछको अस्वीकार कर दिया है और कुछको सम्भव माना है। जिन पूरक धन्धोको उन्होने सम्भव माना है और जिनकी उपयोगिता वह स्वीकार करते है, उनमे वह हाथ-कताईका भी उल्लेख करते है और इसके बारेमें उन्होंने जो कई अनुच्छेद लिखे है मै चाहूँगा कि उन्हे हाथ-कताईके प्रति शंकालु व्यक्ति ध्यान-पूर्वक पढ़ें। मै उन्हे नीचे उद्धृत करता हूँ :[1]

राव बहादुर साहबको शायद ज्ञात है कि गाँवमें आत्म-निर्भरताके आधारपर हाथ-कताईको सगठित करनेका जो सुझाव उन्होने दिया है उसकी ओर अखिल भार-तीय चरखा संघ पहले ही पूरा ध्यान दे रहा है। मै उनका ध्यान बिजौलिया और बारडोलीके उदाहरणकी ओर आकृष्ट करता हूँ। लेकिन साथ ही नगरोकी उपेक्षा नही की जानी चाहिए। आजकल शहरी जीवन ग्रामीण जीवनपर इस तरह हावी है कि जबतक शहरके लोग खादीका फैशन न चला दें तबतक गाँववालोको कातनेके लिए, यहाँतक कि अपने ही हितमें और केवल अपने ही उपयोग-भरके लिए राजी करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। खर्चेका सवाल भी वैसा सरल नही है जैसा कि राव बहादुर साहब समझते है। कपासके सटोरियों और विदेशी खरीदारोंने कपासके मूल्यो और कपासकी खेतीमे ऐसी धुधमारी मचा दी है कि गाँववालोके लिए कपास खरीद कर उससे कपडा बुनवाना ज्यादा महँगा पड़ता है और बना-बनाया कपड़ा खरी-दना ज्यादा सस्ता पड़ता है। यह बात विचित्र भले ही लगे लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक गज विदेशी कपडेका मूल्य एक गज हाथ-बुने कपड़ेकी बुनाईकी लागतके बराबर बैठता है और कभी-कभी तो बुनवाई और कपासकी लागत ही उस एक गज विदेशी कपड़ेके मूल्यके बराबर होती है। मै इन बारीकियोमें नही जाऊँगा। एक व्यावहारिक कतवैयेके नाते मैं तो कताई-उद्योगकी कठिनाइयोंका ही जिक्र कर रहा हूँ जिसे न केवल सरकारी सहायता प्राप्त नही है, बल्कि प्रच्छन्न रूपसे सरकार की तरफसे उसका विरोध ही है, और उसकी ओरसे उदासीनता तो बराबर बनी ही हुई है। इसीलिए हाथ-कताईको आरम्भिक अवस्थामे सरकारी सहायता और शहरके लोगोके संरक्षणकी आवश्यकता है। इसके सिवाय, आज लोकतन्त्रके जमानेमें यदि शहरो और गाँवोके बीच अन्तर किया गया तो गाँववाले खादीके दर्शन और सत्यको नही समझेंगे। और अन्तमें चूँकि कताई-उद्योगके क्षेत्रमे पहल करनेवाले लोग शहरोसे

१. ये उद्धरण यहाँ नहीं दिये गये है।

ही प्राप्त होते हैं, इसलिए शहरोंमें खादीके वातावरणका होना अत्यावश्यक है ताकि यह सुधार, जिसकी आवश्यकता राव बहादुर साहबने इतने अच्छे ढंगसे सिद्ध कर दी है, राष्ट्रीय पैमानेपर लागू हो सके।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-३-१९२९

८९. पत्र: होरेस जी० अलेक्जेंडरको

स्थायी पता:
आश्रम
साबरमती
७ मार्च, १९२९

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र मिला और डा० बाघनकी किताब भी। मैंने पुस्तिका पढ़ डाली है। कुमारी मेयोकी किताब और डा० बाघनके निबन्धमें कोई तुलना नहीं है। यह एक पेचीदे सवालके बारेमें बहुत गम्भीर और विचारपूर्ण पुस्तिका है। मेरा विचार 'यंग इंडिया' में इसका उपयोग करनेका है।

मुझे याद नहीं कि मैंने आपको पहले सूचित किया था नहीं कि आपका पत्र मिलनेके कुछ महीनों बाद मुझे क्वेकर-समाजसे सम्बधित वे पुस्तकें मिल गई थी, जिनका आपने जिक्र किया था। इस उपहारके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ।

अब आपको ज्ञात हो गया है कि मुझे यूरोप जानेका विचार क्यों छोड़ना पड़ा।

अपनी पत्नीके बारेमें लिखी गई बातोंको मैंने देखा नहीं है,[1] लेकिन मैं आपको बतला सकता हूँ कि हम दोनोंके बीच अत्यन्त प्रेमपूर्ण सम्बन्ध है। यदि उन पुस्तकोंसे आपको ऐसा लगा हो कि मेरी पत्नी बुद्धिपूर्वक मेरा अनुसरण नहीं करती, तो यह बिलकुल सच है। उसकी निष्ठा अद्भुत है और मेरे जीवनमें जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सबमें उसने मेरा साथ दिया है। मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि भारतीय पुरुष भारतीय स्त्रियोंके लिए जो आदर-भाव रखते हैं, वह पश्चिममें पुरुषों द्वारा स्त्रियोंके प्रति महसूस किये जानेवाले आदर-भावके बराबर ही है, लेकिन यह जरा भिन्न ढंगका है।[2] पश्चिममें महिलाओंके लिए पहला स्थान छोड़ देनेका चलन और उनका आदर करनेके ऐसे ही अन्य कई प्रचलित तरीके मुझे अत्यन्त कृत्रिम मालूम होते हैं, और कभी-कभी तो पाखंडपूर्ण भी। तथापि हम अपनी स्त्रियोंके साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसमें बहुत-कुछ आलोचना योग्य है। कुछ नियम खराब हैं, कुछ पति

१. ५ फरवरी के अपने पत्रमें श्री अलेक्जेंडरने लिखा था कि कुछ किताबोंको पढ़नेसे उनके मनपर यह छाप पड़ी है कि गांधीजी और कस्तूरबामें "सदैव मतैक्य नहीं रहता"।

२. अलेक्जेंडरने अन्य बातोंके अलावा यह लिखा था कि "...पूर्वको समझनेके मामलेमें सबसे बड़ी बाधा पश्चिमके लोगोंका यह विश्वास है कि पश्चिममें हम लोग अब स्त्रियोंके प्रति जो आदर-भाव रखना सीख रहे हैं, वैसा आदर-भाव रखना पूर्वके पुरुषोंने नहीं सीखा।" (एस० एन० १५३२९)।

राक्षस होते है, कुछ माता-पिता अपनी लड़कियोके प्रति एकदम निष्ठुर होते हैं। इन मामलोमें आपसी समझदारीके लिए मेरी रायमे सहिष्णुता ही कुजी हैं। कोई सामाजिक नियम या व्यवस्था कितनी ही सराहनीय क्यो न हो, उसके अपने कुछ दोष अवश्य होते हैं। मैं जानता हूँ कि आपमें इतनी उदारता है कि आप इस अनुच्छेदका यह अर्थ नही लगायेंगे कि मैं अपने यहाँके पुरुषो द्वारा अपनी स्त्रियोके साथ किये जानेवाले उस व्यवहारका बचाव कर रहा हूँ जो कि न्यायके स्तरसे बहुत नीचा पड़ता है। मुझे जैसा लगा है, बस वैसा ही मैंने आपको लिख दिया है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० १४०६)की फोटो-नकलसे।

९०. पत्र : टी० नागेश रावको

एस० एस० 'एरोडा'
७ मार्च, १९२९

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। हृदयसे प्रार्थना तभी निकलती है जब बिना थके निरन्तर प्रयास किया जाये।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत टी० नागेश राव
अध्यापक, बोर्ड हाईस्कूल, पुत्तुर
दक्षिण कनारा (दक्षिण भारत)

अंग्रेजी (जी० एन० ९२४०)की फोटो-नकलसे।

९१. पत्र : फ्रांसिस्का स्टैंडेनेथको

एस० एस० 'एरोडा'
७ मार्च, १९२९

चि० सावित्री[1],

मुझे तुम्हारे दोनो रोचक पत्र मिले। मेरे बारेमें, या आश्रमके बारेमे आलोचक लोग जो कटु बाते करते हैं, उनकी तुम्हे चिन्ता नही करनी चाहिए। उनको ऐसा ही मान कर चलो जैसे वे तुम्हारी सहिष्णुता और उदारताकी कसौटी है।

१. फ्रांसिस्का स्टैंडेनेथ और उनके पति प्रोफेसर फ्रेडरिक स्टैंडेनेथ १९२८ में आश्रम गये थे, वहाँ गांधीजीने उनके नाम सावित्री और सत्यवान रख दिये थे।

मैंने वहाँकी कड़ी सर्दीके बारेमें पढ़ा है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत अधिक असुविधा हो रही होगी। साबरमतीमें भी इस बार ऐसी ठंड पड़ी जैसी कि लोगोंको याददाश्तमें पहले कभी नहीं पड़ी थी। आश्रममें बाल्टियों आदिका तथा टंकीका पानी भी जम गया था। लेकिन यह ठंड एक हफ्तेसे ज्यादा नहीं टिकी। बच्चोंको उसमें खूब आनन्द आया।

सत्यवानके प्रोफेसर महोदयका रुख मुझे बिलकुल पसन्द नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसे सहन ही करना होगा। मैं चाहूँगा कि तुम दोनों इस मिथ्या स्थितिसे उबरनेका कोई रास्ता निकाल सको। जिस नौकरीसे आजीविका चलती हो उस नौकरीको बरकरार रखनेके लिए किसी आदमीको अपनी राय दबानी पड़े, यह मानव-गरिमाके लिए हानिकारक है। कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें कोई उपाय निकालना चाहिए।

क्या तुम्हें रसिककी याद है? वह अब शरीर रूपमें हम लोगोंके साथ नहीं रहा है। यह पत्र तुम्हें मिले, इससे पहले ही तुम 'यंग इंडिया'के पृष्ठोंमें उसके बारेमें सब-कुछ पढ़ चुकी होगी। उसकी मृत्युको बा ने बड़ी धीरतासे झेला। निःसन्देह उनका शोक बहुत गहरा था, लेकिन उसे उन्होंने बड़े साहसके साथ बर्दाश्त किया।

मैं इस समय समुद्र द्वारा बर्माके रास्तेमें हूँ। तीन दिनकी यात्रा है। इस बार मैंने अपने लिए डेकका टिकट लिया है और इससे मुझे खुशी मिली है, हालांकि डेकपर यात्रा करनेमें जो असुविधाएँ उठानी पड़ती हैं वे मुझे नहीं हैं, क्योंकि कम्पनीके अधिकारियोंने मुझे हर सुविधा प्रदान कर रखी है।

मुझे फोटो पाकर खुशी हुई। हालांकि मैं घी बिलकुल नहीं लेता, और आम-तौर पर फल भी नहीं लेता, लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी समझमें कच्ची सब्जीसे उन दोनोंकी कमी पूरी हो जाती है। कमसे-कम मेरे लिए तो यह एक बहुत बड़ी खोज है।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

श्रीमती फ्रांसिस्का स्टैंडेनेथ
ग्राज

अंग्रेजी (एम० एम० यू०/२२/६७)की माइक्रोफिल्मसे।

९२. एक पत्र[1]

एस० एस० 'एरोडा'
७ मार्च, १९२९

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपके प्रश्नोका सबसे अच्छा उत्तर यही है कि यथासम्भव कमसे-कम और वे भी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखनेके लिए अत्यावश्यक चीजे कमसे-कम मात्रामें ली जायें। अपने आहारकी वस्तुओंका चुनाव करनेमे उन चीजोको ही लीजिए जो मनुष्यके लिए स्वाभाविक है और जहाँतक सम्भव हो उन्हें कच्चा ही खाइए।

आपको यह सूचना गलत दी गई कि मैंने पूनामें ब्रांडी ली थी। मैंने जीवनमें कभी नही ली है।

मुक्त पुरुषकी स्थिति पूर्ण आनन्दकी स्थिति है, जिसका वर्णन नही किया जा सकता।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एम० एम० यू०/२२/६५)की माइक्रोफिल्मसे।

९३. पत्र : नारणदास गांधीको

रंगून जाते हुए स्टीमरपरसे
७ मार्च, १९२९

चि० नारणदास,

रामविनोदका मामला मुझे अभी देखना है। उसके विषयमें तुमने जो जाँच की हो या जो कुछ मालूम हुआ हो उसका ब्योरा मुझे लिख भेजना। कलकत्ताके पतेसे भेज देना ही काफी होगा। मैं २४ तारीखको जीवनलालभाईके यहाँ ८, प्रिटोरिया स्ट्रीट, कलकत्ता, पहुँचूँगा; इसलिए ध्यान रहे कि पत्र वहाँ २३ को पहुँच जाये। तुम्हें जाँचमें क्या-क्या करना पड़ा सो भी लिखना।

पुरुषोत्तम मजेमें है। वही मुझे रोज 'गीता' सुनाता है। समुद्र काफी शान्त है इसलिए दो-तीन दिनकी यात्रासे जितना लाभ मिल सकता है, मिल रहा है।

१. प्रेषीका नाम ज्ञात नहीं है।

तुम्हे कलकत्ता बुलानेकी बात थी किन्तु अभी तुम्हे बहनोके पाससे बुलवा लेनेकी इच्छा नही होती। जैसे-तैसे तो उनके विभागका ठीक ढगसे चलना शुरू हुआ है; फिर तुम्हे कैसे बुलवा लूं?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो : श्री नारणदास गांधीने

९४. पत्र : प्रभावतीको

शुक्रवार [८ मार्च, १९२९][1]

चि० प्रभावती,

अब तो स्वस्थ होगी। तुमारे लीये मे चिंता मुक्त होना चाहता हु। वह तो तब हि हो सकता है जब तुमारे मे हिम्मत आ जायगी और स्वावलंबिनी बन जायगी।

आज रगुन पहोच गया हु और डाक पूरी कर रहा हू।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० ३३३५ की फोटो-नकलसे।

९५. भेंट : फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

रगून
८ मार्च, १९२९

हमेशाकी तरह अर्ल विंटर्टनने अपनी इस ख्यातिको फिरसे सिद्ध किया कि वह स्थिति और तथ्योसे अनभिज्ञ है। उदाहरणके लिए, उन्हे यह मालूम होना चाहिए कि यहाँ हर आदमीने यह कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया था, हालाँकि यह गिरफ्तारी बडी शराफतसे की गई थी। नि सन्देह यह बात सच है कि मेरी गिरफ्तारी कानून-के तहत हुई थी, अन्यथा इस महीने २६ तारीखको अदालतमें मेरे उपस्थित होनेका जाती मुचलका ही क्यो लिया गया होता? अर्ल विंटर्टनके इस वक्तव्यसे और भी घोर अज्ञान झलकता है कि बगाल सरकारने यह सूचित कर दिया था कि विदेशी कपड़ो की होली जलाना गैरकानूनी है। बगाल सरकारने ऐसी कोई सूचना नही दी थी। पुलिस कमिश्नरके जरिये हमे यह सूचित किया गया था कि बिना पूर्व अनुमति लिए सार्वजनिक सडको या आम रास्तोपर या उनके निकट घास-फूस या ऐसी ही चीजोका

१. गांधीजी शुक्रवार ८ मार्च, १९२९ को रगून पहुँचे थे।

जलाना निषिद्ध है, और यह निषेध भी केवल नगरोंपर ही लागू था। अर्ल महोदयको पता होना चाहिए कि निजी जमीनोंपर होली जलानेका काम अब भी जारी है और यदि लोगोंमें सचमुच हिम्मत है तो आगे भी जारी रहेगा। यह कहना गलत है कि [पुलिस और जन-समुदायके बीच] मारपीट मेरे आग्रहके कारण हुई। पुलिस कमिश्नरके नोटिसकी वैधतामें मेरी शंका व्यक्त करनेके बावजूद, पुलिसने उसकी अवैधताकी अदालतसे जाँच करानेके बदले आग बुझानेका उपक्रम करके अपना आपत्तिजनक आचरण जारी रखा जबकि उसमें किसीके भी जान-मालको कोई फौरी खतरा नहीं था। मेरे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि आहत होनेवाले पुलिसके सिपाहियोंकी संख्या बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है, और इस तथ्यको जानबूझकर दबाया गया है कि पुलिस द्वारा अकारण लाठी चलानेके कारण बहुतसे लोगोंको चोटें आई हैं। अर्ल महोदयका अन्तिम गलत कथन यह है कि मैंने यह शर्त स्वीकार कर ली थी कि कलकत्तामें विदेशी कपड़ोंकी अब वैसी कोई होली नहीं जलाई जायेगी। सच तो यह है कि मैंने यह बात मान ली है कि कलकत्तामें सार्वजनिक स्थलोंमें और सार्वजनिक सड़कोंपर होली नहीं जलाई जायेगी। निजी स्थानोंमें होली जलाना जारी है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिसकी दमनपूर्ण कार्रवाईसे कोई नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं।[1]

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ९-३-१९२९

९६. भाषण : रंगूनकी सार्वजनिक सभामें[2]

८ मार्च, १९२९

चूँकि मैं देखता हूँ कि इस विशाल श्रोता-समुदायमें अधिकांश लोग हिन्दुस्तानी बोलनेवाले हैं, इसलिए मुझे लगा कि मेरे लिए अपना धन्यवाद हिन्दुस्तानीमें ही देना उचित होगा।[3] आपने यह अभिनन्दनपत्र देकर मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका हृदयसे कृतज्ञ हूँ। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था, उसके बादके इन १५-१६ वर्षोंमें की गई अपनी प्रगतिका जो ब्योरा आपने दिया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं जब कभी बर्मा आया हूँ, मनमें बड़ी ललक लेकर आया हूँ। मुझे बर्माके पुरुषों और स्त्रियोंसे प्यार है। आपने अपने अभिनन्दनपत्रमें ठीक ही कहा है कि बर्माके लोग उदार और उन्मुक्त-हृदय हैं। मैं जानता हूँ कि उनकी उदारता इतनी अधिक है कि वह दोष-जैसी लगने लगती है।

१. देखिए "अहम्मन्यता और अज्ञान", २१-३-१९२९ भी।

२. यह सभा फिट्से स्क्वेयरमें हुई थी जिसमें ५०,००० लोग उपस्थित थे। इसमें रंगून नगरपालिकाने गांधीजीको एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया था।

३. हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है।

और १९०१ में मै पहली बार जब अपने जीवन-भरके मित्र और साथी डा० मेहतासे मिलने आया था, तभी मैने यह अनुभव किया था कि मुझे बर्माके पुरुषो और स्त्रियोके प्यारमे पडनेमें बहुत समय नही लगा था।

मै आपके यहाँकी स्त्रियोमे ससारकी सबसे अधिक स्वतन्त्र नारीको देखता हूँ। मै इसे स्वीकार करता हूँ कि बर्माके पुरुषो और स्त्रियोकी इस निश्छलताने मेरा मन जीत लिया था। इसलिए मेरे लिए यह बडे हर्षकी बात है कि मै आपके पास तीसरी और अन्तिम बार आया हूँ। मै बनिया हूँ और हालाँकि मै उसी रूपमे कामके सिलसिलेमे आया हूँ, लेकिन मुझे इस बातकी बहुत खुशी है कि मै ज्यादा शुभ परिस्थितियोमे अपने बर्मी मित्रोके साथ अपने परिचयको फिरसे ताजा कर सकूँगा। लंकामे बौद्धोने मुझे सहज ही अपना लिया, और मेरे यह कहनेके बावजूद अपना लिया कि मै तो पक्का हिन्दू हूँ, और मैंने इसे अपने लिए बहुत सम्मानकी बात माना कि उन्होने मुझे अपनेमें से एकके रूपमें, एक पक्के बौद्धके रूपमे अपना लिया। नि.सन्देह यदि लंका, बर्मा, चीन और जापानके बौद्ध मुझे अपना मानेंगे तो मै इस सम्मान-को खुशीसे स्वीकार कर लूँगा क्योकि हिन्दू धर्मके लिए बौद्ध मत वैसा ही है जैसा कैथॉलिक धर्मके लिए प्रोटेस्टेट मत है, फर्क केवल इतना ही है कि हिन्दू धर्म और बौद्ध मतके बीच भेद कुछ ज्यादा प्रखर है।

महोदय, इस सुन्दर नगरी रगूनकी नगरपालिकाने पिछले १५ वर्षोमें जैसी तेज रफ्तारसे प्रगति की है, मै कहने जा रहा था कि जो अद्‌भुत प्रगति की है, उसपर आपने गर्व व्यक्त किया है और वह सर्वथा उचित ही है। मै जानता हूँ की रगूनकी सडकोपर अपने मित्र डा० मेहताके साथ पहले घूम चुका हूँ, लेकिन अब आज यदि मै अकेले यहाँ घूमने-फिरने निकलूँ तो रगूनकी सुविस्तृत सडकोपर मैं रास्ता भूल जाऊँगा। आपकी शानदार सडकोपर से गाडीमें बैठकर गुजरते हुए एक घटेमें ही मैंने इतनी प्रगति तो देख ही ली है। मै यही आशा करता हूँ कि आपकी इस महानगरीकी यह जबर्दस्त प्रगति बर्माके अन्तर्प्रदेशमे रहनेवाले किसानो और ग्रामीणोकी प्रगतिकी सच्ची द्योतक है। मुझे आपके सामने यह बात स्वीकार करते हुए दुख होता है कि कोई बाहरी पर्यवेक्षक भारतके बड़े-बड़े नगरोमें जो जबर्दस्त प्रगति हुई देखता है, वह प्रगति भारतके गाँवोकी जनताकी प्रगतिका सच्चा सूचक नही है बल्कि वह गाँवकी प्रगतिका सूचक है ही नही। लेकिन संसारके विभिन्न हिस्सोमें मैं विविध रूपोमें पिछले ४० वर्षसे जो सार्वजनिक कार्य करता रहा हूँ उनकी कहानी सुनाकर आपको थकाऊँ, ऐसा मेरा इरादा नही है।

मै अपने-आपको नागरिक जीवनका प्रेमी मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि नगर-पालिकाका सदस्य होना एक ऐसा सौभाग्य है जो सबको नही मिलता। लेकिन सार्व-जनिक जीवनका मुझे कुछ अनुभव होनेके नाते मै आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस विशिष्ट सम्मानकी एक अपरिहार्य शर्त यह है कि नगरपालिकाके सदस्योको स्वार्थपूर्ण नीयतसे इस पदकी कामना करनेका साहस नही करना चाहिए। उन्हे सेवा-की भावनासे अपने पवित्र कर्त्तव्यको पूरा करना चाहिए। उन्हे अपनेको भंगी कहनेमें

गर्वका अनुभव करना चाहिए — जैसा कि मैंने कराची नगरपालिकाके सदस्योसे कहा भी था। हमारी मातृभाषामे नगरपालिकाके लिए एक शब्द है। हम नगरपालिकाको 'कचरापट्टी' कहते है जिसका मतलब है, भगी गाडी। उस नगरपालिकाका होना न होना बराबर है जो किसी नगरके सार्वजनिक और सामाजिक जीवनके सभी अंगोको समाहित करनेवाला प्रमुख भंगी विभाग नही है, जो भंगीका काम करनेकी भावनासे ओतप्रोत नही है, जो नगरकी बाहरी सफाई ही नही, नागरिकोकी आन्तरिक स्वच्छताका भी ध्यान नही रखती।

भारतमें अपने भ्रमणके दौरान मुझे बहुत-सी नगरपालिकाओने अभिनन्दनपत्र दिये है और उनके उत्तरमे मैंने उनको बताया है कि जबतक कोई नगरपालिका अपने क्षेत्रके सभी बच्चोको जाति, धर्म, या रगका कोई भेद किये बिना, उनके सामाजिक दर्जोका भेद किये बिना प्रारम्भिक शिक्षा नही प्रदान करती, जबतक वह अपने क्षेत्रके सभी निवासियोंके लिए सस्ता और शुद्ध दूध उसी प्रकार सुलभ नही करती जिस प्रकार कि आपको डाकके टिकट सुलभ है तबतक उसे नगरपालिका कहलानेका कोई अधिकार नही है। रगून-जैसे महानगरके लिए अपने नागरिकोकी इन बुनियादी आवश्यकताओंको पूरा कर सकना, जिनपर यदि सब नागरिकोका नही तो कमसे-कम वृद्धजनों और बच्चोका स्वास्थ्य काफी निर्भर करता है, उसके सामर्थ्यसे बाहरकी बात तो नही होनी चाहिए। ईश्वर करे कि आपके नगरको भारतमे, या कहूँ तो पूर्वके देशोमें वह सबसे पहला नगर होनेका गौरव प्राप्त हो जहाँ नागरिकोके लिए सस्ता, शुद्ध और बिना मिलावटका दूध उपलब्ध किया गया हो।

आपने मुझे यह अभिनन्दनपत्र देकर मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद दिया है और एक बार फिर देता हूँ और मेरा जो सम्मान यहाँ किया गया है, उसे देखनेके लिए यहाँ आनेवाले इस विशाल श्रोता-समूहको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मै आशा करता हूँ कि मै अपने जीवनमे कभी कोई ऐसा काम नही करूँगा जिसके कारण आपको मुझ-जैसे तुच्छ व्यक्तिको सम्मानित करनेके अपने निश्चयपर खेदका अनुभव हो।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ११-३-१९२९

१७. भाषण: रंगूनकी सार्वजनिक सभामें[1]

८ मार्च, १९२९

मित्रो,

मुझे इस बातसे विशेष प्रसन्नता हुई है कि बर्मामे आते ही मुझे बर्मी मित्रो — पुरुषो और स्त्रियो — तथा उनके विचारो और उनकी अभिलाषाओसे निकटका परिचय प्राप्त करनेका अवसर मिला है।

आपने मेरे लाभके लिए जो अभिनन्दनपत्र अभी पढा है उसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आपने इसमे जो बहुतसे मुद्दे उठाये है उनपर मेरी कोई राय पानेकी आप आशा मत रखिए। आपसे मैने अभी जो-कुछ सुना है यदि मै उसपर अपनी राय देनेकी कोशिश करूँ तो वह मेरा दु साहस-भर होगा। लेकिन इतना तो मै मानता हूँ कि आपके बीचमे रहनेवाले भारतीयोने आपकी राजनीतिक अभिलाषाओ और आपकी कठिनाइयो तथा दुखोमे कोई दिलचस्पी नही ली है और यदि यह बात सच है तो मुझे बहुत दुख होगा। जो लोग आपके बीचमे रहते हुए अपनी जीविकाके साथ-साथ धनोपार्जन भी करते है उन्हे आपकी अभिलाषाओको अपनी अभिलाषाएँ मानना चाहिए तथा आपके सुख-दुखमे भागीदार होना चाहिए। इस स्वयसिद्ध बातको कहनेके लिए मुझे वास्तविक स्थितिका अध्ययन करनेकी आवश्यकता नही है।

आपने बताया है कि इस महीनेकी २३ या २२ तारीखको आप एक विशाल सम्मेलनका आयोजन कर रहे है और उस सम्मेलनमे आपका इरादा ब्रिटिश मालके बहिष्कारसे सम्बन्धित एक प्रस्ताव पास करनेका है। मै अत्यन्त नम्रतापूर्वक आपको इस प्रकारका कोई भी कदम उठानेके विरुद्ध आगाह कर देना चाहता हूँ। यदि आप अपने चारो ओर देखे तो व्यावहारिक पुरुष और स्त्री होनेके नाते आप देखेंगे कि यह प्रस्ताव यदि और कुछ नही तो केवल इस कारण ही बेकार है कि आपमे से कोई भी इस सकल्पपर अमल नही कर सकता। इस मामलेमे मै अपने-आपको विशेषज्ञ मानता हूँ और इसीलिए मै आपको जोरदार सलाह दूँगा कि आप अपना कर्त्तव्य निभाये — वह कर्त्तव्य यह है कि आप केवल ब्रिटिश मालका ही बहिष्कार न करे बल्कि सभी विदेशी वस्त्रका बहिष्कार करे जिसमे ब्रिटिश वस्त्र अनिवार्य रूपसे आ ही जाता है।

यह मर्यादा दो बातोपर आधारित है — एक तो व्यावहारिक बुद्धिपर जो कि मै अपने मे मानता हूँ, और दूसरे अहिंसाके सिद्धान्तपर जिसके बारेमे भी मेरा दावा है कि मैने उसका अध्ययन बड़ी श्रद्धापूर्वक, और बडे ही धैर्य और लगनके

१. इस सभामें गाधीजीको ऑल बर्मीज एसोसिएशनकी जनरल कौंसिलकी ओरसे एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया था।

साथ किया है। जो व्यक्ति अहिंसाकी भावनासे ओतप्रोत होता है उसका कभी किसी व्यक्तिसे कोई झगडा नही होता। उसका विरोध तो किसी प्रणालीके प्रति होता है; मनुष्यमें निहित बुराईके प्रति होता है, न कि स्वय मनुष्यके प्रति।

इस कारण आपकी लडाई ब्रिटिश जनतासे नही है बल्कि ससारकी कमजोर जातियोका शोषण करनेवाली साम्राज्यवादी भावनासे है। यदि आप इन मार्गोका अनुसरण करेंगे — मुझे इस योजनाको तफसीलसे बतानेकी कोशिश नही करनी चाहिए, लेकिन यदि आपने इन बुनियादी बातोका पालन किया तो मै उसका परिणाम तो जरूर बता सकता हूँ — तो इसका परिणाम यह होगा कि यह अहिंसात्मक विचार-पद्धति आपके वहिष्कार-कार्यमें खुद-ब-खुद अंकुश लगा देगी और इसकी परिसीमा होगी विदेशी वस्त्र।

लेकिन बहिष्कार-मात्र करनेसे बर्माके किसानोकी दशा सुधारनेकी दिशामे आपकी कोई प्रगति नही होगी। आज शामकी सभामे नगरनिगमके अभिनन्दनपत्रका उत्तर देते हुए मैंने अपने बर्मी मित्रोको उनकी उदारता तथा निश्छलताके लिए बधाई दी थी। लेकिन मुझे दुख है कि मै आप लोगोको वर्माके लोगोकी परिश्रमशीलताके लिए वधाई नही दे सकता। आप तो भूमिको तनिक-सा खोदकर उसमे प्रचुर मात्रामें धान उगा लेते है, और इतने से ही सन्तुष्ट हो जाते है। भारतके बहुत-से भागोमें हम लोग भी बिलकुल ऐसा ही करते है। लेकिन इससे आपका साल-भरका काम नही चल सकता और संसारके किसी भी देशके किसान सालमे केवल सीमित समयावधिमें ही कार्य करके अपनी सभी आवश्यकताओको पूरा करनेमे सफल नही हो सके है। अत. यदि आप विदेशी वस्त्रका आयात करते है तो आप अपने हाथो काम करके अपना कपडा स्वयं तैयार करनेके सौभाग्य तथा कर्तव्यसे स्वयंको वंचित करते है। यह तो अपने दोनो हाथ काट देने जैसा हुआ।

मुझे खेद है कि आपने चरखे और खादीका उल्लेख हलके ढगसे किया है। आप मेरी इस बातका विश्वास मानिए कि विदेशी वस्त्रका बहिष्कार करने तथा केवल ब्रिटिश कपडेका बहिष्कार करनेके बीच जो मौलिक भेद है, यदि आपने उसे नही समझा तो आप चरखा शुरू करवानेमें, बल्कि कहे कि उसकी पुन. प्रतिष्ठा करनेमें, सफल नही हो सकेंगे।

इसलिए आप लोगोमें जो बुद्धिमान है, उनसे मै चाहूँगा कि चरखेका भारतके करोड़ो क्षुधा-पीडित लोगोसे जो सम्बन्ध है उसका तथा उसी तरह आपके जीवनसे चरखेका जो जबर्दस्त सम्बन्ध है उसका आप जरा गहन अध्ययन कीजिए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-४-१९२९

९८. पत्र : रिचर्ड बी० ग्रेगको

दुबारा नहीं पढ़ा

स्थायी पता :
सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
९ मार्च, १९२९

प्रिय गोविन्द,

मुझे तुम्हारे पत्र बड़े नियमित रूपसे मिलते रहे हैं और उनसे मुझे हालचालको ज्यादा अच्छी तरह समझनेमें मदद मिली है, जो अन्यथा सम्भव नहीं था। यह तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि कुछेक ठोस कारणोंकी वजहसे मुझे अपनी यूरोप तथा अमेरिकाकी भावी यात्रा रद करनी पड़ी। मैं नहीं जानता कि मैं यूरोपमें भी कुछ ज्यादा अच्छा काम कर पाता कि नहीं, क्योंकि एन्ड्रयूजसे प्राप्त ताजा खबरके मुताबिक तो लगता है कि अमेरिका जाना बेकार साबित होता लेकिन यदि मैं यूरोप चला जाता तो अच्छा रहता। फिर भी, मैं जानता हूँ कि पश्चिम-यात्राको रद करना मेरे लिए बड़ी बुद्धिमानीकी बात थी। मेरे खयालमें बहुत-सी बातोंके लिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। अगर तुम कृष्णदासकी पुस्तकको संक्षिप्त करनेका समय निकाल सको और मैकमिलन ऐंड कम्पनीको उसे प्रकाशित करनेके लिए राजी कर सको तो बड़ा अच्छा होगा।

मैं इस समय बर्मामें हूँ। यह स्थान मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। यहाँके निवासी बहुत ही सीधे-सादे, बहुत उदार हैं, लेकिन फिर भी इनका बहुत अधम ढगसे शोषण होता रहा है। सबसे ज्यादा दुख तो इस बातका है कि ये लोग अपने शोषणका प्रभावकारी ढगसे विरोध नहीं कर पाते।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ४६६१)की फोटो-नकलसे।

९९. पत्र : एडमंड प्रिवाको

कैम्प, रगून
९ मार्च, १९२९

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मै तो वास्तवमें इस वर्ष अपनी यूरोप-यात्राकी आशा लगाये बैठा था। लेकिन भारतमें आपत्कालीन स्थिति होनेके कारण मुझे अपनी यात्रा रद करनेके लिए विवश होना पडा है। अब मेरे लिए यह कह सकना मुश्किल है कि मै यूरोप, यदि कभी जा सका तो, कब जा पाऊँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एडमंड प्रिवा
स्विट्जरलैंड

अंग्रेजी (जी० एन० ८७९०)की फोटो-नकलसे।

१००. भाषण : रंगूनकी सार्वजनिक सभामें

९ मार्च, १९२९

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

मै अपनी बात काफी हदतक हिन्दुस्तानीमे ही कहना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि आपका अभिनन्दनपत्र अग्रेजीमे लिखा हुआ है इसलिए पहले मै अग्रेजीमे एक छोटा-सा उत्तर दूंगा और फिर अपनी बात हिन्दुस्तानीमे कहूँगा।[1] इस हार्दिक स्वागतके लिए तथा अभिनन्दनपत्रमे मेरे प्रति कही गई सुन्दर बातोके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो मुझमे इतने गुण गिनाये है इस समय उन सबको अगीकार करना तो मेरे लिए सम्भव नही है, उन गुणोको अपनेमे आत्मसात कर लेना तो और भी मुश्किल है। लेकिन उनमे से दो गुणोके अपनेमें होनेका मै दावा कर सकता हूँ। पहली चीज तो यह है कि मेरा उद्देश्य केवल भारतीयोमें भाईचारा बढाना ही नही है। और न ही मेरा उद्देश्य केवल भारतको स्वतन्त्र कराना ही है, हालाँकि इसमे कोई शक नही कि आजकल मेरा सारा जीवन और सारा समय व्यवहारत: इसीमें

१. यह वाक्य १०-३-१९२९ के अमृतबाजार पत्रिकामें प्रकाशित रिपोर्टसे लिया गया है।

लगा रहता है। लेकिन भारतकी स्वतन्त्रताके जरिये मै मानव-मात्रमे बन्धुत्व स्थापित करनेका कार्य जारी रखने और उसमे सफलता प्राप्त करनेकी आशा करता हूँ। मेरी देशभक्ति कोई वर्जनशील वस्तु नही है। वह तो सर्वग्रहणशील है और मै ऐसी देशभक्तिको स्वीकार नही करूँगा जिसका उद्देश्य दूसरे राष्ट्रोके दुखका लाभ उठाना या उनका शोषण करना हो। मेरी देशभक्तिकी जो कल्पना है वह हर हालतमें हमेशा, बिना अपवादके, समस्त मानव-जातिके व्यापकतम हितके अनुकूल है। यदि ऐसा न हो तो उस देशभक्तिका कोई मूल्य नही होगा। इतना ही नही, मेरा धर्म तथा धर्मसे नि सृत मेरी देशभक्ति समस्त जीवोको अपना मानती है। मै केवल मानव कहलानेवाले जीवोमे ही भाईचारा स्थापित करना या मेल-मिलाप करना नही चाहता, बल्कि मै तो समस्त जीवधारियोके साथ, यहाँतक कि पृथ्वीपर रेगनेवाले जीवोके साथ भी, यही सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हूँ। यदि आप चौके नही तो मै कहूँगा कि मै पृथ्वीपर रेगनेवाले जीवोके साथ एकात्मकता स्थापित करना चाहता हूँ, क्योकि हम सब उसी परमात्मासे उत्पन्न होनेका दावा करते है और इस कारण प्रत्येक जीवधारी, चाहे उसका कोई भी रूप क्यो न हो, अनिवार्य रूपसे एक ही होना चाहिए। इसीलिए मानवमात्रके बन्धुत्वके मेरे आदर्शका वर्णन करते हुए आप मेरी जो भी प्रशंसा करेगे उसे मै बिना किसी अनौचित्यके स्वीकार कर सकता हूँ। आवश्यक उपसिद्धान्तके रूपमे आप स्वभावत. अस्पृश्यताका उल्लेख कर सकते है, जैसा आपने कृपापूर्वक किया भी है। मै बारम्बार कह चुका हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मके ऊपर एक बहुत बडा कलक है। और मेरे खयालमे, अन्तमें, जीवनकी दौडमे जिसमें आज ससारके सभी धर्म लगे हुए है, या तो हिन्दू धर्मका ही अस्तित्व मिट जायेगा या फिर अस्पृश्यताको ही पूर्णतया उखाड फेका जायेगा ताकि अद्वैत हिन्दू-धर्मका मूलभूत सिद्धान्त व्यावहारिक जीवनमे फलीभूत हो सके। आपने जिन बातोका अपने अभिनन्दन-पत्रमें उल्लेख किया है उनमें से इन दो बातोके अलावा और किसी गुणको मै अपनेमे न तो स्वीकार कर सकता हूँ और न उसे आत्मसात ही कर सकता हूँ। जब मेरी आँखे बन्द हो जायेगी और यह शरीर अग्निको भेट कर दिया जायेगा तभी मेरे कार्यके सम्बन्धमे निर्णय करनेका समय आयेगा

आपने बडी कृपापूर्वक मुझसे बर्माकी देशी जनताको कुछ सलाह देनेके लिए कहा है। मै आपको यह बता दूँ कि सलाह देनेके मामलेमे मै अपने-आपको बिलकुल अयोग्य मानता हूँ। आपकी महान् परम्पराओके सम्बन्धमे मेरा अध्ययन सिर्फ सतही है और आपकी वर्तमान समस्याओके सम्बन्धमे मेरा ज्ञान तो और भी मामूली है, हालाँकि आपके प्रति मेरे मनमें प्रेम और सराहनाकी जो भावना है वह किसीसे कम नही है, और मै कलकी दो सभाओमे उन्हे व्यक्त भी कर चुका हूँ। मुझे खुशी होती यदि सारे तथ्य मेरे सामने होते। मै यह भी चाहता था कि बर्माके विभिन्न राजनीतिक दल मुझसे मिल सकते और मै आपके मनकी बात जान सकता। मेरा दिल तो आपसे मिलनेके लिए बेकरार है लेकिन पहल आपको करनी है और यह निश्चित है कि आपकी पुकार व्यर्थ नही जायेगी। और अगर मैंने देखा कि

आपको थोडी-बहुत कामचलाऊ सलाह देनेके लिए भी मेरे पास पर्याप्त सामग्री है तो मै आपकी सेवाके लिए तैयार रहूँगा।[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-४-१९२९

१०१. मुझे दी गई सीख

"फौजदारी कानूनका उल्लघन" नामक लेख पढकर एक सज्जन लिखते है :[2]

> **आपके पास बहुत-सी विधवाएँ हैं। . . . आपको . . . समाजका भय है। अगर न हो तो आप लोगोंके सामने विधवा-विवाहका कोई उदाहरण क्यों नहीं रखते? . . .**

मेरे पास अनेक जवान विधवाएँ रहती है और सो भी इस तरहकी है जैसे मेरी सगी बेटियाँ हो। लेकिन उनका विवाह करनेमे न तो मै समर्थ हूँ और न कोई दूसरा। मै देखता हूँ कि आजकल जो-कुछ पढा जाता है, बडी लापरवाहीके साथ पढा जाता है, लोग पढी हुई बातोपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेको तैयार नही दिखाई देते। विधवा-विवाह सम्बन्धी मेरे लेखोमे मर्यादा निहित है। जो विधवा बच्ची है, जिसका विवाह उसकी इच्छाके बिना किया गया है, जो विवाह कर देनेसे खुश होगी, ऐसी विधवाका विवाह कर देना पुण्य है, यही मेरे लेखका आशय था। समझदार विधवाको जबर्दस्ती या समझा-बुझाकर ब्याह देनेका मेरा आशय हो ही नही सकता। मेरे साथ जो विधवाएँ रहती है, उनके आसपास ब्रह्मचर्यका वातावरण है। वे समझदार है। वे जानती है कि उन्हे पुनर्विवाह करनेकी स्वतन्त्रता है। वे बडी आजादीके साथ अपनी इच्छा मुझपर प्रकट कर सकती है। मै इससे ज्यादा कुछ कर ही नही सकता; इससे आगे न मै जाता हूँ और न यही चाहता हूँ कि दूसरा कोई जाये।

जिन बाल-विधवाओको मै जानता हूँ, उनका विवाह कर देनेकी कोशिश मै कर रहा हूँ। लेकिन यह सहज ही नही हो पाता। माँ-बाप उन्हे अपनेसे दूर नही होने देते, न फिरसे उनका विवाह करते है, न उन्हे करने देते है। इन मामलोमे माता-पिताका अकुश घातक होता है और धर्मके नामपर अधर्मको बढानेवाला होता है। वे रूढिकी जजीरसे जकडे हुए है, इस कारण पिसते रहते है। वे यह नही जानते कि उनके आश्रयमे पडी हुई बालाएँ भी उन्हीकी तरह पिसी जा रही है। मै तो यहाँतक आशा लगाये बैठा हूँ कि मेरे साथ रहनेवाली कुमारियाँ और जवान विधवाएँ किसी दिन अपनी तपश्चर्याके बलसे बाल-विधवाओके बन्धन तोडेगी। वे स्वय विवाह करके

१. इसके बाद गांधीजी हिन्दीमें बोले। और अधिक धनकी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि संग्रहका अधिकाश खादी-कोष तथा भारतके करोड़ों क्षुधा-पीड़ितोंके लाभार्थ दिया जायेगा।

२. अंशतः दिया गया है।

कोई उत्तम आदर्श उपस्थित नही कर सकती। वे तो स्वेच्छासे ब्रह्मचर्यका पालन करके ही बालिकाओके बन्धन काटनेकी शक्ति पा सकती है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १०-३-१९२९

१०२. भाषण : गुजरातियोंकी सभा, रंगूनमें

१० मार्च, १९२९

हम हिन्दुस्तानके किसी भी भागमे जाये वहाँ गुजराती और मारवाडी मिल जाते है। यही दोनो कौमे चाहे तो खादीका व्यापार भी कर सकती है। फिर भी यहाँ रंगूनमे खादी-भण्डार चलानेमे बडी कठिनाई हो रही है, यह एक बडी शर्मकी बात है। यहाँ एक भी गुजरातीका खादीधारी न होना तो असहनीय ही है। आप सब तो पूर्णतया स्वतन्त्र है। जो लोग व्यापार करते है उनके लिए तो खादी न पहननेका कोई कारण ही नही है। जो अग्रेजी पेढियोमे काम करते है यदि उन्हे यह डर हो कि खादी पहननेसे नौकरी चली जायेगी तो नौकरी छोड देनेमे ही उनका कल्याण है। मुझे हर गुजरातीसे यह आशा है कि इतने वर्षोकी शिक्षाके बाद उसमे नौकरी छोड देनेकी हिम्मत आ गई होगी। आपमे से कितने लोग 'नवजीवन' पढते है? (काफी हाथ ऊपर उठाये गये।) गुजरातियोमे भी 'नवजीवन' न पढने-वाले व्यक्ति मौजूद है, यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मै यह नही पूछना चाहता कि कितने लोग 'नवजीवन' खरीदते है, क्योकि आप लोग 'नवजीवन' खरीदते है या नही, मुझे इसकी चिन्ता नही है। ईश्वरकी कृपासे उसे कभी घाटेपर नही चलाना पडा, हालाँकि जितना वह पहले बिकता था उतना अब नही बिकता। गुजराती 'नवजीवन' चलाते ही रहेगे, इस विषयमे मुझे तनिक भी शका नही है। फिर आपमें से ज्यादातर लोग 'नवजीवन' पढते है इसलिए खादीके बारेमे मै आपसे ज्यादा कुछ नही कहना चाहता।

आपकी शालाके विषयमे मै आपसे एक बार चर्चा कर चुका हूँ, आज फिर कुछ कहना चाहता हूँ। आपको अपनी पाठशालाकी शोभा बढानी चाहिए। उसे और सजाना चाहिए। शुद्ध परमार्थ नामकी तो कोई वस्तु दुनियामे है ही नही। सब प्रकारके परमार्थमे स्वार्थका अश रहता है। किन्तु जिस स्वार्थके साथ दूसरोका स्वार्थ भी सधता हो उसे हम परमार्थके नामसे जानते है। मै खादीकी जो बात कहता हूँ वह इसी प्रकारका परमार्थ माना जायेगा, किन्तु इस शालामे तो आपका स्वार्थ है। आपके व्यापार और व्यवहारके लिए जितने ज्ञानकी आवश्यकता है, यह ज्ञान प्राप्त करनेकी पूरी-पूरी सामग्री आपकी इस शालामे होनी चाहिए। आज तो हम किरायेके सभा-भवनमे बैठे है। आपके पास तो इससे भी बडा अपना सभा-भवन होना चाहिए। मै अंग्रेजोंके दोषोको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किन्तु उनमे कितने ही अनुकरणीय गुण भी है। वे भी व्यापार करने आये है और व्यापारियोंकी तरह रहते है। किन्तु

उन्होने अपने बालकोके लिए कितनी सुविधाओंका प्रबन्ध कर रखा है! दार्जिलिंग और शिमला जैसे स्थानोमें बडे-बडे विद्यालय खोल रखे है। अपने बच्चोकी शिक्षाके लिए वे अपार धन खर्च करते है। आप भी अपने बच्चोके लिए ऐसी शाला खोले जहाँ वायु शुद्ध हो और उन्हे स्वच्छताका पदार्थ-पाठ मिले। आपका विद्यालय किसी ऐसे ही स्थानपर बनाया जाना चाहिए।

गुजरातसे बाहर रहनेके कारण आप लोगोकी जिम्मेदारी तो दुगुनी हो जाती है। यहाँ बहुत-से काठियावाड़ी है। 'मधुसे भी मीठे लोग यहाँ देखे है' नवलरामकी इस उक्तिमें सत्यता तो है पर उसमें ध्वनित पारस्परिक झगडे और खुशामद आदि जो खराब आदतें हममें है, उन्हे छोडकर ही हमें बाहर निकलना चाहिए। हम गुजरातमें जब अपने समाजके बीच रहते है तो वहाँ समाज बडा होनेके कारण हमारे बहुत-से दोष छिप जाते है। यहाँ इस छोटे-से समुदायमें हमारे दोष तुरन्त सामने आ जाते है। विदेशमें लोग किसी समाजके एक ही व्यक्तिसे पूरी जातिको तौलते है। किन्तु जिस तरह एन्ड्रयूज जैसा मनुष्य हिन्दुस्तानमें आकर अंग्रेजोके दोषोको छिपा देता है, उसी तरह आप भी अपने दोषोको त्यागकर अपने गुणोकी सुगन्ध फैलायें। आप तो गुजरातके ही नही, भारत-भरके प्रतिनिधि है। ब्रह्मदेश भारतका भाग नही है। जिसे हम भारतवर्ष मानते है यह उसका हिस्सा नही है। आप यहाँ विदेशीकी तरह आते है तो दूधमें चीनीकी तरह घुलमिल जायें। आपको अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए और आपके आचरणमें ऐसी कोई बात नही होनी चाहिए जो किसीको खटक सके।

क्या आप यह मानते है कि व्यापारमें ईमानदारीसे चलकर कमाई नही हो सकती है? व्यापारमें नीतिसे काम नही लिया जा सकता, यह केवल भ्रम है। इसके मेरे पास काफी उदाहरण है। जमनालालजीका ही उदाहरण ले। लगभग बारह वर्षसे ज्यादा समयसे वे मेरे सम्पर्कमें है। वे मानो तटस्थ खडे रहकर मुझे देखते-समझते और मेरे द्वारा किये गये परिवर्तनोका निरीक्षण करते रहे है। वे अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति है, दूसरोंकी हलचलोपर निगाह रखने आदिका अत्यन्त विचारपूर्वक काम करनेवाले मनुष्य है। उन्होने अपना व्यापार किस प्रकार पूर्णतया शुद्ध रखा है, उसकी साक्षी मै दे सकता हूँ। इसी प्रकार एक प्रातःस्मरणीय नाम उमर हाजी आमद झवेरीका भी है। यह नही कहा जा सकता कि इस व्यक्तिके पास सदा पैसा रहा हो, किन्तु आज तो उसके पास लाखोकी सम्पत्ति है और मै जानता हूँ कि उन्होंने कभी बेईमानीसे पैसा नही कमाया। इस प्रकार मै कह सकता हूँ कि नीतिका मार्ग अपनानेवाला व्यक्ति करोडपति भले न बन पाये, लखपति तो बन ही सकता है।

हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नसे सम्बन्धित मेरे व्यवहारके विषयमें बहुत-से लोगोको शका है। बहुत-से लोग यह भी मानते है कि अली-भाइयोका साथ और उनको प्रोत्साहन देकर मैंने भारी भूल की है। किन्तु आज भी मुझे उनके साथ सम्बन्ध जोड़नेका पश्चात्ताप नही है। मै जिनके साथ मित्रता करता हूँ उनसे किसी तरहका सौदा नही करता। मित्रता सौदा नही है, वह तो एकपक्षीय व्यवहार है। बदला चाहनेवाला व्यक्ति मित्र नही माना जा सकता। जिस मनुष्यकी रात-दिन अहिंसाका पालन करनेकी

ही इच्छा है वह और किसी तरहका व्यवहार कर ही नही सकता। आज भी यदि खिलाफतपर फिरसे वैसी ही मुसीबत आ जाये तो मै अपने प्राण दे सकता हूँ। विपत्तिके समय आज भी मै मुसलमानोका उतना ही साथ दूँगा। आप कह सकते है कि मेरे व्यवहारके परिणामस्वरूप मुसलमानोमे बहुत जागृति हुई है, किन्तु क्या हिन्दुओमे कम हुई है? पर यह सब मेरे कारण हुआ है, ऐसा अभिमान तो मै नही करता। मै तो केवल निमित्त-मात्र हूँ। किन्तु मुझे अपने कियेका तनिक भी पश्चात्ताप नही है। मुसलमानोसे मेरी मित्रता बहुत पुरानी है। दक्षिण आफ्रिकामे भी मै उनके घनिष्ठ सम्पर्कमे रहा। ऐसे प्रसग भी आये जब मुझे उनकी गालियाँ खानी पडी, तो भी आज मै यही कहूँगा कि उस मित्रताके द्वारा मैने जगतकी सेवा ही की है। अगर मुसलमानोके लिए मैने आपसे सेवा या धन लिया है तो मुझे नही लगता कि ऐसा करके मैने कोई बुरा काम किया है। आप धर्मका पालन करेगे तभी तो वह टिका रहेगा। आत्मसम्मान और स्वतन्त्रताके विषयमे भी यही कहा जा सकता है। किसीके साथ अपने व्यवहारके कारण हमे हानि हुई है, यह सोचना कायरता है। कोई हमे धोखा दे तो उससे हमारा कुछ नही बिगडता; किन्तु जिस दिन हम किसीको धोखा दे उस दिन हम ऐसा माने कि हमारा झण्डा नीचे झुक गया है। इसलिए हम तो यही माँगे कि ससारको धोखा देनेके बजाय ससार हमे धोखा दे तो अच्छा। और यदि हम यह मानें कि ससार द्वारा धोखा खाना श्रेयस्कर है तो हमे संसारमे विश्वास करना भी सीखना होगा। क्या आप जानते है कि यह आप किस प्रकार सीख सकते है? अपने पुत्रके साथ व्यवहार करनेमे मै जितनी सावधानीसे काम लेता हूँ, दूसरोके प्रति उससे ज्यादा सावधानी न रखूँ। अपने लडकेको धन देकर उससे जमानतनामा लेता होऊँ तो दूसरोसे भी लूँ। किन्तु उसे पैसा देने पर कुछ नुकसान होगा, ऐसा डर तो मनमे रखूँगा ही नही।

इतना कहनेके बाद मै डरते-डरते आपसे पूछता हूँ कि क्या आप जामिया मिलियाके लिए कुछ दे सकेंगे? दे सके तो जरूर दे। मैं तो केवल खादी-कार्यके लिए आया हूँ इसलिए एक ही बात कहूँगा। बहुत-से काम करनेवाला हार जाता है। बहुत-से काम करनेकी शक्ति भी ईश्वरके पास ही है। वह बहुत-से काम करते हुए भी उनसे अलग बना रह सकता है। इसलिए यदि आपको मुसलमानोके प्रति द्वेषकी छूत न लगी हो और आपके मनमे श्रद्धा हो — मेरे कहनेके कारण नही, किन्तु स्वतन्त्र रूपसे आपके मनमे श्रद्धा हो — तो आप सहायता करे।

तिलक स्वराज्य कोषकी क्या व्यवस्था हुई, यहाँ इस आशयकी एक पुर्जी पाकर मुझे आश्चर्य हुआ है। मै तो यही कहूँगा कि करोड रुपयोकी राशिका ऐसा कोई दूसरा कोष नही है जिसका इस कोषके जितना सदुपयोग हुआ हो। आपको हर वर्ष व्यापारमे कितना नुकसान उठाना पडता है? लगभग पाँच प्रतिशत नुकसान तो होता ही होगा। करोड रुपयेके इस लेन-देनमे पाँच प्रतिशत नुकसान भी नही हुआ। और जो नुकसान हुआ भी वह इसलिए नही कि कोई रुपया खा गया है।

इस कोषका हिसाब छुपा हुआ नही है। इसका पूरा हिसाब रेवाशकर जगजीवनकी पेढीके पास है। यदि आप न जानते हो तो मै आपको बता दूँ कि

यह एक करोड रुपया मेरे पास नही आया। अनेक मारवाड़ियोने अपना और भी पैसा अमानतके रूपमे रखा था और उसका न्यास बना दिया गया था। रामनारायण सेठके न्यासका पैसा अब भी मौजूद है। बैरिस्टर जयकर और उमर सोबानीने पच्चीस-पच्चीस हजार रुपया दिया था, वह 'इंडिपेंडेंट'के लिए दे दिया गया। देशबन्धुने पन्द्रह लाख रुपया भेजनेका वचन तार द्वारा दिया है। यह बात मैंने तारको ठीक न पढ़नेके कारण समझ ली थी। उन्हें तो नकद पाँच लाख रुपये भी प्राप्त नही हुए थे। पंजाबका पैसा लालाजीने पंजाबमें ही रख लिया था। यह तो मैंने मोटी-मोटी बातें बताई। गुजरातियोने इस कोषके लिए काफी धन दिया था। बम्बईके पैसेके लिए मैंने बम्बईमें ही न्यासी नियुक्त कर दिये थे। यह पैसा आज भी न्यासियोके हाथमें है। बम्बईका काग्रेस भवन इसी कोषके धनसे बनवाया गया है। काग्रेसका कार्यालय भी आज इसी निधिसे चलाया जा रहा है। काग्रेसने जो लाखो रुपया खर्च किया है, उसका पाई-पाईका लिखित हिसाब है। उस एक-एक पाईका ठीक-ठीक उपयोग हुआ है या नही, यह तो मैं नही कह सकता। हर प्रान्तने अपना धन जैसा ठीक लगा, वैसे खर्च किया। पर इसमे किसीने पैसा खाया नही है या अपने किसी सम्बन्धीको नही दिया है और उसका पूरा हिसाब सुरक्षित है।

मै आज उससे भी बड़ा व्यापार कर रहा हूँ। याद रखिए कि खादीका व्यापार इतना बढेगा कि जिस तरह लोग शरीरसे चीटी झाड़ देते है वैसे ही विदेशी कपडा झाड़ देंगे। चरखा संघका हिसाब तो आप जिस समय माँगें उसी समय मिल सकता है। उसकी व्यवस्था जमनालाल और शंकरलाल बैंकरके हाथमें है। वे इतने सावधान है कि यदि मेरा मन कही भी पैसा खर्चने या देनेका हो तो वे मुझे रोकते हैं। पैसोंका हेर-फेर करनेवाले या पैसा खा जानेवाले कार्यकर्त्ता हमें नही मिले, ऐसी बात नही है। हमारे कार्यकारी मण्डलके लोगोमें हजारमें से एक खोटा हो सकता है। किन्तु खादीका काम तो जग-जाहिर है। यदि आप बारडोलीसे सम्बन्धित लेखोको पढ़ते रहे है तो आप जानते ही होंगे कि खादीके आसपास कितना सुन्दर कार्य हो रहा है। खादीके प्रतापके बिना वल्लभभाई कभी बारडोली सत्याग्रह न कर पाये होते; किन्तु आज हमे खादीका व्यापक प्रचार करना है और उसका सन्देश घर-घर पहुँचाना है।

मैं यह भी चाहता हूँ कि आप गो-सेवाकी प्रवृत्तिमे भी रुचि ले। आज हमारी स्थिति यह है कि हम शुद्ध जूता[1] तैयार कर सकते है जिसे पहनकर मन्दिर जानेमे भी कोई आपत्ति नही है। आप इस प्रवृत्तिमे दिलचस्पी ले और सच्ची गोरक्षा करे। आज ये बहुत सी बातें मैंने आपसे कही; अभी और भी बाते कही जा सकती है। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि मैंने ये सब बातें आपको इन कामोमें खीचनेकी दृष्टिसे ही कही है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-३-१९२९

१. मरे हुए ढोरकी खालका बना हुआ जूता।

१०३. भाषण: रंगूनमें, आर्य-समाजियोंके समक्ष[1]

१० मार्च, १९२९

मैं तो जहाँ-तहाँ अपने-आपको सनातनी हिन्दू कहता रहता हूँ, फिर भी आप मुझे आर्य-समाजी मानते हैं, यह आपकी उदारता है। आपका इतना प्रेम देखकर मुझे आनन्द होता है। आर्य-समाजके लिए मुझे कोई ऐसा-वैसा आदर नहीं है। आर्य-समाजकी विवादग्रस्त बातें समय आनेपर विस्मृत हो जायेंगी, लेकिन आर्य-समाज और महर्षि दयानन्दने हिन्दू-समाजकी जो सेवाकी है वह सदा अमर रहेगी। महर्षिने पुकार-पुकार कर हिन्दू-समाजके आगे ब्रह्मचर्यका मन्त्र रखा, भारतीय संस्कृतिके प्रचारपर जोर दिया और वेदोंके अभ्यासके महत्त्वकी ओर सारे समाजका ध्यान खींचा। ऋषि की यह सेवा भूलने योग्य नहीं हैं, कोई उसे भूल नहीं सकता। वैसे आर्य-समाज और हिन्दू-समाजकी जुदाई, उनके पृथक् अस्तित्वकी बातमें मुझे ज्यादा सार नहीं मालूम होता। मेरे मतमें, आर्य-समाज हिन्दू-धर्मकी शाखा है और हरएक आर्य-समाजी हिन्दू ही है। मैं आर्य-समाजियोंसे इतना ही कहूँगा कि आर्य-समाजियोंमें जिन-जिन गुणोंके होनेका दावा किया जाता है, उनके होनेकी आशा रखी जाती है, वे सारे गुण जहाँ-जहाँ आप लोग हो वहाँ-वहाँ आपके जीवनमें पाये जायें।

हिन्दी नवजीवन, ४-४-१९२९

१०४. भाषण: रंगूनमें, भारतीय द्वारपालोंके[2] समक्ष

१० मार्च, १९२९

अगर आप अपने धन्धेमें किसी तरहकी नीचता या बुराईका अनुभव करते हैं तो भूल करते हैं। जब आपके मालिकपर कोई आफत आती है तो न केवल उनकी दौलतकी बल्कि उनके कुटुम्ब और उनकी इज्जतकी रक्षाका भार भी आपको अपने हाथोंमें लेना पड़ता है। यह कोई ऐसी-वैसी जिम्मेवारी नहीं है। लक्ष्मणको रामचन्द्रकी दरबानी ही करनी थी न? आपको याद होगा कि द्वारपालका काम करते हुए जो घटना घटी थी उसके कारण लक्ष्मणने लड़ाईमें भाग लेकर अपने प्राणोंका मोह छोड़ा था, प्राणविसर्जनकी तैयारी की थी। लक्ष्मणने द्वारपालका काम कितना पवित्र माना था और उसके गौरवको कितना ज्यादा बढ़ाया था? अगर आप समझते हो कि दरबानका दर्जा नीचा है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार अपने-आपको

१. इसे महादेव देसाई द्वारा गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणमें से लिया गया है।

२. इन लोगोंने, जिनमें अधिकांश गोरखपुरके थे, गांधीजीको १,८११ रुपयेकी एक थैली भेंट की थी। यह रिपोर्ट महादेव देसाई द्वारा गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणमें से ली गई है।

भारतका दरबान कहा करती है, और फिर भी आज वह भारतकी स्वामिनी बनकर बैठी है। इस कारण आदर्श द्वारपाल बननेके लिए जिन गुणोकी जरूरत रहती है, वे गुण आप सीखो — अपना चरित्र इतना पक्का बना लो कि जबर्दस्त लालच भी आपको नीचा न दिखा सके, हिम्मत इतनी इकट्ठी कर लो कि मौका पडनेपर मालिकके लिए मरनेको तैयार रह सको।

हिन्दी नवजीवन, ४-४-१९२९

१०५. भाषण : भारतीयोंकी सभा, रंगूनमें

१० मार्च, १९२९

हमारी एक शिकायत की गई है। मै उसकी तरफ आपका ध्यान खीचना चाहता हूँ। यहाँके लोगोकी शिकायत है कि भारतीय उनके सुख-दुःखमे हिस्सा नही लेते, उलटा नुकसान ही पहुँचाते है। मै सोचता हूँ कि इस शिकायतमे अतिशयोक्ति है। किन्तु मै यह भी मानता हूँ कि इसमे कुछ-न-कुछ सत्य अवश्य है, क्योकि मैने यही बात लंका और दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले भारतीयोमे भी देखी है। इसलिए यहाँ भी यह शिकायत सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नही होता। अत मेरा कहना है कि जहाँसे हमे रोटी तो क्या रोटीसे भी ज्यादा मिलता है, वहाँके लोगोके पाससे आप पैसा बटोरते हुए विचार करे। मेरी प्रार्थना है कि आप बर्माके भाई-बहनोको न भूले। हिन्दुओके लिए ऐसा करना तो दुहरा कर्त्तव्य है, क्योकि वे हिन्दू है और बौद्ध धर्म हिन्दू-धर्मकी शाखा है, इसलिए आप उनके दुखमे दुख, सुखमे सुख माने। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कभी भगवानके आगे पश्चात्ताप न करना पड़े। ऐसा व्यवहार करे कि बर्माके लोग कहे 'ऐसे लोग बर्मामे जरूर रहे।' हिन्दुस्तानसे बहुतसे लोग यहाँ आये है। यह एक अच्छी बात है किन्तु वे या आप सभी यहाँके लोगोसे मिलजुलकर रहे। उनके विचार समझे और जहाँ उनकी मददकी जरूरत हो उनकी मदद करें। मै अपने ४० वर्षके अनुभवसे बता सकता हूँ कि ससारके साथ इस रीतिसे व्यवहार रखा जाये तो कोई नुकसान नही होता।

आप ऐसा न कहें कि मै तो फकीर बन गया हूँ इसलिए मेरे लिए जो-कुछ करना सम्भव है वह आपके लिए सम्भव नही है। मै फकीरीका दावा नही करता। मुझे भी पेट भरना है। मेरी औरत है, बच्चे है, सगे-सम्बन्धी है। ऐसा भी नही कि मृत्युके किनारेपर खडा होकर मै ज्ञानकी ऐसी बाते कर रहा हूँ। मै तो जब जवान था तबका अनुभव बता रहा हूँ। सच्ची कमाईसे निर्वाह करनेवाले बहुत व्यक्ति ससारमे है। वे खुदाको हाजिर-नाजिर मान अपना रोजगार करते है। इसलिए आप मेरी बात यो ही न उडा दें।

मेरा लिबास फकीरका नही — ढेढ़, भगी या कुलीका है। किन्तु ढेढ, भंगी, चमार वगैरह फकीर नही है। वे भी मजदूरी करके पेट भरते है। व्यापारमे भी जो

मनुष्य सचाईसे काम लेता है, उसे इस लोकमे दाल-रोटी तो मिलती ही है और परलोकका सुख भी मिलता है।

मै तो यहाँ भिक्षु बनकर आया हूँ। यहाँके भारतीय भाइयोको लूटकर भारतके ६० करोड़ लोगोके लिए व्यापार करना चाहता हूँ और आपके बच्चोको आजादीकी शिक्षा देना चाहता हूँ। जिन्हे रोटीका टुकडा भी नही मिलता उन्हे कुछ देनेके लिए आपके पाससे धन माँगने आया हूँ। मुझे अच्छा लगा है कि आजका दिन मैने धन लूटनेमे नही लगाया किन्तु बर्मा निवासी आप लोगोकी पहचानमे बिताया है। आप मुझे जैसा मै हूँ, वैसा पहचाने और फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ देना चाहिए तो दे।[1]

मै सिर्फ गुजरातियोसे ही पैसा लेने नही आया हूँ, बल्कि यह आशा भी करता हूँ कि बगाली, पजाबी और तमिल लोग भी मुझे जितना दे सकते है उतना देगे। यह सही है कि मै गुजरातियोकी जेब मे से ज्यादा लेनेका प्रयत्न करूँगा। चेट्टी लोग करोडोका व्यापार करते है। उनके पास लाखोकी सम्पत्ति है। वे भी मेरी बात टाल न दे। वे यह न भूले कि मै भी उन्हीकी जातिका हूँ, गुजरातका चेट्टी हूँ। आप याद रखें कि मै चौदह वर्षके बाद बर्मा आया हूँ। चौदह वर्षके बाद अकाल पडे तो उसे भी सहन कर लिया जाता है और लोग बहादुरीसे उसे निभा लेते है। तो आप दरिद्रनारायणके इस दूतकी भूख मिटानेका यथासम्भव प्रयत्न करेगे, ऐसी मै आशा करता हूँ। मै चौदह वर्षके बाद आया हूँ और हो सकता है फिर कभी न आऊँ। पर दरिद्रनारायणका पेट कभी नही भरता इसलिए उसके प्रतिनिधिका पेट भी कभी नही भरता।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१०६. भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, रंगूनमे[2]

१० मार्च, १९२९

साथी विद्यार्थियो और मित्रो,

आपके अभिनन्दनपत्रके लिए तथा उस उदार थैलीके लिए जो मै समझता हूँ दरिद्रनारायणके लिए दी गई है, मै आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपमे से जो भारतीय है वे तो दरिद्रनारायणका अर्थ जानते ही होगे, लेकिन शायद बर्मी विद्यार्थी इसके महत्त्वको न जानते हो। मानवजाति जिसे ईश्वरके नामसे जानती है — ऐसा ईश्वर जो अकथनीय है और जिसका रहस्य मानवबुद्धि नही पा सकती — उसके करोडो नामोमे से एक है दरिद्रनारायण। दरिद्रनारायणका अर्थ है गरीबोका ईश्वर, गरीबोंके

१. इसके बादके अनुच्छेदका मिलान यंग इंडिया, २८-३-१९२९ में दिये गये विवरणसे कर लिया गया है।

२. सभाका आयोजन जुबली हॉलमें किया गया था। इसमें गांधीजीको १००० रुपयेकी थैली भेंट की गई थी।

हृदयोंमें निवास करनेवाला ईश्वर। इस नामका प्रयोग दिवगत देशबन्धु दासने एक बार सत्य-दर्शनके पावन क्षणोमे किया था। इस नामको मैंने अपने अनुभवसे नही गढा है बल्कि यह मुझे देशबन्धुसे विरासतके रूपमे प्राप्त हुआ है। देशबन्धु इस शब्दका प्रयोग उस ध्येयके सम्बन्धमे करते थे जिसके प्रति अन्य लोगोके साथ-साथ मेरा जीवन भी समर्पित है। मेरा तात्पर्य चरखेके सिद्धान्तसे है। मुझे पता है कि अब भी ऐसे बहुतसे लोग है जो इस छोटेसे चरखेका मजाक उडाते हैं और मेरे इस खास कार्यको दिमागकी खराबी बताते है। इस प्रकारकी आलोचना तथा उपहासके बावजूद मै चरखेके सिद्धान्तको अपनी सबसे महत्त्वपूर्ण गतिविधियोमें से एक मानकर इसका पालन करता हूँ और मुझे यकीन है — उतना ही जितना कि मै आपके सामने भाषण दे रहा हूँ इस बातका यकीन है — कि वह समय आ रहा है जब सारे व्यंग्य और ताने काफूर हो जायेंगे और ताने मारनेवाले घुटने टेककर मेरे साथ यह प्रार्थना करेंगे कि भारतके करोड़ो अधपेट और क्षुधा-पीडित लोगोके उजडे हुए घरोमे चरखेको एक स्थायी स्थान प्राप्त हो। जो भारतीय यहाँ बस गये है उनके लिए मै वह सन्देश लानेमे हिचकिचाया नही हूँ। बर्मियोसे खादीके लिए चन्दा देनेकी अपील करनेका मुझे कोई अधिकार नही है लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भारतीय आपके इस देशमे जीविकोपार्जनके सिवा धनोपार्जन भी करते हैं उनसे यह कहनेका मुझे हक है कि आप दरिद्रनारायणकी खातिर अपना धन भेंट कर दीजिए।

एक मित्रने मुझे बताया है, मैं नही जानता कि इसमें कितनी प्रामाणिकता है, कि विद्यार्थियोमे ऐसी चर्चा चली है कि बर्मामें खादीके लिए संग्रह करना मेरे लिए उचित नही है, और मुझे बर्मामे बर्मियोके हितके लिए भी कुछ देना चाहिए। यदि यहाँपर मौजूद किसी बर्मीकी ऐसी धारणा हो तो मुझे आशा है कि इस सभाके खत्म होनेपर वह इस बातसे आश्वस्त होकर जायेगा कि यहाँसे इकट्ठे हुए धनका कोई भाग बर्माके लोगोके लिए खर्च करना मेरे लिए ठीक नही है। इस स्थानीय कार्यके लिए चन्दा इकट्ठा करनेके लिए एक व्यक्तिको सुदूर साबरमतीसे बुलाया जाये, इसे आपको अपनी प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मानको चोट पहुँचानेवाली बात समझना चाहिए। उन सब कामोके लिए तो आपको धन प्राप्त हो जायेगा, मुझे तो आप भारतके करोडो क्षुधा-पीडितोके लिए जो-कुछ मै कर सकता हूँ उसे पूरा करनेके लिए स्वतन्त्र छोड दीजिए।

विद्यार्थी जगतके सम्बन्धमे आपने जो सम्मान मुझे दिया है उसे मै स्वीकार करनेका साहस नही कर सकता। लेकिन मैं एक और सम्मान पानेके लिए प्रयत्नशील हूँ। वह है विद्यार्थी-समुदायका सेवक बनना — भारत या बर्माके ही विद्यार्थी समुदायका नही बल्कि, यदि आप मेरी यह आकाक्षा बहुत ऊँची न समझे तो कहूँ कि विश्व-भरके विद्यार्थी समुदायका। विश्वके दूरस्थ देशोके विद्यार्थियोके साथ मेरा सम्पर्क रहता है और यदि ईश्वरकी कृपासे मुझे जीवनके कुछ वर्ष और मिल जाये तो सम्भव है मै उस दावेको सार्थक कर दिखाऊँ। मै जानता हूँ कि मैने भारतके हजारो-हजार विद्यार्थियोके साथ महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। मेरे मनमें यह कुतूहल था कि यहाँके विद्यार्थियोमे अधिकांश भारतीय होंगे या बर्मी — भारतीयोंकी

संख्या यहाँ कितनी प्रतिशत है यह जाननेसे मुझे खुशी होती और यहाँके विद्यार्थियोके जीवनका कुछ परिचय पाना भी मुझे अच्छा लगता। आप बर्मी है या भारतीय, इससे कोई फर्क नही पडता, आपने तो विश्व-भरके विद्यार्थियोके लिए उपयुक्त शब्द चुना है, वह शब्द है विद्यार्थी गणतन्त्र। आपने अपनेको अनुत्तरदायी कहा है। जबतक यह चीज सीमामे रहे तबतक तो ठीक है लेकिन जिस क्षण यह सीमासे परे हुई उसी क्षण आप विद्यार्थी नही रहेगे। अपना शैक्षिक जीवन खत्म कर लेनेपर कोई व्यक्ति विद्यार्थी नही रह जाता, ऐसी बात नही है। कुछ भी हो, अपने पिछले ४० वर्षके जीवनका अवलोकन करनेपर मै देखता हूँ कि अपना अध्ययन समाप्त कर लेनेके बाद मैने अपने विद्यार्थी जीवनकी ड्योढीपर पहला कदम रखा था। जीवनका एक अनुभवी ज्ञाता होनेके नाते मुझसे आप इतना तो ग्रहण कर ही लीजिए कि बादके जीवनमे केवल किताबी शिक्षा आपके बहुत कम काम आयेगी। सम्पूर्ण भारतके विद्यार्थियोके साथ पत्र-व्यवहार करनेपर मुझे पता चला है कि ढेरो पुस्तकोसे प्राप्त जानकारीको अपने दिमागोमे ठूँस-ठूँसकर भरनेके कारण उन्होने अपनेको तबाह कर लिया है। कुछ तो विक्षिप्त गये है। कुछ पगला गये है, और कुछ अपवित्रताका दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे है। जब वे कहते है कि वे कितनी भी कोशिश कर ले, वे जैसे है वैसे ही रहेगे, क्योकि वे शैतानसे जीत नही सकते, तब मुझे उनसे सहानुभूति होती है। वे दुखके साथ पूछते है, "हमे बताइए इस बुराईसे कैसे बचा जाये। हमपर जो मैल चढ गया है, उसे कैसे धोया जाये।" जब मैने उनसे कहा कि आप रामनाम ले, ईश्वरके सामने झुककर उसकी सहायता माँगे तो वे मेरे पास आकर कहते है, "हमे नही पता ईश्वर कहाँ है। न ही हम यह जानते है कि प्रार्थना क्या चीज होती है।" ऐसी है उनकी अधोगति जिसे वे प्राप्त हो चुके है। इसीलिए मै विद्यार्थियोसे कहता आ रहा हूँ कि अपने ऊपर नियन्त्रण रखो, जो भी साहित्य मिल जाये उस सबको न पढो। मै तो उनके शिक्षकोसे भी कहता हूँ कि वे अपने हृदयोका परिष्कार करे तथा विद्यार्थियोके साथ एक दिली सम्बन्ध स्थापित करे। मैने तो यह महसूस किया है कि शिक्षकोका वास्तविक काम कक्षामे उतना नही है जितना उससे बाहर होता है। आजकलके मामूली जीवनमे जिसमे शिक्षक और प्रोफेसर केवल उतना ही काम करते है जितनी कि उन्हे तनख्वाह मिलती है, उनके पास इतना समय नही होता कि वे कक्षासे बाहर विद्यार्थियोको समय दे सके और यही चीज आजकलके विद्यार्थियोके जीवन तथा चरित्रके विकासमे सबसे बडी बाधा है। लेकिन जबतक शिक्षक कक्षासे बाहर अपना सारा समय विद्यार्थियोको देनेको तैयार नही हो तबतक इस सम्बन्धमें कुछ ज्यादा नही किया जा सकता। उनको चाहिए कि वे विद्यार्थियोके मस्तिष्कोको प्रशिक्षित करनेके बजाय उनके हृदयोका विकास करे। उनको चाहिए कि वे छात्रोको अपने शब्दकोशमें से उस हरेक शब्दको मिटानेमे सहायता करे जो हतोत्साह और निराशाका सूचक है। मेरे दिलमे जो-कुछ भी भरा हुआ है वह सब मै आपके सामने उँडेलनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप तालियाँ बजा-बजाकर इसमे रुकावट न डाले। यह आपके और आपके दिलके बीच दीवारका काम करेगा। किसी भी पवित्र कार्यमे असफलता स्वीकार

मत कीजिए और अबसे पक्का इरादा कर लीजिए कि आप जरूर पवित्र बनेंगे और ईश्वर आपकी अवश्य सुनेगा। लेकिन ईश्वर न तो घमण्डी लोगोकी प्रार्थना सुनता है और न उनकी जो उसके साथ सौदेबाजी करते है। क्या आपने गजेन्द्र मोक्षकी कहानी सुन रखी है? यहाँ मौजूद बर्मी विद्यार्थियोमे से जो विद्यार्थी ससारकी एक महानतम कविताको, ससारकी पूज्यतम वस्तुको न जानते हो, उनसे मेरा कहना है कि वे अपने हिन्दुस्तानी मित्रोसे उसे सीख ले। एक तमिल कहावत मेरे दिमागमे हमेशा छाई रहती है, जिसका तात्पर्य है, लाचारका सहारा ईश्वर है। यदि आपको उससे सहायता माँगनी है तो आप अपने सच्चे रूपमें बिना किसी शर्तके उसके पास जाइए, और अपने मनमे ऐसा कोई भय और सन्देह भी मत रखिए कि आप जैसे पतित व्यक्तिकी वह कैसे मदद कर सकता है। जिसने अपनी शरण आनेवाले करोडो लोगोकी मदद की है, वह ईश्वर भला क्या आपको छोड देगा? वह किसी प्रकारका पक्षपात नही करता और आप देखेंगे कि वह आपकी हरेक प्रार्थनाको सुनेगा। यहाँतक कि दूषितसे-दूषित व्यक्तिकी प्रार्थनाका भी जवाब मिलेगा। यह सब मै आपको अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर बता रहा हूँ, मै शुद्धिकी प्रक्रियामे से गुजर चुका हूँ। पहले प्रभुकी कृपा प्राप्त करिए, उसके बाद हर वस्तु आपको प्राप्त हो जायेगी। अशुद्ध हृदय लेकर अपनी पुस्तको या अपने शिक्षकोके पास मत जाइए। शुद्ध हृदय लेकर उनके पास जाइए, तभी आपको जो-कुछ आप चाहते है वह प्राप्त होगा। यदि आप चाहते है कि आप देशभक्त बने, सच्चे देशभक्त बने, निर्बलोके संरक्षक, उन गरीबो और पीडितोके हितचिन्तक बने जिन्हे आपको मिलनेवाली शिक्षा नसीब नही है, और यदि आप बर्माकी हरेक लड़की और स्त्रीकी पवित्रताके सरक्षक बनना चाहते है, तो पहले आप अपने हृदय निर्मल बनाइए। यदि आप इस भावनासे अपने जीवनके ध्येयमे लगेंगे तो सब-कुछ ठीक हो जायेगा।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-४-१९२९

१०७. भाषण: श्वे डॉगोन पैगोडा, रंगूनमें

१० मार्च, १९२९

दिनभरकी व्यस्तताने थका डाला है। इसीलिए मै विस्तारसे कोई भाषण नही करूँगा। आप लोग मेरी विवशताको समझ जायेंगे जब मै आपको बतलाऊँगा कि मेरे शरीरमे इतनी शक्ति नही रह गई है कि मैं आपके समक्ष ऊँचे स्वरमे कोई लम्बा भाषण कर सकूँ।[1]

१. यह अनुच्छेद १२-३-१९२९ के *अमृतबाजार पत्रिका*में प्रकाशित एक विवरणसे लिया गया है। इसके बादका अंश महादेव देसाई और प्यारेलाल द्वारा प्रस्तुत गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणसे लिया गया है।

इस पावन पुण्य स्थलीमे इतने सारे फुंगियो और श्रोताओके इतने विशाल समुदायको देखकर निस्सदेह मनको बड़ी प्रेरणा मिलती है और यदि दिनभरकी थकानने मेरे शरीरमे तनिक भी शक्ति छोडी होती तो मै इस प्रेरणाके बलपर काफी लम्बा भाषण देता। परन्तु अपने फुंगी मित्रोसे मैं इतना तो अवश्य कहूँगा कि ससारके समस्त पुरोहित वर्गके साथ ही आप लोगोको भी संसारकी जनता निरन्तर कसौटी पर कस रही है। आपकी यह बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि बर्मामे फुगी लोग एक राजनीतिक आन्दोलनका नेतृत्व कर रहे हैं, पर यह याद रखिये कि राजनीतिक संघर्षके नेतृत्वका दायित्व अपने कधोपर लेना अपने-आपमे एक अत्यन्त गम्भीर दायित्व है। इतिहास बतलाता है कि राजनीतिक मामलोमे पुरोहित वर्ग द्वारा किया गया हस्तक्षेप सदा ही मानवताके हितमे नही रहा है। बहुधा यही हुआ है कि ससारके पुरोहित वर्गने ठीक उसी भाँति किसी अवाछनीय महत्वाकाक्षाके वशीभूत होकर राजनीतिमे भाग लिया है जैसे नैतिकताहीन व्यक्ति अपने स्वार्थवश राजनीतिकी ओर प्रेरित होते हैं। इसलिए अब यदि आप फुंगी सम्प्रदायके पुरोहित ससारके इस एक सुन्दरतम प्रदेशके राजनीतिक आन्दोलनका नेतृत्व करनेको इच्छुक हैं, तो स्पष्ट है कि आप अपने ऊपर एक भारी दायित्व ओढने जा रहे हैं। मै आपसे कहता हूँ कि आपके लिए यही काफी नही है कि आप इतने शुद्ध-पवित्र रहे कि कोई आपपर शंका तक न करे, आपको तो निष्कलक पवित्रताके साथ ही साथ अपने अन्दर अत्यन्त ही ऊँचे किस्मकी बुद्धिमत्ता और योग्यता भी पैदा करनी पडेगी। यदि बर्माकी समूची जनता आपके आह्वानपर आगे बढकर आपका पूरा-पूरा समर्थन करने लगे तो भी यह एक शर्त तो आपको पूरी करनी ही पडेगी। हम लोग यहाँ भगवान बुद्धकी छायामें बैठे हैं। इस आन्दोलनसे सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्तिको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो।

इस प्रदेशमे अपनी उपस्थितिसे इस सभा-स्थलीकी शोभा बढाने और मेरे पैर रखते ही हर जगह स्नेहपूर्वक मेरा स्वागत-सत्कार करनेके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरी कामना है कि बर्माकी सरल-हृदय जनताका भविष्य मंगलमय हो।[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-३-१९२९

१. यह अनुच्छेद अमृतबाजार पत्रिकासे लिया गया है।

१०८. प्रश्नोत्तर[1]

रंगून
१० मार्च, १९२९

प्र० – भारतकी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति क्या है?

उ० – परिवर्तनका क्रम जारी है।

प्र० – भारतको तात्कालिक रूपसे किस प्रकारका शासन मिलनेकी आपको उम्मीद है?

उ० – उसी प्रकारका शासन जिसका विवरण नेहरू-प्रतिवेदनमें दिया गया है।

प्र० – क्या आप समझते हैं कि भारतको औपनिवेशिक स्वराज्य मिल सकता है?

उ० – बिलकुल निश्चित है।

प्र० – क्या औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाको वर्तमान परिस्थितियोंके लिए सर्वथा उपयुक्त व्यवस्थाके रूपमें स्वीकार किया जाना चाहिए या उसे भारतीय जनताकी महत्वाकांक्षाओंके एक लक्ष्यके रूपमें लिया जाना चाहिए?

उ० – मेरी राय तो यह है कि यदि औपनिवेशिक स्वराज्य मेरे बतलाये हुए तरीके और मेरे निर्देशित रूपमें प्राप्त किया जाये तो उसे भारतीय शासनकी व्यवस्था का अन्तिम रूप माना जा सकता है। यदि दोनों देशोंको पूर्ण समानताके आधारपर उसमें भागीदार बनाया जाये और दोनोको इच्छानुसार उससे अलग होनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता रहे, तो मैं तो इससे सन्तुष्ट हो जाऊँगा।

प्र० – क्या आप समझते हैं कि भारतको ब्रिटिश साम्राज्यमें शामिल रहना चाहिए?

उ० – ब्रिटिश साम्राज्यके वर्तमान स्वरूपमें तो नहीं, लेकिन साम्राज्यके उस स्वरूपमें शामिल रहना चाहिए जिसकी मैंने कल्पना की है।

प्र० – यदि ब्रिटिश संसद आपको भारतीय सुधारोंके बारेमें चर्चाके लिए आमन्त्रित करे, तो क्या आप इंग्लैंड या भारतमें वैसी किसी चर्चामें भाग लेनेको तैयार हो जायेंगे?

उ० – जी, हाँ; यदि आमन्त्रण सच्चे हृदयसे और सदाशयतापूर्ण हो।

१. बर्माके विभिन्न बौद्ध सम्प्रदायोंके धर्माचार्योंके एक शिष्ट-मण्डलकी ओरसे गांधीजीके सामने एक विस्तृत प्रश्नमाला प्रस्तुत की गई थी। यहाँ दिये गये गांधीजीके उत्तरोंको ट्रिब्यूनके विवरण और महादेव देसाई तथा प्यारेलाल द्वारा लिखे गये गांधीजीके बर्मा-दौरेके विवरणसे मिला लिया गया है।

प्र० — क्या आपका खयाल है कि सदाके लिए भारतका ही एक अंग बनकर रहना बर्माके लिए हितकर होगा?[1]

उ० — मेरे लिए इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन है। मै इतना ही कह सकता हूँ कि बर्मा यदि समानताके आधारपर भारतका एक हिस्सेदार बनकर रहना चाहे और उसमे दोनो ही देशोको इच्छानुसार अलग होनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता रहे, तो यह बर्माके लिए हितकर ही रहेगा। मुख्य बात यह है कि बर्माको अपनी इच्छानुसार अपना भाग्य निश्चित करनेका सर्वथापूर्ण अधिकार रहना चाहिए।

प्र० — क्या आपके विचारमें भारतके स्वराज्यवादियों द्वारा अपनायी गई नीति उस देशको अपनी वांछित शासन-व्यवस्था प्राप्त करनेमें सहायक होगी?

उ० — जी, नही, मै ऐसा नही सोचता।

प्र० — क्या बर्मामें बसनेवाले भारतीय विदेशी वस्तुओंके बहिष्कारमें और बर्मी उद्योग-धन्धोंकी सहायता करनेमें बर्मी जनताका साथ देंगे?

उ० — विदेशी वस्तुओके नही, केवल विदेशी वस्त्रोके बहिष्कारमे। सभी विदेशी वस्तुओके बहिष्कारकी बात अव्यावहारिक है। हाँ, वर्तमान परिस्थितिमे विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार जरूर सम्भव है और इसे सम्पन्न करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। इस काममे भारत आपका साथ देगा और भारत यदि आपके देशी उद्योग-धन्धोकी सहायता नही करता, तो वह एक निकम्मा पडोसी बन जायेगा।

प्र० — बर्मामें अल्पसंख्यकोंको क्या संरक्षण दिया जाना चाहिए?

उ० — वही जो भारत अपने यहाँके अल्पसख्यकोको देता है, बर्मामे बसनेवाले भारतीय अल्पसख्यकोको उससे अधिक कोई सरक्षण नही देना है। यदि हम अपने गुणोके बलपर ही बर्मामे नही रह सकते तो हमे यहाँसे हट जाना चाहिए।

प्र० — बर्मामें अपनी मनोवांछित शासन-व्यवस्था प्राप्त करनेके प्रयासमें भारतीय और बर्मी जनता, दोनों ही के धनी और निर्धन, दोनों ही वर्गोंके लोगोंका समान रूपसे सहयोग प्राप्त करनेके लिए आप हम दोनोंको क्या करनेकी सलाह देंगे?

उ० — हमे एक-दूसरेके प्रति मैत्री और सद्भाव रखना और ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए; सन्देह और अविश्वासकी भावनासे एक-दूसरेको नही देखना चाहिए। यदि किसी समाजमे चन्द धूर्त व्यक्ति हो तो पूरे समाज या समुदायको बुरा नही कहना चाहिए। प्रत्येक समुदायको दूसरे समुदायोके साथ पडोसीकी तरह सहयोगकी भावनासे रहना चाहिए; दूसरोपर प्रभुत्व जमानेकी कोशिश नही करनी चाहिए। इस प्रकार यह बात तो बिलकुल स्पष्ट है कि यदि कोई समुदाय अपने कल्पित हितोके सरक्षणके लिए ब्रिटिश सगीनोकी ताकतका भरोसा करेगा, तो उसके और अन्य समुदायोके बीच कभी वास्तविक सहयोग नही हो सकता। सार रूपमे हमारी सस्कृति वही है जो आपकी, हालाँकि बाहरी रूपरेखामे अन्तर दिखता है। मै चाहता हूँ कि इस क्षेत्रमें हम चीनके इतिहाससे सबक हासिल करे, जहाँ कन्फूशियस पथी, बौद्ध,

१. यह प्रश्न और इसका उत्तर यंग इंडियासे लिये गये हैं।

ईसाई और मुसलमान सभी लोग एक दूसरेमे घुलमिल गये है और वे अपने आपको इस या उस धर्मका अनुयायी न मानकर सब अपनेको चीनी ही कहते है। बर्मा, लका, स्याम, मलाया, जापान और भारत — इन सभी देशोमें कुछ समान बुनियादी तत्व मौजूद है, और इसी कारण इन सभी देशोको पाश्चात्य शोषणके समान खतरेका सामना करनेके लिए परस्पर सहयोग कर सकना चाहिए।

प्र० – बर्माकी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको देखते हुए आपकी रायमें हमें क्या कार्य-नीति अपनानी चाहिए?

उ० – जहाँतक मै समझ पाया हूँ, भारत और बर्माकी परिस्थितियाँ समान है। दोनोके लिए मेरे पास एक ही इलाज है — अहिंसात्मक असहयोग। पर मै यहाँकी स्थानीय परिस्थितिके बारेमे बिलकुल ठीक कुछ नही कह सकता। आपको सावधानी-पूर्वक आन्दोलनका अध्ययन करके राष्ट्रीय आधारपर एक कार्यनीति तय करनी चाहिए — अपने वातावरण विशेष और अपनी सामाजिक परिस्थितियोके अनुरूप। मै नही चाहता कि आप अविवेकपूर्ण ढगसे मात्र अनुकरण करे। आपके हर कदमके पीछे एक विश्वास, और उसे व्यवहार रूपमे परिणत करनेका एक सकल्प होना चाहिए। मै यदि अपनी रायपर अमल करानेके लिए यहाँ मौजूद नही रह सकता तो मै अपनी रायकी कोई उपयोगिता नही मानता। आप कहते है कि आपके देशमे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस-जैसा कोई भी शक्तिशाली संगठन नही है, जो सारी जनताको एक कार्यक्रमपर चला सके। तब आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप भारतकी काग्रेससे सम्बद्ध एक ऐसी सस्था अपने यहाँ खडी करे जिसके कार्यकर्त्ता ईमानदार और त्यागी हो और जो कार्यकर्त्ताओकी सख्यामे नही, बल्कि उनके गुणोके बलमे भरोसा करती हो।

प्र० – क्या भारतीय नेता विषयोंके बँटवारेके बारेमें चर्चा करनेके लिए बर्मी नेताओंके साथ बैठनेको तैयार है?

उ० – तैयार न होनेका कोई कारण मुझे दिखाई नही पड़ता।[1]

बौद्ध धर्माचार्योंने गांधीजीसे शिकायतकी कि बर्मामें कोई ऐसी केन्द्रीय संस्था नहीं है जो उनके राष्ट्रको सक्रिय बनाकर किसी एक कार्यनीतिपर चला सके। गांधीजीने उनको बतलाया कि इसका इलाज उनके ही अपने हाथमें है, बशर्ते कि वे अपना कर्तव्य निभानेको तैयार हों।

साधुओ और मठोके इस देशमे जहाँ स्त्रियोको इतनी स्वतन्त्रता और पुरुषोके साथ समानताका दर्जा प्राप्त है, जहाँ लोगोकी प्रवृत्ति इतनी सरल और आश्चर्यजनक रूपसे आस्थावान है, ऐसे देशमे तो यदि आप फुगी लोग बस अपनी काहिली और अपनी सुस्तीको ही त्याग दे तो चमत्कार कर दिखा सकते है। आपकी आध्या-त्मिकता मात्र निष्क्रियताकी आध्यात्मिकता नही होनी चाहिए जो निठल्ले ध्यान और मननमें समय गँवा देती है। आपकी आध्यात्मिकता एक ऐसी सक्रिय वस्तु

१. इसके बादका अंश यंग इंडियासे लिया गया है।

होनी चाहिए जो शत्रुपर आक्रमण भी कर सके और बर्माके एक कोनेसे दूसरे कोने तक जनताके हृदयमें अलख भी जगा सके। समूचे बर्मामे एक ऐसी ज्योति जग उठनी चाहिए कि वह वातावरणमे व्याप्त सारी सुस्ती, काहिली और अपवित्रताको भस्म कर दे। आपकी प्रकृति आज इतनी शान्तिप्रिय है कि आप एक मक्खीको भी चोट नही पहुँचायेंगे, पर इतना ही तो पर्याप्त नही है। किसी भी व्यक्तिको फुंगियोके वस्त्र धारण करनेका तबतक कतई कोई अधिकार नही जबतक कि वह मक्खीको लगनेवाली चोटकी पीड़ा स्वय महसूस करके उस मक्खीको बचानेके लिए दौड़ नही पड़ता। आपने ससार त्यागकर धर्मका जीवन अपना लिया है। आपकी स्थितिमे पहुँचकर व्यक्तिको न शासक-सम्राटोका भय रह जाता है और न जनताका ही, क्योकि ऐसे व्यक्तिके लिए भोजन और वस्त्र मिलना न मिलना बराबर ही होता है। वह सदा ईश्वरीय आलोकमे रमता है, सत्यके प्रति उसके मनमे दृढ निष्ठा होती है। इसलिए उसे हर प्रकारके अन्याय, हर प्रकारकी अपवित्रता, असत्य और अत्याचारके विरुद्ध, जहाँ भी ये दिखाई पड़े, सीना तानकर खड़े हो सकना चाहिए। मै चाहता हूँ कि आप अपने अन्दर ऐसी ही आन्तरिक शक्ति पैदा करे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-३-१९२९ और **ट्रिब्यून**, ९-४-१९२९

१०९. भाषण: मजदूरोंके बीच, रंगूनमें[1]

१० मार्च, १९२९

आपको शायद मालूम नही होगा कि तिलक स्वराज्य कोष जमा करनेके दिनो मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया था कि यदि मै दस मिनटके लिए भी एक व्यावसायिक नाट्य-प्रदर्शनको देखने चला जाऊँ तो मुझे चन्देके रूपमें पचास हजार रुपये मिल सकते थे। पर मैंने मना कर दिया था। यह नही कि मुझे व्यावसायिक अभिनेताओके बीच उठने-बैठनेसे नफरत है, क्योकि मै तो सभी वर्गोके मनुष्योके साथ भाईचारा जोड़ता हूँ। लेकिन मेरी स्थितिमे आनेपर मनुष्यके लिए जरूरी हो जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत आचरणको ठीक रखनेके साथ ही साथ इस बातका खयाल भी रखे कि उसके आचरणका दूसरोपर क्या प्रभाव पडेगा। सार्वजनिक नाटकघरोमे जानेके अन्य जो भी परिणाम हों, यह तो निश्चित ही है कि इस देशमें नाटकोने अनेकानेक युवकोंका आचरण और चरित्र भ्रष्ट कर दिया है। आप पक्की उम्रके लोग चाहे अपनेको नाटकोके दुष्प्रभावसे बिलकुल बरी मान ले, लेकिन आपको

१. मजदूरोंकी ओरसे एक नाटकका आयोजन किया गया था और उससे होनेवाली आमदनी गांधीजीको चन्देके रूपमें देनेका वचन दिया गया था। गाधीजी समझ रहे थे कि उनको किसी मजदूर-प्रदर्शनमें ले जाया जा रहा है; वहाँ नाटक पाकर उनको आश्चर्य हुआ। यह भाषण महादेव देसाई और प्यारेलाल द्वारा प्रस्तुत गाधीजीके बर्माके दौरेके विवरणसे लिया गया है।

अपने छोटे-छोटे बच्चोंका भी तो खयाल करना चाहिए जिनको आपत्तिजनक नाटकोंमें ले जाकर आप उनके निर्दोष, निष्पाप मनके साथ कितना बड़ा अनाचार करते हैं। आप चारो ओर नजर तो डालिए। हमारे चारो ओर एक ज्वाला धधक रही है। वर्तमान व्यवस्थाके कुप्रभावमें पनपनेवाले सिनेमा, नाटक, घुड़-दौड़, शराबखाने और अफीमघर इत्यादिके रूपमें समाजके ये सभी शत्रु चारों ओरसे मुँह बाए हमारी घातमें खड़े हैं। तब यदि मैंने वर्तमान व्यवस्थाको शैतानियतकी व्यवस्था कहनेमें कोई संकोच नहीं किया तो क्या गजब कर दिया? इसीलिए आपको मेरी यही सलाह है कि अपने मार्गके अन्धकूपोंसे सावधान!

और अभिनयको अपना पेशा बना लेनेवालो, आप लोगोको मेरी सलाह है कि भले ही आप अपना पेशा जारी रखें, पर हाँ आचरणकी शुद्धि बनाये रखिए। मैं जानता हूँ कि आपके सामने बड़े-बड़े प्रलोभन आते रहते हैं। तब यदि आप अपना चरित्र शुद्ध बनाये रखनेमें डगमगाने लगें तो ईश्वरके लिए एक क्षणकी दुविधाके बिना अपने पेशेको लात मार दीजिए। ईश्वर आपकी सहायता करेगा। मजदूर सदा ही अपनी मजूरीका अधिकारी तो होता ही है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-३-१९२९

११०. पत्र : मीराबहनको

रंगून
११ मार्च, १९२९

चि० मीरा,

तुम्हारे चार पत्र मिले, जिनमें से तीन आज ही मिले। यहाँसे केवल तीन बार जहाज आते-जाते हैं। परन्तु तुम इसकी चिन्ता मत करो। मैं रंगूनसे एक ही बारमें कई दिनोंके लिए बाहर नहीं जाता। मैं बर्मासे २१ तारीखको चल दूँगा — मुकदमे[1] में हाजिरीके लिए। आशा है कि मैं २४ तारीखको कलकत्ता पहुँच जाऊँगा और २६ को वहाँसे चल दूँगा।

इस बार तुमको जिस प्रकारकी आशंकाने घेरा था, वह शायद अनिवार्य ही ही है। जितनी सतर्कता रख सकती हो, रखो और यदि इसके बावजूद ऐसी स्थितिका सामना करना पड़ जाये तो घबड़ाओ मत। निराहार रहना नि:सन्देह ही इसका सबसे सीधा और अचूक इलाज है। कमजोरी बढ़नेकी चिन्ता मत करो और आसानीसे जितना काम निबटा सकती हो, उससे ज्यादाकी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ओढ़ो। 'शीघ्रता करो पर धीरे-धीरे।'

१. मुकदमा कलकत्ताके प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी अदालतमें २६ मार्च, १९२९को होनेवाला था।

प्रिवाका[1] एक पत्र मुझे मिला है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, उससे यही सिद्ध होता जा रहा है कि इस वर्ष यूरोप न जानेका मेरा निर्णय कितना बुद्धिमानी-का था। वास्तवमें उपयुक्त समय आनेपर अन्तरात्मासे स्पष्ट आवाज उठेगी और मार्ग भी सामने खुल जायेगा।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

मैंने तुमको बतलाया या नही कि जाकिर हुसैन मेरे साथ ही है। मैं उससे जितना अधिक परिचित होता जाता हूँ उतना ही अधिक उसको पसन्द करता जाता हूँ। सब ठीक चल रहा है।

अंग्रेजी (जी० एन० ९४०५) से, तथा सी० डब्ल्यू० ५३४९ से भी।
सौजन्य : मीराबहन

१११. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

रंगून
मौनवार [११ मार्च, १९२९][2]

बहनो,

आज तो तुम्हें याद करने जितना ही समय मेरे पास है।

तुम्हारा पत्र आगामी डाकमे आये तो आये। डाकको बराबर सात दिन लग जाते हैं।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–१ : आश्रमनी बहेनोने

१. देखिए "पत्र : एडमंड प्रिवाको", ९-३-१९२९।
२. साधन-सूत्रमें "४ मार्च, १९२९" है जो कि स्पष्ट रूपसे भूल है।

११२. पत्र: छगनलाल जोशीको

मौनवार, ११ मार्च, १९२९

चि० छगनलाल,

आज तीन डाक एक साथ मिली। आज रात मौलमीनके लिए रवाना होंगे और वहाँसे बुधवारको लौटेंगे। तबतक एक और डाक तो आ ही जायेगी। अभी जो डाक मिलेगी वह यहाँ मंगलवारको पहुँचेगी। तुम्हे कपडेके अस्तरवाले लिफाफे वापस भेज रहा हूँ जिससे तुम उनका उपयोग कर सको। ऐसे ही एक लिफाफेमें तुम्हे यह डाक भेजूँगा।

यहाँ संग्रह ठीक हो रहा है।

तुम जैसे-जैसे धीरज रखना सीखोगे वैसे-वैसे तुम्हारी कठिनाइयाँ दूर होती जायेंगी।

जो मकान खाली है उनका उपयोग करना तो जरूरी है।

दुर्गा और मैत्रीसे दृढतापूर्वक काम लेना चाहिए। प्रेम और दृढतामें परस्पर कोई विरोध नही है। जरूरत पड़नेपर तो प्रेम ही दृढ़ रह सकता है क्योंकि उसे कुछ भय नही होता। कुशल वैद्य जिस समय चीर-फाड करता है, देखनेवालेकी आँखोके आगे अँधेरा छा जाता है। लेकिन यदि वैद्यकी चीर-फाडमें किसी तरहकी कसर रह जाये तो रोगीके प्राण जायेंगे।

छगनलाल गाधीसे पूरी तरह मदद लेना। वह तो बहुत सहायता करनेवाला मनुष्य है। सिर्फ उसके साथ बनाये रखना आना चाहिए। और उसकी वृद्धावस्थाका विचार कर ऐसा करना भी चाहिए। अभी तो अशान्ति या भागदौड़में वह ज्यादा काम नही कर सकता। अनुकूल वातावरणमे धीरे-धीरे वह बहुत-सा काम कर सकता है।

पारनेरकरकी माताजीके बारेमे तो तुम सबको विचार कर लेना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

रतिलाल और चम्पा मेरे साथ होंगे। बगलेके ऊपरके भागकी उन्हे जरूरत होगी। वे अपने लिए नौकर-चाकरका प्रबन्ध स्वयं करेंगे। इसलिए हमें बहुत नही करना पड़ेगा।

गुजराती (जी० एन० ५३९१) की फोटो-नकलसे।

११३. पत्र: बहरामजी खम्भाताको

रंगून
११ मार्च, १९२९

भाईश्री खम्भाता,

मेरे ऊपर कलकत्तामे मुकदमा चल रहा है, इसलिए तारीखका निश्चय[1] तो मुकदमेके बाद ही कर सकता हूँ। इसलिए फिलहाल तो मुझसे इतना पहले कुछ कह सकनेकी आशा तो न रखें। मुझे २५ तारीखको कलकत्तामे तार दे। मेरी प्रार्थना तो यह है कि यदि यह काम मेरे ही हाथो कराना हो तो फिलहाल धैर्य रखे। मुझे थोड़ी फुरसत मिलने दें।

बापूके आशीर्वाद

भाई बहरामजी खम्भाता
२७५ हार्नबी रोड
फोर्ट, बम्बई

गुजराती (जी० एन० ६५९२)की फोटो-नकलसे।

११४. पत्र: प्रभावतीको

रंगून
मौनवार [११ मार्च, १९२९][2]

चि० प्रभावती,

ऐसी ढीली क्यो? रोना क्या? दु:ख क्या? हमारे साथ हमेशाके लीये कोई नही बैठेगा। हम सबसे प्रेम करें और सबके प्रेमका अनुभव करे। सेवाधर्म करते हुए हमें कहां दुसरा ख्याल करनेका भी समय रहता है?

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

आंध्रके बारेमें मैंने अबतक पिताजीसे पूछा नहिं है अब पूछुगा।

जी० एन० ३३३२ की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: बहरामजी खम्भाताको", २३ फरवरी, १९२९।
२. गांधीजी मौनवार, ११ मार्च, १९२९ को रंगूनमें थे।

११५. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

मौलमीन (बर्मा)
१२ मार्च, १९२९

तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया। सचमुच तुम्हारा यह विचार बडा सुन्दर है कि इस बारका ग्रीष्मकाल तुम इंग्लैंडमें वहाँकी घटनाओंपर नजर रखते हुए बिताओ और किसी भी नई घटनाके[1] लिए अपने आपको तैयार रखो।

यहाँ होनेवाली हर उथल-पुथलके बारेमें तुमको 'यंग इंडिया'से पता चलता रहेगा। आशा है वह तुमको नियमित रूपसे मिल रहा होगा।

कोल्हापुरकी तरह यदि फिर मुझे पलंगपर पडना ही पडा, तो फिर वही सही। वैसे मैं अपनी तरफसे कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी शक्ति बचा सकूँ, बचाऊँ, लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूँ कि मेरे ऊपर जो काम आ पडा है उसे मैं टाल तो नही सकता।

मौलमीनमें कामके भारी दबावके कारण मै यह पत्र बोलकर लिखा रहा हूँ।

सी० एफ० एन्ड्रयूज महोदय
मार्फत श्रीमती एम्हर्स्ट
११७२, पार्क एवेन्यू
न्यू यार्क सिटी

अंग्रेजी (एस० एन० १३३७२)की फोटो-नकलसे।

११६. पत्र : प्रफुल्लचन्द्र घोषको

मौलमीन
१२ मार्च, १९२९

प्रिय प्रफुल्ल बाबू,

आपका पत्र मिल गया। आपका तार मिलते ही मैंने तार दे दिया था[2] और मुझे आशा है कि डा० अन्सारी उसका उद्घाटन कर देंगे।

मै २४ तारीखको कलकत्ता लौटूँगा और वहाँ २६ तक रहूँगा। अब विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारके सिलसिलेमे आपको किसी विशेष हिदायतकी जरूरत नही। उसमे

१. एन्ड्रयूजने अपने ४ फरवरीके पत्रमें पूछा था: "क्या मेरे लिए यही ज्यादा ठीक नहीं रहेगा कि मैं वापस आनेपर इस बारकी ग्रीष्मऋतु इंग्लैंडमें ही बिताऊँ? मैं अपने देशवासियोंको यह समझानेकी जी-तोड कोशिश कर रहा हूँ कि भारतको औपनिवेशिक स्वराज्य देनेकी आवश्यकता इतनी तीव्र हो गई है कि उसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता . . .।"

२. तार उपलब्ध नहीं है।

कही कोई कठिनाई नही है। पर कलकत्तामे मेरे ठहरनेके दौरान तो शायद हमारी मुलाकात होगी ही।

हृदयसे आपका,

डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष
अभय आश्रम
कोमिल्ला

अंग्रेजी (एस० एन० १३३७६)की फोटो-नकलसे।

११७. पत्र : टी० एन० कालिदासको

स्थायी पता.
आश्रम
साबरमती
१२ मार्च, १९२९

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। धन्यवाद। आपने जो कागजात भेजे है, मै कमसे-कम अभी तो उनको नही ही देख पाऊँगा। इसलिए मैं अपने ही अनुभवके आधारपर 'यंग इंडिया'मे जो भी कुछ लिखूं, आपको उसीपर सन्तोष करना पड़ेगा। मैं सम्भवत. आदर्श हिदायतोका एक मसविदा तैयार करके उसे 'यंग इंडिया'मे प्रकाशित करनेकी कोशिश करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत टी० एन० कालिदास
वकील, हाई कोर्ट
रेलवे यात्री संघ
तंजौर
दक्षिण भारत

अंग्रेजी (एस० एन० १३३७५)की माइक्रोफिल्मसे।

११८. पत्र : मीराबहनको

मौलमीन
१२ मार्च, १९२९

चि० मीरा,

मैं यह पत्र बोलकर लिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक पत्र तुम्हे मौलमीनसे भेज दूँ। मौलमीन बडे ही सुरम्य परिवेशमे स्थित है। यह घर खाडीके किनारे स्थित है। इस छोटेसे नगरकी आबादी ६० हजार है। इसलिए बडी शान्ति रहती है। अभी गर्मीका मौसम ठीक-ठीक शुरू नही हुआ है। बारिशके कारण आज यहाँ खास तौर पर ठण्डक है।

मुझे आशा है कि बुखारसे शरीरमे आई तुम्हारी कमजोरी अबतक पूरी तरह दूर हो गई होगी।

बापू

श्रीमती मीराबाई
छतवाँ छोट्टाइपट्टी
जिला—दरभगा, बिहार

अंग्रेजी (जी० एन० ९४०६)से, तथा सी० डब्ल्यू० ५३५०से भी।
सौजन्य : मीराबहन

११९. पत्र : आचार्य रामदेवको

मौलमीन
१२ मार्च, १९२९

प्रिय रामदेवजी,

आपने बिलकुल ठीक ही कहा कि इस वर्ष गुरुकुलके वार्षिक समारोहमे मेरे शामिल होनेकी कोई आशा नही करनी चाहिए। स्नातकोको मेरा सन्देश है :

"आपकी कसौटी न तो आपका अग्रेजी भाषाका और न ही आपका संस्कृतका ज्ञान होगा, आपकी सच्ची कसौटी तो आपका चरित्र ही होगा, जो आपके जीवनके नित्य-प्रतिके कामोमे हजारो रूपोमे प्रकट होता रहेगा। आपकी सफलता इस बातसे सिद्ध होगी कि आप सिद्ध कर दे कि आजके युगमे भी मन, वचन और कर्ममे पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन किया जा सकता है।"

और हाँ, आपने गुजरात विद्यापीठके विद्यार्थियोंके समक्ष दिये अपने अभिभाषणकी प्रति अबतक मुझे नही भेजी। मै चाहता हूँ कि आप विदेशी वस्त्र-बहिष्कारको हर तरहकी सहायता दें।

हृदयसे आपका,

आचार्य रामदेव
गुरुकुल कांगड़ी
जिला-बिजनौर

अंग्रेजी (एस० एन० १३३७७)की फोटो-नकलसे।

१२०. पत्र : नलिनीमोहन रायचौधरीको

कैम्प, मौलमीन
१२ मार्च, १९२९

प्रिय मित्र,

आपका तार मिल गया। मुझे दुःखके साथ कहना पडता है कि मै आपके कृपापूर्ण निमन्त्रणको स्वीकार नही कर सकता क्योंकि रंगपुरमे प्रान्तीय परिषद्की जो तिथि रखी गई है उसी तिथिको काफी पहलेसे एक सार्वजनिक कार्यक्रम निश्चित किया जा चुका है। पर मै आपके सम्मेलनकी पूरी सफलताकी कामना करता हूँ और आशा है कि परिषद् बिर्टटनकी चुनौती[1] स्वीकार करेगी और इस वर्षके दौरान ही विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण बहिष्कार सम्पन्न करनेके लिए हर प्रयास करेगी। इसी एक बातमे पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेनेसे हमे अपनी शक्तिकी जैसी प्रतीति हो जायेगी वैसी किसी अन्य चीजसे नही हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत नलिनीमोहन रायचौधरी
अध्यक्ष, बंगाल प्रान्तीय परिषद्
रंगपुर (बंगाल)

अंग्रेजी (एस० एन० १३३७१)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "अहम्मन्यता और अज्ञान", २१-३-१९२९।

१२१. पत्र : श्रीमती आर० सरदारखानको

स्थायी पता :
आश्रम
साबरमती
१२ मार्च, १९२९

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिल गया। मनमे आपके साथ सम्वेदना पैदा हुई, क्योकि हाल ही मे मेरा भी एक पौत्र[1] नही रहा। वह परिवारमे सभीका लाडला था। परन्तु मैंने उसकी मृत्युसे यही सीखा है कि हमे अपने आपको ईश्वरेच्छापर छोड़ देना चाहिए। आखिर जन्म और मरण, वास्तवमे अलग-अलग चीजे नही, एक ही तथ्यके दो पहलू है। और यदि ऐसा है, तो फिर दुख क्यो मनाया जाये?

हृदयसे आपका,

श्रीमती आर० सरदारखान
ई० सी० एच० एस०
लुधियाना

अंग्रेजी (एस० एन० १३३७४)की माइक्रोफिल्मसे।

१२२. भाषण : गुजरातियोंकी सभा, मौलमीनमें

१२ मार्च, १९२९

आप लोग काममे जुटे हुए है। किन्तु मुझे आपसे भी ज्यादा काम है। इसलिए मेरा एक-एक क्षण मूल्यवान है, आप यह समझ ले। मुझे जब खबर मिली कि आप लोगोने सिर्फ ५००० रुपये एकत्र किये है तब मुझे दुख हुआ। क्या आपको मालूम है कि मै किसके लिए इतना भटकता हूँ? मै बहुत थका हुआ हूँ और इस वर्ष तो थकावटकी कोई हद ही नही है। मै बहुत चाहता हूँ कि आराम करूँ। किन्तु आराम कैसे ले सकता हूँ? मै किसीको आराम करने दूँ तभी आराम ले सकता हूँ न? और मै दूसरोको आराम करने भी कैसे दूँ? जहाँ अपने घरमे आग लगी हो वहाँ पर चारपाईपर पडे रहनेसे क्या होगा? आग लगी हो तो बीमार पडा हुआ मनुष्य भी बिस्तरसे उठ बैठता है और आग बुझानेका प्रयत्न करता है। आज तो पूरे देशमे आग सुलग रही है। पूरे देशकी आत्माका गला घोटा जा रहा है। किन्तु जो

१. रसिक गांधी; देखिए "एक होनहार बालक", २१-२-१९२९।

सोये हुए हैं, उन्हे आग लगी हुई है इसकी खबरतक नही है। एक बार मेरी बुआका बेटा जिस घरमे सोया हुआ था, उसमे आग लग गई थी, पर उसे खबर नही पड़ी। जगानेपर वह उठकर भागा। यदि हम भी सोये हुए है तो आग हमे जलाकर राख कर देगी। मै तो नीदमे डूबे हुए लोगोको जागृत करने आया हूँ। बर्मी लोगोको यदि मै कुछ दे सकूँ तो देने आया हूँ। किन्तु आपके पाससे तो मै कुछ लेने ही आया हूँ। आपको यह जानकर दुख होगा और होना भी चाहिए कि खादी प्रवृत्तिका ज्यादा काम आज मारवाडियोंके हाथमे है। मै चाहता हूँ कि यह भार गुजराती उठाये। [गुजरातमे] हमारे यहाँ एक अद्वितीय विद्यापीठ है। यदि मै यह कहूँ कि आज यह विद्यापीठ गुजरातके सार्वजनिक जीवन, गुजरातकी सेवा प्रवृत्तिका केन्द्र है तो इसमे कोई अतिशयोक्ति न होगी। डा० प्राणजीवन मेहता जिन्होने यहॉकी शालाके मकानके लिए दस हजार रुपये दिये है, उन्हे आप जानते होगे। एक समय उनकी यह बडी इच्छा थी कि वे आधा समय गुजरातमे और आधा बर्मामे बिताये। वे बर्मामे कमाई करनेके बाद गुजरातमे बैक बनाना चाहते थे ताकि उसमे से जितना पैसा देशके कामके लिए लेनेकी जरूरत हो उतना पैसा मै लेता रहूँ। सक्षेपमे मेरा उनके साथ यह करार था कि वह जी-भर कर कमाये और मै उस कमाईमे से जी-भरकर पैसा लूँ और जी-भर कर काम करूँ। गोखलेने भी एक बार मुझे इसी प्रकार निर्भय कर दिया था। किन्तु आज गोखले नही है। आज प्राणजीवनदास शरीरसे अपग होकर बैठे है। इसलिए मेरा भार कौन उठाये? यह भार मै गुजरातियोपर डालना चाहता हूँ। मै आपसे करोड़ो रुपया नही माँग रहा हूँ। मैने कभी जरूरतसे ज्यादा पैसा नही माँगा। दक्षिण आफ्रिकासे मैने गोखलेको तार दिया था, "अब और पैसा मुझे न भेजे।" किन्तु वे भेजते ही गये। फल यह हुआ कि मै ढाई लाख रुपया बचाकर वापस ले आया और वह साम्राज्यीय नागरिक सघको दे दिया। इस धनसे आज उपनिवेशोमें बसनेवाले भारतीयोका काम होता है। किन्तु मेरी कार्यप्रणाली जुदा है। मै ब्याजसे काम नही चलाता हूँ। मै तो लोगोकी बहादुरीसे काम चलाता हूँ। हर वर्ष लोगोके सामने बजट पेश करता हूँ और कहता हूँ कि आप लोगोको मेरा काम पसन्द हो तो खर्चके लिए धन दे। मेरी दरिद्रनारायणकी पेढीमें कितने धनकी जरूरत है? आग कितने घीसे शान्त होती है, यदि आप इसका अनुमान लगा सके तो मेरी भूख कितने धनसे दूर हो सकेगी इसका माप मिल सकता है। तो भी मै आपसे कह दूँ कि आज कोई मुझे ६० करोड रुपया दे दे, तो मुझसे उसका उपयोग नही हो सकेगा, क्योकि मेरे पास इतने कार्यकर्त्ता नही हैं। भगवानने शक्तिकी सीमा बाँध कर मनुष्यको भटकनेसे रोकनेके लिए एक रक्षात्मक बाड बना दी है। इसलिए आज मै जितनेकी व्यवस्था कर सकता हूँ, उतना ही माँगता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-३-१९२९

१२३. भाषण: मौलमीनमें[1]

१२ मार्च, १९२९

मौलमीनमें भाषण करते हुए गांधीजीने कहा कि भगवान बुद्धने अहिंसा और पड़ोसियोंके प्रति कर्त्तव्यके जिन महान सिद्धान्तोंकी शिक्षा दी है, चरखा उसीका एक प्रत्यक्ष उपसिद्धान्त है।

आप लोग बुद्धकी शिक्षामे विश्वास रखते है, और उनकी शिक्षाओमे विश्वास रखनेवाले व्यक्तिके लिए एक क्षण भी आलस्यमे गँवाना उचित नही है। प्रकृतिके नियमानुसार हमे मेहनत करके अपनी रोटी कमानी चाहिए। यदि हम एक मिनट भी आलस्यमे व्यर्थ गँवाते है तो उस हदतक हम अपने पडोसियोके ऊपर भार बनते है, और ऐसा करना अहिंसाकी पहली शिक्षाका उल्लघन करना है। अहिंसा यदि अपने पडोसियोकी सुविधा-असुविधाका सुसतुलित ध्यान रखना नही है तो फिर वह व्यर्थ है। और आलसी आदमीमे अपने पडोसीके प्रति इस बुनियादी भावनाका अभाव होता है। इस निंदनीय स्थितिको सुधारनेके लिए मै आपसे वही उपाय अपनानेको कह सकता हूँ जो मैंने भारतमे अपने देशवासियोको बताया है। आपके इस सुन्दर देशमे बुनकर लोग काफी सख्यामे मौजूद है। लेकिन वे अपने देशकी भलाईके लिए काम न करके एक विदेशी पूँजीपतिके लिए गुलामी कर रहे है क्योकि वे अपनी निपुणता और कारीगरीका उपयोग विदेशी सूतसे कपड़े बुननेमे कर रहे है। अत. यदि आप असहायावस्थासे बचना चाहते है, यदि आपको आत्म-निर्भर और सुखी बनना है और यदि आप भी उस प्रकार अधमूखे नही होना चाहते जैसे कि हम लोग भारतमे है, तो आप मेरी बात मानिए और समय रहते चरखेको फिरसे अपनाइए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-४-१९२९

१. यह अंश महादेव देसाई द्वारा लिखित गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणमें से लिया गया है।

१२४. पत्र : डी० को[1]

मौलमीन
१३ मार्च, १९२९

प्रिय मित्र,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम बेकार घबरा रहे हो। कलकत्ता जाते हुए जब मैं २ तारीखको दिल्लीसे गुजरा था तो मैंने श्रीयुत बिड़लासे बातचीत कर ली थी। याददाश्तकी गड़बड़ीके कारण ही उन्होंने तुम्हें बताया था कि मैंने १२०-१५० रु० देनेका सुझाव दिया था। मैंने उनको वही रकम बताई थी जो तुमने मुझे बताई थी अर्थात् १७५ रु०। लेकिन अब तुम कहते हो कि तुम्हें २०० रु० चाहिए। २०० रु० कमसे-कम हैं या नहीं, लेकिन १७५ रु० तो तुम्हें चाहिए ही। मैं चाहूँगा कि तुम धीरज और आशा रखो। श्रीयुत बिड़ला तुम्हें लेनेको उत्सुक हैं।

सैद्धान्तिक दर्शन-शास्त्रमें तो तुम विशेषता प्राप्त कर ही चुके हो, अब तुम्हें व्यावहारिक दर्शन-शास्त्रमें विशेषता प्राप्त करनी चाहिए। दर्शनका यदि कोई उपयोग है तो यही कि उसे स्वयं अपने ही जीवनमें व्यवहारमें लाना चाहिए। दार्शनिकको साहसी होना चाहिए और उसे बिलकुल मुद्देकी बात करनी चाहिए, जब कि तुम्हारे पत्र असाधारण रूपसे लम्बे होते हैं। मुझे या श्रीयुत बिड़लाको बधाई मत दो। यदि वह तुम्हें स्थान देते हैं या मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो यह कर्त्तव्य भावनाके कारण ही है। और कर्त्तव्य-पालनसे कोई पुण्य अर्जित नहीं होता। तुम इस बातको निश्चित मानो कि तुम्हारे लिए काम तो निकाल ही लिया जायेगा। उसमें तुम्हें १७५ रु० से कम नहीं मिलेंगे और न २०० रु० से ज्यादा ही। यदि कोई दिक्कत हो तो कृपया मुझे लिख देना।

मैं यहाँसे २१ तारीखको रवाना होऊँगा और २६ तारीखको कलकत्ता तथा २७ तारीखकी दोपहरको दिल्ली पहुँचूँगा।

आशा है कि तुम इस पत्रका बुरा नहीं मानोगे। अच्छे तो तुम हो ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इससे भी ज्यादा अच्छे बनो और मैं यह भी चाहता हूँ कि जिस दर्शनकी तुम शिक्षा देते हो उसपर अमल भी करो।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत डी०
कानपुर

अंग्रेजी (एस० एन० १५३७९)की माइक्रोफिल्मसे।

१. १२ तारीखको लिखा गया इस पत्रका मसविदा भी उपलब्ध है। (एस० एन० १३३७८)। लगता है कि पत्रको कुछेक शब्द बदलनेके बाद अन्तिम रूप देकर दूसरे दिन प्रेषित किया गया था।

१२५. पत्र : चार्ल्स टेगार्टको

मौलमीन
१३ मार्च, १९२९

प्रिय मित्र,

मुझे आशा है कि मै निश्चित तिथिको न्यायालयमे उपस्थित हो सकूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे आपको यह बतला देना चाहिए कि ३० मार्चको काठियावाड़मे मेरा पहुँचना बहुत पहलेसे निर्धारित किया जा चुका है। वहाँका एक सम्मेलन मेरी वहाँ उपस्थितिपर ही निर्भर है। इसलिए यदि मुझे छुट्टी दे दी गई तो मुझे २६ तारीखको दिल्ली एक्सप्रेससे कलकत्ता छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप हावड़ासे मेरे रवाना होनेके समयतक मुकदमेकी कार्रवाई पूरी करानेका प्रबन्ध कर देंगे।

हृदयसे आपका,

सर चार्ल्स टेगार्ट
पुलिस कमिश्नर
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३३८१)की फोटो-नकलसे।

१२६. पत्र : छगनलाल जोशीको

मौलमीन
१३ मार्च, १९२९

चि० छगनलाल,

आज भी डाक जानेका समय हो गया है। इसलिए इतना ही लिख रहा हूँ।

सब-कुछ ठीक चल रहा है। तुम सबको याद करता हूँ। सब लोग अब ठीक हो गये होंगे। अच्छा हो यदि सब खुले बदन सूर्य किरणोका सेवन करें। कोई बीमार पड़े तो तुरन्त उपवास शुरू करे, खूब पानी पिये और रेचनके लिए एनीमा ले। मुझे नही लगता कि इससे और अच्छा कोई उपाय हो सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५३९३)की फोटो-नकलसे।

१२७. भाषण: मौलमीनकी सार्वजनिक सभामें

१३ मार्च, १९२९

महात्मा गांधीने इस बातपर प्रसन्नता प्रकट की कि श्रोताओंमें अधिकांश बर्मी लोग मौजूद हैं। इसके पश्चात, उन्होंने शराबखोरीके बारेमें कहा:

कल यह सुनकर मुझे बड़ा ही क्लेश पहुँचा कि शराबखोरी बढ़ती जा रही है और यह जानकर अत्यधिक पीड़ा हुई कि शराबसे मिलनेवाली चुगी भू-राजस्व की एक-तिहाईके बराबर हो जाती है। ससारका कोई भी देश हो, ऐसी स्थिति उसके लिए सचमुच बडी भयकर होगी, लेकिन बर्मा-जैसे देशके लिए तो यह आत्मघातसे किसी भी कदर कम नही है, क्योकि यहाँकी जलवायु शराबखोरीके सर्वथा प्रतिकूल पड़ती है। मैं जानता हूँ कि यह लत भारतमे कितनी बर्बादी ढा रही है। शहरोमे रहनेवाले लोगोपर इससे एक गम्भीर दायित्व आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि बर्मी जनताके नेतागण इस समस्यापर गम्भीरतासे विचार करे और इसे जडसे उखाड फेंकनेका भरपूर प्रयास करे। ठंडी जलवायुवाले देशोमें जो भी हो, लेकिन हमारे देश-जैसी जलवायुमे शराबकी कतई कोई जरूरत नही। शराबखोरीके शिकार बननेवाले देशके लिए बर्बादीके अलावा कोई रास्ता नही रह जाता। इतिहास गवाह है कि इस लतने बड़े-बडे साम्राज्योको तबाह कर दिया है। हमारे देशमे श्रीकृष्णको जिस महान जातिने जन्म दिया था, शराबखोरीकी लतने उसे तभी नेस्तनाबूद कर दिया। रोम साम्राज्यके पतनमें अन्य कारणोंके साथ इस एक कारणका भी बडा हाथ था। इसलिए यदि आप सुसंस्कृत और सुन्दर जीवन बिताना चाहते हैं तो आपको समय रहते इस बुराईसे दूर हो जाना चाहिए।[1]

महात्मा गांधीने बर्मी महिलाओंको सम्बोधित करते हुए उनका ध्यान दो बातोकी ओर आकर्षित किया: बढ़िया विदेशी वस्त्रोंमें उनकी रुचि और धूम्रपानकी आदत। उन्होंने बतलाया कि बर्मामें कदम रखते ही वे वहाँके स्त्री-पुरुषोंसे स्नेह करने लगे थे, और यदि बर्मी महिलाओमें विदेशी वस्त्रोंका इतना ज्यादा शौक न होता तो उनका स्नेह और भी बढ़ गया होता। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बर्मी महिलाएँ इस मामलेमें अगुआई करेंगी।

आप लोगोंको इस समय जितनी स्वतन्त्रता मिली हुई है, उतनी संसारके किसी भी दूसरे देशकी महिलाओंको प्राप्त नही है। आपकी उद्यमशीलता और आपके कौशल का सभी लोहा मानते है। आपके अन्दर संगठनकी बड़ी क्षमता है और यदि आप

१. यह अनुच्छेद महादेव देसाई द्वारा प्रस्तुत गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणसे लिया गया है।

बढिया विदेशी वस्त्रोंके अपने शौकको त्याग दें और मेरे दिये हुए सादगीके सन्देशको हृदयंगम कर ले तो आप अपने जीवनमे क्रान्ति ला सकती है। . . .[1]

धूम्रपानके अभिशापके बारेमे अधिक कुछ कहनेका साहस मै अपने अन्दर महसूस नही करता। लेकिन मुझे पता चला है कि बर्मा-भरमें एक भी स्त्री या पुरुष इस आदतसे बरी नहीं है। हम भारतीय लोगोको यह देखकर बड़ा दुख और आश्चर्य होता है कि सुन्दर बर्मी महिलाएँ चुरट और सिगारोसे अपने मुँह कितने कुरूप बना लेती हैं। पर मै यह भी जानता हूँ कि सारे ससारको अपनी लपेटमे ले लेनेवाली इस बुराईके विरुद्ध कुछ भी कहना कितना कठिन है। आपने टाल्स्टायका नाम शायद सुना होगा। उन्हे स्वय इसकी लत थी। इसलिए उन्होने इसके बारेमे जो भी कहा वह अपने अनुभवसे ही कहा था। मै उनकी ही प्रामाणिक राय आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होने कहा है कि अन्य इन्द्रियोकी बात तो छोडिए, यह तमाखू मनुष्यकी बद्धि तकको मन्द बना देती है। उन्होने तो अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि धूम्रपानके असरमे लोगोने कैसे-कैसे घोर अपराध किये है, और उन्होने अपनी एक सुन्दर कहानीमे चित्रित किया है कि खलनायकने शराब नही बल्कि तमाखू पीनेके बाद हत्या की थी। यद्यपि यह बात सच है कि धूम्रपानकी आदत बढती ही जा रही है और संसारके अनेक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इसके समर्थक है, परन्तु साथ ही इसका विरोध भी चल रहा है और पश्चिमी देशोके अनेक बड़ेसे-बड़े व्यक्ति और नीतिवान लोग इसके विरोधियोमे शामिल है।

गांधीजीने भारतीयोंको ऐसा जीवन व्यतीत करनेकी सलाह दी कि लोग उनको भले आदमी मानें। उन्होंने यह भी कहा कि वे खद्दरके लिए धन एकत्र करने आये थे और लोगोंको चाहिए कि धन देकर तथा खद्दरको अपनाकर वे इसमें उनकी मदद करें। महात्मा गांधीने बर्मी श्रोताओंको बतलाया कि चूँकि वे बर्मामें अपना एक स्वार्थ लेकर आये थे इसलिए उनको बर्मी जनतासे कुछ माँगने या उससे कुछ अपेक्षा रखनेका अधिकार नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १६-३-१९२९ और यंग इंडिया, ११-४-१९२९

१. यह और इसके बादके अनुच्छेद यंग इंडियासे लिये गये हैं।

१२८. सच्चे बनो

हैदराबाद (सिन्ध)के विद्यार्थियोने मुझे सिन्धी भाषामें एक सुन्दर मानपत्र दिया था। मैंने वचन दिया था कि उसका अनुवाद 'यंग इंडिया' में छापूँगा[1] लेकिन दूसरे कामोंके कारण वह इससे पहले छापा नही जा सका। मानपत्र इस तरह है:

हैदराबादके विद्यार्थियोकी ओरसे हम आपका हार्दिक स्वागत करते है। हम जानते है कि आपके आदर्शोका अनुसरण न करनेके कारण हम आपका स्वागत करनेके योग्य नही है। लेकिन हमें आशा है कि आपके मुँहसे कुछ उपदेश-वचन सुनकर हमारे दिलोपर उनका गहरा असर होगा। हम आपको धोखा देना नही चाहते। हमारी इच्छा तो यह है कि हम अपना हृदय आपके सामने खोलकर रख दे।

हमारा शहर शिक्षाका केन्द्र है। भारतके दूसरे शहरोंके मुकाबले 'इडियन सिविल सर्विस' मे यहाँके लोग ज्यादा है। यहाँ एक कालेज, लड़कोंके तीन हाई स्कूल, लड़कियोके दो हाई स्कूल और अन्य अनेक सिन्धी तथा अग्रेजी स्कूल है। अकेले अग्रेजी विद्यालयोमे ही ४,००० विद्यार्थी है। लेकिन इनमे से सिर्फ २२ या २५ विद्यार्थी खादी पहननेवाले है और देशी मिलोका कपड़ा पहननेवाले छात्रोंकी संख्या भी ३ या ४ प्रतिशतसे ज्यादा नही हो सकती। कुछ दूसरे, स्वदेशी, विदेशी दोनो पहनते है। लेकिन अधिकाश लड़के केवल विदेशी कपड़ा पहननेवाले है। आप भली-भाँति जानते है कि हमारा रहन-सहन खर्चीला है। हमें मातृ-भाषा और अपनी राष्ट्रीय सस्कृतिकी अपेक्षा अग्रेजो भाषा और पाश्चात्य सभ्यताका ज्यादा मोह है। अपने रहन-सहनमे हम कोई सेवा और सादगी भी नही दिखा सकते, हालाँकि हम अपने देशकी गरीबीको अच्छी तरह जानते है। हम जानते है कि खादी और स्वदेशी चीजोके व्यवहारसे देशको लाभ होगा; लेकिन हमें दुख है कि बाढ-पीड़ितोंका आर्तनाद सुनकर भी हमारे दिल डोले नही थे। चारो ओर भुखमरी और निराशाको देखकर भी हमारे हृदय पिघल नही जाते है, इसका कारण हमारी यही उपेक्षा-वृत्ति है। हमारा सघ पिछले चार वर्षोसे कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ नही है जिसका हम गर्वसे उल्लेख कर सके।

हमें अपने यहाँकी 'देती-लेती' की कुप्रथाका उल्लेख करते शर्म आती है। उच्च शिक्षा पानेके बावजूद अपनी पत्नीके माता-पिता या सम्बन्धियोसे हजारों रुपये वसूल करनेमें हमें झिझक नही लगती। हममे से कई लोग अपनी पत्नियोंके घरवालोसे रुपये लेना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते है। हममें से बहुतोके अन्दर थोड़ा भी स्वाभिमान नही है; उच्च शिक्षा पाते हुए भी सिर्फ ५-६ लड़कियाँ ही ऐसी साहसी निकली हैं जिन्होने अपने लिए पति 'खरीदने'

१. देखिए "सिन्धके संस्मरण", २१-२-१९२९।

में अपमान समझा है और उसका विरोध किया है। हाल ही में 'देती-लेती' के समर्थकोंका बहिष्कार करनेका एक प्रस्ताव पास किया गया है। फिर भी लोग इस बुरे रिवाजको छोड़ नही रहे है।

सिर्फ तस्वीरका खराब पक्ष ही आपके सामने पेश करनेका हमारा इरादा नही है। इसका एक उजला पक्ष भी है। आप विश्वास रखिए कि हममें अच्छा काम करनेकी असीम शक्ति है। हम सारे सिन्धमें नव-जागरणके अग्रदूत बन सकते है। हमारे इसी शहरमें साधु हीरानन्द, दीवान नवलराय, भाई बालचन्द्र और दीवान दयाराम-जैसे रत्न पैदा हुए, जिनकी परम्परा हमें विरासतमें मिली है। इस समय भी हमारे नगरमें ऐसे लोग है, जो अपनी संगठनक्षमता और अनुशासनके लिए प्रसिद्ध है। हमारे बीच ऐसे लोग है जिन्होने राजनीति, समाज-सेवा, शिक्षा और साहित्यके क्षेत्रमें नेतृत्वकी क्षमता प्रकट की है। उन्होने सभी राष्ट्रीय कार्योमें प्रमुख भाग लिया है। हैदराबादके व्यापारी दुनियाके कोने-कोनेमें अपना कारोबार चलाते मिलेगे। हम अपनी तारीफ करनेके खयालसे ये बातें नही कह रहे है, लेकिन हम बताना चाहते है कि हममें सेवा या काम करनेकी शक्तिका अभाव नही है। अगर हमारी शक्तियोको संगठित किया जा सके तो हम तेजीसे प्रगति कर सकते है। हम मानना चाहते है कि आपके आदर्शोका पालन न करनेके कारण हमने आपका प्रेम पानेका अधिकार खो नही दिया है, क्योकि हम जानते है कि आपके प्रेमसे ही हमारे हृदयमें उत्साह और स्फूर्ति प्रकट होगी।

मैंने इस मानपत्रका यह स्वतन्त्र अनुवाद इन विद्यार्थियोको वचन-बद्ध करनेकी गरजसे, और दूसरे विद्यार्थी इस उदाहरणसे कुछ सीखें इस गरजसे, यहाँ दिया है। मै हैदराबादके विद्यार्थियोंको फिरसे याद दिला देता हूँ कि यह मानपत्र मेरे समक्ष पढे जानेसे पहले उन्हे पता नही था कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि मानपत्रकी बातें सच है या नही तो उन्होने उसमें कही गई हरएक बातका समर्थन किया था और मुझे वचन दिया था कि वे भूतकालकी बेदरकारी और बेपरवाहीको धो डालेगे। इस कारण मुझे आशा है कि वे विदेशी कपड़ेका सम्पूर्ण बहिष्कार करके खादीका व्रत धारण करेगे। मुझे यह भी आशा है कि वे 'देती-लेती' की कुप्रथाको भी हमेशाके लिए समाप्त कर डालेगे।

दूसरे विद्यार्थी इस मानपत्रको एक नमूना समझें। नेताओकी तारीफसे भरे हुए मानपत्र वास्तवमें निरर्थक होते है। जो लोग इस तरहकी तारीफकी आशा रखते हो उन्हे कोई मानपत्र न देना ही उचित है। विद्यार्थी जिसे सचमुच चाहते है और जिसका आदर करते है उसे अगर मानपत्र दिया जाये तो उसमें उन्हे लाभ पहुँचाने-वाली बातोका ही जिक्र होना चाहिए। मेरे कहनेका मतलब यह नही है कि हरएक मानपत्र इस मानपत्रके जैसा ही होना चाहिए। लेकिन मै इतना तो जरूर कहना चाहता हूँ कि हरएक मानपत्रमें स्थानीय रंग होना चाहिए और उसमें किसी महत्त्वकी बातका जिक्र किया जाना चाहिए। सच्चा प्रेम प्रशंसा करके नही बल्कि सेवासे

प्रकट होता है। इसके लिए आत्मशुद्धि सबसे पहली चीज है; वह सेवाकी अनिवार्य शर्त है। अतः यह मानकर कि प्रस्तुत मानपत्र हैदराबादके विद्यार्थियोकी आत्मशुद्धिकी इच्छाकी निशानी है, मै इसका स्वागत करता हूँ। यह अत्यन्त वाछनीय है कि स्वराज्य-प्राप्तिकी तैयारीवाले इस अनमोल वर्षमे आत्मशुद्धिकी यह साधना पूरी हो।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-३-१९२९

१२९. टिप्पणियाँ

पुराना शत्रु

एक मित्रने अकोलासे ये दो प्रश्न भेजे हैं, जो देखनेमे एक दूसरेसे भिन्न लगते हैं:

> १. कोई व्यक्ति अपनी विषय-वृत्तिपर काबू कैसे पा सकता है?
>
> २. यदि 'क' आदतन खादी पहनता हो और वह 'ख'से भी इसका आग्रह करे और 'ख' अपनी असमर्थता प्रकट करे, तब फिर क्या किया जाये? यदि किसीकी पत्नी खादी पहननेसे इनकार कर दे तो पति उसको कैसे राजी कर सकता है?

पहले प्रश्नका उत्तर यह है कि उस व्यक्तिको पहले तो ऐसी प्रत्येक वस्तुका परित्याग कर देना चाहिए जो उसकी विषय-वृत्तिको जगाती या उत्तेजित करती हो और उसके बाद उसे सहायताके लिए ईश्वरकी ओर देखना चाहिए।

दूसरे प्रश्नके बारेमें यह तो सर्वथा स्पष्ट है कि अपने विचार या अपनी आदतें अपनानेके लिए दूसरोको विवश नही किया जाना चाहिए। मेरा अपना अनुभव यह है कि ऐसे मामलोमें अपना स्वयंका उदाहरण पेश करना एक अचूक उपाय है, और खादी हो या अन्य कोई भी सुधार, हमें अपने विश्वासपर दृढ रहते हुए, दृढतासे उसका पालन करते हुए, बडे धैर्यके साथ इसकी राह देखनी पडेगी कि हमारा पडोसी भी उसे अपना ले। मैंने 'क' और 'ख' दो व्यक्तियोंके बारेमे जो भी कहा है वह पति-पत्नीके बारेमें भी उतना ही लागू होता है।

गरीब विद्यार्थियों द्वारा चन्दा

न्यू इंग्लिश स्कूल, अचराके प्रधानाध्यापकने निम्नलिखित पत्र भेजा है:[1]

मुझे खेद है कि यह पत्र जिस समय मिला उस समय मैं दौरेपर था और इस कारण यह लगभग दो महीनो तक मेरे कागजातमें ही दबा पडा रहा। राशिकी

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। विद्यार्थियों और अध्यापकोंने लाजपतराय स्मारक कोष के लिए १०१ रुपये जमा करके भेजे थे। प्रधानाध्यापकने गांधीजीसे अनुरोध किया था कि जैसे भी हो गरीब विद्यार्थियोंको खादी कुछ सस्ते दामोंपर सुलभ बनाई जानी चाहिए।

प्राप्ति-सूचना तो भेज ही दी गई है, लेकिन राशि जमा करनेके अतिरिक्त इस पत्रका अलगसे अपना एक महत्त्व है। इसलिए कि अध्यापकोने अपीलके शब्दोपर ही नही, उसकी भावनापर भी अमल किया है, क्योंकि उन्होने विदेशी वस्तुओ, यहाँतक कि चायके भी परित्यागका संकल्प कर लिया है। अध्यापकोको मेरा सुझाव है कि विदेशी वस्तुओंके परित्यागके संकल्पको न तो अध्यापक निभा पायेंगे और न विद्यार्थी ही। इतना व्यापक संकल्प निभाया नही जा सकेगा। उदाहरणके लिए न तो अध्यापक-गण और न विद्यार्थी लोग ही विदेशी पुस्तको, विदेशी पिनो, विदेशी घड़ियो या विदेशोमे बनी सुइयोंका ही परित्याग कर पायेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि वे अपनी प्रतिज्ञापर पुर्नविचार करे। ज्यादा अच्छा यह होगा कि वे उन विदेशी वस्तुओंके नाम घोषित कर दें जिनसे वे दूर रहेंगे।

खादीके बारेमें तो मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि वह तबतक हर कीमतपर सस्ती ही है जबतक उसे स्थानीय स्टाक रखनेका मामूली-सा खर्च जोड़कर लागत मूल्यपर ही बेचा जा रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि खादीने अपने जीवनके सात वर्षोंमें अपनी कीमत आधी घटा ली है। यदि उसे और अधिक सरक्षण मिलता, तो कीमत और भी सस्ती हो जाती। और फिर गरीब विद्यार्थियोको अपने पैरोपर खड़े होना क्यो नही सिखाया जाता; उनको यह क्यो सिखाया जाये कि वे लागत मूल्यसे भी सस्ती दरपर खादी मिलनेकी अपेक्षा रखें और इस प्रकार अपनेसे कही गरीब तबके के लोगोसे आर्थिक सहायता पानेकी अपेक्षा रखे? बालक-बालिकाओको खाली समयमें अपना सूत स्वयं कातनेकी शिक्षा देनी चाहिए। मैंने सुझाव दिया है कि वे प्रतिदिन लगभग आधा घंटा कताईको दें। वे तो उस सूतको बुन भी सकते है, या यदि उसमे मुश्किल पडे, जो पड़ सकती है, तो वे उस सूतको अखिल भारतीय चरखा संघके किसी प्रतिनिधिके पास भेजकर उतने ही वजनकी तथा उतने ही नम्बरके सूतकी खादी ले सकते है। उनको केवल बुनाईका मामूली खर्च देना होगा।

उसकी जकड़में

आगराके एक मित्र पूछते है :

क्या आपने अपने जीवनका बीमा कराया है? क्या पाश्चात्य देशोंकी इस संस्थामें कोई आपत्तिजनक बात है? कुछ बीमा कम्पनियाँ अपनी सारी या अधिकांश आय सरकारी प्रतिभूतियोंमें नियोजित कर देती है। क्या ये कम्पनियाँ इस प्रकार जनताका धन लेकर उससे उसी सरकारकी मदद नहीं करतीं — जिसे आप शैतानियतकी सरकार कहते है? क्या वे इस प्रकार हमारा जीवन सरकारके आश्रित नहीं बना देतीं? और इस प्रकार एक हद तक सरकारके स्थायित्वको बल नहीं देतीं? यदि यह ठीक है, तो क्या देश-भक्तोंको ऐसी कम्पनियोंके प्रतिनिधि बनना या इन कम्पनियोंसे जीवन-बीमा कराना चाहिए?

ये मित्र यदि नियमित रूपसे 'यंग इंडिया' पढ़ते हैं, तो इनको मालूम होना चाहिए कि मैंने १९०१ में अपना जीवन बीमा कराया था और थोड़े समय बाद पालिसीको इसलिए रद करा दिया था क्योंकि मैंने महसूस किया कि इस तरह मैं ईश्वरपर अविश्वास कर रहा हूँ और जिनके नाममें पालिसी ली गई थी अपने उन रिश्तेदारोंको अपना आश्रित बना रहा हूँ या मैं उनके लिए जो धन छोड जाऊँगा उसके प्रति उन्हें आश्रित बना रहा हूँ; उनको ईश्वरके आसरे नहीं छोड रहा हूँ[1]। बादके अनुभवने भी पालिसी रद करानेके समय समयके मेरे विचारकी पुष्टि ही की है। पत्र-लेखकको सरकारकी जकड मजबूत होनेके बारेमें जो आशंका है, वह कहीं ज्यादा सच है। सरकारी प्रतिभूतियोंमें खर्चकी गई एक-एक पाई निःसन्देह उसकी शक्तिको बढाती है। सरकार ब्याजकी सस्तीसे-सस्ती दरपर हमारा धन ले लेती है और जब हमारी ओरसे अपने अस्तित्वपर आँच आती दिखाई पडती है तो वह उसे बिलकुल खुले रूपमें हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करती है। सभी सरकारोंको यही करना पड़ेगा या वे यही करेंगी; वे और कुछ कर ही नहीं सकतीं। हमारी अपनी राष्ट्रीय सरकार बन जानेपर वह भी यही करेगी; लेकिन तब स्थिति यह होगी कि हम खुद चाहेंगे कि सरकार वैसा ही करे। वर्तमान सरकारके मामलेमें तो यह स्थिति है कि हम असहाय होकर उसके पाशमें बँधते हैं। पता नहीं हम किस हदतक उसके आश्रित बन जाते हैं। रोशनी, पानी, भोजन और बड़े-बड़े शहरोंमें तो हवा तकके लिए हम सरकारके मोहताज हो जाते हैं। इन सभी बातोंमें से प्रत्येकपर खूब विचार करनेपर ही असहयोगका विचार पैदा हुआ था। सरकार यदि अपने आपको सुरक्षित महसूस करती है तो वह इसलिए कि वह जानती है कि राष्ट्रीय संघर्ष छिडनेपर धनी वर्गों और निहित स्वार्थोवाले सभी लोग उसकी हिमायतमें खड़े हो जायेंगे। हम हजारों तरीकोंसे सरकारके साथ सहयोग कर रहे हैं। उनमें से सहयोगके चन्द महत्त्वपूर्ण क्षेत्रोंको असहयोगके लिए चुन लिया गया था और मैं जानता हूँ कि यदि हम अहिंसात्मक उपायोंसे अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें लगभग इन क्षेत्रोंमें ही असहयोग अवश्य करना पडेगा।

खादीकी उपयोगिता

इन मित्रने ही पूछा है:

> आप खादीका इस्तेमाल सदाके लिए स्थायी बना देना चाहते हैं या राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए उसकी अस्थायी उपयोगिताके कारण आप उसकी सिफारिश करते हैं? पहली स्थिति यदि ठीक है तो क्या खादी सुरुचिको चोट नहीं पहुँचाती और क्या आप साधारण जनतासे आशा करते हैं कि वह सुरुचिकी अपनी सहज भावनाका गला घोंट दे?

1. देखिए खण्ड ३९, आत्मकथा, भाग ४, अध्याय ४।

मैं वास्तवमें खादीका इस्तेमाल सदाके लिए स्थायी बना देना चाहता हूँ, इसलिए कि किसानोंको नेस्तनाबूद होनेसे बचानेका बस एक यही उपाय है। मेरा दावा है कि खादीमें राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करानेकी सामर्थ्य है और इतना ही नहीं उसमें किसानोंको शोषकोंसे बचानेकी क्षमता भी है। स्पष्ट है कि पत्र-लेखकको अपने ही देशके पिछले इतिहासकी और खादीके वर्तमान विकासकी कोई जानकारी नहीं है। दुनियामें जब कहीं भी लोगोंको सूतकी उपयोगिताकी जानकारी नहीं थी, उस कालमें ही भारतने सुरुचिका एक ऊँचा मानदण्ड स्थापित करके पश्चिमके धनी देशोंको विविध रंगोंके महीनसे-महीन उत्तम वस्त्र भेजने शुरू कर दिये थे और खादीका वर्तमान विकास सिद्ध करता है कि वह धीरे-धीरे ही सही, पर निश्चित कदमोंसे सुरुचिपूर्ण लोगोंके मनमें दिन-दिन अधिक प्रवेश करती जा रही है। आखिर सच्ची कला तो स्त्री-पुरुषोंके हाथोंके सजीव स्पर्शसे ही अभिव्यक्ति पा सकती है, बड़े पैमानेपर उत्पादनके लिए बनाई गई शक्ति-चालित निर्जीव मशीनोंसे तो उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। पत्र-लेखक आचार्य कृपलानी और उनके शिष्योंसे सम्पर्क स्थापित करे, जो खादीको सुन्दर बनानेके लिए बड़े पैमानेपर प्रयोग कर रहे हैं।

इस पत्र-लेखकने खादीके तथाकथित महँगेपनका प्रश्न भी उठाया है। मैंने उसके बारेमें इसलिए नहीं लिखा कि 'यंग इंडिया' के इसी अंकमें अन्यत्र उसकी चर्चा की जा चुकी है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १४-३-१९२९

१३०. भाषण: रामकृष्ण मिशन, रंगूनमें[1]

१४ मार्च, १९२९

बहनो और भाइयो,

रामकृष्ण मिशनने कृपापूर्वक मुझे जो अभिनन्दनपत्र दिया है उसके लिए मैं उसके सदस्योंको धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मौलाना मुहम्मद अलीको यहाँ मेरे साथ देखकर बहुत खुश हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपके अली-बन्धु कहाँ हैं? तब मैं उन्हें वही जवाब देता हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ। आज मैं इस प्रकारकी पूछ-ताछसे बच गया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदाकी इच्छा होकर रहेगी और मैं इन्हें हमेशा अपने साथ पाऊँगा। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बताना चाहता।

अब मैं आपको रामकृष्ण परमहंस और उनके मिशनके बारेमें कुछ बताना चाहता हूँ। वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम छोड़ गये हैं। मुझे उनके मिशनमें आस्था है और मैं आपसे उनका अनुकरण करनेको कहूँगा। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, रामकृष्णके अनुयायी मुझे सदा निमंत्रित करते हैं और मैं जानता हूँ कि मेरे कार्यको उनकी

१. इस समारोहका आयोजन रामकृष्ण परमहंसके जन्म-दिवस समारोहके सिलसिलेमें किया गया था।

शुभकामनाएँ प्राप्त है। रामकृष्ण सेवाश्रम और अस्पताल भारत-भरमे फैले हुए है। कोई जगह ऐसी नही है जहाँ उनका काम छोटे या बडे पैमानेपर न चल रहा हो। अस्पताल खोले जा रहे है और गरीबोको दवाएँ और चिकित्सा-सुविधा प्रदान की जा रही है।

मेरे पास बहुत कम समय है इसलिए मै ज्यादा कुछ नही कहना चाहता। रामकृष्णका नाम याद आनेपर मै विवेकानन्दको नही भूल सकता। जगह-जगह सेवाश्रमोंकी स्थापना मुख्यत विवेकानन्दके प्रयासोका ही फल है, और उन्होने ही अपने गुरुको विश्व-ख्याति प्रदान की।

ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसे सेवाश्रमोकी सख्या बराबर बढे। मै आशा करता हूँ कि इन सेवाश्रमोमे ऐसे लोग शामिल होगे जो मनसे शुद्ध है और जिन्हे भारतसे प्रेम है। वे भारत-प्रेमसे अनुप्रेरित होकर अपना कार्य करे।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १८-४-१९२९

१३१. भाषण: स्त्रियोंकी सभा, रंगूनमें[1]

१४ मार्च, १९२९

महोदया और मित्रो,

चूँकि मुझे आपके कार्योंकी कोई जानकारी नही है और न मै इन श्रोताओंके सामने आनेको तैयार ही था, इसलिए इस सभामे भाषण देनेमे मुझे बहुत अटपटा लग रहा है। मै तो यह समझा था कि मुझे सभी प्रकारके लोगोसे मिलना होगा जिनमें से कुछ तो जिज्ञासाके कारण आयेगे और बाकी मद्य-निषेधके सम्बन्धमे मेरे विचार जाननेके लिए। लेकिन देखता हूँ कि मै तो विशेषज्ञोंके एक समुदाय — यदि इस श्रोता-समुदायको मै यह नाम दे सकूँ तो — के सामने खडा हूँ। क्योकि मुझे उम्मीद है कि इस काममे आप सब निपुण है। महोदया, आपने बताया है कि यदि लोगोको नशाखोरीकी बुराइयोके बारेमे बताने-समझानेका आन्दोलन चलाया जाये और उस प्रचारके फलस्वरूप जो लोग शराबके आदी है यदि वे शराबकी दूकानोपर जाना छोड दे तो शराबकी सभी दूकाने स्वत. बन्द हो जायेगी। अध्यक्षाने जो बाते बताई है उसका विरोध न करते हुए मै आपको अपने अनुभवकी बात बताना चाहता हूँ।

मद्य-निषेधके सम्बन्धमे मैने १८९३ मे, जब मै दक्षिण आफ्रिका गया था, काम करना शुरू किया था। जब मैने अपने ही लोगोको, अपने ही देश भाइयोको शराब पीते देखा, यहाँतक कि उन स्त्रियोको भी शराब पीते देखा जो भारतमे रहते हुए शराब पीनेकी कल्पना भी नही कर सकती थी, और जो शराब पीनेके कारण

१. सभाका आयोजन 'बर्मा विमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन' के तत्त्वावधानमें किया गया था।

मोरीके कीड़ों-जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी, तब मुझे लगा कि मद्य-निषेधका काम बहुत मुश्किल है। ये पुरुष और स्त्रियाँ मद्य-निषेधपर कोई भाषण सुननेको तैयार नही थे, व्यक्तिगत सलाहकी तो बात ही क्या? मैंने यह भी देखा कि उनमें से कुछ तो बिलकुल लाचार थे या फिर वे अपने आपको लाचार समझते थे। मैंने बहुतसे तरीके अपनाये — वे सब तरीके जो किसी प्रकारका भी अधिकार न रखनेवाले व्यक्तिके बसमें थे। लेकिन मुझे उन प्रयत्नोमें कोई प्रकट सफलता मिली हो, इसका दावा मैं नही कर सकता। दक्षिण आफ्रिकाके संघ बननेके बाद वहाँकी संघ सरकारने एक मद्य-आयोगकी नियुक्ति की थी। उस आयोगके सामने मैंने गवाही दी थी या यों कहिए कि एक टिप्पणी लिखकर आयोगको दी थी, लेकिन आपको यह बताते हुए मुझे फिर दुख होता है कि उसका कोई परिणाम नही निकला। दक्षिण आफ्रिका-में स्थिति विचित्र और असामान्य थी और आज भी है। शराब रखने और पीनेके सम्बन्धमें तीन प्रकारके प्रतिबन्ध हैं। बन्टू और जुलू लोगोंके लिए शराबकी बोतल साथ रखना निषिद्ध है और न ही कैंटीनोमें उन्हें शराब मिल सकती है, लेकिन फिर भी वे पीते अवश्य है। भारतीय लोग बोतल नही रख सकते लेकिन वे कैंटीनोंमें जितनी चाहे उतनी पी सकते है। उसका परिणाम विशेष रूपसे स्त्रियोके सिलसिलेमें क्या हुआ है, वह मैंने आपको बताया है। गोरा व्यक्ति बेशक स्वतन्त्र है। उसके सम्बन्धमें कोई कानून नही है, लेकिन मै क्या कहना चाहूँगा इसकी कल्पना आप कर सकती है। वह यह कि इस बुराईका कारण दक्षिण आफ्रिकामें गोरे व्यक्तियोको दी गई स्वतन्त्रता है। उनमें से कुछने बन्टुओं और भारतीयोंकी इस पीनेकी आदतका फायदा उठाकर काफी धन एकत्र कर लिया है।

बादमें मैं भारत चला आया और मैंने देखा कि यहाँकी स्थिति दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिसे एक दृष्टिसे भिन्न है, लेकिन समस्या मूलत. दोनोकी एक ही है। जैसा कि आप जानते हैं, १९२०-२१ मे भारतमे एक जोरदार मद्य-निषेध अभियान चलाया गया था और आप मेरे यह कहनेका बुरा नही मानेंगी कि उस समय यदि हमें भारत-भरके सभी मद्य-निषेध संगठनोका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो गया होता तो हमें पूर्ण सफलता मिल गई होती। यदि आपने भारतके मद्य-निषेध आन्दोलनका सावधानीसे अध्ययन किया है तो आपको सरकारी रिपोर्टोंसे पता चलेगा कि हमें कमसे-कम कुछ प्रान्तोमें तो लगभग पूरी सफलता मिलती प्रतीत होने लगी थी। बहुतसे शराबखाने करीब-करीब बन्द हो चुके थे। असममें सैकड़ों अफीमखाने उजड चुके थे। लेकिन तभी एक दुखद घटना घटी। वह थी सरकारी दमनकी। यह एक लज्जास्पद और दुखद घटना थी। मै मानता हूँ कि आन्दोलन राजनीतिक रंगमें रँगा हुआ था। उसपर राजनीतिक रंग चढना लाजिम भी था। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यके बावजूद चूँकि वह आन्दोलन मूलत एक नैतिक आन्दोलन था अत. मद्य-निषेध संगठनोको उसकी मदद करनेमें हिचकना नही चाहिए था। यह सब इतिहास, जो दुखद होते हुए भी काफी रोचक है, बतानेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। दमनकी शुरुआत इस प्रकार हुई। बिहार, असम और मध्य प्रान्तके सरकारी राजस्वमें एकदम

कमी आ गई थी। लोगोंमें आत्म-शुद्धिकी एक प्रबल भावना, इच्छा और उत्कट लालसा उत्पन्न हो गई थी। वह लालसा जागी, कैसे जागी, यह मुझे नही मालूम, क्योंकि ईश्वरकी रहस्यमयी लीलाका हमें सदैव पता नही चलता। लेकिन इतना तो सच है कि राजनीतिक आन्दोलन आत्म-शुद्धिका भी आन्दोलन बन गया और उस बहावमें हजारों लोग शरावकी दूकानो और अफीमके अड्डोपर धरना देनेके लिए स्वयसेवक बन गये। जनता भी यह महसूस करने लगी कि शराबखानोसे दूर रहना उनका कर्त्तव्य है। सरकारने दमन-चक्र चलाया और हजारो स्वयं-सेवकोको शराब और मादक वस्तुओंकी दूकानोपर धरना देनेके अपराधमे जेलोमें डाल दिया गया। परिणाम यह हुआ कि वे सब कैंटीनें जो उजड़ चुकी थी और वे सब अफीमके अड्डे जो लगभग बन्द हो चुके थे, मुझे डर है कि अपना व्यापार उसी पैमानेपर चला रहे हैं जैसा कि वे १९२०-२१ से पहले चला रहे थे।

इस कथासे जो नतीजा मै निकालना चाहूँगा वह यह है कि इस सम्बन्धमें भारत और बर्मामें — अपने तर्कके लिए बर्माको एक पृथक् इकाईके रूपमें स्वीकार करते हुए — लोगोंको नशा छोड़नेके लिए प्रशिक्षित करनेका आन्दोलन चलानेके साथ ही नशा-विरोधी कानून भी बनना चाहिए; भले ही ऐसा कानून बादमे बने। बर्मी लोगोमें शराब पीनेकी आदतका मै उतनी गहराईसे अध्ययन नही कर सका हूँ जितना कि मैं चाहता था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जबसे मै बर्माके लोगोंके सम्पर्कमें आया हूँ तबसे मैं बर्मी मित्रोसे इस शराबकी आदतके बारेमें जाननेकी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके बारेमे दूसरोसे प्राप्त जानकारीके आधारपर ही बोल सकता हूँ; जबकि भारतके बारेमें मैं अपने अनुभवके आधारपर बोल सकता हूँ और आपके सामने मैं अपना साक्ष्य दे सकता हूँ कि मद्यपानकी आदतका प्रचलन रईस लोगोमे नही है, यहाँतक कि मध्यम वर्गीय लोगोमें भी नही है, बल्कि मजदूरो, खास तौर पर कारखानोमें काम करनेवालोमें अधिक है और आपके सामने जो साक्ष्य मैं दे रहा हूँ वह काफी दिलचस्प है। कारखानोमे काम करनेवाले मजदूर जो वहाँ आनेसे पहले शराब नही पीते थे अब क्यो पीने लगे है, उसी प्रकार जिस प्रकार दक्षिण आफ्रिकामे मजदूरीके लिए जानेवाले स्त्री-पुरुष, जो वहाँ जानेसे पहले शराब नही पीते थे, वहाँ जाकर क्यो पीने लगे? इसका जवाब यह है कि वहाँकी परिस्थितियाँ ऐसी है और उन लोगोंके सामने ऐसे प्रलोभन प्रस्तुत किये जाते है जिनके कारण वे मद्यपानकी इस आदतके शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस आदतके शिकार हो चुके है वे भी इस आदतको उचित नही बताते। यदि आप इसके बारेमे उनसे कहे तो वे अपनी बेबसी जाहिर करेंगे, वे कहेंगे कि हम तो मजदूर हैं; वे तरह-तरहकी झूठी बाते कहेंगे और आपको धोखेमें डालनेकी कोशिश करेंगे लेकिन अपनी इस आदतपर उन्हें शर्म तो आती ही है। यूरोपमें यदि आप मेरे पास आये और मैं आपको शराब पेश न करूँ तो यह मेरे लिए अभद्रताका सूचक होगा। मैं जब इग्लैंडमें पढता था तब मेरी स्थिति बड़ी अटपटी हो जाया करती थी, क्योंकि मैं मित्रोको शराब नही पेश करता था। भारतमें ऐसी बात नही है और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि

आपके लिए यह कहना गलत होगा कि पहले लोगोको मद्यपानकी बुराइयोके बारेमे प्रशिक्षित किया जाये और उसके बाद मद्य-निषेध कानून बनाया जाये। शिक्षा इस बुराईको दूर करनेमे कभी समर्थ नही होगी। मद्य-निषेध इस कारण नही है कि शराबसे काफी राजस्वकी प्राप्ति होती है। यहाँतक कि भारतके मन्त्रिगण भी यही कहते है, "हम इस राजस्वको नही छोड़ सकते, लेकिन आप लोगोको प्रशिक्षित करते रहिए।"

इस राजस्वके सम्बन्धमे भी एक दुखद बात है। मत्रियोको — यह बात बर्मा और भारत दोनोपर लागू होती है — ऐसी अटपटी स्थितिमे नही डालना चाहिए था। जैसा कि आप जानते ही है, आबकारी एक हस्तातरित विषय है। इसे हस्तातरित विषय नही बनाया जाना चाहिए था। आबकारीसे प्राप्त होनेवाला राजस्व केन्द्रीय राजस्वका ही एक अश बना रहना चाहिए था, ताकि सरकारके सामने यह छूट रहे कि वह इस राजस्वका किसी क्षण भी त्याग कर दे और पूर्ण मद्य-निषेध घोषित कर दे। जब अमेरिका-जैसा विशाल देश, जहाँ मद्यपान एक आम बात थी, मद्य-निषेध घोषित करनेमें सफल हो गया तब भारत और बर्माके लिए यह कितना सरल न होगा, जहाँ शराब पीना एक फैशन नही है, जहाँकी अधिकाश जनता शराबको पसन्द नही करती और जहाँ यदि आप मत-सग्रह करे तो मद्य-निषेधके बारेमे कानून बनानेसे सम्बन्धित किसी भी प्रकारके आवेदनपत्रके समर्थनमे आपको करोड़ो हस्ताक्षर प्राप्त हो जायेंगे। आबकारीसे प्राप्त होनेवाला राजस्व २५ करोड़ है। यह कोई ऐसा राजस्व नही है जिसके बूतेपर प्रशासन चलानेमे कोई सरकार गर्वका अनुभव कर सके। इस राजस्वका तो त्याग कर देना चाहिए और जबतक इस मदसे प्राप्त राजस्व खर्च न हो जाये तबतक इस रकमको परम पावन समझना चाहिए तथा इसका उपयोग पूर्णरूपसे शराबकी बुराईको दूर करनेमें ही करना चाहिए। लेकिन आजकल इसका उपयोग हमारे बच्चोंकी शिक्षाके लिए किया जाता है जिसका नतीजा यह है कि इस आवश्यक मद्य-निषेध कानूनके सामने एक बड़ा भारी व्यवधान उपस्थित हो गया है। लोगोंको यह समझाया जाता है कि इस राजस्वके बन्द होनेपर वे अपने बच्चोंको शिक्षा नही दे पायेंगे। यदि स्थिति इसी तरह बेकाबू रही तो एक सम्पूर्ण राष्ट्रका ही विनाश होनेकी सम्भावना है। बुराईके फैल जानेपर कानून बनाना व्यर्थ साबित होगा। अमेरिकामे मद्य-निषेधके समर्थनमे जनमत तैयार करना इसलिए सम्भव हो सका कि वहाँ सार्वजनिक शिक्षाका प्रबन्ध है। लेकिन भारत-जैसे देशमे, जहाँ जबर्दस्त पैमाने-पर निरक्षरता तथा उसके साथी अन्धविश्वासका बोलबाला हो, वहाँ जनमत तैयार करना सम्भव नही है। इसलिए मै आप लोगोसे, खासकर स्त्रियोसे, जो मद्य-निषेध कार्यमें लगे हुए है, यह अपील करता हूँ कि वे हिम्मतसे काम ले। मै यह नही चाहता कि मैने आपसे जो-कुछ कहा है उसे आप वेदवाक्य मान ले। आप स्वयं सत्यकी परख कीजिए और जब आप पाये कि जो-कुछ मैने कहा है, आपकी जाँच-पड़ताल द्वारा उसकी और अधिक पुष्टि हो गई है तब मै चाहूँगा कि आप अपना कर्त्तव्य मानकर पूर्ण मद्य-निषेधके लिए एक तूफानी अभियान चलाये। इस कामकी

कठिनाई इसलिए बढ़ जाती है कि मद्यपानकी बुराईके कारण जिन अधिकारोंका जन्म हुआ है उनका लाभ शासक जातिके लोगोंको मिल रहा है।

यदि प्रशासकोंके साथ आप समस्यापर विचार करें तो वे आपको तरह-तरहकी बातें बतायेंगे और मद्य-निषेध कानून पास करनेके रास्तेमें तरह-तरहके और विचित्र प्रकारके व्यवधान उत्पन्न करेंगे। इन कठिनाइयोंपर बिलकुल ध्यान मत दीजिए। वास्तवमें राजस्वकी कमीको पूरा करनेके अलावा और कोई कठिनाई नहीं है। यदि आप और मैं इरादा कर लें कि इस बुराईको तो खत्म करना ही है और यदि इसको दूर करनेका एकमात्र तरीका मद्य-निषेध कानून ही हो तो फिर यह सरकारका काम है कि वह इस घाटेकी समस्याको हल करनेका रास्ता ढूंढे। सरकारको यह अधिकार नहीं है कि वह आपसे इस घाटेको पूरा करनेके उपाय और साधन पूछे। यह तो वैसा ही होगा जैसे कि कोई आदमी गन्दे हाथ लेकर आपके पास आये और आपसे उन्हें साफ करनेमें मदद देनेको कहे। फिर भी धरने देनेका सवाल तो है ही। जब ऐसी मनोवैज्ञानिक घड़ी आ जाये — मैं उस घडीके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ — जब हर शराबकी दूकान और अफीमके अड्डेपर धरना दिया गया हो, तब मैं आपसे आशा करूँगा कि आप उसमें सहयोग दें, और यह न कहें कि "हम कैसे मदद कर सकते हैं? वह तो उपद्रवी है।" इस समय भी सूरत जिलेमें मद्य-निषेधके लिए एक तीव्र आन्दोलन चल रहा है, और यह आन्दोलन इसलिए सम्भव हो सका है कि वहाँ कार्यकर्त्ताओंका एक ऐसा दल है, जिसमें सम्भ्रान्त कुलकी महिलाएँ भी शामिल हैं जो आत्म-त्यागी और साहसी हैं। जब हमारे पास विश्वसनीय और तपे हुए कार्यकर्त्ताओंका एक सगठित दल होगा तब हम यह अभियान सारे देशमें चलायेंगे। वह समय आनेपर आप सारे भारतमें धरने ही धरने देखेंगे और आशा है कि वही प्रभाव बगालकी खाड़ीसे होकर बर्मातक फैल जायेगा। उस समय बर्मी स्त्रियाँ और पुरुष यदि चाहें तो इस धरनेको जारी रख सकते हैं और इस प्रकार वे एक महान जातिको उस आसन्न विनाशसे बचा सकते हैं, जिसका खतरा, जहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ, भारतकी ही भाँति यहाँ भी उपस्थित है और अगर शराब रूपी अभिशापसे इस जातिको समय रहते मुक्त नहीं किया गया तो यह जाति मिट जायेगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-४-१९२९

१३२. पत्र : छगनलाल जोशीको

१५ मार्च, १९२९

चि० छगनलाल,

हम लोग आज सुबह मौलमीनसे रंगून पहुँच गये। तुम्हारी डाक मिल गई है। कलकत्तासे मौनवारको भेजी गई डाक तुम्हे गुरुवारतक नही मिली, यह आश्चर्यकी बात है। सुब्बैया ध्यान तो बहुत रखता है।

कल तुम्हे पोस्टकार्ड लिखने लायक समय ही था। यह डाक शनिवारको यहाँसे निकलेगी। आज गुरुवार है।

यहाँपर पत्र छोड देना पडा था। अब यह शुक्रवारकी सुबह पौगदेमें लिख रहा हूँ। हम लोग यहाँ भी तीसरे दर्जेमे यात्रा कर रहे है। मुझे कुछ कठिनाई नही होती और साथियोके लिए तो ठीक है ही।

चलालाके बारेमे तुम्हे तार दिया है। यदि इस जमीनके बादमे बिकनेकी सम्भावना हो तो उसे लेनेमे कोई अडचन नही है, ऐसा हम दोनो[1] मानते है। परन्तु सही निर्णय तो तुम वही कर सकते हो।

मै हिसाबके विवरणकी जाँच कर लूँगा। बारीकीसे तो हम दोनोमे से शायद ही कोई उसे देख पाये। २९ तारीखको पहुँच जानेकी आशा तो है ही।

बहियल या किसी दूसरी जगह खादी उत्पन्न कर सके तो वह वाछनीय होगा। कलकत्तामे जितनी खादी भेज दे उतनी बिक जायेगी, ऐसा महावीर प्रसादने कहा है। इसलिए बेचनेकी तो समस्या ही नही है; आश्रमसे जितनी मदद दी जा सके उतनी देना। मैंने कथारके आसपास खादी उत्पन्न करनेके लिए १० हजारका दान लेनेकी स्वीकृति दे दी है। इस विषयमे मिलनेपर विस्तारसे बात करेगे।

तुमने प्रति शुक्रवार चार घटे कातने और पीजनेका निश्चय करके ठीक ही किया है। तुम पिंजाईका काम स्वय करना सीख लोगे, यह तो बहुत अच्छी बात है।

छ. और सातके बीच भेद न करनेका विचार मुझे अच्छा लगा है। जहाँतक हो सके, अपना कामकाज सरल और एक-सा चले यह वाछनीय ही है। विद्यापीठको दूध देनेका प्रस्ताव मुझे पसन्द आया है। उन्हें नियमपूर्वक मिलता रहे, हमे ऐसा प्रबन्ध कर लेना चाहिए।

राधा और रुखी स्वस्थ हो गई होगी? राधाकी बीमारीके दौरान बालमन्दिरका क्या किया, यह तुमने नही लिखा है। किसीके बीमार पड़नेपर क्या व्यवस्था की जायेगी, इसका खयाल पहले कर लेना चाहिए।

१. गांधीजी और जमनालाल बजाज।

इसके बाद बर्मासे अब एक ही डाक अर्थात मगलवारको जायेगी। गुरुवारको तो हम लोग यहाँसे रवाना हो जायेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५३९३)की फोटो-नकलसे।

१३३. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

१५ मार्च, १९२९

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा शरीर अबतक तो बिलकुल स्वस्थ हो गया होगा। इस वर्ष तुमसे और जो लोग आगे आये, उनसे बहुत काम लेना है। देखता हूँ कि आश्रम स्वय निश्चित हो जाये और मैं भी आश्रमके विषयमे निर्भय हो जाऊँ, इसकी बहुत आवश्यकता है। दिनके समयका आराम कदापि नही छोडना। क्रोधका बिलकुल त्याग करो और हरएक शब्द सोच-विचारकर, तोलकर मुँहसे निकालो। सबकी आलोचना सहन करो। प्रार्थनामें नियमपूर्वक जाना और कताईके लिए समय बचाना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो-६ : गं० स्व० गंगाबहेनने

१३४. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

१५ मार्च, १९२९

चि० ब्रिजकिसन,

तुमारा खत मीला है। तुमारे यहाँ ठहरना मुझको प्रिय लगता है। परंतु तुमारे घरमें तुम एक महमान हो। जिस घरके वडील वर्ग मेरे कार्यमें और मेरे विचारमें श्रद्धा न रखे वहाँ मेरा ठहरना अनुचित है। तुमारे भी आग्रह करना अयोग्य है। दूसरा कारण यह है की घरकी आर्थिक स्थितिको देखते हुए भी मुझे तुमारे यहाँ नहिं रहना चाहीये। ऐसे तो मैंने तुमारे पाससे बहोत सेवा ली है, तुमारा धनका भी उपयोग कीया है। अब ज्यादा देनेका लोभ तुमारे छोडना चाहीये।

तुमारा शरीर अच्छा होगा।

इतना कहनेके बाद मैं तो तुम जैसे कहोगे वैसा ही करूंगा। देवदाससे मश्वरा कर लो।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३६२ की फोटो-नकलसे।

१३५. भाषण: पौंगदेमे

१५ मार्च, १९२९

गांधीजीने अभिनन्दनपत्रोंके लिए, खास तौर पर स्त्रियों द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्रके लिए, धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे यह जानकर विशेष खुशी है कि जिस स्त्रीने अभिनन्दनपत्र पढ़ा उसे राष्ट्र-हितके कार्यमें जेल हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बातका बहुत दुख है कि भारतीयोमें से किसीका भी बर्मी भाषापर अधिकार नहीं हो सका है।

मुझे आशा है कि भारतीय इस अवसरसे शिक्षा ग्रहण करेंगे और बर्मी भाषाको एक अतिरिक्त भाषाके रूपमे सीखेंगे। बर्मियोके प्रति भारतीयोका जो कमसे-कम कर्त्तव्य है वह यह है कि वे बर्मियोकी भाषा सीखकर उनके निकट आनेका प्रयत्न करे, और यदि भारतीयोको ऐसा लगे कि स्वयं उनके लिए इस उम्रमे अब ऐसा करना सम्भव नही होगा तो मै चाहूँगा कि वे अपने बच्चोको तो बर्मी भाषा अवश्य सिखाये।[1]

बर्मी पुरुषों और स्त्रियोंको सम्बोधित करते हुए गांधीजीने कहा कि जितना ही मैं आप लोगोंसे मिलता हूँ, आपके प्रति मेरा आकर्षण उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। गांधीजीने उनसे सब प्रकारके विदेशी वस्त्रोंका त्याग करनेका आग्रह किया और कहा कि बर्माकी सुन्दर रंग-बिरंगी छतरियोंकी तुलनामें विदेशी छतरियाँ फीकी प्रतीत होती हैं। उन्होंने कहा, विदेशी रेशमी वस्त्र आपका पैसा और कला, दोनोंको छीन लेता हैं। आप लोग शराब और सिगारसे दूर रहें। इन दोनों चीजोंमें शराब अधिक हानिकर है और इससे आप उसी प्रकार बचिए जिस प्रकार विषैले साँपसे बचते हैं।

आगे उन्होंने कहा कि यहाँ रहनेवाले भारतीयोंका कर्त्तव्य है कि वे बर्माके कल्याण-कार्यमें दिलचस्पी लें और सभी लाभकारी कार्योंमें बर्मी लोगोके साथ सहयोग करें।

हिन्दीमें बोलते हुए गांधीजीने भारतीयोंसे बर्मियोंका मित्र बनने तथा इस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेका अनुरोध किया जिससे कि बर्मी लोग उनके बारेमें अच्छे विचार रखें। उन्होंने खादी कार्यके लिए और धन देनेकी अपील की।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १८-३-१९२९

१. यह अनुच्छेद ११-४-१९२९ के *यंग इंडिया*में प्रकाशित और महादेव देसाई द्वारा लिखित गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणमें से लिया गया है।

१३६. भाषण: प्रोममे

१५ मार्च, १९२९

श्री गांधीने तीनों अभिनन्दनपत्रोंका संयुक्त रूपसे उत्तर देते हुए कहा कि बर्माके भीतरी प्रदेशोंकी अपनी यात्राके दौरान मैं बहुत-से बर्मी स्त्री-पुरुषोसे मिला और इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा, मेरी इस यात्राका उद्देश्य स्वार्थ-पूर्ण है और यह स्वार्थ है धन इकट्ठा करना। एक अभिनन्दनपत्रमें गांधीजीसे अनुरोध किया गया था कि वह बर्माके लोगोको उनकी स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें मार्गदर्शनके लिए सलाह दें। इस अनुरोधका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस कामके लिए अपनेको उपयुक्त नहीं मानता लेकिन एक सामान्य नियमके तौर पर जो कि सभी जगह लागू होता है और जिसे मैंने अपने ४० वर्षके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनसे सीखा है, मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकारकी स्वतन्त्रताके लिए पहले आत्म-शुद्धि आवश्यक है।[1]

इसके अतिरिक्त या इससे अच्छा पथ-प्रदर्शन मैं आपका नही कर सकता कि मैं आपका ध्यान अहिंसाके सामान्य सिद्धान्त, दूसरे शब्दोमे आत्म-शुद्धि की ओर दिलाऊँ। इसका प्रयोग किस प्रकार और किस रूपमे किया जाये यह बात स्वभावत. इस बात-पर निर्भर करेगी कि आपके बीच कौन-कौनसी बुराइयाँ विद्यमान हैं। लेकिन मैं कमसे-कम एक चीजको विशेष रूपसे बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपके यहाँ कृषिकी स्थिति बिलकुल भारत-जैसी ही है। प्रोमकी ओर आते हुए मैं एक गाँवसे गुजरा था जो मुख्यत. बुनकरोका गाँव था। लेकिन वहाँ सभी करघोपर विदेशी सूत बुना जाता है और इसीलिए उनका किसानोंके साथ कोई जीवन्त सम्पर्क नही है। बुनकर किसी देशप्रेमकी भावनाके वशीभूत होकर नही बुनते बल्कि इसलिए बुनते है कि इससे उन्हे प्रतिदिन ८ आनेसे लेकर एक रुपये तककी आमदनी होती है। मुझे बताया गया है कि एक समय ये सभी सुन्दर लुंगियाँ हाथ-कते सूतसे तैयार होती थी। जो चरखा आप यहाँ तैयार करते है कलात्मक दृष्टिसे वह सभी भारतीय चरखोसे बढिया है। कुल मिलाकर यह भारतीय चरखेसे सस्ता है और काम करनेके लिहाजसे शायद हल्का भी है। ईश्वरकी कृपासे इस देशमे बाँस खूब पैदा होता ही है, और आपको तो केवल चरखेके सन्देशको किसानोतक पहुँचाना और हाथ-कताईकी इस सुन्दर कलाका पुनरुत्थान-भर करना है। मैं बर्माकी नगरपालिकाओसे कहूँगा कि वे इसकी शुरुआत नगरपालिकाके स्कूलोमे करे और उनके माध्यमसे यह सन्देश ग्रामीणोतक पहुँचाये। तब फिर बुनकर जो काम करेंगे वह ग्रामीणोंके लिए

१. इसके आगेका अनुच्छेद महादेव देसाई द्वारा लिखे गये गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणमें से लिया गया है।

होगा और यदि बुनकर विदेशी सूतपर निर्भर रहे तो वे केवल गाँवोसे ही दूर नही हो जायेंगे बल्कि एक समय ऐसा भी आयेगा जब बुनकरोके रूपमे उनका अस्तित्व ही खत्म हो जायेगा। इसका कारण यह है कि बुनाई-मिलोकी मनोवृत्ति कताई-मिलो द्वारा तैयार सारे सूतका उपयोग कर लेनेकी होती है। यदि आप गाँवोंके साथ एक जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करनेके इच्छुक हैं — बुनकरोका गाँवोके साथ और नगरवासियोका गाँववासियोंके साथ — तो फिर यह आप केवल चरखेके माध्यमसे ही कर सकते हैं।

गांधीजीने यह आशा व्यक्तकी कि यदि बर्मामें कभी आत्म-शुद्धि आन्दोलनकी शुरुआत हुई तो फुंगी लोग उसमें अग्रगण्य होंगे। फुंगी लोग बर्मी संस्कृतिके आधार तथा जन-कल्याणके संरक्षक रहे हैं, और आगे भी उन्हें यह भूमिका निभानी चाहिए। इसीलिए उनकी बड़ी भारी जिम्मेवारी है।

मद्यपानकी बुराईका उल्लेख करते हुए महात्मा गांधीने कहा कि असहयोगके बिना इस बुराईको कभी दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आपको शराब-विक्रेताओं और शराबके उत्पादकोंके साथ अहिंसात्मक असहयोग करना चाहिए। उन्होंने अपने श्रोताओंको चेतावनी देते हुए कहा कि हिंसासे प्राप्त की गई स्वतन्त्रताका अर्थ होता है शक्तिका एक हाथसे दूसरे हाथमें जाना। अहिंसात्मक असहयोग ही एक ऐसी चीज है जिसकी सलाह मैं दे सकता हूँ।

हिन्दुओंको सम्बोधित करते हुए गांधीजीने उन्हें अपने अभिनन्दनपत्रमें कही गई इस बातके लिए बधाई दी कि प्रोममें सभी जातियों और सम्प्रदायोंमें काफी मित्रता है। उन्होंने भारतीयोंपर खादी पहननेके लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि केवल ५ हजार रुपये ही इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जोरदार शब्दोंमें अपील करते हुए कहा कि आप लोगोंको और रुपया इकट्ठा करना चाहिए।[1]

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, १८-३-१९२९ और यंग इंडिया, ११-४-१९२९

१३७. पत्र : मीराबहनको

[१६ मार्च, १९२९][2]

चि० मीरा,

इसके बाद बर्मासे तुम्हे भेजनेको सिर्फ एक ही डाक और रहेगी। बादकी डाकके समयतक तो मैं वापस कलकत्तेकी यात्रापर चल चुकूँगा। थोड़ा-सा कुनैन रोज ले लेती हो, यह अच्छा है। जब तुम्हारी तबीयत अच्छी हो, तब भी कभी-कभी पूरा या आधा उपवास रखनेकी आदत डाल लो। कभी-कभी घी और कभी-

१. इस भाषणके तुरन्त बाद ही गांधीजीने स्त्रियोंकी एक सभामें भाषण दिया।

२. अपने १८ मार्चके पत्रमें गांधीजीने शनिवारको एक पत्र भेजनेका उल्लेख किया है। अनुमानतः वह यही पत्र है।

कभी दूध छोड दिया करो। कभी-कभी केवल रसवाले फल लिया करो। ऐसा करनेसे सम्भव है तुम बुखारसे बची रह सको।

मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ एक लाख रुपयेके लगभग इकट्ठा कर लूँगा। व्यापारकी मन्दीके इस जमानेमे इतना रुपया दे देना बर्माके लिए कम नही होगा।

मुझे कई बार ऐसा लगा है कि तुम इस तरहके दौरेमे साथ होती तो अच्छा होता। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि जो काम तुम कर रही हो, वह इससे कही अधिक महत्त्वपूर्ण है। अगर भगवान तुम्हे तन्दुरुस्ती देगा, तो तुम खुद इन स्थानोका सफर करोगी और उस समय तुम्हारी तैयारी अधिक अच्छी होगी। जो तालीम और अनुभव तुम प्राप्त कर रही हो, वे मेरे चल बसनेके बाद अमूल्य साबित होगे।

नरम तकुओके बारेमे तुमने जो लिखा है, उसे मैंने लक्ष्मीदासके पास भेज दिया है। तुम्हारी दलील मुझे जरूर जँचती है। मगर मेरे मनमे हमेशा प्रश्न उठता है कि फिर मगनलालने, जिसने नरम तकुओसे काम शुरू किया था, सख्त तकुओका आश्रय क्यो लिया? जो बात तुम्हारे ध्यानमे आई, वह लक्ष्मीदासके ध्यानमे क्यो नही आई? लेकिन बेशक, इन कारणोसे तुम्हारी खोजकी उपेक्षा नही की जा सकती। इनसे तो केवल अत्यधिक सावधानी बरतनेकी आवश्यकता ही सिद्ध होती है।

मैंने आश्रममे स्त्रियोको रखनेके बारेमे भी तुम्हारे कथनको ध्यानमे रख लिया है। इन सब मामलोमे तुम जितना धीरे-धीरे चलना चाहो, चलो। और जिस चीजके बारेमे तुम्हे खुद विश्वास न हो या शका भी हो, उसको करनेकी हरगिज कोशिश मत करना। 'धीरे परन्तु निश्चयके साथ चलनेसे ही जीत होती है।'

एन्ड्रयूज अभीतक अमेरिकामे है। ग्रेगने मुझे लिखा है कि उनका हाल अच्छा है। जीमडके पत्रका एक अनुच्छेद तुम 'यग इडिया' मे देखोगी।[1] मैकमिलन कम्पनीके लिए 'ए०'[2] 'आत्मकथा' का सक्षिप्त सस्करण तैयार करनेवाले है।

सप्रेम,

बापू

अग्रेजी (जी० एन० ९४०७) से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३५१ से भी।
सौजन्य · मीराबहन

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २१-३-१९२९ का उपशीर्षक "सरोजिनी देवी और दीनबन्धु"।
२. सी० एफ० एन्ड्रयूज।

१३८. संदेश: विदाई सभा, मर्तबानमें[1]

[१७ मार्च, १९२९ या उससे पूर्व][2]

रुपये-पैसेका दान प्रेमका प्रायः सच्चा परिचायक नहीं होता। वास्तवमें हमारे महाकाव्योंमें अक्सर ऐसी कथाओंका वर्णन आता है जब ईश्वरने एक धनिक व्यक्तिके अमूल्य उपहारोंको अस्वीकार कर दिया और एक भक्त द्वारा प्रेमपूर्वक दिया गया रूखा-सूखा कौर खाना पसन्द किया। लेकिन यह मेरे लिए बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि मुझे आपके प्रेमका मूल्यांकन दरिद्रनारायणको समर्पित धनसे करना पड़ता है। मैं जानता हूँ ऐसा करना आपके प्रति अन्याय है तथापि आपकी जो भी कसौटी की गई है आप उसमें पूरे उतरे हैं। आपके असीम प्रेमसे मैं यही शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ कि मैं और अधिक नम्र बनूँ और स्वयंको आपके प्रेमके अधिक योग्य बनाऊँ।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-४-१९२९

१३९. 'यह सब पेट कराता है'

एक पाटीदार भाई लिखते हैं:[3]

यह पत्र लिखनेवालेका उद्देश्य पाठकोंके मनमें गाय-भैंस आदि पशुओंके लिए दया उपजाना है। यह शुद्ध हेतु है। परन्तु मुझपर इस पत्रका दूसरा ही असर हुआ है। पशुओंकी ऐसी निर्दय हत्या लम्बे अरसेसे होती चली आ रही है। बम्बईके हिन्दू-मुसलमान इसके साक्षी हैं। इतना ही नहीं, इस घोर हिंसामें उनका भाग है। यहाँ प्रश्न संकुचित अर्थमें धर्मका नहीं है; यहाँ व्यापक अर्थमें धर्मका क्षय हो रहा है। इस बातके अनेक उदाहरण इतिहासमें मिलते हैं कि मांसाहारी भी दयालु हो सकते हैं। परन्तु मांसाहारी जिन जानवरोंका मांस खाते हैं, उनके प्रति जितनी दया सम्भव हो उतनी तो रखें। पश्चिमके कसाईखाने इस दृष्टिसे आदर्श होते हैं। वहाँ सदा ऐसे उपायोंकी तलाश रहती है और फिर उनका उपयोग किया जाता है, जिनसे पशुकी मृत्यु तुरन्त हो जाये और उसे कमसे-कम दुःख हो। मांस बिलकुल छोड़ देना

१. महादेव देसाई द्वारा लिखित गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणसे।

२. गांधीजीने रेल द्वारा मांडले जाते हुए यह संदेश दिया था। १८ मार्चको मौनवार था और उस दिन वे मांडलेमें थे।

३. यहाँ नहीं दिया गया है। पत्रमें लेखकने बम्बईमें सेनिटरी इन्स्पेक्टरका प्रशिक्षण प्राप्त करते समय कसाईखानोंमें निर्दोष पशुओंकी हत्याके जो दृश्य देखे थे उनका वर्णन किया था और कहा था कि जब उन्होंने साथके अंग्रेज पशु-चिकित्सकसे इसके औचित्यके विषयमें प्रश्न किये तो उन्होंने कहा, 'यह सब पेट कराता है'।

उत्तम दया है। परन्तु जो उतना त्याग करनेको तैयार न हो, वे पशुओका दु.ख कम तो जरूर करे। यह बात हिन्दुस्तानके कसाईखानोमे नही पाई जाती।

पर मैं तो ऊपरका पत्र पढकर प्रशिक्षण लेनेवाले विद्यार्थियोके बारेमे विचार करने लगा। वे परोपकारकी दृष्टिसे नही, बल्कि सिर्फ आर्थिक दृष्टिसे अच्छी नौकरी मिलनेकी आशामे, ६ महीनेके लिए २०० रुपयेकी भारी फीस देते है, [और यह सब देखते फिरते है।] क्या ऐसे धन्धे अपनाये बिना पेट नही भर सकता? पढे-लिखे आदमी ऐसे धन्धोसे अपनी आजीविका चलाना चाहते है, इसीलिए न तो कत्लखानोमे सुधार होता है और न वे बन्द होते है। पेट भरनेके साधनोका निश्चय भी मनुष्यको नैतिक दृष्टिसे करना चाहिए। परन्तु किसी भी तरह धन इकट्ठा करनेकी अनीतिके पाशसे इस पत्र-लेखक जैसे पढ़े-लिखोंको तो मुक्त ही रहना चाहिए। इस पत्र-लेखकने अच्छा अध्ययन किया है, अच्छे संस्कार पाये है और उसमे नीतिकी दृष्टिसे धन्धा चुनने लायक बुद्धि भी है। इस बुद्धिका उसे और उसके जैसे दूसरे युवकोको उपयोग करना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-३-१९२९

१४०. एक पींजनेवालेका अनुभव

पिंजाईके एक अनुभवी लिखते है:[1]

इस तरह अगर सब लोग प्रयोग करके अच्छी कताई करे, और होनेवाला नुकसान कम करते जाये तो यही माना जायेगा कि उन्होने उस हदतक भारतके सूतकी उत्पत्तिमे वृद्धि की है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-३-१९२९

१४१. 'हृदय-विदारक'[2]

तमिल कवि भारतीके नामसे अब गुजरात परिचित हो गया है, ऐसा हम कह सकते है। उनकी कई कविताओका श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कृत अंग्रेजी अनुवाद 'यंग इंडिया' मे प्रकाशित हो चुका है। उनमे से एकका श्री जुगतराम दवेने उद्योग मन्दिरके बालकोकी पत्रिका 'मधपूडो' के लिए गुजराती अनुवाद किया है। अनुवाद रोचक और शिक्षाप्रद है इसलिए इसे नीचे दे रहा हूँ। श्री जुगतराम दवे ग्रामीणोके कवि और सेवक बन गये है। उन्होने अपना जीवन रानीपरज जातिको अर्पित कर

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। लेखकने ९-१२-१९२८ के नवजीवनमें प्रकाशित 'सुन्दर पिंजाई' लेख (देखिए खण्ड ३८, पृष्ठ १९७-९८) की चर्चा करते हुए रूईको धूप दिखाकर पिंजाईके अपने अनुभव लिख भेजे थे।

२. यह कवि भारतीकी कविताके शीर्षकका अनुवाद है। कविता यहाँ नहीं दी गई है।

दिया है। मै मानता हूँ कि उनके गीतोंसे बहुत-कुछ सीख सकते है। उनके गीतोको काव्य माना जा सकता है या नही, इस झमेलेमें कौन पडे? अथवा यही क्यो न मानें कि जिस रचनामें लोगोको आगे ले जानेकी शक्ति हो वह काव्य ही है। जिसमें प्राण डालनेकी शक्ति न हो वह काव्य कैसा?

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १७-३-१९२९

१४२. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

माडले
मौनवार, १८ मार्च, १९२९

बहनो,

जहाँ लोकमान्यने 'गीता'की टीका लिखी, जहाँ लालाजी और सुभाष बोस कैद थे, उस शहरका नाम है माडले। आज हम उसी शहरमें है। मै तो यह सब देखनेके लिए नही जा सका, मगर और सबको भेजा है। यहाँ जिस परिवारमें ठहरे हैं, उसकी गृहिणी कोई साध्वी स्त्री है। धन बहुत है, पति जिन्दा है, बाल-बच्चे है, फिर भी रत्तीभर गहना नही पहनती। अपनी लडकियोको गहने पहननेको नहीं कहती। तेरह वरसकी एक लड़की है, जिसे उसने बीस बरसतक विवाहका विचारतक न करनेकी बात समझा दी है। उसके पास जो गहने थे, वे उसने मुझे दिलवा दिये हैं। वह आश्रमके और नियम भी पालती है। 'नवजीवन' नियमसे पढ़ती है; और यह नही कहा जा सकता कि वह कोई बहुत पढ़ी-लिखी महिला है।

तुम्हारे सब काम अच्छी तरह चल रहे होंगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–१ : आश्रमनी बहेनोने

१४३. पत्र : छगनलाल जोशीको

माडले
मौनवार [१८ मार्च, १९२९]

चि० छगनलाल,

तुम्हारी भेजी हुई डाक आज रगूनमे पडी होगी। हम वहाँ बुधवारको पहुँच जायेंगे। यह पत्र मगलवारकी डाकमे जायेगा। इसके बादका स्टीमर गुरुवारको जायेगा और हम उसीमे रवाना होगे।

इसके साथ रूपनारायण बाबूका[1] पत्र और नमूनेके उपनियम भेज रहा हूँ। इन्हे मैंने देख लिया है। उन्हे लिखना कि इस समय तो मुझे उनमे कोई सुधार नही सूझ रहा है। वे जहाँ हो वहाँ उन्हे यह कागज भेज देना।

आज और कुछ लिखनेको नही है।

लोकमान्यने जिस जेलमे 'गीता-रहस्य' लिखा था, आज हमारा पडाव उसीकी छायामे है, ऐसा कह सकते है।

सब सकुशल होगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५३९५) की फोटो-नकलसे।

१४४. पत्र : मीराबहनको

दुबारा नहीं पढ़ा

माडले
सोमवार, १८ मार्च, १९२९

आज मौनका दिन है और मै उस किलेकी छायाके नीचे लिख रहा हूँ, जहाँ भारतके एक महानतम सपूत, तिलकको जिन्दा बन्द कर रखा गया था। लालाजीको[2] भी बरसो[3] तक माडले दुर्गमे बन्द रखा गया था। यद्यपि मै यह पत्र मौनके दिन लिख रहा हूँ, फिर भी मै डाक निकलनेसे पहले नही लिख सका। मुझे डाकके समय बहुत नीद आ रही थी। लेकिन शनिवारको रवाना होनेवाली डाकसे मैंने तुम्हे एक

१. साबरमतीके स्टेशन मास्टर।
२. लाला लाजपतराय।
३. बापूको नींद आ रही थी, और उसीके प्रभावमें उन्होंने महीनोंके बजाय बरसों लिख दिया।

पत्र[1] भेजा है। यह पत्र जिस डाकसे रवाना होगा वह तो उसी जहाजसे जायेगी जो मुझे कलकत्ते ले जायेगा।

रंगूनमें आजके दिन भारतीय डाक मिलती है। अगर तुम्हारी कोई डाक हुई तो वह मुझे रंगूनमें बुधवारको जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, मिल जानी चाहिए।

यह दिलचस्प दौरा खतम होने आ रहा है। डाक्टर मेहतासे बिछुड़नेका मुझे दुख होगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ रहूँ तो उन्हें आराम दे सकता हूँ। लेकिन यह तो एक ऐसा निजी सौभाग्य है, जिसका सुख मैं नहीं ले सकता।

यद्यपि कुछ फेरबदल करनेकी जरूरत पड़ी है, फिर भी इस दौरेमें मेरी तबीयत अच्छी रही। हाजमा उतना अच्छा नहीं रहता जितना ठंडके मौसममें रहता है। यहाँका जलवायु कुदरती तौर पर नमीवाला है।

तुमको अब मेरा शेष कार्यक्रम मालूम हो गया है। मैं २६ तारीखको तुम्हें तार भेजनेका खयाल रखूँगा। मैं एक्सप्रेस गाड़ीसे, जो दो बजे दिनको हावड़ासे चलती है, रवाना होनेकी पूरी कोशिश करूँगा।

सफरमें आज पहली बार मैंने काफी रुई धुनी। ऐसा रोज कर सकूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।

पता नहीं तुम्हें उद्योग मन्दिरसे कोई पत्र मिले हैं कि नहीं। तुम्हें वहाँके कुछ पुरुषों और स्त्रियोंसे सम्पर्क बनाये रखना चाहिए।

अभी इससे अधिक नहीं, क्योंकि मुझे एक सभामें जाना है।

सस्नेह,

तुम्हारा,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४०८)से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३५२ से भी।
सौजन्य: मीराबहन

१४५. भाषण: मांडलेकी सार्वजनिक सभामें[2]

१८ मार्च, १९२९

आप लोगोंने मुझे इस बातकी ठीक याद दिलाई है कि यहीं मांडलेमें भारतके महान सपूत लोकमान्य तिलकको जीवित दबाया गया था। उन्होंने ही भारतको स्वराज्यका मन्त्र दिया था, और उनको जीवित दबाकर ब्रिटिश सरकारने भारतको ही जिन्दा दफना दिया था। उसी प्रकार पंजाब-केसरीको भी यहाँ बन्दी बनाया गया था, और ऐसा न हो कि हम वे सब बातें भूल जायें, इस खयालसे सरकारने हालमें ही श्रीयुत बोस और बंगालके बहुतसे सपूतोंको जिन्दा दफनाया है। इस प्रकार हम भारतीयोंके लिए तो मांडले एक तीर्थस्थान है और यह एक विचित्र संयोगकी बात है कि आज हम सब उसी दुर्ग और कारागारकी दीवारोंके सायेमें

१. देखिए "पत्र: मीराबहनको", १६-३-१९२९।
२. महादेव देसाई द्वारा लिखित गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणसे।

बैठे हैं जिन्हे भारतके उन सपूतोने पुनीत किया था। भारतमें यह एक आम कहावत है कि स्वराज्यका रास्ता माडलेसे होकर गुजरता है तथा ब्रिटिश सरकारने भारतके महान सपूतोको यहाँ बन्दी बनाकर आप लोगोको वह महत्त्वपूर्ण पाठ पढा भी दिया है। स्वराज्यका मार्ग कष्ट-सहनका मार्ग है। वास्तवमे कोई भी देश अपनी वर्तमान स्थितिमे बिना कष्ट-सहनके नही पहुँचा है और माडले आपको और हमे, दोनोको, उस महान् सत्यकी निरन्तर याद दिलाता रहेगा।

आप बुद्धको अपना गुरु मानते है, यह अच्छी बात हैं। उसी प्रकार अच्छा होगा कि आप अहिंसाकी असीम सम्भावनाओकी खोज-बीन भी करे। आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो मुझे बुद्धके उपदेशोके अनुरूप नही लगी, लेकिन इस समय मै उनकी आलोचना करके आपके आतिथ्यका निरादर नही करना चाहता।

मै समझता हूँ कि आपके पास एक ऐसा महान् सत्य है जो कि मानव जातिके एक अत्यन्त महान् गुरुने ससारको बताया है, और वह सत्य हैं अहिंसा। यदि सभामें बिलकुल खामोशी होती और वातावरण शान्त होता तो मै उस सीधे-सादे सिद्धान्तके बारेमे आपको खुशीसे बताता। इस स्थितिमे तो मै आपसे केवल यही कह सकता हूँ कि आप उस सिद्धान्तका अध्ययन करें और अपने जीवनके हर पहलूमें इसे व्यवहार-में लाये। यह सिद्धान्त उन मणियो और हीरोसे कही अधिक श्रेष्ठ है जिन्हे लोग इतना महत्त्व देते है। यदि आप बुद्धिमत्तापूर्वक इसको व्यवहारमे लाये तो अहिंसाका यह सिद्धान्त आपका तथा मानवजातिका उद्धारक बन सकता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-४-१९२९

१४६. भाषण: गुजरातियोंकी सभा, मांडलेमें

१८ मार्च, १९२९

बात तो सच है।[१] अहिंसाके मार्गमें एक ही व्यक्तिकी तपश्चर्या काफी होती है और वह दूसरोको ढँक लेती है। उससे किसीका कपट या ढोग छिप सकता है, ऐसा नही है, किन्तु उससे आसपासका वातावरण तो बदल जाता है। मेरी अहिंसा तो चारो तरफ चल रही हिंसामे उसी तरह सुशोभित है, जिस तरह वृक्षहीन स्थान-में एरडका वृक्ष। नही तो मैं आपसे आग्रह क्यो करूँ? बहनोसे आग्रह किसलिए करूँ? यदि मेरी अहिंसा सम्पूर्ण होती तो मेरी उपस्थितिसे ही यहाँ गहने ऐसे उतरते चले आते जैसे शरीरसे मैल। मै जिस दिन पूर्ण निर्दोष हो जाऊँगा उस दिन मेरी कलमसे शब्द निकलनेसे पूर्व उनपर अमल हो जायेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १४-४-१९२९

१. नवजीवन पढनेवाली एक बहनने गाधीजीको आशीर्वाद दिया था: "नवजीवनमें तुम्हारा एक वाक्य भी देशको जागृत करनेके लिए पर्याप्त हो!"

१४७. भाषण: टौंगूकी सार्वजनिक सभामें

१९ मार्च, १९२९

उत्तर देते हुए महात्मा गांधीने इस बातपर सन्तोष प्रकट किया कि पैसेकी कमीके कारण अन्य दूसरे काम न कर सकनेके बावजूद नगरपालिका मुफ्त शिक्षा दे रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाते समय मुख्य बाजारसे गुजरते हुए मैंने देखा कि नालोंमें से दुर्गन्ध आ रही थी। उनकी तत्काल सफाई करनी चाहिए। यदि नगर-पार्षद सच्चे और ईमानदार हैं तो स्वयं उन्हें यह काम करना चाहिए। यहाँ तीन हाई स्कूल हैं, इसलिए लड़कोंको सफाई-कार्यका प्रशिक्षण देना चाहिए। यदि उन्हें इस कामपर लगा दिया जाये तो एक ही दिनमें सारे शहरकी सफाई हो जायेगी।

इसके बाद महात्मा गांधीने बर्मियों तथा भारतीयोंको सलाह दी कि वे मित्रकी तरह रहें तथा भारतीयोंकी ओर संकेत करते हुए कहा कि वे बर्मियोंसे सम्बन्धित मामलोंमें रुचि लें तथा उनके साथ मिलकर काम करें।[1]

इस सभाके साथ ही साथ बर्माके भीतरी प्रदेशकी मेरी दिलचस्प और शिक्षाप्रद यात्रा भी समाप्त होती है। कुछ वर्ष पूर्व जब मेरी बर्मा-यात्रा केवल रंगूनतक तथा एक दिनके लिए मौलमीनतक ही सीमित रही थी तब भी बर्मी लोगोंके साथ मेरे दिन आनन्दपूर्वक बीते थे, लेकिन इस बार माडलेतक की अपनी यात्राके दौरान मुझे जो अनुभव हुआ उससे मेरे उस आनन्दमें और वृद्धि हो गई है। इन सब सभाओंमें बहुत-से पीत-वस्त्रधारी फुंगियों तथा बहुत सारे बर्मी बहनों और भाइयोंसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई है। चूँकि आगे आनेवाले कई वर्षोंकी दृष्टिसे, हमेशाके लिए न भी सही, इस प्रकारके श्रोताओंके सम्मुख दिया गया आजका भाषण आखिरी भाषण होगा, इसलिए मैं उस चीजके बारेमें कुछ कहना चाहता हूँ जो मुझे और आपको हृदयसे प्यारी है। आपके अभिनन्दनपत्रोंमें, वे चाहे कहीं भी भेंट किये गये हों, मेरे अहिंसा तथा चरखेके सन्देशका जैसा समर्थन और सराहना की गई है वह बिना किसी उद्देश्य और अर्थके तो की नहीं जा सकती। अहिंसाके सन्देशसे मेरा क्या अभिप्राय है, इसकी व्याख्या करते हुए मैं आपसे कुछ शब्द कहूँगा। मेरी दृष्टिमें तो यह विश्वकी सबसे सक्रिय शक्तियोंमें से एक है। यह उस सूर्यके समान है जो बिना नागा रोज आकाशमें उदित होता है। यदि हम इसकी ताकतको समझ ले तो यह करोड़ों सूर्योंसे भी अधिक बढ़कर है। यह जीवन, प्रकाश, शान्ति और सुखका प्रसार करती है। जो देश अहिंसाके सिद्धान्तका समर्थक होनेका दावा करता है, वहाँ हम वह प्रकाश, वह जीवन, वह शान्ति और वह सुख क्यों नहीं देखते? जैसा कि कल मैंने

१. यहाँ तककी रिपोर्ट २२-३-१९२९ के *हिन्दुस्तान टाइम्स*से ली गई है। इसके आगेका अंश महादेव देसाई द्वारा लिखित गांधीजीकी बर्मा-यात्राके विवरणसे लिया गया है।

माडलेमें कहा था, मुझे लगता है कि भगवान बुद्धका सन्देश वर्मी लोगोके हृदयको सतही तौर पर ही स्पर्श कर पाया है। मै एक या दो कसौटियाँ रखना चाहूँगा। अब मै मानता हूँ कि जहाँ अहिंसाका बोलबाला हो वहाँ ईर्ष्या, अनुचित महत्वाकाक्षा तथा अपराधके लिए कोई स्थान नही होना चाहिए। आपके अपराध-सम्बन्धी आँकडोका अध्ययन करनेपर मैंने देखा कि अपराधकी दौडमे आप पीछे नही है। थोडा-सा बहाना मिलनेपर किसीकी हत्या कर देना बर्मामें मुझे एक आम बात लगती है। इसलिए अपने बाये बैठे मित्रों (फुगियो)से जो उस धर्मके, जिसे आप लोगोने बुद्धसे ग्रहण किया है, सरक्षक समझे जाते है, मै एक अपील करूँगा। लकाकी यात्राके बाद और अब बर्मामे भी काफी घूम लेनेके बाद मै यह समझता हूँ कि आपके यहाँ की अपेक्षा भारतमें हमने बुद्धकी शिक्षाओपर ज्यादा अच्छी तरह अमल किया है, हालाँकि उतनी अच्छी तरह तो नही जितना कि कर सकते थे। हमारे शास्त्रोमें लिखा है कि जब कभी अनैतिकता फैलती है, सज्जन पुरुष तथा ऋषि-मुनि तपस्या शुरू कर देते है, जिसे दूसरे शब्दोमे कष्ट-सहन कहते हैं। गौतमको जब अपने चारो ओर अत्याचार, अन्याय और मृत्यु दिखाई दी, जब उन्हे अपने आगे-पीछे तथा हर तरफ अन्धेरा ही अन्धेरा दिखने लगा तब वह वनमें चले गये और वहाँ प्रकाश प्राप्त करनेके लिए उपवास और प्रार्थना करते रहे। जब यदि ऐसे व्यक्तिको भी, जो हम सबसे कही ज्यादा महान् था, प्रायश्चित्तकी जरूरत पडी तो फिर हम लोगोके लिए, चाहे हम पीले कपडे पहनते हो या नही, भला यह कितना जरूरी न होगा? मित्रो, यदि आप अहिंसाके उद्देश्यकी सिद्धि-हेतु हतोत्साहित ससारका पथ-प्रदर्शन करनेवाले प्रकाश-स्तंभ बनना चाहते है तो इसके लिए आत्म-शुद्धि तथा प्रायश्चित्तके अलावा और कोई चारा नही है। यहाँ बहुतसे पुरोहित बैठे हुए है। यदि उनमे से कुछ बुद्धके सन्देशको प्रतिपादित करनेका कार्य अपने हाथमे ले ले तो वे मानव-जीवनमे क्रान्ति ला देगे। आपको चाहिए कि आप रूढ और जड हो चुकी परम्पराओपर न चले बल्कि अपने हृदय टटोले, अपने धर्मग्रन्थोमे लिखे शब्दोके गूढ अर्थको पहचाने और अपने आसपासके वातावरणको सजीव बनाएँ। अपने हृदय टटोलनेपर आप यह जान जायेंगे कि केवल पशु-हत्या न करना ही काफी नही है बल्कि यह भी जरूरी है कि उसे निरे जीभके स्वादके लिए खाये भी नही। तब आप तुरन्त यह भी समझ जायेंगे कि सब प्राणियोसे प्रेम करनेका सिद्धान्त मुखको धुएँकी चिमनियाँ बनानेके भी विरुद्ध है। मै जानता हूँ कि बर्मियो जैसे सीधेसादे लोगोमे भी शराबका काफी प्रचलन बढता जा रहा है, और सो भी ऐसी जलवायुवाले देशमें जहाँ उत्तेजक शराब पीनेकी कोई आवश्यकता नही है, और अधिक आत्म-मथन करनेपर आप तुरन्त देखेंगे कि जिस व्यक्तिके मनमे हर प्राणीके लिए प्रेम हो, उसके मनमे भयकी कोई गुजाइश ही नही है। आपको चाहिए कि स्वय आप सत्ताधारीका भय छोड दे तथा अपने आस-पासके लोगोको भी किसीसे न डरनेका पाठ पढाये। आशा है कि हृदयसे उद्भूत जो-कुछ शब्द मैंने आपसे नम्रतापूर्वक कहे है उन्हे आप उसी रूपमे ग्रहण करेगे जिस उद्देश्यसे उन्हे कहा गया है। आप लोगोने सभी सभाओमे मुझे अहिंसा और सत्यकी

भावनासे ओतप्रोत होनेका श्रेय दिया है, इसीलिए अहिंसा और सत्यका जो अर्थ मैं पिछले लगातार ४० वर्षोंके अनुभवसे जान सका हूँ, उसकी व्याख्या जितने बढिया तरीकेसे मैं कर सकता था उस तरह आपके सामने कर दी है। ईश्वरसे प्रार्थना है कि जो शब्द मैंने आपसे कहे हैं उन्हे आप हृदयगम करे और वे सुफलकारी सिद्ध हो। यदि ऐसा हुआ तो फिर एक समान उद्देश्यके लिए सभी गुटो और दलोके लोगोके एकत्र होनेमे कोई कठिनाई नही होगी। आपने मेरी बात इतने धैर्य और पूरी खामोशीके साथ सुनी, इसके लिए मैं आप लोगोका आभारी हूँ।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-४-१९२९

१४८. भाषण: श्रमिकोंकी सभा, रंगूनमें

२० मार्च, १९२९

बहनो और भाइयो,

अब मुझमे और खडा रहनेका सामर्थ्य नही है। इस कारण मैं आपको अधिक समय नही दे सकता। जब मैं बैठ जाऊँ तो कृपया शान्त रहना न भूलिएगा। मेरे पास समय नही है। ८ बजे मुझे एक दूसरा काम करना है और इस समय पौने आठ बजे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सत्कार्य करे और बुराईसे बचें। न तो शराब पीजिए और न जुआ खेलिए। नीतिभ्रष्ट मत बनिए और तभी आप अपना घर प्रेमपूर्वक और शान्तिपूर्वक चला सकते हैं। मैं तमिल लोगोंको जानता हूँ। दक्षिण आफ्रिकामें आप लोगोंकी अच्छाइयो और बुराईसे मैं परिचित हूँ। आपके बहुतसे साथियोके साथ मेरा सम्पर्क रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप बुरी आदतोको छोड़ दे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चोंकी खातिर आप ऐसा जरूर करिए जिससे वे श्रमिक भाइयोके प्रति अच्छे और ईमानदार रह सकें। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैं स्वयं एक श्रमिक हूँ। मैं भंगी हूँ और चमार हूँ। मैंने चमारका काम सीखा है और मेरा लडका भी यही कर रहा है। आपमे और मुझमे बस इतना ही अन्तर है कि आप पेट पालनेके लिए मजबूरन मजदूरी करते है और मैं अपनी खुशीसे करता हूँ।

अपने परिवारके प्रति जो आपके कर्त्तव्य है उनके अतिरिक्त आपका एक कर्त्तव्य और है। कुछ ऐसे भी लोग है जो आपसे भी अधिक गरीब है। आपको ऐसे गरीबोकी सेवा करनी चाहिए। चटगाँवके मजदूर अपनी खुशीसे मेरे पास आये और पाँच मिनटके अन्दर ही एक थैली मुझे भेंट कर दी। आप भी अपने पैसेका कुछ त्याग करेंगे क्या? क्या उन लोगोके लिए जो आपसे भी अधिक दुखमे पड़े है आपका

हृदय नही रोता? उनमेंसे बहुत-से ऐसे है जो आपके लिए खादी कात रहे है और बुन रहे है और आपको चाहिए कि आप उसे पहने। ईश्वर आपको सुखी रखे।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २२-३-१९२९

१४९. भाषण: विद्यार्थियोंकी सभा, रंगूनमें[1]

२० मार्च, १९२९

पिछली शाम एक भरे हुए हॉलमें मुस्लिम विद्यार्थियोंको उर्दूमें उत्तर देते हुए महात्माजीने कहा कि इस संस्थासे निमन्त्रणपत्र मिलनेपर मुझे बहुत खुशी हुई। जहाँतक सम्भव होता है मैं मुस्लिम संस्थाओंके निमंत्रणपत्र हमेशा स्वीकार करता हूँ और यही कारण है मैं इस्लामिया नेशनल स्कूल और जन्नियातुल इस्लाम गर्ल्स स्कूल देखने भी गया। दुर्भाग्यसे भारतमें राजनीतिक वातावरणमें अविश्वास और सन्देह छा चुका है तथा हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोंमें परस्पर आस्था और विश्वास की भावना लुप्त हो गई है। इसलिए इस अवसरका लाभ उठाकर मैं आपके सामने अपने सिद्धान्तको दोहराना चाहता हूँ। मैं बारम्बार उसे बता चुका हूँ और आप यह समझ लें कि मेरा यह विश्वास यदि सम्भव है, तो आज पहलेसे भी अधिक दृढ़ हो गया है कि हिन्दुओं और मुसलमानोके ऐच्छिक सहयोग तथा हार्दिक एकताके बिना भारतमें वास्तविक स्वराज्यकी स्थापना नहीं हो सकती और यह एकता तथा सहयोग देर या सबेर पैदा होंगे जरूर। आपने अपने अभिनन्दनपत्रमें जामिया मिलियाका उल्लेख करके ठीक किया है क्योंकि जामिया मिलियासे मुझे बेहद प्यार है। उस कालेजके लिए मुझसे जो-कुछ हो सकता था वह मैंने किया है और भविष्यमें भी करूँगा और मुझे भरोसा है कि ईश्वर जीवनके अन्ततक यही कामना मेरे मनमें बनाये रखेगा। पिछले रोज जुबली हॉलमें मैं विद्यार्थी-आन्दोलन तथा आत्म-शुद्धिके सम्बन्धमें विस्तारसे बोला था और मेरे खयालमें उसे यहाँ दोहराना फिजूल होगा। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि उस अवसरपर मैंने जो-कुछ कहा था उसे महज दिमागमें ही न रखें बल्कि आप उसे हृदयंगम करें और उसपर अमल करे। १९१५ में जब मैं अलीगढ़ कालेज गया था तब मैं वहाँ मुस्लिम मित्रोंके सामने बोला था और मैंने उस कालेजसे यह आशा व्यक्त की थी कि वहाँसे निकलनेवाले पुरुष

1. मुस्लिम विद्यार्थी संघकी ओरसे गांधीजीको एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया था।

ऐसे होंगे जो भारत और इस्लामके राजनीतिक उत्थानके लिए फकीरी अपनानेको तैयार रहेंगे। अन्तमें मैं समझता हूँ कि मैंने देशकी जो सेवा की है वह एक प्रकारसे धर्मकी सेवा ही है।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २२-३-१९२९

१५०. 'पुरुषका हाथ'

निम्नलिखित लेखके लेखक, जिन्होंने लेखका शीर्षक 'पुरुषका हाथ' रखा है, लिखते हैं:[1]

इस पत्रकी भूमिकाके रूपमें मैं सिवा इसके और कुछ नहीं जोड़ना चाहता कि पाठकगण मशीन-पूजाके विरुद्ध दिये गये इस साक्ष्यको हृदयमें धार लेंगे जो पश्चिमके ही एक निवासी द्वारा दिया गया है और जिसे मशीन-युगके कड़वे-मीठे, दोनों अनुभव प्राप्त हो चुके हैं। पाठकको यह नहीं सोच लेना चाहिए कि लेखक और मैं सारी मशीनोंकी केवल इस कारण भर्त्सना करते हैं क्योंकि वे मशीन हैं। विरोध तो मशीनों द्वारा मनुष्यके कार्योंका अपहरण करने और फलस्वरूप मनुष्यको अपना दास बनानेका है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-३-१९२९

१५१. अहम्मन्यता और अज्ञान

अहम्मन्यता और अज्ञान प्रायः साथ-साथ रहते हैं। अर्ल विंटरटनमें तो हैं ही। इसका नवीनतम उदाहरण कलकत्तामें विदेशी कपड़ोंकी जो होली[2] कलकत्ता पुलिसके अकारण हस्तक्षेपकी वजहसे विश्वमें मशहूर हो गई है, उससे सम्बन्धित प्रश्नोंका इंग्लैंडके हाउस ऑफ कॉमन्समें दिये गये उनके उत्तरोंमें देखनेको मिलता है। नीचे मैं अर्ल महोदय द्वारा दिये गये उत्तरोंको तथा हरेक उत्तरके सामने उसके सही उत्तरको दे रहा हूँ:

१. लेख तथा पत्र यहाँ नहीं दिये गये हैं। अपने लेखमें लेखकने, जो अमेरिकाके एक चित्रकार थे, यह बतलानेका प्रयत्न किया था कि गांधीजीने जो काम किया वह 'विश्वमें व्याप्त अमानवीय यन्त्रवादी आदर्शके विरुद्ध' एक मानवीय कार्य था।

२. देखिए "भाषण: कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामें", ४-३-१९२९।

अर्ल विंटरटनके उत्तर	सही उत्तर
श्री गांधी गिरफ्तार नहीं हुए थे।	मैं गिरफ्तार हुआ था और व्यक्तिगत जमानती बॉन्डपर हस्ताक्षर करनेके बाद रिहा कर दिया गया था।
बंगाल सरकारने सूचित कर दिया था कि विदेशी वस्त्रोंकी होली जलाना गैर-कानूनी है।	बगाल सरकारने यह कभी सूचित नही किया कि विदेशी वस्त्रोका जलाना गैर-कानूनी है। कलकत्तामे पुलिस कमिश्नरने नोटिस जारी करके बताया था कि कलकत्तामे राजमार्गो अथवा आम रास्तोपर या उनके निकट विदेशी वस्त्रोकी होली जलाना पुलिस अधिनियमके अन्तर्गत गैर-कानूनी है।
उनकी (श्री गांधीकी) जिदके परिणाम-स्वरूप संघर्ष हुआ।	संघर्ष मेरी जिदके कारण नही हुआ। जो-कुछ हुआ उसका कारण पुलिसकी मनमानी मूर्खता थी, वह भी पुलिसको सुनाये गये मेरे इस अत्यन्त स्पष्ट वक्तव्यके बावजूद कि कानूनको चुनौती देनेका कोई इरादा नही है और यदि वे चाहे तो मुझपर मुकदमा चला सकते है और विदेशी कपडेको जलानेसे सम्बन्धित मेरे कार्यकी वैधताकी जाँच कर सकते है। आगके निकट एकत्रित भीड़को पुलिसने बर्बरतापूर्वक मार-पीटकर तितर-बितर कर दिया और कपड़े जल चुकनेके बाद आगको बुझा दिया।
मुकदमा श्री गांधीके बर्मासे लौट आनेतक इस शर्तपर टाल दिया जाये कि इस दौरान कलकत्तामें इस प्रकारकी कोई होली नहीं जलाई जायेगी।	मै इस शर्तपर सहमत हुआ था कि कलकत्ताके सार्वजनिक चौराहोपर इस प्रकारकी होली नही जलाई जायेगी। कलकत्तामे निजी स्थानोपर होली जलाना जारी है।

सार्वजनिक समाचारपत्रोंके आधारपर इन सुधारोकी पुष्टि की जा सकती है। हम देख सकते है कि अर्ल महोदय द्वारा दिये गये गलत बयान महत्त्वपूर्ण है और इनसे ऐसा लगता था कि पुलिससे न किसी प्रकारका दोष हुआ था और न कोई भूल।

अर्ल महोदयने अपने उत्तरोके बाद नीचे लिखा वक्तव्य देकर रही-सही कसर पूरी कर दी:

कोई नई राजनीतिक स्थिति नहीं है। सदन इत्मीनान रखे कि बंगाल सरकार उन लोगोंपर साधारण कानून लागू करेगी जो इसका उल्लंघन करनेकी कोशिश करेंगे, चाहे वे राजनीतिक नेता हों चाहे उनके प्रवंचित पिछलग्गू।

अर्ल महोदय अपने अहकारके कारण, जिसने कि सत्यको उनकी नजरोसे ओझल कर दिया है, यह घोषणा कर सकते है कि "कोई नई राजनीतिक स्थिति नही है।" किन्तु कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि पुलिसकी मनमानी कार्रवाईसे नि:सन्देह भारतमे नई राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है। इस नई स्थितिकी शक्तिको प्रदर्शित करना सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओके ऊपर निर्भर करेगा। इतना तो तय है कि पुलिस द्वारा कितनी भी लाठियाँ बरसाई जाये तथा सरकारके शस्त्र-बलका सा भी प्रदर्शन किया जाये, श्रद्धानन्द पार्कमे जो होली जलाई गई थी, उसकी आग इस तरह बुझनेवाली नही है। यह तो तभी बुझेगी जब विदेशी वस्त्रका पूरी तरह बहिष्कार कर दिया जायेगा।

साधारण कानूनको, राजनीतिक नेताओके या उनके भोले-भाले अनुयायियोके विरुद्ध लागू करनेके सम्बन्धमे जो आश्वासन अर्ल महोदय द्वारा सदनको दिया गया वह नेताओ और जनताका अकारण अपमान था। इस अपमानके हम आदी हो चुके है। इसका महज एक ही उत्तर है जो स्वाभिमानी व्यक्ति दे सकता है, और वह यह कि लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए और तेजीसे कदम उठाये जाये। लेकिन यहाँ यह बतला देना जरूरी है कि बगाल सरकार महज साधारण कानून लागू नही कर रही है, वह तो 'लिंच लॉ'[1] लागू कर रही है। साधारण कानूनका तो अर्थ होता है पुलिस विनियमका उल्लघन करनेवाले पर महज मुकदमा चलाना। केवल असाधारण परिस्थितियोमे ही पुलिस अपने हाथमें कानून ले सकती है। इसके बारेमे और फिर कभी लिखूँगा। मै यह वर्मासे लिख रहा हूँ और हालकी घटनाओकी मुझे कोई जानकारी नही है। ऐसी परिस्थितिमें जबकि कोई कानून द्वारा निर्धारित सीमाओके भीतर ही कार्य कर रहा हो तब पुलिस कानूनको अपने हाथमे कब ले सकती है—यह एक ऐसा प्रश्न है जिसपर वहुत सावधानीसे विचार करनेकी आवश्यकता है।[2]

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-३-१९२९

१. अंग्रेजीमें 'लिंच लॉ' के मतलब है किसी तथाकथित अपराधीको न्याय-विधिकी उपेक्षा करके मनमानी सजा दे डालनेका बर्बर कानून।

२. लेखके अन्तमें यह टिप्पणी दी गई थी: "यह लेख बर्मासे भेजा गया था और लॉर्ड महोदय द्वारा अपने उत्तरोंको सुधार लेनेके पहले ही यहाँ मिल गया था।—सहायक सम्पादक **यंग इंडिया**।"

१५२. महिलाएँ तथा युद्ध

पश्चिममें युद्धके खिलाफ एक प्रभावशाली आन्दोलन सुस्थिर गतिसे प्रगति कर रहा है, और यहाँकी महिलाएँ इस आन्दोलनमें, अगर मुख्य नही तो, अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण भूमिका अवश्य निभा रही है। 'वीमेन्स इन्टरनेशनल लीग फॉर पीस ऐंड फ्रीडम' ने ४ जनवरीको फ्रैंकफर्ट-ऑन-मेनमे हुए अपने सम्मेलनमे निम्नलिखित प्रभावशाली अपील जारी की:[1]

हम बहुत गरीब है और किसी प्रकारकी आर्थिक मदद देनेकी स्थितिमे नही हैं। इसके अलावा हमारे राष्ट्रको किसी युद्धमे भाग भी नही लेना है। जबतक हम स्वाधीन सत्ता नही प्राप्त कर लेते तबतक हमे उस युद्धका शिकार तो होना ही पड़ेगा, जो विश्वमे छिड़ सकता है। लेकिन युद्ध जैसे साधनोंके स्थानपर अहिंसात्मक साधनो द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करके इस आन्दोलनको नैतिक तथा आर्थिक मददसे भी कही ज्यादा बड़ी मदद दे सकना हमारे लिए सम्भव है। मैं विश्व-शान्तिके समर्थकोको यह बताना चाहता हूँ कि १९२० मे कांग्रेसने यह घोषणा करके शान्तिकी दिशामे एक जबर्दस्त कदम उठाया था कि वह स्वराज्यको अहिंसात्मक और सत्यके साधनोंके बलपर हासिल करेगी, और मेरा यह निश्चय है कि अगर हम अपने लक्ष्यकी सिद्धिके लिए इन साधनोंका दृढ़तापूर्वक पालन करते रहे तो विश्व-शान्तिकी स्थापनामे यह हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-३-१९२९

१५३. टिप्पणियाँ

कुमारी मेयोसे भेंट

कुमारी मेयोसे अपनी भेंटके बारेमे दीनबन्धु एन्ड्रयूजने निम्नलिखित विवरण भेजा है:[2]

> 'मदर इंडिया' के बारेमें अपने पहले लेखमें मैंने कुमारी मेयोपर वह पुस्तक राजनीतिक उद्देश्यसे लिखनेका आरोप लगाया था इसलिए उनसे व्यक्तिगत भेंट करना मुझे जरूरी लगा; और इसका अवसर भी उपस्थित हो गया।
>
> उनके साथ काफी लम्बी बातचीत करनेके बाद, जिसमें ज्यादातर बात उन्होने ही की, मुझे यह स्पष्ट हो गया कि वह अपनी ही इच्छासे गई थीं

१. अपील यहाँ नहीं दी गई है। इसमें निरस्त्रीकरण आन्दोलनके लिए नैतिक समर्थन और आर्थिक मददकी माँग की गई थी।

२. केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

और जहाँतक सचेतन मनकी बात है उनके मनमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। . . .

लेकिन कुमारी मेयो-जैसी मनोरचनावाले व्यक्तिसे हम कभी अपनी बात समझ सकनेकी आशा नहीं रख सकते। इसलिए जब वह भारतके सम्बन्धमें लिखती है तो यह लाजिमी है कि उसमें गलत तस्वीर ही पेश की जाये।

कुमारी मेयोकी बात सुनते और उसका जवाब देते हुए मुझमें यह धारणा क्षण-प्रतिक्षण बढ़ती चली गई। मुझे इस बातका दुःख है कि मैंने अनुदारतावश उनके ऊपर राजनीतिक मंशा रखनेका दोष मढ़ा। इसे अब मैं वापस लेता हूँ, लेकिन उनसे बात करते समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अलगावकी एक लम्बी-चौड़ी खाई बन गई है जो पश्चिमी जीवनके दिखावटीपनमें रँगे हुए लोगों तथा हमारे बीच बढ़ती जा रही है। . . .

दीनबन्धुने मुझे इस टिप्पणीको छापने या न छापनेकी छूट दी है, और यद्यपि कुमारी मेयोके प्रति न्यायकी दृष्टिसे इसे प्रकाशित करना मैंने जरूरी समझा है तथापि इसके साथ ही जनताके प्रति अपने कर्त्तव्यके ख्यालसे मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दीनबन्धु एन्ड्रयूज द्वारा अपना आरोप वापस लेनेपर भी मैं अपने इस विचारसे डिगा नहीं हूँ कि इस पुस्तकमें राजनीतिक पूर्वग्रहके स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। इसमें कुछ ऐसी झूठी बातें हैं जिन्हें लेखिका निश्चय ही जानती थी कि वे झूठ हैं। इसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो सम्भवतः झूठ हैं। इन स्पष्ट तथ्योंको देखते हुए इनके विपरीत जो भी प्रमाण हो उन्हें असंगत समझा जाना चाहिए।

सरोजिनी देवी और दीनबन्धु

'लिविंग इंडिया' के लेखक श्री सावेल जिमंडने अपने एक पत्रमें भारतके इन दो राजदूतोंके[1] बारेमें लिखा है:[2]

अपने असाधारण आकर्षक व्यक्तित्वके कारण उन्हें (सरोजिनी देवीको) ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ है जो उनके जैसे महान् व्यक्तिको मिलना सुनिश्चित होता है। उन लोगोंसे जिन्हें उनसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जिन्हें उनके प्रेरणादायक शब्दोंको सुननेका मौका मिल चुका है, मेरी जो बातचीत हुई उसके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं वह गईं, लोगोंके ऊपर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है।

अब एन्ड्रयूजको लीजिए। मैं ऐसी तीन दावतोंमें उपस्थित रहा हूँ जिनमें वे अतिथि थे। उनमें से दो दावतोंमें उन्होंने वाइकोम सत्याग्रहके संघर्षकी कहानी सुनाई और मैंने वर्षोंमें कभी श्रोताओंको किसी वक्तासे इस कदर प्रभावित होते नहीं देखा है। इस नैतिक युद्धकी व्याख्या उन्होंने बहुत ही सहानुभूतिके

१. सरोजिनी नायडू और सी० एफ० एन्ड्रयूज।

२. कुछ अंश ही दिये गये हैं।

साथ की और यह उनके हृदयसे निकल रही थी। इनमें से एक सभामें तो एक वकील साहब मेरे पास आये और बोले: "मैं किसी वक्ताको सुनकर आसानीसे कभी आँसू नहीं बहाता। हालाँकि मैं बहुत रूखा समझा जाता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे-जैसे श्री एन्ड्रयूज बोलते थे मेरी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहती जाती थी। . . ."

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-३-१९२९

१५४. पत्र: मणिलाल और सुशीला गांधीको

स्टीमरपर से
२२ मार्च, १९२९

चि० मणिलाल और सुशीला,

इधर मैं तुम्हे पत्र नही लिख सका। दो सप्ताह बर्मामें बितानेके बाद आज हम सब स्टीमरसे रवाना हो गये हैं। बर्मामें डाकके निकलनेका समय साधकर पत्र नही लिख पाया। आज भी स्टीमर कब छूट जायेगा यह सोचे बिना, यह पत्र लिख रहा हूँ।

रसिकके बारेमें मैंने 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' में जो लिखा है वह तुमने देखा होगा। मेरे विचारमें तो वह मरा नही है।

बर्मामें डेढ़ लाखसे ज्यादा रुपये इकट्ठा हुए हैं। डाक्टर मेहता रंगूनमें ही थे। मेरे साथ महादेव, प्यारेलाल, सुब्बैया, गिरधारी और पुरुषोत्तम हैं। कलकत्तामें मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसका परिणाम तो तुम्हे यह पत्र मिलनेसे पहले मालूम हो जायेगा।[1]

देवदास अभी दिल्लीमें ही है। केशु वहाँ सेठ बिडलाके कारखानेमें काम कर रहा है। नवीन देवदासके पास हैं।

नये एजेंटके बारेमें जो अनुभव हुए हो, सो लिखना।

नीमू रामदासके पास है। उसका पाँव भारी है।

काशीकी बहन और माणिकलालकी पत्नी मणि का, देहान्त हो गया है।

मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अभी तक फिरसे दूधका उपयोग शुरू नही करना पड़ा।

आजकल तीसरे दर्जेमें यात्रा करता हूँ। स्टीमरके लिए डेकका टिकट ले लिया है। डेकपर यात्रा जरा कठिन काम है, किन्तु यात्री किसी प्रकार निर्वाह कर लेते हैं और कर्मचारी ठीक हैं इसलिए काम चल जाता है।

बा आश्रममें ही रह गई। रामीको वहाँ बुला लिया है।

कह सकते हैं कि उद्योग-मन्दिर ठीक चल रहा है।

१. देखिए "वह परीक्षात्मक मुकदमा", ४-४-१९२९।

सुशीलाका अध्ययन कैसा चल रहा है?
शान्तिसे मोरवीमें मिल सकूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७५४)की फोटो-नकलसे।

१५५. पत्र : वसुमती पण्डितको

२२ मार्च, १९२९

चि० वसुमती,

यह पत्र स्टीमरपर लिख रहा हूँ। तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैंने तो आदर्श बताया है। उसमें से प्रकृति जो तुम्हे करने दे वही करना। अलग कोठरीमें रहनेकी अनुमति मैंने तो दे ही दी है। यशोदा देवीकी बातसे आश्चर्य हुआ है। मैं आकर उसके साथ बात तो करूँगा ही। रातको वे सब बातें करते रहते है, इसके असह्य होनेमें तो कोई शंका ही नही है। इसका उपाय करना। मैं भी लिख रहा हूँ। छगनलाल जोशीकी सहायता लेना। मिलनेपर और बातें करेंगे। सुलोचनाबहन सकुशल होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५०६)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

१५६. पत्र : छगनलाल जोशीको

स्टीमरपर से
२३ मार्च, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारे चार पत्र एकसाथ मिले। जवाब स्टीमरसे दे रहा हूँ। डेक ठीक सुकानकी साँकलके ऊपर पडता है, इसलिए खूब हिल रहा है और इसीलिए ठीक लिखा नही जाता। इस समय डेकपर यात्राका पूरा-पूरा अनुभव मिल रहा है; पर उसका वर्णन करनेका मेरे पास अभी समय नही है।

खादीके लिए सचालक मण्डल बनाकर अच्छा ही किया है। तुम जागृत हो और खादीमें तुम्हारी श्रद्धा है इसलिए मुझे कोई डर नही है। तुम्हे जो ठीक लगे, वही करते रहो। हो सकता है भूल भी हो जाये, मै उसके लिए मनमें भी दोषी

नही मानूँगा। क्या मगनलालसे कभी भूल नही होती थी? लक्ष्मीदाससे भी भूले हुई है। मनुष्य तो भूलका पुतला माना जाता है। मनुष्यकी भावना शुद्ध हो, वह पूर्णतया जागरूक हो, पूर्ण उद्यम करे और कुशलता प्राप्त करनेका पूर्ण प्रयत्न करे, इसपर भी यदि भूले हो तो वे सब क्षन्तव्य और सह्य है।

हम जितनी वस्तुएँ बनाते है उनकी सूचना अवश्य छपनी चाहिए। ऐसा करना हमारा कर्त्तव्य है।

सुलोचनाबहनकी मुझपर बहुत अच्छी छाप पडी है। उन्हे अपने यहाँ बनाये रखनेकी शक्ति हममे होनी चाहिए। वसुमती और सुलोचनाबहन साथ रहेगी, यह तो अच्छा है। उन्हे कुछ दे सको सो देना और वे जो सेवा कर सके, वह कराना। जहाँ तक उनकी इच्छाके अनुकूल काम दिया जा सके, देना।

छोटा पिंजाई वर्ग शुरू करनेका विचार अच्छा है। उसके बारेमे 'नवजीवन' में लिखना चाहो तो लिखना। अभी दूसरे प्रान्तोसे सीखनेवालोको बुलाना नही है। किन्तु यदि कोई योग्य मनुष्य आना चाहे तो उसे ना न करना। गुजराती 'नवजीवन' में इस विषयमे जो लिखो उसका विवरण 'हिन्दी नवजीवन' में न हो इसका ध्यान रखना। इस सम्बन्धमे मै यहाँसे नही लिख रहा हूँ। वहीपर एक टिप्पणी लिखकर अपने हस्ताक्षरसे छाप देना।

रोमाँ रोलाँका पत्र मीराबहनको भेजकर ठीक ही किया है।

मगनलाल-स्मारक आश्रममें ही रहे इस विषयमे शकरलालसे बात करना। मुझे तो बात पसन्द आई है। शायद कुछ लोग यह मानेंगे कि उसमें हमारे नियम बाधक होते है। क्या डा० मेहताका बगला उसके लिए ठीक है? मै जब आऊँगा इस विषयमे मुझसे चर्चा करना।

गोसेवा सघका संविधान तो कबका भेज चुका हूँ।

बाल-मन्दिरको चलानेके बारेमे मेरे विचार तुम जानते हो। अब उसमें फेरफार या वृद्धि करनेके बारेमे मेरा कुछ बताना जरूरी नही है। मै वहाँ उपस्थित होता तो दूसरी बात थी। किन्तु मेरी गैरहाजिरीमे सिद्धान्तके अनुकूल सभी फेरफार किये जा सकते है।

गगाबहनका काम अलौकिक है। उनकी भावना और उद्यम तो ईर्ष्या करने लायक है। उन्होने तो आश्रमके लिए संन्यास ही ले लिया है। उनका स्वभाव सहन करना हमे सीख लेना चाहिए।

जहाँ आवश्यक हो, मामाको चेतावनी देते रहना। फिर भी भूल करे तो वह जोखिम उन्हे उठानी होगी। किसी बातकी शका भी हो तो उनके सामने स्पष्ट रीतिसे रखना।

तोतारामजीकी आँखोके बारेमे चिन्ता होती है। शायद उनकी खूराकमे फेरफार-की जरूरत है। उन्हे सिर्फ दूध, मुनक्का तथा नीबू लेना चाहिए या उपवास करे और खूब पानी पिये। आँखका पेटके साथ निकट सम्बन्ध है, कौनसे अवयवका नही है?

भड़ौचकी यात्रा मुझे तो असह्य-सी लगती है। शायद इस विषयमें थोड़ा कठोर बननेकी जरूरत है। मै जानता हूँ कि कठोर बनना भी कठिन है और वह भी तुम्हारे लिए। इसलिए यदि यह बात मुझपर छोडनी हो तो छोड देना।

लक्ष्मीदासके विचार तो मै जानता हूँ। फिलहाल उन्हे बदलनेका आग्रह नही करूँगा। हरएक बातके बारेमे उसके विचार जाननेके बाद जो नया कदम उठाना जरूरी होगा, वह उठायेंगे। उससे उसे दु.ख नही होगा। उसे बहुत अनुभव है और उसने काफी ठोकरें खाई है। वह खादीका पुजारी है और कार्य-कुशल है। इतना जानते हुए उसके विचारोको पूरा-पूरा महत्त्व देते हुए भी हमे जो-कुछ करना ठीक लगे, वही करे। न करना दोष होगा। जबतक हमे अपने विचारोके बारेमे शका हो तबतक उनपर अमल न करके लक्ष्मीदासके अनुभवको मान दे। उसके पत्र वापस भेज रहा हूँ।

अभीतक तो २८की रात आश्रम पहुँच जानेकी आशा है ही। पद्माने[1] दिल्ली छोड़ देनेका निश्चय किया है।

मुसाफिरीमे जो चरखा मेरे पास रहता था, उसे मैंने सौ रुपयेमे बेच दिया है। इसलिए मेरे लिए दूसरा तैयार करा लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५३९४) की फोटो-नकलसे; तथा बापुना पत्रो-७ : श्री छगनलाल जोशीने से भी।

१५७. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

२३ मार्च, १९२९

भाई रामेश्वरदास,

आज सब पुराने खत देख रहा हु इसमे तुमारा एक कवर भी मीला। चित्त-शांतिका उपाय एक ही है। रामनाम लेना।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १९० की फोटो-नकलसे।

१. फोटो-नकलमें स्पष्ट नहीं है, किन्तु पुस्तकमें "काका" है।

१५८. पत्र : मीराबहनको

एस० एस० 'एरोडा' जहाजसे
२३ मार्च, १९२९

दुबारा नहीं पढ़ा

चि० मीरा,

हम इस समय कलकत्ताके निकट पहुँच रहे हैं। २३ तारीखकी रात्रिमें भोजनोपरान्त मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। जहाजके डेकपर यात्राका वास्तविक अनुभव मुझे इस बार ही हुआ है। पिछली बार तो लोगोंने मुझे अलग कर दिया था और इस बातपर आग्रह किया था कि मैं द्वितीय श्रेणीके स्नानागारका इस्तेमाल करूँ। अपने अनुभवको मैं 'यंग इंडिया' में प्रकाशित करने जा रहा हूँ।[1]

डा० मेहताका लड़का रतिलाल और चम्पा मेरे साथ हैं। वे द्वितीय श्रेणीके यात्री हैं। वह पागल लड़की जिसके बारेमें मेरा खयाल है कि मैं तुम्हें लिख चुका हूँ, अभी भी मेरे साथ है। उसने मुझे हरा दिया है। वह बहुत उद्धत हो गई है। इसलिए मैं उसे उसके पिताके पास वापस भेज रहा हूँ। वह इस समय बिलकुल विक्षिप्त है और बेचारे सुब्बैयाको उसकी देखभाल करनी पड़ती है।

मेरा काम अभी भी दूधरहित आहारसे चलता जा रहा है।

तुम इन तिथियोंको याद रखना।

कलकत्तासे प्रस्थान	२६ तारीख
दिल्ली पहुँचूँगा	२७ „
साबरमती पहुँचूँगा	२८ „ रात्रि
साबरमतीसे प्रस्थान	२९ „ „
मोरवी पहुँचूँगा	३० „
मोरवीसे प्रस्थान	१ अप्रैल
साबरमती पहुँचूँगा	२ „
साबरमतीसे प्रस्थान	४ „
बम्बई पहुँचूँगा	५ „
बम्बईसे प्रस्थान	५ „ रात्रि
बेजवाडा पहुँचूँगा	७ „

यह कार्यक्रम इसपर निर्भर करेगा कि कलकत्तामें क्या होता है।[2] बेजवाडामें पतेके तौरपर मेरा नाम ही काफी है। बेजवाडाके बादका कार्यक्रम बादमें भेजूँगा।

१. देखिए "डेकके मुसाफिर", ११-४-१९२९।

२. कलकत्तामें २६ मार्चको अदालतमें गांधीजीके मुकदमेकी पेशी थी।

बर्मामें चन्दा अच्छा मिला, १½ लाख रुपयेसे अधिक।

कल तुम्हारे बहुत सारे पत्र मिलने चाहिए। आशा है कल राजेन्द्रबाबूसे मुलाकात होगी।

सुरेन्द्रका चर्मालय अच्छा चल रहा है। उसका अनुभव बराबर बढ रहा है। उद्योग-मन्दिरमें बालकृष्णके आ जानेसे जोशीको बहुत आराम मिला है। क्या मैं तुम्हे यह बतला चुका हूँ कि छगनलाल गाधी और उसकी पत्नी उद्योग-मन्दिरमें वापस आ गये हैं? कुछ ही दिन हुए उसकी साली चल बसी।

एक सुसंस्कृत और अनुभवी महिला[1] अभी-अभी मन्दिरके लिए रवाना हुई है। वह केवल कुछ दिनके अनुभवके लिए ही वहाँ गई है। मन्दिरमे लगातार मथन चल रहा है। यह एक अच्छा सकेत है। चि० जोशीको जिस पदपर रखा गया है वह उस पदके योग्य सिद्ध होनेके लिए जबर्दस्त प्रयत्न कर रहा है। दूसरे लोग भी अपनी भरसक पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कुसुम उसी दिन अपनी माँके पास चली गई थी जिस दिन मैं मन्दिरसे बर्माके लिए रवाना हुआ था, अब तो शायद वह वापस आ गई होगी। वसुमती मन्दिरमे ही है। क्या मैंने तुम्हे यह बताया है कि केशूको मैं अपने साथ दिल्ली ले आया था और वहाँ उसे श्री बिडलाके पास उनके इजीनियरिंग कारखानेमे अनुभव प्राप्त करनेके लिए छोड दिया है?

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४०९) से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३५३ से भी।
सौजन्य . मीराबहन

१५९. पर्दा और सूरज

डाक्टर केथलीन ओल्गा वेडनने कश्मीरमे स्त्रियोके अस्पतालमें वर्षोसे प्रधान डाक्टरका काम किया है। इसके सिवा, उन्हे डाक्टरीका और भी काफी अनुभव है। कश्मीरमे सदा सर्दी रहनेके कारण वह प्रदेश तन्दुरुस्तीके लिए अच्छा माना जाता हैं, लेकिन, इन डाक्टर महिलाका अनुभूत मत है कि मध्यम वर्गकी स्त्रियोके लिए वहाँकी जलवायु हानिकारक है। कश्मीरकी जो स्त्रियाँ बुर्का पहननेकी आदी है वे केवल बुर्का ही नही पहनती बल्कि रात दिन घरमे ही घुसी रहती है। नतीजा यह होता है कि उनकी हड्डियाँ कमजोर पड जाती हैं। खासकर गर्भाशयके सामने और उसके आसपासकी हड्डियाँ इतनी कमजोर और बेडोल हो जाती है कि उनके कारण बच्चा पैदा होते समय स्त्रियोको बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पडती है। कई स्त्रियाँ तो चल-फिर भी नही सकती; उनके पैरोकी हड्डियाँ तक टेढी हो जाती है। इन डाक्टर बहनने अपने अनुभवोकी एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है। उसमे उन्होने अपनी राय जाहिर करते हुए लिखा है कि कश्मीरकी ज्यादातर स्त्रियोके इस तरह दु:खी

१. सुलोचनाबहन।

रहनेका एकमात्र और मुख्य कारण यह है कि उन्हे सूर्यकी रोशनी प्राप्त नही होती है। वे ऐसे घरोमे बन्द पडी रहती है जहाँ उन्हे सूर्यके दर्शन तो दूर, सूर्यकी रोशनी भी नही मिलती। कई तरहकी मिसाले और दलीले देकर इन बहनने यह साबित कर दिया है कि सूर्य-प्रकाशसे वचित रहनेवाले व्यक्तिका ढाँचा कमजोर हो जाता है, उसकी हड्डियाँ नि सत्व हो जाती है, उसकी ठीक बाढ नही होती और उसका चेहरा फीका और निस्तेज पड जाता है, इसके विपरीत जो व्यक्ति खुली हवा, उजाला और त्वचापर सूर्यकी किरणोका सीधा स्पर्श पाते रहते है उनके शरीरका ढाँचा मजबूत बन पाता है, उनकी ठीक बाढ हो पाती है, वे निस्तेज नही होते और क्षय आदि रोगोसे बच जाते है। उन्होने अपने लेखमे यह भी सिद्ध किया है कि सूर्यकी किरणो और मनुष्यकी त्वचाके बीच बिल्लौरी कांच-जैसी कोई चीज भी हो तो सूर्यसे सत्ववर्धक पदार्थ पानेके मार्गमे रुकावट होती है। इस कारण उनका कहना है कि हरएक स्त्री-पुरुषको और खासकर सन्तान पानेकी अभिलाषा रखनेवाली माताओंको अपने खुले शरीरपर सूर्यकी किरणोका सेवन करना चाहिए और सो भी दिनके पहले प्रहरोमे। इस तरहका सूर्य-स्नान प्रखर धूपमे बैठ कर नही लेना चाहिए। यह तो उस समय लिया जाना चाहिए जब सूर्यकी रोशनीमे नगे बदन बैठनेसे सर्दी न लगे और सूर्यकी गर्मी सुहावनी लगे।

इन बहनका कहना है कि भारतमें बच्चा पैदा होते समय जच्चाको जो कई तरहके कष्ट होते है उसकी खास वजह है जच्चाका सूर्यकी रोशनीसे वचित रहना। भारतके जिन घरोकी चहारदीवारीमे स्त्रियाँ रात-दिन बन्द रहती है उनमे न तो बगीचा होता है और न ऐसा खुला मैदान ही, जहाँ स्त्रियाँ या बालिकाएँ खुले बदन घूम-फिर सके। उनका मत है कि देशसे पर्देकी प्रथाका जडमूलसे नाश होनेमे अभी समय लगेगा, इस बीच ऐसी स्थिति लानी चाहिए कि जिससे पर्दानशीन स्त्रियोको सूर्य-स्नान और व्यायामकी सुविधा मिल सके। अत वह कहती है कि देशके अस्पतालोमे इस बातका प्रबन्ध होना चाहिए कि वहाँ, पुरुषोकी आँखोसे दूर, स्त्रियाँ आजादीसे सूर्यकिरणें पा सके और खुले बदन घूम-फिर सके। इसी तरह उनकी रायमे लड़कियोके मदरसोमें भी इन बातोका बन्दोबस्त किया जाना चाहिए। उनके मदरसे खुले मैदानमे बनाये जाने चाहिए, जिसमे आसपासकी छतो परसे किसीकी निगाह उनपर न पड सके और न रास्ता चलते लोग ही उन्हे देख सके। इन बहनका तो यह भी मत है कि गर्मीके दिनोमें घरोमें अन्धेरा करनेसे बजाय फायदेके नुकसान ही होता है।

इस छोटी-सी पुस्तकमें से स्त्रियोके हितार्थ हम एक बात सीख सकते है। वह यही कि पर्देकी कुप्रथाका नाश करनेके लिए जितने प्रयत्न किये जा सकें, किये जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्त्रियाँ और पुरुष सूरजसे बिलकुल न डरे, उलटे जितने ज्यादा समयतक सम्भव हो, खुले बदन रहे और सूर्य-स्नान करे। सवेरे स्नान करके खुले बदन सूर्यको सौ या अधिक नमस्कार करना, गायत्रीका जप करना, आदि बातें ऐसी हैं, जिनमें आध्यात्मिक भाव और हित तो है ही, साथ ही उनसे

मनुष्यको उतना ही जबर्दस्त भौतिक सुख और फायदा भी पहुँचता है। हमें इस बातका नित्य अनुभव प्राप्त होता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-३-१९२९

१६०. अन्त्यज क्या करे?

एक अन्त्यज सेवक लिखते है:[1]

मै तनिक भी ढीला नही पडा हूँ। मै अपनी समझमे जिस तरीकेसे अस्पृश्यताको दूर करनेकी सम्भावना देखता हूँ उस तरीकेसे उसे मिटानेमे कुछ भी कसर उठा नही रखता। मै देख रहा हूँ कि देशमें से अस्पृश्यताकी भावना घोडेके वेगसे भागी जा रही है। मै रात-दिन कामना तो यह करता हूँ कि वह वायुवेगसे चली जाये, और मुझे विश्वास है कि किसी दिन जरूर ही वह वायुवेगसे निकल भागेगी। लेकिन तबतकके लिए धीरजकी जरूरत है। उक्त पत्रमे जिन अन्त्यज भाइयोके उद्गार दिये गये है, वे समझमे आते है, लेकिन फिर भी उन्हे शान्तिसे काम लेना चाहिए। इस संसारमे सुधारकको सदासे शुरुआतमें अकेला रहना पडा है। अगर सुधारकको इच्छा करते ही साथी मिल जाये तो उस सुधारककी कीमत ही न रहे। अस्पृश्यता हमारे देशकी एक बहुत पुरानी बुराई है। और फिर इसे धर्मका चोगा पहना दिया गया है। ऐसी बुराईको मिटानेवालेको तत्काल सहयोगी मिलनेकी आशा नही रखनी चाहिए। इस दिशामे आजतक जो काम हो सका है, और जितने साथी इसके लिए मिल सके हैं, सो तो केवल प्रभुकी कृपाका ही फल है। इस अन्त्यज युवकको इतनी बात ध्यानमे रखनी चाहिए कि जो शुचिता और सुधार उसने कष्ट द्वारा प्राप्त किये है वे लोगोके लिए नही बल्कि उसके अपने लिए हैं। इस कारण इस शुचितामे से ही उसे शान्ति प्राप्त करनी चाहिए। जो यह मानता है कि लोग उसकी शुचिताकी कद्र करे, वह सचमुच शुद्ध नही हुआ है। शुद्धिका आधार तो सदा स्वय हम है। दूसरे, इस युवकको चाहिए कि वह निराश होकर अन्य अन्त्यज भाइयोको छोड न दे। जो लोग सदियोसे कुचले जाते रहे हैं, उन्हे तेजस्वी बनते, जागृत होते थोड़ा समय जरूर लगेगा। उनके प्रति तो धीरज और प्रेमकी भावना बढानेकी जरूरत है। जो शिक्षा और सुविधाएँ प्रस्तुत अन्त्यजभाईको मिली है वही सारे अन्त्यज समाजके लिए भी सम्भव है। अतः हमे उक्त अन्त्यज भाईकी उदासीनताको समझ लेना चाहिए। पत्थरके बारेमे इन भाईने एक बात कही है;[2] मै उन्हे दूसरी बातकी याद

१. पत्र यहाँ नही दिया गया है। लेखकने अनुभवमें आये उदाहरण देते हुए यह कहा था कि भारतमें अछूतोद्धारके पर्याप्त प्रचार हो जानेके बावजूद अन्त्यजोंका अपमान होता रहता है और लोगोंको लगता है कि इस विषयमें गांधीजी भी ढीले पड़ गये।

२. "पत्थरपर पानी गिरायें तो भी वह सूखाका सूखा ही रहेगा।"

दिलाना चाहता हूँ, 'रसरी आवत जात तें, सिलपर परत निशान।' इस पक्तिमें पहली कहावतसे अधिक सत्य है। जब हिमालयका पानी पत्थरोसे टकराता हुआ नीचे आता है तो वे पत्थर सूखे बने रहना तो दूर, चूर-चूर हो जाते है। प्रेमरूपी पानी से तो पाषाण-हृदय भी पिघल जाता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-३-१९२९

१६१. पत्र : छगनलाल जोशीको

[२४ मार्च, १९२९][1]

चि० छगनलाल,

स्टीमरमे लिखे पत्र कल डाकमें छोड दिये गये थे, वे मिल गये होगे। कलकत्ता पहुँचकर तुम्हारी डाक मिल गई।

तुम्हारा वाडजमे आग बुझाने पहुँच जाना ठीक ही था। हम बीमा न करायें, किन्तु आग बुझानेके साधन अवश्य रखे और हर मास उनके उपयोगका अभ्यास भी करे। यह हमारे लिए उपयोगी होगा। मकानमे सामान भी इस तरीकेसे रखे कि आगका भय कम रहे। बच्चोको भी इस सम्बन्धमे उनकी जिम्मेदारीका भान कराते रहे। नियम तो यह है· हम बाह्य साधनोसे अपनी जितनी रक्षा करते है उतने अंशतक आत्माका हनन होता है और वह निर्बल बनती है।

भैसका घी रसोई-घरमे इस्तेमाल नही किया जाये। इस नियमका पालन सबको करना चाहिए।

खादी प्रतिष्ठानके सदस्योके सूतके विषयमें बात करूँगा। बगालसे सीखनेवाले व्यक्तियोके आनेकी ज्यादा सम्भावना नही है।

सन्देहशीलताके बारेमें[2] मुझसे अवकाश मिलनेपर पूछोगे तो मै अच्छी तरह समझा दूंगा।

बम्बईमे जो खादी पडी है वह तथा उसके अतिरिक्त और खादी भी कलकत्ता भेज सकते हो। खादी पुरानी या गली हुई नही होनी चाहिए। यहाँके भण्डारमे आजकल खादी कम है। कपडेकी होलीके बाद यहाँ खादीकी माँग बहुत बढ गई है।

रोहड़ीसे बिचलदास आया है, क्या वह कोई पत्र नही लाया? उससे दर्जीका पूरा-पूरा काम लेना और उसे अच्छी तरह सिखा भी देना। यह भी देखना कि वह सभी नियमोका पालन करता है या नही। उसका मलकानीके साथ परिचय कराना। चलालाकी जमीनके बारेमें मुझसे पूछना।

आश्रममे कोई मौत हो जाये तो सयुक्त रसोई घर बन्द न हो, भोजन न बनाना हो तो न बनाये। हमारे पास खानेकी ऐसी चीजे तो हमेशा होती ही है

१. गाधीजीने यह पत्र कलकत्ता पहुँचते ही अर्थात् २४ तारीखको लिखा होगा।

२. देखिए "पत्र: छगनलाल जोशीको", ५-३-१९२९।

जिससे जो खाना चाहें उनका काम चल सकता है। इस विषयमें और बात करना चाहो तो करना। मुझे तो भोजन बनानेमे भी कोई दोष नही दिखाई देता। मृत्यु कोई शोकका प्रसंग नही है। शोक दिखानेके लिए कुछ भी बन्द करनेकी जरूरत नही है। किन्तु अग्निदाह आदि क्रियाओमे शामिल होनेके बाद कई लोग भोजन नही कर पाते। कई लोगोको शोक न करना चाहते हुए भी अपने सम्बन्धके कारण शोक होता है। इसी विचारसे मैंने रसोई बन्द रखनेका सुझाव दिया है। रसोईका काम चलते हुए अगर किसी की मृत्यु हो जाये तो रसोई बन्द न की जाये। सूतक जैसा रिवाज तो अपने यहाँ है ही नही।

दक्षिण-संकट-निवारणका पैसा राजाजीको भेज देना।

मारी गई बकरीके चमड़ेका उपयोग अनिवार्य मानता हूँ। लेकिन यह कमसे कम किया जाना चाहिए। जहाँ गायके चमड़ेसे काम चले वहाँ उसीका उपयोग करना ठीक होगा। हमने अभी तो अपने धर्मकी मर्यादा गाय-भैंस तक ही सीमित रखी है।

मीराबहनका एक पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। उसमें योगेन्द्रसे[1] सम्बन्धित भाग समझने लायक है। इस विषयमे उसने तुम्हे लिखा तो है ही। किन्तु उसके बारेमे तुम और भी जान लो ताकि उसके वहाँ पहुँचनेपर सुविधा रहे। राजेन्द्र बाबू यही हैं। उन्होंने उन दम्पतीको भेजनेको कहा है। उन्हे अपने कामके लिए तैयार कर लेना चाहिए। मीराबहनका काम आश्चर्यचकित कर देनेवाला जान पडता है। राजेन्द्र बाबू देख आये हैं और उससे बहुत प्रसन्न हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४९८)की फोटो-नकलसे।

१६२. पत्र : मीराबहनको

२५ मार्च, १९२९

चि० मीरा,

स्टीमरपर तुम्हे लिखा एक पत्र[2] कल मैंने डाकमें डाला था। यहाँ पहुँचने पर तुम्हारे तीन पत्र मुझे मिले। आज तुम्हारा एक पत्र मुझे मिलना चाहिए पर ४ बजे शामतक तो कोई पत्र मिला नही। लगता है कि मेरे कल यहाँसे रवाना हो सकनेमें कोई कठिनाई नही होगी।

राजेन्द्रबाबू यही हैं। तुम जो-कुछ कर रही हो उसके बारेमें उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। दूसरोसे अब तुम्हारे बारेमे जाननेको कुछ नही बचा है।

१. एक आश्रमवासी।

२. अनुमानतः यह पत्र २३ मार्चको कलकत्तामें छोड़ा गया था; देखिए "पत्र : मीराबहनको", २३-३-१९२९।

दिनमें यहाँ काफी तेज गर्मी पड़ती है। सुबहके समय मौसम ठंडा था और कल रातको हवा चलती रही।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४१०)से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३५४से भी।
सौजन्य: मीराबहन

१६३. पत्र: आश्रमकी बहनोंको

कलकत्ता
मौनवार, २५ मार्च, १९२९

बहनो,

आज तो तुम्हे याद करनेको ही पत्र लिख रहा हूँ, क्योकि आशा है कि इस पत्रके साथ-साथ ही वहाँ पहुँच जाऊँगा।

बहने जो सच्ची (अनुभवकी) शिक्षा उद्योग-मन्दिरमें पा रही है, वैसी मैं कही नही देखता। मगर अभी हमें बहुत-कुछ करना बाकी है। हमारी यह स्थिति हो जानी चाहिए कि हम किसी भी बहनको निर्भयतासे भरती कर सके।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–१: आश्रमनी बहेनोने

१६४. पत्र: प्रभावतीको

मौनवार [२५ मार्च, १९२९][1]

चि० प्रभावती,

तुमारा पत्र मीला है। वसुमति बहेन लीखती है तुमको सिरमें दर्द रहता है। पिताजीका पत्र आ गया है। इसके साथ रखता हु। और तो मीलनेसे।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

राजेन्द्र बाबु यहाँ है।

[पुनश्च:]

वसुमतिबहन और कुसुमबहनसे कहो आज मैं नहिं लीखुगा।

जी० एन० ३३२२ की फोटो-नकलसे।

१. यह पत्र बर्मासे लौटते हुए कलकत्तासे लिखा प्रतीत होता है। इसी तारीखके मीराबहनके नाम लिखे पत्रमें राजेन्द्र बाबूके कलकत्तामें उपस्थित होनेकी चर्चा है।

१६५. अदालतमें बयान[1]

कलकत्ता
२६ मार्च, १९२९

सार्वजनिक जीवनमे मेरा एक महत्त्वपूर्ण दर्जा है, और उस नाते अदालत और जनताके सामने मुझे अपने आचरणके सम्बन्धमे, जो इस अभियोगका मुख्य विषय है, सफाई देनी है। मै राष्ट्रीय कांग्रेसकी कार्य-समिति द्वारा गठित विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार समितिका अध्यक्ष हूँ। कार्य-समिति द्वारा स्वीकृत बहिष्कार योजनामे, जहाँ-कही सम्भव हो, विदेशी वस्त्रको जलानेकी बात भी शामिल है। इसीलिए स्वभावतः मैंने श्रद्धानन्द पार्कमें हुई सभामे विदेशी वस्त्र इकट्ठा करने और उसे जलानेकी सलाह दी थी। पुलिस कमिश्नरके यहाँसे जो नोटिस मेरे और मेरे साथियोके नाम आया था, उससे हमे परेशानी हुई। हम एकदम समझ गये कि इसका उद्देश्य सम्पत्तिको आगके खतरेसे बचाना नही था बल्कि इसका मकसद तो प्रदर्शनको रोकना था। किसी निजी स्थानपर होली जलानेकी हमे छूट थी। लेकिन दोनों वकील इस निष्कर्षपर पहुँचे कि पुलिस अधिनियमकी धारा ६६ की जो व्यवस्था की गई है वह यदि बिल्कुल गलत नही तो शंकास्पद तो जरूर है। इसलिए हमने पूर्व घोषणाके मुताबिक पार्कमे पूरी तरह प्रदर्शन करनेका निर्णय किया ताकि अदालतके सामने पुलिसकी व्याख्याकी परख हो सके।

यह बहिष्कार सविनय अवज्ञाका भाग नही है। केवल अवज्ञा करने और गिरफ्तार होनेके ख्यालसे पुलिसकी नोटिसकी अवहेलना करनेका कोई इरादा नही था। मैंने वस्त्रोमे आग लगानेसे पहले अंग्रेजीमे बोलकर यह बात स्पष्ट कर दी थी ताकि वहाँ उपस्थित पुलिसवाले उसे सुन और समझ ले। मेरा विश्वास है कि जब मै बोल रहा था तो पुलिसके डिप्टी कमिश्नर वहाँ मौजूद थे। इसीलिए जब मैंने वस्त्र जलानेकी क्रियाके करीब-करीब समाप्त होनेके बाद, पुलिसको आगके चारो तरफ खड़े लोगोपर टूट पडते, अपनी बडी-बडी लाठियोसे उन्हे पीटते और उन्हे वहाँसे भगाते तथा अंगारोको बुझाते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ और बहुत पीड़ा हुई। आगेके दर्दनाक दृश्यका वर्णन मै यहाँ नही करूँगा लेकिन यदि अदालत चाहेगी तो मै इससे सम्बन्धित प्रश्नोके उत्तर शौकसे दूँगा।

मै साहसपूर्वक यह कह सकता हूँ कि कानूनको अपने हाथमे लेकर, खासकर मेरे उस स्पष्ट वक्तव्यके बावजूद जिसका कि मै ऊपर उल्लेख कर चुका हूँ, पुलिसने गलती की है और उन्हे मेरे स्थानपर और मुझे उनके स्थानपर होना चाहिए। उन्हे अभियुक्त होना चाहिए और मेरे साथी और मुझे फरियादी। इसके पहले भी कई अवसरोपर मुझे ससारके दूसरे देशोमे कानूनोकी पुलिस द्वारा की गई व्याख्यासे

१. यह बयान कलकत्ताके चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी अदालतमें दिया गया था।

मतभेद जाहिर करने तथा उनके नोटिसोके विरुद्ध आचरण करनेके लिए विवश होना पडा था। लेकिन वहाँ उन्होने विवादग्रस्त मुद्दोको पहले अदालतमे परखनेकी सभ्य पद्धतिको स्वीकार किया है। वहाँकी पुलिस किसी मामलेपर कोई पूर्व निर्णय नही लेती और कानूनको स्वय तोडनेकी जोखिम नही उठाती, और इससे भी वडी चीज यह है कि वहाँ पुलिस सार्वजनिक शान्ति भग होनेका मौका अपनी तरफसे नही उठने देती।

मेरा दृढ मत है कि भीड पूरी तरह शान्त और अनुशासित थी। जो मामूली-सी आग वहाँ जलाई गई थी उससे आस-पासकी सम्पत्तिको कोई खतरा नही था। जलानेके लिए जो जगह चुनी गई थी वह सुरक्षित तथा अलग थी। इसलिए पुलिसका यह कर्त्तव्य था कि शान्तिपूर्ण तथा सयमित रूपसे हो रहे इस प्रदर्शनमे वह हस्तक्षेप न करती। मेरी रायमे तो पुलिसका यह हस्तक्षेप निहायत अविचारपूर्ण, मनमाना और अनावश्यक था। आगको बुझाकर उन्होने अदालतके कामको अपने हाथमे ले लिया और ऐसा मान लिया कि अदालतका भी यही फैसला होगा। इन मामलोके मुतल्लिक जो बयान मैने दिया है यदि आप उसपर विश्वास करे तो, महानुभाव, मै आपसे निवेदन करूँगा कि मुझे तथा मेरे साथियोको रिहा कर दे, और पुलिसके दुर्व्यवहार पर आप जैसी कार्रवाई करना चाहे वैसी करे। और जिस धाराके अन्तर्गत मुझपर अभियोग लगाया गया है, अदालत उसकी जो भी व्याख्या करना चाहे, करे; मै रिहाईकी माँग फिर भी करता हूँ।

दो शब्द धाराकी व्याख्याके बारेमे। जिन वकील दोस्तोका उल्लेख श्रद्धानन्द पार्कमे हुए मेरे भाषणमे हुआ है उनमे से एक श्रीयुत सेनगुप्त भी थे। उनसे हुई एक दूसरी बहससे मेरे दिमागमे यह बात साफ हो गई कि इस धाराके अनुसार श्रद्धानन्द पार्क न तो कोई गली है और न कोई आम रास्ता ही। चूँकि विदेशी वस्त्र-बहिष्कार-समितिका इरादा, जहाँतक सम्भव है, इस आन्दोलनके सिलसिलेमे सविनय अवज्ञा करनेका नही है, अत. इस धाराकी प्रामाणिक व्याख्या हो जाना जरूरी है। लेकिन मै किसी कानूनी मसलेपर बहस नही करूँगा।

मेरे जिन तीन साथियोको मुख्य अपराधी कहा गया है, उनके बारेमें मै यह कहना चाहूँगा कि वस्त्र जलानेकी क्रिया तो वास्तवमे मैने प्रारम्भ की थी। इसलिए अगर हममे से किसीने कोई अपराध किया है तो उसमे मुख्य अपराधी मै ही हूँ, बाकी ये तीन तो गौण अपराधी है।[1]

[अंग्रेजीसे]

फॉरवर्ड, २७-३-१९२९

१. फैसला दूसरे दिनके लिए रोक लिया गया था। अदालतके फैसलेके सम्बन्धमें गाधीजीके विचारोंके लिए देखिए "वह परीक्षात्मक मुकदमा", ४-४-१९२९।

१६६. तार: मीराबहनको

कलकत्ता
२६ मार्च, १९२९

मीराबहन
खादी भण्डार
मधुबनी

फैसला रोक लिया गया है। दिल्ली एक्सप्रेससे आज रवाना हो रहा हूँ।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४११)से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३५५ से भी।
सौजन्य: मीराबहन

१६७. बर्मा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मामलोंपर रिपोर्ट

[२७ मार्च, १९२९से पूर्व][1]

गोपनीय

[कांग्रेसकी] कार्य-समितिके आदेशपर मैंने बर्मा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मामलोंकी जाँच की।

कमेटी तो केवल नाममात्रकी है। श्रीयुत वी० मदनजीत ही इसके कर्त्ताधर्त्ता हैं। वही कमेटी है और वही सब कुछ है। नामके लिए भी कोई कार्यकारिणी समिति नहीं है। शायद ही कोई बैठक कभी होती हो। बर्मा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीसे सम्बद्ध स्वयंसेवकोंका कोई संगठन नहीं है। मुझे बताया गया कि वकील लोग कांग्रेसमें शामिल होनेसे डरते हैं। कांग्रेसका गाँवोंसे कोई सम्पर्क नहीं है। पुराने सदस्योंकी सूची देखे बिना हर साल नये सदस्य बना लिये जाते हैं। श्री मदनजीत दौड़-धूप करके सदस्योंके नाम और चवन्नीका सदस्यता-शुल्क एकत्र करते हैं। जो-कुछ चन्दा इकट्ठा होता है उससे मुश्किलसे उनका यात्रा-व्यय पूरा होता है। श्रीयुत मदनजीत अवैतनिक कार्यकर्त्ता हैं और उनमें बड़ीसे-बड़ी कुर्बानी करनेकी क्षमता है। जनतामें उनका प्रभाव भी है। लेकिन यह प्रभाव नकारात्मक ढंगका है। लोगोंसे वह कोई रचनात्मक काम नहीं करा सकते। मुझे कोई लिखित संविधान नहीं मिला। यदि खादी भण्डारके पतेको ही इसका कार्यालय न मानें तो समझिए कि कमेटीका अपना कोई कार्यालय भी नहीं है। कार्यालयमें कोई कर्मचारी नहीं है। नाममात्रके करीब ८०० सदस्य हैं जिनमें

१. यह रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको २७ मार्च, १९२९ को प्राप्त हुई थी।

बर्मी लोगोंकी संख्या १० से अधिक नहीं है। अधिकांश सदस्य रंगूनके भारतीय हैं। अक्याबमें एक जिला कांग्रेस कमेटी है, लेकिन वह भी बस नाममात्र की। १९२१ में यहाँ कांग्रेसके ५,६०० सदस्य और १४ ताल्लुका कमेटियाँ थीं।

कमेटीका जो भी हिसाब-किताब है उसका खाता एक योग्य गुजराती व्यापारी द्वारा बहुत अच्छे ढंगसे रखा जाता है। हिसाब-किताबके लेखेकी एक नकल इसमें संलग्न कर रहा हूँ। पुस्तकें देखीं। वे अच्छी और साफ-सुथरी स्थितिमें हैं।

यहाँ एक खादी भण्डार है जो अखिल भारतीय चरखा संघके तत्वावधानमें बिना घाटा उठाये चल रहा है। कांग्रेसके नामपर इस भण्डारके रूपमें ही एकमात्र ठोस और रचनात्मक कार्य हो रहा है। लेकिन इस भण्डारमें भी बहुतसे लोग सक्रिय दिलचस्पी ले रहे हों, ऐसी बात नहीं है। इसके चलनेका यह भी कारण है कि इसके पीछे व्यावसायिक योग्यता काम कर रही है। रंगूनमें और अन्य स्थानोंपर ऐसे भारतीयोंकी संख्या काफी है जो केवल खादी ही पहनते हैं।

बर्माके पृथक्करणकी माँगसे बर्मी तथा भारतीयोंके बीच एक खाई पैदा हो गई है। बर्मी लोगोंका यहाँ एक ऐसा दल है जो पृथक्करणके विरुद्ध है। अपने लोगोंको मैंने सलाह दी है कि वे किसी पक्षकी तरफदारी न करें और इस प्रश्नको बर्मी लोगोंको ही तय करने दें। एक विचित्र किन्तु सत्य बात यह है कि एक भारतीय दलने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी माँग की है। भारतीय लोग बिना बाकायदा विवाह किये बर्मी औरतोंके साथ जो अवैध सम्बन्ध रखते हैं, उसके प्रति बर्मी लोगोंमें बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतनाके साथ ही रोषभाव भी पैदा हो रहा है।

मो० क० गांधी

संलग्न १

[अंग्रेजीसे]

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी फाइल नं० १५१, १९२९।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१६८. अनुकूल व्यापारका थोथा तर्क

कुछ दिन हुए हंगरीके एक प्रोफेसरने मुझसे पूछा कि जब भारतको आयात-निर्यातके व्यापारमें हर साल लाभ हो रहा है तब मेरा यह कहना कहाँतक ठीक है कि भारतकी गरीबी दिनोदिन बढ़ रही है। अध्यापक महाशय भारतके शहरोंसे आगे नहीं बढ़े थे और उनकी जानकारीका आधार स्वभावत सरकारी आँकड़े थे। इन आँकड़ोंसे प्राप्त उनकी जानकारीको ऊपर-ऊपरसे समृद्धिशाली दिखाई देनेवाले उन-उन शहरोंकी छापने और भी दृढ़ कर दिया, जहाँ वह गये थे।

इन विद्वान अध्यापकने जो प्रामाणिक शंका उठाई है, वैसी शंका सम्भवत उन कई लोगोंके दिलमें भी है, जो रूढ अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तोंका उतने ही रूढ ढंगसे

अध्ययन करते हैं। इस कारण यहाँ अध्यापक महाशयको मैंने जो उत्तर दिया था उसका साराश दे देना अनुचित नही होगा। मैंने दलील देते हुए कहा कि मान लीजिए कि कोई देश ऐसे लोगोकी मिल्कियत है जो गुलामोके मालिक हैं और जो अपने गुलामोसे बेगार करवाकर अनाज और दुनियाके काम आनेवाली दूसरी कई चीजे पैदा करवाते है, जो गुलामोको इतनी थोडी मजदूरी देते हैं कि वे बेचारे मुश्किलसे अपना पेट भर पाते है, लेकिन खुद उन गुलामो द्वारा पैदा की गई चीजोसे देश-विदेशमे व्यापार करके खूब मुनाफा कमाते हैं, और यह भी मान लीजिए कि इस देशसे अनाज तथा अन्य वस्तुओका निर्यात देशमें आनेवाली वस्तुओके आयातसे ज्यादा है। ऐसी हालतमे ऊपर-ऊपरसे तो व्यापार देशके अनुकूल जान पडेगा, लेकिन यह अनुकूल व्यापार उस देशकी जनताकी आम खुशहालीका माप नही होगा। उस देशमें आयात-निर्यात व्यापारकी अनुकूल स्थितिके साथ-साथ ही आम जनताकी बढ़ती हुई गरीबी और दर्दनाक पामाली भी रह सकती है। मैंने अध्यापक महाशयसे कहा कि ऊपर हमने जिस गुलाम देशकी कल्पना की है, भारतकी हालत उससे भिन्न नही है। इस कारण मैंने उनसे कहा कि इस लगातार अनुकूल व्यापारके भेदको समझनेके लिए भारतके कुछ आम गाँवोकी अवस्थाका अध्ययन करना और गाँव-वालोकी हालतको अपनी आँखो देखना जरूरी है। मैंने फिर कहा कि भारतका अनुकूल व्यापार देहातके गरीबोके किस कामका है, जबकि वे उससे कोई लाभ नही उठा पाते और जैसा कि मै कहता हूँ, उन्नति करनेके बदले उनकी दशा दिन-दिन गिरती जाती है।

स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीने प्रामाणिक आँकड़ो द्वारा यह बखूबी साबित कर दिखाया था कि किस तरह विदेशी शासकोके कारण भारतका धन हर साल विदेशोमें बहा चला जा रहा है। ये विदेशी शासक नाम-मात्रके लिए अपने भौतिक शरीरसे भारतमें भले ही रहते हो, इनका सच्चा राजसी जीवन तो भारतके बाहर विदेशोमें बडे मौजसे बीतता रहता है। भारतका अनुकूल व्यापार और कुछ नही, एक लगातार खून चूसनेवाली प्रक्रिया है, और एक ऐसे शासनको कायम रखनेका साधन है, जो जनताकी सहानुभूतिसे वचित है और इस कारण गैरमामूली तौरपर धन-व्यय करके जबर्दस्ती इस देशमें बना हुआ है और इस धनका अधिकाश भाग भारतसे बाहर चला जाता है।

स्वय अर्थशास्त्रियोने सच ही कहा है कि आँकड़ोके द्वारा दो परस्पर-विरोधी बातें सही सिद्ध की जा सकती है। इस कारण जो बुद्धिमान पुरुष किन्ही पूर्व-निश्चित प्रमेयोको केवल किसी तरह सिद्ध कर देनेकी दृष्टि नही रखता है, बल्कि जिसका एकमात्र ध्येय सत्यकी खोज करना है, उसका कर्त्तव्य है कि वह आँकड़ोकी तहमे जाये और उनसे सिद्ध होनेवाली बातोकी स्वतन्त्र रूपसे जाँच करे। बेशक किसी नदीकी औसत गहराई जान लेना अच्छा है, लेकिन जिस आदमीको तैरना नही मालूम है, वह अगर यह पता पाकर कि नदीकी औसत गहराई उसकी ऊँचाईसे कम है, उसे पैदल पार करने चले तो बहुत सम्भव है कि उसे जल-समाधि लेनी पड़े। इसी तरह जो आदमी कोरे दिखावटी आँकड़ोंपर विश्वास करता है, लोगोको

उसकी बुद्धिमत्तापर विश्वास नही रह जाता। जिस तरह नदीको पैदल पार करनेवाले आदमीको उसकी कमसे-कम और ज्यादासे-ज्यादा गहराई अच्छी तरह जान लेनी चाहिए उसी तरह आँकडोका सही उपयोग करनेकी इच्छा रखनेवाले आदमीको आँकडोके इस सार-सक्षेपकी तहमे जो वास्तविक आँकडे होते है उन्हे और उनके उपयोगके तरीकेको जान लेना चाहिए। लेकिन सामान्य आदमीके पास न तो इतना समय होता है और न इतनी योग्यता ही होती है कि वह आँकडोके गोरखधन्धेका अध्ययन कर सके। उसके लिए तो देशकी हालतको जाँचनेकी सच्ची कसौटी गाँवोका आँखो-देखा अनुभव है। इस तरहके अनुभवको आँकड़ोकी कोई भी करामात झूठा नही साबित कर सकती।

भारतका आँखो-देखा तजुर्बा रखनेवालोने, जिनमें ऐसे कई अग्रेज अधिकारी भी शामिल है, जिनका स्वार्थ ही इस बातमें है कि वे कोई विरोधी बात ढूंढ पाये तो अच्छा, इस बातको कबूल किया है कि ब्रिटिश शासनमे भारत दिन-दिन गरीब होता जा रहा है। आप देहातमे जाकर जरा देखिए, गाँववालोके चेहरोपर निराशा और दुखकी छाया ही आपको नजर आयेगी। वे और उनके मवेशी, दोनो पूरा भोजन नही पाते। मृत्युसख्या सपाटेसे बढ़ रही है। उनके शरीरमे रोगसे लडनेकी ताकत नही है। यह तो जानी हुई बात है कि मलेरिया कोई खतरनाक बीमारी नही है, बशर्ते कि मरीजको कुनैन और शुद्ध दूध पीनेको मिलता रहे। फिर भी हर साल हजारो देहाती मलेरियाकी भेट होते रहते है। कुनैन उनको भले ही दे दी जाती हो, लेकिन बीमारीकी कमजोरीसे छुटकारा पानेके लिए उन्हे दूध कही भी नही मिल सकता। उनकी कर्जदारी बराबर बढ़ रही है। यह कहना सत्यका जघन्य अपलाप है कि ब्याह वगैरामें फिजूलखर्चीके कारण वे कर्जदार होते जा रहे है। ये कोई नये खर्च नही है जो कोई आज नये सिरेसे उनकी गरीबीको बढा रहे हो। धन जमा करने और चाँदीके सिक्कोके गहने बना लेनेकी कथाएँ तो कोरी कल्पनाएँ है। करोडो लोगोके पास सोने-चाँदीके गहने न कभी थे और न आज ही है। स्त्रियाँ लकडी और यहाँतक कि पत्थरकी भोडी चूड़ियाँ और अँगूठियाँ पहनती है और इन्हे पहननेसे उनको स्वच्छद अग-संचालनमे बाधा पड़ती है, यही नही उनकी तन्दुरुस्तीको भी नुकसान पहुँचता है। गाँववालोंमे निरक्षरता तो बढ़ती ही जा रही है। ये सब चीजे देशकी बढ़ती हुई समृद्धिके लक्षण कदापि नही है।

आइए, अब हम देशके आयात-निर्यातकी हालतपर थोडा विचार करें। १९२७-२८मे देशसे ३०९ करोड रुपयोंका माल बाहर भेजा गया और २३१ करोडसे अधिक रुपयेका माल विदेशोसे देशमें आया। जो चीजे बाहर भेजी गई उनमें कच्चा माल, जैसे, कपास, अनाज, तिल, मूंगफली वगैरा, कच्चा और कमाया हुआ चमडा, कच्ची और पक्की धातुएँ आदि मुख्य है। अगर हमारे पास इस कच्चे मालका उपयोग करनेके लिए आवश्यक हुनर होता और लगानेको पर्याप्त पूँजी होती अथवा हमारी अपनी एक सरकार होती जो इस तरहका हुनर और पूँजी हमारे लिए उपलब्ध करना अपना कर्त्तव्य समझती, तो यह कच्चा माल भारतमे ही रहता। भारतके निर्यातकी

कथा हमारी बेबसीकी कथा है और वह बतलाती है कि सरकार लोकहितके प्रति कैसी घोर उदासीनता बरतती है।

जो चीजें विदेशोंसे भारतमें आती हैं उनमें ६५ करोड़का सूती कपड़ा, ४ करोड़का नकली रेशम, १८ करोड़की शक्कर, २३ करोड़की धातु और धातुसे निर्मित वस्तुएँ, ५ करोड़की मोटर गाड़ियाँ, ३ करोड़की शराब और लगभग २ करोड़की सिगरेटें शामिल हैं। इन वस्तुओंका आयात भी हमारी बेबसीकी उसी दर्दनाक कथाको दोहराता है। स्वस्थ रूपसे प्रगति कर रहे किसी देशमें ऐसी ही वस्तुओंका आयात होना चाहिए जिसकी देशको अपनी अभिवृद्धिके लिए आवश्यकता हो। विदेशोंसे आने-वाली जिन चीजोंके नाम मैं ऊपर गिना गया हूँ वे हमारी उन्नतिके लिए आवश्यक नहीं हैं। शराब और सिगरेट हमारे पतनमें सहायक होती हैं। सूती कपड़ेका सबसे अधिक आयात किया जाता है और इससे हमारी शर्म और हमारी फटेहालीका पर्दा-फाश हो जाता है। इनसे हम समझ सकते हैं कि जब भारतमें लोग घर-घर अपने हाथों कपड़ा बनाया करते थे उस समय हमारे देहातोंकी दशा कितनी अच्छी रही होगी। किसानोंको उनके बेकारीके दिनोंमें काम देनेवाला सिवा चरखेके और कौन-सा साधन है? ये देहाती लोग कमजोर विदेशी कपड़ेपर जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं उसको देशसे बाहर जानेसे रोकनेका और कौन-सा जरिया है? जो लोग इस तरह अपना धन विदेशोंमें भेज रहे हैं, उनका दिन-दिन गरीब और असहाय होना एक निश्चित बात है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-३-१९२९

१६९. विधान-सभाओंमें खादी

विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार-योजनाकी उस धाराको प्रभावशाली बनानेके लिए, जो विधानसभाओं द्वारा खादीकी रक्षा करने तथा उसे लोकप्रिय बनानेकी अपेक्षा रखती है, श्री राजगोपालाचारी किसी युक्तिकी खोजमें लगे हुए हैं और इस काममें वे अपनी कानूनी प्रवीणताकी मदद ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने विधेयकका नीचे लिखा मसविदा कांग्रेसाध्यक्षको विचारणार्थ भेजा है:

> चूँकि 'खद्दर' और 'खादी' का तात्पर्य उस सूती कपड़ेसे है जो भारतमें हाथसे काता और बुना जाता है;
>
> और चूँकि इन कथित नामोंको बनाये रखना वांछनीय है; इसलिए निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:
>
> १. इस अधिनियमको भारतीय खद्दर (नाम सुरक्षा) अधिनियम १९२९ कहा जाये।
>
> २. इस अधिनियमके अनुसार 'खद्दर' और 'खादी' का अर्थ सूतके उस कपड़ेसे है जो भारतमें हाथसे काता और बुना गया हो।

३. 'खद्दर' और 'खादी' नामसे अंग्रेजी अथवा भारतकी किसी भी भाषामें चूंकि भारतमें हाथसे कते-बुने सूती कपड़ेका ही अर्थ निकलता है लिए मरकंडाइज मार्क्स ऐक्ट ४, १८८९ के अन्तर्गत इसे इसकी व्यापारिक परिभाषा माना जाये।

उद्देश्य और हेतुकी व्याख्या

हालके वर्षोंमें, इस देशके कृषक वर्गमें, जिन्हें एक अतिरिक्त आयके साधनकी जरूरत पड़ती है, कपासके हाथसे कातने और बुननेका एक पूरक धन्धेके रूपमें पुनः प्रचलन करने तथा उसे लोकप्रिय बनानेमें जो सफलता मिली है उसके पीछे उन सम्पन्न वर्गोंकी देशभक्तिकी भावनाका बहुत-कुछ हाथ रहा है जो त्यागकी भावनासे खादी खरीद रहे हैं। भारत तथा विदेशोंमें नकली खद्दरके उत्पादक इस स्थितिका फायदा उठाने लगे हैं और जो उद्योग आसानीसे राष्ट्रीय उद्योगका स्थान ले सकता है उस उद्योगको हानि पहुँचानेके लिए ग्राहकोंको खुले आम गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मरकंडाइज मार्क्स ऐक्ट, १८८९ के अन्तर्गत 'खद्दर' और 'खादी' नामोंको, जिसका तात्पर्य केवल हाथ-कते और हाथ-बुने कपड़ेसे ही है, जो सुरक्षा प्रदान की गई है, यह विधेयक उसकी सीमाको बढ़ाना चाहता है। मात्र इसी कपड़ेके लिए इन नामोंके एकान्तिक प्रयोगसे दूसरे किसी प्रकारके कपड़ेके प्रामाणिक उत्पादकों या वितरकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता।

विधेयक छोटा और प्रभावशाली है। अगर यह कानून बन गया तो यह उन अदेशभक्त-मिल मालिको और विदेशियोपर, जो मोटा कपडा तैयार करते हैं और इनपर खादी अथवा खद्दरका लेबिल लगाकर बेचते है, तुरन्त रोक लगा सकता हैं। ऐसे लोगोने नकली खादीका व्यापार किस कदर बढा-चढा लिया है, मैं इस सम्बन्धमे आँकडे पहले ही दे चुका हूँ।[1] असम परिपदने एक ऐसा प्रस्ताव पहले ही सफलतापूर्वक पास कर रखा हैं जिसमे स्थानीय सरकारसे कहा गया है कि वह कपडेकी अपनी सारी खरीदारी असली खादीमे ही करे। आशा है सदस्यगण उस समयतक आरामसे नही बैठेंगे जबतक प्रस्ताव व्यवहारमे नही आ जायेगा। और वे इस बातका भी ध्यान रखेंगे कि सरकार मिलकी खादी न खरीदने पाये। अगर विधानसभाओंके सदस्यगण रचनात्मक कार्योंके प्रति सतर्क रहे तो वे विदेशी वस्त्र तथा शराब और अफीम दोनोके बहिष्कारका हरदम खयाल रख सकते है। अगर सभी सदस्य पूर्ण नशाबन्दी चाहे और इसके लिए प्रयत्न करे तो कोई कारण नही है कि हम इस काममे सफल न हो।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-३-१९२९

१. देखिए खण्ड ३६, पृष्ठ २०२-३ और ३२१-२२।

१७०. पत्र : बहरामजी खम्भाताको

२९ मार्च, १९२९

भाईश्री खम्भाता,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैं वहाँ पाँच तारीखको पहुँच तो जाऊँगा; फिर भी कोई दूसरा दिन तय करना ही ठीक लगता है। मुझसे बम्बईमें मिल ले।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६५९३)की फोटो-नकलसे।

१७१. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे[1]

अहमदाबाद
२९ मार्च, १९२९

श्री गांधीने कहा कि मुझे इस बातका यकीन नहीं होता कि जुर्मानेकी रकम बंगाल कांग्रेस कमेटीने अथवा उसकी तरफसे किसी औरने भरी थी। इस संसारमें मैं किसी भी वस्तुको अपना नहीं कह सकता जिसके बूतेपर मैं जुर्माना भर सकूँ। जुर्मानोंके बारेमें मेरा अपना निश्चित मत है। श्री सेनगुप्त इस मतसे परिचित थे, इसीलिए जिस किसीने भी जुर्माना भरा है वह मेरा मित्र तो हो ही नही सकता।

[अंग्रेजीसे]
अमृतबाजार पत्रिका, ३०-३-१९२९

१७२. भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद, मोरवीमें[2]

३० मार्च, १९२९

मेरे बिना इस परिषदका आयोजन न हो सकनेकी बात ठीक हो तो यह मेरे लिए शर्मकी बात है। मैं आऊँ ही, शासकोंके लिए ऐसी इच्छा करना शर्मकी बात नही है, किन्तु यह उनके अविश्वासकी सूचक है, और सचालकोंके लिए तो यह अवश्य ही लज्जाजनक है। काठियावाडका निवासी होनेके नाते मैं सहज ही चला आऊँ, इतना

१. एसोसिएटेड प्रेसके एक प्रतिनिधिने गांधीजीसे यह पूछा था कि क्या यह बात सच है कि चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटने उनपर जो जुर्माना किया था उसकी रकम बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी ओरसे एक वकील साहबने भरी थी।

२. पाँचवी काठियावाड परिषद वल्लभभाई पटेलकी अध्यक्षतामें मोरवीमें हुई थी।

तो समझा जा सकता है। किन्तु मेरा आना अनिवार्य मानकर मेरी सुविधा देखकर परिषदका आयोजन किया जाये तो यह मेरे लिए लज्जाकी बात है। इस स्थितिको अब समाप्त कर ही दिया जाना चाहिए। यदि मेरी उपस्थितिके बिना परिषदका काम न चल सकता हो तो परिषदका आयोजन ही न किया जाये, यही बेहतर है। यह मै कह रहा हूँ; किन्तु दुखकी बात तो यह है कि यहाँ उपस्थित युवक इस प्रकार नही सोचते। उनसे तो मैंने कहा है कि आप इस प्रवृत्तिकी निन्दाका प्रस्ताव रखें, मैं उसका अनुमोदन करूँगा। देवचन्द भाईकी भी बुरी आदत छुडानेका प्रयत्न मैं कर ही रहा हूँ। उन्हे भी मैं यही समझाना चाहता हूँ कि वे यह सोचकर लाचारीका अनुभव न करें कि मेरे विना परिषद हो ही नही सकती। यदि हम जनताको सगठित करना चाहते हों तो चाहे कितना ही प्रतिष्ठित, कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति क्यो न हो, उसके बिना काम चलानेकी शक्ति हममें होनी चाहिए। आत्मा तो एक है, यह सभी मानते हैं। और सभीकी आत्मामें ऐसी गुप्त शक्ति है कि उसे जब चाहे जागृत किया जा सकता है और हम शक्तिशाली बन सकते हैं। यह समझ लेनेपर ही हम प्रजासत्तात्मक राज्य प्राप्त कर सकते हैं। किचनर चल बसा तो राजकाज बन्द नही हुआ, राज्य समाप्त नही हो गया, युद्ध बन्द नही हुआ — उसका स्थान दूसरे व्यक्तिने ले लिया। ग्लैड्सटन गया तो भी राजकाज बन्द नही हुआ। प्रजामें यह विश्वास रहना चाहिए कि हम चाहे जितने ग्लैड्सटन पैदा कर सकते हैं।

इस प्रस्तावसे[1] हमें लाभ ही हुआ है। इसमें हमारी मानहानि नही अपितु मानवृद्धि ही है। उससे हमने रियासतोकी भी सेवा की है। यदि हम उन लोगोमें हों जो यह सोचते है कि रियासतोको सुधारा ही नही जा सकता और उनका नाश ही होना चाहिए तो फिर यह सेवा हमें अवश्य ही अखरेगी। प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यक्ति गम्भीर अध्ययनके बाद इसी निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि ये रियासतें और उनके शासक इतने खोखले हो चुके हैं कि उनमें कुछ सुधार किया ही नही जा सकता। ऐसा विचार रखनेवाले लोगोकी संख्या बढती जा रही है। इसके कारण है। कुछ कारण तो शासकोंने जानबूझकर दिये है और कुछ कारण आजकल फैली हुई अराजकताके कारण खडे हुए हैं। मुझे भी यह अराजकता प्रिय है। किन्तु मेरी अराजकतामें एक प्रकारकी व्यवस्था है। मेरी अशान्तिमें भी एक प्रकारकी शान्ति है। किन्तु मेरे मित्र इस बातको स्वीकार नही करते। अराजकतापूर्ण और विप्लवी विचार रखनेपर भी मैं यह मानता हूँ कि इन रियासतोंमें सुधारकी गुंजाइश है। यदि मैं यह मानने लगूँ कि इन रियासतोंमें सुधार नही हो सकता और इनको नष्ट ही कर देना चाहिए तो मैं परिषदमें भाग लेना बन्द कर दूँ, क्योंकि मैं जिसके नष्ट होनेकी इच्छा करूँ उसकी विनती क्यों करूँ? मैं उनको लाठी दिखाकर नही, बल्कि उनसे प्रेमपूर्वक काम लेना चाहता हूँ। मैं तो ब्रिटिश सरकारके साथ भी प्रेमपूर्वक ही पेश आना चाहता हूँ; किन्तु उसे प्रेमसे नष्ट कर देना चाहता हूँ। बहुत-से अंग्रेज मेरे मित्र हैं; मैं उन्हें नही, उनकी शासन-व्यवस्थाको समाप्त कर देना चाहता हूँ। इस

१. कुछ शर्तोंपर परिषदका आयोजन करनेके सम्बन्धमें पोरबन्दरमें पास किया गया प्रस्ताव।

लिए मैं उनकी विनती नही करता। रियासतोकी बात दूसरी है। यह स्थिति देखते हुए जो मर्यादा हमने बाँधी है उसमे कोई मानहानि नही है। वह एक सुन्दर वृक्ष है, उसमें से सुन्दर फल निकलेगा। इससे राजाओकी सेवा होगी क्योकि वे तो पराधीन है। उनकी पराधीन अवस्थाको पहचानकर हम अपनी मर्यादाकी रक्षा करे और उन्हे कठिन स्थितिमे न डालें। हमारे आजके प्रस्ताव दोनो दलोंके हितमें होने चाहिए। यदि ये प्रस्ताव राजा-प्रजा दोनोके हितकी रक्षा करनेवाले हो तभी हम शान्तिसे अपना काम कर सकेंगे। यदि आपका मन पोरबन्दरके वाद डाँवाडोल हो गया हो तो मैं यही कहूँगा कि आप शान्त रहे। मर्यादाका पालन करते हुए आप खूब काम कर सकेंगे, ऐसा मै मानता हूँ। . . .

आप लोगोने कितना काता है, चरखेका कितना प्रचार किया है, कितनी खादी उपयोगमे लाये है? अमरेलीकी खादीके लिए मुझे कलकत्तेमें ग्राहक ढूँढने पडे, यह कितनी शर्मकी बात है। आप २५ लाख किसानोंके प्रतिनिधि बनकर यहाँ आये है, तो प्रतिनिधिके रूपमें आपने क्या किया है? यदि आप सचमुच कुछ करना चाहते है तो रचनात्मक काम करके ही आपका छुटकारा हो सकता है, नही तो आपको परिषदका रूप ही बदलना पडेगा। राजनीतिक परिषद जैसी परिषदमें तो हमें सत्यसे काम लेना चाहिए; इसके बदले हम कृत्रिमता और असत्यसे काम ले तो कितने खेदकी बात है। अन्त्यजोके लिए मूलचन्दको सिर्फ मुट्ठीभर पैसा चाहिए। यदि उसके लिए भी उसे मेरे पास आना पड़ेगा तो कितने शर्मकी बात है। दो-चार हजार रुपये कोई बड़ी रकम नही है। मै कुछ कहूँ या सरदार माँग करे तो यह सारी रकम आ जानी चाहिए। यह काम करनेके लिए चरित्रवान नवयुवकोकी आवश्यकता है। यदि आप यह और दूसरे ऐसे काम करेंगे तो आपकी राजनैतिक शक्ति बढेगी। हम राजनीतिक काम न करें तो परिषदको राजनीतिक परिषदके नामसे क्यो बुलाये? चरखा परिषद या लोक-सुधार परिषद आदि कोई गुणवाचक नामसे बुलायें। आप कोई भी काम क्यों न करे, २५ लाख किसानोपर तो आपको विजय प्राप्त करनी ही है; यह उन्हे प्रेमकी डोरीसे बाँध कर ही सम्भव है। वल्लभभाईने क्या किया? ब्रिटिश सल्तनतके समूचे इतिहासमें जब उसका जोर सबसे ज्यादा था तब एक व्यक्तिने सरकारसे एक करोड़ व्यक्ति अपने हाथमे कर लिये और उनकी व्यवस्था भी खुद सँभाली। बारडोलीमें गवर्नरने जोरदार धमकियाँ दी, परन्तु वल्लभ-भाई अपनी बात पूरी करके ही रहे। वल्लभभाई भी तो हमारे-तुम्हारे जैसा मनुष्य ही है, लेकिन वह किसान बना, बारडोलीके सुख-दुखका भागी बना, उनके इशारों पर चला। इसलिए किसान आज वल्लभभाईके इशारेपर चलते है। फिर भी हम यह न भूले कि बारडोलीकी चाभी चरखा ही था। सभी प्रकारकी राजनैतिक चर्चा कर ली और काम हो गया, ऐसा नही है। आप यह मिथ्या विचार भी मनसे निकाल दे कि राजाओके दोषोका बखान करनेसे काम चल जायेगा। दक्षिण आफ्रिकामे मैने राजनीतिकी बात नही की। चम्पारनमें कांग्रेसका नाम भी नही लिया; किन्तु आज वहाँ कांग्रेसका सबसे ज्यादा काम हो रहा है। हम बड़े-बड़े भाषणोसे शासकोको डराना चाहे तो बात नही बनेगी। उससे तो बच्चोका मनोरंजन भी नही होगा। अव्यवस्था

फैलानेसे राज्य हाथमें आता हो तो दूसरी बात है। अगर आप यह मानते हो कि हमारे उत्तेजित होनेसे अव्यवस्थासे डरकर कोई मूर्खतामें पड़कर हमारी माँगें स्वीकार कर लेगा तो मेरा भाषण देना बेकार है और आपका उसे सुन लेना बेकार है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ७-४-१९२९

१७३. सन्देश: काठियावाड़ व्यापारिक परिषदको

[३१ मार्च, १९२९से पूर्व][1]

काठियावाडके व्यापारियोंको यह बात प्रमाणित कर दिखानी चाहिए कि व्यापारमें भी परोपकारकी गुंजाइश होती है।

[अंग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, ६-४-१९२९

१७४. अहिंसा बनाम दया

नीचे लिखा पत्र बहुत समय पहलेसे मेरे पास पड़ा था। सोचा था कि फुरसत मिलनेपर इसका उत्तर दूँगा। आज जहाजपर थोड़ी फुरसत मिली है। पत्र संक्षेपमें इस तरह है:[2]

पत्र-लेखककी भावना सुन्दर है, लेकिन मेरे विचारमें उनका अहिंसाका अनुभव और अध्ययन कम है। अहिंसा और दयामें उतना ही भेद है जितना सोनेमें और सोनेके गहनोंमें, बीजमें और वृक्षमें। जहाँ दया नहीं वहाँ अहिंसा नहीं। दया अहिंसाकी कसौटी है, अहिंसाका मूर्त रूप है। अतः यों कह सकते हैं कि जिसमें जितनी दया है, उसमें उतनी ही अहिंसा है। मुझपर आक्रमण करनेवालेको मैं न मारूँ, उसमें अहिंसा हो भी सकती है और नहीं भी। डर कर उसे अगर न मारूँ तो वह अहिंसा नहीं हो सकती। दयाभावसे ज्ञानपूर्वक न मारनेमें ही अहिंसा है।

जो बात शुद्ध अर्थशास्त्रके विरुद्ध हो वह अहिंसा नहीं हो सकती। जिसमें परमार्थ है वही अर्थशास्त्र शुद्ध है। अहिंसाका व्यापार घाटेका व्यापार नहीं होता। अहिंसाके दोनों पलड़ोंका जमाखर्च शून्य होता है। यानी उसके दोनों पलड़े समान होते हैं। जो जीनेके लिए खाता है, सेवा करनेके लिए जीता है, केवल जीवन-निर्वाह

1. परिषद् ३१ मार्चको मोरवीमें हुई थी।
2. यहाँ नहीं दिया गया है। लेखकने कहा था कि गांधीजी कई बार 'दया'के बदले 'अहिंसा' और 'अहिंसा'के बदले 'दया' शब्दका प्रयोग करते हैं। उससे गलतफहमी हो सकती है। उसने यह भी कहा था कि गांधीजी अहिंसाको अर्थ-शास्त्रसे जोड़ते हैं, जब कि ये दोनों तत्त्व परस्पर विरोधी हैं।

करनेके लिए कमाता है वह काम करते हुए भी अकर्मा है; वह हिंसा करते हुए भी अहिंसक है। क्रियाहीन अहिंसा आकाश-कुसुमके समान असम्भव है। क्रिया हाथ-पैरसे ही होती हो, सो नही। मन हाथ-पैरकी अपेक्षा बहुत ज्यादा काम करता है। विचार-मात्र क्रिया है। विचार-रहित अहिंसा हो ही नही सकती। शरीरधारी मनुष्यके लिए ही अहिंसा धर्मकी कल्पना [आदर्शके रूपमें] की गई है।

सर्वभक्षी जब दयासे प्रेरित हो कर भक्ष्य पदार्थोकी मर्यादा निश्चित करता है तब उस हदतक वह अहिंसा धर्मका पालन करता है। इसके विपरीत, जो रूढिके कारण मासादि नही खाता, वह अच्छा तो करता है, लेकिन यह नही कहा जा सकता कि उसमे अहिंसाका भाव है ही। जहाँ अहिंसा है वहाँ ज्ञानपूर्वक दया होनी ही चाहिए।

अगर अहिंसा धर्म सच्चा धर्म हो तो हर तरह व्यवहारमे उसके आचरणका आग्रह करना भूल नही, बल्कि कर्त्तव्य है। व्यवहार और धर्मके बीच विरोध नही होना चाहिए। धर्म-विरोधी व्यवहार छोड देने योग्य है। सब समय, सब जगह, सम्पूर्ण अहिंसा सम्भव नही है, यो कह कर अहिंसाको एक ओर रख देना हिंसा है, मोह है और अज्ञान है। सच्चा पुरुषार्थ तो इसमें है कि हम अपने आचरणमे सदा अहिंसाका पालन करे। इस तरह आचरण करनेवाला मनुष्य अन्तमें परमपद प्राप्त करेगा, क्योकि वह सम्पूर्णतया अहिंसाका पालन करने योग्य बनेगा। और यो तो देहधारीके लिए सम्पूर्ण अहिंसा बीज-रूप ही रहेगी। देहधारणके मूलमें हिंसा है, इसी कारण देहधारीके पालने योग्य धर्मका सूचक शब्द निषेधवाचक अहिंसाके रूपमे प्रकट हुआ है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३१-३-१९२९

१७५. बर्मावासी गुजरातियोंके नाम

जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसा प्रेम मिलता है कि उसका वर्णन नही कर सकता। लोगोकी अपार भीड, वैसा ही उत्साह, वैसी ही पैसोकी वर्षा! इसलिए ईश्वरपर मेरा विश्वास बढता जाये, चरखेकी शक्ति मुझे ज्यादा दिखाई दे, तो इसमे विचित्र क्या है? यदि लोगोंके मनमे मेरी किसी दूसरी शक्तिके प्रति श्रद्धा हो तो वे मुझे चरखेके लिए धन क्यो दे? यदि मै लोगोसे चरखा बनानेके बजाय छुरी बनानेके लिए भिक्षा माँगूँ तो वे मुझे कभी दान न दे।

मेरा बर्मामे एक मास रहनेका विचार था। किन्तु इस वर्ष मै इस तरह व्यस्त रहा हूँ कि जितना समय दिया उससे ज्यादा देना सम्भव ही नही था। इसलिए कई स्थानोपर नही जा सका, हजारो लोगोको निराश करना पडा और उसी अनुपातसे दरिद्रनारायणकी झोली खाली रही।

इस लेखमें सभी संस्मरण लिखनेकी मेरी इच्छा नही है। वह तो महादेव और प्यारेलाल लिखेंगे। मैं तो उस बातका उल्लेख-भर करना चाहता हूँ, जिसके सम्बन्धमे लिखना मुझे जरूरी लगता है।

मुझे ब्रह्मदेशके लोग भोले, सादे और विश्वासी जान पडे। वहाँकी स्त्रियोको जितनी स्वतन्त्रता प्राप्त है उतनी संसारकी अन्य स्त्रियोको नही है। इस स्वतन्त्रताके परिणामस्वरूप उनमें कुछ बुराई आई हो, ऐसा मुझे नही लगा। उनकी आँखोमे शील है। हो सकता है उनके कई रिवाज हमे अच्छे न लगे। उनकी विवाह-पद्धति कुछ ढीली लग सकती है, किन्तु इसमे स्त्रियोका कोई दोष नही है। उन्हे अपवित्रता छू तक नही गई है।

मुझे लगता है कि भारतीय इन भोली स्त्रियोके भोलेपनका लाभ उठाते हैं। बर्माके शिक्षित लोगोको वहाँकी स्त्रियोके प्रति भारतीयोका व्यवहार अच्छा नही लगता। यदि भारतीय बर्माकी किसी लडकीके साथ विधिवत विवाह करे तो उन्हे इसमे कोई दु ख नही होता, किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उन्हे विषयभोगका साधन-मात्र मानते है उनसे वे लोग चिढते हैं। भारतीयोंको इस सम्बन्धमे अपना व्यवहार पूरी तरह शुद्ध रखनेकी आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि जो ऐसा व्यवहार करनेके दोषी है, 'नवजीवन' उनतक नही पहुँचता। यदि पहुँच भी जाये तो वे उसे पढते नही है। और कभी संयोगवश उसे पढ लेते हो तो क्रुद्ध होकर या बिना सोचे फेंक देते होगे। किन्तु जो यह लेख पढे, जिन्हे उपर्युक्त अनुभव हो, यदि वे ऐसे मलिन सम्बन्ध रखनेवाले किसी भारतीयको जानते हो तो उसे जागृत करनेका प्रयत्न करेंगे, इसी आशासे मैंने यह चेतावनी दी है।

दूसरे प्रान्तोकी तरह बर्मामे भी कांग्रेसका काम नाममात्रका ही चल रहा है। वहाँ उसके सदस्योकी नियमित सूची नही है। जो नाम दर्ज है उन्हे भाई मदनजीतने ही दर्ज किया था। नाम दर्ज करानेवालेका कांग्रेससे सम्बन्ध चार आने देनेके साथ ही शुरू होता है और उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। कांग्रेसके नामसे अखिल भारतीय चरखा सघकी मारफत चलाये जा रहे खादी भण्डारके अलावा और कोई रचनात्मक काम नही किया जा रहा है। इस तरह जो लोग नाम-मात्रके सदस्य है वे भी केवल भारतीय ही है, यह कहे तो वह गलत नही होगा।

यह दयनीय स्थिति बदली जानी चाहिए। यह अकेले मदनजीत या किसी दूसरे एक व्यक्तिका काम नही है। उसमे सबको रुचि लेनी चाहिए। कोई ऐसा रचनात्मक काम खोज लेना चाहिए जो बर्मामे चल सके।

कांग्रेसके कामके बारेमे एक अच्छी बात भी दिखाई दी। उसका हिसाब-किताब ठीक है और उसकी जाँच होती है। भण्डारके पास धन तो कम ही है किन्तु जितना है उसका पाई-पाईका हिसाब उसके पास है।

मैं खादी भण्डार देखने तो नही जा सका, किन्तु कह सकता हूँ कि यदि उसे पूरा-पूरा प्रोत्साहन मिले तो उसके विकासकी काफी गुजाइश है। यदि कोई खादी-प्रेमी बर्मामे जाकर बसना चाहे और उसे खादीके निर्माणकी जानकारी हो तो वहाँ उसका काम चल सकता है। बर्माके दूसरे गाँवोके व्यापारी अपने यहाँ थोड़ी-बहुत

खादी रखें और खादी-प्रेमियोकी आवश्यकता पूरी करे तो खादीका ज्यादा प्रचार हो सकता है और खादी पहननेवालोको भी सुविधा हो।

बर्माके निवासियोमें चरखेके प्रचारकी बहुत गुंजाइश है। वे गरीब है। उन्हे चरखा चलाना आता है। उनके पास समय है। पहले वे काता करते थे, बुनाईका काम तो आज भी ठीक-ठीक चलता है। मुख्य रूपसे यह प्रचारका काम बर्मी लोगोके लिए ही करना चाहिए। किन्तु कोई परोपकारी चरखा-विशेषज्ञ इस कामको हाथमे लेकर शुरू कर सकता है और अच्छे बर्मी लोगोमें उसके प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है। उनकी ओरसे दिये गये सभी मानपत्रोमें चरखेकी प्रशंसा तो होती ही थी।

अब दो शब्द विशेषरूपसे गुजरातियोके लिए कहूँगा। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए यदि वे निश्चय कर ले तो बहुत-से परोपकारी काम कर सकते है। इस लेखमें तो मै गुजराती राष्ट्रीय पाठशालाकी बात करना चाहता हूँ। उसके पास कीमती इमारत है। उसमे काफी विद्यार्थी है। इसमे कोई शका नही कि उन्हे एक सुन्दर विद्यालयकी जरूरत है। वर्तमान शालामे भी सुधारकी काफी गुंजाइश है। उसकी इमारत छोटी है और वह ऐसे स्थानपर स्थित है जहाँ शालाके बालको और बालिकाओके लिए खेलनेको स्थान नही है। अगर उन्हे कारीगरी सिखानी हो तो वहाँ कोई छोटा-सा कारखाना खोलने लायक स्थान नही है। जितने विद्यार्थी है या जितनी कक्षाएँ है, उनके लिए भी शायद जगह काफी नही है। एक ऐसे बड़े मकानकी जरूरत है जिसके साथ जमीन हो। यह स्थान नगरसे दूर हो और बालक तथा बालिकाएँ वहाँ चलकर न जा सकें तो उन्हे ले जानेके लिए सवारीका प्रबन्ध कर दिया जाये। ऐसा प्रबन्ध कई स्थानोपर किया जाता है। और कक्षाएँ भी अधिक होनी चाहिए। विनय मन्दिरके बराबर पहुँचना रगूनके गुजरातियोकी सामर्थ्यसे बाहर नही है।

यह शाला नाम-भरके लिए राष्ट्रीय शाला जान पड़ती है। उसे राष्ट्रीयताके रंगमे पूरी तरह रँग डालना चाहिए। लोगोको दृढ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और न्यास-पत्रमें यह धारा रहनी चाहिए कि शाला कभी सरकारकी मदद या उसके नामका आश्रय नही लेगी। उसमें देशी हिसाब, हिन्दी, सगीत और व्यापार सम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उसे अपना पाठ्यक्रम गुजरात विद्यापीठसे लेना चाहिए और विद्यापीठको चाहिए कि वह उसका निरीक्षण किया करे। यदि इस शालाकी नीव सुदृढ कर दी जाये और अच्छी व्यवस्था कर दी जाये तथा उसकी सम्पत्ति और उसकी मिल्कियतका स्पष्टीकरण कर दिया जाये तो श्री छोटूभाई गलियाराने ५०,००० रुपये तुरन्त देनेकी प्रतिज्ञाका पत्र मुझे दिया है। उनकी इच्छा शालाके साथ किसी न किसी रूपमें अपना नाम जोडनेकी है। पर ऐसा करना-न-करना उन्होने शालाकी समिति अथवा गुजराती लोगोपर छोड दिया है।

मुझे पूरी आशा है कि रगूनके गुजराती इस दानको हाथसे जाने नही देंगे। शालाकी ठीक व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। मैंने तो सलाह दी है कि एक खास रकम, जैसे कमसे-कम १००० रुपये दान देनेवाले दस या पन्द्रह संरक्षकोका एक

व्यवस्थापक-मण्डल नियुक्त करके उसमें से एक छोटा मण्डल नियुक्त किया जाये। प्रबन्ध-सम्बन्धी सभी अधिकार व्यवस्थापकको सौंप दिये जायें। वर्तमान सम्पत्ति उसी मण्डलके कब्जेमें रहे और वही इसका प्रबन्ध करे। ऐसा हो जाये और शालाको राष्ट्रीय बनाये रखनेकी प्रतिज्ञा ले ली जाये तो श्री गलियाराके दानका तुरन्त लाभ मिल सकता है। यह सब कर देना चाहिए।

मेरी यह भी सलाह है कि हम श्री गलियाराकी पाठशालाके साथ अपना नाम जोड़नेकी इच्छाको भी मान लें। ऐसी शर्तोंके साथ कई दान दिये जाते हैं और स्वीकार किये जाते हैं। श्री गलियाराने शर्त नहीं रखी, सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त की है। इसे स्वीकार करनेमें ही गुजरातियोंकी प्रतिष्ठा है। नाम शालाके साथ भी जोड़ा जा सकता है या जो मकान खरीदें उसके साथ जोड़ सकते हैं।

यों इतने दानसे भी शालाकी नींवको सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। उसके लिए कमसे-कम ५०,००० रुपये और इकट्ठे करने चाहिए। इस धनको एकत्र करनेमें दो घंटे भी न लगने चाहिए। रंगूनमें इतनी अच्छी आर्थिक स्थितिवाले गुजराती हैं जिनसे पैसा एकत्र करनेमें तनिक भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

यह काम तुरन्त हो जाना चाहिए। यदि यह काम इस लेखके प्रकाशित होनेसे पूर्व न हो गया हो तो इसे पढ़कर जिन्होंने इसे निबटानेकी प्रतिज्ञा की हो, वे तुरन्त ऐसा करेंगे, मैं यही आशा करता हूँ। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। इस शालाको आदर्श शाला बनाना बर्माके, और मुख्यत. रंगूनके, गुजरातियोंका कर्त्तव्य है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे बुद्धिमान हैं। आवश्यकता केवल इस कामको करनेकी तीव्र इच्छा-भरकी है।

कोई यह कहे कि अभी-अभी तो गांधी डेढ़ लाखसे ज्यादा रुपया ले गया है। अब यह पैसा कहाँसे आये? ऐसा सोचना ओछी बात सोचना कहलायेगा। दरिद्र-नारायणके लिए गुजरातियोंने काफी धन दिया है। पर उसमें दूसरोंने भी योग दिया है। उसके साथ शालाके कोषमें धन देनेमें तो गुजरातियोंका अपना स्वार्थ है। उसके द्वारा वे अपने बालकोंके प्रति अपने कर्त्तव्यका पालन करेंगे। दोनों बातें भिन्न हैं। एकमें ९५ प्रतिशत परमार्थ है, दूसरेमें ९५ प्रतिशत स्वार्थ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३१-३-१९२९

१७६. तार : माधवजी ठक्करको

मोरवी
[१ अप्रैल, १९२९][1]

इम्पॉर्टेन्स
कलकत्ता

उपवास कैसा चल रहा है, इसकी खबर तारसे साबरमतीके पतेपर दीजिए।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ६७६३)की फोटो-नकलसे।

१७७. पत्र : मीराबहनको

मोरवी
१ अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

तुम्हारे सभी पत्र मुझे मिल गये हैं। ताज्जुब है कि २७ तारीखतक भी तुम्हें मेरा तार[2] नहीं मिला। इसे मुकदमेके तुरन्त बाद ही भेज दिया गया था। मोरवीके बारेमें तो तुम जानती ही हो। हर एक जानना चाहता था कि तुम कहाँ हो।

हम यहाँसे आज रात रवाना होंगे।

तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि छगनलाल गांधीकी यह पोल खुली है कि वह पिछले कई वर्षोंसे छोटी-छोटी चोरियोंका बाकायदा धन्धा चला रहा था। अपना भेद खुलनेपर उसने जालसाजी करके अपना अपराध छिपानेकी कोशिश की थी। लेकिन अब उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। लेकिन अपराध स्वीकार करनेसे वह बदल नहीं गया है। आश्रममें उसको अपना जीवन भार हो गया था और दो दिन हुए वह राजकोट चला गया। वहाँ भी उसे शान्ति मिलनेकी बहुत कम सम्भावना है। यह जानकारी मेरे जीवनकी शायद सबसे बुरी घटना है। फिर भी इससे मैं विचलित नहीं हुआ हूँ। मैंने अपने ऊपर कोई प्रायश्चित्त भी नहीं थोपा है। और सारी बस्तीको इस दुखद घटनाकी सूचना देनेके अलावा मैंने इस बुरे कार्यके बारेमें और कुछ नहीं किया है। मैंने उसे यह सलाह बेशक दी है कि उसका यह कर्त्तव्य है कि उसके पास जो-कुछ भी है उसे वह वापस कर दे।

१. डाककी मुहरसे।
२. देखिए "तार : मीराबहनको", २६-३-१९२९।

मुझे खुशी है कि तुम इमारतको बढ़वा रही हो। यदि तुम्हारे पास रहनेवालोंकी तादाद ज्यादा हो, तो फिर अधिक स्थानका बन्दोबस्त तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब हाजमा जरा-सा भी खराब हो, भोजन छोड़ दो। कमजोरीकी परवाह मत करो। जब तुम खाना खाने लगोगी, तब ताकत तो आ ही जायेगी। लेकिन शरीर जब पचा न सके तब स्वयं भोजन कमजोरी पैदा करेगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४१२)से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३५६से भी।
सौजन्य : मीराबहन

१७८. तार : माधवजी ठक्करको

साबरमती
२ अप्रैल, १९२९

इम्पॉर्टन्स
कलकत्ता

मुबारकी खबर सुनकर खुशी हुई। नहानेमें साबुनका इस्तेमाल मत करो।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ६७६५)की फोटो-नकलसे।

१७९. पत्र : माधवजी ठक्करको

२ अप्रैल, १९२९

भाईश्री माधवजी,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। आज ही तार भेजा है। उसका जवाब कल साबरमती मिलेगा। लगता है कि सब काम ठीक चल रहा है। एक परिवर्तन कर लो। शरीरपर साबुन लगानेकी कोई जरूरत नहीं है। पानीमें रूमाल गीला कर उससे शरीर रगड़ना ही काफी होगा। साबुन शरीरके लिए हानिकारक है और उससे त्वचा की उपयोगी चर्बी चली जाती है। शरीरको अच्छी तरह पोंछ लेनेसे वह बिल्कुल साफ हो जाता है। बाहरसे शरीरपर लग जानेवाला मैल दूर करनेके लिए कभी-कभी साबुन उपयोगी होता है। पसीनेसे उत्पन्न मैलका उससे साफ किया जाना जरूरी नहीं है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७६४)की फोटो-नकलसे।

१८०. पत्र : मीराबहनको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
३ अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

तुम्हारे और पत्र मिले। मुझे खुशी है कि तमाम मरीज तुम्हारे पास सहायताके लिए आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि क्या करना चाहिए। यह पत्र मैं तुम्हे दवाओंके बारेमें सही रास्ते लगा देनेके लिए लिख रहा हूँ। हिन्दुस्तानके गाँवोंके लिए अण्डीका तेल और मुलेठीका चूर्ण भी महँगी चीजें हैं। इंग्लैंड या जर्मनीमें बने हुए मुलेठीके चूर्णके बजाय ऐसी देशी औषधियाँ हैं, जिन्हे तुम्हे इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हे साबुत मुलेठीका ही प्रयोग करना चाहिए। वह बिलकुल कारगर है और हरएक गाँवमें मिल सकती है। वह एक डंठलके रूपमें मिलती है। डठलको तोड़ लो और उसके अन्दरसे निकलनेवाला गोंद जैसा पदार्थ निकाल लो। उसे तोला भर लेकर सिर्फ थोड़ेसे गरम दूधमें मिलाकर रातको सोते वक्त या ज्यादा अच्छा हो कि तड़के ही चार बजे दे दिया जाये, तो बीमारको साफ दस्त हो जाता है। यह सस्ता होता है। इसे पानीके साथ भी दिया जा सकता है। इसके अलावा, सनायकी पत्तियाँ है, जो मुलेठीसे भी सस्ती होती है और हर जगह मिलती है। सनायकी पत्तियोका चूर्ण या उसका काढा दे सकती हो। तुम ऐसे वैद्य-हकीमोको भी पकड़ सकती हो, जो थोड़े-बहुत ईमानदार और भले हों, और उनकी मददसे ये बहुत सादा दवाएँ प्राप्त कर सकती हो। हाँ, मुझे अन्देशा है कि एक चीज ऐसी है जो तुम्हें रखनी पड़ेगी, और वह है मलेरियाके रोगियोके लिए कुनैन। लेकिन यह सब बात तो यों ही कह दी है। मैं तुमपर अनावश्यक बोझ नही डालना चाहता। और शायद तुम यह न चाहोगी कि इन दवाओंके अध्ययनके लिए, चाहे वह अध्ययन कितना ही सतही हो, समय देनेमें तुम्हारा ध्यान बँटे। इसलिए तुम अपनी ही बुद्धिसे काम लो और जो तुम्हे शक्य मालूम हो वही करो।

सप्रेम,

बापू

श्रीमती मीराबहन
छतवाँ
छोटईपट्टी
जिला दरभंगा

अंग्रेजी (जी० एन० ९४१३) से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३५७ से भी।
सौजन्य : मीराबहन

१८१. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको

सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
बी० बी० सी० आई० रेलवे
३ अप्रैल, १९२९

प्रिय जवाहर,

तुम्हारा पत्र मिला। स्थिति ऐसी है कि आन्ध्रवालोंने मेरे लिए एक दिनका भी मौका नहीं छोड़ा है कि मैं आश्रम जा सकूं और फिर वहाँसे बम्बई आ सकूं, और अब चूंकि यात्राका मईवाला अंश वास्तवमें मेरे मनोरंजनार्थ है, अत. मैं २७ मईको बम्बई छोड़कर इलाहाबादके लिए रवाना होना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं कुछ दिनोंके लिए आश्रम आकर, फिर वहाँसे अल्मोड़ा जाना चाहूँगा। अल्मोड़ाके लिए रवाना होनेसे पहले कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊकी यात्रा मैं फिर भी कर सकूंगा, और यदि पंजाबके लोगोंकी वैसी इच्छा हो तो मैं पंजाब भी जा सकता हूँ। इसलिए इस समय कोई घोषणा करनेकी जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कानपुर और लखनऊ, यहाँतक कि अल्मोड़ाके लिए भी पहलेसे ही तारीख तय करना चाहते हो, तो उसे १० जूनके बादके लिए ही रखो। मैं बाहर निकलनेसे पहले पूरा एक सप्ताह आश्रम-को देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम पंजाबवालोंसे पता चला लो कि वे मुझसे क्या करनेकी इच्छा करते हैं।

मैंने आन्ध्र देशका कार्यक्रम अभी बिलकुल पक्का नहीं किया है। इसलिए फिलहाल तुम बेजवाड़ाको मेरा मुख्य कार्यालय मानना। मैं इसी ८ तारीखको बेजवाड़ा पहुँचनेकी आशा करता हूँ।

यदि सीतलासहायकी फिलहाल वहाँ कोई जरूरत न हो तो मैं चाहूँगा कि वह यहाँ आ जायें। उनकी पत्नी और लड़कीके ख्यालसे मैं चाहता हूँ कि वह यहीं रहें, खास तौरसे मेरी अनुपस्थितिके दौरान।

पद्मके चश्मेकी नाप मैं भेज रहा हूँ। कृपया इसे उसको दे देना। मैंने वादा किया था कि नाप प्राप्त करके उसके पास भेज दूंगा।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९२९।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१८२. वह परीक्षात्मक मुकदमा

कपड़ोकी होलीके मामलेमें आखिर कलकत्ताकी पुलिसकी, दूसरे शब्दोमें, बंगाल सरकारकी पूरी-पूरी जीत हुई है। इस मामलेके सिलसिलेमें मैंने जो-कुछ किया है, कोई भी उसकी नकल न करे, उसे आदर्श न माने। मनुष्यके जीवनमें ऐसी कई बाते होती है जिन्हे वह चाहता है कि लोग उनका अनुकरण करे, दूसरी कई बातें ऐसी भी होती है जो वस्तुतः बुरी न होते हुए भी न तो अनुकरणीय होती हैं और न उनका अनुकरण किया ही जाना चाहिए। अतः मुझे यह देखकर खुशी हुई थी कि कई मित्रोको इस बातसे उलझन हुई और दुख भी हुआ कि मैंने व्यक्तिगत जमानत देकर भी नजरबन्दीसे अपनेको छुडा लिया, मुकदमेमे अपना बचाव पेश किया और इससे भी ज्यादा यह कि मैंने अपने बचावके लिए वकील खडा किया। उन्होने जोरदार शब्दोमें मुझसे पूछा कि मै एक पक्के असहयोगीकी हैसियतसे ये तीनो काम किस तरह कर सकता हूँ और इस तरह जिन बातोका मै अबतक उपदेश देता रहा उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ।

मनुष्य दो तरहसे अपनी बातपर दृढ रह सकता है: बुद्धिपूर्वक और अबुद्धि-पूर्वक। जो आदमी भारतकी गर्मीमें नगे बदन रहता है वह अपनी बातपर कायम रहनेकी गरजसे अगर नार्वेकी सर्दीमें भी नंगे बदन रहेगा तो मूर्ख समझा जायेगा और ऊपरसे अपनी जान गँवा बैठेगा।

जो काम मैं व्यक्तिगत हैसियतसे नही कर सकता, एक प्रतिनिधिके तौर पर वही मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। एक ओर अखिल भारतीय चरखा सघके ट्रस्टीके नाते मेरे पास लाखो रुपये हैं, लेकिन दूसरी ओर व्यक्तिगत रूपमें एक दमडी भी मेरे पास नही है। उस सघके ट्रस्टीके नाते अनिवार्य होनेपर मैं मुकदमा दायर करनेका अधिकार देता हूँ, मुकदमा दायर करनेका आदेश भी देता हूँ। अपनी व्यक्तिगत हैसियतमे मै ऐसी किसी आवश्यकताकी कल्पना नही कर सकता। कपडेकी होलीके मामलेमें विदेशी वस्त्र बहिष्कार समितिके अध्यक्षके नाते मेरी हैसियत एक ट्रस्टीकी थी। अगर मुझे ऐसा लगा होता कि होलीको रोकनेके सम्बन्धमे पुलिसका नोटिस कानून-सम्मत है, तो मै श्रद्धानन्द पार्ककी होलीको रोकनेकी सलाह देता। कारण, मै उस समय सविनय अवज्ञाकी सलाह देनेके लिए तैयार नही था। लेकिन मुझे लगा कि जिस धाराके अधीन नोटिस दिया गया था उसके दो अर्थ किये जा सकते थे। अतः परीक्षणके लिए यह एक योग्य विषय बन गया। इस सिलसिलेमें आगे जो कार्रवाई हुई वह परिस्थितिके अनुसार स्वाभाविक थी। अगर होलीको रोकनेके सम्बन्धमें पुलिसके अधिकारकी जाँच जरूरी थी तो मामलेकी सफाई देनी चाहिए थी और अगर सफाई देनी जरूरी थी तो मुझे विनम्र भावसे किसी वकील द्वारा अपनी सफाई पेश करानी चाहिए थी क्योकि बहुत समयसे छोडी हुई अपनी वकालतकी योग्यताके आधारपर कानूनके शास्त्रीय मुद्दोपर बहस करना दम्भपूर्ण कार्य

होता। और मेरा व्यक्तिगत जमानत न देना सार्वजनिक जीवनमें अपने स्थानकी मर्यादाओका उल्लंघन करना होता। अगर मै जमानतके पत्रकपर दस्तखत न करता तो भी मेरे विचारमे पुलिस कमिश्नरने मुझे बर्मा जानेकी इजाजत दे दी होती। किन्तु यदि मै दस्तखत न करता तो लोगोमे एक शिष्ट और सज्जन पुरुषके रूपमें मेरी जो ख्याति है उसे मै खो बैठता।

लेकिन असहयोगियोके सामने ऐसे मामले बार-बार पेश नही होते। वे ऐसे जिम्मेदारीके काम हाथमे लेगे ही नही, या लेनेसे बचेंगे, जिनमे व्यक्तिगत आचार और सार्वजनिक उत्तरदायित्वके बीच सघर्षकी सम्भावना हो। इसी कारण मै जनताको इस मामलेमें मेरी नकल न करनेके लिए सचेत कर चुका हूँ। साधारण तौरपर कसौटी तो यही है कि असहयोगीको अपने लाभ या आरामके लिए न तो जमानतका सहारा लेना चाहिए और न अपना बचाव पेश करनेका।

कलकत्तेके मामलेका जो परिणाम प्राप्त हुआ है वह निराशाजनक है और उससे ब्रिटिश अदालतोके सम्बन्धमे मेरी धारणाकी पुष्टि होती है। अदालतने पुलिसके व्यवहारको जिस ढगसे उचित साबित किया है, मुझे उसकी आशा नही थी। अदालतका कर्त्तव्य तो यह था कि वह पुलिसके कार्यकी निन्दा करती, क्योकि मेरे इस अत्यन्त स्पष्ट वक्तव्यके बावजूद उसने होलीके काममें रुकावट पेश की थी कि मै सविनय अवज्ञा करनेके लिए यह काम नही कर रहा हूँ, बल्कि मेरा पक्का विश्वास है कि प्रस्तुत धारा श्रद्धानन्द पार्क-जैसे स्थानोपर लागू नही होती। लेकिन वस्तुस्थिति तो यह है कि कलकत्ताकी पुलिसको उसकी हुल्लड़बाजीके लिए शाबाशी और सदाचारका प्रमाणपत्र मिला है।

अदालतके इस निर्णयसे मेरा यह विचार और भी दृढ हो गया है कि अधिकारियो और जनतामें गम्भीर विरोधकी स्थितिमे न्यायाधीश, अनजाने ही क्यो न हो, अधिकारियोंको ही दोषमुक्त ठहराते है।

लेकिन यह अच्छा हुआ कि यह मामला परीक्षात्मक मुकदमेके रूपमे लडा गया था। अन्यथा श्रद्धानन्द पार्कमें जो विशाल प्रदर्शन हुआ उसका होना असम्भव था। पुलिसके उद्दण्डतापूर्ण कार्यके चलते बहिष्कार आन्दोलनका जैसा प्रचार हुआ और उसे जो प्रोत्साहन मिला, वह अन्यथा शायद ही कभी मिलता। अत पुलिसको सदाचारका जो प्रमाणपत्र मिला है, वह स्वागतकी चीज है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-४-१९२९

१८३. टिप्पणियाँ

अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ

मजदूर नेताओ या तथाकथित साम्यवादियोकी गिरफ्तारीसे सरकारकी भयभीत अकुलाहटका पता चलता है और वह ऐसे काम कर रही है जिनके कि हम आदी हो चुके हैं और जो दमनचक्र आरम्भ होनेकी पूर्व-सूचना देते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि देशकी सरकार तमाम कानूनोंकी उपेक्षा करनेकी अपनी ताकतका समय-समयपर प्रदर्शन करनेकी बातमें विश्वास रखती है, और भयभीत भारतको परदेकी आड़मे छुपे रहनेवाले अपने खूनी पंजे कभी-कभी दिखाते रहना जरूरी समझती है। बेशक, गिरफ्तार लोगोंके ऊपर बाकायदा अदालतमें मुकदमा चलानेका स्वांग भी रचा जायेगा। अगर गिरफ्तार किये गये नेता बुद्धिमान है तो वे इस जालमें नही फँसेंगे और वकीलों द्वारा अपना बचाव उपस्थित करके इस स्वांगमे मदद नही करेंगे। उलटे उन्हें साहस-पूर्वक कैदकी सजाका जोखिम उठाना चाहिए। अगर कानूनके नामपर चलनेवाली इस अराजकताकी स्थितिका हमेशाके लिए अन्त करना है तो शीघ्र ही हजारों लोगोंको न केवल कैद पानेके खतरेका सामना करना पड़ेगा बल्कि उसका स्वागत करके उसे स्वीकार करना पड़ेगा।

मेरे विचारमे, इन गिरफ्तारियोका हेतु साम्यवादको मिटाना नही है, इसका हेतु तो जनतामे आतंक पैदा करना है। अगर साम्यवादके मानी हिंसापूर्ण साधनो द्वारा सत्ता और सम्पत्तिको अपने अधीन करना है, तो कहना होगा कि देशका जनमत साम्यवादरूपी इस राक्षसका सफलतापूर्वक मुकाबला कर ही रहा था। कांग्रेसका ध्येय, न केवल कांग्रेसका ही बल्कि तमाम राजनैतिक दलोंका ध्येय, अहिंसात्मक साधनों द्वारा राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। लेकिन सरकारने अपनी करतूतोसे हिंसा मे विश्वास रखनेवालोको वह उत्तेजन दिया है जो उनमे पहले कभी नही था। सरकार बहुत चतुर है और उससे यह छुपा नही था कि यह सब अवश्य होगा। अतः इन गिरफ्तारियोंके हेतुका पता पानेके लिए दूसरी दिशामे कोशिश करनी चाहिए। एक बात तो निश्चित है। जनतामे से प्लेगकी भाँति ही दमन-चक्रका भी डर दूर हो गया है। स्वराज्य आन्दोलनने भी जनताके दिलमे इतनी गहरी जड़ जमा ली है कि उसे हिलाना या नष्ट करना कठिन है। इन गिरफ्तारियोसे उसका और अधिक जोर पकड़ना एक निश्चित बात है। स्वातन्त्र्य आन्दोलनकी जड़पर कुठाराघात करनेवाले सरकारके प्रत्येक कार्यका अब यही परिणाम होगा। श्री साम्बमूर्ति और श्री खाडिलकरकी गिरफ्तारी और उनपर चलाया गया मुकदमा, पण्डित सुन्दरलालकी पुस्तककी जब्ती, श्रद्धानन्द पार्कमें पुलिसका व्यवहार, और ऐसी ही दूसरी घटनाएँ जिनकी ओर मेरा ध्यान नही जा पाया है, संयुक्त रूपसे एक ही बातकी घोषणा करती है।

दिन-दहाड़े डाका

पण्डित सुन्दरलालकी विद्वत्तापूर्ण हिन्दी पुस्तकके दोनो खण्डोकी विना मामला चलाये, बिना परीक्षा किये और ग्रन्थकर्त्ताको किसी भी रूपमें अपना बचाव प्रस्तुत करनेका अवसर न देते हुए, जो जब्ती की गई है, वह सयुक्त प्रान्तकी सरकार द्वारा दिन-दहाडे डाका डालनेसे किसी कदर कम नही है। ये पुस्तकें वर्षोंको मेहनतका नतीजा हैं। इनके प्रकाशनमे भी बहुत ज्यादा रुपया खर्च हुआ है और अगर जब्तीका हुक्म कायम रखा गया तो उससे ग्रन्थकर्त्ता या प्रकाशकका, जिस किसीनें भी इनपर इतना धन खर्च किया हो, सर्वनाश ही हुआ समझ लेना चाहिए। प्रकाशकने जो वक्तव्य स्पष्ट शब्दोमें प्रकट किया है उससे पता चलता है कि सरकारको इन पुस्तकोके बारेमे पहलेसे जानकारी थी। उसे पता था कि पुस्तकके दोनो भाग शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले हैं और उसे यह भी मालूम था कि उनमे क्या होगा। तिसपर भी उसने बिना कोई चेतावनी दिये और बिना कोई समुचित जाँच किये इन पुस्तकोको एकदम जब्त कर लिया। प्रकाशकके कथनानुसार सयुक्त प्रान्तकी सरकारको पुस्तककी परीक्षाके लिए दो दिनसे ज्यादाका समय नही मिल सकता था। ग्रन्थकर्त्ताको और जनताको यह जाननेका पूर्ण अधिकार था कि इन पुस्तकोमें कौन-सी बाते आपत्तिजनक थी। मै यह बात अपने कडवे अनुभवके आधारपर लिख रहा हूँ। आजतक मुझे मालूम नही हुआ है कि मेरी लिखी 'हिन्द स्वराज्य' नामक पुस्तक और रस्किन की 'अनटु दिस लास्ट' पर आधारित मेरी 'सर्वोदय' पुस्तक क्यो जब्त की गई थी। मुझे उनकी जब्तीकी कोई पूर्व-सूचना नही दी गई थी। सिर्फ एक मित्रसे मुझे मालूम हुआ था कि ये पुस्तकें जब्त की गई थी। लेकिन जनताको इस दिन-दहाडेकी लूटसे एक तरहका सन्तोष होना चाहिए। क्योकि सरकार अपनी इन करतूतोसे हमें सविनय अवज्ञाके ऐसे सरल साधन प्रदान कर रही है जिनका यदि आवश्यक हुआ तो अगले वर्ष बडे पैमानेपर उपयोग किया जा सकेगा।

'नवाकाल'का मुकदमा

'नवाकाल' वाले श्री खाडिलकरके विरुद्ध जो मामला चलाया गया उसे मैंने मुकदमा कहा है। वस्तुत यह मुकदमा नही, उत्पीडन है। लेकिन जो सरकार जनताके विरोधके बावजूद चलायी जा रही है, और विशेष रूपसे उस हालतमे जब, जैसा कि हमारे मामलेमें है, इस जन-विरोधका दमन किया जाता है, उस सरकारके राज्यमें स्पष्टवक्ता पत्र-सम्पादकोका उत्पीडन एक निश्चित बात होनी चाहिए। श्री खाडिलकरकी नीति हमेशा अपनी बात बिना किसी लाग-लपेटके स्पष्टतापूर्वक कहनेकी रही है। और वे एक प्रभावशाली तथा जनप्रिय लेखक हैं। अपनी स्पष्टवादिताके कारण उन्हे जो लोकप्रियता मिली है उसका मूल्य उन्होने चुकाया है। मै उन्हे हार्दिक बधाई देता हूँ। मै जानता हूँ कि श्री खाडिलकर एक तत्ववेत्ता है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि एक पत्रकारकी हैसियतसे उन्हे समय-समयपर जोखिम-भरे कार्योंके लिए जो जुर्माना देना पडा था, उसे उन्होने अक्सर नाटक लिख-लिखकर चुकाया है। वह अपने पत्रको जुर्मानेके कारण होनेवाले कर्जसे बचाकर उसे चलाने और उसके

द्वारा अपनी बुद्धिके अनुसार लोकमतको शिक्षित करनेमें सन्तोष अनुभव करते थे। जिस उदासीनताके साथ उन्होंने अपनी जोखिमभरी जीवन-घटनाओंका जिक्र किया था, उसने मेरी उस आदर-भावनाको और भी बढ़ा दिया जो योग्यता, दृढ़ संकल्प, देशहितके लिए आत्मबलिदान आदि उनके गुणोंके कारण उनके प्रति मेरे दिलमें पहलेसे विद्यमान थी। अच्छा होता कि उन्होंने अपने गाढ़े पसीनेकी कमाईको वकीलकी फीसमें बर्बाद न किया होता। इस देशमें अन्य सरकारी संस्थाओंकी तरह कानूनी अदालतें भी जरूरतके मौकोंपर सरकारकी रक्षा करनेके लिए कायम की गई हैं। इस तरहके अनुभव हमें बार-बार हो चुके हैं। अदालतें बुनियादी तौरपर ऐसी ही हैं। बात इतनी ही है कि जब जनताकी स्वतन्त्रता और सरकारका हित एक ही बातमें होता है तब हमें इसका पता नहीं चलता। जब सरकारके विरोधके रहते हुए भी जनताकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनी होती है, तब अदालतें उनकी रक्षामें असमर्थ पाई जाती हैं। उनसे हमारा जितना कम सम्बन्ध रहे उतना अच्छा है।

राजद्रोहका कर्त्तव्य

अपनी बर्मा-यात्राके दौरान जब मैंने सुना कि श्रीयुत साम्बमूर्तिको सजा सुना दी गई है, तो मैंने सोचा कि उन्होंने अवश्य ही यह कठोर सजा पाने योग्य कोई बहुत खराब बात सरकारके विरुद्ध कही होगी। लेकिन अदालतके प्रकाशित निर्णयमें श्रीयुत साम्बमूर्तिके सात भाषणोंका जो सार-संक्षेप दिया गया है उसे पढ़नेपर देखा जा सकता है कि, जैसा कार्यसमितिने अपने प्रस्तावमें ठीक ही कहा है, उन भाषणोंमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिसे अधिकांश कांग्रेसजन विभिन्न मंचोंसे बार-बार कह न चुके हों।

श्री साम्बमूर्तिपर राजद्रोह-सम्बन्धी धाराके अन्तर्गत आरोप लगाया गया था। लेकिन कांग्रेसजनोंके लिए, बल्कि प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्तिके लिए राजद्रोह तो बहुत समयसे एक पवित्र कर्त्तव्य बना हुआ है। जो सरकार प्रजाकी निष्ठा खोने योग्य कार्य करेगी वह राजद्रोहसे कबतक बची रह सकती है? तथ्य यह है कि श्रीयुत साम्बमूर्तिसे भी कड़ी भाषाका प्रयोग करनेवाले बहुतसे लोगोंको सजा देकर सम्मानित नहीं किया जाता तो इसका कारण यही है कि श्री साम्बमूर्तिकी बातोंका जनता और सरकारपर प्रभाव पड़ रहा था, उनकी शिक्षा संक्रामक सिद्ध हो रही थी जबकि हममें से अधिकांश लोगोंका राजद्रोहका गुण प्रभावहीन होता है। यदि हमें श्रीयुत साम्बमूर्तिको प्रदान किये गये सम्मान जैसा सम्मान प्राप्त करने योग्य बनना है तो हमारा राजद्रोह वैसा ही प्रबल और क्रियाशील होना चाहिए जैसा कि श्रीयुत साम्बमूर्तिका होता जा रहा था। उनमें वह इतना प्रबल और क्रियाशील हो गया था कि वे सरकारकी नजरोंमें खटकने लगे थे।

उन्होंने जमानतपर रिहा होने या अपना बचाव पेश करनेसे इनकार करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने मामलेमें एक संक्षिप्त बयान अदालतमें जरूर देता, अदालतके मार्ग-दर्शनकी खातिर नहीं बल्कि जनताकी खातिर। उदाहरणके तौर पर जनता यह जानना चाहेगी कि उनके भाषणोंके

सही विवरण प्रस्तुत किये गये थे या नहीं। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि यह एक तुच्छ-सी बात है। भाषणोंकी अतिरंजित और गलत रिपोर्ट छपनेके हम आदी हैं। और जहाँ किसी कार्य-विशेषकी न केवल निन्दा नहीं की जाती, बल्कि उसका बचाव पेश किया जाता है वहाँ इससे क्या फर्क पड़ता है कि बातको बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है या घटाकर? उनका जनताके लिए कोई सन्देश देनेसे इनकार करना उनके स्वभावके अनुकूल ही था। यदि उनको सजा दिया जाना ही लोगोंके लिए पर्याप्त सन्देश नहीं है तब तो फिर शब्दोंसे कोई सन्देश देना व्यर्थ है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-४-१९२९

१८४. मद्य-निषेध अभियान

श्रीयुत च० राजगोपालाचारी द्वारा भेजी गई निम्नलिखित योजनाको[1] कार्य-समितिने स्वीकार कर लिया है तथा कार्यके सम्पादनके लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई है जिसमें डा० अन्सारी, श्रीयुत वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्रप्रसाद तथा च० राजगोपालाचारी शामिल हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-४-१९२९

१८५. तार: माधवजी वी० ठक्करको

साबरमती
[४ अप्रैल, १९२९][2]

इम्पॉर्टेन्स
कलकत्ता

खबर मिली। वजन और सामान्य हालत के बारेमें तो लेबरनम रोड बम्बईके पतेपर तार दो। मैं वहाँ कल पहुँच रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ६७६६)की फोटो नकलसे।

१. योजनाके लिए देखिए परिशिष्ट २।
२. डाककी मुहरसे।

१८६. तार: माधवजी वी० ठक्करको

बम्बई

[५ अप्रैल, १९२९][1]

इम्पॉर्टन्स
कलकत्ता

रिपोर्ट सन्तोषजनक लगती है। छः या सातको हैदराबाद दकन होऊँगा उसके बाद बेजवाड़ा।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ६७६७)की फोटो-नकलसे।

१८७. पत्र: छगनलाल जोशीको

५ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

[क]के[2] बारेमें तुम्हें तार भेजा है। वह मुझे अत्यन्त सीधा मनुष्य जान पड़ता है। उसके विषयमें शक करनेका कारण नही है। और यदि उसके बारेमें शक करनेका कारण नही है तो [ख]के[3] बारेमें भी यही होना चाहिए। [ख] बहुत झूठ बोलती है वह अलग बात है। किन्तु यदि उसने व्यभिचार किया भी हो तो वह एकपक्षीय माना जायेगा। उसे छुट्टी नही दी जा सकती ऐसा मैं मानता हूँ। उसकी कोई चर्चा न करे और तुम उसे आफिसमें अपनी नजरके नीचे रखो या उसे कोई ऐसा काम सौंपो जिसमें कोई हानि न हो। [क]ने तो स्वयं कहा ही है कि [ख]को कोई दूसरा काम देना चाहिए। [क] चाहता है कि उसके विषयमें मनमें कोई शंका आनेपर उससे स्पष्ट बातकी जाये। यह ठीक लगता है।

छगनलालका एक पत्र आया था। वह इसके साथ भेज रहा हूँ। अब सामानके बारेमें जो-कुछ करना ठीक हो, कर लेना। दोनों पत्र नारणदासको पढ़नेको दे देना ठीक होगा।

तीन बहुत अच्छी गायें मिली हैं। और प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। कृष्णावतारको[4] भेज दिया होगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५३९६)की फोटो-नकलसे।

१. डाककी मुहरसे।
२ और ३. नाम यहाँ नहीं दिये गये हैं।
४. आश्रम-गोशालाका एक कार्यकर्ता।

१८८. भाषण: बम्बईकी सार्वजनिक सभामें[1]

५ अप्रैल, १९२९

हिन्दीमें भाषण आरम्भ करते हुए[2] उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं कई सालों बाद बम्बईमें किसी सार्वजनिक सभामें बोल रहा हूँ। इस बार भी मुझे पता नहीं था कि मुझसे किसी सभामें बोलनेके लिए कहा जायेगा। मैं तो बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा बम्बई यूथ लीगके तारोंके उत्तरमें आया था। उन्होंने कहा कि बम्बईके इतिहासमें एक समय ऐसा भी था जब आज जहाँ आप इकट्ठा हुए हैं, इतनी थोड़ी-सी जगहमें एक सार्वजनिक सभामें भाषण करना मेरे लिए सम्भव नहीं होता था। यहाँतक कि कभी-कभी तो चौपाटीका मैदान भी छोटा पड़ जाता था। उस समय जनतामें बहुत उत्साह हुआ करता था। चालू वर्षके लिए देशने जो राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया है उसको देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि देशकी सेवाके लिए १९२१-२२ की अपेक्षा आज उत्साह तथा शक्तिसे काम करनेकी कहीं अधिक जरूरत है।

राष्ट्रीय सप्ताहके मनानेके बारेमें बोलते हुए महात्मा गांधीने यह ध्यान दिलाया कि जलियाँवाला बागका हत्याकाण्ड १३ अप्रैलको हुआ था। उस घटनाके बादसे पिछले सभी सालोंमें ६ से १३ अप्रैलतक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता रहा है। कांग्रेसके माध्यमसे राष्ट्रने जो संकल्प किया है यदि वह कोरी शान नहीं है तो कन्याकुमारीसे कश्मीरतक तथा डिब्रूगढ़से कराचीतक लोगोंको फिरसे लगनपूर्वक काम करना पड़ेगा।

स्वर्गीय श्री उमर सोबानीकी स्मृतिमें स्थापित पुस्तकालय, जिसका कि उद्‌घाटन होना था, का उल्लेख करते हुए महात्माजीने कहा कि उमर सोबानीने बम्बईकी जो सेवा की वह वास्तवमें अद्वितीय थी। इसके बाद गांधीजीने बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके नये भवनकी चर्चा की जिसका कि उद्‌घाटन वह शीघ्र करने ही वाले थे। उन्होंने विनोद-भावसे कहा कि यदि कांग्रेस नया कार्यालय खोल सकती है तो वह देशके लिए स्वतन्त्रताका नया युग भी आरम्भ कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए जिस चीजकी जरूरत है वह है आत्म-विश्वास। भाषण जारी रखते हुए उन्होंने अपने श्रोताओंको इस बातकी याद दिलाई कि कांग्रेसने देशवासियोंसे उस जबरदस्त राष्ट्रीय संग्राममें जूझनेके लिए तैयार रहनेको कहा है जो १९२९ के अन्तमें शुरू होनेवाला है। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि इस वर्षके दौरान देशवासी कांग्रेस द्वारा निर्धारित कार्यक्रमको पूरा करेंगे। कांग्रेस कार्यक्रमका सर्वप्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण

१. यह सभा कांग्रेस हाउसके अहातेमें हुई थी।

२. हिन्दी पाठ उपलब्ध नहीं है।

भाग खद्दरका प्रयोग तथा सारे विदेशी कपड़ेका बहिष्कार है। उन्होंने आगे कहा कि बड़े दुखकी बात है कि बहुतसे पुरुषों और स्त्रियोंने, जो इस सभामें आये हैं, अपने शरीरपर विदेशी वस्त्र धारण कर रखे हैं। यहाँ मैंने जो बाजार देखा वह भी विदेशी है हालाँकि मुझे यहाँ खद्दर बाजारका उद्घाटन करनेके लिए बुलाया गया था। . . . गांधीजीने कहा, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि खादीके बिना स्वराज्य नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं खद्दरको कांग्रेसकी मुख्य वस्तुके रूपमें जो महत्त्व देता हूँ वह इस कारण देता हूँ कि यह ऐसी चीज है जिसमें सब शामिल हो सकते हैं।

इसके बाद उन्होंने श्रोताओंसे अपील की कि आप अपनी विदेशी टोपियाँ तथा अन्य विदेशी वस्त्र यहींपर उतार दें।[1]

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-४-१९२९

१८९. भाषण: सार्वजनिक सभा, हैदराबादमें

६ अप्रैल, १९२९

गांधीजीने, जो मंचपर एक कुर्सीपर बैठे थे, उर्दूमें बोलते हुए अपने संक्षिप्त भाषणमें कहा कि मैं हैदराबाद पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन तब मैंने रुपयेकी माँग नहीं की थी। लेकिन इस बार मैं दरिद्रनारायणके नामपर उसकी माँग करूँगा। उन्होंने लोगोंका ध्यान इस बातकी ओर दिलाया कि भारत सबसे गरीब राष्ट्र है और तीन करोड़से भी ज्यादा लोग यहाँ क्षुधा-पीड़ित रहते हैं और कहा कि आप लोगोंको समझना चाहिए कि इसके मतलब क्या है। चरखेके बारेमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि चरखा तो कामधेनु है जो हमारी आवश्यकताएँ पूरी करता है। मेरी रायमें तो हैदराबाद राज्य, जिसे हर प्रकारकी सहूलियतें नसीब हैं, काफी मात्रामें खादीका उत्पादन करके ब्रिटिश भारतकी मदद कर सकता है। श्रीमती सरोजिनी देवीने मुझे बताया था कि यहाँ बहुत ही बढ़िया किस्मकी खादी तैयार होती है और मुझे इससे बड़ी खुशी भी हुई। मुझे भेंट किये गये हारमें जिस खादीका प्रयोग किया गया है उतनी बढ़िया किस्मकी खादी मुझे बहुत कम देखनेको मिली है और यदि इसे दलित जातियोंके बच्चोंने तैयार किया है तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ और मुझे इससे बहुत खुशी हुई है।

इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश भारतमें विद्यमान हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नका उल्लेख किया और कहा कि वह समय फिर आ रहा है जब वह एकता जिसके दर्शन एक बार १९२१ में हुए थे, अब फिर देखनेको मिलेगी। उन्होंने श्रोताओंसे कहा कि वे इस एकताको हासिल करनेमें भारतकी जनताकी मदद करें। मद्यपानकी बुराईका उल्लेख

१. इसके बाद गांधीजीने बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी नई इमारतका उद्घाटन किया तथा उमर सोबानी-स्मारक-पुस्तकालयको देखने गये।

करते हुए उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्रके लिए यह अपमानकी बात है कि उसके बच्चे उस पैसेपर शिक्षा ग्रहण करते हों जिसकी उगाही शराब जैसे साधनोंसे की गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबादमें परिस्थितियाँ भिन्न हैं; आप लोगोंको चाहिए कि आप परम माननीय निजामके पास प्रतिवेदन भेजें तथा इस दिशामें एक नया कदम उठाकर ब्रिटिश भारतके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें। गांधीजीने कहा, गोवधको समाप्त करने तथा इस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम एकताकी दिशामें एक बड़ा कदम उठानेके लिए मैं निजामको बधाई देता हूँ। अन्तमें उन्होने दलित जातियोंके प्रश्नकी चर्चा करते हुए कहा कि अस्पृश्यताके अभिशापका शास्त्रोंमें कहीं समर्थन नहीं किया गया है। हिन्दुओंको चाहिए कि वे समाजसे इस बुराईको दूर कर दें।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ८-४-१९२९

१९०. पत्र : छगनलाल जोशीको

[७ अप्रैल, १९२९ से पूर्व][1]

चि० छगनलाल,

तुम्हे छगनलाल गांधीके विषयमें लिखना भूल गया। उसने जो रुपया दिया है उसमें चोरीका धन भी है। यह शायद तुम्हे न मालूम हो। इसमें थोड़े गहनो और व्याजका पैसा है, जिसे लौटा देना मैं अधर्म मानता हूँ और हममेंसे किसीको उसे वापस करनेका अधिकार नही है। हमें मानना चाहिए कि यह पैसा इस्तेमाल किया जा चुका है। हमें ट्रस्टके रूपमे दान लेनेका अधिकार है। उसे वापस देनेके लिए हमारे पास कोई नैतिक या कानूनी कारण होना चाहिए। इस मामले में दोनोंमें एक भी कारण नही है। छगनलालको पेन्शन देनी हो तो दी जा सकती है। ऐसा करना हमारा कर्त्तव्य भी हो सकता है। छगनलाल क्या करना चाहता है, क्या करेगा, यह देखना बाकी है। मैंने उसे पिछले सप्ताह पत्र लिखा है।

वह जानता है कि हम उसे भूखों नही मरने देंगे। काशीकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है ही।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसके साथ सेठ गोविन्ददासका पत्र-वापस भेज रहा हूँ। क्या इस समय वहाँ किसीको भेज सकते है? और कोई न हो तो सीतलासहाय तो है ही। विचार करना। सूरजभानको इस विषयमें कितना अनुभव हो चुका है।

गुजराती (जी० एन० ५४२५)की फोटो-नकलसे।

१. छगनलाल गांधीकी भूलके उल्लेखसे। देखिए "पत्र : छगनलाल जोशीको", ५-४-१९२९।

१९१. मेरा दुःख, मेरी शर्म

इस अध्यायको लिखने या न लिखनेके सम्बन्धमें लगातार विचार करनेके बाद आखिर मैं इस नतीजेपर पहुँचा कि न लिखना अधर्म होगा। सत्याग्रह आश्रम यानी उद्योग मन्दिरको बहुत-से मित्र पवित्र स्थान समझते हैं। कई अपने प्रियजनोंकी मौतके बाद उनकी पवित्र स्मृतिमें यहाँ खादी कार्यक्रमोंके लिए द्रव्य भेजते हैं। मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ।

फिर भी इस मन्दिरमें बड़े-बड़े पाप प्रकट हुए हैं। मन्दिरमें रहनेवालोंसे तो मैं इस बातकी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। 'नवजीवन'के पाठकोंके साथ मेरा सम्बन्ध धार्मिक है। इस सम्बन्धके पीछे मेरी और मुझसे सम्बन्ध रखनेवालोंकी पवित्रता निहित है। मैंने कई बार लिखा है कि पाप छुपाया नहीं जा सकता। मेरे पास तो छुपानेके लिए कुछ है ही नहीं। मन्दिरमें जो पाप प्रकट हुए हैं उनकी खबर उससे सम्बन्ध रखनेवालोंको दे देना उचित है और आवश्यक है। यही सोचकर पाठकोंके सामने उन्हें दीनतापूर्वक उपस्थित करता हूँ।

मेरे प्रिय भतीजे — स्वर्गीय मगनलाल गांधीके बड़े भाई — छगनलाल गांधीके विषयमें यह पता चला है कि वे वर्षों पहलेसे चोरी करते चले आ रहे हैं; उन्हें मैंने अपने पुत्रके समान पाला और बचपनसे अपने पास रखा है। अगर उन्होंने खुद चोरीकी बात कबूल कर ली होती तो मुझे इतना दुःख न होता। लेकिन यह चोरी तो आश्रमके उनके हमनाम, जागृत मन्त्रीने[1] अनायास पकड़ी। पुत्रके समान मेरे इस भतीजेने इसे छुपानेकी जो कोशिश की थी वह बेकाम हुई। फिर तो उनके पछतावेका पार न रहा। अब तो वे गला फाड़ कर बुरी तरह रोते हैं। फिलहाल उन्होंने अपनी खुशीसे मन्दिर भी छोड़ दिया है। लेकिन मैं यह आशा लगाये बैठा हूँ कि चित्त शुद्ध करनेके बाद वे फिर लौटेंगे। अगर वे शुद्ध हो जायेंगे तो मन्दिर उनका स्वागत करेगा। उन्होंने जो चोरियाँ की हैं वे सब मामूली थोड़े-से पैसोंकी और छोटी, हलकी चीजोंकी है। चोरीकी रकमका खयाल करते हुए मैंने इसे छगनलाल गांधीका एक रोग माना है। इस चोरीसे मन्दिरको आर्थिक नुकसान हुआ हो, सो नहीं। छगनलाल गांधीने लगभग दस हजार रुपये बचाये थे। कैसे, सो तो अभी नहीं बताऊँगा। कुछ ही महीने हुए, उन्होंने यह रकम, मेरे कहनेसे, मन्दिरको दे डाली थी। इस दानमें उदारता नहीं थी, सिर्फ धर्म-पालन था। अपरिग्रहके व्रतका पालन करनेवालोंके पास अपनी निजकी मिल्कियत नहीं होती। छगनलालके पास वह देखी गई। यह बात मुझे खटकी। छगनलालने, उनकी पत्नीने, उनके दोनों लड़कोंने कबूल किया कि यह धन अपने पास नहीं रखा जाना चाहिए। इस कारण यह सब रकम मन्दिरको मिली। मैं मानता हूँ कि अब छगनलालके पास उनके पिताजीकी मिल्कियतके हिस्सेके सिवा

१. छगनलाल जोशी।

कुछ भी नही रहा है। जब मै छगनलाल गाधीकी तीस बरसकी सेवाका और उनकी सरलताका विचार करता हूँ तो इस चोरीके कारणको समझ नही सकता। प्रकृति बलीयसी है। यह तो मेरी शर्मकी एक बात हुई।

अब दूसरी सुनिए। 'आत्मकथा' मे मैने कस्तूरबाईकी बहुत तारीफ की है। मेरे जीवनके बड़े-बडे परिवर्तनोमे, इच्छासे या अनिच्छासे, उसने मेरा साथ दिया है। मै मानता हूँ कि उसका जीवन पवित्र है, उसने समझ-बूझ कर नही, लेकिन केवल पत्नी-धर्मका खयाल करके यह सब त्याग किया है। मेरे त्यागमे उसने कभी रुकावट नही डाली। मेरी बीमारीमे मेरी सेवा करके उसने मुझे कितना सुख दिया, किन्तु उसे कष्ट देनेमे मैने कोई कमी नही की। मै यह कह सकता हूँ कि उसने ब्रह्मचर्यके पालनमे न केवल मेरी मदद की है, बल्कि मेरी रक्षा भी की है। इन गुणोको आच्छादित कर देनेवाले दोष भी उसमे है। उसने पत्नी-धर्म समझ कर उसके पास जो धन आदि था सो तो दे डाला, फिर भी उसमे कुछ ऐसा क्षुद्र मोह रह गया है जो समझमे नही आता। इसी कारण उसने एक साल या उससे कुछ पहले जुदे-जुदे लोगोसे जुदे-जुदे मौकोपर मिले हुए सौ या दो सौ रुपये इकट्ठे कर रखे थे। नियम तो यह है कि कोई उसके निजके लिए भी कुछ दे जाये तो वह उसे भी रख नही सकती। इस कारण ऊपरकी इकट्ठी की हुई रकम चोरीकी रकम ही हुई। उसकी और मन्दिरकी खुशनसीबीसे एक बार मन्दिरमे चोर आये। उन्हे तो कुछ नही मिला, लेकिन इस बहाने कस्तूरबाईकी चोरी प्रकट हो गई। उसे शुद्ध पश्चात्ताप हुआ लेकिन वह क्षणिक साबित हुआ। उसका सच्चा हृदय परिवर्तन नही हुआ था, पैसा जोडनेका मोह अभी छूटा नही था। कुछ दिन पहले कुछ अपरिचित भाई उसे चार रुपये भेंटके नामसे दे गये। नियमानुसार इन रुपयोको आफिसमे जमा करानेके बदले उसने अपने पास रख छोडा। एक जिम्मेवार आश्रमवासीने यह सब देखा था, उनका धर्म तो यह था कि वह कस्तूरबाईको सावधान कर देते। लेकिन झूठी मर्यादाके कारण वह इस पापके साक्षी बने रहे। छगनलाल गाधीके किस्सेके बाद मन्दिरवासियोकी आँखें खुली। कस्तूरबाईकी चोरीके साक्षीने छगनलाल जोशीको खबर दी। जोशी कतूरबाईके पास काँपते-काँपते पहुँचे। कस्तूरबाई समझ गई। उसने दीनतापूर्वक रुपये दे दिये और वचन दिया कि आगेसे ऐसा नही होगा। मै जानता हूँ कि उसका पछतावा सच्चा है। लेकिन अब अगर पहले किया हुआ कोई दूसरा पाप प्रकट हो या भविष्यमे ऐसा कोई पाप करनेपर वह प्रकट हो जाये तो कस्तूरबाईने प्रतिज्ञा की है कि वह मुझे और मन्दिरको छोड़ देगी। मन्दिरने उसके पश्चात्तापको स्वीकार किया है। अब वह मन्दिरमे एक निर्दोष व्यक्ति मानी जायेगी और अगर लोग निभा लेंगे तो मौके-ब-मौके मेरे साथ मुसाफिरी भी करेगी।

अब तीसरी घटना सुनिए। मन्दिरमे तीन साल पहले एक विधवा बहन रहती थी। हम सब उसे पवित्र मानते थे। उन्ही दिनो आश्रममे एक नौजवान भी रहते थे। उनका पालन-पोषण किसी अनाथालयमे हुआ था। उन्हे भी हम सब अच्छा समझते थे। उस समय वह कुँवारे थे। उक्त विधवा बहनके साथ वह पतित हुए।

यह किस्सा वैसे बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन जिस आश्रममे ब्रह्मचर्य पालनके लिए भगीरथ प्रयत्न किये जाते है, उसमे इस तरहकी गन्दगी, ऐसी सड़नका दिखाई देना बड़ा करुणाजनक है। यही है आश्रम, यही है मन्दिर!

मित्र और अनजान-अपरिचित भोले पाठक मन्दिरका और मेरा त्याग करे तो दुहरी भलाई हो। मै छूटूँ, वे छूटे। मेरा बोझ हलका हो। लेकिन दुनियाकी कठिन समस्याएँ इस तरह सहज ही नही सुलझ सकती। इस समस्याको हल करनेका एक तरीका तो यह है कि मन्दिरमे रहनेवाले पवित्र स्त्री-पुरुष मुझे छोड दे। दूसरे, अगर मन्दिरमें रहनेवाले तमाम सदोष नर-नारी भाग जाये तो भी, मेरे विचारमें, सुन्दर परिणाम निकले। मै भाग जाऊँ, यह तो और भी अच्छा है, सोनेमे सुगन्ध है। लेकिन इनमेकी एक भी बात अभी सम्भव नही है।

पाठक कृपा कर इन बातोपर विश्वास करे। यह समझना चाहिए कि ये पाप मेरे पापोकी प्रतिमाएँ——प्रतिमूर्तियाँ है। ऊपर जो-कुछ मैने लिखा है वह इस उद्धत विचारसे नही लिखा है कि "मै अच्छा हूँ, मेरे साथी खराब है।" मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे हृदयकी गहराईमे छुपी हुई अनेक कमजोरियाँ ही इस तरह फोडोके रूपमे फूट पड़ती है। मैने कभी सम्पूर्णताका दावा नही किया है। आश्रममे जो पाप होते है, वे मेरे पापोकी प्रतिध्वनियाँ है। मै तो यही कह सकता हूँ कि मै अपने पापोको नही जानता। अनन्त विचार-जगत्मे कितने पाप करके मै आसपासकी हवाको गन्दी करता होऊँगा, कौन जानता है? 'महात्मा' पद मुझे हमेशा शूलके समान चुभा है, आज तो मै उसे अपने लिए एक गाली समझ रहा हूँ। लेकिन मै कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? निकल भागूँ? आत्महत्या करूँ? भूखो मरूँ? आश्रममें ही गड जाऊँ? सार्वजनिक कामके लिए अथवा अपने पेटके लिए एक भी कौडी लेनेसे इनकार करूँ? इनमे से कोई बात ऐसी नही जिसे अभी करनेकी इच्छा हो, हिम्मत भी नही है।

मै इतना आशावादी हूँ कि दूसरे भले ही मेरी बात न माने, लेकिन अगर केवल मन्दिरमे रहनेवाले ही मन, वचन और कायासे मेरा कहना माने तो भी मै अपनी कल्पनाका स्वराज्य पानेकी आशा रखता हूँ। मै अपने पापोको देखने और उन्हे दूर करनेके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इस कारण ऐसे-ऐसे दोषोंको देखते हुए भी मै यह आशा रखकर जी रहा हूँ कि आश्रम अपने नामकी योग्यता भी सिद्ध करेगा और [उद्योग] मन्दिर न रहकर फिरसे आश्रम बन जायेगा। इसी कारण अभी तो मेरा यही विचार है कि जैसे-जैसे कमजोरियाँ प्रकट होती जाये वैसे-वैसे उन्हें जाहिर करता जाऊँ और मन्दिरको निभाता रहूँ।

प्रभु प्रीत्यर्थ जो काम शुरू किया है, उसे प्रेरणाके अभावमे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जिस दिन प्रभु मुझसे यह काम छुडाना चाहेंगे, उस दिन वह लोगोमें मेरा तिरस्कार करनेकी बुद्धि पैदा करेगे। उस समय भी मेरा हृदय उनसे 'मै तेरा और तू मेरा' कह सकेगा, इसी आशापर मैं जी रहा हूँ।

इस पापी, अपूर्ण सस्थाके द्वारा मै प्रभुसे मिलनेकी आशा रखता हूँ। इस संस्थाको मै अपनी अच्छीसे-अच्छी कृति मानता हूँ। मै तो यह मानता हूँ कि यह

संस्था मुझे नापनेका गज है। इन पापोके प्रकट हो जानेपर भी मेरी इस कल्पनामें कोई फेरफार नही हुआ है। हो सकता है, यह मेरा निरा भ्रम हो, सयानेपनके बदले पागलपन हो। ऐसी दशामें:

> रजत सीप महुं भास जिमि जथा भानुकर वारि।
> जदपि मृषा तिहुंकाल सोई भ्रम न सकई कोउ टारि॥

सीपमे चाँदीका, सूर्यके तापमे जलका भ्रम होना सर्वथा झूठा है, फिर भी अज्ञानी आदमीको वह सच्चा ही मालूम होता है। इस भ्रमको सिवा ज्ञानके और कोई नही मिटा सकता।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-४-१९२९

१९२. जोडणी-कोश[1]

गुजरात विद्यापीठकी तरफसे इस हफ्ते 'जोडणी-कोश' प्रकाशित हुआ है। अपने प्रकारका यह पहला ही कोश है। हमारी भाषामें शब्दकोश तो दो-चार है, पर उनमें हिज्जोंका कोई माप या प्रमाण नही। जैसे बिना नाकका आदमी अच्छा नही लगता, वैसे ही बिना हिज्जेकी जबानको समझना चाहिए। इसीलिए प्रामाणिक हिज्जे देनेवाले कोशकी कमी मुझे हमेशा होती रही है। 'नवजीवन' पढनेवालोकी सख्या कम नही है। गुजरात विद्यापीठका आसरा लेनेवालोकी तादाद भी काफी है। इन सबका काम किसी वर्तनी-कोशके बिना कैसे चले? इस प्रश्नका विचार करनेके फलस्वरूप यह कोश तैयार हुआ है।

यह कैसे कहा जा सकता है कि इस कोशमें दिये गये हिज्जे ही सही है, और दूसरे गलत है? कोई ऐसा सवाल करे तो उसका जवाब यह है कि यहाँ सही-गलतका निर्णय करनेका प्रश्न नही है। ठीक-ठीक गुजराती जाननेवालो और व्याकरण-शुद्ध गुजराती लिखनेकी कोशिश करनेवालोकी कलमसे जो हिज्जे निकलते है वे सही माने जायेंगे। इस मोटे नियमका अनुसरण करके यह कोश तैयार किया गया है।

जिस गुजराती-व्यक्तिको अपनी भाषासे प्रेम है, जो शुद्ध भाषा लिखना चाहता है या जो उन हिज्जोको अपनाना चाहता है, जिसे राष्ट्रीय आन्दोलनमे पडे हुए बेशुमार गुजराती लिखना चाहते है, उन सबको यह शब्द-कोश ले लेना चाहिए।

अंग्रेजी भाषाके शब्दोके हिज्जे गलत करनेमें हमें जितनी शर्म आती है, मातृभाषाके हिज्जोंकी हत्या करनेमें हमें उससे ज्यादा शर्म आनी चाहिए। अब आगे किसीको

1. 'जोडणी' का अर्थ है वर्तनी अथवा हिज्जे। जोडणी-कोशका उद्देश्य शब्दोंकी प्रचलित वर्तनी सम्बन्धी अव्यवस्थाको दूर करना था।

मनमाने हिज्जे करनेका अधिकार नही है। मै अपने जैसे अधूरी गुजराती जानने-वालोंको इस कोशकी मदद लेकर ही अपनी चिट्ठी-पत्री लिखनेकी सिफारिश करता हूँ।

इस कोशमें ४३,७४३ शब्द है। कोशकी रचना, उसमे आये हुए शब्दोके हिज्जोके नियमो आदिके बारेमे लिखना नही चाहता। सब लोग कोश खरीदकर यह ब्योरा जान ले। जिन अमीरोको भाषाका शौक हो, उन्हे चाहिए कि वे अपने हरएक गुमाश्तेको यह कोश देकर उसे तदनुसार गुजराती लिखनेका सब काम करनेको कहे।

संचालकोंने आत्मविश्वासकी कमीके कारण पहला संस्करण सिर्फ ५०० प्रतियोका निकाला है। मुझे उम्मीद है कि यह संख्या तो 'नवजीवन' के ग्राहकोंको भी पूरी नही पड़ेगी। कोशकी लागत कीमत पौने चार रुपया पड़ी है; फिर भी उसका विक्रय मूल्य तीन रुपया रखा गया है। जिल्द पक्की बँधी है और कोशमे ३७३ पृष्ठ है। मुझे आशा है कि भाषा-प्रेमी गुजराती कोशको तुरन्त खरीदकर संचालकोके आत्म-विश्वासकी कमी दूर कर देंगे और शब्दकोशके प्रति अपनी सहानुभूति सिद्ध कर दिखायेंगे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ७-४-१९२९

१९३. पत्र : मीराबहनको

स्थायी पता :
सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
७ अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मुझे बम्बईमें मिला। बैजवाडा भेजा हुआ तुम्हारा पत्र पता बदल कर मेरे पास यहाँ हैदराबाद भेज दिया गया है। यहाँसे मैं आज शामको रवाना हो रहा हूँ।

तुम्हारा आखिरी पत्र चिन्ताप्रद है। तुम्हे समय-समयपर बुखार आ ही जाता है। इसकी चिन्ता तो न करो, मगर उपेक्षा भी न करो। अगर वहाँ तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नही रह सकता, तो तुम्हें स्थान-परिवर्तन कर ही देना चाहिए। कुछ दिन कुनैन लेना अच्छा हो सकता है। तुम्हे नीबू पटना या कलकत्ता जहाँसे भी मिल सकें मँगा लेने चाहिए। मुझे आशा है कि तुम मच्छरदानी नियमपूर्वक काममें ले रही हो। अगर तेल माफिक न आता हो तो न लो। अगर तुम्हे अच्छा घी न मिल सके, तो मैं तुम्हारे लिए भेज सकता हूँ। सार यह कि तुम्हे अपने शरीरको धरोहर समझकर उसके लिए जिस चीजकी भी जरूरत हो ले लेनी चाहिए।

हाँ, नरम तकुओके लिए गुजरातमे मेरे सिवाय तुम्हारा कोई समर्थक नही है। लेकिन मेरी वकालतका आधार अज्ञान है। मैं तो उसकी वकालत इसलिए करता हूँ क्योंकि वह मुझे पसन्द है।

मिलनेवाले मेरा इन्तजार कर रहे है।
मै श्रीमती नायडूके घर ठहरा हूँ।
सप्रेम,

बापू

[पुनश्च:]

बा, प्रभावती, इमाम साहब, प्यारेलाल और सुब्बैया मेरे साथ है। महादेवकी वल्लभभाईको जरूरत थी।

अंग्रेजी (जी० एन० ९४१४) से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३५८से भी।
सौजन्य: मीराबहन

१९४. पत्र: छगनलाल जोशीको

७ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हे बम्बईसे पत्र लिखा था।[1] वह पहुँच गया होगा। यह पत्र हैदराबादसे लिख रहा हूँ। किशोरलालने ह. .[2] शा. . .[3] मिलनेकी सलाह दी है। इसलिए वह उसे मिलेगा। उसने मेरी अनुमति माँगी थी, सो मैंने दे दी है। तुम इसे लेकर परेशान मत होना। शान्त रहना। हमारे हाथो अन्याय न हो, इसके विषयमें हमें सावधान रहना है। हमारे साथ धोखा हो तो कोई बात नही, पर किसीके साथ अन्याय हो तो वह ठीक नही होगा। हमारे सावधान रहते हुए भी कोई पाप करता रहे तो उसके बारेमें हम निश्चिन्त रहे, क्योंकि उसमें हमारा कोई हाथ नही है। अधिक विस्तारसे लिखनेका समय नही है। इस समय मुझे भागना होगा। वामन नायक[4] मेरे सामने बैठा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५३९७)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: छगनलाल जोशीको", ५-४-१९२९।
२ और ३. नाम नहीं दिये गये हैं।
४. आन्ध्र प्रदेशके एक प्रसिद्ध वकील।

१९५. पत्र : मीराबहनको

स्थायी पता:
सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
८ अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

कल मैंने हैदराबाद (दक्षिण)से तुम्हे एक पत्र भेजा था। मै बैजवाड़ाके नजदीक पहुँच रहा हूँ, मगर अभी उससे दूर हूँ। हम एक छोटे गाँवमें है, जहाँ तारघर नही है। डाक बैजवाडासे यहाँ लाई गई है, अत मुझे तुम्हारे दो पत्र, दूसरा और तीसरा, मिले हैं। अगर तुम पूरी तरह अच्छी नही हो सकती तो तुम्हे जलवायु परिवर्तन कर ही लेना चाहिए। तुम किसी समुद्रतट या पहाड़पर जा सकती हो।

अगर तुम जूनतक चला सको, तो शायद मेरे साथ अलमोड़ा चल सकोगी। जहाँतक मुझे मालूम है, जूनमे अलमोड़ेका कार्यक्रम रहेगा। तुम्हे दूसरे दर्जेमे सफर करना पड़ेगा। इस कमजोर हालतमे तुम्हे तीसरे दर्जेमे बैठानेमे मुझे डर लगेगा। मगर यह सब तो हवाई किले बाँधना हुआ। तुम्हारे लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि अच्छी हो जाओ। फलोंपर खुले हाथो खर्च करना सच्ची किफायत है। तुम ताजे फलोके बिना स्वास्थ्यकी रक्षा नही कर सकती। नीबू फलोका राजा है। डा० राजवली मुझसे कहते थे कि एक नीबू छः नारगियोके बराबर है। मुझे इसपर विश्वास है। मगर तुम्हे जो भी फल पसन्द हो लेने ही चाहिए। कच्ची हरी पत्तियाँ अच्छी है, मगर उन्हे थोड़ा-थोडा ही लेना चाहिए। एक बारमे तोले भरसे अधिक नही और वह भी यदि उससे पेटमें गडबड न होती हो। शायद तेल भी तुम्हे अनुकूल नही पडता। तुम्हे मुख्य ध्यान कोई सस्ती खुराक खोजनेका नहीं रखना है, बल्कि इस बातका रखना है कि हर साल पहाडपर जानेकी आवश्यकता पड़े बिना देहातमें रह सको। इसलिए तुम्हारा ध्यान अपने प्रयोगको सफल बनानेपर केन्द्रित होना चाहिए, भले ही खर्च कुछ भी हो जाये। ज्यो ही मैं किसी तारघरवाले स्थान-पर पहुँचूँगा, त्यो ही तुम्हे तार दूँगा।[1] दोनो ही तरफ तारघर न होना कैसी बढिया बात है! मै जानता हूँ कि मुझे तार देनेकी जरूरत नही है। अगर मैं सचमुच गरीब होता, तो तार नही दे सकता था। अगर मैं अधीर न होऊँ और ईश्वरपर पूरा भरोसा रखूँ तो मुझे तार नही देना चाहिए। मगर मै यन्त्रवत् आचरण नही करूँगा। जब उतनी श्रद्धा आ जायेगी, तब मै तार देनेका विचार छोड दूंगा। फिलहाल इतना ही काफी है कि यद्यपि तुम्हारी बीमारीके बारेमे पत्र आते है और यहाँ कोई तारघर नही है, फिर भी मै बहुत अशान्त नही हूँ।

१. देखिए "तार: मीराबहनको", ९-४-१९२९।

मालूम होता है कि मेरी खुराक, तीसरे दर्जेका सफर और सतत कार्य-व्यस्ततासे मेरा स्वास्थ्य बढ़ रहा है। मुझे खुद आश्चर्य है कि अभीतक मेरा शरीर टूट क्यो नही गया। अलबत्ता, मै बीच-बीचमे खूब आराम ले लेता हूँ और जब जीमें आये तभी नींद ले लेनेकी मेरी क्षमता मुझे बचा रही है। सच तो यह है कि जबतक ईश्वर मेरे शरीरकी रक्षा करना चाहता है, तबतक वह मुझे बचाता है। जिस क्षण उसकी जरूरत पूरी हो जायेगी, उस क्षण मेरी कोई सावधानी मुझे नही बचा सकेगी।

हाँ, नक्शेमें बेजवाड़ा देख लेना। पाँच-छः जिलोका दौरा करना है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४१५)से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३५९से भी।
सौजन्य : मीराबहन

१९६. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

मौनवार, ८ अप्रैल, १९२९

बहनो,

उद्योग मन्दिरमें हुई घटनाओकी याद भुलाई ही नही जाती। सारी घटनाओमें हिम्मतकी कमी देखता हूँ। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ सत्य हो ही नही सकता। भूल करनेमें तो पाप है ही, परन्तु उसे छिपानेमें उससे भी बड़ा पाप है। शुद्ध हृदयसे जो अपने-आप भूल कबूल कर लेता है, उसका पाप धुल जाता है और वह सीधे रास्ते लग सकता है। जो झूठी शर्म रखकर भूलको छिपाता है, वह गहरे गड्ढेमें गिरता है, यह हमने तमाम मामलोमें देख लिया है। इसलिए मै तो बहनोसे यही माँगता हूँ कि तुम झूठी शर्मसे बचना। जाने या अनजाने बुरा हो जाये, तो फौरन जाहिर कर देना और दुबारा ऐसा न करनेका निश्चय कर लेना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो-१ : आश्रमनी बहेनोने

१९७. पत्र : छगनलाल जोशीको

मौनवार [८ अप्रैल, १९२९]

चि० छगनलाल,

आज बैजवाड़ा पहुँचना था किन्तु वेंकटप्पैया और उसके साथियोंने दूसरा ही निर्णय किया। बैजवाड़ाके इस ओर तीन स्टेशन पहले रातके तीन बजे मुझे उतार लिया और वहाँसे फौरन मोटरमें २० मील दूर एक जमीदारके गाँवमें ले आये। इस समय सुबहके नौ बजे हैं। रास्तेमें लगभग एक मील लम्बा नदीका रेतीला पाट पड़ा, मोटरको भैंसेसे जोतकर खींचना पड़ा। मैं तो खूब थका हुआ था। मोटरमें ही सो गया। हैदराबादसे भी तुम्हे पत्र लिखा था। मिला होगा।

शा. . . का[1] किस्सा उलझता जा रहा है। तुम धीरज रखना, घबराना नही। दूसरोंको इसकी चर्चा करनेसे रोकना। इस पूरे किस्सेसे हम सीख सकेंगे कि प्रेम क्या है। मोह और प्रेमका भेद समझेंगे और अपने आपको शुद्ध भी कर सकेंगे।

तुम्हारा कोई पत्र तो मिला नही है; इसलिए और कुछ नही लिख रहा हूँ। हैदराबादसे वामन नायककी हुंडी मिलेगी। उसे भी अभी रोककर रखना। इसमें भी किसी विशेष कामके लिए अंकित रकम थोड़ी ही रहेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५५६१)की फोटो-नकलसे।

१९८. तार : मीराबहनको

बैजवाड़ा
९ अप्रैल, १९२९

मीराबाई
खादी डिपो
मधुबनी

यहाँ पहुँचनेपर चार और पाँच के पत्र मिले, तार भी; ईश्वरको धन्यवाद है; जो भी खर्च हो दूध और नीबू जरूर लो। दो खुराकोंमें

१. नाम नहीं दिया गया है।

६ ग्रेन कुनैन, हर खुराकमें ३ ग्रेन, सोडा और नीबूके साथ लेनेकी सलाह देता हूँ। सस्नेह।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४१६)से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३६०से भी।
सौजन्य: मीराबहन

१९९. तार: माधवजी वी० ठक्करको

वेजवाडा
९ अप्रैल, १९२९

इम्पॉर्टेन्स
कलकत्ता

खुशी हुई कि तुमने व्रत तोड़ दिया। सन्तरे और अंगूरका रस जारी रखो। तीन दिन उसमें पानी मिलाकर लो। उबला हुआ पानी ज्यादासे-ज्यादा पियो, पानी चाहे ठंडा हो या गरम, उसे चाहे सादा लो या नीबूका रस और नमक डालकर या फिर शहदके साथ। जमीनपर सोनेके बजाय ऊँचे पलंगका इस्तेमाल करो। वजन रोज लिया करो।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ६७७०)की फोटो-नकलसे।

२००. पत्र: मीराबहनको

स्थायी पता:
सत्याग्रह आश्रम
साबरमती
९ अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

मैंने तुम्हें कल पत्र भेजा है। आज मैंने लगभग पूरे समाचार तारसे भेजे हैं। मुझे खुशी है कि इस समय तुम संकटसे मुक्त हो। परन्तु रोगके ये दौरे तुम्हारे लिए ऐसी चेतावनी है, जिनकी तुम्हें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

हाँ, मुझे रोलाँके पत्रका अनुवाद जरूर मिल गया, मेरे खयालसे अहमदाबादमें मिला, कलकत्तेमें तो हरगिज नहीं। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे पास जवाब भेजूंगा और तुम उसे अनुवादके साथ भेज देना।

तुम अपने शरीर या मस्तिष्कपर बेजा बोझ न डालना।

मैं अब भी तुम्हें अपना कोई निश्चित कार्यक्रम बतानेमें असमर्थ हूँ। स्वागत समिति अभीतक निश्चय नही कर पाई है कि वह मुझे कहाँ-कहाँ ले जायेगी। इसलिए सदर मुकाम बैजवाड़ा ही रहता है।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

६ तारीखको[1] तुमने बुखारके कारण उपवास नही किया। मैं इसलिए न कर सका कि कामकी व्यग्रतामें याद ही नही रहा, हालाँकि पहले मुझे उसका खयाल था। दौडाभागी बुरी है। यह भुलक्कडपन अच्छा लक्षण नही है।

अंग्रेजी (जी० एन० ९४१७)से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३६१से भी।
सौजन्य : मीराबहन

२०१. पत्र : छगनलाल जोशीको

बैजवाड़ा
९ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

कलकी डाक मिल गई होगी। यहाँ पहुँचनेपर तुम्हारे दो पत्र मिले। हम अपनी पूँजी नही गँवा बैठे है; उसमें जितनी खोट थी उतनी चली गई; इसमें शोक या दुख किस लिए? हमारा भार हलका हो गया। काम तो करेंगे ही। पाप किया था, इतना ही कहनेको बच रहे तो भी मान सकते है कि बहुत कमाया। डर तो इस बातका है कि पापका घड़ा पूरा नही फूटा है और फिरसे नही भरेगा इसका कोई भरोसा नही है। किन्तु ऐसा भरोसा दे कौन सकता है? हम तो प्रयत्न करते रहे; जहाँ बुराई दिखाई दे, उसे दूर करते जायें। जहाँतक लोग हममें विश्वास करेंगे, हम उनकी सेवा करते रहेंगे। सच तो यह है कि इससे लोगोंके स्नेहमें शायद ही कुछ परिवर्तन हो। शायद वे पहलेसे भी अधिक उदार ही बनें, जो होगा, उसे देख लेंगे।

. . . के[2] विषयमें मेरा पत्र मिला होगा। वह निर्दोष ही है, ऐसा मैं नही कह सकता। . . . के[3] बारेमें मुझे शंका नही है। . . . का मन विषयासक्त हो तो कहा नही जा सकता। पर उसपर यों शक नही कर सकते हैं। वह जो कहता है हमें उसीको मान लेना चाहिए। गोशालामें तो वह काम नही करेगा। किन्तु अब . . . [4]आ गया है इसलिए हमारा बोझ कम होगा।

१. राष्ट्रीय सप्ताहका प्रथम दिन जो १९१९ से मनाया जाता है।
२, ३, ४. पत्रमें नाम छोड़ दिये गये है।

छोटेलाल वेशक कश्मीर चला जाये। कही जानेके बाद ही वह शान्त होगा।

बा के बारेमें तुम्हें दुख करनेका कोई कारण नही है। उसके पास साहसपूर्वक जाकर तुमने आश्रमकी सेवा ही की है और साहस दिखाया है। पुत्रधर्मका पालन किया है। बा का तो उद्धार हुआ ही है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

प्रभुदासका सुन्दर पत्र आया है। साथ भेज रहा हूँ। सबको पढ़ाना। काका साहबको भेजना।

बापू

[पुनश्च:]

आनन्दशंकरभाईको थडानीकी टाइप की हुई पुस्तक भेज दी होगी।

गुजराती (जी० एन० ५३९९) की फोटो-नकलसे।

२०२. पत्र: माधवजी वी० ठक्करको

९ अप्रैल, १९२९

भाईश्री माधवजी,

तुम्हे आज मैं उपवास छोड़ देनेके लिए तार देने ही वाला था कि तुम्हारा तार मिल गया। छोड़ दिया है सो अच्छा किया। मैंने ब्योरेवार तार भेजा है वह मिला होगा। तुम पूरी तरह आराम तो कर ही रहे होओगे। मैंने हर रोज तार देनेके लिए कहा है। धीरज रखोगे तो शरीरमें ताकत आती जायेगी। कल तुम्हे ब्योरेवार पत्र भेजा है।[1] फिलहाल बेजवाड़ाके पतेपर ही लिखना।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७६९) की फोटो-नकलसे।

१. यह पत्र उपलब्ध नही है।

२०३. भाषण: नन्दीगाँवमें

९ अप्रैल, १९२९

महात्माजीने कहा कि १९२० से यहाँ जो शान्ति बनी हुई है उसकी मुझे बहुत खुशी है। मेरे विचारमें तो स्वराज्यका अर्थ मनकी शान्ति तथा सब लोगोंके साथ शान्तिपूर्वक रहना है। बड़े शहरोंके लोगोंको सुधारना तो बहुत मुश्किल होता है लेकिन गाँवोंमें, जो मुझे गन्दे और उजड़े हुए दिखाई देते हैं, इसके बहुतसे अवसर हैं। जो लोग इन गाँववासियोंकी स्वच्छता तथा स्वास्थ्यके लिए उत्तरदायी हैं क्या वे इस कार्यकी ओर ध्यान नहीं दे सकते? मुझे आशा है — और मेरा विश्वास है कि मेरी यह आशा निष्फल नहीं होगी — कि सैकड़ों नवयुवक जो आजके दिन मेरे सामने इकट्ठा हुए हैं, इस कार्यमें सहयोग देनेके लिए आगे आयेंगे।

आपके यहाँ रुई उपलब्ध है और अपने अभिनन्दनपत्रोंमें आपने कहा है कि सब लोगोंको खद्दर ही पहनना चाहिए। यदि आप ऐसा ही करें भी तो इससे मुझे वास्तवमें बहुत खुशी होगी। यहाँ मुझे कुछ बहनें दिखाई दे रही हैं जिनमें से कुछ खादी पहने हुई हैं। सिर्फ कुछ ही क्यो खादी पहने हुई हैं? स्त्रियोको भी पुरुषोकी भाँति ही स्वराज्य तथा आत्म-शुद्धिकी प्राप्तिमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं स्वराज्यकी बात नही बल्कि रामराज्यकी बात कह रहा हूँ। यदि सीता नही होगी तो रामराज्य भी नही होगा। यदि आप रामराज्य चाहती हैं तो आप सब सीताकी तरह बनिए। इतिहासके अनुसार सीता केवल खद्दर पहनती थी और देशी वस्तुओका ही प्रयोग करती थी। इसी पवित्रताके कारण रावण सीताको छू तक नही सका था। सीताने अग्निप्रवेश किया लेकिन वह सुरक्षित रही। हिन्दू नारियाँ भी यदि प्रयत्न करे तो इतनी ही पवित्र बन सकती हैं।

आजकल लोगोंमें शराब पीनेकी बुरी आदत है। शराबी यह भेद नही कर पाता कि कौन उसकी माँ और कौन उसकी पत्नी है। यदि आप पवित्रता चाहते हैं तो शराब छोड़ दीजिए। आप तो बेशक यह जानते ही हैं कि स्वराज्यमें अस्पृश्यता नही होनी चाहिए।

आपने मुझे १,१७० रु० भेंट किये हैं। मैं जानता हूँ कि आप इससे भी अधिक दे सकते हैं। आन्ध्र देशमें पुरुष भी स्त्रियोके समान आभूषण पहनते हैं। स्त्रियोको बाहर निकलकर मुझसे मिलनेमें डर लगता है, क्योकि जब वे आती हैं तो मैं उनके आभूषणोको ही देखता हूँ। मैं उनसे आभूषण ले चुका हूँ। जब करोड़ो लोग भूखसे मर रहे हों तब दूसरे लोग आभूषण पहने, यह ठीक नही है। उन्हे अपने सारे आभूषण दरिद्रनारायणको अर्पित कर देने चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १०-४-१९२९

२०४. तार: माधवजी वी० ठक्करको

वैजवाडा

[१० अप्रैल, १९२९][1]

इम्पॉर्टेन्स

कलकत्ता

बकरीके दूधमें पानी मिलाकर ले सकते हो। हर बार चार औंस लेना लेकिन तीन बारसे ज्यादा नहीं। अगर अंगूर और फलको भली प्रकार पचा सकनेका पूरा निश्चय न हो तो रविवार तक उससे परहेज करो।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ६७७१)की फोटो-नकलसे।

२०५. पत्र: मीराबहनको

१० अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। चूंकि कोई तार नहीं आया है, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि [बुखारका] थोड़ा-सा बढ़ जाना क्षणिक ही था। अधिक परिश्रम न करना। मेरी तबीयत अभीतक अच्छी है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४१८)से, तथा सी० डब्ल्यू० ५३६२ से भी।
सौजन्य: मीराबहन

१. डाककी मुहरसे।

२०६. पत्र: छगनलाल जोशीको

१० अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारा ७ तारीखका पत्र मिल गया है। जहाँ मन्दिरका खर्च घटाने लायक लगे वहाँ जरूर घटाओ। किसी भी विभागको जबरदस्ती बन्द करनेकी जरूरत नही है। कर्ज लेकर हमें कुछ काम नही चलाना है, इतना निश्चय कर लेना ही काफी है। मित्र मदद देना बन्द कर देगे तो विभाग उसी घड़ी बन्द हो जायेंगे। हमारी बुराई सामने आ गई है, इससे डर जानेकी कोई बात नही है, सावधान रहनेकी है। 'नवजीवन'का लेख[1] लिखनेपर बोझ हलका हो गया है। मुझे नही लगता है कि अभी हम अपनी प्रवृत्तियाँ कुछ कम कर सकेंगे। . . .[2] जैसा या. . .[3] जैसा कोई किस्सा फिर हो जाये तो हो। इससे डरना नही है। ऐसा फिर न हो सके, इसके बारेमें सावधान रहे, तो काफी है। पाई-पाईकी रसीदें रखें। इतना तो अच्छा ही है कि . . .[4] ने शर्म-हया छोड नही दी और पैसा लेकर भाग नही गया। उसने जितनेकी चोरी की, उससे ज्यादा लौटा दिया है। . .[5] ने सब शर्म छोड नही दी है; वह शायद अब पवित्र जीवन भी व्यतीत करे। . . .[6] का तो कुछ नही कहा जा सकता। हम पापोमें कोई रस न ले तो सब ठीक हो जायेगा।

विनोबा या काकासाहबको इस सम्बन्धमें तकलीफ नही दी जा सकती। यदि कुछ हो सकता है तो यही कि तुम मेरी उपस्थितिका आग्रह करो। वहाँ जुलाई और अगर हो सके तो अगस्त, दो महीने रहनेकी व्यवस्था अभीसे कर रहा हूँ। तुम खुद हारना नही, हिम्मतसे काम लेना और जो कुछ हो सके करते रहना।

जयकरन तुम्हारी सुने बिना जाना चाहे तो जाने देना। जबतक तुम्हे ठीक न लगे तबतक उसकी मदद बेशक न करना।

रतिलाल और चम्पाका पत्र मुझे मिला है। तुम्हे पढनेके लिए भेज रहा हूँ। मेरा जवाब पढकर उन्हे भेज देना। उसमें जो लिखा है उसके अनुसार प्रबन्ध करना। यदि थोड़ा और देनेसे वे प्रसन्न होते हो तो वैसा करना। २०० रुपये तक प्रतिमास खर्च कर सकते है। किन्तु यदि हर मास इतना दे तो उनके पास मुसाफिरी आदिके लिए कुछ नही बचेगा।

योगेन्द्रबाबू जबतक चाहे रह सकते है। यदि जाना चाहे तो जाने देना। मुख्य बात तो उनकी पत्नीको कुछ आजादीसे रहना सिखाना है। वह तो उन्हे आसानीसे आ जायेगा।

१. देखिए "मेरा दुःख, मेरी शर्म", ७-४-१९२९।
२ से ६. नाम नहीं दिये गये है।

क्या बर्माका रुपया भाई शंकरलालको भेजा है।

अपने स्वास्थ्यका ख्याल रखते होगे। दूध-घी की जितनी जरूरत हो उतना लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४००)की फोटो-नकलसे।

२०७. पत्र : राधाबहन गांधीको

१० अप्रैल, १९२९

चि० राधिका,

मैं तुम्हारे स्वास्थ्यकी चिन्ता निरन्तर किया करता हूँ। तुम्हें अपने शरीरका अच्छी तरह निरीक्षण करके उसे स्वस्थ बनाना चाहिए। अपनी शक्तिसे बढ़कर काम तो कभी न करना। तुम्हारा मन शान्त होगा। क्या केशुका पत्र नियमपूर्वक आता है? पत्र लिखनेमें वह बहुत आलसी माना जाता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६७५)से।
सौजन्य : राधाबहन चौधरी

२०८. भाषण : बेजवाड़ाकी सार्वजनिक सभामें

१० अप्रैल, १९२९

भाइयो और बहनो,

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शान्त रहें। मैं आप सबको तथा उनको जिन्होंने मुझे अभिनन्दनपत्र भेंट किये हैं धन्यवाद देता हूँ। सभी अभिनन्दनपत्र मातृ-भाषामें ही लिखे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि यह भाषा भी भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दीकी तरह ही है। आपने अभिनन्दनपत्रोंको पढ़कर सुनाये बिना ही मुझे स्वीकार करनेकी अनुमति दे दी, इससे मुझे खुशी हुई। आन्ध्र देशसे मुझे बहुत स्नेह है। आपकी विनम्रताको देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि एक तरहसे खुशी ही हुई। मैं आपको अभिनन्दनपत्र भेंट करनेका एक बढ़िया तरीका सुझाऊँगा। मैं आपके सामने निर्धनों तथा दलितोंके प्रतिनिधिके रूपमें खड़ा हूँ। जबकि मैं आपके पास गरीबोंका प्रतिनिधि बनकर आया हूँ उस हालतमें अभिनन्दनपत्रोंको तैयार करनेमें हुए खर्चको देखकर मुझे पीड़ा होती है। यदि ये अभिनन्दनपत्र हस्तलिखित होते या फिर वे ताड़पत्रोंपर अंकित होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती।

मेरे प्रति आपका स्नेह अत्यन्त सच्चा है और मुझे लगता है कि मै उसे सहन करनेके नाकाबिल हूँ। अभिनन्दनपत्रका अनुवाद मैंने पढ़ लिया है, और मेरे विचारमे तो उसमें चापलूसी ज्यादा है और आपकी खास-खास जरूरतोका, जिनसे कि आप परेशान है, वर्णन बहुत कम। मै तो यह जानना चाहता था कि आपकी क्या परिस्थितियाँ है, आप किस प्रकार रहते है, और जो लोग आपकी सहायता कर सकते थे वे आपकी क्या सहायता करते है।

आजकल राष्ट्रीय सप्ताह है जिसमें से चार दिन बीत चुके है। यह सप्ताह आत्म-शुद्धि तथा राष्ट्रीय प्रयत्नका सप्ताह है। इस महीनेकी १५ तारीखतक हमें राष्ट्रीय उत्साहका एक उच्च स्तर बनाये रखना है। १३ अप्रैलका दिन हमारे लिए सारे राष्ट्रको जनरल डायरकी करतूतोकी याद दिलानेवाला दिन है। अब हमे बुद्धि-रूपी चेतना तथा अनुभव रूपी सामर्थ्यकी आवश्यकता है। कांग्रेसने आपसे कहा है कि आप देशके लिए अपनी सामर्थ्य-भर थोड़ा-बहुत काम करे। कांग्रेसके तो केवल दो ही आदेश है — विदेशी वस्त्रका त्याग तथा खद्दर पहनना; और इस समय कोई भारत-वासी इससे ज्यादा कुछ नही कर सकता। इस कर्यक्रमने सब भारतीयोको राष्ट्रीय जागृतिमें हिस्सा लेनेका एक अवसर प्रदान किया है। खद्दरको स्वीकार करना हरएकके लिए आसान है। यदि आन्ध्र देश खद्दरपर अटल रहा और उसके लिए काम करता रहा तो आप लोगोने महान् राष्ट्रीय सेवा की है, ऐसा माना जायेगा। १९२१ में पहली बार बैंजवाड़ामें तैयार किये गये राष्ट्रीय कार्यक्रमने सारे देशका ध्यान अपनी ओर खीचा था और बैंजवाडाको इसपर गर्व करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि १९२१ से लेकर अबतक आपने क्या किया? आपमें साहस है, बुद्धि है। लेकिन आपमें ऐक्यकी कमी है। अभी आपने मिल-जुलकर काम करना नही सीखा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मिल-जुलकर काम करे, खद्दरका प्रचार करे तथा विदेशी वस्त्रके विरुद्ध मोर्चा संभाल ले।

इस मौकेपर ईसाई, हिन्दू, पारसी और मुसलमान, सबको हाथ बँटाना चाहिए। इस विषयपर मेरे बहुत-कुछ कहनेकी जरूरत नही है। उत्तर भारतमे हिन्दुओं और मुसलमानोमें बहुत वैमनस्य है। महाशय राजपालकी हत्याने स्थितिको और विकट रूप दे दिया है। एक मुसलमानकी कायर करतूतने हिन्दुओको मुसलमानोंके विरुद्ध कर दिया है। एक हिन्दू होनेके नाते, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुसलमानोंके प्रति कोई दुर्भाव न रखें। महाशय राजपालकी हत्या करके न तो हत्यारेको कोई लाभ पहुँचा है और न इससे इस्लामका ही कोई फायदा हुआ है। पहले भी ऐसी घटनाएँ हो चुकी है। जब दिमागमें पाप और वासना भरी होती है, तब वे प्रकट होकर ही रहते है। हमे चाहिए कि हम अपने दिमागोसे बदला लेनेकी भावना निकाल दे।

विधान सभामें भी इसी तरहका एक जघन्य अपराध किया गया है। इस अपराधके कारण स्वराज्य एक पग पीछे हट गया है। जिन दो नवयुवकोने बम फेंका था उन्होंने आपके राष्ट्रीय आन्दोलनकी प्रगतिमें बाधा पहुँचाई है। कांग्रेस सदस्योको अपने ऊपर लगे हिंसाके कलंकको धो डालना चाहिए। दिल्लीके ये दो पागल नवयुवक

बहुत-कुछ राजपालके हत्यारेकी तरह ही है। हमें इन भूलोसे हतोत्साहित नही होना चाहिए। इस सप्ताहके दौरान हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपनेको शुद्ध करे। मुझे दुख है कि श्री साम्बमूर्ति हमारे बीच नही है और इस समय मुझे आन्ध्र-रत्न डी० गोपालकृष्णय्याका भी स्मरण हो आया है, जो अब नही रहे। हमारे साथी हमारे साथ रहे या हमसे बिछुड़ जाये, लेकिन जो-कुछ वे छोड़कर गये है उसको आगे जारी रखनेका भार तो अब भी हमपर ही है। काग्रेसने खद्दर और मद्यपानके सम्बन्धमे जो आदेश दिये है उनका अवश्य पालन होना चाहिए। एक अभिनन्दनपत्रमे इस बातका सकेत किया गया है कि हम धीरजके साथ प्रतीक्षा करते रहे और फिर भी सरकार कुछ नही कर सकी। सरकारसे प्रार्थना करने तथा उसे याचिकाएँ देनेसे हमारा कोई लाभ नही होनेका है। हमारा सम्बल तो आत्मनिर्भरता होना चाहिए, सरकारसे प्राप्त होनेवाली किसी प्रकारको सहायता नही। उस कामके लिए हमें अहिंसामे प्रशिक्षित स्वयसेवकोकी जरूरत है।

और फिर अस्पृश्यताकी समस्या है। नगरोकी अपेक्षा गाँवोमे बाधाएँ कही ज्यादा और कही अधिक प्रबल हैं। हमारे नवयुवकोको चाहिए कि वे गाँवोमें काम करके अस्पृश्यताको दूर करे। गाँवोमे उनका शुद्ध जीवन गाँववासियोके अनुकरणके लिए एक उदाहरण साबित होगा। खद्दरके लिए आपने मुझे २,५०० रुपये दिये है लेकिन ये तो बहुत थोड़े है। बेजवाड़ा तो इससे ज्यादा दे सकता है। जो अच्छे कार्य मुझे सौपे गये है उनको पूरा करके मै आजकी सभाका समापन करूँगा। अब मै बड़े हर्षके साथ श्री कृष्णदेव रायके चित्रका अनावरण करता हूँ। इसके बाद मै उच्च-स्तरीय जलाशयका उद्घाटन करनेमे खुशीका अनुभव कर रहा हूँ। मै इस जलाशयको देख चुका हूँ और नगरपालिकाको धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे जलाशयका उद्घाटन वही जाकर करनेसे बरी कर दिया। जो काम मै पाँच या दस साल पहले किया करता था आज उसे करनेमे मुझे दिक्कत होती है। आज तो मै उस कामका अश मात्र ही कर सकता हूँ। मै नगर-परिषदका आभारी हूँ कि उसने मेरी असमर्थताके लिए तथा मेरी अनुपस्थितिके लिए मुझे क्षमा कर दिया है। हमारे धर्म-ग्रन्थोके अनुसार लोगोको पानीकी सुविधाएँ प्रदान करनेका कार्य एक पुण्य कार्य है। भारत जैसे गर्म देशमे तो जलाशयका होना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि इससे शहरके गरीबोको पानी सबसे पहले प्राप्त होगा। आपने मेरी बातको धैर्यपूर्वक सुना इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ और यह देखकर मुझे खुशी हुई कि इन इलाकोमे हिन्दी प्रचारका कार्य कमोबेश ठीक तरह चल रहा है। फिर भी इसके प्रसारकी काफी जरूरत है। इसकी ऐसी प्रगति हो जानी चाहिए कि आगेसे आपको हिन्दी भाषणका अनुवाद सुनानेकी फिर जरूरत न पडे। आशा है आप खादी कोषमें अपनी सामर्थ्य-भर चंदा देंगे। मेरी आदत है कि जो अभिनन्दनपत्र तथा बहुमूल्य वस्तुएँ मुझे मिलती है मै उन्हे नीलाम कर देता हूँ। नुजवीडमे मुझे तीन अभिनन्दन-पत्र भेंट किये गये थे, जिन्हे नीलाम करनेपर मुझे ६० रुपये प्राप्त हुए। मै आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।

मेरे पास अभी एक तीसरा काम बकाया पडा है, और मै बडी प्रसन्नतापूर्वक अपंग निर्धनोंके लिए एक औद्योगिक केन्द्रका उद्‌घाटन करता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ११-४-१९२९

२०९. डेकके मुसाफिर

मैंने रेलगाडीके तीसरे दर्जेमे और समुद्री जहाजके डेकपर फिरसे मुसाफिरी करना शुरू कर दिया है। फलस्वरूप पुराने अनुभव थोडे फेरबदलके साथ फिरसे ताजा हो रहे है। जब मुझे लोग बिल्कुल नही जानते थे, उस समय मै आसानीसे लोगोमे हिलमिल जाता था और उनके सुख-दुखमे भी पूरी तरह भागीदार होता था। अब मै एक प्रतिष्ठित 'अछूत' बन गया हूँ। अब लोग कर्त्तव्य समझकर मेरे लिए जगह बना देते है और मुझे ऐसी सहूलियते देते है, जैसी मेरे दूसरे साथी मुसाफिरोको नही देते। इसलिए जब बर्मा जाते समय मै एस० एस० 'एरोडा' जहाजपर चढा और उसके तीसरे दर्जे (डेक)का मुसाफिर बना तो मुझे अपने सब साथियोसे अलग कर दिया गया। बर्मा जाते समय जहाजके अधिकारियोने भी यात्रियोसे मुझे अकेला छोड देनेके बारेमे थोडी गुफ्तगू-सी कर ली थी। उन्होने डेककी दूसरी सलूनवाला कुछ भाग मेरे लिए अलग रख दिया था और उनका आग्रह था कि मै उसी सलूनके पाखानोका इस्तेमाल करूँ। इस कारण डेकपर मुसाफिरी करने-वालोको क्या-क्या अड़चने होती है, मै उन्हे बहुत कम जान पाया। बर्मासे वापस आते समय भी सयोगवश उसी जहाजपर आना पडा था, लेकिन इस बार जहाजके अधि-कारियोने कोई खास इन्तजाम नही किया था, फलस्वरूप मै डेकके मुसाफिरोके बीच जा पडा था, उनमे हिल-मिल सका था। इसमे शक नही कि महात्मापन के कारण यहाँ भी सामान्य यात्रियोके अनुभवोसे मै वंचित ही रहा, फिर भी मै लोगोकी कठिनाइयोमे काफी-कुछ भागीदार बन सका। इस बार मुझे जहाजके सबसे निचले दर्जेकी यात्राके बारेमे जो अनुभव मिला उसके आधारपर मै कह सकता हूँ कि रेलगाडीकी भाँति जहाजोमे भी सन् १९१५ और १९२९ की मुसाफिरीके बीच मुझे कोई खास फर्क नही दीख पड़ा। इस बार भी जहाजमे मैंने पहले जैसा ही शोरगुल देखा, वैसी ही लापरवाही या उपेक्षा देखी, वैसी ही भीड़-भाड, वैसी ही गन्दगी और बदबू देखी। 'एरोडा' जहाजपर मैने देखा कि मुसाफिरोंके लिए सुरक्षित जगहमे मोटरगाडियाँ, मुर्गे-मुर्गियाँ और मवेशी भर दिये गये थे। मुसाफिरोकी भलाई और उनकी भावनाओकी ऐसी घोर उपेक्षासे मुझे बहुत दुख हुआ। वास्तवमे मैने देखा कि जहाजके मालिक लोग मानव-यात्रियोके मुकाबले अन्य माल तथा पशु-पक्षियोकी ज्यादा अच्छी देखभाल करते है। क्योकि अगर उनकी सार-सँभालमे लापरवाहीसे काम लिया जाये तो जहाजके अधिकारियोको उनकी वजहसे आर्थिक नुकसान होनेका डर बना रहता है। जहाजके पाखाने इतने गन्दे थे कि उनका बयान नही किया जा सकता। पाखानोंतक पहुँचनेमे मेरी बुरी तरह परीक्षा हो जाती थी;

क्योंकि वहाँ जानेका गलियारा पेशाबकी बदबूसे भरा होता था, और किसी तरह पाखानेमें पहुँचनेपर मैं देखता था कि पाखानेका दरवाजा आधा भी बन्द नहीं होता।

अपनी जिस लाचारीका जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूँ, उसके कारण मैं खुद तो जाँच कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने एक साथीसे कहा कि वह सारे जहाजके डेक-विभागकी होशियारीसे जाँच कर जाये और उसकी मुख्तसर रिपोर्ट मुझे दे। उनकी रिपोर्ट नीचे देता हूँ:

> एस० एस० 'एरोंडा' जहाजके डेक-विभागमें करीब १,५०० मुसाफिरोंके बैठनेका इन्तजाम है, लेकिन भीड़-भाड़के दिनोंमें इस मर्यादाका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। इन १,५०० मुसाफिरोंके उपयोगके लिए सारे डेकपर आदमियोंके लिए दो छोटे-छोटे स्नान-घर और ४ पाखाने हैं और स्त्रियोंके लिए भी दो वैसे ही स्नान-घर और ८ पाखाने हैं। इस तरह प्रति ७५ मुसाफिरोंपर एक पाखाना और प्रति ३७५ यात्रियोंपर एक स्नान-घरका औसत आता है।
>
> स्नान-घरोंमें समुद्री-जलका एक नल है, ताजे-मीठे पानीका कोई नल नहीं है, न नहाते वक्त सूखे कपड़ोंको रखनेका कोई सुभीता है। स्नान-घरोंमें यों तो कोई साँकल ही नहीं है और जो है वे टूटी हुई हैं। एक स्नान-घरका तो आंशिक रूपसे पेशाब-घरकी तरह उपयोग भी किया जाता है और शायद उसे बन्द रखनेकी कोई जरूरत नहीं समझी गई है। इस कमरेका दरवाजा हमेशाके लिए एक रस्सीके जरिये खूँटीसे बाँध दिया गया है, जिससे जहाजके डगमगाने और झोंके खानेके समय वह टकराकर आवाज न कर सके। कमरेकी जितनी जगह पेशाब-घरका काम देती है वह बिलकुल खुली है, और शेष स्नान-घरसे उसे *अलग* करनेके लिए बीचमें कोई परदा या आड़ नहीं रखी गई है।
>
> स्नान-घरकी तरह ही पाखानोंकी साँकलें भी टूटी हुई हैं। पाखाने जिस ढंगसे बनाये गये हैं, उसमें सुधारकी बहुत-कुछ गुंजाइश है। पाखानोंके हरएक वर्गके सामने एक छोटा-सा संकरा गलियारा है, यही स्नान-घरका भी रास्ता है। पाखानोंका गन्दा पानी और पेशाब इस रास्तेमें बहता रहता है, और नालियोंके खराब होनेके कारण यह सारा दूषित पानी जहाजके झोंकोंके साथ-साथ फर्शपर इधर-उधर दौड़ता रहता है।
>
> जहाजका सबसे निचला डेक काल-कोठरीसे किसी कदर कम नहीं है। वह इतना अन्धेरा, गन्दा, और गर्म है कि उसमें दम घुटने लगता है। बिजलीकी रोशनी तमाम वक्त जलाई जाती है। समुद्री हवाके आने-जानेका कोई खुला रास्ता उसमें नहीं है। हवा आनेके लिए जो दो-एक नामलेवा मार्ग हैं वे दो छोटी चिमनियों और छतके एक वर्गाकार सूराखके रूपमें हैं, जो ऊपरी डेकपर खुलते हैं। कूड़ा-करकट और रद्दी फेंकनेके लिए न तो टोकरियाँ हैं

> और न कोई दूसरा इन्तजाम ही है। इस कारण मुसाफिर जहाजके फर्शपर ही थूकते हैं, पानकी पीक थूकते हैं, नारंगीके छिलके और दूसरी रद्दी चीजें डालते हैं। मेरी रायमें यह डेक मनुष्योंके बजाय ज्यादासे-ज्यादा मवेशियोंका बाड़ा हो सकता है।
>
> मुख्य डेकका सबसे अगला हिस्सा कभी-कभी आंशिक रूपसे मवेशियोंके बाड़ेके रूपमें प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि जब हम पिछली बार कलकत्तासे रंगून गये थे तब किया गया था। मवेशियोंके इस बाड़े और मुसाफिरोंके स्थानके बीच लकड़ीकी पट्टियोंकी एक बाड़ लगा दी गई है। इसी तरह जहाजके पिछले हिस्सेमें छायादार डेकपर एक पिंजरा है, जिसमें भेड़, बकरी, बत्तख और मुर्गा-मुर्गी वगैरा रखे रहते हैं। यह स्थान इतना गन्दा और दुर्गन्धपूर्ण है कि उसके आसपास भी खड़ा हो सकना नामुमकिन है।
>
> इस जहाजमें तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंके लिए दवाखानेका कोई इन्तजाम नहीं दीख पड़ता। अगर तीसरे दर्जेका कोई मुसाफिर बीमार पड़ जाये या कोई संक्रामक रोग फैल जाये तो मरीजोंको अलग रखनेकी कोई खास व्यवस्था भी इसमें नहीं है।

एस० एस० 'एरोंडा' जहाज जिस कम्पनीका है वह दुनियाकी सबसे बडी कम्पनियोमे से एक है। अतः अगर वह चाहे तो डेकके मुसाफिरोके आरामके लिए अच्छा और सुन्दर इन्तजाम कर सकती है। पहली और दूसरी सलूनमे तो इस तरहके बढते हुए सुधार मै देख सका था, हालाँकि स्पष्टत: मै उनकी ध्यानपूर्वक जाँच नही कर सकता था। जो परिवर्तन हुए थे वे इतने स्पष्ट थे कि स्वतः नजरमें आते थे। ऐसी हालतमें कोई वजह नही है कि डेकपर मुसाफिरी करनेवाले लोगोंके, जिनसे वस्तुत: जहाज कम्पनीको सलूनके यात्रियोंके मुकाबले ज्यादा पैसा प्राप्त होता है, सुख और आरामके लिए अच्छे स्थानका इंतजाम न किया जाये। मुसाफिरोने मुझसे कहा था कि सालके इन दिनोमें तो डेकपर सफर करना उतना कठिन नही होता, लेकिन बरसातके दिनोमे, जब कि ऊपरी डेक लगभग बेकाम हो जाता है, मुसाफिरोको अवर्णनीय कष्ट सहने पड़ते है; उनमे से अधिकांश तो बीमार पड़ जाते है और कई तो यात्राकी तकलीफोके कारण प्राण छोड़ देते है। किसी भी जहाजरानी कम्पनीके लिए यह एक कलक है; पी० ऐंड ओ० और बी० आई० एस० एन० कम्पनियो जैसी पैसेवाली और दुनिया-भरमे मशहूर कम्पनीके लिए तो यह दोहरे कलंककी बात है। जहाजके मालिकों और मैनेजरोको यह समझ लेना चाहिए कि दिन-ब-दिन डेकपर मुसाफिरी करनेवाले पढ़े-लिखे और चतुर लोगोकी संख्या बढ़ती जा रही है। कम्पनीका यह फर्ज है कि वह उनकी जरूरतो और उम्मीदोको पूरा करनेका इन्तजाम करे।[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-४-१९२९

१. कम्पनीके उत्तर तथा उससे सम्बन्धित गांधीजीके विचारोंके लिए देखिए "बी० आइ० एस० एन० कम्पनी द्वारा प्रतिवाद", २५-४-१९२९ और "एक कुत्सित दोषारोप", २-५-१९२९।

२१०. आवारा कुत्ते

संयुक्त प्रान्तके एक हाई स्कूलके मैनेजर लिखते हैं:

> एक सार्वजनिक महत्त्वके मामलेमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मेरा मतलब नगरपालिकाओं द्वारा उन कुत्तोंको मरवा डालनेसे है, जो यो ही भटकते फिरते हैं। इनकी वजहसे, खासकर रोगी कुत्तोके कारण, आदमियोको जो हानि उठानी पड़ती है वह बड़ी दुखद है। इनसे किसी तरह बचनेका उपाय खोज निकालनेकी बड़ी भारी जरूरत है। मै इस बारेमें आपकी राय इसलिए ले रहा हूँ कि लोग इस मामलेको हिंसा-अहिंसाका सवाल मानते है।

मेरे विचारमें, ऐसे कुत्तोको मारना हिंसाकी गिनतीमे तो आ जाता है, लेकिन अगर हमें इससे भी बड़ी हिंसासे बचना है तो मैं इसे एक अनिवार्य हिंसा समझता हूँ। हरएक कुत्तेका अपना मालिक होना चाहिए और उसके गलेमे पट्टा भी। मैं कुत्तोका लाइसेन्स जारी करनेका सुझाव दूँगा। जिन कुत्तोका लाइसेन्स नही है, वे सब पुलिस द्वारा पकड़ लिये जाये और 'महाजन' के सुपुर्द कर दिये जायें, बशर्ते कि उसके पास उनके पोषणका पूरा इन्तजाम हो और वह इस मामलेमे नगरपालिकाकी अपने ऊपर देखरेखको मंजूर करता हो। अगर यह न हो सके तो ऐसे सब कुत्ते गोलीसे मार डाले जायें। कुत्तोंके उपद्रवका इलाज करनेका, मेरे विचारमें, यह सबसे अच्छा मानवीय तरीका है। लोग कुत्तोकी समस्याको महसूस तो करते हैं, लेकिन उससे निपटनेकी या तो चिन्ता नही करते या साहस नही करते। लोगोमे सामान्य उदासीनताका जो वातावरण दिखाई पड़ता है, सरकार द्वारा अहस्तक्षेपकी नीति भी उसी ढरपर चल रही है। लेकिन मेरी रायमें इस तरहकी उदासीनता स्वय एक तरहकी हिंसा है, और अहिंसामे विश्वास रखनेवाला कोई भी आदमी इन मसलोको उदासीनताकी निगाहसे नही देख सकता, फिर वे चाहे जितने मामूली क्यो न हो, बशर्ते कि उनका उपाय अहिंसाके सिद्धान्तपर करना हो। अगर अहिंसाके महासिद्धान्तको ठीक-ठीक समझना है तो हमें गम्भीर भूलें करनेका खतरा उठाकर भी निडर होकर उन समस्याओका सामना करना चाहिए।[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-४-१९२९

१. आवारा कुत्तोंके प्रश्नपर गांधीजीके विचारोंके लिए खण्ड ३१ और ३२ में प्रकाशित "क्या यह जीवदया है?" शीर्षक लेखमाला भी देखिए।

२११. विधान सभामें मद्य-निषेध

विधान सभाके सदस्य पूर्ण मद्य-निषेधके प्रश्नपर ध्यान दे रहे हैं, यह एक स्वस्थ लक्षण है। मेरे दिमागमें जो दृष्टान्त है वह सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासका है। चालू वर्षके वित्त विधेयकपर विचार करनेसे सम्बन्धित प्रस्तावपर दिये गये उनके भाषणमें से मैं निम्नलिखित रोचक उद्धरण नीचे दे रहा हूँ।[1]

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-४-१९२९

२१२. तार: माधवजी वी० ठक्करको

बैजवाड़ा

[११ अप्रैल, १९२९][2]

इम्पॉर्टेन्स

कलकत्ता

वर्णनसे तो प्रकट होता है कि तुमने जरूरतसे ज्यादा खाया है। अब केवल फलोंके रसमें पानी मिलाकर लो। दो दिनतक गूदा और दूध बिलकुल मत लो। यदि जरूरत पड़े तो चिकित्सककी सलाह ले लेना।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ६७७२)की फोटो-नकलसे।

२१३. पत्र: छगनलाल जोशीको

११ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला है। अब क्या करना है, इस विचारसे मिलनेकी कोई जरूरत नहीं है। मिलो भी तो करनेके लिए बात तो एक ही है। हम नालायक हैं, यह बात कहकर उठ जाओगे तो अन्तमें निराशा ही बाकी रह जायेगी। किसी विशेष मुसीबतको सुलझानेके लिए, जरूरी प्रस्तावपर विचार करनेके लिए मिले तो ठीक माना जायेगा। ध्यानसे सोचें तो प्रस्ताव करनेकी भी जरूरत नहीं है। सिर झुका कर अपना कर्त्तव्य करता जाये, और विपत्तिपर उसका इलाज कर ले, यही योद्धाका काम है। हम सब अनीतिसे संघर्ष करनेवाले योद्धा हैं। जो-कुछ करना था वह हम

१. उद्धरण यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासने भारतमें मद्य-निषेध लागू करनेके लिए वित्त सदस्यसे जोरदार अपील की थी।

२. डाककी मुहरसे।

कर चुके हैं। अपनी बुराई प्रगट कर दी है। दो नियम बना दिये हैं। सब अपना-अपना हृदय टटोल रहे हैं। इतना ही काफी है। 'रामायण' और 'गीता' के सम्बन्धमें मेरा लेख[1] 'नवजीवन' मे है, उसपर विचार करना। उलटे-सीधे किसी भी तरीकेसे विषयोंका ध्यान न करे। इसीका नाम असहयोग है। जबतक मैं जीवित हूँ, जागृत हूँ, तबतक जितनी स्वतन्त्रता तुम लोगोंको अभी है, उससे ज्यादा नही मिलेगी। इसलिए मुझे पूछे बिना काम चले तो जरूर चलाओ। कुछ पूछना पड़े तो पूछ भी लेना। मुझपर दया करके कोई भी बात छुपाई न जाये।

एक बात तो मैं सचमुच देख रहा हूँ। मै स्वयं असत्यको निभा रहा हूँ। यह बात मुझे चुभती है। आजकल यहाँ 'गीता' का कोई जानकार नही है। प्यारेलाल, सुब्बैया और प्रभावती पढ़ सकते हैं; उनसे बारी-बारीसे पढ़वाता हूँ। मेरी दृष्टिमें तीनों इसमें पास नही हुए; इसका मुझे खेद है। आजकल सुब्बैया छुट्टीपर है। प्रभावतीका दोष तो क्षम्य है; पर प्यारेलाल और सुब्बैयाको क्या कहे? वे मेरे पास वर्षोंसे रह रहे है; मै 'गीता' का प्रेमी हूँ और वे मेरे प्रियजनोमे से हैं। किन्तु मैंने उनके गीता-पाठ और कताईकी तरफ कभी ध्यान नही दिया। फिर उन्होने भी नही दिया, इसमें उनका दोष क्यों मानूँ? प्यारेलालकी अंग्रेजी खराब हो तो उसे कभी आगे न जाने दूँ। अपने लिए पढ़वाते समय 'गीता' का उसका उच्चारण सुनता हूँ तो मन ही मन दुखी हो जाता हूँ। वह रोज कताई नही करता; पर क्या मै कताई करवाता हूँ? उसे भाषण देकर बैठ जाता हूँ। आश्रम मेरी सबसे बड़ी कृति है और मै उसीसे दूर रहता हूँ। मै देखता हूँ कि इस प्रकार मैं स्वय असत्यका आचरण कर रहा हूँ। फिर आश्रममें चोरी हो या व्यभिचार, तो उसमे अजब क्या है?

इसलिए तुममें से किसी औरके विचार करनेके बजाय मेरा विचार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। किन्तु इस आत्मनिन्दासे क्या लाभ? मैं मानता हूँ कि अपनी त्रुटियोको पूरी तरह परखनेकी शक्ति मुझमे है। उनपर पार पानेका प्रयत्न करता रहता हूँ।

इस आत्मनिन्दाका हेतु यह है:

(१) वहाँ 'गीता'के उच्चारण और अर्थपर जोर देना।

(२) कताई यज्ञके विषयमे सावधान रहना।

(३) रसोई घरको अच्छी तरह सँभालना।

ये तीनों सार्वजनिक कार्य है और हम सबके लिए अनिवार्य हैं। गोशालाके काममें सब लोग भाग नही ले सकते, खेतीमें सब नही लग सकते। ऊपरके तीनो कामोमें सबको भाग लेना है। इसलिए इन तीनोंपर जोर दिया है। यदि इनमें असत्यको स्थान नही मिलेगा तो हम बच जायेंगे। हम इन्हे सरल भावसे करेंगे तो उसका असर दूसरी सभी बातोंपर जरूर पड़ेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४०१) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "गीता और रामायण", १४-४-१९२९।

२१४. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

११ अप्रैल, १९२९

भाई माधवजी,

तुम्हारा तार मिल गया है। मैं ताज्जुबमें पड गया हूँ। कलके तारने भी हैरान कर दिया था। दूध बहुत जल्दी लेना शुरू कर दिया और ग्रेपफ्रूटमें उपवासीको पच सकनेकी दृष्टिसे अधिक 'प्रोटीन' है। लगता है कि मुनक्का और सन्तरे भी बहुत जल्दी शुरू कर दिये गये थे। इसीलिए आज चेतावनी भेजी है।[1] फिलहाल इसके अतिरिक्त और कुछ हजम करने योग्य पाचन-शक्ति नही है। उपवास करनेकी अपेक्षा उपवास छोड़नेमें ज्यादा चतुराईकी जरूरत है। कई लोगोमें तदनुकूल धीरज नही होता। तुम्हारा वजन भी एकदम बहुत बढ़ गया मालूम होता है। किन्तु चिन्ताका कोई कारण नही है। अब समझ गये होगे। रस भी धीरे-धीरे और थोड़ा-सा पीना। चुस्की ले या चाटें; खानेपीनेकी तरह जल्दबाजी न करे। चम्मचसे धीरे-धीरे ले। दूसरे तारकी राह देख रहा हूँ। वह तो कल ही मिलेगा। आज शामसे बेंजवाड़ाके आसपास चक्कर शुरू होगा। तुम्हारा तार मुझे वहाँ भेजनेसे कुछ देरी तो होगी ही। किन्तु और कोई इलाज नही है। ईश्वर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक करे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७७३)की फोटो-नकलसे।

२१५. भाषण : गुणादला खद्दर आश्रममें

११ अप्रैल, १९२९

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप और अधिक मन लगाकर काम करे। आपको अपनी सारी शक्ति देशके लाभार्थ लगा देनी चाहिए। मुझे खुशी है कि मुझे इस आश्रममें लाया गया। मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूँ कि आप अपनी रुई यहाँ स्वयं पैदा करे और जबतक आप ऐसा नही करेंगे तबतक आप अच्छे कतैये नही बन सकते। हिन्दी सीखिए। अपने आभूषण मुझे दे दीजिए। मै इसका ज्यादा अच्छा उपयोग करूँगा। यदि आपमें इन्हें मुझे देनेका साहस नही है तो इन्हे बेचकर पैसोंमें बदल दीजिए, और उन्हे बैंकमें जमा करा दीजिए जिससे आवश्यकता पड़नेपर वह काम आ सकें। आभूषण तो शहरो और गाँवोमें पहने जाते हैं, इस प्रकारके आश्रमोमें नही।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ११-४-१९२९

१. देखिए "तार : माधवजी वी० ठक्करको", ११-४-१९२९।

२१६. भाषण: पदमतामें

११ अप्रैल, १९२९

मै केवल पैसेसे ही सन्तुष्ट नही हूँ, पैसा देनेके पीछे सच्ची भावना भी होनी चाहिए। यदि आपको इस [कार्य] से वाकई कोई लगाव है तो इसी क्षणसे शराब छोड दीजिए क्योंकि यह लोगोके दिलोंको जलाती है। शराब बनानेवाले व्यवसायियोको भी शराब तैयार करनी छोड़ देनी चाहिए। इस दानवको बाहर निकाल फेकनेके लिए आप सबको एक हो जाना चाहिए। तभी जो रुपया आप देंगे उसका फायदा होगा। मुझे वेश्याओसे तथा शराब विक्रेताओसे पैसा मिलता है और मैं उसे इस आशासे स्वीकार कर लेता हूँ कि वे अपने पापोपर प्रायश्चित्त करेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप यह सुधार तो तत्काल ही कर दे। मै चाहता हूँ कि आप विदेशी वस्त्र त्याग दे और खद्दर पहनें। जिन लोगोने अभीतक अपना हिस्सा नही दिया है उनसे मेरी अपील है कि वे अब दे दें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ११-४-१९२९

२१७. निर्भीक सभापति

[१२ अप्रैल, १९२९][1]

[केन्द्रीय] विधान सभाके सभापति [स्पीकर] और सरकारके बीचके मतभेदका परिणाम चाहे जो हो, इतना तो सच है कि विधान सभाने श्री विठ्ठलभाई झ० पटेलको अपना सभापति चुनकर जो काम किया था उसके औचित्यका श्री पटेलने अपने कार्य द्वारा जरूरतसे ज्यादा प्रमाण दे दिया है। अपनी कठोर निष्पक्षता द्वारा उन्होंने अपने पदके सम्मानकी रक्षा की है।[2] साथ ही परम्परा अथवा कानून द्वारा निर्धारित मर्यादाके भीतर रहते हुए, राष्ट्रीय हित करनेका एक भी मौका उन्होंने हाथसे नही जाने दिया है। इस कारण सहज ही उनमें और सरकारमें हर बार मतभेद पैदा होता गया है। फिर भी हर बार जीत उनकी ही हुई है, वह उस अवसरपर भी विजयी हुए हैं जब क्षणिक उत्तेजनावश उन्होंने अपने सहज शिष्ट स्वभावके विरुद्ध कटु भाषा प्रयुक्त कर दी थी। ऐसा होनेपर भी दूसरे ही दिन उन्होंने स्वेच्छासे उपयुक्त, सम्मानपूर्ण, शब्दोंमें क्षमा-याचना करके अपनी गलती सुधार ली। उन्होंने कभी अपने

१. यह लेख बुध्यूरमें इसी तारीखको लिखा गया था।

२. देखिए "वाइसरायकी लाल आँखें", २१-४-१९२९ भी।

हृदयके भाव छिपाये नही है। सभापतिकी हैसियतसे निर्भीकता-पूर्वक कार्य-संचालन करके उन्होंने राष्ट्रकी प्रतिष्ठाको बढाया है।

अतएव यहाँ उनकी महान सफलताके कारणकी जाँच करना अनुचित न होगा। उनका अपना कोई स्वार्थ नही है। सादा जीवन बितानेके कारण उनकी आर्थिक जरूरतें बहुत थोडी है। यही कारण है कि उन्हे न तो ऊँचे पदका और न बडी तनख्वाहका कोई लोभ है। और इस विरक्तिके साथ ही उनके अन्दर ऐसी अद्भुत उद्यम-शक्ति है, जिसके कारण अपने उच्च पदका कार्य-सचालन करनेके लिए जिन नियमो और कार्यप्रणालीका ज्ञान आवश्यक है, उसपर उनका अनन्य अधिकार हो गया है। विट्ठलभाई पटेलके लिए राजनीति फुरसतके वक्तका मनोरंजन नही है, वह तो उनके जीवनका प्रधान अंग बन गई है। अतएव उन्होंने राजनीतिके अध्ययनमें अपनी सारी बुद्धि और सारा समय खर्च कर दिया है, और इसके फलस्वरूप अपने क्षेत्रमें उन्होंने अपने-आपको अजेय बना लिया है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-४-१९२९

२१८. तार: माधवजी वी० ठक्करको

वुय्यूर

[१२ अप्रैल, १९२९][1]

इम्पॉर्टेन्स

कलकत्ता

जबतक पाखाना अपने आप खुलकर न आने लगे तबतक रोज एनिमा लगाना जरूरी है।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ६७७४)की फोटो-नकलसे।

1. डाककी मुहरसे।

२१९. पत्र : मीराबहनको

१२ अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

मुझे सदा तुम्हारा ध्यान रहता है। शरीरके इतने दुबलेपनसे काम नहीं चलेगा। अपनी विशाल कायाके सहारेके लिए तुम्हारे शरीरपर काफी मास होना ही चाहिए। लेकिन, हाँ, जल्दबाजीकी कोई जरूरत नहीं है। आग्रह करके अपने लिए एक कमरा जरूर ले लो, ताकि चाहो तो उसमें अपनेको बन्द कर सको।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४१९) से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३६३ से भी।
सौजन्य : मीराबहन

२२०. पत्र : छगनलाल जोशीको

१२ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। दूसरोंकी सलाह न मानना। जो कुछ हो और जो मुझे मालूम होना चाहिए उसके बारेमें मुझे अवश्य लिखना।

रतिलालको चोरवाड़के बारेमें बताना। उसे प्रसन्न करके वहीं रोक लेना।

अब पुरुषोत्तमने क्या फैसला किया है, यह लिखना।

शा. . . के[1] बारेमें जो ठीक लगे करना। ह. . .[2] उसे ले जानेको तैयार हो तो ले जाये। मेरी अनुमतिकी जरूरत नहीं है। उसे अपनी जिम्मेदारीपर ही ऐसा करना चाहिए।

मामाके साथ हुई बातचीतके बारेमें तुम्हें लिखा था न?

क्या रंगूनसे प्राप्त पैसा शंकरलालको दे दिया है?

पा. . .[3] अभी समितिमें नहीं रहना चाहता, यह समझ सकता हूँ। उससे मिलना।

तुम्हें स्वयं अभी भी शक हो तो मुझे निस्संकोच लिखना।

छगनलालवाली कोठरीका उपयोग कर सकते हो। क्या उसका कोई पत्र आया है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४०२) की फोटो-नकलसे।

१, २ और ३. नाम यहाँ नहीं दिये गये हैं।

२२१. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

१२ अप्रैल, १९२९

भाईश्री माधवजी,

तुम्हारा ७ तारीखका पत्र मिल गया है। तुम्हारे लिए खूराककी ठीक मात्रा बताना मैं अपनी शक्तिसे बाहर मानता हूँ। मेरी रायमे तो इतनी दूर बैठे-बैठे वैद्य भी बीमारके लिए खूराककी ठीक मात्रा नही बता सकता। इसलिए मैं तो सुझाव मात्र ही दे सकता हूँ। उसमे जो माफिक आ जाये वही करना। यदि कोई गड़बड़ न हो तो एक सप्ताह तक इस प्रकार करो।

(१) ८० तोला गायका दूध दिनमे चार बारमे निश्चित समयपर पियो। एक बार उबालनेके बाद ठडा दूध भी पीनेमे कोई हानि नही है, पर मात्रा निश्चित ही रहे।

(२) यदि इच्छा हो तो हर बार गिनकर बीस सूखे काले मुनक्केके दाने धोकर चूसो।

(३) और यदि भार न लगे तो हर बार ताजा ब्राउन डबलरोटी एक तोला तौलकर दूधके साथ अच्छी तरह चबा कर खाओ।

(४) एक तोला चौलाईका साग काटकर उसमे सेंधा नमक मिलाना हो तो मिला लो और उसे टोस्टके साथ खाओ। एक सप्ताह तो दिनमे भोजनके साथ एक ही बार खाओ; हर बार नही।

बीचमे प्यास लगे तो एक बार उबालकर ठण्डा किये हुए पानीमें २० ग्राम सोडा बाईकार्ब मिला लो। दूसरे गिलासमे एक खट्टा नीबू निचोड़ लो। यह रस पानीमे डालकर पी जाओ। पर दिनमे एक ही बार पियो।

सबेरे उठकर दातून करनेके बाद एक प्याला गरम पानी पी जाओ। देखोगे, कि मैंने उसमें शहद डालनेके लिए नही कहा। शहद तो काले मुनक्केसे मिल जायेगी और विटामिन कुछ कच्ची भाजीसे और नीबूसे मिल जायेंगे।

बलगम आता हो तो उसका ध्यान रखना; पर उससे घबरानेकी कोई बात नही। साँस न फूले इतना ही काफी है। जैसे-जैसे शक्ति आयेगी बलगम कम हो जायेगा।

इस खूराकसे भारीपन लगे तो टोस्ट कम कर देना। टोस्ट बिल्कुल बन्द करने पर भी बोझ लगे तो दूधकी मात्रा कम कर देना। बहुत करके तो एक सेर दूध पच जायेगा और रोटी भी। सोडासे मदद मिलेगी। यह तो सिर्फ तुम्हारे मार्ग-दर्शनके लिए है। काममें लगे रहनेमे कोई हानि नही है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७७७)की फोटो-नकलसे।

२२२. भाषण: स्त्रियोंकी सभा, मसूलीपट्टममें

१३ अप्रैल, १९२९

यहाँ इतनी सारी बहनोंको देखकर मुझे खुशी हुई है, लेकिन यह देखकर कि उनमे से बहुत-सी बहने विदेशी वस्त्र पहने हुई हैं, मुझे दुख हुआ। मेरी प्रार्थना है कि आप विदेशी वस्त्र त्याग दे तथा खादी पहने। भारतमे एक बार फिर रामराज्य हो जाना चाहिए। सीताके बिना तो रामराज्य हो नही सकता और मैं चाहता हूँ कि आप सब सीताकी प्रतिमूर्ति बने।

किसीको अस्पृश्य मत समझिए, अपने बच्चों, लड़के तथा लड़कियोंका प्रशिक्षण अपने पूर्वजोंसे गृहीत श्रेष्ठतम परम्पराओंके अनुकूल ही करिए। बाल-विवाहको न तो प्रोत्साहन दीजिए और न उसका समर्थन करिए। अपने बच्चोंको जितनी अच्छी शिक्षा दे सकते हो, दीजिए। मैं चाहता हूँ कि खद्दरके लिए आप अपनी मूल्यवान वस्तुएँ तथा आभूषण समर्पित कर दे, क्योंकि हमारी घरेलू और आर्थिक कठिनाइयोंके लिए आभूषणोंकी अपेक्षा खद्दर अधिक महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी है। मेरी बहुत-सी बहनोने इस दिशामें जबरदस्त त्याग करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और मुझे उम्मीद है कि खद्दरके लक्ष्यके लिए आप भी उनसे पीछे नही रहेंगी।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १५-४-१९२९

२२३. भाषण: अरुन्धती आश्रम, मसूलीपट्टममे

१३ अप्रैल, १९२९

इस प्रकारकी संस्थामें बुलाये जानेपर मैं सम्मानित अनुभव करता हूँ। मुझे ऐसी सस्थाओमे जानेमे हमेशा दिलचस्पी रही है जहाँ पंचम बालकोको उनकी शिक्षा तथा भलाईके लिए विशेष सुविधाएँ दी जाती हो।

आइए, हम इस बातपर जरा सच्चे दिलसे विचार करें कि अस्पृश्यता वास्तवमे किस चीजमे है। यह तो स्वास्थ्य, सफाई और सुव्यवस्थित जीवनके नियमोंके प्रति उपेक्षा भाव रखनेके कारण ही हम अस्पृश्य बनते हैं।

मुझे मालूम नही कि और जगहोकी तरह ही यहाँ पंचमोंके बीच भी मद्यपानकी बुराईका प्रचलन है या नही। यदि यहाँपर भी वैसा ही है तो मैं बिना झिझके अपने पंचम भाइयोंको मद्यपानके अभिशाप तथा गोमास खानेके विरुद्ध चेतावनी देता हूँ। अपने इतने सारे पंचम भाइयोको यहाँ शिक्षा प्राप्त करते देखकर मैं अपना सन्तोष प्रकट किये बिना नही रह सकता। हमारे इतने सारे पंचम भाई अन्य जातियोंके

समान ही जो आर्थिक कठिनाइयाँ झेल रहे है उनकी तरफसे मेरी आँखें वन्द नही है और इसका उपाय, जिसे वतानेमे मै कभी थका नही हूँ, खद्दर है। इसलिए यहाँ उपस्थित पचम भाइयोसे मै अपील करूँगा कि वे खद्दरको अपनायें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-४-१९२९

२२४. भाषण: आन्ध्र जातीय कलाशाला, मसूलीपट्टममें[1]

१३ अप्रैल, १९२९

आप लोगोंसे दुवारा मिलनेका, खास तौर पर आपकी राष्ट्रीय संस्थाके उसी परिचित और पवित्र प्रांगणमे मिलनेका अवसर पाकर मुझे वहुत खुशी हुई है। लेकिन इस खुशीमे पीडा और दुख भी मिले हुए है, क्योकि आज मुझे यहाँ हनुमन्तरावके परिचित मुखड़ेका अभाव खटक रहा है, जो कि इस राष्ट्रीय कालेजके प्रवर्तक और प्राण थे। इसलिए इससे पहले कि मै अपने भाषणके दूसरे अशोपर आऊँ, मै अपने आपको दिलमे उमड़ रहे उन विचारोंके वोझसे हल्का कर लेना चाहता हूँ जिनका सम्बन्ध इस संस्थासे है। यह अब जगजानी वात है कि इस समय इस संस्थामे आपसी मनमुटाव है और इस वातका डर है कि हनुमन्तरावने जो श्रेष्ठ कार्य हमें वसीयतके रूपमें दिया था उसपर पानी न फिर जाये। उन सब लोगोसे जो इस संस्थाके भविष्यके लिए उत्तरदायी है मै सलाह तथा चेतावनीके तौरपर एक-दो शब्द कहूँगा। वह यह कि इस संस्थाके विशुद्ध राष्ट्रीय चरित्रको हर हालतमे सुरक्षित रखें। भारतमें अपनी यात्राके दौरान मै लोगोको गर्वपूर्वक वताता रहा हूँ कि यह संस्था हमारे प्यारे देशके अन्दर उस विशाल मरुभूमिमें नखलिस्तानकी तरह है जिसने हमें इस समय चारो ओरसे घेर रखा है। परीक्षाकी घडीमें अपने विश्वासको डिगने मत दीजिए। केवल अनुकूल परिस्थितियोमे ही पनपनेवाला विश्वास किसी कामका नही होता। विश्वासका कोई मूल्य तभी है जब वह कडी-से-कडी परीक्षामे भी अडिग वना रहे। आपका विश्वास सारे संसारकी निन्दाके सामने भी यदि अडिग न रह सके तो फिर वह ठोस दिखकर भी भीतरसे खोखला ही है। इसलिए आपको अपनी सस्थाकी सफलताका मूल्याकन इस सस्थामे प्रवेश लेनेवालोकी सख्याके आधार पर कभी नही करना चाहिए, वल्कि इस राष्ट्रीय संस्थाकी भावी नीतिका निर्णायक तत्व गुण और केवल गुण ही होना चाहिए। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आपकी इस सस्थामे पढनेको इच्छासे यदि केवल एक वच्चा भी आयेगा तो उसको पढानेमे आपको सन्तोष मिलेगा। इसके विपरीत, यदि आपसे कोई इस शर्तपर एक

१. यह भाषण "आन्ध्र देशमें" शीर्षक लेखके एक अंशके रूपमें २५-४-१९२९ को प्रकाशित हुआ था।

हजार बच्चोंको दाखिला दिलानेका वादा करे कि आप [सरकारी संस्थाके साथ] सम्बद्ध होना स्वीकार कर लें, तो भी आप झुकेंगे नही।

आपने जो मुझे बहुत-सी थैलियाँ और अभिनन्दनपत्र भेंट किये हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इन सब अभिनन्दनपत्रोंका विस्तारसे उत्तर देनेके लिए मेरे पास समय नही है, लेकिन फिर भी मैंने दो अभिनन्दनपत्रों — बांदर डिस्ट्रिक्ट बोर्डके और बादर नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रों — को उत्तर देनेके लिए चुना है, क्योकि उनमें आलोचना की गई है। मैं इन अभिनन्दनपत्रोको उनकी आलोचनाके कारण महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। आलोचनासे मुझे फायदा हो सकता है, प्रशंसासे नही। इन अभिनन्दनपत्रोमें विदेशी वस्त्रके जलाये जानेके विरुद्ध एक आपत्ति उठाई गई है। जो तर्क दिया गया है वह कोई मौलिक या नया तर्क नही है। इन अभिनन्दनपत्रोमें जिस प्रकारकी आपत्तियाँ उठाई गई है, मेरे कुछ घनिष्ठ मित्र भी बिलकुल उसी तरहकी आपत्तियाँ उठा चुके हैं। लेकिन इन आपत्तियोंपर बहुत ध्यानपूर्वक विचार कर लेनेके बाद भी इस प्रश्नपर मेरा जो मत सदा रहा है, उसे मैं बदल नही सका हूँ। वह दृष्टिकोण यह है कि हम लोगोका यह कर्त्तव्य है कि हम अपने विदेशी वस्त्र उतार फेंके और उन्हे आगमे डाल दे। और मैं साहसपूर्वक यह कह सकता हूँ कि विदेशी वस्त्र जलाना न केवल अहिंसाके सिद्धान्तके अनुकूल है बल्कि ठीकसे समझा जाये तो उस सिद्धान्तकी यह माँग है कि भारतमे विदेशी वस्त्र जलाया जाये। कपडोंकी इस होलीके बारेमे एक महत्त्वपूर्ण बात याद रखिए, वह यह कि जिस व्यक्तिके पास विदेशी कपड़े हैं उसीसे कहा जाता है कि उसके पास जो विदेशी कपड़े है उन्हें वह जलानेके लिए दे दे। यह तो आप मानेंगे ही कि यदि मेरे पास कोई कपड़ेका ऐसा टुकड़ा या अन्य ऐसी कोई चीज हो जिसमे प्लेगके कीटाणु हो तो उसे जला डालना मेरा कर्त्तव्य होगा। मुझे याद है कि जब मैं दक्षिण आफ्रिकामें था तब जोहानिसबर्गकी नगरपालिकाने एक बाजारको, जिसके निर्माणमें १४,००० पौंड खर्च हुए थे, वहाँ रखे समस्त माल असबाबके सहित आग लगा दी थी। कारण यह था कि उक्त मालमे प्लेगके कीटाणु भरे होनेका शक था। जोहानिसबर्ग नगरपालिकाकी इस कार्रवाईकी मैंने बहुत सराहना और प्रशंसा की थी और मेरा अब भी यही विचार है कि शायद इस कार्यने ही जोहानिसबर्गको प्लेगकी महामारीकी सम्भावनासे बचा लिया था। एक वैष्णव होनेके नाते मैं आपके सामने अपने जीवनके तथा अपने मित्रोंके जीवनके ऐसे अनुभव बता सकता हूँ जब कि बढ़ियासे-बढ़िया खान-पानकी वस्तुओंको केवल इस कारण नालीमें फेंक दिया गया कि वे शास्त्रीय दृष्टिसे अशुद्ध हो गई थी। विदेशी वस्त्रके सम्बन्धमे मेरा निवेदन यह है कि यह अशुद्ध ही नही है बल्कि इसमे ऐसे भयंकर कीटाणु भरे हुए है जो भारतके नैतिक, आर्थिक और राजनैतिक कल्याणके लिए घातक है। आप मसूलीपट्टमके निवासियोंको इस बन्दरगाहका इतिहास याद दिलाने और यह बतानेकी जरूरत नही है कि विदेशी वस्त्रने किस प्रकार भारतके इस बन्दरगाहकी व्यापारिक समृद्धिको तथा यहाँकी अद्वितीय कलाको नष्ट कर दिया है। मैं तो यह मानता हूँ कि चरखेका त्याग करके

तथा भारतकी आर्थिक स्वतन्त्रताको थोडेसे विदेशी वस्त्रोके बदले बेचकर हमने भारतीय जनताके प्रति एक भयकर अपराध किया है और आज अपनी अकर्मण्यताके कारण हम उसी अपराधको फिर दुहरा रहे है। इसलिए मैने यह अनुभव किया कि मेरा यह परम कर्त्तव्य है कि मै भारतको उसकी इस काहिलीसे जगाऊँ। आपको इस मामूली-सी सचाईको समझनेके लिए अर्थ-शास्त्रके ज्ञानकी जरूरत नही है कि हमारे जो ६० करोड़ रुपये विदेशी वस्त्र खरीदनेमे खर्च होते है उसे यदि हम भारतके करोडों क्षुधा-पीड़ित लोगोमे बाँट दे तो फिर उनमेसे किसीको भूखो मरनेकी जरूरत नही होगी। इसी प्रकार आप बिना अंकगणितका ज्ञान हुए भी यह सीधा-सादा तथ्य समझ सकते है कि यदि हम भारतकी जरूरत-भर का सारा कपडा स्वय तैयार कर सके तो इन ६० करोड़ रुपयोको भारतसे बाहर जानेसे रोकना सम्भव है। यह काम हम आजसे केवल १०० साल पहले तक कर ही रहे थे। हमारे पास उन करोड़ो स्वस्थ पुरुषो तथा स्त्रियोके बाजुओकी ताकत मौजूद है जो भारतकी झोपडियोमे निठल्ले बैठे-बैठे सड रहे है। कोई कारण नही है कि ये करोडो निठल्ले हाथ भारत-के सात लाख गाँवोकी झोपड़ियोमे चरखे न चलाये। इंग्लैडमे रुई पैदा नही होती, लेकिन फिर भी वह इसे सम्भव पाता है कि भारतमे पैदा होनेवाली रुईको लादकर सुदूर लकाशायर तक ले जाये तथा वहाँसे उसका कपड़ा तैयार करके भारतको वापस भेजे। तब फिर हम लोगोंके लिए उस रुईको, जिसका हम स्वय उत्पादन करते है, भारतके उन स्थानोपर, जहाँ इसकी आवश्यकता है, ले जाना तथा उसका कपडा बुनवाना कितना आसान होगा? लोगोकी उदासीनताके बावजूद तथा निष्क्रिय और सक्रिय विरोधके बावजूद भी यह कार्य आज इस देशके दो हजार गाँवोमे किया जा रहा है, और हमारी जरूरतमन्द बहने अपनी कोमल उँगलियोसे काते गये सूतके बदले पैसा या रुई लेनेके लिए खुशी-खुशी प्रतिदिन या प्रति सप्ताह मीलों पैदल चलना बरदाश्त करती है। इसलिए यदि हमे इन जरूरतमन्द बहनोके प्रति तथा भारतके उन करोड़ो क्षुधा-पीडित लोगोके प्रति — जिनमे स्वय अग्रेज प्रशासकोके अनुसार दस प्रतिशत लोग ऐसे है जिन्हे पूरे वर्षमे एक दिन भी दोनो जून भरपेट भोजन नही मिलता — थोडा भी दर्द है तो आपको चाहिए कि आप एक इंच विदेशी कपड़ा भी अपने पास न रखे और उसे आगमे झोक दे। यह कमसे-कम प्रायश्चित्त है जिसकी अपेक्षा भारत माता अपने बेटोसे करती है।

लेकिन इनमे से एक अभिनन्दनपत्रमे यह सुझाव पेश किया गया है कि खादीकी बिक्री दलालोके माध्यमसे नही होनी चाहिए बल्कि प्रत्येक व्यक्तिको अपनी जरूरतकी खादी स्वयं तैयार करनी चाहिए। पूर्णताका यह परामर्श मुझे पसन्द है, केवल इतना ही है कि इस सुझावमे खादीके उत्पादनसे सम्बन्धित व्यावहारिक तथ्योका अज्ञान झलकता है, और यदि इन अभिनन्दनपत्रोको तैयार करनेवाले इजाजत दे तो मै कहूँगा कि इनमे खादी-उत्पादनकी विधिका अज्ञान प्रकट होता है। जिस प्रकार हरेक व्यक्तिके लिए अपनी जरूरतका चावल स्वयं पैदा करना शारीरिक रूपसे असम्भव है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके लिए अपनी खादी स्वय तैयार करना भी शारीरिक

रूपसे सम्भव नही है। भारतके शहरोमें रहनेवाले लोग यदि चाहे तो भी वे अपनी खादी स्वयं तैयार नही कर सकते। भारतके ज्ञात इतिहासमें ऐसा समय कोई नही हुआ जब प्रत्येक व्यक्तिके लिए अपनी खादी स्वयं तैयार करना सम्भव रहा हो। लाख कोशिश करके भी मैं नही समझ सकता कि इस कथनके पीछे क्या दर्शन है: 'या तो स्वय तैयार की हुई खादी पहनो या फिर विदेशी वस्त्र पहनो।' यह बात जान लेनी चाहिए कि भारतमें ऐसे करोड़ों लोग है जो दिनमे आठ घटे चरखेपर काम कर सकते हैं और उस सूतसे तैयार की गई सारी खादीको उपयोगमें लाना उनके लिए असम्भव है। इसलिए भारतके अच्छे नागरिकोका यह कर्त्तव्य है कि वे अपने इन भाइयों और बहनो द्वारा तैयार की गई खादीका फालतू अश खरीद लिया करे। हम यह भी नही भूलना चाहिए कि यह मनुष्यकी समाजके साथ मिल-जुलकर चलनेवाली वृत्ति ही है जो उसे पशुओसे अलग करती हैं। यदि स्वतन्त्रता उसका विशेषाधिकार है तो साथ ही साथ एक दूसरे पर निर्भर रहना उसका कर्त्तव्य है। कोई घमण्डी व्यक्ति ही दूसरोसे स्वतन्त्र रहते हुए आत्म-निर्भरताका दावा करेगा। लेकिन इन अभिनन्दनपत्रोके तैयार करनेवालोको मै नम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'आत्म-निर्भर' प्रणालीसे खादी तैयार करनेवाला आन्दोलन भारतमें कई स्थानोंपर चल रहा है और यदि नगरपालिकाएँ, ताल्लुका बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना बुनियादी कर्त्तव्य निभाये और इसकी मदद करे तो हमारे गाँवोका इस प्रकार पुनर्गठन किया जाना सम्भव है जिसमे सामूहिक रूपसे हमारे गाँव — व्यक्तिगत रूपसे एक-एक ग्रामीण नही — जहाँतक उनकी कपड़ेकी जरूरतोंका सवाल है, आत्म-निर्भर हो जायेंगे। इन अभिनन्दनपत्रोको तैयार करनेवाले यदि अ० भा० च० सं० द्वारा छापे गये साहित्यको पढनेका कष्ट करे तो उन्हे पता चलेगा कि इस दिशामें क्या किया जा रहा है। इसी वजहसे मैं कई बार यह कह चुका हूँ कि जब भारतमें खादीका प्रचलन आम हो जायेगा तब इसे विदेशी कपड़ेसे और यहाँतक कि भारतीय मिलोके कपडेसे होडका कोई डर नही रह जायेगा। थोडा-सा भी विचार करने पर यह देखा जा सकता है कि यह बात स्वयंमे इतनी स्पष्ट है कि इसे और समझानेकी जरूरत नही है।

लेकिन अब मुझे इस विषयको छोड़कर दूसरे विषयोपर आना चाहिए जो इतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। कार्यसमिति ऐसे हरेक भारतीयसे, जो अपने देशको स्वतन्त्र करानेका इच्छुक है, केवल विदेशी वस्त्रका बहिष्कार करनेकी ही अपेक्षा नहीं करती बल्कि वह यह भी चाहती है कि वह भारतमे मद्यपानको समाप्त कर दे। शराबका अभिशाप भारतीय समाजको खोखला किये डाल रहा है और कारखानोमे काम करने वाली मजदूर जनता इस शराबकी लतके कारण धीरे-धीरे पतित होती जा रही है। मसूलीपट्टमके हरेक बुद्धिमान नागरिकसे मेरा कहना है कि यह उसका कर्त्तव्य है कि वह भारतमे मद्य-निषेध लागू करानेका भरसक प्रयत्न करे और यदि हम अपना कर्त्तव्य निभायेंगे तो फिर हम विदेशी सरकारको भी मद्य-निषेध कानून लागू करनेके लिए बाध्य कर देंगे।

देश-भरमें राष्ट्रीय धनके साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। मित्रो, आपको मालूम नही है कि खादी-उत्पादन तथा अस्पृश्यता-निवारणके लिए आन्ध्र देशको कितनी रकम दी गई है और आप मुझे यह कहनेकी इजाजत देंगे कि जिन विभिन्न कार्यकर्त्ताओको यह रकम सौंपी गई थी उन्होंने इसका जिस ढगसे इस्तेमाल किया है उससे मुझे खुशी नही हुई है। अब हमे नीदसे जाग जाना चाहिए। जबतक हम राष्ट्रीय पैसेकी वैसी ही कदर नही करेगे जैसी कि हम अपने पैसेकी करते है, जबतक हम देशके सम्मानकी रक्षा उसी प्रकार नही करेगे जिस प्रकार अपने सम्मानकी करते है, तबतक हमे स्वराज्य हासिल नही होगा। यदि हम चाहते है कि हमे राष्ट्रीय सेवककी उपाधि मिले तो हमे इन सब मामलोमे सीजरकी पत्नीकी तरह शक व शुबहसे ऊपर रहना चाहिए। यही काफी नही है कि कार्यकर्त्ता इस पैसेका इस्तेमाल अपने लिए न करे बल्कि यह भी ठीक नही है कि वे इसे असावधानीसे खर्च करे या निर्धारित कार्योके बजाय दूसरे कार्योपर खर्च करे।

आन्ध्र प्रदेशमे असीम सम्भावनाएँ है। इसके पुरुष शक्तिशाली है। दक्षिण आफ्रिकामे भी मैंने देखा है कि आन्ध्रकी स्त्रियाँ स्फूर्तिवान और उद्यमी है। आपकी उदारता इतनी ज्यादा है कि वह दोष जैसी लगती है। यदि आपका नेतृत्व ठीक प्रकारसे किया जाये तो आपमे अद्भुत आत्म-त्यागकी क्षमता है। आपकी वीरता असन्दिग्ध है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो लोग देशके प्रति अच्छा कार्य कर सकनेकी स्थितिमें है वे सेवा करनेके बजाय नेतृत्व करनेके ज्यादा उत्सुक है। जहाँ आलोचना करनी चाहिए वहाँ आप आलोचना करनेमे झिझकते और डरते है तथा हरेक दोषको छिपानेकी राष्ट्रीय कमजोरी आप लोगोमे भी है। यदि इस शिष्टाचार, अनुशासन तथा परीक्षणके वर्षके दौरान मैंने आपको उन कमियोकी ओरसे सावधान नही किया या आपसे उन्हें दूर करनेके लिए नही कहा तो मै आपके प्रति सच्चा नही होऊँगा।

आप देख ही चुके है कि हमारे अत्यन्त योग्य स्पीकर महोदय,[1] जिनसे अधिक योग्य स्पीकर शायद ही हमे कभी मिले, द्वारा किये गये अत्यन्त शानदार और प्रभावकारी कामको शक्तिशाली वाइसरायके मुँहसे निकले एक ही शब्दने किस प्रकार एक मिनटमे व्यर्थ कर दिया है। मैंने आपका ध्यान इस घटनाकी ओर इसलिए दिलाया है ताकि आप देख सके कि आपके सामने कितना बड़ा काम करनेको पडा है। चाहे आज आये या आजसे बरसो बाद आये, लेकिन भारतमे स्वतन्त्रता तथा मुक्ति तथाकथित विधान सभाओंके जरिये नही आयेगी बल्कि वह तो कांग्रेस द्वारा निर्दिष्ट विधिके अनुसार गाँवोमे काम करके हासिल होगी। यदि वाइसरायको इसका ज्ञान होता कि स्पीकर महोदय एक ऐसे राष्ट्रके प्रतिनिधि है जो जागरूक है और साहसिक कार्य करनेमें समर्थ है तो वह विट्ठलभाई द्वारा दिये गये निर्णयको शिरोधार्य कर लेते। वाइसरायको तथा सरकारको, जिसके वाइसराय प्रमुख है, जो शक्ति प्रभावित कर सकती है वह कोई बम फेंकनेवाली उन्मत्त शक्ति नही है बल्कि करोड़ो लोगो द्वारा किये गये कामसे उत्पन्न एक सामूहिक, शान्त और अथक शक्ति

१. केन्द्रीय विधान सभाके स्पीकर विट्ठलभाई पटेल।

है। मुझे एक ऐसी एकता रखनेवाली काग्रेसके दर्शन कराइए जिसमें रुपये-पैसेका ठीक-ठीक हिसाव रखा जाता हो, जिसके करोडो ग्रामीण सदस्य हो, हरेक गाँवमे जिसने खादी भण्डार खोल रखे हो, जिसे हरेक व्यक्तिके सम्मानकी फिक्र हो, जिसने अस्पृश्यताके कलंकको धो डाला हो, जिसने हिन्दू और मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी और सिखोमे एकता स्थापित कर दी हो; —ऐसी कांग्रेसके दर्शन कराइए और तव आप देखेगे कि इस देशका प्रतिनिधित्व करनेवाले किसी स्पीकरके अधिकारकी अवहेलना या अवज्ञा करनेका दुस्साहस कोई वाइसराय नही कर सकेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-४-१९२९

२२५. टिप्पणियाँ

श्री मंचरशा अवारी

पाठक जानते है कि श्री मंचरशा अवारी नागपुर जेलमे है। उनके भाई लिखते है:[1]

मैंने श्री अवारीको पत्र लिखा है, लेकिन फिर क्या हुआ सो सफरपर होनेके कारण मालूम नही कर सका हूँ। इस वारेमे मै स्थानीय काग्रेसको भी सलाह दे चुका हूँ। मेरी रायमे, जेलमे सत्याग्रही कैदीको खादीके कपड़ोका आग्रह नही करना चाहिए। सत्याग्रहीको चाहिए कि वह जेलके सामान्य नियमोको न तोड़े। लेकिन जब अपमानजनक व्यवहार किया जाये, वेहद जुल्म हो, धर्मपर आँच आती दिखे या जिस कामके न करनेके कारण दण्ड मिला हो, वही काम जबर्दस्ती कराया जाये तो अवश्य ही नियमोंको सविनय अवज्ञा की जा सकती है। जैसे जेलर गालियाँ दे, अखाद्य खूराक खानेको दे, मैले कपड़े पहननेको दे, तब विरोध किया जा सकता है। या जब वाहर खादी पहननेको अपराध मानकर सजा दी गई हो और जेलमे खादीकी जगह विदेशी कपड़े पहननेको दिये जाते हो तो खादी पहननेका आग्रह करना उचित है, वह किया जाना चाहिए। श्री अवारीको खादी पहननेके जुर्मपर जेलकी सजा नही मिली है। इस कारण मेरी रायमें जेलमे उनका खादीके लिए जिद करना ठीक नही है। साथ ही मै यह भी मानता हूँ कि अगर जेलके अधिकारी श्री अवारीको वाहरसे खादी मँगाकर पहननेसे मना करते हो, तो वे अन्याय करते है और श्री अवारीका आग्रह तोड़नेकी उनकी जिद अनुचित है। मै आशा करता हूँ कि श्री अवारीको खादी न देनेमे कोई दूसरा और खास कारण होगा। इस वारेमे स्थानीय नेता ठीक-ठीक जाँच करे तो अच्छा हो।

1. यहाँ नहीं दिया गया है। श्री मंचरशा जेलमें भी खादीके कपड़े पहनना चाहते थे किन्तु जेलके सुपरिंटेंडेंट द्वारा वैसी सुविधाके अभावमें वे सारा दिन नगे बदन रहते थे। पत्र-लेखकने इस विषयमें गांधीजीकी राय ली थी। देखिए खण्ड ३७, पृष्ठ ४५ भी।

घर फूंक तमाशा देख

वढवानसे एक दूकानदार लिखते हैं:[1]

इसकी एक सरल तरकीब है, लेकिन वह जरा मुश्किल भी है। तथाकथित ऊँची जातिके लोग जो-कुछ करते हैं अन्त्यज भी उसीकी नकल करते हैं। इसलिए अगर ऊँची जातिवाले ऐसे अवसरोंपर भोज आदि देना छोड़ दें तो अन्त्यज भाई भी सहज ही उन बुरी आदतोंको छोड़ देंगे, जिन्हें उन्होंने ऊँची जातिवालोंके कारण अपना लिया है। लेकिन इस शुभ घड़ीको आनेमें अभी दिन लगेंगे। इसलिए तुरन्त ही फल देनेवाला मार्ग तो यह है कि अन्त्यज भाइयोंको उनकी हालतका भान कराया जाये और उन्हें सुधारके लाभ समझाये जायें; उनसे सुधार करवाये जायें। अनेक लोग तो केवल डरके मारे 'औसर मौसर'[2] आदि करते हैं। अन्त्यजोंमें भी जातिच्युत होनेका डर रहता है; 'ऊँची' जातिवालोंसे भी ज्यादा। जो 'ऊँची' जातिके सज्जन जातिसे बाहर हो जाते हैं उनके सहारेके लिए तो बाकीका सारा हिन्दू जगत बचा रह जाता है। लेकिन जातिच्युत अन्त्यजका रक्षक तो अकेला भगवान ही है; अन्यथा वह लालचमें पड़कर दूसरे धर्ममें चला जाता है। जिस दिन अन्त्यज भाई अपने आपको पहचानने लगेंगे उस दिन उनकी सुधार करनेकी शक्ति 'उच्च' जातिवालोंसे भी कहीं अधिक बढ जायेगी। 'उच्च' जातिके मार्गमें तो कई दूसरे स्वार्थके प्रलोभन रोड़े अटकाते हैं, लेकिन अन्त्यज जहाँ एक बार अपने आपको समझने लगा और निडर बना कि फिर उसके रास्तेमें एक भी रुकावट खड़ी नहीं होती। उन्हें इस तरह जागृत और निडर बनाना 'ऊँची' जातिवालोंका धर्म है, यही उनका प्रायश्चित्त है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन १४-४-१९२९

२२६. 'गीता' और 'रामायण'

बहुतेरे नौजवान कोशिश करते हुए भी पापसे बच नहीं पाते। वे हिम्मत खो बैठते हैं और फिर दिन-प्रतिदिन पापमें और गहरे-गहरे धँसते चले जाते हैं। बहुतेरे तो बादमें पाप ही को पुण्य भी मानने लगते हैं। ऐसोंको मैं प्रायः बारबार 'गीता' और 'रामायण' पढ़ने और उनपर विचार करनेकी सलाह देता हूँ। लेकिन वे इसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते। इसी तरहके नौजवानोंको धीरज बँधानेके लिए एक नौजवानके पत्रका कुछ हिस्सा, जो इस विषयसे सम्बन्धित है, नीचे देता हूँ:[3]

१. यहाँ नहीं दिया गया है। एक गरीब अन्त्यजके पिताका देहान्त होनेपर जातिवाले उससे कर्ज लेकर जाति-भोज देनेका आग्रह कर रहे थे। लेखकने उससे बचनेका उपाय पूछा था।

२. मृत व्यक्तिके संस्कारके सन्दर्भमें दिये जानेवाले भोज आदि।

३. यहाँ नहीं दिया गया है। लेखकने गीता और रामायणके अध्ययनसे पहलेकी अपनी निराशा और उनके अध्ययनके बादके उत्साह और आनन्दका वर्णन किया था।

इस पत्रके लेखकमें पहले जितनी निराशा और जितना अविश्वास था, किसी दूसरे नौजवानमें शायद ही उतनी निराशा और उतना अविश्वास हो। दोषोंने उसके शरीरमें घर कर लिया था। लेकिन आज उसमें जिस श्रद्धाका उदय हुआ है, उससे नवयुवक-जगतमें आशाका संचार होना चाहिए। जो लोग अपनी इन्द्रियोंको जीत सके हैं उनके अनुभवपर भरोसा करके लगनके साथ 'रामायण' वगैराका अध्ययन करनेवालेका दिल पिघले बिना रह ही नहीं सकता। मामूली विषयोंके अध्ययनके लिए भी जब हमें अक्सर बरसोंतक मेहनत करनी पड़ती है, कई तरकीबोंसे काम लेना पड़ता है, तो जिसमें सारी जिन्दगीकी और उसके बादकी शान्तिका भी रहस्य छुपा हुआ है, उसके अध्ययनके लिए हममें कितनी लगन होनी चाहिए? तिसपर भी जो लोग बहुत ही थोड़ा समय और ध्यान देकर 'रामायण' तथा 'गीता'में से रसपान करनेकी आशा रखते हैं, उनके लिए क्या कहा जाये?

ऊपरके पत्रमें लिखा है कि अपने स्वस्थ होनेका खयाल आते ही विकार फिरसे प्रबल हो जाते हैं। जो बात शरीरके लिए ठीक है वही मनके लिए भी ठीक है। जिसका शरीर बिलकुल चंगा है उसे अपने स्वस्थ होनेका खयाल कभी आता ही नहीं, न उसकी कोई जरूरत ही है, क्योंकि तन्दुरुस्ती तो शरीरका स्वभाव है। यही बात मनपर भी लागू होती है। जिस दिन मनकी तन्दुरुस्तीका ख्याल आये, समझ लो कि विकार पास आकर झाँक रहे हैं। अतः मनको हमेशा स्वस्थ बनाये रखनेका एकमात्र उपाय उसे हमेशा अच्छे विचारोंमें लीन रखना है। इसी कारण रामनाम वगैराके जपकी बातकी शोध हुई और वे गेय माने गये। जिसके हृदयमें हर घड़ी रामका निवास हो उसपर विकार चढ़ाई कर ही नहीं सकते। सच तो यह है कि जो शुद्ध बुद्धिसे रामनामका जप करता है, समय पाकर रामनाम उसके हृदयमें घर कर लेता है। इस तरह हृदयमें प्रवेश होनेके बाद रामनाम उस मनुष्यके लिए एक अभेद्य किला बन जाता है। बुराईको सोचते रहनेसे वह नहीं मिटती; अच्छाईका विचार करनेसे बुराई जरूर मिट जाती है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि लोग अच्छी नीयतसे भी उलटी तरकीबोंको काममें लाते हैं। यह बुरा विचार कैसे आया, कहाँसे आया? आदि सोचनेसे कुविचारका ध्यान बढ़ता जाता है। बुराईको मेटनेका यह उपाय हिंसक कहा जा सकता है। इसका सच्चा उपाय तो बुराईसे असहयोग करना है। जब बुराई हमपर आक्रमण करे तो उससे 'भाग जा' कहनेकी कोई जरूरत नहीं, हमें तो यह समझ लेना चाहिए कि बुराई नामकी कोई चीज है ही नहीं; हमेशा स्वच्छताका, अच्छाईका विचार करते रहना चाहिए। 'भाग जा' कहनेमें डरका भाव है। उसका विचारतक न करनेमें निडरता है। हमें सदा यह विश्वास बढ़ाते रहना चाहिए कि बुराई मुझे छू तक नहीं सकती। अनुभव द्वारा यह सब सिद्ध किया जा सकता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-४-१९२९

२२७. एक युवककी मनोदशा

कालेजका एक विद्यार्थी लिखता है:[1]

मैं देखता हूँ कि पत्रमे न तो नवयौवनका छलकता आशावाद है, न तारुण्यकी वीरता। हाँ, उसमे मेरे समान मौतके किनारे बैठे हुओकी निराशा और सूम बनियेकी कजूसी जरूर है। इस नवयुवकने यह क्यो सोच लिया है कि आजकी हालत देखते हुए, सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य नही ही देगी? यह नवयुवक भूल जाता है कि सरकारको तो कुछ भी देना नही है, जो कुछ लेना है, सो तो हमे अपने ऐक्य और त्यागके बलपर लेना है। कौड़ियोंका हिसाब लगानेवालोको जो बात अशक्य मालूम पड़े, साहसी नवयुवकके लिए वही बात बिलकुल सम्भव लगनी चाहिए। अशक्यको शक्य बनानेमे ही नवयुवककी बहादुरी और उसके यौवनकी शोभा है।

लेकिन आज जिस ढगसे काम हो रहा है, अगर देशके नौजवान और दूसरी जनता भी उसे उसी तरह चलने देंगे तो मैं मानता हूँ कि इस सालके आखिरमें हम विजय नही पा सकेंगे। अगर यही हुआ तो भी वीरोके लिए तो वह एक स्वागतकी चीज होगी, क्योंकि उन्हे तो संघर्षका मौका मिलेगा। युद्धका प्रसंग आनेपर मुझे जमीन छोड़नी पड़ेगी, क्या कोई योद्धा इस भयसे अपनी जमीन छोड़कर भाग खड़ा होता है?

मैं तो विद्यार्थियोकी घबराहटका कोई कारण नही देखता। युद्ध करनेका समय आया ही तो भी उन्हे विश्वास रखना चाहिए कि छोड़े हुए कालेज आखिर उन्हीके है। स्वराज्य प्रश्नके मुकाबले फीसका सवाल तो बिलकुल मामूली है। जिस समय बहुतोके अपना सर्वस्व त्यागनेकी बारी आयेगी उस समय फीसकी गिनती ही क्या हो सकती है?

अब मैं मूल प्रश्नपर आता हूँ। सरकारी शालाओका बहिष्कार करना है या नही करना है, इस बातका निर्णय करना तो कांग्रेसका काम है। मेरा बस चले तो मैं जरूर ही सरकारी शालाओं और कालेजोका बहिष्कार कराऊँ। यह बात दीपकके समान स्पष्ट है कि इन शालाओ और कालेजोके द्वारा सरकार देशपर राज्य कर रही है। विद्यापीठमें भाषण देते हुए आचार्य रामदेवजीने अग्रेजोकी ही साक्षी देकर यह सिद्ध कर दिया था कि वर्तमान शिक्षण नीति तैयार करते समय राज्यके लिए नौकर पैदा करनेकी बात खास तौरपर ध्यानमें रखी गई थी। आज हजारो नवयुवक उपाधिरूपी सरकारी सिक्का, सरकारी मुहर चाहते है। किस लिए? सिर्फ नौकरीके

१. यहाँ नहीं दिया गया है। लेखकका कहना था कि अगर सरकार इस वर्ष औपनिवेशिक स्वराज्य देनेसे इनकार कर देती है तो कांग्रेसके निश्चयके अनुसार सभी विद्यार्थियोंको सरकारी स्कूल और कालेज छोड़ने पड़ेंगे। इससे उन्हें आर्थिक हानि होगी और गरीब विद्यार्थियोंके लिए उस हानिको सहन करना कठिन होगा।

लिए ही न? लेकिन यह मुहर पानेमें ज्ञानकी सिद्धि नहीं है। ज्ञानसिद्धि तो अभ्यासका फल है। सरकारी छापके नीचे तो सिर्फ नौकरी मिलनेकी इच्छा छुपी हुई है। नौजवानोकी यह इच्छा स्वराज्यके मार्गमे रुकावट पैदा करती है। मैं युवकोंमें नये तेजके दर्शन कर रहा हूँ। मुझे उससे खुशी होती है। लेकिन वह तेज इतना प्रचण्ड नही है कि मेरी आँखोको चौंधिया दे। यह तेज आज तो क्षणिक और बहुत अशतक यान्त्रिक और बनावटी है। जब सच्चा तेज प्रकट होगा तब वह सूर्यकी किरणोकी तरह सारे जगतको चौंधिया देगा। इस तेजोदयके बाद किसी भी विद्यार्थीको सरकारी शालाओ या कालेजोकी गरज नही रहेगी। लेकिन आज तो सरकारके कागजी नोटोकी भाँति उसके मदरसे और कालेज भी सिक्कोकी तरह चल रहे हैं। यह मोह कौन दूर कर सकता है?

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १४-४-१९२९

२२८. पत्र : छगनलाल जोशीको

१४ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हें कल पत्र नहीं लिखा। मैंने ह . . .[1] को लिखा है कि जैसा उसकी अन्तरात्मा कहती है वैसा ही करे। जिस पुरुषका मन किसी स्त्रीके प्रति विकारमय हो, वह उसकी सेवा नहीं कर सकता; उसके दोष तो वह देख ही नही सकता। अधिकतर पति-पत्नी भी एक दूसरेके दोष नही देख सकते। इसके पीछे भी एक कारण है। यदि इतना मोह न होता तो स्त्री-पुरुषकी गृहस्थी चलना असम्भव हो जाता। इसलिए वह शा . . .[2] के दोष नहीं देख सकता, यह स्वाभाविक ही है। यह बात मैंने उसे बता दी है।

तुम इसके और ऐसे ही मामलोके बारेमें निश्चिन्त रहो। शा . . . नियमोका पालन करते हुए नम्रतासे रहना चाहे तो उसे रहने देना हमारा कर्त्तव्य है।

छोटेलालका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। उसके जानेके लिए न तुम दोषी हो और न वह।

बालकोबाका[3] शरीरके प्रति मोह कम हो गया है, इसका क्या अर्थ है?

गिरिराज कितने दिनोके लिए गया है? कट्टो और विमलाको कुसुमके पास छोड़कर अच्छा किया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४०३) की फोटो-नकलसे।

१ और २. नाम नहीं दिये गये है।
३. बालकृष्णभावे, आचार्य विनोबाभावेके छोटे भाई।

२२९. पत्र: मथुरादास पुरुषोत्तमको

रविवार, १४ अप्रैल, १९२९

चि० मथुरादास,

तुम्हारा पत्र बहुत दिनोंके बाद मिला। कर्नाटकके बारेमें लिखी बातें समझ गया हूँ। जो-कुछ तुम कर सकते थे, सो तो तुम कर चुके हो।

मलाबारमें खादीका काम करनेका तुम्हारा विचार मुझे अच्छा लगा है, किन्तु फिलहाल यह नहीं किया जा सकेगा। तुम काका साहबके साथ काम करनेका निश्चय कर चुके हो। काका साहब तुम्हें जल्दी बुलानेका प्रयत्न कर रहे हैं। हालमें उनका पत्र भी आया था। शायद तुम्हें उनका पत्र मिल भी गया होगा। विद्यापीठमें खादीका वातावरण बनानेकी काका साहब तुमसे बड़ी आशा बाँधे हुए हैं। इसलिए अभी तो वहींका विचार करना। वहाँका काम पूरा करनेके बाद चाहे मलाबार चले जाना। दूसरी दृष्टिसे विचार करें तो शायद विद्यापीठ तुम्हारे लिए ज्यादा अनुकूल स्थान होगा। ब्रह्मचर्यके पालनमें वहाँ अधिक सहायता मिलना सम्भव है और आश्रम तो पासमें है ही।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

यह पत्र आन्ध्र देशके एक गाँवसे लिख रहा हूँ। मुझे उत्तर बेजवाड़ाके पतेसे भेजना। पर यदि यह पत्र फौरन मिल जाये तभी। तुम दोनों स्वस्थ होगे। यन्त्रके बारेमें तुम्हारी बात समझ गया हूँ।

बापू

गुजराती (जी० एन० ३७३०)की फोटो-नकलसे।

२३०. पत्र: माधवजी वी० ठक्करको

१४ अप्रैल, १९२९

भाईश्री माधवजी,

तुम्हारा पत्र मिल गया है और तार भी। उसमें जवाब देने लायक कुछ नहीं था।

मैंने साबुन लगानेको मना किया था। उसके कारणके विषयमें तुम्हारा अनुमान ठीक नहीं है। साबुनमें रहनेवाला सोडा शरीरके लिए ठीक नहीं है। गन्दगी और पसीना गर्म पानीसे धोने और बादमें तौलिए से खूब पोंछ लेनेसे साफ हो जाता है और त्वचा भी मजबूत बनती है। सोडासे त्वचाकी ऊपरकी आवश्यक चिकनाई निकल जाती है और त्वचा नाजुक बन जाती है और उसके लिए जो ऊपरी परत

आवश्यक होती है उसका भी नाश होता है। मिट्टीका उपयोग करनेमें कोई हानि नहीं है। मैं उसे भी आवश्यक नहीं मानता। उससे अच्छा तो चने या गेहूँका आटा रहता है। यों सामान्य रीतिसे गर्म पानीके सिवा किसी चीजकी जरूरत नहीं रहती। पानी डालकर एक छोटे गीले तौलिएसे शरीरको रगड़ें और नहानेके बाद खादीके सूखे तौलिएसे शरीर पोंछ लें। खास खादीका तौलिया इसलिए कहा है कि उसमें रहनेवाला खुरदरापन शरीरके लिए उत्तेजक होता है।

मुनक्का या नारंगीका गूदा धीरे-धीरे चूसनेमें कोई हानि नहीं।। दोनोंके ऊपरका छिलका या बीज पेटमें बिलकुल नहीं जाना चाहिए। इसलिए मुनक्का या नारंगीका बीज निकालकर चूसनेमें ही सलामती है, और ऐसा करते हुए स्वाभाविक तौरसे चूसनेमें भी समय लगता है।

मैकफेडनके सिर्फ दूध लेनेके प्रयोगके विषयमें मैं जानता हूँ। मेरे विचारमें उससे चर्बी बढ़ती है। तुम यह प्रयोग बेशक करो, लेकिन कुछ शक्ति आ जानेपर ही करके देखना। मैकफेडनको आदमियोंके विषयमें ही अनुभव है और उसका प्रयोग दूसरी तरहकी जलवायुमें रहनेवाले बड़े डीलडौलवाले आदमियोंके विषयमें हैं, इतना याद रखते हुए हमें अपने शरीरके मुताबिक उसमें फेरफार कर लेना चाहिए। हम उसकी बताई हुई मात्रामें दूध न लें। इसमें अपना शरीर देखते हुए जितनी आवश्यकता हो, उतना दूध लेना ही अच्छा है। यदि मेरी सलाह भी शरीरको अनुकूल न पड़े तो उसे निरर्थक मानो और फिर दूध लेना शुरू कर दो। शक्तिके लिए उतावली न करो। जैसे-जैसे खुराक पचने लगेगी, शक्ति तो बढ़ेगी ही। मुझे रोटीकी जल्दी नहीं है।

गुड़ सबेरे राबमें[1] लेता हूँ। अपने लिए मैं गुड़को आवश्यक नहीं मानता। सबके लिए राब बनती है; इसलिए उसमेंसे थोड़ी-सी ले लेता हूँ और उसीके लिए गुड़ लेता हूँ। डाक्टर मेरे लिए मधुका उपयोग अच्छा मानते हैं, इसलिए यदि अपने लिए ही राब बनवाऊँ तो मधु ही लूँ। मित्र लोग मुझे अच्छा मधु भेज देते हैं। कहाँसे मिलता है इसकी खबर तो मुझे नहीं है। किन्तु यदि तुम प्रबन्ध न कर सको तो मधु भिजवानेका प्रबन्ध मैं कर दूंगा। तुम्हें ज्यादा मधुकी आवश्यकता नहीं होगी। खादी प्रतिष्ठानके सतीशबाबूको पत्र लिखो। शायद वे अच्छा मधु भेज सकेंगे।

अभी थोड़ा-थोड़ा चलनेमें भी हानि नहीं है। एनीमाकी जरूरत तो है ही। जबतक जरा भी जोर लगाये बिना पाखाना न आये तबतक सबेरे एनीमा लेनेकी जरूरत रहेगी। एनीमाकी आदत पड़ जायेगी इसकी तनिक भी चिन्ता न करना। उपवासमें अँतड़ियोंका बल कुछ समयतक ही टिकता है; इसलिए उपवास करनेवालेको एनीमाकी मददकी जरूरत तो रहती ही है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७७५)की फोटो-नकलसे।

१. गुजरातीमें आटे की लपसीको राब कहते हैं।

२३१. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

रविवार, १४ अप्रैल, १९२९

चि० गंगाबहन,

छगनलालने मुझे लिखा है कि तुम कभी-कभी आश्रमके दोषोको देखकर व्याकुल हो जाती हो और कही जाना चाहती हो।

यदि तुम्हारे ध्यानमें कोई ऐसी जगह हो जो पूर्णतया दोपमुक्त हो तो हम दोनो ही वहाँ चले जाये। किन्तु यदि तुम यह मानती हो कि दोष तो सभी स्थानोमें थोडे-बहुत होगे ही तो तुम, मै या जो भी व्यक्ति अपनेको आश्रमका अंग मानता है वह आश्रममें बने रहकर उसे शुद्ध करे, इसीमें उसके जीवनकी सार्थकता है। दोषोको बर्दाश्त कर सकना आश्रमकी अपनी प्रकृति है; और उसकी विशेषता यह है कि वह दिन-प्रतिदिन इस दिशामें विकास कर रहा है।

सामान्यतया जीवनमें तो होता यह है कि लोग बुराई देखते है तो उसपर पर्दा डाल देते है। यही आम चलन है; इसलिए संसारमें बुराइयाँ बढती हैं। परन्तु बुराइयाँ बढ़नेपर भी जगतका स्वभाव शुद्ध बने रहना ही है। इसीलिए तो वह चल रहा है। नही तो वह कभीका नष्ट हो गया होता।

यह सब सोचकर तुम दृढ़ बनो और निश्चिंत तथा शान्त रहो। शरीरको स्वस्थ बनाओ। थोड़ा कच्चा शाक खाती हो न? कितना दूध पच जाता है?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–६ : गं० स्व० गंगाबहेनने

२३२. पत्र : मीराबहनको

१५ अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

तुम्हारे दोनो पत्र मुझे मिल गये। तुम्हे मै वचन देता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया, तो तुम्हें तारसे सूचना मिल जायेगी। इसलिए जबतक मेरी ओरसे पुष्टि न हो जाये, तबतक तुम्हें तमाम अफवाहोको निराधार समझकर माननेसे इनकार कर देना चाहिए। आश्रमकी बात तो तुम जानती ही हो।[1] ये घटनाएँ मुझे मेरे कामसे विरत नही कर सकी है। मनके अन्तरालमें कोई चीज अनुभव होती है, लेकिन वह

१. देखिए "मेरा दुःख, मेरी शर्म", ७-४-१९२९।

स्वाभाविक है। इन बातोंके उद्घाटनसे मेरे विचारमें आश्रमका लाभ ही होगा। पापाचारोंके चलते रहनेपर आश्रम भ्रष्ट था। इन बातोंका भंडाफोड़ होनेसे हमें लाभ ही हुआ है।

तुम्हारा फर्ज अपने शरीरको फिरसे बनाना और हो सके तो उसे रोगोंके लिए अभेद्य करना है। मगर इस बातकी भी चिन्ता नही होनी चाहिए।

लोगोकी जो हालत तुमने बयान की हैं, वह मेरे लिए कोई नई बात नही है। लेकिन उनकी हालतके बारेमें मेरी अधीरता अब तुम्हारी समझमें आ रही है।

आज इससे अधिक नही।

मुख्य केन्द्र अभी बैंजवाड़ेमें ही है।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च:]

आज मैं मसूलीपट्टममें हूँ।

अंग्रेजी (जी० एन० ९४२०)से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३६४से भी।
सौजन्य: मीराबहन

२३३. पत्र: आश्रमकी बहनोंको

मौनवार, १५ अप्रैल, १९२९

बहनो,

आज ज्यादा लिखनेका समय नही है। मैं यही माँगता हूँ कि जो वहाँ है वे मन्दिरको चलायें और उसका नाम उज्ज्वल करे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–१: आश्रमनी बहेनोने

२३४. पत्र: छगनलाल जोशीको

१५ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

यह सब इतनी गतिसे हो रहा है कि सारी बात एकाएक मैं समझ नही पा रहा हूँ। तुमने लिखा है कि शा...[1] जा रही है। कहाँ और किस प्रकार, यह शायद तुमने इससे पहले लिखा होगा; वह पत्र अभी नही मिला है। क्योकि आज दो पत्र मिलने चाहिए थे। किशोरलालका पत्र आया है उससे अनुमान लगाता हूँ कि ह...के[2] पास जायेगी। यह भी ठीक है। मनुष्य अपने-आप हमारी किसी त्रुटिके बिना चले जायें तो उससे हमें घबराना नही है। वे हमारा त्याग करे तो उसके लिए भी हम योग्य हैं। जो-कुछ हम कर रहे हैं वे उसको समझ सकें तो रहे। कम व्यक्ति हो जानेसे तुम्हारे काममें कुछ कठिनाई आती हो तो बडे विद्यार्थियोसे काम लेना। किसी विभागका काम कम करना हो तो मजेसे कर सकते हो। अपनी सामर्थ्यसे बढकर काम करनेके कारण हम पिछड़ें, ऐसा नही होने देना चाहिए।

कृष्णदास अब स्वस्थ हो और उसे बुलाया जा सके तो बुला लेना। कान्ति, बाल, जयन्ती इनमें से जिससे तुम ठीक समझो काम लेनेमें मुझे कोई दोष नही दिखाई देता। सीतलासहायकी सहायता तो ली ही जा सकती है। रमणीकलाल लापरवाह क्यों हो गया है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

इसके साथ प्रभुदासका पत्र भेज रहा हूँ। कार्यवाहक मण्डल इसे पढ़ ले। काकाको दिखा देना।

गुजराती (जी० एन० ५४०४)की फोटो-नकलसे।

१ और २. नाम छोड़ दिये गये हैं।

२३५. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

१५ अप्रैल, १९२९

भाईश्री माधवजी,

तुम्हारा तार मुझे मिल गया था किन्तु उसमें जवाब देने लायक कुछ नहीं था। अब तो धीरजसे काम लेनेकी बात है। कमजोरी है, इसकी चिन्ता न करना। एक-एक घंटे पर दूध लेनेके बदले अन्तर बढने दो। दो घंटेके बाद लेना ठीक होगा। मात्रा चाहे उतनी ही रहे। पेट उसे पचा सके, इसके लिए भी तो समयकी जरूरत रहती है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७७६)की फोटो-नकलसे।

२३६. पत्र : छगनलाल जोशीको

[१६ अप्रैल, १९२९][1]

चि० छगनलाल,

मसूलीपट्टम छोडनेसे पहले यह लिख रहा हूँ ताकि आजकी डाक खाली न जाये।

जो मन्दिरके नियमोका पालन करे, मन्दिर उसीका है। जो नियम भग करेगा, पकडा जानेपर उसे मन्दिर छोडना ही होगा। यदि कोई दोष करे और वह दोष पकडमे आ जाये तो हम इसपर खेद न करे। हम दोष करनेवालेसे बडे नही है। परिस्थितिमे पडकर शायद हम भी वैसा ही आचरण करते। यह समझकर उनपर प्रेम बनाये रखे। प्रायश्चित्त रूपमे उपवास करनेकी बात भूल जाये। इसपर मनसे विचार करके कुछ भी नही हुआ, यह मानते हुए जो काम सामने हो, सो करते रहे। इसके बाद दुख माननेका कोई कारण नही बच रहना चाहिए। फिर दोष होगे, हम यह मानकर उनके लिए तैयार रहे। इसमे मैने कोई नई बात नही कही है। किन्तु तुम, मन्दिरकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, इस समय इसकी चिन्ता न करो। इसी हेतुसे यह लिखा है। तुम स्वस्थ रहोगे तो उसीमे सब कुछ पा लिया है, ऐसा मानो।

१. गांधीजी १५ अप्रैलको मसूलीपट्टममें थे। लगता है कि उन्होंने यह पत्र दूसरे दिन बेजवाडाके लिए रवाना होनेसे पहले लिखा था।

रंगूनका रुपया न भेजा हो तो भेज देना। हैदराबादसे आया हो तो वह भी दे देना। इन सबमें लालाजीके कोष आदिके लिए रकमें हैं; उनके आँकड़े प्राप्त हो तो उतना पैसा निकाल लेना और अगर न प्राप्त हुए हो तो पीछे देख लेंगे।

रतिलाल कैसा चल रहा है?

क्या पुरुषोत्तम वही है? उसका स्वास्थ्य कैसा है? यदि वह वही हो तो मुझे पत्र लिखनेको कहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४२७)की फोटो-नकलसे।

२३७. पत्र : छगनलाल जोशीको

१७ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

तुमपर अच्छी मुसीबत आ पड़ी है। शा . . . के[1] किस्सेमें जो भूल हुई थी वह मैंने तुम्हे बता दी है। पा . . . के[2] साथ पहले बात करनेके बजाय शा . . . के ही ऊपर हमला हुआ सो तो चीटीको हाथीके पाँवसे मसल देने जैसा हुआ। जानते हुए भी मै उसमें शामिल हो गया, इसलिए इसमे भी मुझे तुम्हारा दोष ज्यादा नही दिखाई देता। जो-कुछ किया गया, भलेके लिए ही किया गया। जो-कुछ हुआ है वह ठीक ही हुआ है। शा . . . का ह . . . के[3] पास जाना स्वाभाविक ही है। अब दोनोकी परीक्षा हो रही है। शा . . को व्यर्थ ही दबाया गया इसका मुझे दुख जरूर है। किन्तु इसमे मुझे तुमसे ज्यादा अपना दोष दिखाई देता है। किन्तु यह प्रकरण तो अब समाप्त हो गया है।

वसुमती और कुसुमका निबटारा करना बाकी है। इसमे मेरी सलाह लेना और फिर तुम्हे जो ठीक लगे वही करना। वसुमतीको आज पत्र तो लिखा ही है। मै देख रहा हूँ कि उसे अलग कोठरी देनेपर ही छुटकारा है। छोटेलालवाली कोठरीका आग्रह छोड़ देनेको कहा है। नई बनानेका विचार भी छोड देनेको लिखा है। आठ कोठरियोमें से एक ले ले, यही ठीक लगता है। बा को भी अलग कोठरी लेनेके लिए समझाऊँगा। स्त्री विभागके बारेमें मुझे अपनी भूल कबूल कर लेनी चाहिए। वसुमतीसे जो आशा की इस समय वह तो निष्फल हुई दिखाई देती है। इसमे मै उसका दोष नही निकाल रहा हूँ। शा . . . गई। कुसुम वहाँ अकेली रह सकेगी ऐसा मुझे दिखाई नही देता है, वह तो मेरे साथ घूमना चाहती है। इसके बाद यात्रामे उसे रोकूँगा नही, किन्तु अन्तमे क्या होगा यह कुछ कहा नही जा सकता। अब स्त्री विभागमें कौन रह गया है? यशोदा देवी या सरोजिनी देवी है,

१, २ और ३. नाम छोड दिये गये हैं।

यह तो नही कहा जा सकता। लगता है कि उन्हें भी अलग कोठरी देनेपर ही छुटकारा होगा। इस तरहसे मेरी तो पूरी हार मानी जायेगी। जबतक मैं आश्रममें बारह महीने न रहूँ तबतक ऐसे प्रयोग नही हो सकते, यह तुम्हे और मुझे नम्र भावसे समझ लेना चाहिए। जैसा नानुभाईके लिए किया है वैसा ही इन दोनोके लिए भी करना हो तो कर लेना। दोनो बहनों और उन दोनोके पतियोकी भी यही इच्छा होनी चाहिए।

विमला और कट्टोको अभी कौन देखता है?

मै तुम्हारा बोझ कम करना चाहता हूँ। सूरजभान और सीतलासहायको ब्रह्मचर्यकी शर्तके बारेमें तो मालूम है ही। वे इस प्रकार रहे कि इस शर्तका पालन हो सके। यदि पालन न कर सकें तो वे जा सकते है। हम उनपर विश्वास रखें। इतने तक तुम मुझे पूछे बिना कर सकते हो, और बातोके बारेमे भी मै विचार करता रहता हूँ। मेरी आत्मा तो वही रहती है।

यदि ऐसा लगे कि नारणदास इसमे और दूसरी बातोमे मदद कर सकता है तो उसके साथ सलाह करना। शायद वह तुम्हारा बोझ कुछ हलका कर सके।

ह . . . ने मुझे पत्र लिखा है। उसे पढनेके लिए तुम्हे भेज रहा हूँ।

जैसे-जैसे आश्रमसे व्यक्ति जाते है, वैसे-वैसे अपना बोझ हलका हुआ समझो। आश्रम सूना हो जाये तो उससे घबराना नही और उसमे अपना दोष न सोचना।

काका विद्यापीठमे रहते हुए सहज ही जितनी मदद कर सकें हम उतनी मदद उनसे ले। उन्हे आश्रममें रहनेके लिए नही कहा जा सकता। आश्रमको सुधारनेकी खातिर विद्यापीठका काम बिगाडना नही है। कई बातें तुम निश्चित मान लो तब तुम्हे विचार करनेमें कोई उलझन नही होगी।

काकाको नही बुला सकते, विनोबाको नही बुला सकते, लक्ष्मीदासको नही बुला सकते। महादेवको वही रख सकते हो। और अपनी ताकतसे बढ़कर कुछ भी काम न करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४०५)की फोटो-नकलसे।

२३८. पत्र : तुलसी मेहरको

१७ अप्रैल, १९२९

चि० तुलसी महेर,

मैं तो मुसाफरीमें भटक रहा हुं। तुमारे खत देख कर इतना हि लीखनेका दिल तो जाता है की तुमारा शरीर अच्छा होगा। और चित्त शात होगा। आज कई दिनोसे तुम्हारा खत मैंने नहिं देखा है।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ६५२९ की फोटो-नकलसे।

२३९. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

गुन्टूर
बुधवार [१७ अप्रैल, १९२९][1]

भाई रामेश्वर,

मेरी उमेद है की अब चित्त शात होगा और शरीर प्रवृत्ति ठीक होगी।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १९७ की फोटो-नकलसे।

२४०. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

१७ अप्रैल, १९२९

भाई रामेश्वर,

पुराने खतोमें यह भी मीला है। कोई हमसे किस तरह चलते है न देखें। हम संसारसे किस तरह चलते है वही देखते रहें।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २०० की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजीके यात्रा-कार्यक्रमसे।

२४१. पत्र : भोलानाथ सिंहको

१७ अप्रैल, १९२९

भाई भोलानाथ,

आपका बहोत दिनोसे आया हुआ पत्रका उत्तर आज ही दे पाता हु। दुधमूहि बच्चियोके बारेमे और कोई तरीका मै नहिं जानता हु इसके सिवायके प्रत्येक केस प्रकट कीया जाय और जो मा बाप इस तरह खून करते है उनको मीलनेकी और समजानेकी कोशीष की जाय।

आपका,

मोहनदास गांधी

भाई भोलानाथ सिंह
राष्ट्रीय विद्यालय
पो० आ० हवेली खड़गपुर
डिस्ट्रिक्ट मुंगेर
बिहार

जी० एन० ७७७८ की फोटो-नकलसे।

२४२. भाषण : गुन्टूरकी सार्वजनिक सभामें

१७ अप्रैल, १९२९

नगरपालिका द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दनपत्रका उत्तर देते समय महात्माजीने दिवंगत दुग्गीराला गोपालकृष्णैयाकी स्मृति तथा उनके कार्योंके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि जैसे-जैसे नेतागण मृत्युको प्राप्त होते जायेंगे, जनताके ऊपर कर्त्तव्यका भार बढ़ता जायेगा। नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनता द्वारा सार्वजनिक उद्यानों और मैदानोंको खराब करनेकी बुरी आदतोंपर काबू पानेके लिए नगरपालिकाको बहुत-कुछ करना है। आज कृष्णा नदीको पार करते समय मैंने एक दारुण दृश्य देखा। एक पवित्र नदीके इस्तेमालका यह कोई तरीका नहीं होता। बहुतसे व्यक्ति उस पवित्र नदीकी पावन रेतका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब जनता और नगरपालिकाको इन आदतोंको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। मैं नगरपालिकासे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा : आप आजकल क्या काम कर रहे हैं, खास तौरपर जनताके स्वास्थ्य तथा सफाईके सम्बन्धमें।

यहाँसे जानेसे पहले मैं आप लोगोसे यह बात जान लेना चाहता हूँ कि इधरके इलाकोमे कांग्रेसके कार्यक्रमका कहाँतक पालन किया गया है। बेशक मेरा यह सवाल आप सबसे है। अपने देशके करोडो गरीब और क्षुधा-पीडित लोगोकी ओरसे मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप खद्दर पहनें और इसका उत्पादन बढाये। यदि आप उन लोगोकी भूख और उनकी असहाय स्त्रियो और बच्चोकी भूखके बारेमे सोचेंगे तो आप सच्चे भारतीयोकी तरह उनकी मदद करनेको तैयार हो जायेंगे और तब आप अस्पृश्यता तथा जात-पाँतका भी खयाल नही करेंगे। यदि आपके मनमें उन भूखे लोगोके प्रति सच्ची सहानुभूति है और यदि आप सच्चे दिलसे उनकी सेवा करना चाहते हैं तो आप काम करनेके लिए आगे आयेंगे और न केवल अपने रास्तेसे अस्पृश्यताकी बुराईको हटा देंगे बल्कि अपने उन गरीब देशभाइयोको शराबके अभिशापसे छुटकारा पानेमे भी मदद देंगे। अब मेरा आपसे यह प्रश्न है: क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते है?

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १८-४-१९२९

२४३. भाषण: सार्वजनिक सभा, केरिंचेडुमें

१७ अप्रैल, १९२९

मुझे पता चला है कि आप लोग यहाँ साढ़े पाँच बजेसे बैठे है। देरीके लिए मै क्षमा चाहता हूँ। इस समय रातके ११ बजे हैं, लेकिन आप लोगोको देखकर मुझे खुशी हुई और आपके इस धैर्यके लिए मै आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। इन सब चीजोके लिए तथा आपकी थैलीके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक प्रश्न मै आपसे पूछना चाहूँगा. जिस तरह आप मुझे देखनेके लिए इच्छुक है क्या उसी तरह आप अपने देशको स्वतन्त्र देखनेके भी इच्छुक है? क्या आप वहाँ भी इसी तरहका धीरज दिखायेंगे? मै आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। थैलीमे रुपया डालते समय यह मत सोचिए कि आप लोगोको जो-कुछ करना था, कर चुके। आपको ऐसा नही सोचना चाहिए कि खादी कोषमे पैसा देकर आपने कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमपर अमल कर लिया है। इसके अतिरिक्त, आपको विदेशी कपडेका बहिष्कार करना चाहिए और केवल खादी ही पहननी चाहिए। मै यहाँ कुछ स्वयसेवकोको विदेशी वस्त्र पहने हुए देख रहा हूँ। मैंने यह भी देखा कि यहाँ जो बहनें रुपया देने आई थी वे खादी नही पहने हुई थी। याद रखिए, यह पैसा आपके अपने कपडे ही बनानेके लिए है। और यदि आप अपने देशके कपड़े नही पहनते, लेकिन खादी कोषमे पैसा देते रहते है तो आपका यह दान सच्चा दान नही है। आशा है कि आजसे हरेकके घरमे चरखा होगा और बराबर रहेगा। आपको शराब छोड़ देनी चाहिए। जब आपके भाई और बहन भूखो मर रहे हो उस हालतमें

आपके पास शराब पीनेका न तो समय है और न बरबाद करनेके लिए पैसा ही है। रातको आप इन शब्दोंपर विचार करियेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-४-१९२९

२४४. भाषण: पेडानानडिपाडुकी सार्वजनिक सभामें

१७ अप्रैल, १९२९

आपने खादी कोषके लिए जो थैली भेंट की है उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके मायने हैं कि आपके मनमें इस देशमें रहनेवाले अपने निर्धन और भूखसे मर रहे देशभाइयोंका ख्याल आया है। मैंने आपका अभिनन्दनपत्र पढ़ा है जिसमें आपने लिखा है कि एक बार १९२१ में आपने सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया था। यह सब जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है और आपकी वीरताके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ तथा यह आशा रखता हूँ कि आह्वान करनेपर आप इसी तरहकी वीरता दिखायेंगे। मुझे विश्वास है कि जरूरत पड़नेपर आप ऐसी ही वीरताका प्रदर्शन करेंगे। आपने यह भी बताया है कि आपने अस्पृश्यताको दूर करनेका प्रयत्न किया है लेकिन उसमें आप पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। मुझे आशा है कि आपको शीघ्र ही पूर्ण सफलता मिलेगी। यदि आप किसी फिरकेमें सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेको आतुर हों तो मैं बता दूं कि इसके लिए आपके पास ५० प्रतिशत खद्दरधारी होने चाहिए क्योंकि खद्दरके अर्थ हैं *अनुशासन और संगठन।* सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलानेसे पहले आपको सारी बुराइयोंको दूर कर देना चाहिए और दुर्बलताके सभी लक्षण मिटा देने चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको शराब भी छोड़ देनी चाहिए और आपको चाहिए कि आप केवल आत्मबलके सहारे खड़े हों। आपको अस्पृश्यता भी दूर कर देनी चाहिए क्योंकि इस लड़ाईमें इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस सम्बन्धमें हमें एक महान तैयारी और करनी है; वह है हिन्दू-मुस्लिम एकताकी स्थापना। स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए ये सब वस्तुएँ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। ध्यान रहे १९३० बड़ी तेजीसे आ रहा है, और आपकी तैयारी जितनी कम या ज्यादा होगी उसीके मुताबिक लड़ाईकी शुरुआत बुरी या अच्छी होगी। क्या मुझे यह कहनेकी *आवश्यकता* है कि आप कमर कस कर तैयार हो जायें? ईश्वर आपको साहस प्रदान करे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-४-१९२९

२४५. बम और छुरी

अभी उस दिन [केन्द्रकी] विधानसभामें कुछ हिन्दू नामधारी व्यक्तियोंने बम फेंका था और लाहौरमें एक मुस्लिम नामधारी व्यक्तिने छुरीसे राजपालकी हत्या की थी। ये दोनो काम पागलपनसे भरे हुए बदलेकी और कायरतापूर्ण गुस्सेकी एक ही भावनाके फल थे। आजादीके नामपर बम फेंकनेवालोने देशकी आजादीके कामको नुकसान पहुँचाया है, इस्लामके नामपर उन्मत्त होकर छुरीसे हत्या करनेवालेने इस्लामको बदनाम किया है। अगर सरकार भी इस मामलेमें धीरज छोडकर पागलपनसे काम लेगी तो मूर्ख ठहरेगी। अगर वह बुद्धिमान है, तो समझ जायेगी कि बम फेकनेवालोके पागलपनके लिए वह खुद भी कुछ कम जिम्मेदार नही है। लोकमतकी लगातार अवहेलना करके सरकार राष्ट्रको अधीर बना रही है, और इस अधीरताके चलते कुछ लोगोका गलत राहपर चल पडना अनिवार्य है। अहिंसामें विश्वास रखनेवाली कांग्रेसके सदस्य इस कृत्यके प्रति गुप्त रूपसे भी कोई सहानुभूति प्रकट न करे, उलटे अगर उन्हे अहिंसामें सच्चा विश्वास हो तो वे अपने तरीके पर दूने उत्साहके साथ काम शुरू कर दें।

राजपालकी हत्याने उन्हे शहीद बना दिया है और उन्हे वह कीर्ति प्राप्त हो गई है, जिसके वह योग्य न थे। अपनी प्रकाशित किताब[1] द्वारा हुए नुकसानकी वह पूरी भरपाई कर चुके थे। उसके लिए वह कष्ट भी सह चुके थे। इस हत्याके कारण आज मौतके बाद उनका महत्त्व बढ़ गया है। मै इन शहीदके परिवारवालोके साथ अपनी सवेदना प्रकट करता हूँ और आशा रखता हूँ कि न तो वे और न आर्यसमाजी भाई भी एक पागल व्यक्तिके कारण सारे मुसलमान समाजके प्रति अपने खयाल बिगाड़ लेगे। मुझे उम्मीद है कि समय आते ही हत्यारेको अपनी करतूतके लिए बड़ीसे-बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। हम यह आशा करे कि अब्दुल रशीदके जनाजे के वक्त जो दुखद दृश्य देखे गये थे उन्हे फिरसे नही दोहराया जायेगा।

यह बिलकुल सच है कि काल्पनिक न्यायकी प्राप्तिके उपायके रूपमें हिंसामें दुनियाका विश्वास ही बम और छुरीको जीवन-दान देता है। राष्ट्रोके दण्ड-विधानमे विनाश अपराध नही माना जाता, महज इसलिए वह कोई कम अनैतिक वस्तु नही बन जाती। जिस बेहोश चालसे पश्चिमी राष्ट्र लडाईके लिए हर घटे नये-नये विनाशक हथियारोको ईजाद कर रहे है उसके कारण हिंसाकी भावनासे दुनियाका दम घुटा जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्यकी बात न होगी अगर किसी दिन दुनियाके तमाम देशो और धर्मोंके कुछ गरम मिजाज लोग अपनी जानको खतरेमें डाल कर भी कानून तोड़ने लगें। जबतक ससारका लोकमत युद्धको बर्दाश्त करता रहेगा तबतक दुनियामें

१. रँगीला रसूल।

बम फेंकनेवाले और हत्यारे भी बने रहेंगे। अगर स्थानीय जनता उनसे हमदर्दी न रखे, उनके कामोंसे नफरत करे, तो अवश्य ही उनपर अंकुश रखा जा सकता है।

छुरीकी अपेक्षा बमका सवाल बहुत आसानीसे तय हो सकता है। बमके लिए भारतमें कोई अनुकूल वातावरण नहीं है। अगर सरकार चाहे तो उसे आज ही बन्द कर सकती है; डर या आतंकसे नहीं बल्कि उदारतापूर्वक, समय रहते, राष्ट्रकी माँगको स्वीकार करके। लेकिन इसकी आशा करना तो दुराशामात्र है। सरकार केवल अपनी नीति बदल कर यह काम नहीं कर सकती, उसका हृदय बदलनेपर ही यह हो सकता है। और आज इस बातके कोई आसार नहीं दिखाई पड़ते कि सरकार यह सब करेगी।

हमारी सच्ची आशा तो राष्ट्रमें और कांग्रेसजनोंमें निहित है। मैंने अपनी यात्राओंमें कहीं भी यह अनुभव नहीं किया कि राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हिंसापूर्ण उपायोंमें विश्वास रखते हैं। हाँ, अहिंसात्मक साधनोंमें सजीव श्रद्धाके मुझे दर्शन नहीं हुए हैं। लोगोंमें अहिंसाके प्रति श्रद्धाकी कमी मैंने देखी है। चारों ओर निराशाका वातावरण फैला हुआ दिखता है। मनुष्यको गिरानेवाले इस अनिश्चयके कारण ही कार्यकर्त्ताओंमें कांग्रेस द्वारा निश्चित कार्यक्रमको उल्लासके साथ पूरा करनेका उत्साह नहीं दीख पड़ता। वे यह नहीं देखते कि अगर आजादी पानेके लिए राष्ट्रीय कार्योंमें अहिंसाको स्थान देना है तो कांग्रेस द्वारा निर्धारित कार्यक्रम ही उसका अनिवार्य और सहज परिणाम है। अगर हमें अपने कार्यक्रममें श्रद्धा हो, हम उसे लगनके साथ करते रहें, तो एक बड़ी हद तक हम बम फेंकनेवालोंपर अंकुश लगा सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-४-१९२९

२४६. विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार

कार्य-समिति द्वारा नियुक्त की गई विदेशी वस्त्र-बहिष्कार-समितिके मन्त्री श्रीयुत जयरामदासने बड़ी तत्परताके साथ काम करना शुरू कर दिया है। समितिका प्रधान कार्यालय कांग्रेस हाउस, बम्बई है। वहाँसे मन्त्री बुलेटिन, पत्रिकाएँ आदि प्रकाशित करते हैं और म्युनिसिपल संस्थाओं आदिके नाम पत्र लिखते हैं। एक महत्त्वपूर्ण पत्रिका में भारतके खादी-उत्पादन और खादी-विक्रयके केन्द्रोंके नाम मय पतेके प्रकाशित किये गये हैं। पाठकोंको यह सूची विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार-समिति, कांग्रेस हाउस, बम्बई-४, के नाम एक आनेका टिकट भेजनेपर मिल सकती है। समितिका रजिस्ट्री किया हुआ तारका पता 'बायकाट' है। पाठकोंको यह जानकर हर्ष होगा कि देश-भरमें ऐसे कुल ३२८ केन्द्र हैं, जिनमेंसे ६६ बंगालमें और ६४ तमिलनाडमें हैं। इनके अलावा ३९ आन्ध्रमें और ३३ बिहारमें हैं। वैसे तो यह सूची उत्साहवर्धक है, फिर भी देशकी विदेशी कपड़ोंकी दूकानोंके मुकाबले यह समुद्रमें एक बूँदके बराबर है। यह एक मानी हुई बात है कि अकेले बम्बई शहरमें विदेशी वस्त्रके ३२८से अधिक बिक्रीके डिपो हैं। देशकी जनताको चाहिए कि वह इस व्यापारको रोके, जिसकी वजहसे हर साल

करोड़ो रुपये विदेशोको चले जाते है। खादीपर खर्च किया गया एक रुपया देशको जिलाता है, विदेशी कपड़ोपर खर्च करनेसे वही देशका नाश करता है।

विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार-समितिके कार्यालयसे जो पत्रिकाएँ प्रकाशित होती है उनसे बहिष्कार-आन्दोलनकी प्रगतिके समाचार मिलते है। पहली पत्रिकामे बहिष्कारके पक्षका समर्थन किया गया हैं। इसकी ३०,००० प्रतियाँ छापी गई है और नाम-मात्रके लिए एक पैसा मूल्य रखा गया है। मैं पत्रिकाके कुछ रोचक अंश नीचे दे रहा हूँ:[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-४-१९२९

२४७. आन्ध्र देशमें [-१]

आन्ध्र देशकी पहले कई बार स्थगित यह यात्रा इस समय मैं ऐसे मौसममें कर रहा हूँ, जो मेरे साथ-साथ कार्यकर्ताओके लिए भी कष्टप्रद है। यह सबसे कड़ी गर्मीका मौसम है और मुसाफिरीकी लम्बी-लम्बी मजिलोके कारण मैं प्रायः थक कर चूर हो चुका हूँ। सन्तोष यही है कि यात्राके उबानेवाले कार्यक्रमके होते हुए, और प्रायः प्रतिदिन मोटरकी मुसाफिरीके अनिवार्य रहते हुए भी मैं सुबह १० से तीसरे पहर ५ बजेतक अकेला रह सकता हूँ, बीचमें सिर्फ कातते समय १ घटेके लिए मिलने-जुलनेवालोसे बातचीत हो जाती है। इससे मुझे विश्राम लेने, पत्र-सम्पादन करने और पत्र-व्यवहारके लिए समय मिल जाता है।

हमारी इस यात्राका आरम्भ हैदराबादसे ही हो गया था। हैदराबादके डा० लतीफी हमें वाडी जकशनपर मिले और उन्होने हममें से हरएकका ध्यान बड़ी खूबीसे रखा।

हैदराबादमे जनताकी एक विशाल भीड़ने हमारा स्वागत किया। सिर्फ गाड़ीसे उतर कर मोटरमें बैठते-बैठते ४५ मिनट बीत गये। दोनो ओरके नातेके कारण हमारे ठहरनेका प्रबन्ध सरोजिनी देवीके 'गोल्डन थ्रेशोल्ड' नामक बंगलेमें किया गया। यहाँ डाक्टर नायडू और पद्मजाने हमें घरकी यादतक न आने दी। श्रीयुत वामनराव नायक हमारी इस सारी खातिरदारीके सयोजक थे। अपने योग्य स्वयसेवकोकी मदद और स्वेच्छापूर्वक दी गई हैदराबाद पुलिसकी सहायताके रहते हुए भी श्री नायक सार्वजनिक सभामें जनताका जो समुद्र चारो ओरसे उमडा हुआ चला आ रहा था उसे काबूमे न ला सके। मैं यहाँ उन सब सभाओ और संस्थाओका उल्लेख नही करूँगा, जहाँ श्री वामनराव नायक हमें ले गये थे।

देशभक्त कोडा वेंकटप्पैयाने हैदराबादके चन्देकी जो सूची तैयार की है उसे नीचे दे रहा हूँ।[2] श्री वेंकटप्पैया अपनी अर्द्धांग-पीड़ित पत्नीको घरपर बीमार छोड़कर हमसे हैदराबादमे आ मिले थे।

१. इन्हें यहाँ नहीं दिया गया है।
२. यहाँ नहीं दी गई है।

७ तारीखको हम लोग हैदराबादसे रवाना हुए। पहलेके कार्यक्रमके अनुसार हम और कही जाते लेकिन समय बचानेकी गरजसे देशभक्त हमे दूसरे रास्तेसे ले चले और दूसरे दिन सवेरे ३ बजे बोनकल स्टेशनपर ला उतारा। वहाँसे मोटरपर सवार होकर हम प्रान्तके भीतरी भागोमें घुस पडे। जो व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक मुझे उन-उन गाँवोमें जाना है, जो थैलियाँ देगे। गाँवोकी यह यात्रा हमारी हार्दिक लगनका परिणाम नही, बल्कि मजबूरीका तकाजा है। बढती हुई लोक-जागृति ने लोगोमे अपने महत्त्वकी भावनाको जगा दिया है और यही वजह है कि इस बार उन्होने अपनी शर्ते पेश की थी। मानो वे कहते है: 'अगर गाधीजीके दर्शन कराओगे, तो हम चन्दा देंगे।' ये भोले-भाले ग्रामीण शायद ही यह अनुभव करते हो कि मुझ-जैसे एक कमजोर बूढ़े आदमीके लिए दुनिया-भरके शोरोगुल और लज्जित करने वाले भक्ति-भावके बीच, एक जगहसे दूसरी जगह भागते फिरना कितना कष्टप्रद है। लेकिन इस 'दर्शन' विधिके कारण मुझे आन्ध्र देशके ग्रामीण जीवनकी भीतरी हालतको नजदीकसे समझनेका अवसर मिलता है, भले ही वह कितना ही थोड़ा क्यो न हो। 'थोड़ा' इसलिए कहता हूँ कि भीड़वाली सभाओमे जाकर चन्दा स्वीकार करनेके सिवा मै और कुछ कर भी नही पाता। अगर प्रबन्ध समितिने मुझे देहातमें ठहरनेके लिए कुछ समय दिया होता तो अच्छा होता; क्योकि उस हालतमे मै ग्राम-वासियोसे बैठकर बातचीत कर सकता। मेरे लिए यह एक बडे भारी सौभाग्यकी बात होती और साथ ही इससे मैं बहुत कुछ सीख भी पाता। लेकिन ऐसा होना नही था।

बस आज यहीतक। अगले अकोमे कुछ अधिक मनोरजक सस्मरण देनेकी आशा रखता हूँ। नीचे लिखी सूचीके[1] साथ ही मैं इन जल्दीमे लिखी हुई पक्तियोको भी समाप्त करता हूँ। पाठकोको इनसे पता चलेगा कि हम कितनी तेज रफ्तारसे आगे बढ़े है, और देशके अन्तर्प्रदेशमे कितने गहरे उतर गये है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-४-१९२९

२४८. पत्र: हरीशचन्द्र बेहरावालाको

१८ अप्रैल, १९२९

भाईश्री हरीचन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी सभी शंकाओका निवारण कई बार 'नवजीवन'में किया जा चुका है। तुम्हारे पत्रमे आजको स्थिति सम्बन्धी तुम्हारे अज्ञानसे मुझे आश्चर्य और दुख हुआ है।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५६७५) की फोटो-नकलसे।

१. यहाँ नहीं दी गई है। इसमें विभिन्न जिलोंमें प्राप्त चन्देकी रकमका ब्योरा था।

२४९. पत्र : छगनलाल जोशीको

१८ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

आजकल इस तरह घूमना पड़ रहा है कि डाक मिलनेका कोई ठिकाना ही नहीं है। गाँवोंमें डाक मँगायें तो भी मुश्किल है। खास मोटरका प्रबन्ध करें तभी वह पहुँच सकती है। इसलिए कलकी और आजकी डाक कहाँ मिलेगी, यह मालूम नहीं है।

रूपनारायण वाबूका पुराना पत्र मिला है। इसके साथ भेज रहा हूँ। बादमें क्या हुआ यह तुम्हे मालूम होगा; अथवा उनसे पूछ लेना और मुझसे कुछ कहना हो तो पत्र लिखना या उन्हें लिखनेको कहना।

कल तुम्हें ब्योरेवार पत्र लिखा है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसके साथ वर्धाके खर्चके सम्बन्धमें जो टिप्पणी तैयार कराई थी वह भेज रहा हूँ। वापस मत भेजना।

रंगूनसे काठियावाड़ परिषदके लिए कितना पैसा मिला है, इसके वारेमें पूरी वात लिखना। यह पैसा मणिलालने इकट्ठा किया था।

बापू

गुजराती (जी० एन० ५५६०) की फोटो-नकलसे।

२५०. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

१८ अप्रैल, १९२९

चि० ब्रिजकिसन,

तुमारा खत मीला है। जमनालालजीने भी मेरे से वात की थी। गांध [ी] सेवा सघामां तुमारा मील जाना मुझको प्रिय है। मात्र इतना समझो कि उसमें प्रवेश करनेके वाद कभी नीकलनेका ख्याल न कीया जाय। कौटुंविक जन तो इसमें भी नाराज होनेका संभव है। किसी न किसी तरह उनको नाराज तो होना हि है क्योंकि उनके और तुमारे आदर्शमें अंतर है तुमारा शरीर तो आच्छा होगा।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३६३ की फोटो-नकलसे।

२५१. पत्र : छगनलाल जोशीको

[१९ अप्रैल, १९२९][1]

चि० छगनलाल,

तुम्हें कल पत्र नही लिख पाया। सारा समय 'यग इडिया' में लगाना पड़ा। मुझे छोटीसे-छोटी खबर भी लिखनेमें संकोच न करना। मुझे मालूम होना ही चाहिए। मगनलाल मुझे रोज पत्र नही लिखता था। कई बार तो पत्र मिलता ही न था। उसे मेरे विचारोका पता था। और मै यह भी देखता हूँ कि मुझपर झूठी दया करते हुए या किसी अन्य कारणसे उसने मुझे कई बातें नही बताई थी। किन्तु हमें किसीके दोषोका अनुकरण नही करना। मगनलालकी अविचल श्रद्धा, उसका आश्रममें निमग्न हो जाना, उसकी जबरदस्त जागरूकता आदि अनुकरणीय गुण थे। यह तो अब हम समझ गये है। मुझसे एक बात छिपाना भी पाप समझना। अब मुझे क्या आघात पहुँच सकता है?

मा...के[2] बारेमें तुम्हे थोडा-बहुत लिख चुका हूँ। मुझे तुरन्त लिखना था पर ऐसा कर नही पाया। मा... मुझे मिल गया है। उसने अपनी पवित्रताकी सौगन्ध खाई, इसलिए मै चुप रह गया और मैंने कहा, "अब तुम अपनी इच्छासे अपनी जिम्मेदारी पर काम करो। मैंने तो तुम्हे अपना शक बता दिया है, इसलिए मेरा काम तो हो गया है।"

इसलिए अब मा...के बारेमें शक न करना। वह सयाना है। जो उसके मनमें आये सो करे। भूल करे अथवा पाप उन दोनोसे दूसरे लोग मुक्त रहेगे। फिर भी मा... साथी है इसलिए उस हदतक तो दोष हमारे सिर भी पडेगा। हमें उस लडकीको मन्दिरमें रखनेकी जरूरत नही है। जिस प्रकार मन्दिर एक भयकर प्रयोग है, उसी तरह मा...को भी समझो।

यदि तुम्हे यशोदा बहनके झूठ बोलनेके बारेमें शका न हो तो उसे अवश्य चले जाना चाहिए। सूरजभान आग्रह करे और तुम उसे रहने दो तो मै तुम्हे दोषी नही मानूँगा। यह तुम्हे परसो लिख ही चुका हूँ। अब यह विचार और पक्का हो गया है। सूरजभान और यशोदा बहन चाहे एक-साथ रह ले, जैसा कि नानुभाई और डाहीबहनके बारेमें किया है। काम दोनो करे। मेरी सलाह है कि इसी प्रकार सीतलासहाय और सरोजिनी बहन भी रहे। नये दम्पतिको न लेनेका निर्णय कर सकते हो। किन्तु यदि उन्हे आश्रममे आने दें तो वे ब्रह्मचर्य पालनकी शर्तपर एक-साथ

१. सूरजभानके आश्रममें रहनेके उल्लेखसे, जिसके बारेमें गाधीजीका कहना है कि उन्होंने "परसों" लिखा था, देखिए "पत्र: छगनलाल जोशीको", १७-४-१९२९।

२. नाम नहीं दिया गया है।

रह सकते हैं। साथ रहते हुए भी उनके बिछौने अलग हों। वे एकान्तमें न मिले। यह सब वह कर सकते हो तो करे। पर हम उसके सम्बन्धमें कोई नियम न बनायें। अगर वह भ्रष्ट होगे तो जायेंगे।

जो मकान खाली हुए हैं उन्हें दूसरोंको दे देना ठीक है। आनेवाले नियमोंके पालनका प्रयत्न करे सो भी ठीक है। उन्हे दूध, भण्डारसे सामान देनेका बन्धन हम न ले। उनकी रखवाली करनेका बन्धन भी हम न ले। यदि हमारे पास दूध हो तो दे दें। मतलब यह कि जिस प्रकार बुधाभाई हमारे पडोसमें रहते हैं उसी प्रकार सब रहें। इस शर्तपर लोगोके रहनेमें मुझे कोई अडचन नही दिखाई देती। मन्दिर अभी कुछ छोटा तो हो जायेगा, यह मैं देख रहा हूँ। यह ठीक भी है। यह मैंने इसी समय विचार करनेके बाद ही लिख दिया है। इसलिए अपूर्ण होगा तो तुम बाकी विचार कर लेना। महादेव वहाँ हैं, उसके साथ सलाह कर लेना।

महावीर पोद्दारके[1] पत्रसे मुझे आश्चर्य हुआ है। उसीने और खादी भेजनेके लिए कहा था। मैं उसे लिखूंगा। इस बीच और खादी मत भेजना। तुम तो यह लिख देना कि तुमने मेरे कहनेसे ही खादी भेजी थी।

महादेवका आज तार आया है कि उसने पत्र लिखा है। पत्र मिलनेपर विचार करूँगा। उसे भी जबरदस्ती तो नही रखना है। उसमें उसकी भलाई नही होगी। सबके जानेपर भी जो रहनेका विचार कर सकते है वही रहे। इसके बारेमें भी सलाह-मशविरा न करना। सलाह बहुत कर चुके हैं। पाण्डवोके महाप्रयाणकी कथा पढ़ी है न? एकके बाद एक थकता गया। बडी अद्भुत कथा है। हमारे यहाँ भी जो थकता जाये वह पीछे छूटता जायेगा। जो थकेगा वह नीचे है और जो नही थकेगा वह ऊँचा है ऐसा भी नही माना जायेगा। सभी अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार करे। और गाय लेनेसे पहले पारनेरकरसे पूछ लेना कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। यदि वह स्वस्थ हो और उसमे हिम्मत हो तो जरूर नये मवेशी रख सकते हैं।

सूत वगैराकी चोरीकी बात पढ़कर मुझे कुछ नही हुआ। छगनलाल आदिके किस्सेसे सब-कुछ फौरन सीधा हो जायेगा, ऐसी आशा मनमें रखनेकी मूर्खता मैंने नही की।

तुम्हे यात्राका कार्यक्रम भेज रहा हूँ। महादेवको बता देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५५५९) की फोटो-नकलसे।

१. कलकत्ताके एक बड़े खादी भण्डारके संचालक।

२५२. तार: मीराबहनको

तेनाली
२० अप्रैल, १९२९

मीराबाई
खादी भण्डार
मधुबनी

तुम्हारा तार मिला। कमजोरी बनी रहती हो तो तुम्हे अम्बालालके कारखानेमें या जहाँ उचित हो तुरन्त चले जाना चाहिए। राजेन्द्रबाबूसे सलाह ले लो और वे न हों तो लक्ष्मीबाबूसे ले लो। अन्तिम निर्णयकी खबर बेजवाड़ा भेजो।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४२१)से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३६५ से भी।
सौजन्य: मीराबहन

२५३. पत्र: मीराबहनको

२० अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

मुझे कल तुम्हारे दो पत्र मिले। और अब तुम्हारा तार मिला है। १४ मईको मैं इलाहाबाद नहीं जा रहा हूँ। २२ मईतक मैं आन्ध्रमें ही हूँ, इसके बाद मैं २३ तारीखको बम्बई पहुँचूँगा, वहाँसे २८ तारीखको आश्रमके लिए रवाना होऊँगा जहाँ मैं कमसे-कम १० जूनतक रहूँगा। इसलिए २३ मईसे तुम जब चाहो तब आकर मेरे साथ शामिल हो सकती हो।

यह दुर्भाग्यकी बात है कि आश्रमकी जड जमनेसे पहले ही तुम्हे उसे तोडना पड रहा है। लेकिन तुम अपनी स्वाभाविक मर्यादाओंके विरुद्ध काम नहीं कर सकती। बोया हुआ बीज फलेगा अवश्य। तुम्हे अपने शरीरपर बहुत अत्याचार नहीं करना चाहिए। मिलनेपर हम इस विषयमें और चर्चा करेंगे। मेरे खयालमें अम्बालालकी फैक्टरी तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। यदि ऐसा न हो तो तुम कहीं और चली जाना, यदि शान्तिनिकेतन जाना ठीक लगे तो वहाँ चली जाना। वरना तुम्हे माथेरान भेजा जा सकता है जहाँ मथुरादास रह रहे हैं। जब चाहो तब तार भेजो।

जहाँतक दूधका सवाल है, तुम या तो नेसलका संघनित (कन्डेन्स्ड) दूध लो, या अशोरी दूध या फिर हॉरलिक्सका माल्टसे युक्त दूध लो। माल्ट मिले दूधमें

ताजे दूधके सारे गुण पाये जाते हैं, सिवा उन विटामिनोंके जो मेरे विचारमें कच्ची पत्तेवाली सब्जियोंसे प्राप्त होते हैं।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४२२) से; तथा सी० डब्ल्यू० ५३६६ से भी।
सौजन्य: मीराबहन

२५४. बहिष्कार ही लोक-शिक्षा है

विदेशी वस्त्रके बहिष्कारको कामयाब बनानेकी दिशामें काम करते हुए कितनी लोक-शिक्षा दी जा सकती है, मामूली आदमी इस बातका खयाल भी नहीं कर सकता। भाई जेठालाल गोविन्दजीको बिजोलियामें इस कामका अनुभव हुआ है और इसी कारण वह समय-समयपर अपने विचार मुझे लिखते रहते हैं। यहाँ उनकी कुछ बातोंका मैं अपनी भाषामें सार-मात्र देता हूँ। इससे ऊपरके पहले वाक्यका अर्थ थोड़ा स्पष्ट होगा।

> अगर बाईस करोड़ किसान खादी पहनने लगें तो विदेशी वस्त्रका बहिष्कार फौरन कामयाब हो जाये। उन्हें खादी पहनानेका मतलब है, उन्हें खादी-शास्त्रकी बारीकियाँ समझाना, स्वावलम्बन पद्धतिके फायदे बताना, खादी की तमाम क्रियाएँ सिखाना आदि। इस कामके लिए स्वयसेवकोंकी जरूरत है, चलती-फिरती शालाओंकी जरूरत है, और जरूरत है कातने-पीजनेकी क्रिया सिखानेवाली पत्रिकाओंके प्रकाशन और उनके प्रचार की।

यह तो उनके पत्रका थोड़ेमें आशय-मात्र हुआ। इसके भीतर छुपी हुई बातोंका विस्तारसे विचार करके पाठक बहिष्कार द्वारा होनेवाली लोक-शिक्षाका अन्दाजा खुद कर सकते हैं।

यह शिक्षा कौन दे? शिक्षा-शास्त्री इसे कौन-सा स्थान दें? जिन अंग्रेज शिक्षा-विशारदोंको वर्तमान ब्रिटिश साम्राज्यकी मजबूतीका खयाल रखना पड़ता है वे तो इसे स्थान देंगे नहीं, हाँ, भारतीय शिक्षा-शास्त्री, जो देशमें किसानोंका राज्य कायम करना चाहते हैं वे इस शिक्षाको अपना केन्द्र बनायें, तो अच्छा हो। अगर उक्त आशय ठीक हो तो ऊपर जिस शिक्षाका जिक्र किया गया है, वह राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा दी जानी चाहिए, यानी राष्ट्रीय विद्यालयोंमें इस तरहकी शिक्षा देनेवाले प्रचारक तैयार होने चाहिए। एक राष्ट्रवादीके लिए यह शिक्षा उसके राष्ट्रसेवा-साहित्यकी बारहखड़ी होनी चाहिए।

जितने शास्त्र हैं, सब रसपूर्ण हैं। जो यह कहते हैं कि फलाँ शास्त्रमें ही रस है, दूसरोंमें नहीं, वे शास्त्रका सच्चा मर्म ही नहीं समझते। कोई काम करने या

उसके करनेकी विधि जान लेनेमे और उसके शास्त्रको जाननेमें बडा भेद है। चमार चमड़ा कमाकर उसे रँगना जानता है, लेकिन इसीसे वह रसायन-विशेषज्ञ नही कहलाता। रसायन-विशेषज्ञ अपने शास्त्र द्वारा रसपान करता है, उसके पीछे पागल बन जाता है। चमार बाप-दादोके जमानेसे चली आई हुई तरकीबे जानकर अपनी गुजर करता है, और अगर पढ-लिखकर सुशिक्षित बन गया तो मौका पाते ही अपना धन्धा छोड़कर जीवन-निर्वाहके लिए दूसरा काम ढूँढ़ लेता है। यही बात तमाम शास्त्रोके बारेमें कही जा सकती है। शास्त्री अपने शास्त्रमें मनचाहा रस उँडेलता है, नित नई खोज करता है, और उसे सजाता है। आज बुनाईके धन्धे और बुनाई-शास्त्रके बीच इसी तरहका प्रत्यक्ष भेद देखा जा सकता है। मगनलाल गांधी चौबीसो घटे इसीके विचारमें तल्लीन रहते थे और आखिर इसी तरहकी नित नई रचना करते-करते मौतकी गोदमे जा पड़े। लक्ष्मीदास आज किसी दूसरी बातका खयाल ही नही कर सकते। अगर कोई उन्हें खादीके वायुमण्डलसे निकाल कर दूसरा काम सौपे तो वह उसी तरह बेचैन रहने लगें जिस तरह पानीके बाहर पड़ी हुई मछली। जेठालाल गोविन्दजी किसी दूसरे काममें दिलचस्पी ले ही नही सकते, उलटे मुझे खादीके सिवा दूसरे कामो मे पडा देख वह मीठा उलाहना देते है। मीराबहन कभी तन्दुरुस्त और कभी बीमार रहा करती है, फिर भी वह बिहारके गाँवोमे जमकर बैठी है, और पुराने चरखो वगैरामे कितनी शक्ति भरी हुई है, इस बातकी खोज कर रही है। ऐसी ही कई दूसरी मिसाले पेश कर सकता हूँ। लेकिन हमारे विद्यापीठ इसके महत्त्वको पहचाननेके लिए तैयार नही है, क्योकि आज वैसा वातावरण नही है। अगर काका कालेलकरके समान कोई व्यक्ति इसके महत्त्वको समझनेके लिए तत्पर हो जाये तो उन्हे अपनी प्रतिष्ठासे हाथ धोना पडता है और विद्यापीठके पोथी-पण्डित उनके पास बैठनेमे सकुचाते है। बहुत हुआ तो वे ऐसे व्यक्तिको मिस्त्री कहने लग जाते है। यह सब कहकर मैं किसीकी बुराई नही करना चाहता। कौन है, जो स्वभावको जबर्दस्ती बदल सके? आज समाज न तो बुनाईके कामको शास्त्रके रूपमे स्वीकार करनेको तैयार है, न उसका नया शास्त्र रचनेको ही राजी है।

सारे शास्त्रोका सभी जगह आदर हो यह कोई जरूरी बात नही है। सहारा (रेगिस्तान)के रहनेवाले नौका-शास्त्रको नही समझ पायेगे। भारतके करोड़ो स्त्री-पुरुषोको इस बातका खयाल तक नही है कि घुडदौड़का भी कोई शास्त्र हो सकता है, कई तो उसे पाप समझते है। मगर यह सच है कि घुड़दौड़ पर बहुतेरी पुस्तकें लिखी गई है, उसका अपना शास्त्र है। अगर दैवयोगसे सहारा (रेगिस्तान) मे पानी बहने लगे, और उसके निवासियोके मनमे जलमार्ग द्वारा तिजारत करनेका विचार पैदा हो, उसीमे वे अपना सर्वस्व हित देखें, तो जरूर ही वे नौका-शास्त्रमे दिलचस्पी लेने लगें और नौका-शास्त्र उनके पाठ्यक्रमका एक विषय बन जाये। इसी तरह अगर हमारा समाज चरखेकी शक्तिका अनुभव करने लगे तो देशके विद्वान भी उसके पीछे पड़ जाये; उसीमें काव्यका अनुभव, कलाका दर्शन, अर्थकी प्राप्ति और कई दूसरी खूबियोको ढूँढ़ निकाले।

हमारी राष्ट्रीय शालाओंको दुहरा काम करना है: एक तो चरखा चलाना, और दूसरे, समाजमें इसके अनुकूल वातावरण तैयार करना। सक्रमण-कालमें तमाम राष्ट्रीय शिक्षा इसी ढगकी होती है। यह शिक्षा समाजके पीछे चलती है और समाजको राष्ट्रका पोषण करनेवाली नई चीजकी तरफ खीचती है। मेरे विचारमें भारतवर्षके विद्यापीठोका बड़ेसे-बड़ा काम चरखेके शास्त्रकी रचना और उसे दिलचस्प बनाना होना चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २१-४-१९२९

२५५. वाइसरायकी लाल आँखें

विट्ठलभाई पटेलने अपने आखिरी काम द्वारा अपूर्व साहस और सतर्कताका परिचय दिया है। धारासभाके प्रति मेरे मनमें कभी मोह पैदा हुआ ही नही था, अब तो वह पहलेसे भी ज्यादा निरर्थक मालूम होती है। इस धारासभाकी वजहसे हिन्दू-मुसलमानोमें दुश्मनी बढ़ी है, नेताओंके स्वार्थमें वृद्धि हुई है। फिर भी अगर किसीका धारासभामें जाना सार्थक और सफल हुआ है, तो वह विट्ठलभाईका ही। बड़ी धारा-सभाके अध्यक्षके नाते उन्होंने अपना पूरा कौशल प्रकट किया है और भारतवर्षका गौरव बढाया है। इस विषयमें 'यग इंडिया' में लिख चुका हूँ।[1] शायद इसी अकमें इसका महादेव द्वारा किया हुआ अनुवाद भी दिया गया है, इसलिए इसके बारेमें यहाँ ज्यादा नही लिख रहा हूँ।

लेकिन विट्ठलभाईके फरमानके एक हेतुको तो वाइसराय साहबने अपने एक शब्द द्वारा कुचल डाला है। अध्यक्ष पटेलने यह निर्णय दिया था कि 'लोकरक्षा बिल' धारासभाके माध्यमसे पास नही किया जा सकता, इसपर वाइसराय साहबने अपने विशेष अधिकारका प्रयोग करके उसे कानून बना दिया है। इस तरह धारासभाका थोथापन स्वय उन्होंने साबित कर दिया है।

धारासभा वगैरा सस्थाएँ शासकके हाथके खिलौने-जैसी चीजें है। जबतक दिल लगता है, वे उनके साथ क्रीडा करते है और जब खिलौनोंसे उन्हे सन्तोष नही होता तो उन्हे तोड़-फोड़ डालते है। ऐसे खिलौनोसे किसी भी हालतमें स्वराज्य नही मिल सकता।

अध्यक्षको अपने दूसरे हेतुमें पूरी तरह सफलता मिली है, और वे यह साबित कर सके है कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्टके आधारपर दिये गये सुधारोका कोई अर्थ नही है। उनके फरमानसे यह बात दुबारा साबित हो चुकी है कि लोगोको दी हुई यह सत्ता ऐन मौकेपर निरर्थक ठहरती है। अगर किये हुए सुधार सच्चे होते तो विट्ठलभाईको फरमान निकालनेकी जरूरत ही न पड़ती। सुधारोका थोथापन तो वाइसरायने अपने कार्यसे सिद्ध कर ही दिया है।

1. देखिए "निर्भीक सभापति", १२-४-१९२९।

इस घटनासे प्रजाकी कमजोरी भी साफ जाहिर होती है। बड़ी धारासभाके अध्यक्ष भारतके प्रतिनिधियोके अध्यक्ष है, मतदारोके अध्यक्ष है, और इसलिए सारे भारतके अध्यक्ष है। अतएव विट्ठलभाईका अपमान सारे भारतका अपमान है। अगर विट्ठलभाईके पीछे प्रजाबल होता तो वाइसरायने जो कार्रवाई की है, वह कभी न कर पाते। देशकी जनताको कमजोर समझनेके कारण ही वाइसराय अपना हुक्म निकालनेका साहस कर पाये है और उन्होने अध्यक्षसे भी आगे बढ़कर 'लोकरक्षा बिल' को कानून का रूप दे दिया है।

जनता अपनी शक्तिका प्रदर्शन दो प्रकारसे कर सकती है: बम अर्थात् राक्षसी बलसे, या आत्मबल यानी रचनात्मक कामसे। रचनात्मक कार्य आत्मबलकी और उस परके विश्वासकी निशानी है। राक्षसी बलके लिए संघशक्तिकी जरूरत नही होती, रचनात्मक कार्य और आत्मबलका उसके बिना काम ही नही चल सकता। यही वजह है कि राक्षसी बल सच्चा प्रजाबल नही होता। आत्मबल ही सच्चा प्रजाबल होता है। रचनात्मक काममे प्रजाके छोटे-बडे अंगोका सगठन निहित रहता है। यह बात आईनेके समान स्पष्ट है कि काग्रेसने जो रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया है उसमे प्रजाके बडेसे-बडे अगका संगठन गर्भित है। फिर भी कार्यकर्त्ताओके ढगसे ऐसा मालूम होता है, मानो वे इसे पूरी तरह समझे ही न हो। इस बातसे कौन इनकार कर सकता है कि अगर आज ही विदेशी वस्त्रका बहिष्कार सफल बनाया जा सके तो तत्काल ही विट्ठलभाईकी ताकत बढ जायेगी, उनका अपमान आज ही धुल जायेगा। इससे भी कौन इनकार कर सकता है कि आज अगर शराबकी दूकाने और भट्ठियाँ बन्द हो जाये तो तुरन्त ही उसका असर पड़ेगा। लेकिन ये काम प्रजाकी एकताके बिना सफल नही हो सकते, इनका सफल होना प्रजाके आत्मबलका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

अधीर पाठक पूछेंगे, सविनय अवज्ञा क्यो नही? मै पूछता हूँ कि क्या काग्रेसने यह नही कहा है कि इस सालके कार्यक्रमको पूरा किये बिना अगले साल सविनय अवज्ञा नही की जा सकती? मै यह मान कर चलता हूँ कि इस बातमे कोई भी विश्वास नही रखता कि इस साल जो प्रजा नीदमे डूबी रहेगी वही अगले साल सविनय अवज्ञाके लिए तैयार होकर जागेगी।

अत. अगर हमे आत्मबलके जरिये लडना हो तो काग्रेसका कार्यक्रम ही वाइसराय महोदय द्वारा किये गये विट्ठलभाई पटेलके अपमानका एकमात्र जवाब है। अगर दूसरे प्रान्त नही तो गुजरात तो अवश्य ही इस सीधी-सी बातको समझेगा और अपनी मिसाल द्वारा दूसरोको समझायेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २१-४-१९२९

२५६. अगर सच है तो दुःखद है

पिछले फरवरी महीनेमें, कलकत्तेमें, कवि श्री हंसराजने विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके लिए गुजराती भाइयोसे अनुरोध किया था। उनमेसे एक गुजराती भाई लिखते है :[1]

मेरे विचारमे तो, जिन्होने अपनी विदेशी टोपियोको दे डाला था उन्हे भी मारवाडी भाईकी उदारताका लाभ नही लेना चाहिए था। कलकत्तेमे ऐसे गुजराती है ही नही जो अपने पैसोसे खादीकी टोपी न खरीद सकते हो। मगर यदि शिक्षको ने और उनसे प्रेरणा पाकर विद्यार्थियोने भी अपनी विदेशी टोपियोको बगलमे दबाकर मारवाडी भाइयोके पाससे खादीकी टोपियाँ मुफ्त ली हो तो अवश्य ही यह चोरी हुई। किसीको भी ऐसा काम नही करना चाहिए। खासकर शिक्षक और विद्यार्थियोके ऐसे काम तो अक्षम्य है। मै आशा करता हूँ कि ऊपरकी बातमे कुछ-न-कुछ अतिशयोक्ति जरूर है। लेकिन अगर वास्तवमें ठीक हो तो जिन्होने यह गुनाह किया है वे टोपियोकी कीमतसे ज्यादा रकम खादी-प्रचारके लिए दे कर, फिरसे ऐसा गुनाह न करनेकी प्रतिज्ञा करे और इस तरह प्रायश्चित्त कर ले।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २१-४-१९२९

२५७. व्यापारी वर्ग और खादी

चरखा संघके एक सदस्य लिखते है :[2]

इसमें शक नही कि आखिर एक दिन व्यापारियोको खादी अपनानी पड़ेगी, लेकिन व्यापारियोके अबतक खादीकी ओर न झुकनेके लिए खादीसेवकोका कोई दोष नही है। व्यापारी लोग लालची और डरपोक होते है। यही वजह है कि खादी फौरन ही उन्हे अपनी ओर खीच नही सकती। आज तो खादीमे वही लोग दिलचस्पी लेते है, जिन्हें परोपकारकी धुन है, और देशकी गरीबीको देखकर जिनका दिल जला करता है। आमतौरपर व्यापारके मामलोमें व्यापारी लोग परोपकार-भावनासे काम नही करते, इसी कारण व्यापारीकी परोपकार-भावना दान आदि करनेमे खर्च होती है, जिनसे उसके व्यापारकी थोडी भी क्षति नही होती। मगर जिस दिन व्यापारियोमे भी शुद्ध देश-दाह पैदा होगी उस दिनसे वे भी खादीके व्यापारको अपनायेगे।

१. यहाँ नही दिया गया है। बिडला खादी भण्डारने घोषणा की थी कि विदेशी टोपीका त्याग करनेवालोंको खादीकी टोपी मुफ्त दी जायेगी। लेखकके अनुसार कुछ लोगोंने विदेशी टोपी बगलमें छिपा कर खादीकी टोपियाँ ले लीं और एक मारवाडी भाईकी उदारताका गलत फायदा उठाया।

२. यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें मथुरादास पुरुषोत्तमके उस सुझावका उल्लेख था जिसमें व्यापारी वर्गको कमीशन देकर उसे खादी बेचनेका काम सौंप देनेका विचार किया गया था।

उनके मार्गकी एक कठिनाईको हमे मंजूर करना चाहिए। आज वे जिस तरीकेसे व्यापार करते है, खादीके व्यापारमे उससे काम नही चल सकता। चालू व्यापार-पद्धतिमे खरीदारकी भलाईका कोई खयाल नही होता, यही वजह है कि अधिकाश व्यापारी अपनेको नीतिके बन्धनोसे परे समझते है। अगर खादीमे भी इसी तरीकेसे काम लिया जाये तो खादी बरबाद हो जाये, मिट जाये। मतलब यह है कि खादीका व्यापार सिर्फ साधुमना व्यापारी ही कर सकता है। खादीके व्यापारमे मामूली व्यापारी की चोच गीली नही हो सकती। सामान्य व्यापारमें फँसा हुआ व्यापारी शीघ्र ही धन कमानेकी आशा रखता है, मगर खादीके व्यापारीको तो आजीविका-मात्र कमाकर सन्तोष करना पडता है। मामूली कपडेके व्यापारीका मार्ग बन चुका है, उसके पास कपडेकी चुनिन्दा किस्मे होती है, लेकिन खादीके व्यापारीको नित नई तरकीबोसे काम लेना पडता है। इसी कारण यह आशा नही की जा सकती कि अभी तत्काल ही खादीके व्यापारको बहुत-से व्यापारी अपना लेगे। जो मुट्ठीभर व्यापारी खादीके व्यापारमे हाथ डाल कर बैठे है वे अच्छी तरह जानते है कि इस व्यापारमे कामयाब होनेके लिए उन्हे किस तरह एडी-चोटीका पसीना एक करना पडता है।

अतएव जिस वर्गने इस वक्त खादीको अपने हाथोमे ले रखा है, अच्छा हो अगर अपूर्ण होते हुए भी, अभी वही इसका प्रचार करे। आश्चर्य तो यह है कि अपूर्ण होते हुए भी यही वर्ग आज खादीको जिन्दा रखे हुए है।

श्री मथुरादास पुरुषोत्तमका सुझाव तो आज भी मुझे त्याज्य नही लगता। उसमें बहुत लोगोकी तैयारी आवश्यक नही है। मेरे पास जो पत्र आये है उनसे ही मुझे पता चलता है कि सिलाई जाननेवालोमें से बहुतसे खादीकी सिलाई कर सकते है। इस काममे सगठनकर्त्ताके अभावमे सगठनकी कठिनाई जरूर है। अगर एक आदमी इसी कामको करनेपर कमर कस ले तो यह काम हो सकता है। मेरा विश्वास है कि श्री मथुरादासका यह सुझाव एक-न-एक दिन जरूर ही सफल होगा।

खादीकी कई एक किस्मोको रूढ (पेटेंट) बनानेकी कोशिशकी जा रही है, लेकिन इन पत्र-लेखकको और दूसरोको जान लेना चाहिए कि इसकी अपनी सीमा है। खादी कारखानोमे नही बल्कि लाखो घरोमे पैदा होती है और उनका सूत एक सरीखा नही होता। इस प्रकार खादीकी किस्ममे फर्क तो हमशा रहेगा ही। इस तरह का फर्क रहना कोई बुराई भी नही है। जिसमे मौलिकता नही है, व्यक्तित्व नही है, वह कला भी नही है। सूतकी हरएक लच्छीपर उसके बनानेवाले हाथोकी कुछ-न-कुछ छाप तो रहेगी। मशीनसे निकले सूतके धागेमें यह खूबी कहाँ?

अतएव इस पत्रका उपयोग उसके दो सुझावोमे है. एक तो स्वदेशी अर्थात् खादीकी भावनाका प्रचार, और दूसरे, व्यापारियो द्वारा खादीको अपनाना। फिर भी पत्रकी दूसरी बातोसे पत्र-लेखकके खादी विषयक प्रेमका पता चलता है। ये विचार दूसरोके दिलमे भी आये होंगे, यही सोचकर इसपर चर्चा की गई है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-४-१९२९

२५८. स्त्रीकी दर्दनाक हालत

१

एक नौजवानके पत्रका सार इस तरह है:[1]

हिन्दू समाजमे ऐसी करुण कथाओंके अगणित उदाहरण मिल सकते हैं। यह सम्भव नही कि तुरन्त ही इनका प्रतिकार किया जा सके। कई वाते ऐसी हैं, जिन्हें इस समय सह लेनेके सिवा दूसरा चारा नही है। ऐसे मामलोमे जो-कुछ मुझे सूझता है, सो तो यों है कि कोई रिश्तेदार ऐसी युवतीकी मदद करना चाहे तो उसे दृढतापूर्वक उसकी मदद करनी चाहिए। किशोर होते हुए भी अगर इस युवतीका पति समझदार है तो उसे चाहिए कि वह अनिच्छापूर्वक किये गये युवतीके साथके अपने इस सम्बन्धसे लाभ उठाकर उसे पढाये, खुद उसे अपनी वहन समझे और उसके लिए योग्य पति ढूँढ दे। मै जानता हूँ कि पन्द्रह वर्षके किशोरसे इतनी बुद्धि-मानीकी आशा नही की जा सकती। लेकिन इस समय इस उम्रके भी परोपकारी वालक मेरी नजरोमे है और इसी आधारपर मैने ऊपरकी वात लिखी है। तीसरा मार्ग है, लोकमतको सुशिक्षित वनानेका — जिन्हे ऐसे वेजोड़ विवाहोका पता चले, वे उन्हें प्रकट तो जरूर ही कर दे। यदि इससे संकट-ग्रस्त वालाकी रक्षा न हो सके तो भी यह निश्चित ही है कि धीरे-धीरे ऐसी घटनाएँ कम होती जायेंगी।

उल्लिखित विचारधारासे यह नतीजा निकलता है कि ऐसे कामोके लिए सत्य-परायणता, निडरता, दृढ़ता और साहसकी जरूरत है। जो विवाह विवाहकी सच्ची व्याख्याके अनुसार नही हुआ है, वह विवाह ही नही है, इसे मान लेनेपर ही हम लोग आगे वढ़ सकेंगे। जिसे जातिका, गरीवीका, और ऐसी ही दूसरी वातोका डर है, वह कभी सुधार कर ही नही सकता। सुधारकोने दुःख उठाये हैं, निन्दा सहन की है, भूखो मरे है, जाने कुर्वान की है। इन वातोके अभावमे दुनियाके किसी भी हिस्सेमें सच्चे सुधार नही हो सके है।

२

एक डाक्टर लिखते है:[2]

यह डाक्टर धन्यवादके पात्र हैं। उनका कहना विलकुल ठीक है कि ऐसे मौको पर वहुतेरे डाक्टर फीसके लोभमे पड़कर लोगोके पापोमे मददगार होते है। लेकिन यह लेख मै डाक्टरोको उनका धर्म वतलानेके लिए नही लिख रहा हूँ। यह पत्र स्त्रीकी

१. यहाँ नहीं दिया गया है। पत्रमें एक १५ वर्षीय बालकका विवाह एक सत्रह वर्षीय युवतीसे होनेकी घटनाका उल्लेख करके लेखकने पूछा था कि यदि बड़ा होनेपर लड़का पुनर्विवाह करना चाहेगा तो उस स्थितिमें लड़कीका क्या होगा ?

२. यहाँ नही दिया गया है। डाक्टरने लिखा था कि एक पाटीदार भाईने उनसे किसी वणिक विधवाके लिए जिससे उसका अवैध सम्बन्ध रहा था, गर्भपातकी दवा लिख देनेका अनुरोध किया था।

दुर्दशाका दूसरा चित्र है। इसका इलाज वही है जो ऊपर बताया गया है। अहिंसा धर्मके नामपर अहिंसाको डुबानेवाला आजकलका समाज इस तरहकी निर्दयतासे काम लेते समय बिलकुल भी आगा-पीछा नही सोचता, वह हर रोज स्त्री-रूपी गौकी हत्या किया ही करता है। स्त्रीके सतीत्वकी रक्षाके बहाने वह उसपर कई तरहके अंकुश लादता है; उसके जुल्मसे पीडित स्त्रियाँ दूसरोकी तरह छिपकर गुनाह करती है लेकिन जबर्दस्ती किसीकी पवित्रताकी रक्षा नही की जा सकती। स्त्री या पुरुष पर्देकी ओटमे पाप करे, इससे बेहतर तो यह है कि वे जाहिरा तौरपर नम्रतासे अपनी कमजोरीको कबूल करके पुर्नविवाह वगैरा कर ले और पापसे बचे। मगर स्त्रीकी मदद कौन करे? मर्दने तो अपना रास्ता साफ बना लिया है। लेकिन स्त्रीपर जुल्मसे भरे हुए कायदे लादकर पुरुषोने जो दोष अपने सिर ओढ़े है, उनके प्रायश्चित्तके तौर पर उन्हे अब स्त्रीकी मदद करनी चाहिए। जिन बडे-बूढोके विचार एक बारगी ही पुख्ता हो गये है, उनसे ऐसे प्रायश्चित्तकी आशा रखना फिजूल है। हाँ, नौजवानोका मर्यादा पालन करते हुए स्त्रियोंकी मदद करना मुमकिन है। यों तो आखिरकार स्त्रीका उद्धार स्त्री ही करेगी, लेकिन आज भारतमे ऐसी स्त्रियोकी सख्या बहुत थोडी है। जब नौजवान बहुत बडी तादादमे स्त्री-जातिकी मददके लिए दौड पड़ेगे तभी स्त्रियोमे जागृति फैलेगी और उनमे सेवापरायण वीरबालाएँ व वीरागनाएँ पैदा होगी।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २१-४-१९२९

२५९. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

मौनवार, २२ अप्रैल, १९२९

बहनो,

आज तो ऐसे गाँवमे पड़े है, जहाँ कोई सुविधाएँ ही नही हैं। इसलिए डाक जल्दी तैयार करनी पडेगी। फिर यहाँसे आठ मील दूर डाकखाना है, वहाँ पत्र जायेंगे। परेशानी काफी होती है, साथ ही उतना अनुभव भी मिलता है। पैसा मिलता ही रहता है।

यह तो तुम जानती ही हो कि यहाँकी कुछ स्त्रियाँ कातनेमे बहुत कुशल होती हैं। स्त्रियोमे खादीका प्रचार गुजरातसे बहुत ज्यादा है। परदे या घूंघट जैसी कोई चीज नही है, इसलिए स्त्रियोके शरीर मजबूत दिखाई देते है। मेहनत भी वे खूब करती हैं।

मेरी झोलीमे स्त्रियोने गहने बहुत डाले है। बहुतेरी तो अपनी अँगूठियाँ दे देती है। कुछ चूड़ियाँ और कोई अपने हार दे देती है। अबतक लगभग एक लाख रुपये इकट्ठे हो गये होंगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–१ : आश्रमनी बहेनोने

२६०. पत्र : नारणदास गांधीको

मौनवार, २२ अप्रैल, १९२९

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। जो घटनाएँ हुई है उनसे दुख तो हुआ पर उससे भी ज्यादा दुख मुझे तुम्हारे निर्णयसे हुआ है। क्योंकि मुझे तुमसे बहुत आशाएँ हैं। इस समय आश्रममें रहना ही तुम्हारा कर्त्तव्य है। यदि तुम इस कर्त्तव्यको समझो तो इसके पालन द्वारा अर्थात आश्रममे रहकर ही शान्तिका अनुभव होना चाहिए। किन्तु यदि तुम्हें ऐसा लगे कि आश्रमको छोड़ देना तुम्हारा कर्त्तव्य है तो खुशीसे जाओ। मैं तुम्हे तुम्हारा कर्त्तव्य समझानेका प्रयत्न तो करूँगा; लेकिन तुमपर जबरदस्ती नही करूँगा। किसी भी प्रकार बने रह सकते हो तो बने रहो। अपने निर्णयकी सूचना तार द्वारा देना। तुम जो भी करोगे सो तुमने अपने अन्त:करणके निर्देशसे किया है, मै यह मानकर धैर्य धारण कर लूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–९ : श्री नारणदास गांधीने

२६१. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

[२३ अप्रैल, १९२९ से पूर्व][1]

भाईश्री माधवजी,

तुम्हारे दो पत्र मेरे पास पड़े हुए है।

दातुन करते समय नमक अथवा चाक इस्तेमाल करना ठीक है।

एकादशीके दिन यदि धर्म मानकर रोटी और दूध न लो तो भी ठीक है और केवल शरीरके लिए भी ऐसा करो तो भी ठीक है।

अपनी ऊँचाई और छातीका सामान्य तथा साँस खीचकर लिया हुआ माप भेजना। रोज प्राणायाम तो करते होगे?

तुम्हारा धन्धा क्या है? इसमें कितना समय लगाना पड़ता है, और उसमेंसे कितना समय तुम बचा सकते हो। बाहर जा सकते हो या नही? तुमने शिक्षा कहाँतक पाई है? आजकल स्त्री-संग करते हो या नहीं, आदि तथा आसपासके

१. साधन-सूत्रमें किसी अन्य व्यक्तिकी लिखावटमें अंग्रेजीमें १३ मई, १९२९ तारीख पड़ी हुई है। तथापि पत्रके पाठसे स्पष्ट है कि गांधीजीने यह पत्र पल्लोर जानेसे पूर्व लिखा था, और पल्लोर वे २३ अप्रैलको गये थे।

वातावरणकी पूरी जानकारी देना। इसका जवाब एल्लोर भेजना; कुछ जल्दी मिल जायेगा, क्योंकि मुझे एल्लोरके इर्दगिर्द पाँच दिनतक यात्रा करनी है।

मोहनदास

गुजराती (जी० एन० ६७८१) की फोटो-नकलसे।

२६२. पत्र: फूलचन्द शाहको

२४ अप्रैल, १९२९

भाईश्री फूलचन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें नानाभाईसे जो कहना हो कहो। उसके काममें विघ्न डालनेके लिए वेणीलालको न बुलाना। नानाभाई उसे भेज सकते हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा।

तुम तबीयत बिगाड़कर तो नहीं लौटे हो न? अबीसीनिया गये थे या नहीं? यदि जानने लायक कुछ अनुभव हो तो लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८६०)की प्रतिसे।
सौजन्य: शारदाबहन शाह

२६३. भाषण: पोतुनूरकी सार्वजनिक सभामें

२४ अप्रैल, १९२९

खादी कोष तथा लाजपतराय कोषके लिए आपने जो थैलियाँ भेंट की है उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझसे यहाँ पुस्तकालयका[1] शिलान्यास करनेके लिए कहा है और मुझे ऐसा करनेमें खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे यकीन है कि इससे एक लाभकारी उद्देश्यकी सिद्धि होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इससे हमेशा लाभ उठायें। आपने मुझे खादी कोषके लिए पैसा और जवाहरात दिये है लेकिन मैं आपसे केवल खद्दर पहनने तथा सारे विदेशी वस्त्र उतार देनेके लिए कहता हूँ। यदि आपने ऐसा ही किया होता तो फिर इन चन्दोंकी जरूरत ही न पडती। मैं समझता हूँ कि यहाँ शराब पीनेवाले लोग नहीं होंगे। आज ब्रान्डी और दूसरे मादक पेय शैतानों और दानवोंके समान हैं। अभी मुझे पता चला कि यहाँ पंचमोंमें एक नियम है कि यदि किसीको शराब पीते हुए देखा जाता है तो उसपर पाँच रुपयेका जुर्माना लगाया जाता है। यह एक बड़ी अच्छी बात है।

१. विवेकानन्द पुस्तकालय।

इसके बाद उन्होंने अस्पृश्यता तथा बालविवाहके खतरनाक अभिशापको दूर करनेकी अपील की और कहा कि यदि आप लोग स्वराज्य हासिल करनेको कृत-संकल्प है तो आप अपने कार्यक्रमकी छोटी-से-छोटी चीजको भी नगण्य मानकर छोड़ नहीं सकते।[1]

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २७-४-१९२९

३६४. भाषण : गुण्डुकोलनुमें[2]

२४ अप्रैल, १९२९

खद्दर किसी भी कीमतपर महँगा नही है। यदि आपके किसी स्वजन और प्रिय व्यक्तिकी कैद हो जाये तो क्या उसे किसी भी कीमतपर छुडानेके लिए आप भरसक प्रयत्न नही करेंगे। यदि आप स्वराज्य प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए त्यागकी भावनाका होना जरूरी है। खद्दरको त्यागकी भावनाके साथ पहनना चाहिए। खद्दर तो महँगा है, यह कहनेका मतलब है कि आप स्वराज्य बिना कोई मूल्य चुकाये हासिल करना चाहते हैं। आपका कहना है कि विदेशी कपड़ा सस्ता है। चाहे वह मुफ्तमें भी मिले तो भी लेने योग्य नही है। इसके पीछे आपकी दासताकी बुराई और आपकी दुर्बलता छिपी हुई है। इससे छुटकारा पाइए और कपडेके मामलेमें आत्म-निर्भर बनिए। किसी भी हालतमे अपना पैसा अपने देशसे बाहर मत जाने दीजिए।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २७-४-१९२९

२६५. एक अध्यापिकाका प्रमाणपत्र

सरोजिनी देवीके शिष्टमण्डलकी महान सफलताके बारेमें अमेरिकासे प्राप्त पत्रोमें से मैं एक दूसरा पत्र यहाँ दे रहा हूँ जिसे डेना हॉल स्कूल, वेलेजली, मैसाच्युसेट्सकी उप-प्रधानाध्यापिका, कुमारी डोरोथी वाल्डोने लिखा है।[3]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २५-४-१९२९

१. इसके बाद एक चाँदीकी कन्नी ३० रुपयेमें नीलाम की गई।

२. गांधीजी अपने कई व्यस्त कार्यक्रम निपटानेके बाद गांवमें सवा आठ बजे पहुँचे थे। विश्रामके लिए लेटनेसे पहले बहुतसे ग्रामीणोंने उनसे कुछ शब्द कहनेका बार-बार अनुरोध किया। श्रोताओंमें से किसीने यह कह दिया कि खादी उनके लिए बहुत महँगी है।

३. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

२६६. विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार

स्थानिक स्वराज्य संस्थाओंका कर्त्तव्य

श्रीयुत जयरामदास दौलतरामने स्थानिक स्वराज्य संस्थाओंके नाम एक गश्ती चिट्ठी भेजी है। उसमें से निम्नलिखित अंश उद्धृत करता हूँ:

> हमारे देशकी स्थानिक स्वराज्य संस्थाएँ हमारे काममें नीचे बताये जा रहे तरीकोंसे महत्त्वपूर्ण मदद दे सकती हैं:
>
> १. उनके इलाकेमें जो भी विदेशी वस्त्र आयात किया जाता हो उसपर वर्जनात्मक चुंगी या इसी तरहका कोई दूसरा कर लगाकर। जहाँ स्थानिक स्वराज्य संस्थाओंसे सम्बन्धित वर्तमान कानून ऐसा करनेकी इजाजत न देते हों वहाँ प्रान्तीय विधान मण्डलोंमें अपने स्थानिक प्रतिनिधिसे मिलकर उक्त कानूनमें अनुकूल परिवर्तन करानेके लिए कहना चाहिए।
>
> २. हाथकते और हाथबुने सूतकी खादीको चुंगी या इसी तरहके दूसरे स्थानिक करोंसे मुक्त करके।
>
> ३. खादीकी तथाकथित महँगाईकी परवाह किये बिना अपने आवश्यक कपड़ेकी सारी जरूरत हाथकते और हाथबुने सूतकी खादी खरीदकर ही पूरी करें।

हम जानना चाहेंगे कि कितनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओंने इस अपीलपर ध्यान दिया है और किस हदतक अमल किया है।

कांग्रेस कमेटियोंकी कसौटी

विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार-समितिने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको एक गश्ती चिट्ठी भेजकर उनसे उनके प्रान्तमें बहिष्कारकी प्रगतिकी जानकारी माँगी है। किन्तु इस कमेटीकी ओरसे जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसके ताजा अंकमें मैं देखता हूँ कि कई कमेटियोंने इस चिट्ठीकी उपेक्षा की है; तथा कईने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें महज खाना-पूरीकी गयी है। अगर कांग्रेस कमेटियाँ सुव्यवस्थित ढंगसे काम करनेवाली संस्थाएँ हों तो उन्हें नियमित रूपसे इस तरहकी उत्साह-वर्धक रिपोर्ट भेजनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अपने दौरेके दरम्यान मैं देख रहा हूँ कि अगर जनताके नेता इस कामकी दृष्टिसे उसे संगठित करें तो जनता बहिष्कारके लिए तैयार है। जानकारी निम्नलिखित मुद्दोंके सम्बन्धमें माँगी गई है:

> १. बहिष्कार कोषके लिए इकट्ठी की गई राशि।
>
> २. सम्बन्धित सप्ताहमें बहिष्कारके लिए जो स्वयंसेवक काम करते रहे उनकी औसत संख्या।

३. उस सप्ताहमें स्वयंसेवक कितने घरोंमें पहुँचे?

४. कितने लोगोंने बहिष्कार करनेका वचन दिया?

५. आपके क्षेत्रमें वर्षमें खपनेवाले विदेशी कपड़ेकी कीमत।

६. संख्या-३में निर्दिष्ट प्रचार-कार्य द्वारा जितनी मात्रामें विदेशी कपड़ेका बहिष्कार हुआ हो, उसकी कीमत।

७. बहिष्कारके प्रचारके उद्देश्यसे कितनी सभाओं, जुलूसों, नगर-कीर्तन यात्राओं या खादी-बाजारोंका आयोजन किया गया?

८. बेची गई खादीकी कीमत?

९. कमेटीके प्रयत्नोंके फलस्वरूप कितने नये चरखे चलने लगे हैं?

१०. उन नगरपालिकाओं और जिला-बोर्डोंकी संख्या जो इस कमेटी द्वारा विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार-पत्रिकाके दूसरे अंकमें पृष्ठ ४ पर दिये गये सुझावोंको अभीतक नहीं अपना पाये हैं।

पत्रिकाके इस अंशमें अन्तमें यह कहा गया है:

> इन साप्ताहिक रिपोर्टोंके सिवा कांग्रेस कमेटियोंको ३० अप्रैल, १९२९ तक किये हुए अपने कुल कामकी समेकित रिपोर्ट भी भेजनी चाहिए क्योंकि १ मईका दिन इस सम्बन्धमें सारे राष्ट्रमें हुए कामका लेखा-जोखा निकालनेके लिए तय हुआ है। ये रिपोर्टें इस दफ्तरमें ६ मईतक आ ही जानी चाहिए। जो रिपोर्टें इस समयके भीतर नहीं आयेंगी उनका समावेश उन बड़ी रिपोर्टोंमें, जिन्हें यह कमेटी मईके अन्तिम सप्ताहमें कार्यसमितिको सौंप देना चाहती है, नहीं हो सकेगा।

जाहिर है कि यह जानकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके पास उसकी २४ मईको होनेवाली बैठकके पहले ही पहुँच जानी चाहिए।

सात शहर

विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार-समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिका बताती है कि विदेशी कपड़ेका आयात मुख्यतः कलकत्ता, बम्बई, कराची, मद्रास, दिल्ली और अमृतसर शहरोंमें होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि बहिष्कारका कार्य अच्छी तरह संगठित किया जाये तो उसे सिद्ध करना कितना आसान है।

पत्रिका इसी सम्बन्धमें आगे कहती है:

> यदि इन शहरोंके स्थानिक कार्यकर्त्ता पर्याप्त उत्साहसे काम करें तो काफी-कुछ किया जा सकता है। इनमें से कुछ शहरोंमें (शायद कलकत्ता और कानपुरमें) कार्यकर्त्ताओंने औपचारिक रूपमें दूकानदारोंसे सम्पर्क स्थापित कर लिया है। आशा है अन्य नगर भी इनका अनुकरण करेंगे। कानपुरमें हुए कामको देखते हुए, यही उपयुक्त समय है कि अब दिल्ली और अमृतसरके कार्यकर्त्ता भी कानपुरके समकक्ष खड़े होनेके लिए कुछ कारगर कदम उठायें।

इसका प्रभाव

पत्रिकाने 'टैटरसल' से निम्नलिखित उद्धरण दिया है। उद्धरण बताता है कि बहिष्कारकी इस थोडी-बहुत सफलतासे ही मैंनचेस्टर बाजारपर कितना अधिक असर पड़ा है:

> वस्त्र-व्यापारी भारतकी माँगके अभावको महसूस कर रहे हैं।... भारतीय खरीदारोंके अलग हो जानेपर मैंनचेस्टरमें कामकी तेजी बनी नहीं रह सकती।
>
> चीन और दूर-पूर्वी देशोंसे (मैंनचेस्टरके मालके बारेमें) अधिक जानकारी माँगी जानेकी खबरें हैं। भारत अब भी . . . बहिष्कार आन्दोलनके कारण इसमें पीछे ही है।

खादीका उत्पादन

कुछ शंकालु देशभक्त अभी भी यह सवाल उठा रहे हैं कि विदेशी वस्त्रोंके सफल और पूर्ण बहिष्कारके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले वस्त्राभावकी पूर्ति खादी कैसे कर पायेगी? प्रश्न निस्सदेह सर्वथा संगत है। पर इसका उत्तर भी आसानीसे दिया जा सकता है। खादी ही एक ऐसी चीज है जिसकी माँग उत्पन्न होनेपर इसमें प्रसारकी असीमित सम्भावनाएँ मौजूद हैं। हर एक झोपड़ी थोड़ी-सी पूंजीसे एक कताई-मिलकी शक्ल अख्तियार कर सकती है। बातकी बातमें चरखे लगाये जा सकते हैं। और कौशल तथा समय तो उपयोगके अभावमें व्यर्थ जा रहा है। और जब खादीकी माँग आम और सुस्थिर हो जायेगी, तब आज विदेशी वस्त्रोंके बाजारोका मुंह जोहनेवाले छोटे-छोटे दूकानदार खादीका काम हाथमें लेना अपना सौभाग्य मानने लगेंगे। तब खादीके अतिरिक्त उत्पादनके लिए प्रयास करनेमें उसे लाभ दिखने लगेगा। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि बाजारसे यह अपेक्षा नही की जाएगी कि वह करोड़ो व्यक्तियोके लिए पर्याप्त खादीके भण्डार रखे, ठीक उसी तरह जैसे कि हम बिस्कुट-निर्माताओसे यह अपेक्षा नही रखते कि वे अपने ही बिस्कुटोंसे करोडो लोगोंकी आवश्यकताएँ पूरी कर देंगे। एक बार खादीके चल निकलनेके बाद तो मेहनतकश लोग खुद ही सूत कातकर उसे अपने बुनकरोसे बुनवाने लगेंगे। पहले भी वे यही करते थे। यह विकेन्द्रीकरण अत्यन्त ही स्वाभाविक है और इसमें धोखा-धड़ीकी कमसे-कम गुंजाइश रह जाएगी। इसलिए जरूरत सिर्फ इस बातकी है कि हमारे खादी-कार्यकर्त्ता खादी-उत्पादनकी विधियो और इसके कौशलको सीखें और अवसर पाकर गाँवोको उसके लिए तैयार कर दे। देशमें खादीका वातावरण तैयार होते ही, गाँवोंकी ओरसे गाँवोमें उसका संगठन किये जानेकी आवाज उठने लगेगी। इस प्रकार खादीमें आत्म-उत्पादनकी क्षमता मौजूद है, जबकि मिलके वस्त्रोमें इसका नितान्त अभाव है। इसमें सन्देह नही कि खादीकी माँग आम तौरपर बढनेपर कुछ समयतक तो जनताको मोटी खादीपर ही संतोष करना पड़ेगा। अ० भा० च० स० का अपना अनुभव है कि महीन खादीका उत्पादन समय-साध्य प्रशिक्षणके द्वारा ही सम्भव है।

महिलाएँ साधारण तौरपर मोटे किस्मका सूत आसानीसे कात सकती हैं, लेकिन उनको महीन सूत कातना सिखानेमें समय लगेगा। यह उनको धीरे-धीरे ही आयेगा, जिसके लिए उनको धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित करना पड़ेगा। गत सात वर्षोंमें खादी जितनी महीन बन गई है वह काफी उत्साहवर्धक है। परन्तु खादीकी माँग अनिवार्य और सुनिश्चित बन जानेपर महीन किस्मकी खादीके उत्पादनको कुछ समयके लिए स्थगित करना ही पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि वैसा अवसर आनेपर लोग अपने उस जोशमें मोटी खादीके खुरदरेपन पर इतनी नाक-भौं सिकोड़ना भूल जायेंगे, और मोटी या महीन जैसी भी हो, शुद्ध खादी पाकर खुश रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २५-४-१९२९

२६७. शैतानी पंजा

हम उस साम्राज्यके अधिवासी हैं, जिसकी कीर्तिके आगे रोमका प्राचीन गौरव भी पानी भरता है।

संसारके कुल क्षेत्रफलका चौथाईसे भी ज्यादा हिस्सा और उसकी आबादीका एक चतुर्थांश हमारे कब्जेमें है। यानी दुनियाके कुल १,८५२,०००,-००० निवासियोंमें से ४६,००,००,००० लोगोंपर हमारी हुकूमत है। हमारे ३००,००० लोग भारत, लंका, ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो, ब्रिटिश मलाया, पैलेस्टाइन, ईराक और एशियाके दूसरे भागोंमें बसे हुए करीब ३३,३३,७३,००० लोगोंपर हुकूमत करते हैं, जो बीस लाख वर्गमीलसे भी ज्यादाके क्षेत्रफलमें आबाद हैं। इस बातको याद रखते हुए आनन्दसे अपना पाइप पियो! ! !

आफ्रिकामें ३८,२०,००० वर्गमीलके क्षेत्रफलमें बसनेवाले ६ करोड़ वतनियों पर ७,०६,००० अंग्रेज राज्य कर रहे हैं। कनाडामें ५० लाख और आस्ट्रेलियामें ६० लाखसे कुछ अधिक अंग्रेज निवासी दुनियाकी सतहके ७२,७८,००० वर्गमील घेरेमें बसे हुए हैं। . . .

हमारा व्यापारिक जहाजी बेड़ा दुनिया-भरमें सबसे बड़ा और अभूतपूर्व है। ये जहाज हर साल एक अरब गजसे भी अधिक सूती कपड़ा और १ करोड़ २० लाख पौंडसे भी ज्यादाकी कीमतकी मशीनें भारत ले जाते हैं — यह भारत वही देश है, जहाँसे अंग्रेज हिस्सेदारों, साहूकारों और नौकरोंको हर साल ३ करोड़ पौंडकी रकम मिलती है! ! !

ब्रिटिश जहाजी बेड़ेके लिए खुदाके शुक्र-गुजार बनो और 'हिज मैजेस्टी दि किंग' (बादशाह सलामत)की दीर्घायुकी दुआ मनाते हुए प्यालियाँ ढालते चलो!

ऊपरकी पंक्तियाँ 'ब्रिटानिया' पत्रिकाके पिछली १५ फरवरीवाले अंकमें 'मौज करो' (चिअर अप) शीर्षकसे छपे हुए एक लेखके कुछ अश है। एक सज्जन अंग्रेजने यह लेख मेरे पास निम्नलिखित टिप्पणीके साथ भेजा था:

> अगर श्रीयुत गांधी, जो इन बातोंपर हड़ताल फेरनेकी घातमें रहते हैं, इस भयंकर पचड़ेको देखेंगे तो मुमकिन है, वह अपने किसी चरखेसे अपनी गर्दन काट डालेंगे।

फिलहाल तो मैंने यह तजवीज की है कि मैं अपनी गर्दन न काटूँ। मैं उस दिनको देखनेके लिए जिन्दा रहना चाहता हूँ जब चरखे द्वारा वह अरबो गज कपडा भारतमें ही बनने लगेगा, जिसे 'दुनियाका सबसे बडा और अभूतपूर्व व्यापारिक जहाजी बेडा' विलायतसे भारतमें लाता है। देर सिर्फ भारतको अपनी कुभकर्णी निद्रासे जागकर होशियार होनेकी है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २५-४-१९२९

२६८. एक राष्ट्रीय दोष

यद्यपि हम अपनी शारीरिक सफाईके लिए दुनियामें मशहूर हैं, फिर भी हम यह सर्टिफिकेट पाकर सन्तुष्ट नही हो सकते। दूसरे देशोंके मुकाबले हमारी सफाईका आधार हमारी हर रोज नहाने-धोनेकी आदत और मकानको साफ-सुथरा रखनेका हमारा स्वभाव है। लेकिन मुझे भय है कि हमारी सफाईकी भावना यही खतम हो जाती है। हमारी सफाई हमारे पड़ोसीको नुकसान पहुँचाती है, उसके लिए खतरनाक बन पडती है। यही वजह है कि हमारे देहात गोबर-गारेके ढेर सरीखे और उनकी सड़कें व गलियाँ आमद-रफ्तके लिए बिलकुल बेकार होती हैं, हालांकि खासियत यह है कि देशके लाखो स्त्री-पुरुषोको नंगे पैर ही चलना पडता है। हम अपने घरोको झाड़ना-बुहारना तो जानते हैं लेकिन साथ ही घरके कूडे-करकटको सडकोपर फेंकना भी बखूबी जानते है, और ऐसा करते समय समाजकी भलाईका तनिक भी खयाल नही रखते। हम व्यक्तिशः तो साफ रहते है लेकिन राष्ट्र और समाजके एक सदस्यके नाते, उसके एक नन्हेसे अंगके नाते हम सफाईसे नही रहते।

जब-जब मैं दक्षिण भारतमें मुसाफिरी करता हूँ, यह भयंकर कमजोरी बरबस मेरा ध्यान अपनी ओर खीचती है और मुझे बेचैन व गमगीन बना देती है। यह बुराई दक्षिण भारतकी कोई खासियत नही है, लेकिन मेरे खयालमे वह यहाँ ज्यादा प्रखर रूपमें मौजूद है। दक्षिण भारतमें नदियोंके जलको जिस तरह गन्दा किया जाता है, देशके और किसी हिस्सेमें उतना नहीं किया जाता।

पिछली १७ तारीखको सवेरे ६ बजे हम मोटरपर सवार होकर बेंजवाडासे गन्टूरके लिए रवाना हुए। रास्तेमें हमें कृष्णा नदी पार करनी पड़ी। दक्षिणमें

रेल गाड़ीसे मुसाफिरी करते समय जो दृश्य मैंने अक्सर दुःखपूर्वक देखे हैं, उन्हीको अब नजदीकसे देखनेका मौका मिला। यह कहूँ तो चलेगा कि हमारी मोटर नदी-तटसे कुछ ही गजकी दूरीपर पाखाना फिरते हुए सैकडों स्त्री-पुरुषोंके पाससे होकर निकली। लोग इसी नदीमें नहाते और इसीका पानी पीते है। इससे लोगोकी बढ़ी हुई निर्लज्जता तो प्रकट होती ही है; साथ ही तन्दुरुस्तीके मामूली नियमोकी घोर उपेक्षा भी प्रकट होती है। आर्थिक दृष्टिसे देखें तो भी इतनी कीमती खाद यों ही नष्ट हो जाती है। अगर लोग खेतोंमें पाखाना फिरें और उसे जमीनकी प्राणपूर्ण सतहमें गाड दिया करें तो वह पोरस मिट्टीमें मिलकर अच्छी-सी खाद बन जाये और साथ ही नागरिकोंकी तन्दुरुस्तीको धक्का पहुँचानेवाली उस गन्दगीका डर मिट जाये जो नदी-किनारे पाखाना फिरनेसे पैदा होती है।

नगरपालिकाओंके लिए यह एक अच्छा-सा कार्यक्षेत्र है, बशर्ते कि वे अपनी देख-रेखमें बसनेवाले नागरिकोके स्वास्थ्यकी रक्षाको अपना मुख्य कर्त्तव्य मानें और उसका पालन करें। मुझे मालूम है, लोगोंमें यह कहनेकी प्रथा-सी चल पडी है कि अगर हम इस तरहके सुधारोंकी तरफ ध्यान देंगे, तो राष्ट्रके स्वराज्य-प्राप्तिके काममें बाधा पड़ेगी। मै साहसपूर्वक यह कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सफाईकी रक्षा स्वराज्यका ही काम है और किसी भी कारणसे एक दिनके लिए भी उसकी उपेक्षा नही की जानी चाहिए। सचमुच ही अगर हमें शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा स्वराज्य हासिल करना है, तो राष्ट्रीय जीवनकी हरएक छोटी-बड़ी बातपर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरहका काम कार्यकर्त्ताओंमें एकता पैदा करेगा और उनके तथा जनताके बीचकी खाईको पाटकर आपसके सम्बन्धको अटूट बनायेगा। इस तरहका अटूट सम्बन्ध वर्तमान शासन-प्रणालीको समूल उखाड फेंकनेके लिए बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रकी कमजोरियोपर ही यह शासन प्रणाली जी रही है। जब कोई ऐसी कमजोरी ही नही बचेगी जिसका लाभ उठाया जा सके तब वह शासन-प्रणाली अपने आप नष्ट हो जायेगी। इस देशमें विदेशी सरकारका वही महत्त्व है जो एक रोगी शरीरमें विजातीय तत्त्व—जैसे, पीव, कफ आदि—का होता है। और जिस तरह इस विजातीय तत्वको मिटानेके लिए जीवनयन्त्रको भीतरसे स्वस्थ बनानेकी जरूरत पड़ती है उसी तरह विदेशी सरकारको मिटानेके लिए राष्ट्रीय रोगोंके तमाम अन्दरूनी कारणोंको मिटाना जरूरी है। सामाजिक गन्दगी ऐसे रोगसे किसी कदर कम नही है।

जो नगरपालिका इस गन्दगी-रूपी शैतानसे लडाई ठानेगी, उसे जरूर ही कड़ी परीक्षाका सामना करना पड़ेगा। इन सुधारोके लिए धन-संग्रह करनेमें उसे उतनी कठिनाई नही होगी, जितनी लोगोंके भयंकर राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों और स्वभावका रूप धारण कर चुकी आदतोंसे भिड़नेमें होगी। अतः स्वराज्यके लिए यह एक अच्छी-सी तालीम हो जायेगी।

आर्थिक दृष्टिसे भी इन सुधारोंमें न केवल बहुत थोडा धन व्यय होगा, बल्कि आखिर वे ही आमदनीके जरिये बन जायेंगे। मेरी रायमें, भारतवर्षमें ये सुधार तभी

कामयाब हो सकते हैं जब नगरपालिकाओंके सदस्य खुद अपने हाथमें झाड़ू और टोकरी लेकर काम करेंगे। इसमें शक नहीं कि यह इलाज बहादुराना इलाज है, लेकिन साथ ही सस्ता और कारगर है तथा इसे फौरन ही कार्य रूप दिया जा सकता है। जब नगरपालक लोग इन सुधारोंको तहेदिलसे चाहने लगेंगे, तो वे देखेंगे कि असंख्य स्वयंसेवक स्वेच्छासे उनका हुक्म उठानेको तैयार हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २५-४-१९२९

२६९. बी० आई० एस० एन० कम्पनी द्वारा प्रतिवाद

मैंने आन्ध्र देशके गाँवोंकी यात्राके दौरान 'हिन्दू'में प्रकाशित फ्री प्रेसका निम्नलिखित सन्देश देखा है:

> बी० आई० एस०.एन० कम्पनीने 'इंग्लिशमैन'को दिये गये एक वक्तव्यमें महात्मा गांधी द्वारा लगाये गये आरोपोंका प्रतिवाद किया है। महात्मा गांधीने रंगून जानेवाले यात्री-पोतोंमें सफाईकी व्यवस्थाका उल्लेख करते हुए उसे मुसाफिरोंकी भलाई और उनकी भावनाओंकी घोर उपेक्षा बतलाया था।[1] कम्पनीका कहना है कि महात्मा गांधीका खयाल था कि डेकपर यात्रा करनेवाले यात्रियोंको दूसरे दर्जेके यात्रियोंकी सुविधाएँ मिलती हैं। महात्मा गांधीने जिसे काल-कोठरी कहा है वह वास्तवमें अतिरिक्त स्थान था जिसकी व्यवस्था डेक-यात्रियोंके लिए कर दी गई थी और उसमें हवा आने-जानेके लिए विपाटद्वार खुले रखे गये थे। सफाईकी व्यवस्थाके बारेमें कम्पनीका कहना है कि संडासों आदिकी सफाईके लिए पर्याप्त संख्यामें कर्मचारी मौजूद रहते हैं और ऐसी किसी भी असुविधाकी कोई भी शिकायत कमाण्डर या पोतके प्रधान अधिकारीके पास नहीं आई। अस्पतालकी व्यवस्था भी रहती है, पर महात्मा गांधी और उनके मित्रोंने रंगूनसे अपनी वापसीकी यात्राके दौरान अनुमति लिए बिना ही उसमें अपना डेरा जमा लिया था।

क्या ही अच्छा होता कि इस बयानका पूरा पाठ[2] मेरे सामने होता। परन्तु यदि फ्री प्रेस द्वारा भेजे गये तारमें बी० आई० एस० एन० कम्पनीके प्रतिनिधिके बयानका काफी-कुछ ठीक सारांश आ गया है, तो वह खेदजनक है। अपने यहाँकी शर्मनाक स्थितिको सुधारना तो अलग रहा, कम्पनीके प्रतिनिधिने डेक-यात्रियोंके साथ किये जानेवाले बर्तावके बारेमें मेरे व्यक्तिगत अनुभवोंपर आधारित मेरी एक अत्यन्त ही संयत भर्त्सनाका प्रतिवाद करना ही ज्यादा पसन्द किया। मैं समझता हूँ कि मैं

१. देखिए "डेकके मुसाफिर", ११-४-१९२९।
२. देखिए "एक कुत्सित दोषारोप", २-५-१९२९।

इतना मूढ़ तो नही हूँ कि डेक-यात्रियोके लिए दूसरे दर्जेके यात्रियो जैसी सुविधाएँ दी जानेकी उम्मीद करूँ। हाँ, लेकिन मुझे इस बातका दु:ख जरूर है कि डेक-यात्रियो और दूसरे दर्जेके यात्रियोंके बीच एक इतना अस्वाभाविक-सा अन्तर किया जाये। यह तो ठीक है कि डेक-यात्रियोंको सैलून-यात्रियों जैसी बड़ी-बडी सुविधाएँ और वैसा आराम नही दिया जा सकता, लेकिन संडासों इत्यादिकी सफाई और रहनेके लिए पर्याप्त तथा स्वच्छ स्थान तो ऐसी चीजें है जो उनको बिना माँगे मिलनी ही चाहिए। साफ-सुथरे ढंगसे रहनेके आदी लोगोंके लिए भी यह सम्भव होना चाहिए कि वे बीमार पड़नेका, या संडासोंकी उचित व्यवस्थाके अभावके कारण मेरी तरह अधपेट भोजन करनेका खतरा उठाये बिना डेक-यात्रियोंके रूपमें यात्रा कर सकें।

'कालकोठरी' को 'डेक-यात्रियोंके लिए व्यवस्थित अतिरिक्त स्थान' नही बताया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि डेक-यात्रियोको ऐसे किसी भी स्थानपर कब्जा जमानेसे रोका जाना चाहिए जो मनुष्योके रहनेके लिए न बनाया गया हो। मैं बिलकुल मानता हूँ कि डेक-यात्री घिचपिच होनेसे बचने और चलने-फिरनेकी थोड़ी सुविधा महसूस करनेकी खातिर किसी भी ऐसे स्थानमें डेरा जमाना चाहेगे जिसमें उनकी पहुँच हो सके।

'कम्पनी' के पास संडासे इत्यादि की सफाईके लिए पर्याप्त संख्यामें कर्मचारी मौजूद रहनेका यह मतलब तो नही होता कि वे सडासोकी सफाई करते ही हैं। मेरा आरोप तो यह है कि सडासोकी सफाई नही की जाती, उनमें से आधे संडासोंके दरवाजे टूटे-फूटे पडे हैं जिसके कारण उनको अन्दरसे बन्द करना सम्भव नही रहता और यात्रियोंको देखते हुए सडासोकी संख्या भी बहुत ही कम है।

मुझे तो यही उम्मीद थी कि कम्पनीका प्रतिनिधि ऐसी चालबाजीका सहारा नही लेगा जैसो कि इन मामलोमें अक्सर की जाती है, जैसे, 'पोतके प्रधान अधिकारीके पास किसी भी असुविधाके बारेमे कोई शिकायत नही आई।' डेकपर यात्रा करनेवाले लोग जिस श्रेणीके होते हैं उस श्रेणीके लोग असुविधाओकी शिकायतें करनेका ढंग जिस दिन सीख लेगे, उस दिन फिर मेरे जैसे लोगोंके लिए कोई काम ही नही रह जायेगा। दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि हम लोगोका राष्ट्रीय चरित्र ही ऐसा है कि हम पहले तो अपना असन्तोष व्यक्त ही नही करते और जब करते भी हैं तो बडे अनगढ तरीकेसे करते हैं और हम लोग ऐसी-ऐसी असुविधाएँ भी बर्दाश्त कर लेते है जो किसी भी आदमीको कभी बर्दाश्त नही करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि सबसे बडी बात तो यह है कि डेकपर चलनेवाले साधारण यात्रियोको सफाईका कोई खयाल ही नही होता। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इसीलिए यात्रियोंको लाने-ले जानेका काम करनेवाली कम्पनीके लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वह अपने पोतों या अपनी रेलगाड़ियोमे सफाईकी व्यवस्था करनेके मामलेमे और अधिक सावधानी बरते। यदि यह अजीब-सा बयान कम्पनीके प्रतिनिधिके मूल वक्तव्यका बिलकुल ठीक-ठीक सारांश है, तो इसके अन्तमे जो बात कही गई है वह एकदम मिथ्या और अपमानपूर्ण है। मैं किसी भी ऐसे स्थानपर कब्जा जमानेका आदी

नही हूँ जिसका मैं अधिकारी नही। ऐसा आचरण मेरे अबतकके जीवनके विरुद्ध पड़ता है। और अस्पतालके लिए सुरक्षित स्थानमें तो मैं अनजाने भी डेरा नही जमा सकता था। कम्पनीके अधिकारियोंने ही वह स्थान मेरे और मेरे मित्रोंके लिए निश्चित किया था। इसलिए अनुमतिके बिना किसी स्थानपर कब्जा जमानेका कोई सवाल ही नही उठता। अब मैं बताता हूँ कि मुझे किस स्थानपर डेरा डालनेकी अनुमति दी गई थी। वह पोतके सबसे अगले भागमें दो लाइफ-बोटोंके बीच, एक खुला स्थान था और उसके चारों ओर यात्री लोग थे, और उस स्थानमें केवल मैं और मेरे साथी ही नही, अन्य लोग भी थे। और मैंने देखा था कि पोतके अधिकारी उस स्थानको आदमियोंको डूबनेसे बचानेके अभ्यासोंके लिए भी इस्तेमाल करते थे। वहाँ ऐसा कोई सूचना-पट नही था जिसपर लिखा हो कि वह स्थान अस्पतालके कामके लिए सुरक्षित था और मैं यह भी बतला दूं कि उस स्थानपर तीनों दिनो तक कोयलेकी धूलके गुबार लगातार छाये रहते थे। वहाँ किसी भी चीजको साफ रखना मुश्किल था। यदि ऐसे स्थानको अस्पतालके लिए सुरक्षित भी किया गया था तो कम्पनी या चिकित्सा-अधिकारीकी इस सूझपर मुझे तरस आता है कि वे बीमारोंको चिकित्साके लिए एक ऐसे स्थानपर रखनेकी भी सोच सकते हैं जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्तिका रहना भी खतरनाक हो, जो कुछ किस्मके रोगियोंके लिए तो घातक भी सिद्ध हो सकता था। और यह बतलानेकी तो कोई जरूरत ही नही रह जाती कि जिस स्थानमें अधिकारियों और यात्रियोंका आना जाना लगा ही रहता हो उस स्थानमें व्यक्तिगत एकान्त या परदेकी तो कोई बात ही नही उठती। मैंने अन्य पोतोंपर डेक-यात्रियोंके लिए की जानेवाली अस्पतालकी व्यवस्था देखी है। उनमें अस्पतालके लिए एक अलग कैबिन रहता है जिसमें रोगियोंके वास्ते अलगसे संडासोंकी व्यवस्था की जाती है। एस० एस० 'एरोंडा' पर मैंने और मेरे साथियोंने इस प्रकारकी कोई व्यवस्था नही देखी। और फिर मैंने यदि उस स्थानपर अनधिकृत रूपसे कब्जा जमा भी लिया था तो निश्चय ही पोतके कप्तान और अन्य अधिकारियोंका कर्त्तव्य था कि वे उस अनधिकृत कार्यकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते। मैं आशा करता हूँ कि कम्पनी अपने अपमानजनक कथनको वापस ले लेगी और उसके लिए या तो क्षमायाचना करेगी या फिर इतने अविवेकपूर्ण ढंगसे लगाये गये अपने आरोपको सिद्ध करेगी। निश्चय ही कम्पनीके लिए लाभदायक यही रहेगा कि वह ऐसे दम्भपूर्ण प्रतिवादोंका सहारा लेनेके बजाय अपनी गलतियोंको ही सुधार ले।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-४-१९२९

२७०. आन्ध्र देशमें [–२]

दूसरे सप्ताहमें मै जहाँ-जहाँ गया और वहाँ जो-कुछ धन इकट्ठा किया, उसका विवरण पाठकोंके लिए अन्यत्र दिया जा रहा है। हालाँकि मुझे आन्ध्रके ग्राम्यजीवनका दिनोदिन ज्यादा अन्तरंग परिचय होता जा रहा है, लेकिन दौरेकी रफ्तार बहुत तेज है जो मुझे पसन्द नही है। मै गाँवोंको देख कर भी भागाभागीमें उन्हे देख नही पाता। निस्सन्देह चन्दा इकट्ठा करना अच्छा तो है, लेकिन इस भागादौड़ीमें गाँवोंके अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान अनुभवसे वंचित होना पड़े, तो वह उतना अच्छा नही रह जाता। लेकिन मेरी यात्राको आर्थिक दृष्टिसे सफल बनाने तथा सात सप्ताहोकी यात्राके दौरान ज्यादासे-ज्यादा गाँवोतक खादीके सन्देशको पहुँचानेके लिए मेरे जो सेवानिष्ठ साथी कार्यकर्त्ता अविश्रान्त जुटे हुए है उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रमोके बारेमें शिकायत करना मेरी मूर्खता होगी। गाँववालोके सामने अपने भाषणोमें मै स्वर्गीय सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके उदाहरणकी नकल कर रहा हूँ। लगभग १८९० में जब वह इंग्लैंडमें थे, तब उनसे पूछा गया कि वह लगभग सभी सभाओमें एक ही भाषण क्यों दोहराते हैं। उन्होंने उत्तर दिया: "क्योकि मुझमें जो सर्वोत्तम है उसे मै सबको समानरूपसे देना चाहता हूँ। अपनी पूरी योग्यतासे मैंने अपना जो सर्वप्रथम भाषण दिया, उसके बाद उससे घटिया चीज मै दूसरोको क्यों दूं?" इसलिए गाँव-वालोंको मै जो सन्देश देता हूँ वह एक ही होता है:

१. विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कीजिए;

२. अपने गाँवमें बनी खादी ही पहनिए;

३. अस्पृश्यताको समाप्त कीजिए;

४. हिन्दुओं, मुसलमानो, ईसाइयो तथा अन्य लोगोंमें एकता स्थापित कीजिए;

५. शराबकी बुराईको उखाड फेंकिए; गाँवके बड़े-बूढ़े शराबखोरोके पास जायें और उन्हें शराब छोडनेके लिए समझायें; तथा

६. आतरिक कलहसे बचिए, लेकिन अगर झगड़े हो ही तो उन्हे स्वैच्छिक गाँव पंचायतोके जरिये हल कीजिए।

मै तो केवल बड़ी-बड़ी जगहोंपर ही, जहाँ 'राजनीतिज्ञ' लोग फूलते-फलते हैं, लोगोंके साथ तर्क करता हूँ और अन्य विषयोपर बोलता हूँ।

जैसे, मसूलीपट्टममें मुझे कई विवादास्पद विषयोपर बोलनेका अवसर मिला जिनमें से कुछ प्रश्न मुझे भेंट किये गये अभिनन्दनपत्रोमें उठाये गये थे। लेकिन ज्यादातर अभिनन्दनपत्रोंमें मेरी प्रशंसामे प्रयुक्त लम्बे-चौड़े विशेषणोंके सिवा कुछ नही था। इस प्रकारकी प्रशसासे प्रशंसा करनेवालोका कोई भला नही होता। बल्कि प्रशसित व्यक्ति यदि गम्भीरतापूर्वक यह विश्वास करे कि जिन गुणोको उसमे आरोपित किया गया है वे सब उसमें है तो उससे उसका शायद नुकसान ही होगा। इसलिए मैंने

अपने प्रशंसकोंको आगाह किया कि उन्हें अपने अभिनन्दनपत्रोंमें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा नही करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि किसी अन्य व्यक्तिमे यदि कोई प्रशंसनीय गुण हों, तो उस गुणको अपने आचरणमे उतारना ही उस व्यक्तिकी प्रशंसा करनेका सर्वोत्तम तरीका है। मैंने आन्ध्रके कार्यकर्त्ताओंको ज्यादातर मामलोंमे इस सलाहपर अमल करते पाया। मेरे इशारेपर शीघ्र ही अमल किया गया। गुन्टूरमें जो अभिनन्दनपत्र दिये गये उनमें से ज्यादातर सीधे-सादे थे। अभी इससे भी आगे एक कदम और जाना है। उन्हें अपने अभिनन्दनपत्रोंमें निम्नलिखित मुद्दोपर विस्तृत जानकारी देनी चाहिए: जिस गाँव या क्षेत्रकी ओरसे अभिनन्दनपत्र दिया जा रहा है उसमे पुरुषो और स्त्रियोंकी संख्या; हिन्दू, मुसलमानो और अन्य लोगोकी संख्या; 'अस्पृश्यों' की संख्या और उनकी दशा; कांग्रेसके स्त्री और पुरुष सदस्योकी संख्या; शराब पीनेवाले लोगोकी संख्या; कतैयोकी संख्या, उनके कामके घंटे, कमाई, प्रतिमाह तैयार होनेवाले सूतकी मात्रा और उसका नम्बर, अगर कपासकी खेती होती है तो उसकी मात्रा, क्या कतैये अपनी रुई स्वयं धुनते हैं, केवल हाथ-कते सूतका कपड़ा बुननेवाले करघोकी संख्या, हाथ-कते और मिलके कते, दोनो प्रकारके सूतका कपड़ा बुननेवाले करघोकी संख्या, केवल मिलके कते सूतका इस्तेमाल करनेवाले करघोकी संख्या; प्रतिमाह तैयार होनेवाली खादीका वजन, खादी तैयार करनेकी विभिन्न प्रक्रियाओके लिए अलग-अलग दी जानेवाली मजदूरी; राष्ट्रीय पाठशालाओंकी संख्या और उनमें विद्यार्थियोंकी संख्या, तथा अन्य ऐसी सूचनाएँ जो राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे उपयोगी हों। ऊपर लिखे मुद्दोके बारेमे सही सूचनाएँ देनेवाले अभिनन्दनपत्र एक ऐसा रिकार्ड होंगे जिन्हें मै मूल्यवान समझूंगा और सहेज कर रखूंगा। मेरे लिए वे बहुमूल्य सूचना-भण्डार होगे।

अब मैं मसूलीपट्टममें दिये गये अपने उस भाषणका सार संक्षेपमें देता हूँ जिसकी चर्चा यहाँ ऊपर की है। यह जलियाँवालाबाग दिवसके दिन दिया गया था।[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २५-४-१९२९

१. इस भाषणके पाठके लिए देखिए "भाषण: आन्ध्र जातीय कलाशाला, मसूलीपट्टममें", १३-४-१९२९।

२७१. तार : मीराबहनको

मीमावरम
२५ अप्रैल, १९२९

मीराबाई
खादी भंडार
मुजफ्फरपुर

खुशी है कि तुमने आश्रमकी चिन्तासे अपनेको मुक्त कर लिया। क्या तुम अम्बालालके कारखानेमें जा रही हो? उत्तर तारसे बनूकूके पते पर दो।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ९४२३)से, तथा सी० डब्ल्यू० ५३६७से भी।
सौजन्य : मीराबहन

२७२. भाषण : टाडेपल्लीगुडममें

२५ अप्रैल, १९२९

गांधीजीने उन सभीको धन्यवाद देते हुए अपने भाषणमें कहा कि आप सभी लोगोंने अपनी मातृभूमिके करोड़ों गरीबोंके लिए अपनी सामर्थ्यके मुताबिक दान दिया है। इससे मुझे आशा बँध गई है कि आप मात्र धन और आभूषणोंके दानसे आगे बढ़कर थोड़ा और काम करनेको भी तैयार होंगे। मुझे अपने आपपर और आन्ध्र देशपर भरोसा है और मैं जानता हूँ कि मैं यदि इस प्रदेशमें कुछ कहूँगा तो आप अवश्य ही उसपर कान देंगे। सबसे पहले तो मैं एक बहुत छोटी-सी बात लेता हूँ। वह यह कि आपको अपने मानपत्र कीमती फ्रेमोंमें नहीं मढ़ाने चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि इन फ्रेमोंपर जितना अधिक धन खर्च किया जाता है, दरिद्रनारायणको दी गई आपकी सहायतामें उतनी ही कमी आ जाती है। आपको, आपमें से प्रत्येकको दरिद्रनारायणकी सेवाके लिए खूब दिल खोलकर दान देना चाहिए और देते ही रहना चाहिए, तभी दरिद्रनारायण आपको आशीर्वाद देंगे। आपको धनके ही नहीं, सेवाके रूपमें भी दान देना चाहिए। आप जितना अधिक फल चाहते हैं उतना ही अधिक दीजिए, बल्कि उससे भी अधिक दीजिए और किसी फलकी अपेक्षा रखे बिना भी दीजिए, क्योंकि इसीमें आपकी और आपके देशकी मुक्ति है। यहाँकी मिलोंके मुनाफों और उनकी साखको देखते हुए उन्होंने बहुत थोड़ा दिया है। क्या उनके दिलोंमें

इतनी ही गुंजाइश है? आपको देना क्यों चाहिए? इसलिए कि खादी आन्दोलनने भुखमरीसे पीड़ित करोड़ों लोगोंके लिए थोड़े बहुत भोजनकी व्यवस्था करनेमें सफलता पाई है और आप खादीके कामके लिए जितना अधिक धन देंगे, उन भूखे लोगोंको उतना ही अधिक भोजन जुटाया जा सकेगा। और यदि आप सेवाके रूपमें भी अपना योगदान देते रहें, मतलब यह कि आप लगातार खादीके वस्त्र धारण करते रहें, तो गाँवोंमें आपके भाई-बहनोंको भोजन और यह काम मिलता रहेगा कि वे आपको वस्त्र देते रहें। गरीबोंके हाथों बुने वस्त्रमें कृतज्ञता और विनयशीलताकी गंध समाई रहती है, जबकि मैनचेस्टरकी मिलोंके वस्त्रोंसे लोभ-लालच और प्रभुत्व जमानेकी बू आती है। आन्ध्रके खद्दरको कौन नहीं जानता? बम्बईके लोग और महीन किस्मके खद्दरकी माँग आन्ध्रसे कर रहे हैं। तब फिर सारा भारत आन्ध्र-खद्दर ही क्यों न धारण करे?

मैं जब देखता हूँ कि यहाँ उपस्थित एक भी महिला खद्दर नहीं पहने है तो हृदयको बड़ी ठेस लगती है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-४-१९२९

२७३. पत्र : छगनलाल जोशीको

२६ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

हम एक ऐसे छोटे गाँवमें हैं जहाँ डाक मिलनेकी आशा कम है। आज डाकके बिना तीसरा दिन होगा। डाक मिले भी तो कहाँ? दिनको कहीं, रातको कहीं। किन्तु सबका स्वास्थ्य ठीक है। हमें विभिन्न और बहुत-से अनुभव हो रहे हैं। चि० कान्तिसे कहना कि मनु जाना चाहे तो अच्छा साथ मिलनेपर बलीबहनके पास भेज दे। उसे पत्र बादमें लिखूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४०६)की फोटो-नकलसे।

२७४. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

२७ अप्रैल, १९२९

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र नीरस होते हुए भी आते तो हैं; मुझे इसीसे सन्तोष है। मेरे पत्र न आनेकी तुम शिकायत करना चाहो तो कर सकते हो, किन्तु जिस हालतमें मैं आजकल सफर कर रहा हूँ उसे समझो तो मुझपर दया आये और तुम पत्र न आनेकी शिकायत न करो। फिर 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' के रूपमें मेरे पत्र तो तुम्हें मिलते ही रहते हैं।

आज भी सवेरेके ५-३० बजे यात्राके लिए रवाना होनेसे पहले जो समय मिल गया है उसीमें यह पत्र लिख रहा हूँ। रोज सुबह ६ बजे यात्रा शुरू होती है। ९ बजे पड़ाव डालते हैं, फिर ५-३० बजे शामको चलना शुरू करके रातके ८ बजे पड़ाव डालते हैं। ९ के स्थानपर १० तथा ८ के स्थानपर ११ तक बज जाते हैं। इस स्थितिमें डाक मिलनेमें भी कठिनाई हो जाती है। मईकी २२ तारीखको यह यात्रा पूरी हो जायेगी।

बा, प्रभावती (व्रजकिशोर बाबूकी लड़की), इमाम साहब तथा सुब्बैया मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। इस समय तो मुझे दूध रहित खुराक अनुकूल पड़ रही है। कोई बीमारी आ जाये तब क्या होगा, यह देखना बाकी है।

शास्त्रीजीकी कीमत जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे-वैसे तुम सब और अच्छी तरह समझोगे। वे जबतक थे तुम्हारे लिए ढालके समान थे। यहाँकी सरकार कुछ करेगी ऐसा तो नहीं है। शास्त्रीजी अपने तेजके बलपर ही कर सकते थे; सो उन्होंने किया।

छगनलालका दुखद किस्सा तो तुम्हें मालूम हो गया होगा। तुम वहाँ खूब सावधान रहना। भूखों मरना ज्यादा अच्छा समझना किन्तु चोरीकी एक कौड़ी भी न रखना। किसीसे कर्ज लेना भी चोरी मानना।

वहाँ तुम दोनोंको शान्ति हो तो वहाँका काम बिगाड़ कर यहाँ आनेका लोभ न करना। शास्त्रीजी कहते थे कि चाहे जैसे चले, 'इंडियन ओपिनियन' की कीमत तो है ही। कुछ न करते हुए भी उसे छपते-छपते अब २४ वर्ष तो हो ही गये हैं, यह याद है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७५३)की फोटो-नकलसे।

२७५. पत्र: छगनलाल जोशीको

२७ अप्रैल, १९२९

चि० छगनलाल,

कल पोस्टकार्ड लिख लेने और डाक चले जाने पर दो दिनकी डाक एक साथ मिली। गंगाबहनको कुछ नहीं लिखूँगा। जो-कुछ हुआ मैं अपने मनमें अभीतक उसका चित्र नहीं बना पाया हूँ।

बहनोंके विषयमें जो-कुछ किया है वह पहलेसे ज्यादा ठीक है। इसके लिए तुम्हें अपने सिर दोष तो ओढ़ना ही नहीं है। इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ मैंने ही अपने ऊपर ली थी। इसलिए इसमें तुम्हारे निराश होनेकी कोई बात नहीं है। यदि निराश होना है तो मुझे होना चाहिए। किन्तु निराशा जैसी भावना मेरे मनमें आ नहीं सकती। अपनी त्रुटियों, भूलों और क्षीण अनुमानोंको देखते हुए भी मैं निराश नहीं होता; क्योंकि अन्तरात्माको जैसा सूझे वैसा कहने और करनेके सिवा आगे बढ़नेका कोई दूसरा उपाय मुझे दिखाई नहीं देता। स्त्री विभागके बारेमें अपनी हार मैंने देख ली, इसलिए विनीत भावसे तुम्हें लिखा। मैं किसी दिन क्षेत्र-संन्यास ले लूँ और आश्रममें ही रह जानेकी प्रतिज्ञा करूँ तो स्त्री विभागका पहलेकी ही तरह संगठन करनेकी धृष्टता करूँगा। और अपनी उपस्थितिसे उन्हें बाँध तो लूँगा ही। किन्तु ऐसा दिन कहाँसे आये?

मैं चाहता हूँ कि तुम निराश न हो। जहाँ दोष अपने सिर लेनेका कोई कारण नहीं, वहाँ अपनेको दोषी न मानो। कहीं भटक न जाऊँ, ऐसा भय छोड़कर यह निश्चय करो कि कदापि नहीं हारूँगा। ऐसा निश्चय मनमें रख कर पूर्ण सफलता का विश्वास बनाये रखो। ऐसा करते हुए यदि हार भी गये तो दीन भावसे उसे स्वीकार करके उस समय जो धर्म हो उसका आचरण करना। व्रतधारी भी यदि अपने विषयमें सोलह आना आश्वस्त हो, तो व्रतधारी नहीं बल्कि भगवान माना जायेगा। मनुष्य इसी स्थिति तक पहुँच सकता है; किन्तु इतिहासमें ऐसे पुरुषका वर्णन नहीं मिलता। मौतसे पहले रोज क्यों मरें? व्रत टूटनेसे पहले रोज उसके टूटनेका भय क्यों करें? इतना ही काफी है कि हम उसको तोड़नेकी दिशामें एक भी कदम न उठायें। तुम प्रतिदिन जो मनमें डरते हो सो किसलिए? रमाबहनके लिए? या किसी और स्त्रीके लिए? या केवल मनोविकारके ही कारण? इसके सिवा क्या कोई दूसरा भय भी मनमें है?

तुम्हारे पत्रमें एक दूसरा प्रश्न भी है। मेरे प्रेमके वशमें होकर मेरे साथ बँधे रहनेमें पतन तो नहीं है? यह प्रश्न प्रसंगोचित और योग्य है। यदि मेरे संग रहते हुए मनसे विषय-सेवा करते हो और बाहरसे ही संयमका आभास जगतको देते हो,

तो तुम गिर रहे हो और मेरा साथ छोड देना तुम्हारा कर्त्तव्य है। फिर ऐसा करनेसे आश्रम तबाह होता हो तो हो जाये।

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।[1]

अपने अध्यात्म-कोषके इस श्लोकपर विचार करना। यदि वह तनिक भी लागू होता हो तो तुम्हे इस मिथ्याचारसे बचनेके लिए मेरा त्याग करना ही चाहिए। मेरे साथ रहनेका यही परिणाम होता है, ऐसा आरोप मुझपर लगाया गया है, यह तो तुम्हे मालूम होगा ही। शायद छगनलाल गाधीका उदाहरण इसके समर्थनमे दिया जा सकता है। किन्तु जिस प्रकार तुम बाहरसे अर्थात् शरीरसे विषय-सेवनसे दूर रहते हो वैसे ही मनसे भी उनसे दूर रहनेका भगीरथ प्रयत्न करते हो और उसमें मेरे साथ रहनेसे तुम्हे सहायता मिलती हो तो तुम मन्दिर और मुझे जी जानसे गले लगाये रखो। तुम्हारी स्थिति किस प्रकारकी है, इसकी जानकारी तो सिर्फ तुम्हीको हो सकती है।

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते।।[2]

मेरी तुम्हारी सबकी यही स्थिति होनी चाहिए। किन्तु ऐसे व्यक्ति भी गिर सकते हैं। इसीलिए इसी अध्यायमे अर्जुनका प्रश्न है:

अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः।
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।।[3]

इसका जवाब पढकर विचार करना। इसके बाद छठे अध्यायके अन्तमें अर्जुन और भगवानका अमर संवाद है। उसे पढकर भी विचार करना। फिर "यथेच्छसि तथा कुरु।"

नारणदासने अबतक अपना निर्णय कर लिया होगा। उसके जानेका दुख होगा। किन्तु वह जो-कुछ करेगा, सो विचार कर करेगा, मुझे उसपर इतना विश्वास है।

जमनादास पाठशाला नही छोड़ेगा, ऐसी आशा तो मुझे है, किन्तु वह छोड़ देगा तो मैं उसे भी सहन कर लूँगा।

. . .[4]का पतन प्रकाशमें आना कोई छोटी-मोटी बात नही मानी जायेगी। उसे पवित्र समझकर बहुत-से व्यक्ति दोषोसे दूर रह सके। अब उसका दोष जाहिर होनेसे वे हिल जायें तो कोई नई बात नही है। इसका असर उसके सगे भाइयो पर एक-न-एक तरीकेसे तो पडेगा ही। प्रभुदासका हृदय स्वच्छ है और वह बालकके समान सरल है। इसलिए उसपर तो अच्छा प्रभाव पड़ा ही लगता है। नारणदास और जमनादास संसारी हैं। इसलिए उन्हे इसपर क्षोभ हुआ हो तो मुझे आश्चर्य न होगा। हालाँकि मैंने यह नही सोचा था कि उनपर ऐसा असर होगा। अभी

१, २ और ३. गीता, अध्याय ३, श्लोक ६, ७ और ३६।
४. नाम नहीं दिया गया है।

तो यही आशा करता हूँ कि यह असर क्षणिक ही होगा। छगनलालका भावी व्यवहार भी बहुत गहरा असर डालनेवाला होगा। हम तो छगनलालको शुद्ध प्रेमसे नहला दें।

मेरे विचारमें सन्तोक अभी आश्रम नहीं छोड़ेगी। रुखीको बनारसीदासको सौंपकर सन्तोकने बहुत बहादुरी, कार्यक्षमता, दृढ़ता और पतिव्रतका परिचय दिया है और अपना आश्रममें रहना उसने अनिवार्य बना लिया है। मगनलालका पथ भी न्यारा था। यदि तुम उसके जीवनपर विचार करो तो तुम्हें मालूम होगा। हममें से किसीसे कहे बिना मगनलालने पर्वत काटकर अपना मार्ग बनाया था। मगनलालके दोष पहाड़-जैसे थे किन्तु उसके गुण और उसकी वीरता उसके दोषोंको ढाँकते हुए उन्हें फूलके समान बना देती थीं। मगनलालके साथ अपनी तुलना करो और जरा भी हिम्मत न हारना। मगनलालने अपना काम किया, तुम्हें अपना करना है। "श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः"।[1] मगनलालका युग गया। हमने अब दूसरे युगमें प्रवेश किया है।

नवीन और धीरू हमेशाके लिए चले गये हैं या सिर्फ गर्मीकी छुट्टियोंके लिए? जैसे भी हो हम उसे ठीक मान लें। नवीनका छुट्टियोंके लिए जानेका कोई कारण तो न था।

मन्दिरमें जीवन सादा बनानेका बहुत अवकाश है, मैं ऐसा मानता हूँ। किन्तु किशोरलालकी तुलनामें मुझे कुछ कमी दिखाई देती है। विलेपार्लेमें रहते हुए बच्चे चाहे जैसी सादगीसे रहते हो, पर वे नियमोंके बन्धनसे मुक्त होनेके कारण स्वेच्छाचारी माने जायेंगे। वे जबरदस्ती सादगीका पालन करते हैं। हमारे पड़ोसमें रहनेवाले मजदूर उनसे ज्यादा सादा जीवन व्यतीत करते हैं, किन्तु उनकी सादगीका कोई मूल्य नहीं है। तुम और मैं रोज दूध पीते हुए भी, दूसरी अनेक वस्तुएँ अपने सामने होते हुए भी उनका जानबूझकर त्याग करते हैं, इसलिए उन मजदूरोंसे सादा जीवन व्यतीत करते हैं। तात्त्विक निष्कर्ष तो यही हुआ। किन्तु हम इसपर गर्व करते हुए अपने आपको ऊँचा मानें तो नीचे गिरेंगे। मजदूर भाई लाचारीसे जिस गरीबीको भोगते हैं, हमारा कर्त्तव्य तो उसका अनुकरण करना है। और जबतक वैसा न कर सकें तबतक अपने प्रति सात्विक असन्तोष तो रहना ही चाहिए।

मन्दिर खाली रहेगा या भरा हुआ, इसके चक्करमें मत पड़ना। जब जनकपुरी जलने लगी थी तब जनकने जो जवाब दिया था वह याद करना। मन्दिरको सुरक्षित रखनेके लिए अपनी समझसे एक भी उपाय न छोड़नेके बाद हम कह सकते हैं कि मन्दिर जले या बचे, उससे हमें क्या? उसे जलानेवाला या बचानेवाला जाने। इसलिए जो जाना चाहे उसे जाने देना और उसका वियोग सहन कर लेना।

इस समय आधी रात बीत चुकी है। मच्छर काफी हैं। मच्छरदानी नहीं लगाई है। १२-४५ बजे उठा और बची हुई दैनन्दिनी लिखी। १२-५५ पर यह पत्र लिखना शुरू किया था। देखता हूँ, इस समय घड़ीमें ठीक दो बजे हैं। तुम्हारे कलके दोनों

१. गीता, १८, ४७।

पत्र मिलनेके बाद विचार करता रहा हूँ। उसका यह परिणाम है। यह पत्र है सिर्फ तुम्हारे ही लिए किन्तु किसीको पढाना चाहो तो पढा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि महादेव आदिको पढ़ने देना। लेकिन तुम किसीको भी पढनेको न दो तो मुझे दुख नही होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४०७) की फोटो-नकलसे।

२७६. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

२७ अप्रैल, १९२९

चि० गंगाबहन,

ऐसा लगता है कि तुमने आजकल पत्र लिखना बन्द कर दिया है। पागलपनसे भरे छोटे-बड़े किन्तु तुम्हारे उद्‌गारोको व्यक्त करनेवाले पत्र तो मुझे मिलने ही चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–६ : गं० स्व० गंगाबहेनने

२७७. मूक सेवा

ठक्कर बापाका नीचे लिखा एक पत्र आन्ध्र देशकी मुसाफिरीमें मिला है:[1]

मुझे इन ढेढोके पुरोहित और भीलोंके गुरुसे[2] ईर्ष्या होती है। हम दोनो समान उम्रके हैं। मगर मेरे शरीरको हिफाजतकी जितनी जरूरत है, ठक्कर बापाके शरीरको उतनी जरूरत नही है। मैं आन्ध्र देशकी यात्राका कष्ट सहन कर सकता हूँ, इस विचारसे मन-ही-मन कुछ-कुछ फूल रहा था, दौड-धूपको सोच-सोचकर अपने ऊपर तरस खा रहा था, देशभक्त वेंकटप्पैया वगैरा साथियोको बहुत ज्यादा दौडधूप कराने पर डाँटता-फटकारता भी था कि इतनेमें मेरे मदको चूर-चूर करनेके लिए यह पत्र आ ही पहुँचा। कहाँ तो ऊँट और सिन्धका रेगिस्तान, और कहाँ ऊबड-खाबड़ होनें पर भी जिसपर मोटर चल सके ऐसा यह रास्ता — और मोटर भी ऐसी जिसमें मेरे सोनेकी सुविधा रहती है।

लेकिन मैं अपनी ईर्ष्या प्रकट करनेकी गरजसे यह पत्र नही दे रहा हूँ। ठक्कर बापाके ऊँटका होदा देखकर मैं गरीब अपनी छोटी-सी मोटरको छोड नही दूँगा। सिन्धके रेगिस्तान मुझसे आन्ध्रके आसान रास्तोको नही छुड़ा सकते।

१. यहाँ नही दिया गया है। लेखकने गुजरात और सिन्धके अपने दौरेका वर्णन करते हुए भील और कोली बालकोंके लिए एक विशेष आश्रमकी आवश्यकता बताई थी जिसमें उन्हें बुनाई आदि सिखाई जाये।

२. गांधीजी ठक्कर बापाको यही कहा करते थे।

यह पत्र तो मैं यह बतानेके लिए छाप रहा हूँ कि मूक सेवा किसे कहते हैं। सच्ची सेवा इसीका नाम है। भील वगैरा भाई-बहनोंके साथ भी पुराना रिश्ता हमें फिरसे ताजा करना हो तो ठक्कर बापाके पाससे गुरुमन्त्र लेना चाहिए। उन्हे लूलो-लँगड़ोकी सोहबतमे ही आनन्द आता है, उनके विना उन्हे चैन नही पडता। उनके पीछे भटकनेमे ही वे आराम समझते है और उसीमे देवदर्शन और उसीमे पेटपूजा भी समझते है।

ठक्कर बापा जुग-जुग जियें, उनकी गद्दी सलामत रहे, उनका वंश वढे। सरकारी कमेटीकी बात तो मुझे इस पत्रसे ही मालूम हुई है। इस कमेटीका सदस्य वनना उन्हे माफ है। इस कमेटीमें रहते हुए भी वे उसमे नही है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २८-४-१९२९

२७८. मेरठके कैदी

मेरठ जेलमे बन्द कैदियोंके बारेमे एक भाई लिखते है:[1]

मैं तो लेखकके विचारको ठीक नही समझता। काग्रेसको तो सूर्यवत बरतना चाहिए। जो सूर्यको गाली देते है और जो उसकी स्तुति करते हैं, सूर्य उन दोनोंके लिए एक समान प्रकाश देता है। काग्रेस तीस करोड़के प्रतिनिधित्वका दावा करती है। चाहे उसमे तीन सौ सदस्य ही क्यों न हों, उनका काम तीस करोड़की सेवा करना और उनकी मददपर दौड जाना है। उन्हे चाहिए कि वे किसी भी भारतवासीको अपना दुश्मन न समझे और जब उसपर आफत आये, उसकी मदद करे। इसी कारण मेरे मतानुसार यहाँ काग्रेसकी मित्रता अथवा शत्रुताका सवाल नही उठ सकता। लेकिन काग्रेस मेरठके और दूसरी जगहोंके कैदियोकी मदद कैसे करे? काग्रेस उनके लिए दौड़धूप करे, विचार-विमर्श करे, जहाँ पत्र-व्यवहारसे अथवा समाचारपत्रोमे लेख लिखनेसे काम चलता हो, वहाँ उनका सहारा ले, और ऐसे दुःखोसे तपकर वह अधिक जागृत, अधिक बाहोश बने, जल्द ही स्वराज्य प्राप्त करे और ऐसे कैदियोकी कोठरीके ताले तोड़े। मगर काग्रेस उनके लिए वकील न करे। काग्रेसने असहयोगका सर्वथा त्याग नही किया है। ऐसे कैदियोको अपना बचाव करनेकी जरूरत नही होनी चाहिए।

अगर उन्हें जेल मिले तो वे उसे भोग ले, अगर वे खुद वकील करना चाहे तो खुशी-खुशी करें। अगर उनकी हैसियत वकील करने जितनी नही है, तो उनके दोस्त उनकी मदद करे, या काग्रेसका सदस्य होते हुए भी जो ऐसे मामलोमे वकील करना उचित समझते है, वे स्वयं सहायता करे। इससे मेरा मतलब यह है कि खुद काग्रेस वकील वगैरा करनेकी झंझटमें न फँसे। अगर वह फँसना चाहेगी भी, तो उसकी

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। लेखकका विचार था कि कांग्रेसको सभी प्रकारके राजनीतिक कैदियोंकी समान रूपसे सहायता नहीं करनी चाहिए।

इतनी ताकत नही है कि वह हर मामलेको लड़ सके। ऐसे मामलोमे तो देशको उन वकीलोकी जरूरत है जो श्री मनमोहन घोष या चित्तरंजनदासकी तरह अपने खर्चसे सारे मुकदमे लड़ सकें। यही उनका धर्म भी है। काग्रेसको तो वकीलो या डाक्टरोकी फीस चुकानेकी जरूरत ही नही होनी चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २८-४-१९२९

२७९. माता-पिताका विरोध

एक बम्बई-निवासी बहन लिखती है:[1]

इस विरोधका तो यह मतलब हुआ कि माता-पिता सेंत-मेंत स्वराज्य चाहते है। वे किसी भी तरहकी कठिनाई सहना नही चाहते; फिर भी स्वराज्यके ख्वाहिशमन्द तो होगे ही। मुमकिन है, उन्हे वह भी पसन्द न हो। अगर बम्बई-निवासी यह महिला स्वराज्य चाहती है, तो वह माता-पिताका विरोध विनयपूर्वक सहन करे और खादीसे मुँह न मोडे। खादी पहननेवालोका पहरावा बड़ी हदतक सीधा-सादा हो जाता है। खादी पहननेवाले अपना धोबीका खर्च बचा लेते है, क्योकि वे कपड़े हाथसे धोते है। यदि हम खादी पहनकर भी अपनी पोशाकमे कोई तबदीली न करे तो मै मानता हूँ कि कपडे धोनेमे कुछ ज्यादा वक्त लगे। लेकिन जो देशभक्त है वे इन या ऐसी कठिनाइयोंको परवाह नही करते। मै यह भी मानता हूँ कि अभी फी गजके हिसाबसे खादी महँगी पडती है। जो सस्ती खादी पाना चाहते है, वे खुद कातें। यूरोपीयोके डरानेसे डर जानेवाला तो अपना डर मिटानेके लिए ही सही, खादी अवश्य पहने और पहले दर्जेमे सफर करे, अगर सरकारी मदरसोमें खादी पहननेपर प्रतिबन्ध हो तो उन्हे छोड दिया जाये। जबतक हममे यूरोपीयोसे डरनेकी आदत है और उनकी संस्थाओके प्रति मोह है तबतक आजादीकी रटन और उसकी प्राप्ति आकाश-पुष्पके समान है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २८-४-१९२९

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। लेखिकाके माता-पिता खादीका विरोध इन कारणोंसे करते थे: (१) उसे धोना कठिन है। (२) खादी महँगी होती है। (३) खादी पहननेवालोंको सरकारी शालाओंमें भर्ती होने और रेलगाड़ीके पहले दर्जेमें यूरोपीय यात्री होनेपर यात्रा करनेमें कठिनाई होती है।

२८०. चक्रवर्ती और मांडलिक

भाई कक्कलभाईने कई प्रश्न पूछे है। उन्हे उत्तर सहित नीचे दे रहा हूँ:[1]

रियासतोपर से ब्रिटिश राज्यका छत्र हटाना बाकी है। इतिहास बताता है कि चक्रवर्ती राजाके पतनके बाद उसकी छत्रच्छायामे बढ़नेवाले छोटे राज्य भी पहले जैसे रह नही पाते। उनमे आपसमे झगडे हो जाते है। कई राज्य नष्ट हो जाते है और कई पहलेसे ज्यादा बलवान हो जाते है। यदि चक्रवर्ती राजा दुष्ट हो तो उसका नाश होनेपर बची हुई रियासतोमे से कई सुधर भी जाती है। हमारी कल्पना तो यह है कि चक्रवर्तीकी गद्दी ब्रिटिश भारतको मिलेगी और उसमे इतना बल होगा कि बटलर कमेटीकी रिपोर्टके बावजूद यदि भारतको सच्चा स्वराज्य मिला तो रियासतोको मन न होनेपर भी उन्हे उसका अनुसरण करना पड़ेगा।

मुझे लगता है कि रियासतोकी बुराइयाँ मै खूब अच्छी तरह जानता हूँ। पहले भी वे मनमानी कर पाती थी। किन्तु आज एक चक्रवर्तीकी छत्रच्छायामे होनेके कारण ही उनकी बुराइयाँ निभ रही है। सरदारके होते हुए गुलामके दोषोको अलगसे गिना नही जा सकता। कक्कलभाई पूरा विश्वास रखे कि वे अपनी रियासतके दोषोको जितना जानते है उससे ज्यादा इन दोषोको सरकार जानती है। कक्कलभाई दो आँखोसे देखते है तो सरकार हजार आँखोसे देखती है। इतना होनेपर वह रियासतोके दोष सहन करती है तो वह स्वय दोषी बन जाती है। यह बात प्रसिद्ध है कि जिस कुकर्मको करनेमे सरकार डरती है या शर्माती है उसे वह रियासतोकी मारफत कराती है। कानूनके अनुसार प्रतिनिधि या कार्यकर्त्ता द्वारा किये हुए कामके लिए नेता या मालिक जवाबदेह है। उद्योग-मन्दिरमे कोई कुछ चोरी करे और मै उसे सहन कर लूँ तो वह मेरे स्वय अपराध करनेके बराबर है।

प्रश्नकर्त्ताने अपने प्रश्नमे[2] कुछ अश तक उसका जवाब भी दे दिया है। पहले जैसी स्थिति भविष्यमे भी उपस्थित होनेकी सम्भावना नही है, क्योकि आसपासकी परिस्थितियाँ बदल चुकी है। यह भी नही है कि इतिहासमे जिन स्वतन्त्र राज्योका उल्लेख है वे सभी खराब थे। सभी देशोके इतिहासमे राम-जैसे और रावण-जैसे राजा हो गये है। आज भी हमारा अनुभव है कि सभी रियासते एक-जैसी बुरी नही है। कुछ-एक तो बहुत अच्छी है और यदि वे दुष्ट साम्राज्यके अधीन न हो तो बहुत ही अच्छी हो सकती है। यदि यह साम्राज्य न होता तो वर्तमान भ्रष्ट राज्य भी नही टिक सकते थे; या उनके अत्याचारमे ज्वार-भाटा आता रहता। आज उनके

१. प्रश्न यहाँ नहीं दिये गये हैं। पहले प्रश्नका आशय यह था कि ब्रिटिश साम्राज्यकी तरह क्या रियासतें भी नष्ट करने योग्य नहीं है? वहाँ कौनसा अत्याचार नहीं होता?

२. लेखकने लिखा था कि अगर ब्रिटिश राज्य न होता तो क्या छोटी रियासतोंमें कम अत्याचार न होते?

अत्याचारोंके बढनेमें रुकावटें हैं। किन्तु उनके कम होनेके लिए साम्राज्यकी छत्रच्छायासे किसी तरहकी रुकावट उपस्थित नही होती।

इस प्रश्नका[1] उत्तर उतना सरल नही जितना प्रश्नकर्त्ता समझता है। 'फ्यूडलिज्म' (सामन्तवाद) क्या है यह मै पूरी तरह नही जानता हूँ। प्रश्नकर्त्ता उसे पूरी तरह जाननेका दावा करे तो मैं उसे स्वीकार करनेके लिए तैयार नही हूँ। 'फ्यूडलिज्म' में इम्पीरियलिज्म (साम्राज्यवाद) या कैपिटलिज्म (पूँजीवाद) आ जाता है, यह माननेके लिए भी मै तैयार नही हूँ। 'फ्यूडलिज्म' में सभी-कुछ बुरा है और प्रजासत्तात्मक राज्य स्वच्छताकी परिसीमा है, ऐसी कोई बात नही है। इस समय तो सभी कुम्हारके चाकपर चढ़े हैं। अब देखना है कि कौन किस रूपमें उतरता है। जन्मसे अधिकार पानेवाले सभी राजा बुरे नही हैं और नियुक्त किये हुए सभी राजा नीतिके अवतार नही होते। पोप भी अच्छे-बुरे होते हैं। शकराचार्योंमे हीरे भी हैं और कोयले भी। अमेरिकाके सभी राष्ट्रपति सोनेके पुतले नही थे। कुछ तो मिट्टीके मनुष्य ही सिद्ध हुए।

ब्रिटिश राज्य एक व्यक्ति नही बल्कि एक पद्धति है। जिस पद्धतिसे वह चलता है उससे हिन्दुस्तानका सर्वनाश हुआ है और होता जा रहा है। इसीलिए मैं इस पद्धतिको समाप्त कर देना चाहता हूँ। मैं और दूसरे सब लोग भी यही चाहते हैं। रियासते तो व्यक्तिनिष्ठ हैं। मनुष्योमे सुधारकी गुजाइश है इसलिए रियासतोमें भी उसकी गुजाइश है। यदि इन रियासतोंको अपने स्वेच्छाचारके लिए साम्राज्यका सहारा न होता तो आज इन रियासतोकी प्रजा राजाओसे कई हक प्राप्त कर सकी होती। रियासतें छोटी हैं इसलिए उनमें सुधार जितनी आसानीसे हो सकते हैं उतने बड़े राज्योंमे नही हो सकते। इतना तो स्पष्ट ही है। किन्तु मैं यह नही कहना चाहता कि बड़े राज्योंको विभक्त करके छोटा कर दिया जाये। मैं तो राज्यके छोटे होनेके लाभ बता रहा हूँ। कई ऐसे प्रयोग जो ब्रिटिश भारत आसानीसे नही कर पाता, रियासते मजेमे कर सकती है; जैसे मद्यपान निषेध, लगान सम्बन्धी सुधार, हिन्दू कानूनमे आवश्यक सामाजिक सुधार, छोटे बैंकोका प्रयोग, ऐसे दुग्धालय चलाना जिनपर व्यक्तिका नही प्रजाका अधिकार हो, आदि, अनेक काम यदि सरकार इनमे बाधा न डाले तो रियासतोमें तुरन्त हो सकते हैं। मैं अवश्य ही यह मानता हूँ कि रियासतोमे अर्थात् राजाओमे आगे बढ़नेकी अनन्त गुजाइश है। तब राजाओंके दोष क्यो ढूंढे और प्रजाको बिलकुल निर्दोष क्यो मान ले? यहाँपर प्रजाका अर्थ है राजनीतिज्ञ। यदि इस वर्गके लोग थोडे निर्भय बने, खुशामद कम करे, स्वार्थ छोड़कर परमार्थका ध्यान करे तो वे राजाओको सुधार सकते हैं। वे राजाके हाथ-पैर हैं। यदि हाथ-पाँव चलनेसे इनकार कर दें तो बेचारा राजा तो असहाय हो जाये। इस बातको कौन नही जानता कि राजा और प्रजाका स्वार्थ एक ही है। राजा तो अब विलायत और पेरिसमें रहने लगे हैं; और यदि वहाँ नही तो विलायत-जैसी ही

१. इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सल्तनतके साम्राज्यवाद और पूँजीवादके अतिरिक्त रियासतोंमें सामंतवादी प्रभाव होनेके कारण रियासतें नष्ट कर दी जानी चाहिए और उत्तराधिकारके बलपर राजाओंके नालायक वारिसों द्वारा राज्य करते चले जानेकी प्रथा भी समाप्त करनी चाहिए।

अपने राज्यकी किसी पहाडीपर। जिस धनको वे अपने भोग-विलासमे उडा देते है उसे प्रजापर खर्च करे। अत्याचार करनेकी उनकी शक्तिकी सीमाएँ है लेकिन भला करनेकी शक्तिकी कोई सीमा नही है। उधर सरकारको देखे तो हर तरह झूठ, प्रपच, दभ, दुष्टता, शराबखोरी, जुआ, व्यभिचार, दिन-रात लूट, डायरशाहीका बोलबाला है। उसकी वेदीपर सभीका बलिदान हो रहा है। उसके जो लाभ दिखाई देते है वे तो सिर्फ देखने-भरके लिए है। वह अपना व्यापार चलानेके लिए जीती है और उसे बचानेके लिए ही जान दे देगी। इन तीखे शब्दोका कोई अनर्थ न करे। पश्चिमके जिन सुधारोकी प्रशसा की जाती है वे मुझे अच्छे नही लगते। उसका एक सीधा-सादा चित्र मैने 'हिन्द स्वराज्य' मे दिया है।[1] समय बीत जानेपर भी उसमे कोई अन्तर नही पडा है। पश्चिमकी हर बात खराब है मेरा यह अर्थ कदापि नही है। मैने वहाँसे बहुत-कुछ सीखा है। वहाँ बहुतसे ऐसे लोग भी है जो शुद्ध हृदयवाले तपस्वी है। पश्चिममे मेरे बहुत-से मित्र है, किन्तु पश्चिममे सुधारके नामपर तो सोनेकी प्रतिमा ही पुजती है। देखता हूँ कि उसकी चमकसे प्रश्नकर्त्ता और दूसरे लोगोकी आँखे चौधिया गई है।

रियासतोको परेशान करनेसे उनका सुधार नही होगा। जिस तरह खुजलानेसे दादका रोग बढता चला जाता है उसी तरह परेशान करनेसे वे चक्रवर्ती राजाके पास जाकर अपना इलाज करायेगे। प्रश्नकर्त्ता तो बटलर कमेटीकी रिपोर्टको बिलकुल ही नही समझा है। वह उन्हे ब्रिटिश सरकारकी छत्रच्छायामे क्यो रखना चाहता है? यदि यह छत्र हटा दिया जाये तो वे स्वतन्त्र भारतके विरुद्ध लडाई नही कर सकते, और न ही करेगे।

इसलिए रियासतोसे विनती करके और यदि हममे शक्ति हो तो सत्याग्रह करके जो-कुछ प्राप्त कर सके वह प्राप्त करे। हममे और कोई शक्ति न हो और हमारी प्रार्थना वे न सुने तो हम धैर्यपूर्वक मूलको अर्थात सरकारको ही जडसे उखाडनेका प्रयत्न करे। देशी राजा तो हमारे-जैसे ही है। वे तो यही पैदा हुए है। जो दोष हममे है वे उनमे भी है, इसलिए जो गुण हममे है वे भी उनमे होगे, यह स्वीकार करनेकी उदारता हममे होनी चाहिए। जो दृश्य मोरवीके ठाकुर साहबकी अन्त्यज शालामे अनायास ही देखनेको मिला, उससे मुझे बहुत आश्वासन मिला था।

भाई कक्कलभाईके प्रश्नोमे एक बात रह गई है जो मेरी समझसे बाहर है। यदि अन्तमे वे यही माने कि प्रशंसा-प्राप्त रियासतोका शासन भी ब्रिटिश सरकारकी अपेक्षा बुरा है तो म अपने सब जवाब निरर्थक समझूंगा क्योकि वहाँ उनके और मेरे बीच सिद्धान्त-भेदकी नाजुक दीवार खडी हो जाती है। मै ठहरा आशावादी, और कक्कलभाई निराशावादी है। मुझे मनुष्य-स्वभावमे विश्वास है, उन्हे नही है। पर वे एकदम नास्तिक नही है, यही मानकर मैने उनके प्रश्नोके उत्तर दिये है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २८-४-१९२९

१. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६८।

२८१. भाषण: सार्वजनिक सभा, विजगापट्टममें[1]

२८ अप्रैल, १९२९

अभिनन्दनपत्रोंके लिए और खादी कोषमे चन्दा देनेके लिए मै आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मै उस बंगाली बहनको भी धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे ये सोनेके आभूषण भेंट किये है। आपके अभिनन्दनपत्रोमे से एकमे १९२१ मे सरकार द्वारा की गई मौलाना मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारीका जिक्र है और यह एक ऐसी बात है जिसने आपके शहरको गौरवान्वित किया है और जिसे हम कभी भुला नही सकते। आपने अपने अभिनन्दनपत्रमे उस समय दी गई मेरी सलाहका भी जिक्र किया है जो मुख्यत: तीन बातोसे सम्बन्वित थी — आप सरकारपर क्रोध न करे, खद्दरको लोकप्रिय बनायें और दूसरे सम्प्रदायोके साथ मित्रता बढानेके लिए काम करे। आपने यह भी बताया है कि यद्यपि विजगापट्टम इस प्रान्तके सबसे बडे जिलोमे से एक है और उत्कर्षको भी प्राप्त हो रहा है, तो भी यह सबसे गरीब जिलोमें से एक है। फिर भी आपके जिलेमें अनेक धनी जमीदार और भू-स्वामी मौजूद है। हालाँकि खद्दरको लोकप्रिय बनाने और इसके विकासके लिए आपके जिलेमे बहुत-सी सुविधाएँ है, तो भी विदेशी वस्त्रको यहाँ आज भी फलते-फूलते देखकर मुझे दुख होता है।

अपने एक अभिनन्दनपत्रमें आपने कहा है कि स्वराज्य हासिल करनेके लिए आप सन् १९३० में तैयार हो जायेंगे। उसी उत्साहकी भावनाके साथ जो बात मुझे कहनी है वह यह कि आपको १९३० तक इन्तजार नही करना चाहिए बल्कि अभीसे तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप इस समय सोये रहे तो १९३० मे जागनेपर आपको मौके नही मिलेगे। आप अभीसे कार्य आरम्भ कर दीजिए। कलका इन्तजार न करिए।

विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका जिक्र करते हुए आपने अखिल भारतीय चरखा संघसे सहायताकी याचना की है। मेरा निवेदन है कि आप सुव्यवस्थित ढगसे एक योजना तैयार करे और उसे स्वीकृतिके लिए अखिल भारतीय चरखा सघके पास भेज दें। बस, आपकी योजना सफलताकी सूचक होनी चाहिए, उसके बाद आपको सहायताकी कोई कमी नही रहेगी।

दूसरी चीज जिसपर मै जोर देना चाहता हूँ यह है कि शराबकी बुराईको देशसे मिटा देनेके लिए आपको सतत प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप सच्ची लगनसे और गम्भीरताके साथ शराबकी इस बुराईको दूर करनेके लिए जुट गये तो निश्चय ही सरकारको आपकी इच्छाके सामने झुकना पडेगा और जैसा आप चाहते है वैसा उसे करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए यह निहायत जरूरी है कि जनता जबर्दस्त

१. गाधीजी हिन्दीमें बोले थे। इस भाषणका कोंडा वैंकटप्पैयाने तेलुगुमें अनुवाद किया था। हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है।

प्रयत्न करे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने यह प्रस्ताव पास किया है कि जहाँ कही भी शराबका बोलबाला है वहाँ उसे उखाड फेंकनेके लिए जनताको गम्भीर कदम उठाने चाहिए; और इसके लिए भारतके एक छोरसे दूसरे छोर — हिमालयसे कन्या-कुमारी — तकके लोगोको, जिनमे मुसलमान, हिन्दू, पारसी तथा दूसरे सम्प्रदायके लोग भी शामिल है, एक हो जाना चाहिए। हिन्दुओमे भी बहुत-से समुदायोको मै आपसमे लडते देखता हूँ और अगर हम इन सारी मौजूदा बुराइयोको दूर करना चाहते है तो हमे हर हालतमे एक हो जाना चाहिए।

अपने एक अभिनन्दनपत्रमे आपने हिन्दी भाषाका जिक्र किया है और कहा है कि इस सम्बन्धमे अधिक व्यापक पैमानेपर प्रचार किया जाना चाहिए। इस बातसे मै बिलकुल सहमत हूँ। मैने पूरे देशका दौरा किया है और इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि अगर हम सभी हिन्दी सीख ले तो हम स्वराज्यके एक कदम और निकट आ जायेगे। मैने पूरे आन्ध्र देशका दौरा किया है, और ईश्वरकी कृपासे, अंग्रेजीमें भाषण देनेके बजाय मै हिन्दीमे बोलता रहा हूँ। गाँवोमे अगर मै अंग्रेजीमे बोलूँ तो वहाँ मेरी बात कोई नही समझ सकता। हिन्दीमे बहुतसे ऐसे शब्द है जो तेलुगु भाषामे बोले जाते है और जिन्हें आप आसानीसे समझ सकते है। और इसीलिए आपको अपने स्कूलोमे हिन्दीकी शिक्षाको प्रधानता देनी है। मै आपसे तेलुगुकी उपेक्षा करनेको नही कहता, बल्कि मै तो कहता हूँ कि आप हिन्दीके लिए काम करे, क्योंकि आन्ध्र देशमे हिन्दी-प्रचार भारतके लिए स्वराज्य-प्राप्तिका एक साधन है।

अब असली बातपर आइए। मै अब कुछ बनियेवाला काम करना चाहता हूँ। जहाँ-जहाँ मै दौरा करता रहा हूँ, मै अपना बनियेका धन्धा भूला नही हूँ। आप मुझे कितना भी ज्यादा धन दे दीजिए, फिर भी दरिद्रनारायणको आप आसानीसे सन्तुष्ट नही कर सकेंगे, क्योंकि देशके ३० करोड लोगोमे से दस करोडसे भी अधिक लोगोको दिनमे एक जून खाना भी नसीब नही होता है। आप एक सन्यासीसे, जो उन भूखे लोगोकी ओरसे भीख माँग रहा है, यह उम्मीद नही कर सकते कि वह आसानीसे अपनी भूख शान्त कर लेगा। आपने बताया है कि विजगापट्टम एक गरीब जिला है। आप यह भी कहते है कि आपके जिलेमे बहुत-से जमीदार है। तब तो मै एक 'बनिया' होनेके नाते उनके धनमे हिस्सा लेनेका अधिकारी हूँ। अगर मै इन सोनेके जेवरोको जो इस बंगाली बहनने मुझे दिये है इन जमीदारोको नही बेचूँगा तो फिर और किसे बेचूँगा?

अपने अभिनन्दनपत्र आपने खूबसूरत और मोहक हाथी-दाँतकी पेटियोमे भेंट किये है। मै इन आकर्षक वस्तुओको अपने पास रखनेका अधिकारी नही हूँ और मेरे पास उन्हें रखनेके लिए जगह भी नही है। ये वस्तुएँ तो धनवानोके घरोमें रखी जानी चाहिए। इसलिए मेरी विनती है कि जिन लोगोने पहले खादी-कोषमे कुछ नही दिया है वे इन वस्तुओका उचित मूल्य देकर इन्हे पुन वापस ले ले। आपने मुझे कुछ खादीकी चीजे भी भेट की है जिन्हे मै अब नीलामीके लिए रख रहा हूँ। एक बंगाली बहनने मुझे सोनेके दो कीमती कगन दिये है; क्या आन्ध्रकी कोई बहन

मुझे कुछ नही देगी? स्वराज्यकी लडाईमें पुरुषोके साथ-साथ महिलाओपर, सभी महिलाओंपर, बराबरकी जिम्मेदारी है। मेरी प्रार्थना है कि जैसे आप अबतक शान्त रहे है उसी तरह [आगे भी] शान्त रहेंगे ताकि मै इन वस्तुओको नीलाम कर सकूँ।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ३०-४-१९२९

२८२. तार : नारणदास गांधीको

२९ अप्रैल, १९२९

नारणदास
आश्रम
साबरमती

आश्रम अवश्य छोड दो। जो-कुछ भी तुम करो ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। मेरा सुझाव है कि शंकरलालसे परामर्श लो और खादी कार्य करो। इस तूफानी और थकाऊ यात्रा में जमनादास शायद शामिल न हो। २३ तारीखको वह बम्बईमें शामिल हो सकता है। इस बीच लिखना।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७७३२)से।
सौजन्य : नारणदास गाधी

२८३. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

विजगापट्टम
२९ अप्रैल, १९२९

प्रिय सतीशबाबू,

इस समय मै उस स्थानपर हूँ जो इस दौरेमें आपके सबसे ज्यादा निकट है। हम विजग [ापट्टम] मे हैं और बुधवारकी सुबहसे पहले रवाना नही होंगे।

खादीमें आत्म-निर्भर होनेका आपका कार्यक्रम मुझे पसन्द आया। कितना अच्छा हो, अगर यह प्रभावशाली ढंगसे चले। इससे बहिष्कारका सवाल और किसी चीजकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली ढगसे हल हो जाता है।

हेमप्रभा देवीका क्या हाल है? तारिणी कैसी है? आप खुद कैसे हैं? कुछ अवकाश मिलनेपर और लिखूंगा।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १६०४)की फोटो-नकलसे।

२८४. पत्र : मीराबहनको

२९ अप्रैल, १९२९

चि० मीरा,

मेरे पास केवल तुम्हे प्यार भेजने और तुम्हारे सुखकी कामना करने-भरके लिए समय है। तुम्हे अपनी पुरानी शक्ति और स्वास्थ्य पुन. प्राप्त करना चाहिए।

यह जगह समुद्र-तटपर है।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३६८)से।
सौजन्य : मीराबहन

२८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

२९ अप्रैल, १९२९

प्रिय जवाहर,

तुम्हे पत्र लिखनेका मुझे कभी समय ही नही मिलता। बरेलीकी रिपोर्टको मैंने पढ लिया है। जहाँतक मै देख सकता हूँ, उसमे खादीकी सम्भावनाके बारेमें कुछ नही कहा गया है। क्या तुमने उसे पढा है? तुम्हारा उसके बारेमे क्या करनेका विचार है?

रही दौरेकी बात, तो तुम जैसा ठीक समझो वैसा प्रबन्ध कर लेना। प्रभुदासने एक फौरी पत्र लिखा था। मैंने उसको लिखा है कि मै १० जूनके बाद जानेको तैयार रहूँगा और वह तुमसे परामर्श करके कार्यक्रम निश्चित कर ले।

यह दौरा थोड़ा क्लान्तिकर तो है लेकिन मै बहुत आसानीसे इसे झेल रहा हूँ।

बमके बारेमे तुम्हारे भाषणका संक्षिप्त विवरण मैंने देखा — मुझे पसन्द आया।

तुम्हारा,
बापू

[पुनश्च :]

मेरे दौरेका कार्यक्रम तुमको भेज दिया गया है।

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९२९।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

२८६. पत्र : बालकृष्ण भावेको

२९ अप्रैल, १९२९

चि० बालकृष्ण,

परेशान तो नही हो न? घड़ी किसीने चुरा ली तो चुरा ली। हम लोगोंके बीच चोरी देखनेमें आई है; इसलिए और चोरियाँ आजकल हो रही हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। यह भी एक प्रकारकी महामारी है। कोई झूठ बोले तो भी उपवास न करना, उसके लिए भी वातावरण होना चाहिए। अपने काममें मस्त रहो और आसपासकी किसी खलबलीसे परेशान मत होना। शरीरको दुर्बल न बनाकर मजबूत बनाना। सुरेन्द्रको भी ऐसा ही कुछ लिखना था। वह अब इसीको पढ़कर समझ ले।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०२)से।
सौजन्य : बालकृष्ण भावे

२८७. पत्र : छगनलाल जोशीको

[२९ अप्रैल, १९२९ या उसके पश्चात्][1]

चि० छगनलाल,

तुम्हारे पत्रोंसे आजकल रोज नई खबरें मिलती हैं। जहाँ संघर्ष चल रहा हो वहाँ तो ऐसा होगा ही। निरन्तर संघर्षका नाम ही जीवन है। मोहवश हम ऐसा मान बैठते हैं कि संघर्ष नही है। छगनलालके किस्सेने हमें इस संघर्षका विशेष भान कराया है सो भी ठीक ही हुआ है।

नारणदासको तार दिया है कि वह खुशीसे जा सकता है। रमणीकलालको भी वैसा ही तार भेजा है। रमणीकलालका तार शायद तुम देखोगे। उसे मैंने जो सलाह दी है, वैसा करे तो ठीक होगा।

तुम्हें मेरी यही सलाह है कि जो जाना चाहे उसे जाने देना। हम बहुत आग्रह कर चुके हैं, बहुत समझौता कर चुके हैं। इतना परिवर्तन तो फिलहाल कर ही लेना। आश्रमकी जमीनका कुछ हिस्सा किरायेपर दे देना और वहाँ नियमोंका कोई बन्धन नही रखना। जिनका हमें अनुभव है, उनकी सज्जनता देखकर ही दे दें। उनपर और हमपर एक महीनेके नोटिसका ही बन्धन रहे। बुधाभाई किसी नियमसे बँधे हुए नही हैं, फिर भी पड़ोसीके रूपमें वे हमें पसन्द हैं। जिसे हम जमीन दें

१. २९ अप्रैल, १९२९ को नारणदास गांधीके नाम दिये गये तारके उल्लेखसे।

उसके बारेमें भी वैसा ही समझें। इस प्रकार रहनेवालेको हम भण्डार वगैराकी सुविधा नही दे सकते। व डजके वे भाई अपनी जिम्मेदारीपर भण्डार चलाना चाहे तो जरूर चलायें। यदि वे ऐसा करें तो हम अपना भण्डार बन्द करके उनसे सौदा ले सकते हैं। इसपर तो तुम्हे विचार करना है।

गोशालाकी सारी व्यवस्था उद्योग-मन्दिर या आश्रमसे स्वतन्त्र रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके लिए जितना हिस्सा जरूरी हो उतना अलग करके नामका किराया ले ले। पारनेरकर खुशीसे उसे अपनी जिम्मेदारीपर चलायें। अपनी जिम्मेदारी अर्थात उसके लिए नियम वगैरह वह खुद सोच ले। पैसेकी जैसी सुविधा अभी है वह सब उसे प्राप्त होगी। किन्तु व्यक्तियोको रखने-न-रखनेके बारेमे उसे स्वतन्त्रता होगी। यदि वह समिति नियुक्त करना चाहे तो कर ले। मतलब यह है कि वह दुग्धालयके लिए सर्वार्पण करनेके लिए तैयार हो तो वह यह काम उठा ले। आश्रमको और दूसरे लोगोको अपनी सुविधाके अनुसार पूरा-पूरा दूध आदि दे। आश्रम-मे रहनेवाले उसमे काम करना चाहे तो करे। कुछ व्यक्तियोको तो मदद देनेके लिए रहना ही चाहिए। पारनेरकर स्वय भी आश्रममे रहना चाहता है या नही, यह उसके विवेकपर है। यह परिवर्तन मेरे वहाँ लौटनेसे पहले करने हो तो कर सकते हो, उसके लिए गोसेवा संघकी समितिकी आज्ञाकी जरूरत रहेगी, किन्तु उसे प्राप्त करनेमे तो कोई कठिनाई नही होगी।

यह सब करनेसे मन्दिरमे कम लोग रह जाये तो कोई बात नही। पूरा ही बन्द हो जाये तो भी कोई बात नही है। इसमे से कुछ भी प्रकाशित करते हुए मुझे शर्म नही आयेगी। सत्यको ससारमे कही भी शर्म नही लगती। यदि सत्य शर्माये तो यह जान लेना चाहिए कि वह असत्य है, सत्य नही।

इसमे तुम अकेले रह जाओ तो भी घबराना नही। उसके बाद जैसा जहाजका कप्तान करता है, वैसा करना। वह पहले सबको डूबता हुआ देखता है, पीछे खुद डूब जाता है अथवा यदि कोई भागकर बच सकता हो तो उसे बचा कर उसके साथ खुद भी बच जाता है। अगर वह खुद नही बचता तो सब डूब जाता है।

जो जाये वह बुरा, जो रह जाये वह अच्छा, ऐसा इस स्थानपर नही सोचा जा सकता। महादेवकी तुलनामे अच्छे होनेपर ही तुम रह सकते हो, तुम्हारा यह हिसाब लगाना गलत है। महादेवमे रहनेकी शक्ति न हो तो वह चला जाये। तुममे शक्ति हो तो तुम रहो। इसमे होड तो नही हो सकती।

मुझे *आघात* पहुँचनेका विचार तो मनमे कभी न लाना। सभी अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार काम करे तो मुझे कमसे-कम दुख होगा।

स्त्री-विभागके विषयमे जो करना ठीक हो सो करना। रह जायें तो उससे अच्छी बात नही हो सकती। न रह सकें तो उन्हे छूट दे देनेकी सलाह मैं दे ही चुका हूँ। इस सलाहको कायम मानना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११७९२)की फोटो-नकलसे।

२८८. पत्र : नारणदास गांधीको

मौनवार [२९ अप्रैल, १९२९][1]

चि० नारणदास,

तुम्हे तार दे दिया है। तुम आश्रम छोड़ोगे किन्तु खादी तो नही छोड़ दोगे? इसीलिए मैंने सुझाव दिया है कि शंकरलालसे मिलकर किसी काममें लग जाओ। आश्रमके बारेमें मैंने छगनलालको जो लिखा है, उस सुझावके अनुसार रह सको तो रह जाना। लेकिन सबसे बडी बात तो यह है कि जिस काममें तुम्हारे मनको शान्ति मिले वही काम करना और उसके लिए तुम्हे मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। पुरुषोत्तम मेरे पास रह रहा है और यदि वह आगे भी रहना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–९ : श्री नारणदास गांधीने

२८९. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

२९ अप्रैल, १९२९

चि० पुरुषोत्तम,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं तो राह देख ही रहा था। मोरबी जानेका विचार मुझे तो पसन्द है। वहाँके लिए सिफारिशी चिट्ठीकी जरूरत है क्या? यह प्रयोग मेरे लौटनेतक आजमा लो और उससे भी ठीक न हुए तो मेरे साथ अल्मोड़ा आ जाना। उसके बाद मझे आश्रममें आना है। जुलाई और अगस्त आश्रममें ही बिताऊँगा। उस समय उपवासकी आजमाइश करेंगे।

तुम्हारा जन्म-दिन तो निकल गया। तुम्हारा तार मुझे छः दिनमें मिला। तुम दीर्घायु हो और तुम्हारी सदिच्छाएँ पूरी हों। तुम्हारे गीता-पाठ और भजनकी रोज याद कर लेता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८९६)से।
सौजन्य : नारणदास गाधी

१. साधन-सूत्रके अनुसार।

२९०. पत्र : वसुमती पण्डितको

मौनवार [२९ अप्रैल, १९२९][1]

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। गंगाबहन तुम्हारा साथ देती है इसलिए चाहो तो स्त्री-विभागकी जिम्मेदारी उठा सकती हो। किन्तु मेरे पत्रके कारण ऐसा कुछ नही करना है। इस पत्रमें तो मैंने तुम्हे तुम्हारा कर्त्तव्य ही सूचित किया है। फिर मुझे तुमपर इतना विश्वास है कि तुम जितना दोगी उतना लेकर ही सन्तोष कर लूँगा। इतने वर्ष हो गये, मैंने तुमसे लिया है न? कुछ दिया है तो बापका बेटीको देनेमे आश्चर्यकी क्या बात है, किन्तु तुम तो मेरे पास दान लेकर ही आई। सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ऐसी नही है कि कभी भुलाई जा सके। पैसा दिया उसकी कीमत मेरे सामने कुछ नही है। वह तो मैंने कई स्त्रियोसे लिया है। उसका कुछ दुख नही और कइयो-की तो याद भी नही है। अभी जो विधवा हुई है उस सत्यवतीके पाससे उसके सारे गहने इस मुसाफिरीके दौरान लेते हुए मुझे तनिक क्षोभ नही हुआ, किन्तु क्या सत्यवती कोई प्रतिज्ञा करके उसका पालन करना चाहती है? ऐसा करे तो बहुत अच्छा होगा। तुममें प्रतिज्ञा-पालनकी शक्ति है इसलिए तुम्हे जागृत करता रहता हूँ और निद्रावश होने नही देता। इतने भरके लिए ही मैंने पत्र लिखा है, ऐसा समझना। तुम जिदमें आकर कुछ काम करो और पीछे शरीर बिगाड़ कर पिछड़ जाओ तो मेरे कड़वे वचन सुनने पड़ेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५५३)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

२९१. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

२९ अप्रैल, १९२९

भाईश्री माधवजी,

इधर तुम्हारा पत्र नही मिला है। इसका यही अर्थ लगाता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। तुनीके पतेपर पत्र लिखनेसे जल्दीसे-जल्दी मिल जायेगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७७८)की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजी सत्यवतीसे २३ अप्रैलको मिले थे, पत्र उसके बादके मौनवारको लिखा गया होगा।

२९२. पत्र : गंगाबहन झवेरीको

२९ अप्रैल, १९२९

चि० गंगाबहन झवेरी,

यह पत्र बहनोंके लिए भी है, ऐसा समझना।

तुमने और वसुमती बहनने स्त्री-विभागका बोझ उठाया है। मुझे इसका कारण तुम्हारी इच्छा और शक्तिके बजाय मेरे प्रति स्नेह ही अधिक दिखाई देता है। ऐसा हो तो ईश्वर तुम्हें इच्छा और शक्ति भी दे। कुछ भी हो, अपनी शक्तिसे बढ़कर कोई काम न करना।

पूरे आश्रमकी कड़ी परीक्षा हो रही है; उसमें बहनें भी आ जाती हैं। जिन्हें अलग रहना हो वे रह सकते हैं, ऐसा मैंने छगनलालको लिखा है। जिन बहनोंका पुरुष वर्गमें कोई आत्मीय नहीं है, उनके लिए क्या करना है, इसका विचार करना बाकी है। किन्तु इस सम्बन्धमें तुम सब मिलकर विचार कर सको तो करना। जो आश्रम या मन्दिर छोड देंगे, उनपर एक भी नियम लागू नहीं होगा; फिर वे सिर्फ एक किरायेदारकी तरह रहें, ऐसा मेरा सुझाव है। इस सुझावमें जोखिम तो भरा हुआ है किन्तु देखता हूँ इसके सिवा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। कोई नरम कायदे उनपर लागू करना भी ठीक नहीं लगता। किरायेदारोंको जबतक पुसाये और जबतक मकान-मालिकको उनका रहना अनुकूल लगे तबतक वे रहें। इस स्थितिमें कोई बहन रहना चाहती है कि नहीं, अथवा रहना भी चाहे तो उसके इस प्रकार रहनेका जोखिम हम उठायें या नहीं, यह निर्णय मैं अभीतक नहीं कर सका हूँ, किन्तु तुम सब वहाँ हो इसलिए अभी विचार तो कर ही सकती हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६९६)की फोटो-नकलसे।

२९३. पत्र: छगनलाल जोशीको

[२९ अप्रैल १९२९ या उसके पश्चात्][1]

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। बालकृष्णकी घड़ी गई इससे मुझे आश्चर्य नहीं होता। उसे अपने यहाँका या बाहरका कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ऐसी घटनाएँ तो हुआ करती हैं। जितने सावधान रह सको, उतने सावधान रहो।

पन्नालाल आश्रमकी जमीन लेकर जोते तो मुझे अच्छा लगेगा। आश्रमके टुकडे करके उसमें हमारे ही लोग रहते हुए यथाशक्ति नियमोंका पालन करे और आश्रमको जो पसन्द है, ऐसे धन्धे करें, इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है? ऐसा करते हुए हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहीं पहुँच जायेंगे।

इस समय मेरी स्थिति तो यह है कि किसीसे जबरदस्ती नहीं करनी है। सभी अपनी-अपनी इच्छासे जो काम करना चाहे करें। मेरे वहाँ पहुँचनेकी राह देखें, मुझे इसकी जरूरत नहीं दिखाई देती है। क्योंकि मैं किसीको समझाना नहीं चाहता। मुझे जो कहना और समझाना था, वह मैं कर चुका हूँ।

गंगाबहन एक मासके लिए गई हों तो ठीक है। उन्हे कुछ परिवर्तनकी जरूरत थी। वह कुछ कमजोर हो गई थी। लक्ष्मीबहन और दुर्गा रसोई-घर अच्छी तरह सँभाल सकती हैं। रोटीका क्या होगा?

सिर्फ प्रयोगके रूपमें तुम बाहर नहीं जा सकते। आवश्यक होनेपर तुम्हें जाना पड़े तो कुछ-न-कुछ बंदोबस्त तो होगा ही।

रावजीभाईको काम सौंप देनेमें मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखाई देती। किन्तु उसके विषयमें तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हो।

धोलकावाली चरागाहके बारेमें मुझे जानकारी है। अपनी चादर देखकर पैर फैलाना। पारनेरकर हमारी चादर है। उससे बन पड़े तभी इसमें हाथ डालना, नहीं तो इस समय जाने देना।

मोरवीके ठाकुर साहबका पत्र इसके साथ है। पारनेरकरने जो दो गायें माँगी थी वे अब वहाँ आ जानी चाहिए। आने पर ठाकुर साहबके मन्त्रीको लिख देना। और उन गायोंकी रिपोर्ट हर महीने जानी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४८०) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: बालकृष्ण भावेको", २९-४-१९२९।

२९४. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

[३० अप्रैल, १९२९ से पूर्व][1]

भाई घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मीला है।

मेरे लेखके[2] बारेमें मुझे विश्वास है की मैंने बा को अन्यायसे बचा ली है। बा भी दिलमें यही समजती है ऐसा मुझको प्रतीत होता है। अन्यथा इतने प्रफुल्लित चित्तसे मेरे साथ घूम न सकती। कई वृघा [वृथा] दोषारोपणसे बा को छगनलालादि को मैंने बचा लीये है। दोषके जाहिर स्वीकारका मीठा अनुभव मैंने जितना लीया है इतना शायद [ही] और किसीने हमारे समाजमें लीया हो। मुझको आश्चर्य है की यह बात आपने नहि पहेचान ली।

मीलवालोंके पाससे पैसे लेनेकी चेष्टा अवश्य करे। उसमें किसी प्रकारकी शर्त नहि होनी चाहिये। खादीको लाभ मीलो या न मीलो मीलोंको तो अनहद लाभ हो रहा है ऐसा वाडीयाने भी स्वीकार कीया है। मील मालेक और थोड़ा समझ जाये तो भी लाभ उठा सकते है। काल जाते समझेंगे।

मेरे प्रवासकी मुख्य तारीख यह है:—

३० विजागापट्टम
२ मई टुनी
३ पिद्यापुरम
४ सामलकोट
५ रामचन्द्रपुरम
८ राजमन्दरी
१० नैलोर
१६ चित्तौर
२२ अडोनीसे बम्बईके लिए।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१६७ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१. यात्राके कार्यक्रमसे यह पत्र ३० अप्रैलसे पूर्व लिखा प्रतीत होता है।
२. देखिए "मेरा दुःख, मेरी शर्म", ७-४-१९२९।

२९५. भाषण : सार्वजनिक सभा, विजगापट्टममें

३० अप्रैल, १९२९

खादी कोषके लिए आपने जो चन्दा दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको एक बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए; वह यह कि आप अपने अभिनन्दनपत्रोंमें जो-कुछ लिखें उसपर आप गम्भीरतापूर्वक अमल भी करें। सहकारी कताई और बुनाई समितिके अभिनन्दनपत्रसे मुझे बेहद खुशी हुई है। यह एक आदर्श संस्था है और अपनी तरहकी अकेली ही है। बेशक सहकारी समितियाँ और स्थानोंपर भी हैं, जैसे कि मैसूरमें। लेकिन इस समितिकी यह खासियत है कि इसमें हर तरहके कर्मचारी हैं और कर्मचारियोंका इसके लाभमें हिस्सा रहता है। मैं आपके अभिनन्दनपत्रका अनेक देशी भाषाओंमें अनुवाद कराऊँगा और हर स्थान पर उसको बँटवाऊँगा। मेरा विश्वास है कि अगर यह समिति इसी तरह काम करती रही और अपने कार्यक्षेत्रको बढाती रही तो देशके आर्थिक पुनरुत्थानमें यह बहुत सफल रहेगी। मै प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जो इस समय विदेशी वस्त्र पहन रहे हैं, हमेशाके लिए उसका परित्याग कर देंगे। यह एक बुराई है और एक लज्जाजनक बात है, और जितनी जल्दी हो सके हमें इसका त्याग कर शुद्ध हो जाना चाहिए। इस लाछनको मिटा दीजिए कि हम इतने असहाय हैं कि दूसरे राष्ट्रोंको हमें पहननेके लिए कपड़ा देना पड़ता है। मद्यपानके अभिशापको, जो इस देशकी दूसरी शर्मनाक चीज है, दूर कर दीजिए। ये दोनों ही हमारे पिछड़ेपन और हमारी कमजोरीके कारण हैं। अस्पृश्यताको हर उपायसे खत्म कर देना चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानोंको भाई-भाईकी तरह रहना चाहिए, क्योंकि हम सभीको समान लक्ष्यकी प्राप्ति करनी है। विभिन्न सम्प्रदायोंमें मित्रताका भाव होना चाहिए। इसके सिवा भारतको स्वराज्य दिलानेमें पुरुषोंकी जो जिम्मेदारी है वही महिलाओंकी भी है। मेरा यह सच्चा विश्वास है कि खादीके प्रचारके लिए महिलाएँ पुरुषोंसे ज्यादा कुछ कर सकती हैं। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको प्रकाश दे ताकि भारतको स्वतन्त्र करानेका सच्चा मार्ग आप देख सकें, आपको अपने बलका ज्ञान हो, तथा आप इस देशको स्वतन्त्र कर सकें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २-५-१९२९

२९६. पत्र : कृष्णदासको

कैम्प, अनकापल्ली
१ मई, १९२९

प्रिय कृष्णदास,

तुम्हारा पत्र मिला। इससे मुझे तसल्ली नही हुई। रामविनोदके ऊपर जो कर्ज बकाया है उसे छोड़ देनेकी सिफारिश सतीश बाबूको नही करनी चाहिए थी।[1] इसकी छूट तो केवल संस्था ही दे सकती है। अगर रामविनोद बकाया रकमके बारेमें कोई शका उठाता है तो इसकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन यह देखते हुए कि वह अपना निजी व्यापार चलाता था और असाधारण अनुकूल शर्तोंपर कर्जा लेता था, निश्चय ही अब उसे अपने बकाया ऋणकी छूटकी माँग नही करनी चाहिए। वह उदार रहा है, लेकिन किसकी कीमतपर? और वह यह स्वीकार करता है कि नारणदासने जो हिसाब इकट्ठा किया है उससे तो लाभ प्रकट होता है। वास्तवमें जिसको व्यापारमें इतना फायदा होता हो वह भुगतानमें अपनी असमर्थताकी बात नही कह सकता। और न ही इससे पहले रामविनोदने कभी, जहाँतक मुझे याद है, अपनी देनदारीसे माफी पानेकी इच्छा व्यक्त की थी। इसके विपरीत उसने तो अपने पत्रोंमें और मेरे सामने भी यही बात कही है कि वह अपनी देनदारीको फलाँ-फलाँ तारीख तक पूरा करना चाहता है, लेकिन वह तारीख हमेशा बदलती चली गई। इसलिए मेरे खयालमें वह जो कमसे-कम कर सकता है वह ऋणकी अदायगी ही है।

लाभका जो हिसाब दिया गया है मुझे उससे भी तसल्ली नही हुई है। उसमें, नि.सन्देह, लाभको छिपानेकी कोशिश की गई है।

द्विज प्रसादके तथाकथित वक्तव्यपर[2] मैं और ध्यानसे विचार करूँगा।

क्या रामविनोद अब हिसाबके अथवा ऋणके बारेमें कोई और सफाई पेश करना चाहता है? क्योंकि यदि उसे कुछ नही कहना है तो मैं अपनी राय देनेके लिए तैयार बैठा हूँ।

उम्मीद है कि गुरुजीके दायें हाथमें जो तकलीफ थी वह ठीक हो गई होगी।

रामविनोदने मुझे 'सैवन मन्थ्स' के प्रथम खण्डके बारेमें लिखा है। मैं नही समझता कि 'यंग इंडिया' के गणेशनको या मोहनलालको दूसरे खण्डकी अमुक संख्याके

१. देखिए "पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको", २१-२-१९२९।

२. पंच-निर्णायकोंको यह बताया गया था कि कार्यभार सौंपनेके वक्त ५,००० रु० मूल्यका कपड़ा दूसरी दूकानमें छिपा दिया गया था।

विरुद्ध प्रथम खण्डकी उतनी ही प्रतियाँ देनेपर राजी करनेमें कोई कठिनाई होगी। लेकिन असली चीज तो यह है कि अगर इन्हें हस्तान्तरित किया जाये तो यह . . .[1]

अंग्रेजी (एस० एन० १४९००) की माइक्रोफिल्मसे।

२९७. पत्र : अब्बास तैयबजीको

कैम्प, अनकापल्ली
१ मई, १९२९

प्रिय भरं . . .

आपका पत्र मिला। मेरे पत्रकी किसी बातसे क्या आपको ऐसा लगा कि आप सालेहकी[2] उपेक्षा करते रहे हैं? निश्चय ही उसने तो कभी मुझे ऐसा समझनेका मौका नहीं दिया। इसके विपरीत, जब कभी मैं उसपर अपनी स्थितिको आपकी जानकारीमें न लानेके लिए नाराज हुआ हूँ तो, यदि मुझे ठीक याद है, उसने कहा कि वह आपको परेशानीमें डालना नहीं चाहता और अपनी परेशानियोंसे खुद निपटना चाहता है, जो कि वास्तवमें बिलकुल ठीक भी था। चूँकि मैंने ऐसा अनुभव किया कि आपकी सहायताके बगैर उसका अपनी परेशानियोंसे उबर पाना सम्भव नहीं है, अतः मैंने उसकी इन परेशानियोंको आपके सामने रखनेके लिए उससे अनुमति प्राप्त की। मुझे मालूम है कि आप एक अनुकरणीय और उदार पिता हैं, बल्कि मेरे अपने दृष्टिकोणसे तो कुछ ज्यादा लाड़-दुलार करनेवाले बाप हैं। इस बातकी मुझे खुशी है कि आपने उसे लिख दिया है, और अगर वह भारत आता है तो निश्चय ही मैं यह आशा करूँगा कि उसके भविष्यको तय करनेके लिए जो राय-मशविरे होंगे उसमें भी मैं हिस्सा लूँ।

हृदयसे आपका,
साथी भरं . . .

श्री अब्बास तैयबजी
बड़ौदा कैम्प

अंग्रेजी (एस० एन० ९५६६) की फोटो-नकलसे।

१. साधन-सूत्रमें पत्र अधूरा है।
२. अब्बास तैयबजीका पुत्र।

२९८. भेंट: एबेल[1]के साथ

१ मई, १९२९

जब मैंने आपको देखा, तो सचमुच मेरा हृदय खुशीसे उछल पड़ा। और जब मैंने मानवजातिकी सेवामें समर्पित आपके जीवनपर विचार किया तो मुझे सचमुच क्राइस्टका खयाल आ गया। क्राइस्टके बारेमें आपके क्या विचार हैं, यह जाननेके लिए मैं आपके पास खास तौर पर आया हूँ।

गांधीजी: मै क्राइस्टको विश्वके महान शिक्षकोंमें से मानता हूँ। इससे अधिक मैंने नही सोचा है।

क्राइस्टने मोक्षका जो रास्ता बताया है, क्या उसके अलावा भी कोई रास्ता है?

इन सब बातोका लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करना चाहिए, शाब्दिक अर्थ नही। निःसन्देह क्राइस्टने कहा था: "मै ही मार्ग हूँ" आदि, लेकिन उन्होने यह भी कहा था: "शब्दोंके जालमें भावार्थ नष्ट हो जाता है।" क्राइस्टने जो-कुछ कहा वह तो कोई भी गुरु कह सकता है। आखिरकार क्राइस्ट तो एक जातिवाचक संज्ञा है और जीसस क्राइस्टका मतलब है अभिषिक्त क्राइस्ट। यह बात तो ऐसा कोई भी गुरु कह सकता है जिसने अपना जीवन प्रभु तथा मानव जातिकी सेवामें अर्पित कर दिया हो और जो पूर्ण शुद्धताको प्राप्त हो चुका हो। 'गीता' भी बिलकुल यही बात कहती है।

क्या मोक्ष-प्राप्तिकी आपकी कोई विशेष योजना है?

मेरा जो ज्ञान है वह मुझे सभी धर्मग्रन्थोंके अध्ययनसे प्राप्त हुआ है। आत्म-त्याग और सेवामें पूर्ण शुद्धताकी प्राप्तिसे बड़ा मोक्ष और क्या है जिसको मनुष्यको आवश्यकता हो?

क्या अकेले जीसस क्राइस्ट ही एक ऐसे नहीं है जो सर्वथा निष्पाप हैं?

क्राइस्टके सम्पूर्ण जीवनके बारेमें हम क्या कह सकते हैं? न्यू टेस्टामेंटके चार सिद्धान्तोमें वर्णित उनके जीवनके अतिरिक्त हम उनके शेष जीवनके बारेमें कुछ नही जानते। 'बाइबिल'का एक अच्छा ज्ञाता होनेके नाते आपको यह बात तो जाननी ही चाहिए। इसमें कोई सन्देह नही कि क्राइस्ट उन लोगोमें से एक है जिन्होने निष्पापताकी स्थिति प्राप्त कर ली थी। और फिर इन मामलोंका विवेचन बुद्धि द्वारा नही किया जा सकता, बल्कि ये सब बातें तो हृदयसे अनुभव की जानेवाली है। ये सब विवादके विषय नही है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ३-५-१९२९

१. विजगापट्टमके एक ईसाई मिशनरी।

२९९. भाषण: अनकापल्लीकी सार्वजनिक सभामें

१ मई, १९२९

आपके अभिनन्दनपत्रोंके लिए तथा खादी कोषके लिए भेंट की गई थैली तथा बहुमूल्य आभूषणोंके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज आपमें से बहुतसे लोगोंने इस देशके निर्धनोंको पैसा देकर उनसे जो अपने लिए कातने और कपड़ा बुननेको कहा है, वह सब देखकर मुझे खुशी हुई है। इन सब मूल्यवान जेवरों तथा अन्य वस्तुओंको अपने पास रखना मेरे लिए सम्भव नहीं है इसलिए मैं उनको यहीं नीलाम कर दूँगा और मैं जानता हूँ कि यहाँपर मौजूद धनवान लोग उन्हें खरीदकर मुझे पैसा दे देंगे। आप जानते हैं कि खद्दरका उत्पादन और उसका पहनना हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यकी सिद्धिका सबसे अच्छा और सबसे सहज साधन है। धनवानोंका और साथ ही निर्धनोंका यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्रके हित कुछ-न-कुछ करें। आपने अपने अभिनन्दनपत्रमें खद्दर-उत्पादनसे सम्बन्धित एक स्थानीय कार्यकर्त्ताके प्रयत्नोंका उल्लेख किया है जिसकी वजहसे कुछ निर्धन व्यक्तियोंके लिए अपनी अल्प आयमें वृद्धि कर सकना सम्भव हो गया है, और साथ ही आपको अपने ही शहरमें उचित मूल्यपर खद्दर खरीद सकनेकी सुविधा भी हो गई है। मैं इन कार्यकर्त्ता महोदयको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी उनका अनुसरण करेंगे और उन्हें मदद पहुँचायेंगे। क्योंकि याद रहे कि उन्होंने इस शहरमें स्वतन्त्रताकी दिशामें एक मिसाल कायम कर दी है। उन्हें सहायता दीजिए तथा मैनचेस्टरसे कपड़े आनेकी प्रतीक्षा किये बिना यहाँके बने कपड़े ही पहनिए। आपने यह भी बताया है कि पैसा पर्याप्त न होनेके कारण खादी-कार्यमें रुकावट आ गई है। इस शहरमें जहाँ इतने सारे समृद्धिशाली व्यापारी हैं, खद्दरका उत्पादन और प्रचार-कार्य पैसेके अभावमें रुके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इस समय आपके पास पैसे न हों। लेकिन यदि आपके प्रयत्न सच्चे हैं तो पैसेकी कमीके कारण खद्दरका कार्य रुकना नहीं चाहिए। आपकी सहायतार्थ मुझसे जो-कुछ बन पड़ेगा, मैं करूँगा। आखिरकार पैसा तो एक नगण्य तत्त्व है। यदि किसी जगह खद्दर-कार्यमें बाधा उपस्थित होती है तो समझ लीजिए कि इसका कारण पैसेकी कमी नहीं, बल्कि हमारे अन्दर साहस तथा निष्ठा और स्वतन्त्रताकी भावनाका अभाव है।

यहाँ अब विदेशी कपड़ेको जलाये जानेका प्रबन्ध है। यह एक पुनीत कार्य है क्योंकि ऐसा करके आप 'विदेशी कपड़ेसे लिपटे राष्ट्र' की शर्मको जलाते हैं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसकी भावनाको कायम रखें। स्वराज्यके चार स्तम्भोंको हमेशा अपने ध्यानमें रखिए। केवल खद्दर पहनिए, शराब तथा मादक वस्तुओंकी बुराईका उन्मूलन कीजिए, अस्पृश्यताका निवारण कीजिए तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता और अन्तर्साम्प्रदायिक एकताके लिए काम करिए। राष्ट्रीय मुक्तिके लिए शारीरिक

प्रशिक्षण आवश्यक है, इसीके साथ-साथ हमारा मानसिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। जो-कुछ भी आपके पास है—चाहे पैसा हो, चाहे जवाहरात हों या दूसरी वस्तुएँ हों—मैं आपसे उन्हें मुझे देनेकी प्रार्थना करता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ३-५-१९२९

३००. आन्ध्र देशमें [-३]

चालू सप्ताहका यात्रा-कार्यक्रम और प्राप्त होनेवाली रकम निम्नलिखित है:[1]

पहुँचनेके तुरन्त बाद ही मैंने देशभक्त कोंडा वेंकटप्पैया तथा दूसरे साथियोंको यह बता दिया था कि यात्रासे सम्बन्धित खर्चे कमसे-कम कर दिये जायें और यदि उन खर्चोंको जमा राशिमें से काटना हो, जैसा कि मैंने पिछली बहुत-सी यात्राओंमें होते देखा है, तो उसके बारेमें मुझसे पहले पूछ लेना चाहिए। कार्यकर्त्ताओंने मुझे बताया कि जमा राशिमें से खर्च काटनेका कारण यह था कि स्थानीय कांग्रेस कमेटीकी तिजोरीमें धन नहीं था और अगर वे स्वागत-प्रबन्धके सिलसिलेमें खास चन्दा करते तो उतनी राशि चन्देमें कम मिलती। इसीलिए मैंने सलाह दी थी कि जो खर्च हो उसके बारेमें मुझसे पुष्टि करा ले। कार्यकर्त्ताओंने मेरी सलाहको मान लिया और यह योजना ठीक-ठाक चलती दिखाई पड़ती है।

खर्चोंसे सम्बन्धित जो पहला बिल मेरे हाथोंमें आया है उसे मैं नीचे देता हूँ:

(१) मोटरकारोंका किराया पूरे जिलेके लिए बी० पी० सीतारमैया, एम० कृष्णराव, सी० एच० वी० नरसिंहमको दी गई नई फोर्ड गाड़ीका किराया १७ मार्च से १६ अप्रैलतक ३१ दिनका १२ रु० प्रतिदिनके हिसाबसे	रु०	३७२–०–०
(२) सामान ढोने तथा दूसरे छुट-पुट कार्यके लिए पुरानी रगबी गाड़ीका १० रु० प्रतिदिनके हिसाबसे १० दिनका किराया		१००–०–०
(३) तालुका-कार्यसे सम्बन्धित कारोंका खर्चा		
१. दीवी द्वीप; शेवरलेट गाड़ी २५ मार्चसे १५ अप्रैलतक		२४०–०–०
२. देवरकोटा; जी० ब्रह्मैया, ५ दिनका कार्य		९१–८–०
३. पूर्वी देवरकोटा; के० अंजानेयुलू		९५–०–०
४. गुडीवड़ा; बी० अंजानेयुलू		५८–०–०

१. यहाँ नहीं दी गई है। इसमें विभिन्न गाँवोंमें इकट्ठी की गई रकमका ब्योरा था। कुल जमा राशि १,११,६५३ रु० ९ आने ७½ पाई थी।

(४)	यात्राके दौरान एक अतिरिक्त डॉज गाड़ीका ५ दिनका खर्चा		७५–०–०
(५)	पेट्रोल और मोबिल ऑयल तथा मार्ग-करकी अदायगी		२२१–०–०
(६)	पेट्रोल और मोबिल ऑयलका बिल, जिसका भुगतान होना है		२०२–१३–०
(७)	विविध	६—०–०	
	सैर-सपाटा	१–१४–०	
	फुटकर सामान	१–१२–०	
	हुण्डी मंजूषाएँ	५—०–०	
		कुल :	१३–१०–०
(८)	छपाई		७०—०–०
(९)	एक महीने तककी व्यवस्था		७५—०–०
		कुल :	१,६१३–१५–०
	वेंट्राप्रागाड़ामें दिये गये साथवाले बिलकी कुल राशि : ७०–१३–०। अत :		
	ऊपरका जोड़	रु०	१,६१३–१५–०
	वेंट्राप्रागाड़ाका बिल		७०–१३–०
		कुल रु०	१,६८४–१२–०

इसका मतलब यह हुआ कि लगभग ३०,००० रु० इकट्ठा करनेमें १,६८४-१२-० खर्च हुए। यह ५ प्रतिशतसे कुछ ऊपर ही बैठते हैं। मुझे पता है कि पिछले अवसरो पर खर्च इससे बहुत ज्यादा रहा है और इसमें मेरे साथियोंके राशनका खर्चा भी शामिल रहा है। इस बिलमें ये सब चीजें नहीं हैं। यदि आज कोई यात्रा करनी पड़े तो मैं समझता हूँ कि इन खर्चोंमें और कमी करना सम्भव है। यह तो सच है कि डा० पट्टाभि हमारे कुछ नियोजित ढंगसे काम करनेवाले मुस्तैद कार्यकर्ताओंमें से हैं। और वे बेकारके सारे खर्चोंको भी बचा देते थे। लेकिन यात्रा करनेवाले स्वयंसेवकोंकी संख्यामें कमी की जा सकती है और चाहिए भी। इन मामलोंमें बहुत ज्यादा सख्ती बरतनेकी आवश्यकता होती है। दलमें उन्हींको शामिल किया जाना चाहिए जिनसे काम लेना हो। मैं मानता हूँ कि इस प्रकारकी ग्राम-यात्राओंकी व्यवस्था करना कोई आसान नहीं है। यह एक नया क्षेत्र है और इसमें जनताके बीच पहलेसे बहुत ज्यादा प्रचार करनेकी जरूरत होती है। जहाँ-जहाँ भी कार्य व्यवस्थित रूपसे हुआ है वहाँ जनताने हजारोंकी संख्यामें मौजूद होनेपर भी असाधारण संयम दिखाया है। जहाँ इसके बारेमें पहलेसे शिक्षा नहीं दी गई है वहाँ 'महात्मा गांधीकी जय' के नारोंकी आवाज कभी-कभी इतनी असह्य हो जाती थी कि मुझे अपने कानोंमें अँगुलियाँ डालनी पड जाती थी, और यह नारेबाजी मुझे अक्सर बहुत बेतुकी लगती है। मैं नहीं समझता कि इससे जनताके उत्साहमें कोई वृद्धि होती हो, बल्कि सच तो

यह है कि जहाँ लोगोंने चिल्लानेकी अपनी इच्छाको दबाये रखा है वहाँ जोश हर तरह ज्यादा रहा है। डा० पट्टाभिने मुझे बताया कि इस बार उनके जिलेमें जो संग्रह हुआ है वह तिलक-स्वराज्य-कोषके लिए इकट्ठा की गई मात्रासे ज्यादा है।

खादीपर बातचीत

जिन विभिन्न जिलोंमें मैंने यात्रा की है उसके हरएक केन्द्रमें मैंने कार्यकर्त्ताओंसे खादी, शराब, राष्ट्रीय शिक्षा आदिके सम्बन्धमें बातचीत की है। अन्य किसी चीजकी अपेक्षा मुझे खादीमें ज्यादा आस्था दिखाई दी है। डॉ० पट्टाभिका तो यह निश्चित मत है कि यदि खादी-कार्यको भली प्रकार व्यवस्थित कर लिया जाये तो खादीका उत्पादन काफी हदतक बढ़ाया जा सकता है। श्रीयुत सीताराम शास्त्रीका भी यही ख्याल है। लेकिन मुझे यह कहते दु:ख होता है कि मैंने आन्ध्र देशमें इस प्रश्नपर वैज्ञानिक ढंगसे कोई गहरी जाँच-पड़ताल नहीं की है। और मैं आन्ध्रके ऐसे एक भी विशेषज्ञको नहीं जानता जो कि दिवंगत मगनलाल गांधी या लक्ष्मीदास या सतीशबाबू या उन लोगों जैसा हो जिनका उल्लेख मैं दूसरे प्रान्तोंके सम्बन्धमें कर सकता हूँ। कतैयोंके बीच धुनाईका काम शुरू करानेकी भी कोई कोशिश नहीं की गई है। बहुतसे अनुभवी कार्यकर्त्ताओंकी यह राय है, और मेरी भी यह राय है कि जबतक कतैये अपनी रुई स्वयं धुनना शुरू नहीं करेंगे तबतक कतैये अधिक समयतक काम नहीं कर पायेंगे और सूतकी किस्ममें भी ज्यादा उन्नति नहीं हो सकेगी।

और न ही इस बातको भली प्रकार समझा गया है कि यदि खादीका सूत उन लोगों द्वारा तैयार किया जाता है जिन्हें अपने जीविकोपार्जनके पूरक साधनके रूपमें कातनेकी जरूरत नहीं है तो उस हालतमें खादीका कोई दर्जा नहीं रहता। यदि ऐसे लोग ही न हों जिनके लिए सिर्फ चरखा ही एक सहायक धन्धा हो सकता है तो फिर दरिद्रनारायणके नामपर चन्दा इकट्ठा करना लोगोंको धोखा देना होगा। इसलिए आन्ध्र देशका एक ऐसा नक्शा होना चाहिए जिसमें उन स्थानोंका संकेत रहे जहाँ घोर गरीबी है और जहाँ कार्यकर्त्ताओं और धनकी व्यवस्था होते ही शीघ्रातिशीघ्र खादीका संदेश पहुँचाया जायेगा। इसलिए मैंने कार्यकर्त्ताओंको उनके मार्गदर्शनके लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं:

१. मजदूरी अर्जित करनेके लिए कताई केवल उन्हीं गाँवोंमें शुरू की जाये जहाँ लोग कृषिसे पर्याप्त आमदनी न होनेके कारण हमेशा तंगीमें रहते हों और उनके पास खाली समय हो। इस प्रकार तैयार की गई खादीके लागत मूल्यमें ऊपरी खर्च न जोड़ कर उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

२. लेकिन लोगों द्वारा अपनी-अपनी जरूरत भरके लिए कताईका काम सारे गाँवोंमें, गरीबीका भेदभाव किये बिना शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलोंमें लोगोंको दी जानेवाली सहायताका रूप यह होना चाहिए कि उन्हें ओटाई, धुनाई या कताईकी शिक्षा दी जाये, उन्हें लागत मूल्यपर कपास और उपकरण प्रदान किये जायें तथा उनके सूतको उनके लिए साधारण दामोंपर बुनवाया जाये। इस हालतमें संगठन और व्यवस्थाका व्यय-भार तो उठाना पड़ेगा।

३. जहाँ संभव हो वहाँ यज्ञार्थ कताई करनेको प्रोत्साहन देना चाहिए। सहायता दी जा सकती है, जैसे कि नं० २ स्थितिमें, लेकिन नियमके तौरपर इस सम्बन्धमें प्रधान कार्यालयपर रुपयेका खर्च नही पड़ना चाहिए। त्याग-वृत्तिसे की जानेवाली कताई जब घाटेमें चलती है तो उसका सारा महत्त्व खत्म हो जाता है। इस प्रकारकी कताईमें स्वयं अपनी रुई धुननेका आग्रह होना चाहिए। मेरे विचारसे कताई-शिक्षाकी शुरुआत ओटाई और धुनाईसे करना बुद्धिमत्तापूर्ण है। वस्तुत. एक होशियार कार्यकर्त्ता इन तीनो प्रक्रियाओकी मूल बातोको एक दिनमें ही सीख सकता है।

पूर्वोक्त विवरणसे यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आन्ध्र देशमें १२ अकोसे कम वाले सूतकी कताईके लिए एक समान मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए। बढिया अंकोंके लिए अच्छे दाम दिये जा सकते है और ऐसी स्थितिमें खादीकी कीमतमें ही उसको जोड़ना चाहिए। इस सम्बन्धमें आन्ध्रमें एक छोटा-सा तकनीकी विभाग चलानेके खास उद्देश्यसे मुनागलाके राजा नयानी वेंकटरंगा राव बहादुर द्वारा हैदराबाद (दक्षिणमें) उदारतापूर्वक दिये गये १५०० रु० के दानका उल्लेख कर देना उपयोगी होगा। अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इस बातका उन्हे सहज-ज्ञान था कि आन्ध्रमें ऐसे विभागका कितना अभाव था। जब आन्ध्रमें चरखा इतना लोकप्रिय है तो कोई वजह नही कि यह सम्पूर्ण भारतमे अपने ढगका सबसे बढ़िया खादी-उद्योग न चला पाये। जरूरत सिर्फ उन लोगोकी है जिनकी चरखेमें पक्की आस्था हो और जिनमें कताई विद्यामे पारंगत होनेका दृढ़ निश्चय हो। यदि ऐसा एक तकनीकी विभाग खोलना ही है तो दो-एक होनहार नौजवानोको प्रशिक्षण देनेकी खातिर साबरमती, सोदपुर अथवा एसी ही कोई दूसरी जगह भेजना जरूरी है।

एक अल्पवयस्क विधवासे भेंट

जब हम बजवाड़ासे एल्लोरकी ओर जा रहे थे तो मुझे बताया गया कि एक लड़की, जो हाल ही मे विधवा हुई है, मुझे अपने सारे आभूषण, जिनका मूल्य १४०० रु० है, भेंट करना चाहती है। और यह भी कहा गया कि वह मुझे गाँवमें स्थित अपने घर भी ले जाना चाहती है जो पेडापाडुसे, जहाँ कि हमें जाना था, दो मीलसे भी कम फासलेपर स्थित है। उसकी जातिके लोग परदा प्रथाके कायल थे और हाल ही में विधवा हुई लडकी खासकर सार्वजनिक सभामें तो आनेका साहस नही कर सकती थी। आभूषणोका मुझे कोई मोह नही था। सच तो यह है कि जब मुझे सूचना देनेवालोने यह बताया कि विधवा लड़की सम्भवतः अपने सारे बहुमूल्य जेवर देना चाहती है तो मुझे उनपर यकीन नही आया। लेकिन वह लड़की जवान है तथा हालमें ही विधवा हुई है, (मुझे बताया गया था कि वह कुँआरी विधवा है) यह तथ्य ही मुझे उसके घर तक ले जानेके लिए काफी था। और मुझे उसके घर जानेकी खुशी हुई। लड़कीका नाम सत्यवती देवी है। वह बीस वर्षसे कम उम्रकी है। उसका पति एक पढा-लिखा राष्ट्रवादी था। वह तेलुगु अच्छी तरह जानती है। मुझे तो वह एक साहसी और दृढ़ निश्चयी लड़की दिखाई दी। उसके माता-पिता जीवित थे। जहाँतक मुझे ध्यान है, उसने मेरे हाथोमें अपने सारे आभूषण सौंप

दिये थे। और देखनेमें उनका मूल्य पूरे १,४०० रु० तो अवश्य लग रहा था। उसने मेरे हाथोमें एक पुर्जा भी दिया जिसमें उसने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं उसे आश्रम ले जाऊँ। सत्यवती देवीसे मेरी भेंटके वक्त उसके माता-पिता वहाँ मौजूद थे, और वे दोनो खादी-कार्यके लिए उसके आभूषण देनपर राजी थे। मैंने उसके माता-पिताको यह बात सुझाई कि आपको अपनी लड़कीको घरमें ही बन्द नही रखना चाहिए और उसके साथ भी वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसा कि परिवारकी दूसरी लडकियोके साथ किया जाता है। मैंने लड़कीसे कहा कि तुम्हे केवल इस कारण कि तुम एक विधवा हो, अपने आभूषण उतार फेकनेकी जरूरत नही है। लेकिन वह दृढ रही। उसके लिए अब वे आभूषण आगे किसी कामके नही थे। मैंने उससे कहा कि यदि तुम्हारे माता-पिता सहमत हो तो मैं तुम्हे खुशीसे आश्रम ले जाऊँगा। उसके माता-पिताने इस मामलेपर गौर करनेका वादा किया है और लड़की-को इस बातकी आशा बँधाई है कि मेरी यात्राके खत्म होनेपर उसे मेरे साथ भेज दिया जायेगा। मुझे लगा कि उसके पिताको अपनी पुत्रीके साथ ज्यादा सहानुभूति है हालाँकि इसमें कोई शक नही कि वे सावधान और मौन थे। मुझे इस बातका दु.ख है कि मैं उस विधवाको कोई ज्यादा तसल्ली नही दे पाया। मुझे भारी हृदयके साथ उससे विदा लेनी पडी।

यही वजह है कि पेडापाडुमे दिया गया मेरा भाषण सत्यवती देवीको समर्पित था। मैंने श्रोताओसे कह दिया था कि आपका कर्त्तव्य है कि आप पर्दा-प्रथाको तोड़े और यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करना चाहती है तो इस काममे उसके माता-पिताकी मदद करे। यदि १८ वर्षका नौजवान विधुर पुनर्विवाह कर सकता है तो फिर उसी उम्रकी एक विधवाको यह अधिकार क्यो न मिले? स्वेच्छया ग्रहण किया गया वैधव्य राष्ट्रकी महान सम्पत्ति होती है, लेकिन जबरदस्ती अनजानेमे थोपा गया वैधव्य एक कलंक है। श्रोताओने यह बात आदर और बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। सभामे विधवा-के पिता भी मौजूद थे। बादमे मुझे यह भी पता चला कि आभूषणोका त्याग विधवा-का अपना मौलिक विचार है और पुनर्विवाह करनेकी उसकी कोई इच्छा नही है। मुझे बताया गया कि उसकी सबसे बडी इच्छा है कि वह अध्ययन करे ताकि अन्तमे वह राष्ट्रीय सेवामें अपना जीवन अर्पित कर सके। यदि सत्यवतीने खूब सोच-विचार कर ऐसा इरादा किया है तो उसका अभिनन्दन है। हिन्दू समाजको ऐसी विधवाओंके लिए वे जब चाहे तब पुनर्विवाह करनेका रास्ता बिलकुल खोल देना चाहिए। सत्य-वतीकी घटना हजारो हिन्दू घरोंमें हर रोज घटित होती है। उन सभी विधवाओका शाप, जो पुनर्विवाहकी इच्छासे अन्दर ही अन्दर जलती रहती हैं लेकिन क्रूर रीति-रिवाजोके डरसे वैसा करनेकी हिम्मत नही कर पाती, हिन्दू समाजपर तबतक लगता रहेगा जबतक कि वह समाज विधवाओको अक्षम्य दासतामे जकड़े रहेगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २-५-१९२९

३०१. एक कुत्सित दोषारोप

'इंग्लिशमैन' पत्रके संवाददाताके साथ बी० आई० एस० एन० कम्पनीके एक अधिकारीकी जो बातचीत हुई थी, उसका पूरा समाचार अब मेरे सामने है। नीचे मैं उसे सारा-का-सारा उद्धृत करता हूँ :

> कल 'इंग्लिशमैन' के एक प्रतिनिधिसे बातचीत करते हुए स्टीमशिप कम्पनीके एक अधिकारीने कहा :
>
> एस० एस० 'एरोंडा' जहाजके तीसरे दर्जेमें मुसाफिरी करते वक्त श्री गांधीके साथ कोई खास रिआयत नहीं की गई थी, बल्कि उन्होंने और उनके मित्रोंने अपने लिए डेकका एक ऐसा हिस्सा चुन लिया जो सचमुच दूसरे दर्जेवालोंके लिए था। अपने साथी डेक-मुसाफिरोंसे श्री गांधी अलग रखे गये, इसकी जिम्मेदारी भी उनकी या उनके साथियोंकी व्यवस्थापर है। जहाँ गांधी-दलने डेरा डाला था, वह स्थान बादमें उन्हींके जिम्मे रहने दिया गया था। जहाजके अधिकारियोंने गांधी-दलके लिए दूसरे 'सलून डेक' का कोई खास हिस्सा अलग नहीं रख छोड़ा था, न उन्होंने उसीको काममें लानेका आग्रह ही किया था। श्री गांधीने यदि दूसरे दर्जेके पाखानेका उपयोग किया, तो यह भी नियम और आज्ञाके विरुद्ध था। श्री गांधी हकीकतन डेककी मुसाफिरी कर रहे थे, ऐसी हालतमें उन्हें अपने साथी मुसाफिरोंकी कथित कठिनाइयोंको देखने-भालनेसे कोई नहीं रोक सकता था।
>
> जिस शोरोगुलकी शिकायत की गई है, वह भी सिर्फ डेकके मुसाफिर ही कर सकते थे।
>
> यह भी कहा गया है कि मुसाफिरोंके लिए सुरक्षित जगहपर मोटर-गाड़ियाँ, मुर्गे-मुर्गियाँ और मवेशी वगैरा लाद दिये गये थे, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। वह उतनी जगह खासकर ऐसी ही चीजोंके लिए अलग रख छोड़ी गई थी। मुसाफिरोंके उपयोगके लिए वह थी ही नहीं। जिन मोटरगाड़ियोंका जिक्र किया गया है वे भी मुसाफिरोंके सोनेकी जगहपर नहीं रखी गई थीं, बल्कि एक ऐसे डेकपर थीं, जिसका उपयोग खास मौकोंपर उन दिनों होता है जब मुसाफिर पूरी तादादमें सवार रहते हैं। श्री गांधीकी यात्राके समय तो इन मौकोंके मुकाबले बहुत थोड़े आदमी जहाजपर सवार थे।
>
> यह जो कहा गया है कि पाखाने गन्दे थे इसके बारेमें मुझे यही कहना है कि जहाजपर चार कर्मचारी सिर्फ पाखानों और डेकको साफ रखनेका काम करते रहते हैं। खुद डेकके मुसाफिर डेक और पाखानोंकी सफाईमें हमेशा

आपत्ति उठाते रहते हैं, फिर भी जहाँतक हो सकता है उन्हें साफ़ रखनेकी कोशिश की जाती है।

हरएक पाखानेके दरवाजेपर अपने आप बन्द होनेवाला एक ताला लगा रहता है और भीतरसे बन्द करनेके लिए साँकल भी होती है। डेकके आसपास कई जगहोंपर इस आशयकी सूचनाएँ लगी हुई हैं कि अगर मुसाफिरोंको किसी तरहका कष्ट हो तो वे उसकी शिकायत जहाजके कमांडरसे उस वक्त करें जब वह निरीक्षणके लिए चक्कर लगाने आये। इस खास मौकेपर कोई शिकायत नहीं की गई थी। जहाजके कमांडर खुद जाकर मुसाफिरोंवाले डेकका दिनमें दो बार और कभी-कभी तीन बार निरीक्षण करते रहते हैं।

इंडियन पैसेंजर ऐक्टके मुताबिक जहाजमें साधारणतः जितने मुसाफिर सवार हो सकते हैं, उतने तो मुश्किलसे कभी-कभी होते हैं, और श्री गांधीने जिस समय यात्रा की थी उस समय आती-जाती, दोनों बार जहाजपर लगभग ४०० यात्री ही थे।

अस्पतालपर कब्जा कर लिया

श्री गांधीने जिस 'ट्वीन' या निचले डेकका 'काल कोठरी' कहकर उल्लेख किया है, उसे तो कम्पनी हमेशा डेक-मुसाफिरोके लिए खुला रखती है। यह वह अतिरिक्त स्थान है जो कानूनन ठहराई गई पूरी तादादमें मुसाफिरोके सवार हो जानेपर भी बच रहता है। इस डेककी निचली खिड़कियाँ हमेशा पूरी-पूरी खुली रहती है, जिससे ताजी हवा खूब आ-जा सकती है।

मुख्य डेकके जिस अगले भागको उन्होंने मवेशी-बाड़ा कहा है वह मुसाफिरोंके लिए था ही नहीं, फिर भी यह स्पष्ट है कि उन्होंने खुद ही उसका उपयोग किया। छायादार डेककी पिछली बाजूमें जिस पिंजरेका होना बताया गया है और जिसमें भेड़, बकरी, बत्तख और मुर्गे-मुर्गी वगैरा (यद्यपि बकरे कभी होते ही नहीं) रखनेकी बात कही गई है, वह जहाजवालोंके जानवरोंका स्थान है।

जहाजमें मुसाफिरोंके लिए अस्पतालका इन्तजाम है, लेकिन रंगूनसे लौटते वक्त श्री गांधी और उनके साथियोंने, जहाजके अधिकारियोंकी अनुमतिके बिना ही उसी भागपर अपना कब्जा जमा लिया।

बरसातके दिनोंकी जिन कठिनाइयोंका श्री गांधीने जिक्र किया है, उनके बारेमें यही कहना है कि डेक-मुसाफिरोंके गीले होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है, बशर्ते कि वे अपनी खुशीसे व्यायामवाले डेकपर सोना पसन्द न करें। वजह यह है कि मुसाफिरोंके बैठनेकी सारी जगहें छायादार हैं।

'फ्री प्रेस' में प्रकाशित इस सारांशके मुकाबले भेंटकी मूल रिपोर्ट कही ज्यादा कुत्सित है। मुझे, कमनसीबीसे ही क्यो न हो, कई बार झूठी बातोका पर्दाफाश करना पडा है, लेकिन मुझे याद नही पडता कि कभी मैंने किसी समाचारपत्रके

एक ही स्तम्भमें इतनी सारी झूठी बातोको, जितनी कि इस बातचीतके विवरणमें है, एक साथ पढा हो। होशियार पाठक तो जरूर ही इस बातचीतकी झुठाईको ताड जायेंगे, बशर्ते कि वे मुझे झूठी खबरे गढ़नेमे सिद्धहस्त और आत्म-सम्मान हीन व्यक्ति न समझते हो। क्या ही अच्छा होता अगर यह बात सच होती कि कलकत्तासे रगून जाते वक्त डेकका मुसाफिर होते हुए भी मुझे खास सुविधाएँ नही दी गई थी। खुद मेरे एक साथी टिकट खरीदने गये थे, क्योकि डेकके मुसाफिरोके टिकटपर नाम नही लिखे जाते, लेकिन मेरा टिकट एक खास 'कूपन' था जिसपर मेरा नाम भी लिखा हुआ था। जब मै जहाजपर सवार हुआ तो कम्पनीके आदमी मुझे एक ऐसे स्थानमे ले गये जो बकौल उनके मेरे लिए 'सुरक्षित' रखा गया था। मै धन्यवाद देकर वहाँ बैठ गया, फिर भी मेरी बिलकुल इच्छा न थी कि मै दूसरे दर्जेकी सहू-लियतोसे लाभ उठाऊँ। अत. मै डेकके एक पाखानेका उपयोग करने गया। जहाजके कर्मचारियोने मुझे देखा। उसी समय एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि उच्च अधिकारीकी इच्छा है कि आप (मै) डेकके पाखानोका उपयोग न करके दूसरे दर्जेवाला पाखाना काममे लायेंगे तो अच्छा होगा। मैने सन्देशवाहकसे कहा कि मै डेकपर मुसाफिरी करनेका निश्चय कर चुका हूँ, अतएव डेकके पाखानोसे काम ले सकूँगा; इनसे मुझे कोई कष्ट न होगा। इसपर उन सन्देशवाहक कर्मचारीके और मेरे बीच थोड़ा वाद-विवाद हो गया, अत: अधिक खुचडपेची प्रतीत न होने देनेकी गरजसे मैंने अधिकारियोंके इस सौजन्यसे लाभ उठा लेना ठीक समझा। यह मुमकिन नही है कि जिस कम्पनीके अधिकारी प्रेस-सवाददातासे बातचीत करते हुए इतने कुत्सित और बेपरवाह हो सकते है, जितने कि प्रस्तुत अधिकारी साफ दीख रहे है, वह मुझे या मेरे साथियोको मनचाही, लेकिन अनधिकृत जगहपर बैठ जाने देती, या हमारे बैठ जानेपर थोडा भी एतराज न करती और हमे स्वान्त: सुखाय उस स्थानका उपयोग करने देती जिसके हम अधिकारी नही थे।

अगर मुर्गा-मुर्गी, मवेशी और मोटरगाड़ियोंके लिए सुरक्षित स्थान वास्तवमे उन्हीके लिए था, अगर सचमुच उसका डेकके मुसाफिरोसे कोई ताल्लुक नही था तो कहना पड़ता है कि मनुष्य-यात्रियोके बनिस्बत पशु-यात्रियोके लिए सुरक्षित स्थान बहतर था। वजह यह थी कि 'पशु यात्रियो'का यह स्थान निहायत उम्दा और खूब हवादार था। अगर हो सकता तो अवश्य ही बड़ी खुशीके साथ मै उस जगह पर बैठना पसन्द करता जहाँ मोटरे रखी हुई थी। इन मोटरोने फर्श तो घेर ही रखा था, इनकी वजहसे हवाका मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था। और यह कहना कि कम्पनीके अधिकारियोने बिना किसी रुकावटके डेक-मुसाफिरोको उस जगहपर बैठने दिया, जो वास्तवमे उनके लिए नही थी, सरासर अविश्वसनीय है। मैने अपनी आँखो कम्पनीके अधिकारियोको किसी मुसाफिरके गलत जगहपर बैठ जानपर उसे ठोकरें मारकर उठाते देखा है।

शेष भेंटकी खबरके बारेमे मैंने पिछले सप्ताह लिखा था।[1]

१. देखिए "बी० आई० एस० एन० कम्पनी द्वारा प्रतिवाद", २५-४-१९२९।

मुझे दु:ख है कि मेरे लेखका जो कि उक्त भेटका विषय है, बिलकुल उलटा असर हुआ। होना तो यह चाहिए था कि कम्पनी मेरी बातोंकी शान्तिपूर्वक जाँच कराती और डेकके मुसाफिरोंकी दिक्कतोंको कम करने का इन्तजाम करती, लेकिन उसने किया कुछ और ही। सरकारी आश्रय और धनके मदसे मत्त होकर उसने अपनी उद्दाम सत्ताका नग्न प्रदर्शन किया है। मैं कम्पनीको चुनौती देकर कहता हूँ कि वह इस मामलेकी गहरी छानबीन करवाये और उक्त अधिकारीने जिस लापरवाहीके साथ कुत्सित दोषारोपण किये हैं उन्हें वापस ले, और साथ ही डेक-मुसाफिरोंके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे बन्द करके उनके साथ इंसाफ करे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २-५-१९२९

३०२. दक्षिण आफ्रिकासे लौटाये गये भारतीय

दक्षिण आफ्रिकी भारतीय कांग्रेसके मन्त्रियोंने मेरे पास निम्नलिखित पत्र भेजा है:[1]

> कहा गया था कि भारत सरकारने स्वदेश लौटनेपर विवश किये गये इन भारतीयोंकी सहायताके लिए कोई कार्रवाई नहीं की, कि वे बुरे फँस गये हैं और उनको कोई काम नहीं मिलता, कि भारतकी वर्तमान परिस्थितियाँ उनको अनुकूल नहीं पड़ रही हैं, कि भारतीयोंके पत्रोंसे इस प्रकारके विवरण मिले हैं कि जीविका और सरकारी सहायताके अभावमें या तो वे भूखों मर रहे हैं या अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं और इसीके फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियोंसे त्रस्त होकर उनमेंसे अनेक फिजी या मलाया चले गये हैं।
>
> केपटाउन-समझौतेमें सम्बन्धित योजनाके सिलसिलेमें भारत सरकारने एक यह शर्त स्वीकार कर ली थी कि इन प्रवासियोंके भारत पहुँचनेपर उनको उनकी रुचि, क्षमता या संसाधनोंके अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त धन्धोंमें प्रतिष्ठित करानेमें उनकी भरसक मदद की जायेगी।
>
> लौटे हुए उन भारतीयोंसे प्राप्त विवरणको देखकर ऐसा सन्देह मनमें उठता है कि क्या भारत सरकार इन लोगोंकी सहायताके लिए कुछ कर भी रही है?
>
> कांग्रेस आपकी अत्यन्त आभारी होगी यदि आप इस विषयमें कोई जानकारी हमें दें जिससे कि अधिकारियोंके सामने कांग्रेस अपनी पूरी-पूरी बात रख सके।

१. यहाँ कुछ अंश ही दिये गये हैं।

मै इस समय इसपर कोई टीका नही करूँगा। लेकिन मै इस बातका इन्तजार करूँगा कि अधिकारी इस सम्बन्धमें कोई बयान जारी करे। निःसन्देह, यदि इन प्रवासियोको भारत आनेकी दावत दी जाती है तो विशेष रूपसे उनकी देखभाल करना जरूरी हो जाता है। उनमेसे अधिकाशके लिए तो भारत विदेश जैसा बन गया है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २-५-१९२९

३०३. तार : छगनलाल जोशीको

तुनी
२ मई, १९२९

छगनलाल जोशी
उद्योग मन्दिर
साबरमती

यदि गोशालावाले कान्तिको छोड़ सकें तो वह राजकोट जा सकता है।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १५३९२) की माइक्रोफिल्मसे।

३०४. पत्र : मीराबहनको

तुनी
२ मई, १९२९

चि० मीरा,

इच्छा होते हुए भी मै तुम्हे इन दिनो पत्र नही लिख सका हूँ। मेरे पास जो समय बचता है, उसे मै बाकी बचे हुए कामको निपटानेमें लगाता हूँ।

साथमें रोलाँके नाम मेरा पत्र है।[1] इसे अनुवाद करके भेज देना। हाँ, तुम चाहो कि मूलमें मुझे सुधार करना चाहिए तो दूसरी बात है।

आशा है अब तुम्हे मेरा विस्तृत कार्यक्रम मिल गया होगा और तुम्हे ठीक-ठीक मालूम रहेगा कि इस महीनेकी २८ तारीख तक मै किस दिन कहाँ रहूँगा। मुझे मुजफ्फरपुरसे तुम्हारी तरफसे कुछ-न-कुछ समाचार मिलनेकी उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा रहेगी।

१ देखिए अगला शीर्षक।

मैं यह इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करनेके रास्तेपर निश्चित रूपमें लग गई हो।

सप्रेम,

बापू

संलग्न–१

श्रीमती मीराबहन
मारफत खादी भण्डार
मुजफ्फरपुर

अंग्रेजी (जी० एन० ९४२५)से, तथा सी० डब्ल्यू० ५३६९से भी।
सौजन्य : मीराबहन

३०५. पत्र : रोमाँ रोलाँको

स्थायी पता :
आश्रम
साबरमती
२ मई, १९२९

प्रिय मित्र

आपके दिनांक १७ फरवरी, १९२९ के स्नेहसिक्त, मर्मस्पर्शी पत्रका मीरा द्वारा किया गया अनुवाद मेरे सामने है। आपकी अनुमति मिल ही जायेगी, यह सोचकर मैंने आपका नाम दिये बिना काफी होशियारीसे इस पत्रकी कुछ पंक्तियोंको इस्तेमाल भी कर लिया है।

मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरी तरह आपका भी यही विचार है कि मुझे इस वर्ष यूरोप नहीं जाना चाहिए।

प्रश्न है कि भारतकी आवाजपर यूरोप कान देगा या नहीं? इस सम्बन्धमें मेरी राय है कि यूरोपको या पाश्चात्य जगतको अपनी बात सुननेपर विवश करने योग्य बननेके लिए भारतको अभी इससे कहीं अधिक और कहीं बड़े पैमानेपर कष्ट-सहन करना चाहिए, अभीतक वह जितना कर चुका है उससे कहीं अधिक। अन्यथा इस समय तो भारतकी आवाज नक्कारखानेमें तूतीकी आवाजकी तरह डूब कर रह जायेगी। और यदि भारत अपना प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, या अपनी आवाज वहाँ नहीं पहुँचायेगा, तो मेरा खयाल है कि पहलेसे ही पूर्वग्रह-ग्रस्त और कभी-कभी भ्रष्ट यूरोपीय पत्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा फैलाये गये एकतर्फा और निरे मिथ्या प्रचार तथा उसकी हर अतिरंजनाको सर्वथा प्रामाणिक माननेमें अधिक संकोच नहीं करेंगे।

मुझे यह भी लगता है कि हमारा यह अहिंसात्मक संघर्ष प्रचारका उतना मुहताज नहीं जितना कि हिंसात्मक संघर्ष होता है। तीसरी चीज यह कि, जैसा आपने कहा है, ऐसा एक व्यक्ति मिलना भी तो मुश्किल है जो हर परिस्थितिमें लोगोंको

अपनी बात बरबस सुना सके। मुझे तो ऐसा व्यक्ति एन्ड्रयूज ही दिखता है, क्योंकि कविकी सेवा सुलभ नही है। हाँ, एन्ड्रयूज सभी महत्त्वपूर्ण हलकोमें अपनी आवाज पहुँचा सकते है।

आशा है आप स्वस्थ होंगे और ईश्वर आपको भारतके संघर्षकी समाप्तिका दिन देखनेतक जीवित रखेगा।

हृदयसे आपका
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९७६६)की प्रतिसे।

३०६. पत्र : गंगाबहन झवेरीको

२ मई, १९२९

चि० गंगाबहन,

तुमने एक ठीक उत्तरदायित्व अपने सिर लिया है। यदि स्त्री-निवास किसी भी प्रकार चलता रहे तो उससे मैं बहुत बड़े परिणामकी कल्पना कर सकता हूँ। स्त्रियोको किसी-न-किसी दिन तो एक साथ रहते हुए एक दूसरेसे निभाना सीखना ही है। मैंने ईसाई महिलाओंको इस प्रकार रहते हुए देखा है। इस प्रकार मिलजुल कर रहना हमेशा सभ्यताकी निशानी मानी गई है। अब तुमने इसे हाथमें लिया है, इसलिए उसमें जुटे रहनेकी सलाह देता हूँ। यशोदा देवीका क्या हाल है? सरोजिनी देवी किस तरह बरत रही हैं?

नारणदासके जानेकी सम्भावना ज्यादा है। फिर उसके जानेसे तुम्हारे [पढ़ने-लिखनेके] काममें भी बाधा पड़ेगी, मुझे इसका दु:ख है। मेरे साथ रहनेवालेको यह कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी। क्योंकि किताबी ज्ञानका स्थान चरित्रके बाद है, उससे पहले नही; ऐसी मान्यता आश्रममें है। इसीलिए, चरित्रकी वेदीपर कई बार पढ़ने-लिखनेका बलिदान करना पड़ा है। नारणदास चला जाये, दूसरा कोई मदद न करे तो भी तुम अध्ययन न छोड़ना। जो व्यक्ति खुद जितना कुछ कर सके उतना करे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३०९५) की फोटो-नकलसे।

३०७. पत्र : छगनलाल जोशीको

२ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारे २६ और २७ तारीखके दोनो पत्र एक-साथ मिले। चि० रतिलालके बेटेके आपरेशन पर खर्च हुआ; कोई बात नही। ऐसे मामलोमें वह धनी बापका बेटा है, यह बात वह एकाएक भूल नही सकता। चम्पा उसे भूलने भी न देगी। धीरे-धीरे जितनी सादगी सिखा सको उतनी सिखाना। वह नवयुवक बहुत सरल हृदय है। उसे अपने पास बैठा कर ठीक ही किया है। कुछ लिखे, कुछ पढे, कुछ कताई करे तो बहुत अच्छा होगा। इस आपरेशनके बारेमें डॉक्टर मेहताको सीधा पत्र लिखना। उसमे कितना खर्च हुआ है यह भी लिखना।

मैं चि० नारणदास या रमणीकलालपर दबाव नही डालना चाहता। तुम, बहनें, सुरेन्द्र वगैरह उन्हे समझा कर रोक लो तो दूसरी बात है। आखिर काम तो तुम्हे ही लेना है। यदि उन्हें न रोका जा सके तो मैं उसमें तुम्हारा तनिक भी दोष नही मानूंगा। मेरे आनेतक रुकें तो अच्छा है। मेरे विचारसे छगनलालके पास दस हजार रुपये इस प्रकार इकट्ठे हुए: गहने बेचकर, फीनिक्समें बचे, ब्याजसे बढे रुपये तथा डा० मेहताने जो रुपये दिये थे उसमेंसे बचे हुए। डा० मेहताने जो रुपये दिये थे वे तो एक विशेष काम अर्थात् विलायतके खर्चेके लिए थे। उसमेंसे कुछ बचा था तो उन्हें लौटा देना चाहिए था। ऐसा करनेके बदले छगनलालने उसे अपने पास रख लिया तो यह चोरी ही मानी जायेगी। उसने भी उसे चोरी ही माना है। जब उसने पैसा दिया तब उसने ऐसा ही कुछ कहा था। किन्तु मुझे किसी भी तरहका शक न था इसलिए मैंने कुछ नही कहा। किन्तु चोरीकी बात मालूम पड़नेपर मुझे समझमें आया और छगनलालने भी अधिक स्पष्ट रीतिसे बताया। यह पैसा कितना था यह मैं नही जानता। चाहे जितना भी हो, जिसमें चोरीका धन शामिल है, उसका उपयोग नही किया जा सकता।

रमणीकलालको मेरी यही सलाह है कि वह जबलपुर चला जाये। किन्तु किशोरलाल जानेको तैयार हो तो ठीक ही है। पीछे किसीको बुलाना हो तो बुला ले। हाँ, यदि कामका क्षेत्र हो तो।

विधवा सत्यवतीका किस्सा 'यंग इंडिया' में देखना।[1] यह 'नवजीवन' में भी छपना चाहिए। यदि वह आना चाहे तो उसे लिये बिना छुटकारा नही होगा। उसके आनेकी सम्भावना कम ही है।

महादेवको फुरसत हो तो बहनोको पढाये। मगनलाल[2] और सोमणको[3] बुलानेका विचार न करना। काकाके पाससे अभी किसीको नही ले सकते। मन्दिरकी पद्धति

१. देखिए "आन्ध्र देशमें [-३]", २-५-१९२९ का उप-शीर्षक "एक अल्पवयस्क विधवासे भेंट"।

२. मगनभाई देसाई।

३. रामचन्द्र सोमण।

दूसरी तरहकी है। किताबी ज्ञान होना ठीक है; किन्तु वह गौण है। मन्दिरका मूल्यांकन किताबी ज्ञानसे नहीं होना है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसके साथका पत्र पूरा करनेपर दूसरी डाक भी यहाँ मिली। कान्तिके विषयमें आज तार देनेका विचार किया है जिससे तुम्हें कठिनाई न हो। यदि उसे दुग्धालयके काममें कुछ हानि हुए बिना छुट्टी दी जा सके तो वह चाहे तो हो आये। मालूम होता है कि हरिलाल उसे कैमरा देना चाहता है। यदि दे तो उसकी मनाही कर देनेकी इच्छा नहीं होती। फिर तुम्हें जो ठीक लगे, उसे वही सलाह देना।

पन्नालालको जमीन देना तो मुझे अच्छा लगा है। इसके प्रस्तावके विषयमें मुझे पूछनेकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा काका हैं; इसलिए और क्या चाहिए? किन्तु गोसेवा समितिकी सहमति काफी नहीं है। इस बातकी योग्यताका विचार यह समिति कर तो सकती है, किन्तु किरायेपर देनेका हक कार्यवाहक समितिका है। इसलिए नियमपूर्वक काम करनेके लिए उसकी अनुमति चाहिए। मैं तो यह चाहता हूँ कि पन्नालाल नया घर भी न बनाये। जोशीवाला मकान किरायेपर ले, क्या ऐसा ही निश्चित भी किया गया है?

मैत्रेयी चली गई यह ठीक ही हुआ। क्या दुर्गा और महावीर काम करते हैं?

जयन्तीको बुखार क्यों हो गया? और बाल[1] को भी क्यों आया?

तुम मन्दिरकी शाला जिस तरह चला रहे हो वह तो बढ़िया है ही। यही हमारा आदर्श है।

जिसे तुम 'संकट-काल' मान रहे हो मैं उसके बारेमें प्रसन्न हूँ। जो-कुछ हो रहा है उसमें मैं यहाँ बैठा-बैठा रस ले रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४०८ तथा ५४९३)की फोटो-नकलसे।

३०८. भाषण: तुनीकी सार्वजनिक सभामें

२ मई, १९२९

तुनीके यूनियन बोर्ड और यहाँके लोगोंने मुझे जो अभिनन्दनपत्र भेंट किये हैं तथा खादी कोषके लिए जो थैलियाँ दी हैं उनके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इससे जाहिर होता है कि आप लोगोंने राष्ट्रकी आवश्यकताको समझ लिया है। आपके अभिनन्दनपत्रमें खादीके बारेमें बहुत-कुछ कहा गया है। खद्दरके बारेमें विचार प्रकट करनेके आप बेशक काबिल हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका यह शहर एक खादी उत्पादन-केन्द्र है और यहाँके बहुतसे व्यापारी खादीके व्यापारमें लगे हुए हैं। इसीलिए यदि आपमेंसे कोई एक व्यक्ति भी विदेशी कपड़ा पहने तो

१. काका कालेलकरका पुत्र।

यह आपके शहरके लिए और ज्यादा शर्मकी बात है। जब आप यहाँ सूत कातने और अपना कपड़ा स्वयं बुननेमें समर्थ हैं तब फिर आप विदेशसे मँगाया हुआ कपड़ा क्यों पहनें? क्या यह आपके पुरुषत्वका अपमान नहीं है? मैं चाहता हूँ कि आप इस शर्मको मिटा दें और इस बातका ध्यान रखें कि विदेशी वस्त्रका एक टुकड़ा भी आजके बाद यहाँ न आने पाये। इसके लिए यह जरूरी है कि आपका बोर्ड लोगोंमें केवल खद्दर ही पहनने तथा यहाँका काता और बुना कपड़ा खरीदनेके सम्बन्धमें प्रचार करे। आपको यह भी चाहिए कि आप विदेशी वस्त्रोंके व्यापारियोंके पास जायें और शान्तिपूर्वक उनके बीच प्रचार-कार्य करें तथा शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा उन्हें अपनी ओर खींचें। आप उनको यह भी बता दीजिए कि जिस हदतक वे विदेशी वस्त्र खरीदते हैं उस हदतक वे अपने ही भाई-बहनोंको भूखा मारते हैं और देशको कंगाल करते हैं।

मुझे आशा है कि वे आपकी बात मान लेंगे। मैंने तो यह भी सुना है कि कुछ लोग मिलके सूतसे बुने कपड़ेको खद्दर कहकर बेच रहे हैं। उनका ऐसा करना उचित नहीं है। आपके सीधे-सादे भाइयों और सेवानिष्ठ बहनों द्वारा चरखेपर काता हुआ सूत तथा इसके बाद आपके बुनकर भाइयों द्वारा हाथ-करघेपर बुना गया कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। किसी दूसरे तरीकेसे तैयार की गई अन्य कोई चीज खद्दर नहीं कहला सकती और इस प्रकारकी किसी दूसरी प्रक्रिया अथवा साधनको अपनाना पापमय है। पण्डित मोतीलाल नेहरूने विधान सभामें इस आशयका विधेयक पेश किया था कि यदि कोई व्यक्ति नकली खादीका उत्पादन करके या उसे बेचकर जनताको धोखा देता है तो वह दण्डका भागी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर देशके लोगोंमें सच्चा और वास्तविक अनुशासन हो तथा धर्ममें निष्ठा हो तो यह विधेयक बेकार और अनावश्यक है। इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि धोखेका व्यापार करके इस सम्बन्धमें जो कोई भी पाप करता है वह आजके बाद ऐसा नहीं करेगा। मैं उन लोगोंसे जो इस शहरमें विदेशी कपड़ा पहनते हैं — ऐसे शहरमें जहाँ उनके अपने भाई और बहन उनकी जरूरतका कपड़ा देनेको तैयार हों — यह प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना सारा विदेशी वस्त्र त्याग कर उसकी होली जला दें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि जो लोग ताड़ी, ब्रान्डी और दूसरे मादक-पेय पीनेके आदी हैं वे भी अपनी इस आदतको छोड़ दें। आप इस बातका भी ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य न रहे। स्वतन्त्रताके सामान्य लक्ष्यके लिए हिन्दू, मुसलमान तथा दूसरे सम्प्रदायोंके लोगोंको एक हो जाना चाहिए। सारे साम्प्रदायिक झगड़ोंका निपटारा आपको आपसमें ही कर लेना चाहिए और संघ-भाव बनाये रखना चाहिए। यदि हमने ये सब चीजें कर ली तो स्वराज्य हमारी मुट्ठीमें होगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-५-१९२९

३०९. पत्र : रमणीकलाल मोदीको

[३ मई, १९२९ से पूर्व][1]

चि० रमणीकलाल,

इस समय सवेरेके ५-३० बजे है। पहले तुम्हारा पत्र लिया है। तुम्हे भेजनेके लिए तार[2] लिखकर भेज भी दिया है। तुम उद्योग मन्दिर या आश्रमसे बेशक मुक्त हो जाओ। इस समय इसीमें तुम्हारी भलाई है, ऐसा मैं मानता हूँ। तुम्हारा हृदय अत्यन्त सरल है; किन्तु तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। तुम धर्माधर्मका निर्णय स्वय नही कर पाते और किसी बातके बारेमे तुम तर्कपूर्ण विचार भी नही कर पाते। इसलिए कई बार भटक जाते हो और बादमे घबराते हो। ऐसी स्थितिमे मै मानता हूँ कि तुम्हारा अलग रहकर कुछ अनुभव प्राप्त करना ही अच्छा है। तुम्हारा हृदय साफ है, इसलिए जहाँ रहोगे शोभा पाओगे।

मेरी सलाह तो यह है कि जिस प्रकार पन्नालाल आश्रमके पास अलग घर लेकर रहेगा और जिस प्रकार बुधाभाई रहते ही है उसी तरह तुम भी आश्रममे एक मकान किरायेपर लेकर अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करो। तुम्हे आश्रमके बाह्य नियमोके पालनके बन्धनसे मुक्त होना है। अपनी इच्छासे प्रार्थनामे आओ, यह अलग बात है। तुम्हारी वेतन लेनेकी इच्छा हो या उसकी आवश्यकता हो तो वेतन भी लो। इस समय तुम तुरन्त जबलपुरके आसपास जो अकाल फैला है, उसके कारण वहाँ खादी-कार्यका क्षेत्र कैसा है, इसकी खोजबीन करने निकल पडो। इसमे एकाध महीना लग जायेगा। उस प्रदेशकी आबोहवा अच्छी मानी जाती है। यह काम पूरा होनेपर क्या करना है, यह देख लेगे। तुम्हारे लिए काम तो बहुतसे तैयार रखे है। मुझे लगता है कि ताराका आश्रमसे सम्बन्धित रहना जरूरी है। स्त्रियोंके लिए जो-कुछ वहाँ है वह और कही नही है। तारा स्वतन्त्रतापूर्वक रहे और आश्रमसे वह जो ले सके ले, जो दे सके वह दे। इस संसारमे बिना दिये कोई ले नही सकता। कोई स्वेच्छासे देते है, कोई जबरदस्ती, कोई समझबूझ कर देते है, कोई अनजाने।

इस सबको तो मेरी सलाह-भर ही मानना। यदि मनकी शान्तिके लिए तुम्हारा इस समय इस वातावरणसे बाहर रहना जरूरी हो, तो जरूर वैसा करो।

अब तुम्हारे पत्रमें जो स्पष्ट विचारदोष है, उनके बारेमें लिखता हूँ।

ये तुम्हारे वाक्य है: "मसालेवाला भोजन खाऊँ तो अस्वाद व्रतके भगका दोष मेरे सिर आता है, ऐसा मुझे नही लगता। 'गीता' जबानी याद न हो तो आश्रमका नियम तोड़ता हूँ और इससे मेरी उन्नति बाधामें पडती है, ऐसा मुझे नही लगता।" स्वतन्त्र रूपसे देखें तो ये वाक्य ठीक हैं; किन्तु वस्तुस्थितिके वर्णनके रूपमें ये

१. साधन-सूत्रके अनुसार पत्र ३ मई, १९२९ को आश्रममें प्राप्त हुआ था।

२. उपलब्ध नहीं है।

गलत है। हमारी नियमावलीमें मसालोंको अस्वाद व्रतका विरोधी माना गया है, इसलिए उन्हे खाना दोष है। सम्भव है, वास्तवमें इसमें कोई दोष न हो। यदि दोष नही है, तो यह नियम रद्द कर देना चाहिए। किन्तु जबतक यह नियम बरकरार है तबतक उसका पालन करना हमारा कर्त्तव्य है। पाँच वस्तुएँ मात्र खानेके साथ अस्वाद व्रतका भले ही कुछ सम्बन्ध न हो; किन्तु मैंने यह व्रत लिया है। इसके पालनमे कोई अनीति नही है, इसलिए इसका पालन मेरा कर्त्तव्य ही बन जाता है। गीता-पाठके सम्बन्धमें भी यही बात लागू है। वह हमारे नियमोमे नही है, पर उसकी योग्यताको हमने स्वीकार किया है। हम उसे बालकोको कण्ठस्थ कराते है और उसे अपना आध्यात्मिक कोष कहते हैं। इसलिए मैंने ऐसा माना है कि मेरी इस मान्यतासे तुम सब भी सहमत हो। यदि इसके बाद हम उसके लिए प्रयत्न न करे तो हमारे सत्यके व्रतपर कलक लगता है। तुम सब अवकाशके अभावमे 'गीता' कण्ठस्थ न कर सको यह बात समझमें आती है, किन्तु हमेशा गीता-पाठकी स्तुति करते रहकर भी तुम उसके लिए समय न निकालो तो क्या तुम सत्यका भग नही करते?

किन्तु इस समय तो इससे अधिक नही लिखूँगा। सामान्य रीतिसे विचार करनेवाला आदमी थककर उधेडबुनमें पड जाता है। इसी कारण सत्यकी आराधना करनेवाला बहुत विचार करनेके फेरमे नही पडता और कुछ बातोको प्राणपणसे अपनाये रहता है और अन्तमे वह उन्हीमे से पूर्ण सत्यकी खोज कर लेता है। अमुक बात ठीक है या गलत, नित्य ऐसी शका करनेके बदले वह जो-कुछ स्वीकार कर लेता है, नम्रतापूर्वक उसीमें निमग्न रहता है। "सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता ।" हमारा हर विचार, हर काम ही जब अपूर्ण है तो वहाँ भूले होनेका अवकाश तो है ही, ऐसी अवस्थामे क्या करे? जबतक वे सम्पूर्ण न हो जाये तबतक यदि हम उन्हे करे ही नही अथवा उनके विषयमे शकित बने रहे तो कोई भी काम कभी सम्पन्न नही हो सकता?

तुम दोनोका भला हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४१४४)की फोटो-नकलसे।

३१०. भाषण: सार्वजनिक सभा, पीठापुरममें

३ मई, १९२९

गांधीजीने कहा कि मुझे जो अभिनन्दनपत्र दिये गये हैं उनके अनुवाद सुपाठ्य नहीं है और उनमें विस्तार कुछ ज्यादा है। हिन्दी भाषा इतनी असमर्थ नहीं है। यदि अनुवादक भाई मुझसे कोकोनाडामें मिलनेका कष्ट करें तो मैं उन्हें उनकी गलतियाँ बताऊँगा और उनमें सुधार करवाऊँगा। तो भी मैं उनका आशय समझ गया हूँ। उनमें कहा गया है कि खादीका उत्पादन वहाँ अच्छी तरह चल रहा है। मैं इस समाचारका स्वागत करता हूँ किन्तु मुझे इससे पूरा सन्तोष नहीं होता। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि कोई एक भी आदमी ऐसा न हो जो विदेशी कपड़ा पहनता हो। हमें तबतक चैन नहीं लेना चाहिए जबतक कि हरएक आदमी विदेशी वस्त्रोंका व्यवहार करना बन्द न कर दे और केवल खद्दरका ही उपयोग न करने लगे। मैं देख रहा हूँ कि इस सभामें भी कुछ बालक और कुछ वयस्क व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेशी कपड़ा पहने हैं। यदि खादीका उत्पादन यहाँ अच्छी तरह हो रहा है तो फिर यहाँ विदेशी कपड़ा पहननेवाले कुछ लोग भी क्यों होने चाहिए? क्या वे हमारे देशमें स्वतंत्रताका जो उदय हो रहा है उसे स्वीकार करनेसे इनकार करते हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग केवल खादी ही पहननेकी प्रतिज्ञा करेंगे और इस प्रतिज्ञाका पालन करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो हमारी जनताको ज्यादा अन्न मिलेगा, हमारे देशसे पैसा बाहर जानेसे रुकेगा, लोगोंमें अपनी आवश्यकताका सूत कातने-बुनने और अपने काते हुए सूतका कपड़ा पहननेकी शक्ति बढ़ेगी और यह देश तथा उसकी संतान ज्यादा स्वतन्त्रताका उपभोग करेगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-५-१९२९

३११. पत्र : कुसुम देसाईको

कोकोनाडा
३ मई, १९२९

चि० कुसुम,

तेरा पत्र मिल गया है। अब जड़ावबहन स्वस्थ हो गई होगी। अभीतक तो सफरका कोई बुरा असर दिखाई नही पड़ा। और अब तो 'बहुत गई थोड़ी रही।' अन्य समाचार प्रभावतीके पत्रसे जान लेना।

बापूके आशीर्वाद

चि० कुसुमबहन
उद्योग मन्दिर
साबरमती

गुजराती (जी० एन० १७८९)की फोटो-नकलसे।

३१२. पत्र : मीराबहनको

४ मई, १९२९

चि० मीरा,

तुम्हारा कोई पत्र मिले आज चार दिन हो गये है। इस छोटे-से गाँवमें, जहाँसे मै यह पत्र लिख रहा हूँ, आज मुझे कुछ पानेकी आशा भी नही है। अबकी बार की यात्रा अत्यन्त रोचक है। उड़ीसाके गाँव और तमिलनाड तो कुछ भी नही थे। यहाँ तो भीतरी प्रदेशका दौरा ही करना है। यदि मुझे खाली समय मिलता तो मै कुछ सीख सकता था। लेकिन मुझे तो जो-कुछ भी सामने आये उसे ही ग्रहण करके सन्तुष्ट होना होगा। स्वास्थ्य अब भी बहुत अच्छा है।

सस्नेह,

बापू

श्रीमती मीराबाई
मार्फत बाबू राजेन्द्रप्रसाद
डाकखाना जीरादेई
(सारन) बिहार

अंग्रेजी (जी० एन० ९४२६)से, तथा सी० डब्ल्यू० ५३७०से भी।
सौजन्य : मीराबहन

३१३. पत्र: द० बा० कालेलकरको

४ मई, १९२९

दोबारा नहीं पढ़ा

चि० काका,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। 'जोडणी कोश' की[1] सशोधित दूसरी आवृत्तिका प्रबन्ध किया जा रहा होगा। इस विषयमे मेरा ऐसा ख्याल है कि बालूभाईसे कहा जाये कि वे नगरपालिकाओकी पाठशालाओमे शब्दोकी इस वर्तनीका प्रचार कराये, अर्थात् शिक्षकोका तदनुसार शब्दोके हिज्जे करना आवश्यक कर दिया जाये। इसी प्रकार गुजरातमे जो-जो संस्थाएँ चल रही हैं उनमे भी इनके प्रवर्तनका विचार कर लेना।

इस प्रचारके साथ-साथ हमे अपने कोशकी प्रतियाँ भी अधिक मुद्रित करनी चाहिए। इसका आकार भी कम किया जाना चाहिए और इसके लिए खास कागज काममे लाया जाना चाहिए। बने तो इसे प्लेटें या स्टीरियोटाइप कराकर छाप लेना चाहिए।

मथुरादासके बारेमे तो अब इतना ही बाकी रह जाता है न कि तुम उसे बुलवा लो? मै तुम्हारे ही मोढिएसे काम ले रहा हूँ। लक्ष्मीदासके मोढिएसे अधिक इसमे कोई खासियत मुझे नही दिख सकी। केशूके मोढिएसे तो यह बढकर जरूर है। क्या तुमने इसपर लक्ष्मीदासकी राय मालूम की है? तुम्हारे मोढिएपर अपेक्षाकृत कितना कम खर्च बैठता है? इस विषयमे तुम्हे मीराबहनसे चर्चा कर लेनी होगी। वह हर चीजको गाँववालोकी दृष्टिसे देखती है, यह अच्छी बात है। गराडीको वह इसी दृष्टिसे छोडकर नरम तकुएका उपयोग करती है। यदि यह तकुआ ठीक काम देता हो तो हम तकुआ सीधा करना सिखाना बन्द ही कर सकते है और उसकी कीमत एक पैसा ही रख सकते है। यह कोई मामूली बात नही होगी। सम्भव है ऐसे तकुएके लिए तुम्हारा मोढिया असफल सिद्ध हो क्योकि इस हिस्सेके लिए थोडी जगहकी जरूरत पडती है। तुम्हारे और केशू दोनोके मोढ़ियोमे तकुआ कैद हो जाता है और उस हालतमे अगर तकुआ बिलकुल सीधा न लग पाये तो मुझे लगता है वह चल नही सकेगा। इस पर सोचना और जब मै वहाँ आऊँ तब चर्चा करना, अगर लिखना चाहो तो लिखकर भेजना।

आशा है कि मै २८ मईसे १० जूनतक तो वहाँ रहूँगा ही। इस अवधिमें से एक पूरा दिन तुमको दूंगा।

१. देखिए "जोडणी-कोश", ७-४-१९२९।

प्रभुदास तुम्हारे पास आये या अलमोडा रहे इनमेंसे क्या अधिक ठीक होगा सो तो अलमोड़ाके बारेमें अधिक समझनेपर ही तय हो सकेगा। अगर मै अलमोडा गया तो मैं पता लगा लूंगा; नही तो अन्तिम निर्णय उसीपर छोड देगें।

जमनादासकी उलझन सुलझाना कठिन है। गांधी-परिवारके प्रति तुम्हारे मनमें कोई झिझक नही है, यह एक प्रकारकी जीत ही है। जबतक झिझक हो व्यक्तिमें तटस्थता नही आती। अब अगर कोई गाधी कुछ कहे तो उसे कहने दो। तुम्हे जो योग्य जान पड़े वही कहो और तदनुसार करो तो बस है। मुझे लगता है कि जमनादास इत्यादिको इन दिनो बहुत जल्दी चीटे लग जाते होगें। यो भी जमनादास खीझ उठता है, इसलिए उसे जहाँतक बने निभाना तो पडेगा ही। शालाके इस विषयमें आखिर हमे क्या करना होगा सो तो अभी सोच नही पा रहा हूँ।

बाल इन दिनो चुप हो गया है। उसकी मनोदशा कैसी है?

मैं तुम्हे उद्योग मन्दिरके विषयमें नही लिखता। उसका उद्देश्य तुम्हारी शक्ति और अपना समय बचाना है। किन्तु अगर तुम्हे कुछ लिखने लायक लगे तो अवश्य लिखना। जहाँ सहज ही बीचमें पड़ना जरूरी हो जाये वहाँ अवश्य ऐसा करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४८१)से।
सौजन्य : काकासाहब कालेलकर

३१४. पत्र : बालकृष्ण भावेको

४ मई, १९२९

चि० बालकृष्ण,

जितनी हिम्मत है, चाहो तो उतना काम करो; किन्तु फिर हार मत मानना और अपना स्वास्थ्य मत बिगाड लेना। और बाते तो मिलनेपर ही करेगें।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०३) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : बालकृष्ण भावे

३१५. पत्र : कुसुम देसाईको

४ मई, १९२९

चि० कुसुम,

आजकी डाकके सब पत्र रातको ८-३० बजे सफरसे आकर लिख रहा हूँ, क्योंकि सवेरे फिर तैयार होना है। और पत्र यहाँ न लिखूँ तो फिर जा नही सकते।

तेरा पत्र मिल गया है। सब-कुछ लिखनेमें जरा भी संकोच न रखना।

तू गई इसका फायदा जड़ावबहनको मिला, इसमें तो शक ही नही है। वहाँ-का काम अधूरा छोड़कर तो नही आई होगी। इस समय और कुछ नही लिखा जा सकता।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

सुलोचनाबहनने लिखा है, "कुसुमबहन भी नही है, इसलिए अच्छा नही लगता।"

गुजराती (जी० एन० १७९०)की फोटो-नकलसे।

३१६. पत्र : छगनलाल जोशीको

४ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। तुम्हारी स्थिति मैं समझता हूँ। जबतक तुममें हिम्मत और श्रद्धा हो तबतक चलते ही रहो। मैं तुम्हारा वियोग भी सहन करने-को तैयार हूँ। जो आश्रमके बाहर न रह सकें वे ही आश्रममें रहें, मैं हमेशासे यही चाहता था और आज भी यही चाहता हूँ। आज तो यह इच्छा और भी तीव्र है। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना। जबरदस्तीसे कुछ न करना। इस मासके आखिरतक निभा लो तो यह मेरे लिए काफी है। इस प्रकार एक ओर तुम्हें मुक्त करते हुए दूसरी ओर मैं यह भी कहूँगा कि तुम सब या जितने लोग रह जायेंगे वे सब जैसे ठीक लगे वैसे मन्दिरका गठन कर सकते हैं। मैंने तुम्हें लिखा है कि मकानोंमें जो लोग हैं, वे वहाँ रह सकते हैं; और जिन्हें दूसरे लोगोंको रहनेके लिए देना हो, वे भी दिये जा सकते हैं। मैं स्वयं सभी तरहकी छूट देना सहन कर सकता हूँ। किन्तु लोग कितनी छूट ले सकते हैं यह मैं अभी समझ नही पाया। वहाँ पहुँचनेपर ही इसपर विशेष विचार कर सकता हूँ।

महावीर प्रसादका पत्र इसके साथ है। इस पत्रका जवाब मैंने दे दिया है।[1] वह जो बेच सकता है बेच दे। खराब माल हमारी जिम्मेदारीपर बेच दे। पैसा अपनी सुविधाके अनुसार हमें भेज दे। वह दिलका साफ है इसलिए जो करेगा, हमें स्वीकार होना चाहिए। इसलिए अभी तुम उससे पैसेके लिए तकाजा न करना और जब करना जरूरी हो तो मुझे बताना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४०९)की फोटो-नकलसे।

३१७. पत्र : रुक्मिणीको

४ मई, १९२९

चि० रुक्मिणी,

तुम्हारा पत्र आज ही मिला है। राधाके साथ तुम भी जरूर चली जाओ। अब माथेरानमें तो थोड़े ही दिन मिल पायेंगे। इसलिए जमनालालजी जो करे वही ठीक होगा। उन्हें तार दे रहा हूँ।[2]

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९०४५)की फोटो-नकलसे।

३१८. पत्र : छगनलाल जोशीको

रातके दस बजे
४ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। तुम तो सचमुच घबरा गये हो। लड़को और लड़कियोको विद्यापीठ भेजनेकी बात मुझे तो कठिन ही लगती है। किन्तु उसमे भी मै आग्रह नही करूँगा। तुम सबको यह निर्णय ठीक लगे, काकाको भी ऐसा ही लगे तो इसपर मेरे आनेसे पहले अमल कर सकते हो। कोई भी कदम उठानेमें संकोच करनेकी जरूरत नही है। मेरा अपना विचार तो यह है कि बालकोको हम जितना सिखा सकते हों उससे वे सन्तुष्ट हो और फिर रहना चाहे तो अवश्य रहे। असली प्रयोग तो यही है। ऐसा प्रयोग आश्रममे ही हो सकता है। ऐसी सुविधाका प्रबन्ध हमने किया है। यह प्रयोग करते समय हार माननेकी जरूरत नही है। किन्तु यदि तुम यह मानते हो कि हम हारे है तो जैसा ठीक लगे वैसा करना।

१. यह पत्र उपलब्ध नही है।
२. तार उपलब्ध नही है।

चि० राधा और रुखीको वायु परिवर्तनके लिए भेजे बिना नही चलेगा। मैंने मथुरादासके पास माथेरान भेजनेका विचार किया था। किन्तु अब वहाँ जानेका समय नही रहा। इसलिए जमनालालजीको तार किया है।[1] वे जो लिखें वैसा करना अथवा कोई दूसरी बात सूझे तो उसके अनुसार करना। बालकृष्णका तो ऐसा ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४११)की फोटो-नकलसे।

३१९. हरिद्वारमें खादी

हरिद्वार जैसे धाममे खादीकी नन्ही-सी दूकान खुले और बन्द हो जाये और फिर वेद विशारद एव आचार्यके पदकी योग्यता रखनेवाले पण्डित देव शर्माके समान सज्जनके प्रयत्नसे खादीकी दूकान खुले, यह बात जितनी सुखद है उतनी ही दु खद भी है। सुखद इसलिए कि खादी-कार्यकी कद्र करनेवाले लोग एक खास धार्मिक वर्गके है, दु.खद इसलिए कि जिसके द्वारा करोडो लोगोकी आर्थिक उन्नति हो सकती है, उस खादीकी खपत हरिद्वार जैसे स्थानमे कोशिश करनेपर ही हो पाती है। विदेशी कपडेकी दूकाने तो हरिद्वारमे चाहे जितनी मिल सकेंगी, लेकिन खादीकी दूकानके लिए पण्डितोका सहारा चाहिए। पण्डित देव शर्माने इस भण्डारके बारेमें एक पत्र हिन्दीमें भेजा है, उसमेंसे थोड़ी बातें नीचे देता हूँ :[2]

मै आशा रखता हूँ कि भण्डारकी वृद्धि होगी और उसे पूरा-पूरा प्रोत्साहन मिलेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-५-१९२९

३२०. हमारा कलंक

ठक्कर बापाके 'अन्त्यज सर्वसग्रह'का दूसरा हिस्सा इस अंकसे छपना शुरू हो रहा है। यह सग्रह मेरे पास कई महीने पहले आ चुका था। किन्तु मुसाफिरीके प्रारम्भमें वह मेरे साथ नही था। और फिर जब मेरे पास भेज दिया गया तो प्रवासकी दौड-धूपके कारण मै उसे देख नही सका। समय ही कहाँ था? इसमे शक नही कि आन्ध्र देशकी यात्रा कठिनाइयोसे भरी हुई है, फिर भी लोग दयालु और मोहमाया रखनेवाले है, तथा देशभक्त वेकटप्पैया बडी सतर्कता बरत रहे है। दोपहरका जो समय मेरे अवकाशका समझा जाता है, वे उसमें किसीको मेरे पास तक नही फटकने देते; इसी कारण मै इस सग्रहको अब देख पाया हूँ।

१. तार उपलब्ध नहीं है।

२. यहाँ नही दिया गया है। पत्रमें भण्डारकी समिति, प्रारम्भिक पूँजी और दानसे प्राप्त रकमका विवरण था।

यह संग्रह हमारे यानी हिन्दुओंके कलंकका इतिहास है। 'हमारे' सर्वनामका उपयोग मैं जान-बूझकर कर रहा हूँ। 'नवजीवन' के ग्राहकोंमें तो मुसलमान, पारसी और ईसाई भी हैं। मगर मैं एक हिन्दूके नाते यह लेख तो सिर्फ गुजरातके हिन्दुओंके लिए लिख रहा हूँ।

जिस धर्मके अनुयायियोंके कारण अन्त्यजोंको पानीतक मिलना दुश्वार हो जाये, उसकी निर्दयताको क्या कहा जाये। पानीका त्रास तो एक दुश्मनको भी नहीं दिया जाता। जब हम अन्त्यजको अपने कुओंसे पानी भी नहीं भरने देते, ऐसी दशामें वे हमारे यहाँ आकर पानी पीनेकी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अन्त्यजके लिए रेलगाड़ीमें 'हटो-बचो' दूकानपर आये तो 'दूर-दूर' मन्दिरमें पैर रखे तो हम-जैसे उच्च वर्णवालोंके भगवानके अपवित्र होनेका डर, और वह हमारे बच्चोंके साथ पढ़ने बैठे तो हमारे बच्चों तकको इसमें आपत्ति होती है और यह सब चलता है धर्मके नाम पर।

मैंने 'सनातन' धर्ममें इसका कोई आधार नहीं देखा। जो देखना चाहते हैं, वे देख सकते हैं कि आज सनातन धर्मके नामपर पाखण्ड फैल रहा है। हम अपनी पीठ स्वयं नहीं देख सकते; किन्तु अगर दूसरे उसे देखकर उसकी गन्दगीकी बात हमें बतायें, तो हम उसे भी नहीं सुनना चाहते।

मुझ जैसे लोग, जो इसी वातावरणमें रह कर बड़े हुए हैं, और फिर भी अपने आसपासकी गन्दगी देख सके हैं, 'सनातनियों' द्वारा 'भ्रष्ट' कहे जाते और सताये जाते हैं। लेकिन यह सच है कि अब अधिक समयतक हम इस कलंकको छातीसे लगाकर न रख सकेंगे। मेरे समान एक नहीं बल्कि अनेक हिन्दुओंने इस पापको अपनी आँखों देखा है और इसे दूर करनेकी कोशिश कर रहे हैं। यह संग्रह उनकी इस कोशिशमें मददगार बन सकता है। यह हमें हमारे पापोंकी याद दिलाता है और उनकी भीषणता बतलाता है।

मैं चाहता हूँ कि इस संग्रहसे लाभ उठाया जाये। अन्त्यज सेवाके काममें हमें द्रव्यकी उतनी कमी नहीं है। श्री रामेश्वरदास बिड़ला द्वारा दी गई दानकी सारी रकम अभी खर्च नहीं हो पाई है। वस्तुस्थिति तो यह है कि जिस तरह खादीमें श्रद्धा होनेपर अनेक नवयुवक खादी-कार्य द्वारा अपना जीवन सुखी बना सकते हैं, उसी तरह अन्त्यज सेवामें श्रद्धा रखनेवाले लोग भी सुखी हो सकते हैं। हजारों अच्छे और साफ दिल हिन्दू, जिन्हें इस कामसे न नफरत है, न जो इसे करते हुए ऊबते ही हैं, इसके द्वारा सुखपूर्वक अपना जीवन-निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन अन्त्यज शालाओंके संचालनके लिए योग्य हिन्दू शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं? अन्त्यजोंके लिए कुएँ खोद देनेवाले लोग कहाँ हैं? रेलकी पटरियाँ बिछा देनेवाले साहसी कच्छियोंको जहाँ-तहाँ देखता हूँ, लेकिन बाजार-दरसे मजदूरी लेकर अन्त्यजोंके लिए कुएँ खोद देनेवाले कारीगर और ठेकेदार कहाँ हैं? अगर कोई शिक्षक, कारीगर, मजदूर और ठेकेदार इस कामको अपने हाथों लेना चाहे तो वे सब ठक्कर बापाको लिखें और उनके कार्यालयमें अपने नाम दर्ज करायें।

इस लेखके अर्थका कोई अनर्थ न करे। जिसे दान देनेकी इच्छा हो वह नि:संकोच दे। मगर इस संग्रहको प्रकाशित करनेका मुख्य अभिप्राय तो यह है कि इससे हमें अपने पापोंका अनुमान हो और हम इस क्षेत्रमें काम करनेवाले सेवकोंके संघको बढायें।

संग्रहकर्त्ताके लिए मेरा एक सुझाव है। संग्रहमें 'फलाँ बातका होना मुमकिन है' को व्यक्त करनेवाली भाषा अधिक न हो। संग्रहकर्त्ताको इस तरहके अनुमान करनेका अधिकार नही है। वह तो जो देखे उसे लिख-भर दे, उस परसे अन्दाज लगानेका काम पाठकोका है।

जहाँ 'गेलेस्पीपुरा', 'ब्रूकहिल' जैसे नाम आते है वहाँ ऐसे गाँवोकी उत्पत्तिका विवेचन कर देनेसे संग्रह अधिक दिलचस्प और शिक्षाप्रद बन सकेगा।

साथ ही अगर संग्रहमे मुख्य अन्त्यजोंके परिचयमे कुछ पंक्तियाँ लिखी जा सकें तो अच्छा हो। अगर अन्त्यजोमे संयम, साधुता वगैरा देखे गये हो तो संग्रहमे उनका उल्लेख किया जाना चाहिए। संग्रहका आकार-प्रकार न बढ जाये इस दृष्टिसे ऐसी बातें एक-दो सतरोमे ही दी जानी चाहिए। इससे संग्रहमें वैचित्र्य आयेगा और वह उपयोगी भी बन जायेगा। सच्ची कला कभी निरुपयोगी नही होती। कई कलावादी कहते है कि कला और उपयोगिताका वैर सनातन है; लेकिन उनकी इस बातपर ध्यान नही देना चाहिए। हम प्रतिदिन देखते हैं कि इस संसारमें प्रकृतिकी कलाका कोई अन्त नही है। जिन्हे प्रकृतिका अनुभव है उनका कहना है कि कुदरतका कण-कण उपयोगी है। मोरके पंखका एक भी रंग निरुपयोगी नही है। यह हमारी त्रुटिकी निशानी है कि हम उनमें से हरएकका उपयोग करना नही जानते। इसमें दोष कुदरतकी स्वच्छन्दताका नही है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-५-१९२९

३२१. टिप्पणियाँ

मुसाफिरीका कार्यक्रम

कई पाठकोका कहना है कि उन्हे मेरी यात्रा और उद्योग-मन्दिरसे मेरी गैर-हाजिरीकी कोई निश्चित खबर नही रहती। इस वजहसे उन्हे कठिनाई होती है और अगर मुझतक कोई बात पहुँचानी हो या उन्हें मुझसे मिलना हो तो यह भी सम्भव नही हो पाता। इस शिकायतमें सार है। इसीलिए आन्ध्र देशकी यात्राका ५ मईसे आगेका कार्यक्रम नीचे देता हूँ। इसमे सम्बन्धित तिथियोमें जिन छोटे-मोटे गाँवोसे गुजरूँगा उनका जिक्र नही कर रहा हूँ। आमतौर पर सुबह छ. बजे मुसाफिरी शुरू होती है और नौ बजने तक जितने गाँवोमे जाया जा सकता है, उतने गाँवोकी यात्रा कर ली जाती है। ९ बजे पड़ाव डाल दिया जाता है और फिर शामके साढ़े ५ बजे

कूच करके रातके आठ बजे फिरसे पड़ाव डाल देते हैं। नीचे उन्ही गाँवोंके नाम दे रहा हूँ जहाँ दिनभर मुकाम रहेगा।

५ मई	पालीवेला
६ "	अमलापुरम्
७ "	गोलम्मादीदादा
८-९ "	राजमुंदरी
१०-१३ "	नेल्लोर
१४ "	नायुडुपेटा
१५ "	तिरुपति
१६ "	मदनापल्ली
१७ "	अनन्तपुर
१८ "	ताडीपत्री
१९ "	नंदियाल
२० "	कुरनूल
२१ "	पत्तीकोडा
२२ "	अडोनीसे बम्बई, गाड़ीमें
२३-२७ "	बम्बई
२८ "	साबरमती

२८ मईसे १० जूनतक उद्योग-मन्दिर

१० जूनके बादका कार्यक्रम अभी तय नही हुआ है। अलमोड़ाकी मुसाफिरीके बारेमें पत्र-व्यवहार हो रहा है। जुलाई और अगस्तका ज्यादातर हिस्सा उद्योग-मन्दिरमें ही बीतेगा।

एक विधवाकी कहानी

एक तेईस वर्षकी विधवा बहन, जिसने अपना नाम और पूरा पता लिख भेजा है, लिखती है:[1]

इन और ऐसी दूसरी बहनोको मेरी यही सलाह है कि वे जरूर ही पुनर्विवाह करें और ऐसा करते हुए जो दिक्कतें पेश आये उन्हे सह ले। योग्य पति मिलने पर तो काका और भाईके साथ की जरूरत बहुत थोड़ी रहेगी। मनसे विषयका चिन्तन करनेके बदले शरीरको वैसी सहूलियत करा देनेमें ही भला है। मनमें विषय सम्बन्धी विचारोंके उठते हुए भी उनका बुरा लगना और उन्हे रोकनेकी कोशिश अच्छे लक्षण हैं। मगर शारीरिक संयोगके अभावमें जो मन विषयोमें लीन रहता हो, जैसा कि इन बहनका मालूम पड़ता है, तो शरीरकी जरूरतको सन्तुष्ट करना ही धर्म है। इसमें मुझे कोई शंका नही है। विधवा विवाहमें कोई पाप नही है अथवा उतना ही है जितना विधुरके विवाहमें है। वैधव्य एकान्तिक धर्म नही है।

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

जो इसका पालन कर सकती हैं उनके लिए यह भूषण-रूप है। अगर इन बहनकी हिम्मत हो तो यह अपने काका और भाईसे अपने मनकी बात कहे और उनकी मदद माँगे। अगर वे मदद न कर सकें, करनेमें असमर्थ हो, तो इन्हे उनका घर छोड देना चाहिए और किसी विधवा-सहायक सस्थाका आश्रय लेना चाहिए। इन बहनके रिश्तेदार जिस स्थितिमें हैं, वैसी स्थितिमें पडे हुए काका और भाइयोको मेरी सलाह है कि वे जमानेको पहचानें और इन बहन-जैसी गरीब गायोको दु:खसे मुक्त करें।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ५-५-१९२९

३२२. पत्र : मीराबहनको

प्रात. ५-३० बजे
रविवार, ५ मई, १९२९

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र और तार दोनो मिल गये। उत्तरमें 'नही' लिखते हुए मुझे दुख होता है।[1] मैं एक स्थानपर मुश्किलसे दो रात रहता हूँ। गरमी दिनपर-दिन बढ रही है। मेरे सिवाय और किसीके लिए न कोई आराम है, न खानेका पूरा प्रबन्ध है। और चूँकि मैं दूध नही लेता, इसलिए क्वचित ही अच्छा दूध मिलता है। चूँकि मैंने अपनी फलोकी आवश्यकता कम कर दी है, इसलिए नारगियाँ भी नही होती। ऐसी स्थितिमें तुम्हारी मौजूदा हालतमें तुम्हे यहाँ लाना अत्यन्त जोखिमकी बात है और इससे स्वागत-समितिपर अत्यधिक भार पड जायेगा। समितिको मोटरकी भी व्यवस्था करनी पडती है। हमारे दौरेका सबसे कठिन भाग नेल्लोरसे शुरू होगा। तुम्हे जितनी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वे सब मैं अपने आसपासके तमाम लोगोपर अनावश्यक भार डाले बिना नही पा सकता। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करना नही चाहोगी। इसलिए तुम २३ मईतक धीरज रखो। उसके बाद मैं खुशीसे तुम्हे सँभाल लूँगा। इसका यह अर्थ नही कि खुद मुझे कोई असुविधा होती है। कितने ही सारे लोग मेरी खबर रखते है और इससे भी बडी बात तो यह है कि मैं खुद अपनी जरूरतें आग्रहपूर्वक पूरी करा लेता हूँ। मुझे अपना स्वास्थ्य बिना बरबाद किये दौरा पूरा कर लेना हो, तो मुझे ऐसा करना ही चाहिए। इसलिए मेरे लिए तुम्हे जरा भी चिन्ता करनेकी जरूरत नही। मेरी तन्दुरुस्ती बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी

१. लगता है कि मीराबहनने गांधीजीसे अपनी यह इच्छा प्रकट की होगी कि वह नेल्लोरमें उनके यात्रा-दलमें शामिल होना चाहती हैं। गांधीजी १० मईको नेल्लोर पहुँचनेवाले थे। देखिए "पत्र : मीराबहनको", ६-५-१९२९ भी।

देख-भालका काम ही काफी बडा है। इस समय सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं सफरके लिए तैयार हो जाऊँ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३७१) से।
सौजन्य : मीराबहन

३२३. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

५ मई, १९२९

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र बहुत दिनोके बाद मिला है। तुम्हे तो वैद्यकी तरह चीर-फाड़ करनी ही होगी। तुम जरा भी नरम पड़ोगी तो उससे बच्चोकी भलाई नही होगी। उनको अपने वशमें कर लेना। . . .को[1] स्पष्ट रीतिसे यह कहने पर कि उसे एक पाई भी नही मिलेगी वह सुधरेगा और तुम उसके अकल्याणमें भागीदार होनेसे बचोगी।

अपना स्वास्थ्य सुधारो। किसी भी स्थितिमें चिन्ता न करना। हम अपना कर्त्तव्य पूरा करनेके बाद परिणाम ईश्वरपर छोड दें। टहलने जरूर जाना। पूरी नीद लेना, फल खाना और दूध-घी न छोडना।

मैत्रीको ले जाकर ठीक ही किया है। उसका स्वास्थ्य भी सुधर जाये तो अच्छा हो।

तुमने अपने अक्षर काफी सुधार लिये है। हिज्जोको सुधारना बाकी है। काकू वहाँ हो तो उसकी सहायता लेना। शब्द-कोष देखना भी सीख लेना।

'पित्ता' नही 'पिता' होना चाहिए, 'पलतु' नही 'पडतु' होना चाहिए, 'स्विकार' नही 'स्वीकार', तथा 'मेनत' नही 'महेनत' लिखना चाहिए।

आशा करता हूँ कि २३ मईको बम्बई पहुँच जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो-६ : गं० स्व० गंगाबहेनने

1. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है।

३२४. पत्र : गंगादेवी सनाढ्यको

मौनवार [६ मई, १९२९ या उससे पूर्व][1]

चि० गंगादेवी,

अब तुमारा शरीर कैसा है। सिवाय दूध और फल कुछ भी मत खाओ। परिश्रम कमी उठाना नहिं। मुझे लिखो। तोतारामजीसे भी कहो लिखे।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २५३२ की फोटो-नकलसे।

३२५. तार : मीराबहनको

[६ मई, १९२९][2]

मीराबाई
भाटपोखर

नेल्लोर मत आओ। दौरा बड़ा कष्ट-साध्य है। गर्मी बढती जा रही है। ठहरनेकी सुविधाएँ बहुत कम है। बम्बईमें मिलो या चाहो तो वहाँ पहले पहुँच जाओ। सस्नेह।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३७२)से।
सौजन्य : मीराबहन

१. पत्र-वस्तुके आधारपर यह पत्र ११ मई, १९२९ के पत्रसे पहले लिखा गया प्रतीत होता है। इससे पहले सोमवार ६ मईका था।

२. तार जिस रूपमें मिला था, उसमें केवल तिथि ही पढ़ी जा सकती है, वर्ष और मासका पता नहीं चलता। लेकिन तारके पाठसे स्पष्ट है कि वह मई, १९२९ में भेजा गया होगा। देखिए अगला शीर्षक भी।

३२६. पत्र : मीराबहनको

दोबारा नहीं पढ़ा

६ मई, १९२९

तुम्हारा स्वभाव मैं जानता हूँ, इसलिए तुमको नेल्लोर न आनेके लिए आगाह करनेके बाद मन बडा चिन्तित रहा। फिर भी आशा है कि तुम इस न टाली जा सकनेवाली परिस्थितिमे अपने मनको किसी तरह समझा लोगी। मुझे पता नही प्यारेलालने तुम्हे क्या लिखा था। मैंने उसे यही हिदायत दी थी कि वह तुम्हे लिख दे कि दौरा समाप्त होनेके बाद तुम जहाँ भी पसन्द करो मेरे साथ आ सकती हो। जमनालालने आनेके लिए तार दिया था। उन्हे भी मुझे तार द्वारा सूचित करना पड़ा कि न आये।[1] लगभग पूरा दौरा मोटर द्वारा ही हो रहा है और दौरेका प्रबन्ध करनेवालोको किसी भी अतिरिक्त व्यक्तिके लिए गुजाइश करनेमे बडी कठिनाई पड़ती है। फिर तुम्हे इस कमजोरीकी हालतमे इस दौरेमे अपने साथ रखनेमें इतना बड़ा खतरा था कि मैं उसे मोल नही लेना चाहता। यदि तुम्हे विद्यापीठमे कोई परेशानी महसूस हो रही हो, तो तुम बम्बई जा सकती हो। बम्बई मई महीनेमें काफी ठंडा रहता है, और रेवाशकर भाईकी छतपर काफी सुहावना लगता है। तुम माथेरान भी जा सकती हो और वहाँ मथुरादासके साथ ठहर सकती हो। अब तुम इनमे से कोई स्थान चुन लो और आरामसे रहो।

इस दौरेमे इतनी अनिश्चितता रही कि मैंने जो तिथियाँ तुमको लिखी थी वे भी बिलकुल निश्चित नही है। जहाँतक डाककी बात है, उसपर इस सबका कोई असर नही पडेगा। हाँ, तारोके मिलनेमें गडबडी हो सकती है। लेकिन अब देखा जाये तो केवल दो सप्ताह ही रह गये है। यह पत्र एक साइकिल-सवारके हाथो भेजा जायेगा, जिसे रेलवेकी छोटी लाइनके एक स्टेशनतक पहुँचनेके लिए बारह मीलका फासला तय करना पडेगा और कह नही सकता कि इसपर भी वह बिलकुल सही डाक गाडीके समयतक पहुँच भी पायेगा या नही। हाँ, तुम पूर्वी देशके एक बिलकुल ठेठ किस्मके इलाकेमें पाश्चात्य देशो जैसी सुविधाओकी उम्मीद भी नही कर सकती। और मुझे इसमे कोई गलत बात भी नही लगती कि लोग एक-दूसरेसे मीलो दूर रहे और रोजाना पत्रो या तारोके जरिये एक दूसरेसे सम्पर्क स्थापित न करे। पहले यही पर्याप्त माना जाता था कि वे अपने हृदयोके जरिये एक-दूसरेकी बात सुनते-समझते रहे। बाह्य भौतिक साधनोने जो दूरी मिटा दी लगती है उसे किसी भी तरह एक ऐसी बड़ी देन नही माना जा सकता जिसका कोई कुपरिणाम है ही नही। इसलिए हमें पश्चिमी देशोकी इस देन, इन साधनोका इस्तेमाल यह समझते हुए ही करना चाहिए कि हम अपनी कमजोरियोके साथ थोड़ी रियायत कर

१. यह तार उपलब्ध नहीं है।

रहे है, और इसीलिए जब वे हमारे लिए सुलभ न हो पाये तो हमें परेशान होनेके बदले उल्टा यह महसूस करना चाहिए कि उनके अभावमें हमें सहज ही उनसे मुक्ति मिल गई है।

मौन-दिवसकी इस भोर मैंने अपने-आपको थोडा आराम देनेकी बात मान ली है। जो लिखनेकी आवश्यकता न हो, वह लिखना अपने-आपको आराम देना ही है। पर अब मुझे यह प्रेम-पत्र यही रोक देना चाहिए। मुझे अन्य पत्र भी लिखने हैं और साढे दससे पहले-पहले 'नवजीवन' का सम्पादन भी पूरा कर देना है, क्योंकि तबतक साइकिलवालेको यहाँसे चल देना चाहिए। इस पत्रके बिहार पहुँचनेके समयतक यदि तुम पटनामें ही रहोगी, तो यह तुमको हदसे-हद गुरुवारतक मिल जाना चाहिए।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३७३)से।
सौजन्य: मीराबहन

३२७. पत्र: छगनलाल जोशीको

प्रात: ६-२५ बजे
मौनवार, ६ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारे अभी-अभीके पत्रोसे मैं कुछ चिन्तामें पड गया हूँ। उनसे ऐसा आभास मिलता है कि तुम अपने साथ जबरदस्ती करते हो। सकोचके कारण कुछ भी नही करना। अकेले खडे रहनेमे तुम्हे कठिनाई जान पडती है, यह मैं जानता हूँ। दुग्धालय या बुनाई शाला भी हर हालतमे चलती ही रहनी चाहिए, ऐसी कोई बात मत सोच बैठना।

मैंने घरोको तोडनेका धन्धा ही अपना रखा है, घरोको खत्म करते हुए मेरे मनमें कभी क्षोभ नही हुआ। यह मैंने १८९१ में शुरू कर दिया था। इस प्रकार जबसे मैं स्वतन्त्र हुआ हूँ तभीसे मैं यह करता आया हूँ। बम्बईमे घर बसाया और तोड दिया। राजकोटमे बसाया और तोडा, और केवलरामके[1] एक ही शब्दसे राजकोटसे बम्बई चला गया। फिर एक ही वर्षके लिए दक्षिण आफ्रिका जानेके लिए हिन्दुस्तान छोडा। किताबे तितर-बितर हो गईं, सामान बरबाद हो गया, सब पोशाकें बेकार हो गईं और सभी कुछ नये सिरेसे लेना पडा। नेटालका घर बहुत सोच-विचार कर बनाया था, चुन-चुन कर घरका मनपसन्द साज-सामान खरीदा था। व्यायाम-शाला बनाई थी। वह सब एक क्षणमे मिटाकर धर दिया। कुछ सामान किसीको, कुछ सामान किसीको, इस तरह बहुत सारा तो दे डाला। बम्बई गिरगांवमे डेरा लगाया।

१. केवलराम मावजी दवे, राजकोटके प्रसिद्ध वकील।

वहाँ मणिलाल मृत्यु-शय्यापर पड गया। फिर वहाँ रहना सम्भव नही था। बडी खोज-बीनके बाद अन्तमे 'विलर-विला' पसन्द किया। किरायानामा लिखवाया। रेवाशंकरभाई भी साथ रहने आये। पहले दर्जेकी 'सीजन-टिकट' ली। बम्बईमें पेन गिल्बर्टके मकानमें आफिस लिया। सोचा, आखिर अब चैनसे ठिकाने पहुँच गये है। तभी तार आ गया· "दक्षिण आफ्रिका पहुँचो।" बा को छगनलालके पास छोडकर, जो नवयुवक आना चाहते थे उन्हे साथ लेकर, दक्षिण आफ्रिका चला गया। वहाँ भी यही हाल हुआ। फरनीचरमे ही कितना पैसा बरबाद किया है, इसका आज अन्दाज लगाना कठिन है। किन्तु इन सारे तूफानोमे किसी भी समय मनमे क्षोभ हुआ हो, ऐसा मुझे याद नही है। हर बार हलका हो जानेका ही अनुभव हुआ और 'ईश्वर यही चाहता है इसलिए अच्छा ही है' यही मनमे विश्वास रहा है।

इस आश्रमको भंग करके नया बनाऊँ तो इसमे मुझे तनिक भी दुख नही होगा। हाँ, मै एक बातका भूखा हूँ, सत्यका। तुम सब सच्चे मनसे रह सको तभी रहो। लोग सकोच और दबावके कारण रहे तो वे भी सच्चे मनसे रहते है, ऐसा नही कहा जा सकता। सत्य कई बार निर्दय दिखाई देता है। तुम मेरे प्रति निर्दय होनेमें संकोच न करना।

चाहे जो सहना पड़े किन्तु सचाई न छोडो। एक पलके लिए भी कृत्रिम न बनो। कृत्रिमका अर्थ समझ लो। उसका अर्थ 'ढोगी' नही 'अस्वाभाविक' है। तुम्हारी अन्तरात्मा कहे कि मुझे यह काम करना है, वही करना। उसीमें तुम्हारी भलाई है। इसीमें तुम्हारी जीत है। मुझसे तुम्हे यही सीखना है। हालाँकि थोडे लोग ही इसे सीख पाये है। तुम्हे आश्चर्य होगा कि मगनलाल यह प्रमाणपत्र ले पाया था। तुम्हे याद होगा कि वह मेरे विरुद्ध सभामे भी किस तरह जमकर जूझता था। कई बार मुझे परेशान देखता, किन्तु मुझे सवेरे आकर कह जाता था, "बापू, तुमने यही सिखाया था न कि जो मैं ठीक न समझूँ उसमे तुम्हारा विरोध करूँ।" इतना कह कर चला जाता था। इसलिए मै हँस कर शान्त हो जाता था। एक बार कताईके बारेमें हम दोनोमे बहस हो गई। मैंने एक पक्षका समर्थन किया, उसने दूसरे पक्षका। मेरा कहना वह समझता ही न था, इसपर मै परेशान हो रहा था और मेरा चेहरा देखकर वह परेशान हो रहा था। किन्तु उसने अपनी बात नही छोडी। अन्तमे मैंने देखा कि मेरा तर्क अनुभवाभावपर आधारित था। बात मामूली-सी थी किन्तु उसने देखा कि मेरा अनुचित लिहाज करनेसे मेरी भलाई नही होगी। ऐसी तो कई बाते मुझे याद है। उसने मुझे छोडा नही, इसका भी कारण है। यह उसने स्वयं अपने पत्रमे बताया था। मुझे उसकी कुछ याद न थी।

अब तुम्हे क्या लिखूं? किस प्रकार आश्वासन दूं कि तुम निर्भय बनो। जितना मै निर्भय हूँ उतने ही तुम भी बनो। उसके लिए सिर्फ ईश्वरपर श्रद्धा होनेकी जरूरत है। हम क्या चीज है? एक काल्पनिक बिन्दु-मात्र — जिसे पाटीपर बनाया भी नही जा सकता। वही सब-कुछ है। 'सर्वत एव सर्व'[1] यह 'गीता'का वाक्य है न? तो

१. अध्याय ११-४०।

फिर हम हवाई किले क्यो बनायें? जो सूझे और हाथमें आये उसे कर डाले और फिर सिरपर कोई बोझ भी न रखें।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मीराबहनको कुछ इसी प्रकारका पत्र लिखनेके बाद तुम्हे यह पत्र लिखा है। उसने भी मुझे चिन्तामें डाल दिया है। नेल्लोर आने और मेरे साथ रहनेकी माँग की है। मुझे तारसे 'ना' कहना पड़ा है। इसीलिए मरहम-पट्टी करते हुए पत्र लिखना पडा।

पत्र दोबारा नही देखा है।

गुजराती (जी० एन० ५४१२)की फोटो-नकलसे।

३२८. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

रेजोल
६ मई, १९२९

बहनो,

यह पत्र जहाँसे लिख रहा हूँ, वह रेलसे दूर एक गाँव है। वहाँसे कही भी जाना हो, नदी पार करके ही जा सकते हैं। नदीपर पुल नही होनेसे यह स्थान टापू जैसा ही माना जायेगा। जब नदीमें बाढ आ जाती है, तब आसपासकी जमीनमें कीचड जमा हो जाती है। इससे जमीन बहुत उपजाऊ बन गई है। इस कारण यहाँके लोगोमें कुछ सम्पन्न हैं; और इसीलिए रुपयेका लालच देकर मुझे यहाँ लाया गया है। रुपया मिल भी रहा है।

काकीनाडासे दुर्गाबाई नामकी एक बहन हमारे साथ घूम रही है। उसके पतिकी सालाना आमदनी ४,००० रुपये है। यह बहन हर साल इसमेंसे २,००० रुपये एक महिला विद्यालयमे लगाती है। उस पाठशालामें वह खुद ही हिन्दी पढाती है। चरखेकी शिक्षा भी देती है। लगभग ८० लडकियाँ हिन्दी जानती हैं। स्त्री भली है, मेहनती है। मेरे खयालसे उसकी काममें श्रद्धा है, ज्ञान इतना नही। यह नही कहा जा सकता कि वह बहुत हिन्दी जानती है। कताईके बारेमें भी यही कहा जा सकता है। वह कहती है कि उसे रास्ता बतानेवाला या मदद देनेवाला काकीनाडामें कोई नही है। ऐसा मालूम होता है कि इससे उसकी शक्तिका पूरा उपयोग नही होता।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६९७) की फोटो-नकलसे।

३२९. पत्र : छगनलाल जोशीको

६ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

आजकी डाक तो ग्यारह बजे भेज दी; दोपहरको तुम्हारी डाक मिली। रमणीकलालको पत्र तो मैंने तुरन्त अलग लिफाफेमें भेज दिया था। वह न मिले, यह होना तो नही चाहिए। पता लगाना।

अक्याबका पैसा चरखा संघको दिया जायेगा। तुमने अक्याबवालोको पैसेकी पहुँच तो लिख ही दी होगी। योगेन्द्रका जाना ठीक हुआ। सरोजिनी देवीका मामला कुछ कठिन है। यह बहन है तो बहुत अच्छी किन्तु बात-बातमे रो पड़ती है। पद्मा उसे काफी दुखी करती है।

राधा और रुखीको कही भेज सकनेका प्रबन्ध कर पाओ तो अच्छा है। किन्तु आसानीसे यह प्रबन्ध न किया जा सके तो वर्तमान स्थिति सहन कर ले। यह तो सही है कि जमनालालजी कुछ-न-कुछ करेंगे। इसका सुख है, पर दुख भी है। इस प्रकारकी सुविधाएँ प्राप्त है इसलिए उनका लाभ तो उठाना ही पड़ता है। ऐसा लाभ उठानेसे तो हम गरीब नही बच रहते; गरीबीका दिखावा-मात्र रह जाता है। यह मेरी दोहरी स्थितिका फल है। हमारे लिए आदर्श स्थिति तो यह है कि हम कही न जाये। जिस तरह गरीब व्यक्ति अपना गाँव छोड़कर नही जा सकता, उसी तरह हम भी अपना स्थान न छोड़ें और वही मरे। किन्तु क्या ऐसी मन.स्थिति जबरदस्ती बनाई जा सकती है? जब मै देखता हूँ कि मेरे कारण पूरे घरकी व्यवस्था उलट-पुलट हो जाती है और मै उसे सहन कर लेता हूँ तब क्या कहूँ? आज जिस घरमे हम लोग है, उसका मालिक मेरी सुविधाके ध्यानसे अपने घरमें कैदी ही बन गया है। मै यह देख रहा हूँ और फिर भी वेंकटप्पैयाको प्राप्त सुविधाएँ पर्याप्त नही लगती।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४१३)की फोटो-नकलसे।

३३०. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

६ मई, १९२९

भाईश्री माधवजी,

तुम्हारा २ तारीखका पत्र मिल गया है। पहलीका पत्र घूमघामकर अब मिलेगा। दूधकी मात्रा बढानी हो तो बढा सकते हो। कच्ची सब्जीको कुछ छौंक देनेसे हानि नही होगी। सब्जीके साथ रोटी खूब चबाकर तो खाते ही होगे। खानेके बाद दाँत और मसूड़े हमेशा उँगलीसे दबाकर तथा मलकर साफ करते हो न? क्या देशी तरीकेके अनुसार सवेरे दातुन करते हो? रातको सोनेके समय दाँत अच्छी तरह साफ करके कुल्ला करके सोते हो न? पेटमे जरा भी बोझ लगे तो एक वक्त खाना न खाना अथवा हलका भोजन लेना। फल छोड़कर अच्छा ही किया। जो खाते हो वही काफी है।

अबसे चौदह तारीखतक पत्र नेल्लोरके पतेपर भेजना। नेल्लोरसे १५ तारीखको रवाना होगे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७७९)की फोटो-नकलसे।

३३१. भाषण : सार्वजनिक सभा, राजमुंदरीमें

७ मई, १९२९

मानपत्रो और खादी-फडके लिए मुझे भेंट की गई राशिके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे भेंट किये गये मानपत्रोमे कुछ बाते ऐसी है जिनके बारेमे मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मैं यह बात भूला नही हूँ कि कुछ समय पहले भी मैं इस स्थानपर आया था।

मैं सबसे पहले नगरपालिका द्वारा भेंट किये हुए मानपत्रको लेता हूँ। उसमें अस्पृश्यताकी समस्याका उल्लेख किया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि "हम परिषदके सदस्यगण बड़ी आशा लगाये हुए है कि (शराब और अन्य नशीली वस्तुओके) पूर्ण निषेधके लिए किये जानेवाले आपके प्रयासोको सफलता मिलेगी।" इन दोनो उल्लेखोको देखकर मुझे बडा आश्चर्य हुआ। मैं आपको बतला दूं कि मद्य-निषेध और अस्पृश्यता-निवारण, ये दोनो अकेले मेरे ही काम नही है। एक व्यक्तिसे कही अधिक इनकी जिम्मेदारी नगरपालिकाके पार्षदोपर है, और इसका बहुत बडा दायित्व

विवेकशील जनतापर ही है। यह मात्र एक भ्रम ही है कि मैं अकेला ये चमत्कार कर दिखाऊँगा। मैं तो आपको प्रेरणा भर दे रहा हूँ कि आप लोग अपने कर्त्तव्य, अपने देशके प्रति जागरूक बनें, क्योंकि आपका देश इन दोनों बुराइयोंके कारण दुःसह पीड़ा पा रहा है। यदि हम मातृ-भूमिके प्रति अपना कर्त्तव्य नहीं करते, तो हमारा जन्म ही व्यर्थ हुआ, और इस प्रकार हम अपना धर्म भी नहीं निभाते।

मैं नगरपालिका परिषदके सामने उसके विचारार्थ एक और भी विषय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ आते समय देखा था कि एक सड़ककी दशा तो बहुत ही बुरी थी और कुछ सड़कोंका रख-रखाव खराब ढंगसे किया जा रहा है। आपको तो अपनी नगरपालिकाको एक आदर्श नगरपालिका बना देना चाहिए। इसे एक बड़ा ही पावन स्थल माना जाता है और अनेक लोग यहाँ गौतमीमें स्नान करने आते हैं। और यदि बाहर सारी गन्दगी और गन्दा पानी मौजूद रहा तो आपके खयालसे इसका नतीजा आखिरमें क्या निकलेगा? इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि नगरको साफ-सुथरा रखा जाये, गन्दगी और बदबूका कहीं नाम भी न रह जाये। लेकिन यह बात तो आप मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। खद्दर-कार्यके लिए मैं नगरपालिकाको बधाई देता हूँ। . . .

मैंने सुना है कि यहाँ एक हिन्दू समाज है जो बहुत दिनोंसे काम कर रहा है। लेकिन (समाजके अध्यक्ष) श्री एन० सुब्बाराव पन्तुलुने मुझे बताया है कि आजकल समाजका काम ठीकसे नहीं चल रहा है। हिन्दू धर्म माननेवालोंको 'भगवद्गीता' के पठन-पाठनमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। बड़े दुःखकी बात है कि 'भगवद्-गीता' के पठन-पाठन और जीवनके मार्गदर्शक सिद्धान्तोंको सीखनेके लिए अपने पास ही में एक इतनी उपयोगी संस्था होते हुए भी लोग उसमें पर्याप्त रुचि नहीं लेते।

मानपत्रोंमें वारांगनाओंका भी उल्लेख कई स्थलोंपर आया है। घोर लज्जाकी बात है कि आज भी हमारी बहनोंका एक तबका वेश्याओंका जीवन बिता रहा है। आपको तबतक चैन नहीं लेना चाहिए जबतक आपके बीच एक भी ऐसी पतिता बहन रह जाये। समूचे राष्ट्रके इस कलंकको जबतक आप बिलकुल धो न डालें तबतक आपको नींद नहीं आनी चाहिए। याद रखिए कि यह काम आप अपनी पवित्रता और नैतिक दृढ़ताके बलपर सम्पन्न कर पायेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग ईर्ष्या और भेदभावोंको त्याग कर एक हो जायें और साम्प्रदायिकताकी भावना पैदा न होने दें, क्योंकि हम सब लोग स्वराज्यके लिए लड़ रहे हैं और हम सभी एक ही फौजके सिपाही हैं। हम अपनी आत्मिक शक्तिसे, अपने उत्तेजनारहित साहस और स्वतन्त्रतामें अपने अटल विश्वासके बलपर विजय प्राप्त करेंगे। विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारको पूर्ण और प्रभावशाली बनाइए। विदेशी वस्त्रको हाथतक मत लगाइए, केवल खादीका ही आग्रह कीजिए और इस प्रकार अपने सभी कार्यकर्त्ताओंके लिए काम जुटाइए। शुरू करनेके लिए दूसरोंकी और दूसरे स्थानोंके आगे बढ़नेकी राह मत देखिए। यहीं, राजमुदरीमें ही कालेज और अन्य संस्थाएँ मौजूद हैं। आपके नगर-में ही समाज-सेवा और सार्वजनिक कार्य करनेवाले कई बड़े-बड़े लोग मौजूद हैं। यदि

आप सब एकता कर ले और एक होकर काममे जुट जायें, तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नही कि हम अपने लक्ष्यपर और शीघ्रतासे पहुँच जायेंगे।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, १०-५-१९२९

३३२. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

सीतानगरम्
८ मई, १९२९

बगाल प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके वहीखातोके हिसाबकी जाँचके लिए क्या आप कृपया किसी प्रसिद्ध और प्रमाणित लेखा-परीक्षकका इन्तजाम कर सकते है?

पण्डित जवाहरलाल नेहरूने जो पत्र भेजा है उसे मै इसके साथ ही सलग्न कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

संलग्न १

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८८०)की प्रतिसे।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

३३३. पत्र : नारणदास गांधीको

बुधवार [८ मई, १९२९][1]

चि० नारणदास,

तुम्हारे पत्रसे मुझे बहुत शान्ति मिली है। सामान स्टेशनपर भेज देनेपर भी तुमने जानेका विचार छोड़ दिया, यह तुम्हारे लिए शोभाकी बात है। अब इस समय मुझे ज्यादा कुछ नही लिखना है। जब आऊँगा तब देखूँगा। मुझे किसी प्रकारका भी आग्रह नही है। तुम सब मिलकर मेरे आनेसे पहले ही निर्णय कर सको तो अवश्य कर लेना।

अच्छा हुआ जो चि० पुरुषोत्तम मोरबी चला गया। वैद्य[2] बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा ही लगा है। वह मुझे नियमपूर्वक पत्र लिखता रहे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो-९ : श्री नारणदास गांधीने

१. बापुना पत्रो - ७ : श्री छगनलाल जोशीने के पृष्ठ ९२ के अनुसार।
२. मोरबीके वैद्य लक्ष्मीप्रसाद विश्वनाथ जो खेलशंकरभाईके नामसे जाने जाते थे।

३३४. पत्र : छगनलाल जोशीको

८ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारे दो पत्र मेरे पास पड़े हैं। नारणदास और रमणीकलाल रह जायें तो अच्छा ही है। साथके पत्र पढ़ लेना क्योंकि उनसे तुम्हें मेरे विचार मालूम हो जायेंगे।

मेरे वहाँ पहुँचनेतक इन्तजार करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे लगता है ऐसा करनेकी जरूरत नहीं है। सभी अपनी-अपनी शक्तिका अनुमान लगा कर जिस प्रकार रहना सम्भव हो, वैसे रहें; जैसा करना ठीक समझें, वैसा करें। मेरी इच्छा चाहे जो हो, किया तो वही जा सकता है जो सम्भव है, और जो सम्भव है उसे करते हुए जहाँ पहुँचेंगे वही ठीक होगा। मेरी गैरहाजिरीमें तुम सब जो विचार करोगे वह अधिक स्वतन्त्र होगा। पूर्णतया स्वतन्त्र रूपसे विचार तो मेरी मृत्युके बाद ही हो सकेगा। इस समय तो बापू क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, यह विचार तुम सबको परेशान करेगा ही।

राधा जितनी जल्दी सिंहगढ़ या माथेरान पहुँचे उतना अच्छा होगा।

मैं रातको जल्दी उठकर जवाब दूँ इससे चिन्ता नहीं होनी चाहिए। शरीर जितना दे सकता है, उससे उतना ही काम लेता हूँ। आसानीसे उठ सकता होऊँ और दिनमें दूसरा काम हो फिर भी न उठूँ तो यह दोष माना जायेगा।

मथुरादास पुरुषोत्तमको तो काकाने अपने लिए रोक ही लिया है। वह उनके लिए ही लौटकर आ रहा है। इसलिए उसकी आशा न करना।

जयसुखलालकी समस्या कठिन हो गई है। उसके विषयमें मुझे और विचार करना पड़ेगा। मैं जब आऊँगा तब मुझे इसकी याद दिलाना। जयसुखलालको आश्रम-में बुला लो।

मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसा कहाँसे सुना? ताँबे जैसी है। इमाम साहबकी गाड़ी धीरे-धीरे चल रही है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसके साथ रघुनाथका पत्र है। मुझे लगता है कि उसकी स्त्रीको आने देना चाहिए।

गुजराती (जी० एन० ५४१४) की फोटो-नकलसे।

३३५. पत्र : वसुमती पण्डितको

८ मई, १९२९

चि० वसुमती,

तुम्हारे पत्र मिल गये है। कर्त्तव्यका पालन करते-करते मनुष्य धीरे-धीरे उसमे प्रगति करता है। प्रगति होती ही रहेगी, मै मनमे यही श्रद्धा रखे बैठा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५०७) से।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

३३६. पत्र : सुरेन्द्रको

८ मई, १९२९

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारे पत्रने मुझे आश्चर्यमें डाल दिया है। उसमे गम्भीर विचार-दोष है। तुम्हारे आचरणमें कृत्रिमता है। मनुष्यका स्वाभाविक ढगसे रहना ही ठीक है। छः फुटका मनुष्य टेढ़ा झुककर पाँच फुटका दिखाई देनेका ढोग करे तो वह दोष होगा। सच्चा विनीत व्यक्ति हाथीके हौदेपर भी बैठ सकता है और झोपडीमें रहनेवाला दानी भी हो सकता है। जिसे व्रतका बन्धन कष्टप्रद लगता है वह उसे छोड सकता है, लेकिन उसके कारण वे दूसरे लोग, जिन्हे उससे आगे बढ़नेमें सहायता मिलती है, व्रत क्यो छोड़े? सभी किरायेका मकान लेकर रहना चाहे तो मै क्या करूँ? जब सब लोग दूसरे तरीकेसे न रह सके तो मुझे क्या करना चाहिए, यह मैं जानता हूँ। किन्तु तुम्हारे जैसा व्यक्ति किरायेके मकानमे रहना चाहे तो मुझे क्या करना होगा, यह विचारणीय हो जाता है। यदि दूसरे सन्तानकी इच्छा करते है तो उनका साथ देनेके लिए तुम भी विवाह करोगे और सन्तानकी कामना करोगे?

तुम्हें यह पत्र लिखनेसे पहले मुझसे इन निर्णयोके बारेमे पूछना चाहिए था। यदि तुममें आश्रमके नियम पालन करनेकी शक्ति न हो तो बेशक तुम किरायेके मकानमें रहो; और यदि उनका पालन करनेकी शक्ति हो, श्रद्धा हो, तो अपनी भूलको स्वीकार करके पत्र वापस ले लो।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–७ : श्री छगनलाल जोशीने

३३७. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

८ मई, १९२९

भाईश्री माधवजी,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। दूध बढ़ानेपर भी भूख जान पडे तो दो तोले रोटी बढ़ा लेना। वजन बढ रहा है इसलिए भूख लगे तो उसकी चिन्ता नही करनी है। वजन बढता रहे तो समझना कि ठीक खूराक ले रहे हो। अब तुम्हारी खूराक-की मात्रा यहाँसे निश्चित करनेकी जरूरत नही है। तुम्हारे मार्गदर्शनके लिए खूराककी अधिकसे-अधिक मात्रा नीचे दे रहा हूँ।

दूध ३ सेर[1]=१२० तोला
रोटी १० तोला
मुनक्का ४ तोला
नीबू २ (सोडाके साथ)
सब्जी ५ तोला
बादामकी गिरी १ तोला
हापुस आम २
मक्खन ३ तोला

यह खूराककी ज्यादासे-ज्यादा मात्रा है। तुम्हे आजसे ही इतनी खूराक लेना शुरू नही कर देना है। हो सकता है कि इतनी खूराक कभी न ले सको। किन्तु अपने शरीरकी जाँच करके यदि देखो कि मुँहका स्वाद ठीक है, डकारे न आती हो, पाखाना जानेके समय ही हवा निकलती है, किसी और वक्त नही, तो तुम धीरे-धीरे ऊपरकी मात्रातक जा सकते हो। अबसे एक-दो बादाम खूब चबा कर खाओ तो कोई हानि नही है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७८०)की फोटो-नकलसे।

१. आशय रतलसे है।

३३८. रमणीकलाल मोदीको लिखे पत्रका अंश

८ मई, १९२९

छगनलालने लिखा है कि मेरे नये विचारके अनुसार तो तुम भी रह जाना चाहोगे। यदि इस प्रकार रह सको तो बहुत ही अच्छा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम्हारी इच्छा न हो तो ऐसा करना भी जरूरी नही है। तारा किसी संस्थामे रहकर किताबी ज्ञान प्राप्त करे, इसमे मुझे कोई बुराई दिखाई नही देती। . . .[1] जहाँ भी रहोगे वहाँ काम तो वही करोगे न? आश्रममें कुछ सार होगा तो अन्तत. वहाँ खिच ही आओगे।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो–७: श्री छगनलाल जोशीने

३३९. भाषण: सार्वजनिक सभा, सीतानगरम्‌में

८ मई, १९२९

इस आश्रममें[2] आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। पहले भी मैंने इस आश्रमके बारेमें सुन रखा था। अब मैंने इसके विभिन्न कार्य भी देख लिए है और उनसे मुझे पर्याप्त सन्तोष है। आशा है कि इस आश्रमके उपयोगी कामसे आस-पडोसके गाँवोको काफी लाभ पहुँचेगा। मै तो समझता हूँ कि यहाँ जो सबसे महत्त्वपूर्ण काम हो रहा है वह खद्दरका काम ही है। आस-पड़ोसके गाँवोमे भी इस दिशामें कुछ काम हो रहा है, लेकिन उनसे और अधिककी आशा है। आपको सदा ही चरखा चालू रखना है, क्योंकि इसीपर आपके देशकी समृद्धि और मुक्तिका दारोमदार है। सेवाके सभी साधनोमे चरखा ही सबसे अधिक समर्थ साधन है और वह आपको समृद्धिका वचन देता है। आप यदि इस कामको नियमित रूपसे ही करने लगें, तो आश्चर्य-जनक परिणाम हासिल कर सकते है। आप सबको इस कार्यमे सहयोग और सहायता करनी चाहिए।

मुझे आशा है कि आप इस दिशामें और अच्छे परिणाम हासिल कर दिखानेमें आश्रमको पूरा सहयोग देंगे और इसकी सहायता करेंगे। आपको अपने बच्चे आश्रममें भेजने चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए कि उनको आश्रममें वास्तविक शिक्षा मिलती रहे। आपको अपनी पूरी सामर्थ्यसे इस श्रेष्ठ आश्रमकी सहायता करनी चाहिए। आपने शराबखोरीकी बुराईको अपने यहाँसे मार-भगाने और उसके दण्ड-

१. साधन-सूत्रमें जगह खाली है।

२. गौतमी सत्याग्रह आश्रम।

स्वरूप ७,५०० रुपयोका जुर्माना भरनेका जो साहस दिखाया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ऐसे संघर्ष तो अनिवार्य रूपसे आते ही रहेंगे। साहसपूर्वक उनका सामना कीजिए। स्वराज्य-प्राप्तिके इस विशाल अभियानमें धन तो क्या जीवनकी हानि भी नगण्य है।

मैं खादी-कोषके लिए धन जमा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे कुछ दें। मैं समझता हूँ कि धनी लोगोंने मुझे कुछ धन दिया है। वे बड़ी-बड़ी राशियाँ दे सकते हैं। लेकिन आप जैसे गरीबोंसे यदि मुझे एक-एक पाई भी मिले, तो मुझे उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी कि बड़ी-बड़ी राशियाँ प्राप्त करके होती है। बिहार और उत्कलमें मैंने पाइयाँ भी चन्देमें ली थीं। उन पाइयोंसे अनेक भूखे ग्रामवासियोंके लिए भोजन तथा वस्त्रोंकी व्यवस्था की गई है और उन ग्रामवासियोंसे कहा गया है कि छोटीसे-छोटी सहायताका भी अपना महत्त्व है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-५-१९२९

३४०. गौरवपूर्ण जीवन

'फॉरवर्ड' को स्व० देशबन्धु दासने जन्म दिया था। अपने महान् जन्मदाताके बाद भी इस पत्रने अपने नाम और उनके आदर्शोंको सार्थक करके दिखाया है। अपनी हिम्मत, साहसिकता, साधन-सुलभता और सबसे ऊपर, अपनी निडरताके कारण यह सरकारकी राहका काँटा साबित हुआ है। यही वजह है कि सरकारने इसे भले या बुरे, हर साधनसे मिटा देनेके लिए खासकर चुन लिया था। अपनी खरी-खरी बातोंके कारण और निर्भीकतापूर्वक राष्ट्रके विचारोंको प्रकट करनेकी वजहसे इस पत्र पर मौके-मौकेसे अनेक मुकदमे चलाये गये हैं। लेकिन फिर भी यह जीवित रहा है। अपने मुद्रक और सम्पादकको जेलकी सजा होती रहनेपर और बार-बार मुकदमोंकी पुनरावृत्ति होनेपर भी पत्र मानो और उन्नति करता गया है। लेकिन एक निर्धन समाचारपत्रके लिए खासकर बदलेकी भावनासे प्रेरित होकर की गई क्षतिपूर्तिके फैसलेका मुकाबला करना असम्भव है। न्यायाधीशका फैसला सच्चा हो सकता है, तथापि उनके दिये हुए फैसलेको पढ़कर पाठक उनकी मनोवृत्तिका पता पा सकते हैं। लेकिन यह सच है कि सरकारकी और उसी तरह रेलवे कम्पनीकी कार्रवाई भी दोषपूर्ण थी। अगर यह मान भी लिया जाये कि 'फॉरवर्ड' में प्रकाशित लेख अतिशयोक्तिपूर्ण था, तो भी उसके द्वारा जिन पक्षोंपर आक्रमण किया गया था वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनको किसी प्रकारकी आर्थिक क्षति पहुँचनेकी कोई सम्भावना न थी। दूसरे, अगर सचमुच ही उनकी कोई आर्थिक क्षति हुई है तो भी क्षतिपूर्तिकी कोई रकम उसे पूरा नहीं कर सकती। अगर सवाल नैतिक हानिका था, तो मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि जिन मामलोंको लेकर 'फॉरवर्ड' ने अपनी टीका प्रकाशित की थी उनके सम्बन्धमें न तो सरकारकी ही कोई ऐसी प्रतिष्ठा है जो रक्षणीय हो, न

कम्पनीकी ही। चाहे जो हो, अब तो इस बहुमूल्य निर्णयको पाकर उनका आत्मप्रेम अवश्य ही सन्तुष्ट हो चुका होगा।

लेकिन अनिवार्य 'लिक्विडेशन' (दीवाले)की जो अपील की गई है, उससे पता चलता है कि इस अभियोगका हेतु वादीकी क्षतिपूर्ति कराना नही, बल्कि प्रतिवादीका सत्यानाश करना था। अगर वे इसीमे सन्तुष्ट है, तो भले ही रहे। उन्हे यही मुबारक हो। इसमें शक नही कि उनकी यह उडान पतनकी निशानी है। जिस 'फॉरवर्ड'को इतनी बेदर्दीके साथ कुचला गया है, वह लोगोंके जीवनमे प्रतिफलित होकर जीवित रहेगा। उसके हाथो सुलगी हुई आग उन हजारो दिलोमे दूने जोशके साथ भभक उठेगी, जो अब अपने प्रिय पत्रके स्तम्भो द्वारा अपने विचार प्रकट करनेका वैध साधन खो चुके है। आन्ध्रके देहातोकी यात्रा कर रहा होनेके कारण मै इन घटनाओका सिलसिलेसे अनुशीलन नही कर सका हूँ, फिर भी मै देखता हूँ कि नवजात 'न्यू फॉरवर्ड' के प्रकाशनको रोकनेके लिए भी कुत्सित प्रयत्न किये जा रहे हैं। सम्भव है कि कई विषम कठिनाइयोके रहते हुए भी जो साधन-सम्पन्न कानूनदाँ लोग बगालके राष्ट्रीय आन्दोलनको जीवित रखे हुए है, वे इस मामलेमे भी सरकारको पीछे छोड दे। लेकिन अगर वे सरकारको प्राप्त और उसके द्वारा मनमाने ढगसे प्रयुक्त कानूनी और विशेष कानूनी अधिकारोका सफलतापूर्वक मुकाबला न भी कर सके तो भी सरकारके साथ वीरता और निडरतापूर्वक बराबरीसे लडनेके लिए देश उनका आभारी होगा। देशमे एक ऐसी भावना जाग्रत हो चुकी है, जिसे दुनियाकी कोई ताकत कुचल नही सकती। 'फॉरवर्ड' मर चुका है, 'फॉरवर्ड' दीर्घायु हो।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ९-५-१९२९

३४१. आन्ध्र देशमें [-४]

यात्रा-कार्यक्रम और विभिन्न स्थानोपर एकत्र किये गये चन्देके विवरणसे देखा जा सकता है कि कार्यका दबाव बना हुआ है, हालाँकि विभिन्न गाँवोमे जो विविध अनुभव हो रहे है और लोगोमें जो जोश और उत्साह दिखाई पडता है उससे मेरा ज्ञान भी बढ़ा है और मेरी आस्था भी दृढ हुई है।

चन्देकी कुल रकम जो 'यग इडिया' मे पहले ही छापी जा चुकी है, १,११,-६५३ रु० ९ आ० ७½ पा० है।[1]

मुझे यह भी कहना चाहिए कि साथी कार्यकर्त्ताओमे प्रत्येक कार्यको निश्चित समय पर कर डालनेकी प्रवृत्तिमे बहुत तेजी आई है और उनमे निर्धारित समय-क्रमका पालन करनेकी तो मानो एक सुखद होड ही चल रही है। फलत इस समय हम

1. इसके बाद पश्चिमी गोदावरी जिलेके विभिन्न गाँवोंमें प्राप्त चन्देका ब्योरा दिया गया था। चन्देकी कुल रकम १,५४,९६१ रु० १५ आ० ०½ पा० थी।

एक्सप्रेस रेलगाडीकी नियमबद्ध गतिसे यात्रा कर रहे है और सभाओ आदिके कार्यक्रम निपटा रहे है। सुबह या शाम एक गाँवसे दूसरे गाँवको रवाना होनेके निश्चित समय पर देशभक्त कोडा वेकटप्पैया और अन्य स्थानीय मित्र हँसते हुए मेरे पास उपस्थित हो जाते है। समय-पालनकी इस नियमितता और पहलेकी तुलनामें सभाओकी अपेक्षाकृत सुव्यवस्थितताके फलस्वरूप हमारा दौरा ग्रीष्मऋतु की इस गरमीमें भी न केवल सह्य बल्कि सुखद भी हो गया है। पुरुष और स्त्रियाँ जिस उत्साहसे अपने रुपये और पैसे देनेके लिए आती है उसे देखकर मन आशा और आनन्दसे भर उठता है। मैं ये पंक्तियाँ तुनी नामक एक गाँवमें स्त्रियोकी एक सभा[1] करनेके तुरन्त बाद लिख रहा हूँ। एक बूढी स्त्री, जो स्पष्टत: गरीब थी और जिसकी उमर लगभग ७५ वर्ष रही होगी, जिसका शरीर तो वर्षोके बोझसे झुक गया था किन्तु जिसके चेहरे और आँखोमें आनन्दकी चमक थी, मेरे पास आई और उसने मेरे हाथमें चार आने रख दिये। पैसा देते समय उसकी आँखोमें, जिन्हे मैं कभी नही भूल सकता, किसी प्रकारका दीनताका भाव नही था। उसके तुरन्त बाद एक खादीधारिणी प्रौढ-सी महिलाने मेरे हाथमें ५ रुपये और एक पैसा रखा। मैंने उससे सीधा सवाल किया, "किसका दान ज्यादा बड़ा है, तुम्हारा या इस वृद्ध बहनका?" उसने बिना किसी झिझकके निर्णयके स्वरमें उत्तर दिया, "दोनो बराबर है।" मुझे बेहद खुशी हुई। इस उत्तरने मुझे निरुत्तर कर दिया, लेकिन मैं प्रसन्न हुआ। मैं इस बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और गहराईमें जाकर सत्यको छू लेनेवाले उत्तरके लिए तैयार नही था। उसने आगे कहा, "मैं राष्ट्रीय आन्दोलनमें कई वर्षोसे रुचि लेती रही हूँ और उसमें अपनी शक्तिके अनुसार मुझसे जितना अधिक बना है सदा दिया है। खादीमें मेरा विश्वास है और मैं हमेशा खादी ही पहनती हूँ।" इस दौरेकी अवधिमें मुझे जो अनेक सुखद अनुभव हुए है उनके अक्षय सग्रहसे लिया गया यह केवल एक ही उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास है, लेकिन अब मुझे अन्य विषयोकी चर्चा करनी चाहिए।

कार्यकर्त्ताओंकी सभा

तनकूमें और जगहोकी तरह कार्यकर्त्ताओकी एक सभा हुई। ऐसी सभा मैं खासकर हरेक जिलेके दौरेकी समाप्ति पर करता हूँ, और उसका समय शामको ३ और ४ के बीचका होता है। इस सभामें कोई १०० कार्यकर्त्ता थे। उसमे हर तरहके सवालोकी चर्चा हुई। यह एक सवाल तो हर जगह पूछा ही जाता है कि कांग्रेसियोंके ताल्लुका या जिला बोर्डो, नगरपालिकाओ और विधान परिषदो आदिके चुनावोमें भाग लेनेसे क्या खादी और दूसरे रचनात्मक कार्योमें बाधा नही पडेगी। इस सभामें यही सवाल और भी ज्यादा आग्रहके साथ पूछा गया। मेरा अनुभव यह है कि इन संस्थाओसे हमे जितना लाभ हो सका है उसकी तुलनामें उनपर हमारे अच्छे कार्यकर्त्ताओकी शक्तिका व्यय कही अधिक होता है। यह देखा गया है कि हमारे कुछ

१. २ मईको।

उत्तम कार्यकर्त्ताओको ज्यादा ठोस काम करनेकी इच्छासे नगरपालिकाओ आदिको छोड कर बाहर आना पडा। इसके सिवाय, इन सस्थाओमे बहुत सारा राग-द्वेष, लडाई-झगडा, अपनी मनचाही चीज करानेके लिए पर्देकी आडमे की जानेवाली बहुत सारी खीचतान होती है, अपने स्वार्थोको सिद्धिके लिए इतनी ज्यादा कोशिश की जाती है कि ईमानदार कार्यकर्त्ता उनमे बहुत ज्यादा दिनतक नही रह सकते। काग्रेसी लोग इन संस्थाओमे दिलचस्पी ले, इसके पक्षमे एक काग्रेसी भाईने उसका एक लाभ यह बताया था कि उनमे काग्रेसियोकी उपस्थितिसे हुकूमतके आगे दीनतापूर्वक झुक जानेकी मनोवृत्तिके बदले उसके खिलाफ लडनेकी स्वस्थ मनोवृत्तिको बल मिलता है। किन्तु कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि यदि लडनेकी मनोवृत्तिको हम रचनात्मक कार्यका बलिदान करके पैदा कर रहे है तो कहना होगा कि हम उसकी बहुत ज्यादा कीमत चुका रहे है। इसलिए तनकूकी सभामे मैने कार्यकर्त्ताओको सुझाया कि अगर उन्हे यह निश्चय हो गया हो कि चुनावमे भाग लेनेसे या इन संस्थाओमे दिलचस्पी लेनेसे कोई प्रभावकारी सेवा नही की जा सकती तो उन्हे अपने दिमागसे इन सस्थाओ-की बात निकाल देनी चाहिए। यदि काग्रेसी इन चुनावोमें कोई हिस्सा न ले रहे होते तो जिस तरह वे इन संस्थाओकी बात न सोचते उसी तरह उक्त परिस्थितिमे भी उन्हे उनका खयाल अपने मनसे निकाल देना चाहिए। यदि इन सस्थाओमें जाकर काम करने और रचनात्मक कार्य करनेके बीचमें चुनाव करना ही हो तो इसमे कोई सन्देह ही नही है कि रचनात्मक कार्य ज्यादा बडी चीज है। आखिर हमारे पास काग्रेसके कार्यकर्त्ता हजारोकी तादादमें है जबकि इन तथाकथित निर्वाचित सस्थाओमे हरेक जिलेसे कुछ इने-गिने लोग ही प्रवेश कर सकते है। जो लोग उनमे विश्वास करते है वे भले उनमें प्रवेश करें, लेकिन जो उनमें विश्वास नही करते वे प्रवेश करनेवालोंके प्रति न किसी तरहकी ईर्ष्याका भाव रखे और न किसी तरहकी नाराजी दिखायें।

इस सभामें एक सुझाव यह भी पेश किया गया था कि जिन जिलोमे सूत काफी प्रमाणमें काता जाता है वहाँसे वह उन जिलोमें लाया जाये, जहाँ बहुत ज्यादा गरीबी न होनेके कारण सूत कातनेके लिए तो कोई तैयार नही होता किन्तु जहाँ ऐसे बुनकर जरूर है जिन्हे अगर हाथ-कता सूत दिया जाये तो वे उसकी खादी सहर्ष बुन देंगे। इस सुझावसे मैंने जोरदार असहमति जाहिर की। मैंने कहा, जो जिला सूतका उत्पादन करता है वह जबतक उसका उपयोग कर सकता हो तबतक वहाँसे सूत लाना गलत होता है। सफल हाथकताईका रहस्य ही इस बातमें है कि सारा सूत वही बुना जाये जहाँ वह काता जाये। जहाँ स्थानिक बुनकर विदेशी सूत या मिलका सूत बुनते है वहाँ उनसे उनका यह धन्धा छुडवानेमें तबतक कोई जल्दबाजी नही होनी चाहिए जबतक कि उसी जगह या उस जिलेमें हाथकते सूतका उत्पादन न होने लगे। अलबत्ता अपनी शक्तिके अनुसार हम हाथकताई करने या यज्ञार्थ सूत कातनेका प्रचार करनेकी पूरी कोशिश अवश्य करे। यदि ऐसा सूत पर्याप्त मात्रामें काता जाने लगे तो उससे किसी भी जिलेके बुनकरोको काफी काम मिल जायेगा।

एक आदर्श सहकारी संस्था

विजयानगरममे मैने एक सहकारी खादी सस्था देखी जो अपना काम बहुत सफलतापूर्वक कर रही है और जो अपने क्षेत्रमे मेरे खयालसे सारे भारतवर्षमे अद्वितीय है। मै नीचे इस सस्था द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्रमे से निस्सकोच एक अश उद्धृत करता हूँ :[1]

> हमारे इस भण्डारमें जो भी कपड़ा है वह सारा हमारे द्वारा खरीदे हुए कपाससे बनाया गया है। बाहरसे हमने कुछ भी नहीं मँगाया है। हमने दूसरे प्रान्तोंसे, यहाँ तक कि अपने ही प्रान्तके दूसरे जिलोसे खादी न मँगानेका संकल्प किया है क्योंकि हमारा विश्वास है कि खादीके ऐसे आयातसे खादीकी प्रगतिकी उसी तरह हानि होगी जिस तरह कि विदेशी कपड़ेके आयातसे होगी।
>
> हमारा यह भी विश्वास है कि खादी आन्दोलनका उद्देश्य यह है कि जगह-जगह कताई और बुनाईका ज्यादासे-ज्यादा व्यापक प्रसार किया जाये, और उस जिलेके लोगोंको ज्यादासे-ज्यादा बड़ी संख्यामें रोजगार मुहैया किया जाये। ऐसा किया जाये तो ही खादीका सही विकास होगा। . . .
>
> हमारे अमुक कपड़ोंकी कीमतें अखिल भारतीय चरखा संघकी कीमतोसे छः पाई प्रति गज अधिक हैं। हम आपको अत्यन्त विनयपूर्वक एक पैंट और एक २½ गज चौड़ा तथा ३ गज लम्बा कम्बल दे रहे हैं। ये दोनों चीजें पप्पू जगन्नायाकुलुकी बनाई हुई हैं। यह भाई बुनकर है और हमारी संस्थाके संचालक हैं।
>
> हम नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों वस्तुएँ आश्रमके संग्रहालय-में रखी जायें।

पप्पू जगन्नायाकुलुकी ये दोनो कृतियाँ आश्रमके सग्रहालयमे अवश्य रखी जायेंगी। दोनो अपने ढगकी बेजोड वस्तुएँ है। मुझे विजगापट्टममे अपने मेजबान श्री बानोजीराव-से महीन खादीके दो टुकडे भी भेंटमे मिले है। श्री बानोजीराव जमीदार है और यह खादी उनकी जमीदारीके एक गाँव वोटलकोडुरुकी बनी हुई है। ये कपडे क्रमश: ५३ और ६६ वर्ष पुराने है।

मुझे इस आदर्श सहकारी सस्थाके उपनियम प्राप्त हो गये है। ये नियम जिस उद्देश्यसे बनाये गये है उसे सिद्ध करनेमे समर्थ है। उनके अनुसार कातनेवाले और बुनाई करनेवाले लोग संस्थाके सदस्य बन सकते है। सदस्योके लिए सस्थाके द्वारा पैदा की गई खादी खरीदना जरूरी है; इसी प्रकार सदस्य जो सूत कातें या जो खादी तैयार करे उसको उन्हे संस्थाको बेचना चाहिए। इन उपनियमोमे से 'व्यापार' शीर्षकके अन्तर्गत दिया गया यह अंश मै यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ।[2]

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये है।

२. यहाँ नहीं दिया गया है।

संस्था जो उपयोगी कार्य कर रही है उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह निरन्तर प्रगति करेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-५-१९२९

३४२. एक पेचीदा समस्या

रेवरेण्ड बी० द० लिग्टने अपने खुले पत्रमें युद्धके प्रति मेरे दृष्टिकोणके बारेमें एक प्रश्न पूछा है। बिलकुल निस्संकोच होकर मैं इसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। लोगो द्वारा गलत समझे जानेका खतरा उठाकर भी चुप्पी साधे रहना मेरे सामने आई इस कठिन परिस्थितिसे निकलनेका एक आसान-सा उपाय है, और यह स्वीकार कर लेना तो और भी आसान होगा कि उल्लिखित अवसरोंपर युद्धमें भाग लेकर मैंने गलती की थी। परन्तु इतने मैत्रीपूर्ण ढगसे पूछे गये प्रश्नोंके उत्तर देनेसे कतराना एक अमैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा, और फिर यह भी है कि यदि मैं हृदयमें कोई पश्चात्ताप महसूस नहीं करता तो मुझे उसका अभिनय नहीं करना चाहिए। मैं इस प्रश्न पर चर्चा करनेसे इसलिए नहीं कतराता कि मेरे अन्दर विश्वासका अभाव है, मैं इस आशकासे कतरा रहा हूँ कि मैं शायद अपना अर्थ ठीक-ठीक नहीं समझा पाऊँगा और तब युद्धके प्रति मेरे दृष्टिकोणके बारेमें लोगोंके दिमागोंपर कुछ ऐसी छाप पड जायेगी जैसी कि मैं पडने नहीं देना चाहता। बहुधा मुझे लगता है कि मेरी कुछ मूलभूत भावनाएँ भाषाके माध्यमसे पूरी-पूरी अभिव्यक्ति नहीं पाती। इसीलिए श्री बी० द० लिग्ट और अपने अन्य युद्ध-प्रतिरोधी सहयोगियोसे मेरा अनुरोध है कि वे मेरे त्रुटिपूर्ण या अधकचरे तर्ककी चिन्ता न करे और यदि युद्धमें भाग लेनेके मेरे कार्यकी वे युद्ध-सम्बन्धी मेरे विचारोंके साथ पटरी न बैठा पाये तो उसकी भी बिलकुल कोई चिन्ता न करे। बस वे इतना समझ ले कि मैं सभी युद्धोंके सर्वथा विरुद्ध हूँ, हर हालतमें विरुद्ध हूँ। यदि वे मेरे तर्कको समुचित नहीं मान सकते, तो युद्धमें मेरे भाग लेनेको वे मेरी ऐसी कमजोरी मान सकते हैं जो मुझसे अनजाने में हो गई है। इसलिए यदि कोई किसी भी परिस्थितिमें मेरे उस कार्यकी दुहाई देकर युद्धका औचित्य सिद्ध करनेकी कोशिश करेगा, तो मुझे हार्दिक दुख होगा।

परन्तु इतना कहनेके बाद मुझे उस लेखमें[1] रखी गई अपनी बातपर दृढ रहना चाहिए जिसे श्री बी० द० लिग्टने अपने पत्रका विषय बनाया है। यूरोपीय युद्ध-प्रतिरोधियोको यह समझना चाहिए कि मेरे और उनके बीच एक बडा महत्त्वपूर्ण अन्तर है। वे शोषित देशोके प्रतिनिधि नहीं है, जबकि मैं संसारके एक सबसे अधिक शोषित देशका प्रतिनिधि हूँ। उपमा खटकनेवाली तो है, फिर भी कहा जाये तो वे यदि बिल्लीके प्रतिनिधि है तो मैं चूहेका प्रतिनिधि हूँ। क्या चूहेको अहिंसाका कोई

१. देखिए खण्ड ३७, पृष्ठ २८१-८३ तथा खण्ड ३६, पृष्ठ ९१-९३ भी।

खयालतक होता है? क्या चूहेके लिए यह एक मूलभूत आवश्यकता नही है कि वह युद्धक्षेत्रमे अहिंसाके नियमकी सर्वोपरि सार्थकता, उसकी श्रेष्ठताको सीखनेसे बहुत पहले ही, उसकी बात सोचे बिना ही, सफल हिंसापूर्ण प्रतिरोध करनेकी कोशिशमे लग जाये। फिर क्या चूहोकी जातिका प्रतिनिधि होनेके नाते मेरे लिए यह जरूरी नही हो जाता कि चाहे उनको विनाश न करनेकी श्रेष्ठता सिखानेके लिए ही सही, मै विनाश करनेकी उनकी इच्छामे उनका साथ दूं?

बिल्ली और चूहेकी उपमा बस यही समाप्त हो जाती है। चूहेमे अपना स्वभाव बदलनेकी क्षमता नही होती, परन्तु मनुष्यमे यह क्षमता होती है कि वह जाति या वर्णकी सीमाओमे बँधे बिना महानसे-महान मनुष्य द्वारा प्राप्त ऊँचाईतक उठ सकता है, फिर वह स्वयं कितना ही खोटा या पतित हो। इसलिए मै अपने देशवासियो द्वारा महसूस की जानेवाली युद्धकी तैयारीकी आवश्यकतामे काफी दूर तक उनका साथ तो दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे इस पूरी-पूरी आशासे ही करना चाहिए कि एक दिन मै उनको युद्धसे सचमुच विरत कर सकूंगा और उनको युद्धकी निस्सारता समझा सकूंगा। याद रखनेकी चीज है कि मै युद्धमे भाग लेता प्रतीत होता हुआ भी अहिंसाका एक बहुत बडा प्रयोग कर रहा हूँ, समूची जनता द्वारा बरती जा सकनेवाली अहिंसाका एक इतना बडा प्रयोग जितना कि इतिहासमे पहले कभी किसीने नही किया था। हो सकता है कि यह प्रयोग कौशलके अभावमें असफल ही हो जाये, पर यूरोपके युद्ध-प्रतिरोधियोको यह तो चाहिए कि वे अपने कालमे भारतमे होनेवाली इस महत्त्वपूर्ण घटनाको समझनेका हर सम्भव प्रयास करे कि अहिंसाके क्षेत्रमे ऐसा एक साहसपूर्ण प्रयोग वही व्यक्ति कर रहा है जो युद्धकी तैयारी करनेवालोके साथ भी चल रहा है।

अहिंसाकी योजनाका ही यह एक भाग है कि यदि मै अपने देशवासियोको किसी दिन अहिंसाका समर्थक बनाने की आशा करता हूँ तो मुझे उनकी भावनाओसे भी अनुप्राणित होना चाहिए। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भारतकी जनता और भारतके सुशिक्षित राजनीतिज्ञ भी चाहे-अनचाहे, जैसे भी हो, यह विश्वास करने लगे हैं कि जनताको सदियोकी गुलामीसे केवल अहिंसा ही मुक्ति दिला सकती है। यह सही है कि अहिंसाके लाजिमी नतीजोको सभी लोग नही समझ पाये हैं। कौन समझ सकता है? मै शेखी मारता हूँ कि मै अहिंसाके सत्यको समझता हूँ और यथाशक्ति उसपर अमल करता हूँ, लेकिन मै खुद भी इस सिद्धान्तके लाजिमी नतीजोको अक्सर पूरी तौर पर नही समझ पाता। मनुष्यके हृदयमे चलनेवाली प्राकृतिक प्रक्रिया बडी रहस्यपूर्ण होती है और उसकी व्याख्या करना कठिन होता है।

हाँ, इतना मै जानता हूँ कि यदि भारत अहिंसात्मक उपायोसे अपनी स्वतन्त्रता हासिल करेगा तो भारत कभी नही चाहेगा कि वह कोई बड़ी भारी थल-सेना और उतनी ही सशक्त नौसेना और उससे भी अधिक शक्तिशाली वायुसेना रखे। स्वतंत्रता-सग्राममे अहिंसात्मक उपायोसे विजय पानेके लिए जितने ऊँचे स्तरकी आत्म-चेतना दरकार है, यदि भारत उस स्तर तक उठ जायेगा, तो उसकी दृष्टिमें सासारिक या

भौतिक मूल्य और माप-मान बदल जायेंगे और युद्धकी अधिकाश सज्जा उसे बेमतलब लगने लगेगी। हो सकता है ऐसे भारतकी कल्पना मात्र दिवा-स्वप्न या एक बचकानी बहक भर हो। परन्तु अहिंसाके बलपर भारतके स्वतत्र होनेका निस्सदेह यही परिणाम होगा — ऐसी मेरी राय है।

यदि कभी स्वतंत्रता मिली, तो वह ग्रेट ब्रिटेनके साथ हमारे सौजन्यपूर्ण समझौतेके फलस्वरूप ही मिलेगी। लेकिन तब ब्रिटेन आज जैसा दम्भपूर्ण, ऐसा साम्राज्यवादी ब्रिटेन नही रह जायेगा जो ससारपर प्रभुता जमानेकी साजिशोमे लगा हो। तबका ब्रिटेन तो पूरी विनम्रताके साथ मानवताके कल्याणके लिए चेष्टारत रहेगा। तब भारत भी शोषणके लिए छेडे जानेवाले ब्रिटेनके युद्धोका एक बेबस भागीदार नही रह जायेगा, तब उसका स्वर एक ऐसे शक्तिसम्पन्न देशका स्वर होगा जो ससारकी सभी हिंसक शक्तियोको सयत बनानेकी कोशिशमे लगा होगा।

यह सभी कल्पनाशील विचार कभी फलित हो या न हो, पर मै तो अपने जीवनकी बाजी लगा चुका हूँ। मै किसी भी परिस्थितिमे कभी भी ब्रिटेनके युद्धोमे हाथ नही बँटा सकता, और मै इन पृष्ठोमे पहले लिख ही चुका हूँ कि यदि भारतने हिंसापूर्ण उपायोसे स्वतत्रता हासिल की (जिसे मै तथाकथित स्वतत्रता ही कहूँगा), तो मुझे इस देशपर गर्व नही रह जायेगा, उस समय मै नागरिककी हैसियतसे अपनेको मृत मानूँगा। इसलिए शोषणकी खातिर भारत द्वारा छेडे गये किसी भी युद्धमे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे मेरे भाग लेनेका कभी कोई प्रश्न ही नही उठ सकता।

परन्तु मै इन पृष्ठोमे पहले भी बतला चुका हूँ कि पाश्चात्य देशोमे युद्धका प्रतिरोध करनेवाले मेरे सहयोगी तो शान्तिकालमे भी युद्धमे हाथ बँटा रहे है, सो इस रूपमे कि वे युद्धके लिए की जानेवाली तैयारियोके लिए धन दे रहे है और दूसरी तरह भी उन सरकारोको बल पहुँचा रहे है जिनका मुख्य पेशा युद्धकी तैयारी करना ही है। मै फिर कहूँगा कि जबतक युद्धके मूल कारणोको नही समझा जाता और उनका सख्तीसे इलाज नही किया जाता, उनको सख्तीसे दूर नही किया जाता, तब तक युद्धकी कपाल-क्रिया करनेके सभी प्रयास निष्फल सिद्ध होते रहेगे। क्या आधुनिक युद्धोका सबसे बडा और मूल कारण यही नही है कि सभी सबल देश इस धरती पर बसनेवाली अपेक्षाकृत निर्बल जातियोके शोषणके लिए एक अमानवीय होडमे लगे हुए है?

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ९-५-१९२९

३४३. पत्र : छगनलाल जोशीको

९ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

चोरीके बारेमे तुम्हारा पत्र मिला। जो चोर बहनोकी खाटके नीचेसे कुछ ले गया, उसने बहनोको नुकसान पहुँचाया होगा ऐसा माननेका कोई कारण नही है। यह कोई एक ही आदमी है जो हमारी जगहको अच्छी तरह जानता है और ऐसी फुटकर चीजें चुरा कर सन्तोष कर लेनेवाला भी है। मौका लगे तो सब-कुछ उठाकर ले जाये। उसे हमारा डर नही रहा। जबतक हमारे बीच किसी-न-किसी तरहका दुराव-छुपाव रहेगा, तबतक ऐसी चोरियाँ होती रहेगी। कृत्रिमताके सहारे हम अपने बीचसे चोरीका भाव निकाल नही सकते। इसलिए हम चौकीदार आदिका प्रबन्ध करके इससे जितना बच सकें, उतना बचकर मनको स्वस्थ रखे। प्रसंग आनेपर हमें दिनमें सोकर रातको जाग सकना चाहिए और इसपर स्वास्थ्य भी ठीक रहे। बहनें डर तो नही गईं?

मेरे बारेमें स्वप्न आया; उसका कुछ अर्थ नही है। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और अब तो बहुत कम दिन बाकी रह गये हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४१५) की फोटो-नकलसे।

३४४. भाषण : सार्वजनिक सभा, पोलावरम्में

९ मई, १९२९

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इस सुदूरवर्ती पहाडी इलाकेमें आ पाया हूँ, जहाँ हिन्दुस्तानके कार्यकर्त्ता आसानीसे नही पहुँच पाते। हालात बदल जानेके कारण, मेरा यहाँ पहुँच पाना कठिन हो गया था। मैंने सुना है कि मुझे (पुरुषोत्तापटनममें) नदीके पार लानेको तैयार होनेवाले नाविकको पुलिसने धमकाया था जिससे उसने नावपर आनेसे मना कर दिया था, लेकिन पुलिसकी धमकियो और तग करनेके बावजूद वाष्प-चालित नौकाके मालिक श्री चुरुकुवाडा रामस्वामीने मुझे यहाँ लानेकी कृपा की। मनुष्यो द्वारा संचालित सरकार और उसके कारिन्दे दोनो मिलकर अनेक प्रकारकी बाधाएँ उत्पन्न करनेके अनेक तरीके निकाल सकते है, लेकिन समस्त ससारका संचालन करनेवाला, ब्रह्माडका स्वामी उनको नाकाम कर देता है। यदि ईश्वरका वरद-हस्त हमारे सिरपर हो, तो सब ठीक हो जाता है। मुझे इसका पूरा भरोसा है। ईश्वर नही चाहता कि हम लम्बे कालतक कष्ट पाते रहें। मेरा बहुत पक्का

विश्वास है कि शीघ्र ही हम सब सुखी हो जायेंगे। मै चाहता हूँ कि आप इससे सबक हासिल करें। आपको किसी भी मनुष्यसे डरने या भय खानेकी कोई जरूरत नही। ईश्वरके अतिरिक्त किसीसे भय मत खाइए। पुलिस कर ही क्या सकती है? आखिर उनकी ताकतका इस्तेमाल हमारी देहपर ही तो हो सकता है, आत्मापर तो नही। वे हमारे खिलाफ जो-कुछ भी कर सकते है, उससे उत्तेजित होकर हमे बदला लेनेकी बात नही सोचनी चाहिए। रामकी कथा बतलाती है कि रामने रावणका बुरा नही किया। रावणने खुद ही अपने दुष्कर्मोसे अपनी बर्बादी बुलाई थी। आपको जिस चीजकी जरूरत है, वह है निर्भीकता, लेकिन आपको अपने मनमे किसीके प्रति दुर्भाव या प्रतिशोधकी भावना पनपने नही देनी चाहिए। आपकी आत्मा शुद्ध, शरीर और मन निर्मल रहना चाहिए। आपको ताड़ी आदिसे दूर रहना चाहिए। यदि आपको लगे कि आपकी आय दिन-दिन घटती जा रही है तो आपको चरखा चालू करना चाहिए।

आप हिन्दू हो या मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई, सबको भाईचारेसे रहना चाहिए। मै आपसे यही कहने यहाँ आया हूँ। आप इन बातोको याद रखिए। यदि हम दूसरोसे भय खायें, तो हम कुछ भी नही कर सकते और हमारा जीना व्यर्थ है। ईश्वरकी इस सृष्टिमे ऊँच और नीचका कोई भेद नही। ईश्वरने सबको बराबर बनाया है। यहाँसे थोड़े ही फासलेपर डा० सुब्रह्मन्यम द्वारा सस्थापित एक सत्याग्रह आश्रम है। मैने सुना है कि यहाँ पोलावरम्मे एक दूसरा आश्रम स्वराज्य आश्रम भी है। आप सब इन दोनो आश्रमोका लाभ उठा सकते है। इनमे लडकोको शिक्षित किया जाता है और कताई तथा अन्य काम और अच्छी आदते सिखाई जाती है। इन सस्थाओंकी सहायता करके भारतके सपूत बनिए।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-५-१९२९

३४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

कावली
१० मई, १९२९

प्रिय जवाहर,

कमला और कृष्णा, इन दोनोपर रोगके जिस भयकर आक्रमणका तुमने विवरण दिया है, उसका तुम्हारे दिमागपर कितना बोझ होगा। मेरा खयाल है कि इन घरेलू संकटोको भी राष्ट्रीय अनुशासनका ही एक अंग मानकर लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि कृष्णाको आपरेशनकी जरूरत नही है।

तुम्हें शायद पता न हो कि आन्ध्र देश अपने प्राकृतिक चिकित्सकोके लिए प्रख्यात है और उनमेंसे कुछ तो सचमुच बहादुर मनुष्य है, बहादुर इस अर्थमें कि वे कीमतकी

परवाह किये बिना अपनी खोज अनवरत जारी रख रहे है। जहाँ अन्य सभी उपाय विफल हुए है, ऐसे बहुतसे मामलोमें यह इलाज सफल हुआ है, और इसका गुण यह है कि यह अत्यन्त सादा इलाज है और जिन मामलोमे लाभ नही होता उनमें भी इससे कोई हानि नही पहुँचती। मै चाहूँगा कि तुम अपना ध्यान इस चिकित्साकी ओर दो। बेशक, इस पद्धतिमें आहार-सयमका बहुत ज्यादा महत्त्व है; और जिन मामलोमे रोगी लोग आहार-संयम नही बरतते उनमे इलाज व्यर्थ हो जाता है।

मै मान रहा हूँ कि अ० भा० काग्रेस कमेटीकी बैठक स्थगित करनेकी बगालकी इच्छाके बावजूद उसकी बैठक सूचित की गई तारीखको ही होगी।

अल्मोड़ाके सम्बन्धमे तुम्हारा तार मिला। मै १० जूनके बाद आश्रमसे निकलनेकी आशा करता हूँ ताकि १५ तारीखको अल्मोडा पहुँच जाऊँ।

हाँ, सयुक्त प्रान्त और पजाब और दिल्लीके दौरेके लिए तुम मुझे पूरे सितम्बर और अक्टूबरके लिए ले सकते हो, बशर्ते कि अक्टूबरकी भी आवश्यकता हो। इलाहाबाद नगरपालिकाके बारेमें तुम्ही निर्णय कर लेना। अभिनन्दनपत्रोसे मेरा जी भर गया है। इसलिए इसमे कोई राजनीतिक या कोई अन्य लाभ होनेकी सम्भावना हो तो तुम उसे मेरी तरफसे स्वीकार कर लेना। यदि मुझे नगरपालिकासे कोई पत्र मिला भी है तो उसकी मुझे सुध नही है।

आन्ध्र प्रान्तीय काग्रेस कमेटीने इस आधारपर जूनतक समय बढानेका अनुरोध किया है कि अधिकाश काग्रेस कार्यकर्त्ता अपने-अपने जिलोमें दौरेकी तैयारियोमें लगे है और इसलिए मै जो सूचनाएँ चाहता हूँ उन्हे भेजनेमे असमर्थ है। यह तथ्य स्वयमे उस अराजकताका प्रमाण है जो हमारे अपने घरमे फैली हुई है, क्योकि जो चीज मै सारे आन्ध्रमे देखता हूँ वह लगभग अन्य सभी प्रान्तोके मामलेमे भी सही है।

मुझे उत्कलसे कोई भी सन्तोषजनक परिणाम नही मिल सका है।

तमिलनाड (प्रान्तीय काग्रेस कमेटी)के मन्त्री इतवारको मुझसे नेल्लोरमे आकर मिलेंगे ऐसी आशा है।

बंगाल प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके हिसाबकी परीक्षाके लिए मैने रामजीभाईके बजाय घनश्यामदास बिडलाको एक प्रसिद्ध लेखा-परीक्षक ढूँढनेको कहा है।[1]

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९२९।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र: घनश्यामदास बिड़लाको", ८-५-१९२९।

३४६. महादेव देसाईको लिखे पत्रका अंश

शुक्रवार, १० मई, १९२९

आश्रमके विषयमे तुम्हे जो प्रस्ताव पेश करने हो या फेरफार करने हो उन्हे साहसपूर्वक पेश करो। मैं भी आश्रम चलानेमें यही बात करता रहा हूँ न? जिन्हे काम सौपता हूँ, उन्हे अपनी शक्ति और इच्छाके अनुसार काम करने देता हूँ और उनके काममे दखल नही देता। इस प्रकार आश्रमके रूपमे हम विशुद्ध 'डेमोक्रेसी' (प्रजातन्त्र)का प्रयोग कर रहे हैं। यह बहुत जल्दीमे लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो-७ : श्री छगनलाल जोशीने

३४७. भाषण: सार्वजनिक सभा, बुचिरेड्डीपालममे[1]

१० मई, १९२९

मुझे सूचना मिली थी कि बुचिरेड्डीपालम पूरे आन्ध्र देशमे सबसे अधिक समृद्ध नगर है। सरकारकी भाँति मेरे भी अपने गुप्तचर हैं। (हँसी) सरकारके सद्‌गुणोका, —यदि उसमे सचमुच कोई सद्‌गुण है—मैं चाहे अनुसरण न भी कर पाऊँ पर इस मामलेमें कमसे-कम उसकी बुराइयोको तो अपना ही सकता हूँ। मेरे गुप्तचरोने मुझे पूरा यकीन दिला दिया है कि इस नगरसे मुझे कमसे-कम दस हजार रुपये मिलने ही चाहिए। अतः आप लोगोको बकाया राशि भर देनी चाहिए। मैं तो भारतके करोडो भिखमगोकी ओरसे एक भिक्षुक ही हूँ और मैं उस दरिद्रनारायणके लिए भिक्षा माँगता फिर रहा हूँ जो तबतक सन्तुष्ट नही होगा जबतक आप अपनी शक्तिभर दान नही देंगे। मैं १९२१ मे नेल्लोर आया था और आप सब लोगोको शायद दक्षिणा-मूर्ति हनुमन्त राव नामक व्यक्तिका स्मरण होगा, जो मेरे लिए पुत्रवत् था और जिसके प्रयासके फलस्वरूप ही पल्लिपाडका सत्याग्रह आश्रम शुरू किया गया था। उसने अपना सारा जीवन इसीके लिए उत्सर्ग कर दिया। मैंने स्वय अपनी आँखोसे देखा है। मैं इस बातका गवाह हूँ कि उसने पल्लिपाडमे अस्पृश्यताकी समस्याके हलके सिलसिलेमे वहाँ सत्याग्रह किया था। मैंने अबतक श्री सी० वी० कृष्णके अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्तिको आश्रममे दिलचस्पी लेते और उसके लिए लगातार काम करते नही देखा। मेरी बड़ी कामना है कि हनुमन्त राव द्वारा शुरू की गई संस्थाको

१. सभामें गांधीजीको सात हजार रुपयोंकी थैली भेंट की गई थी।

चालू रखा जाये। इसके लिए कार्यकर्त्ता दरकार हैं। इसलिए आप लोगोमे से ही कुछको कार्यकर्त्ताओके रूपमे आगे आकर आश्रममे शामिल होना और उसके कामको आगे बढ़ाना चाहिए।

आप महिलाओसे मेरा अनुरोध है कि आप इस देशमें रामराज्य लानेमे सहायता दे। आप जानती ही है कि आप जबतक सीताकी तरह आचरण नही करेगी तबतक आप देशकी आवश्यकताकी पूर्ति नही कर पायेगी। आपके पति और आपकी मातृभूमि स्वतन्त्र नही है, इसलिए आपके आभूषण हीरे-जवाहरात नही है। स्त्रीका आभूषण, उसकी शोभा तो उसके हृदयकी पवित्रता ही है, आपका आभूषण तो मातृभूमिके प्रति आपका प्रेम ही हो सकता है। इसलिए अपने हृदय पवित्र रखिए और अपनी भूखसे मरती बहनो तथा भाइयोकी खातिर अपने जेवरात त्याग कर उनके लिए काम जुटाइए।

आपके यहाँके सघ द्वारा मुझे भेंट किये गये मानपत्रसे मुझे मालूम हुआ है कि आप अपनी सडकोको साफ-सुथरी और अच्छी हालतमें रखते हैं। यदि यह सच है, तो मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। लालाजी-स्मारक और खादी-कोषके लिए भेंट की गई आपकी थैलियोके लिए मैं आपका बडा आभारी हूँ। मुझे आशा है कि इस नगरसे मेरे प्रस्थान करनेके समयतक आप थैलीकी राशिको दस हजारतक पहुँचा देगे।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-५-१९२९

३४८. भाषण : कावलीकी सार्वजनिक सभामें

१० मई, १९२९

आपकी थैली और मानपत्र और वस्त्रोकी भेंट पाकर मुझे बडी खुशी हुई है। भेंटमें दिये हुए ये वस्त्र बडे ही उत्तम है। ये सब दरिद्रनारायणके लिए ही दिये गये है। आप तो जानते ही है कि मैं इन वस्त्रोको स्वय नही पहन सकता। इसीलिए मैं इनकी बिक्री करके दरिद्रनारायणके लिए जितना भी धन जमा कर सकता हूँ, करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आप काफी महीन वस्त्र बुन सकते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप विदेशी वस्त्रोको त्याग दे और स्वदेशीको अपना ले। आपके ताल्लुका-मडलको खद्दरका प्रचार करनेका प्रयास करना चाहिए। मानपत्रमे कहा गया है कि उसके उत्पादनके लिए कोशिश की जा रही है। यदि आप डटकर कोशिश करे तो इसमें कोई कठिनाई नही पड़ेगी। आपको शराबखोरीकी बुराई दूर करनी चाहिए। हिन्दुओ, मुसलमानो और ईसाइयो — सभीको कंधे-से-कधा मिलाकर काम करना चाहिए, क्योकि मातृभूमिकी सेवामे जाति-भेद कोई अर्थ नही रखता। अस्पृश्यताको भी उखाड फेंकना चाहिए। यह हिन्दू-धर्मका कलंक है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १४-५-१९२९

३४९. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

[१० मई, १९२९ के पश्चात्][1]

भाईश्री माधवजी,

तुम्हारा १० तारीखका पत्र मिल गया है।

सोडा नीबूके साथ ही लिया जा सके, ऐसी कोई बात नही है। सोडा और नीबू एक साथ लेनेका सुझाव इस कारणसे दिया था कि उससे अन्न पचानेवाला पेय पदार्थ प्राप्त हो जाता है; किन्तु अम्ल पदार्थ चूँकि तुम्हे माफिक नही आता इससे नीबू अलग लेनेका सुझाव दिया है। फिर भी शाकके साथ नीबू जरूर ले सकते हो और सोडा अलगसे पानीमे मिलाकर ले सकते हो।

हापुस आमका सुझाव भी खटाईसे बचनेकी खातिर दिया है। लँगड़ा ले सकते हो। इस समय एक या दो आम लेनेसे कोई हानि नही होगी। प्रयोग करना चाहो तो करके देखो।

मक्खन दो-एक सप्ताह न लेना ही अच्छा है। मक्खन अच्छी डेरीका हो या घरमें निकाला हुआ हो तो दोनोमे अन्तर नही होता, होना नही चाहिए। घरमे निकाले हुए मक्खनमे खटास हो तो उस हदतक वह सदोष माना जायेगा।

तुम्हे आजकल नीद आती है, इतना ही काफी है।

मक्खन रोटीके साथ खाया जा सकता है; दूधमे डालकर भी लिया जा सकता है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७८३) की फोटो-नकलसे।

३५०. पत्र : मीराबहनको

११ मई, १९२९

चि० मीरा,

मै आबादीसे दूरके एक स्थानमे पखेके नीचे हूँ। परन्तु हवा गरम चल रही है, और हमें ८० मीलकी यात्रापर साढे ५ बजे रवाना हो जाना है। इमाम साहबके स्वास्थ्यने लगभग जवाब दे दिया है। वह किसी तरह अपनेको खीचे चल रहे है। प्रभावतीपर भी गरमीका प्रभाव हो रहा है। मै प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन आखिरी दस दिनोमें हम टिके रहे। आशा है रुके रहनेके आघातके असरसे अब तुम

[1] १. यह माधवजीके १० मई, १९२९ के पत्रके उत्तरमें लिखा गया था।

मुक्त हो गई होगी। बम्बईका मिलन और भी सुखद होगा। मैं खुद बहुत अच्छी हालतमें हूँ, क्योंकि मुझे जो जरूरत होती है उसे पूरी करनेका आग्रह रखता हूँ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३७४) से।
सौजन्य : मीराबहन

३५१. पत्र : छगनलाल जोशीको

११ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

यह पत्र नेल्लोरसे दूर एक स्टेशनसे लिख रहा हूँ। तुम्हारा ७ तारीखका पत्र मेरे सामने है।

आश्रमवासियोकी बैठक करना ठीक लगे तो जरूर बैठक कर लो। मैं वहाँ २८ मईसे लेकर १० जूनतक तो रहूँगा ही; ऐसा मैंने सोचा है। इस बीच तुम विचार कर जो तारीख निश्चित करना चाहो कर लेना। किन्तु इस समय बैठक बुलानेकी योग्यताका विचार भी कर लेना। तुम कार्यकर्त्तागण किस स्थितिमें हो और क्या चाहते हो, असली बात तो इसका विचार करना है। इसमें तुम्हारी मदद कौन कर सकता है? किन्तु जो तुम सबको अच्छा लगे वही करना।

भगवानदास पागल है, यह मैं कबका जानता हूँ, और कभी-कभी उसे कुछ लिख भी देता हूँ।

रामाश्रमके १२५ रुपयोके बारेमें जैसा तुमने लिखा है वैसा करना।

फिलहाल जगजीवनदासको यही लिखना कि यह पैसा हाथ नही आया। तुम रेवाशंकरसे पूछ लेना कि उसका क्या हुआ है।

रणछोडभाईकी मिलमें दूध जाने लगा है, यह तो बहुत अच्छा हुआ।

साखी गोपालको मैंने अपने पास रख लिया है। इसके बारेमें तार कर दिया है। सब कुछ ठीक लगे तो मरम्मतके लिए पैसा भेजनेके लिए वल्लभभाईको लिखूँगा। विधवाओके लिए उन्होंने जितना पैसा माँगा है, उतना भेज देना। जगन्नाथ रथका पत्र वापस भेज रहा हूँ। खादीका विवरण वहाँ देख लेना और मेरे लिए उसपर टीका तैयार करनी हो तो मेरे लौटनेसे पहले उसे तैयार कर रखना। कोई जानकार ही उसपर टीका तैयार करे।

महादेव रोजमर्राके काम करता है, इससे उसकी शक्ति क्षीण होनेका तनिक भी भय नही है। ये काम उससे कराये जाते हैं, इससे तो उसकी शक्ति बढ़ी ही है। रोजमर्राके कामोसे विचारोंमें दृढ़ता और स्पष्टता आदि आ जाती है। जो केवल

विचार करे और उसपर अमल न करे उसकी भाषामें सच्चा जोर नही हो सकता। इसका उदाहरण इन्दौरके टिकेकरका चरखा सम्बन्धी लेख है। इसके बारेमें न मालूम हो तो मुझसे पूछना। जानने योग्य वस्तु है।

प्रेमराजको जबलपुर जानेके लिए लिखकर ठीक ही किया।

राधाको भेजनेसे पहले मथुरादाससे पूछ लिया होगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४१६) की फोटो-नकलसे।

३५२ पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

११ मई, १९२९

भाई घनश्यामदासजी,

लालाजी स्मारकके बारेमें आपके तरफसे पत्र आया है। लाल जसवतरायके पैसे हालके ही लीये होगे। इस बारेमें जितने पैसे आये है सोसायटीको भेजना उचित समजता हु। और तो इस बारेमें लीखनेका नहि है।

इस बखत मैं खोराकका एक प्रयोग कर रहा हुं। इसको तीन ही दिन हुए है इसलीये कुछ कह नहि सकता। परतु एक सज्जन मीला है जिसने कहा है यह प्रयोग बहोत सफल होता है। इसका रहस्य तो यह है की सब खोराक बगैर पकाया हुआ खाना चाहीये।

सीतारामजीका खत मुझे मीला था। उत्तर दीया है।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१६८ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

३५३. पत्र : गंगादेवी सनाढ्यको

११ मई, १९२९

चि० गंगादेवी,

तुमारा और तोतारामजीका खत मीला है। तोतारामजीकी आते अच्छी हो गई वह बहोत ठीक हुआ। अब बिगड़ने न दें। सूर्य स्नानको कमी न छोड़ो। मुझे तो विश्वास है कि तुमारा दर्द प्राकृतिक उपायसे हि मीट सकता है मीटे नहिं तो अंकुशमे रह सकता है; दवाईयोसे कमी नहिं। तुमारा खाना तो ठीक सादा ही होना चाहीये, ज्यादा भी नहिं। शारीरिक परिश्रम बहोत कम उठाना।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २५४६ की फोटो-नकलसे।

३५४. विदेशीकी व्याख्या

एक सज्जन पूछते है :

हम सभी विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार करें या कुछ एकका?

यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसका उत्तर भी मैं कई बार दे चुका हूँ। फिर भी यह प्रश्न सिर्फ एक ही सज्जनने नही पूछा है। इस सफरमें, मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ लोग हर जगह यही प्रश्न करते है।

मेरे विचारमें, जिस चीजका आग्रहपूर्वक, अचूक और कष्ट सहकर भी त्याग करना उचित है, वह तो केवल सभी प्रकारके विदेशी वस्त्रोका त्याग ही है। यह बहिष्कार खादी द्वारा ही हो सकता है और यही उचित भी है।

प्रत्येक विदेशी चीजका त्याग करना असम्भव है, अयोग्य है। स्वदेशी और विदेशीके बीचका भेद न तो स्थायी है और न सब चीजोके विषयमें उसका पूरा-पूरा पालन किया जा सकता है। खादीका स्वदेशीपन परिस्थिति सापेक्ष है। अगर भारतमें जलप्रलय हो जाये, वह एक द्वीप-मात्र रह जाये, उसमें थोडे ही लोग बच रहे, पृथ्वी पर एक भी पेड न रहे तो ऐसे समय उस द्वीपमें रहनेवालोका स्वदेशी धर्म यही है कि लोग उन्हे जो कपड़े पहननेको दें, वे उन्हे पहने और समुद्रपारसे कोई उदारचित्त आदमी जो अन्न भेजें, उसे खायें। यह तो मैंने एक आत्यन्तिक दृष्टान्त दिया।

अब हमें यह विचार करना है कि इस समय हमारा स्वदेशी धर्म क्या है। देशमें आजकल विदेशोसे ऐसी अनेक चीजें आती है, जिन्हे हम काममें लाते है, जो हमपर जबर्दस्ती नही लादी जाती, जो हमारे निर्वाहके लिए जरूरी है। मसलन, अनेक विदेशी औषधियाँ, आलपीनें, सुइयाँ, कई तरहके उपयोगी औजार वगैरा।

लेकिन जो लोग खादी पहनते हुए भी दूसरी सब विदेशी चीजें खरीदनेमें बडप्पन मानते है अथवा ऐसा करते हुए जिन्हे सकोच नही होता, वे खादीके रहस्यको नही जानते। खादीका रहस्य तो यह है कि जो चीज इस देशमे सहज ही बन सकती है और बनती भी है, जिससे गरीबोका पेट पलता है, उस स्वदेशी चीजका उपयोग करना हमारा धर्म, और उसे छोड़कर उसकी जगह इच्छापूर्वक विदेशी चीजका उपयोग करना अधर्म है।

जिसे देशके प्रति सच्ची लगन है, जो गरीबोसे प्रेम करता है, वह अपने कामकी तमाम चीजोके बारेमे विचार करेगा और जहाँ-जहाँ अपने भोगके लिए अबतक अधिक सुन्दर प्रतीत होनेवाली विदेशी चीजोको काममे लाता आया है, अबसे आगे उनकी जगह देशी चीजोका उपयोग करेगा।

इस सफरमें ही मैं देखता हूँ कि लोग मेरे उपयोगके लिए विदेशी साबुन खरीदते है। मद्रास, मैसूर, बम्बई, बंगाल, और दूसरी कई जगहोमें बनाये जानेवाले साबुनोमें से कोई भी साबुन मेरे लिए नही खरीदते। खूबी यह है कि यह विदेशी साबुन खरीदकर लानेवाले सज्जन खादीधारी होते हैं। आजकल केवल प्रचारको ध्यानमें रखकर मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ खादीधारी नाई बुलवाता हूँ। ऐसे नाईके मिलनेमें थोडी कठिनाई होती है। लेकिन उसके पास भी बहुत-कुछ सामान विदेशी ही होता है; विदेशी उस्तरा, विदेशी ब्रुश, विदेशी साबुन और विदेशी आईना इत्यादि, और यह सारा विदेशी सामान विदेशी पेटीमें ही सजाया हुआ! इसलिए मुझे खादीधारी नाईको अपना मामूली साज-सामान देना पडता है और उसे स्वदेशी धर्म समझाना पडता है। मै अपने ऐसे कई अनुभव यहाँ लिख सकता हूँ। आजकल हमारे देशमे स्याही, पेन्सिल आदि चीजें बनती है। विचारवान लोग ऐसी चीजोकी खोज करे और जहाँतक हो सके देशमें बनी हुई चीजें ही काममें लाये। लोगोके इस कथनमे सार हो सकता है कि देशमें बनी हुई सब चीजे अच्छी नही होती। लेकिन ऐसा कोई धर्म नही, जिसके पालनमे कठिनाई न होती हो। जिस कामके करनेमें कठिनाई न होती हो उसके पालनकी कीमत ही क्या हो सकती है? जब समझदार आदमी इच्छापूर्वक, कष्ट सहन करके भी स्वदेशी वस्तुका उपयोग करेगे तभी वे ऐसी कठिनाइयोको दूर करा सकेगे। मै देशी साबुनका उपयोग करूँ, उसमे दोष देखूँ, और उसके बनानेवालेका ध्यान उस ओर खीचूँ तो सम्भव है कि वह उस दोषको दूर करनेका प्रयत्न करे। इसी तरह चीजोकी बनावट और उनके आकार-प्रकारमे सुधार हुए हैं और होते है।

यहाँ एक बातपर विचार कर लेना जरूरी है। विदेशीसे मतलब अंग्रेजीका है या हिन्दुस्तानसे बाहरकी सब चीजोका? मुझे मालूम है कि देशमे इस बारेमें मतभेद है। इस समय मैं इस प्रश्नपर अहिंसाकी दृष्टिसे चर्चा करना नही चाहता। मैं तो व्यावहारिक दृष्टिसे ही विचार करना चाहता हूँ। जिस कामको हम न कर सकते हैं, न कर सकेगे उसे करनेकी धमकी देना अपनी कमजोरीका प्रदर्शन करना है। मेरे विचारमे हम कई अंग्रेजी वस्तुओंका उपयोग अनिच्छासे ही क्यो न हो, लेकिन करते है। जो सज्जन हिन्दुस्तानके आयातके आँकड़े पढ़ेगे उन्हे मालूम होगा कि सरकार

करोड़ोंका अंग्रेजी माल खुद ही इस देशमें लाती है और हम उसका उपयोग भी करते हैं। मसलन, रेलकी पटरियाँ और रेलगाड़ीका बहुत-सा दूसरा सामान। अंग्रेजी पुस्तकोंका उपयोग तो हम स्वेच्छासे करते ही हैं। व्यवहार-दृष्टिसे दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी और विदेशीका भेद करनेपर सम्भव है कि दूसरी विदेशी चीजोंके नाम पर अंग्रेजी चीजोंका उपयोग होने लगे। पहले यह हो चुका है, अब भी हो सकता है। अंग्रेजी पेन्सिल पर 'आस्ट्रियामें बनी हुई' लिखनेसे अंग्रेज बनानेवालेको कौन रोक सकता है, अंग्रेजी छाप फाड़कर कई देशद्रोही बजाजोंने विलायती धोतियाँ स्वदेशी-के नामपर बेची हैं। जापानके रास्ते अंग्रेजी कपड़ेको जापानी नामसे आते हुए कौन रोकेगा? तीसरे, अंग्रेजी वस्तुओंको छोड़कर दूसरी विदेशी चीजोंको देशमें आने देनेसे हम देशका कोई लाभ न कर सकेंगे। और आखिर इस दूसरे विदेशी मालके बहिष्कारका नये सिरेसे प्रयास करना पड़ेगा और फिर वह मुश्किल भी हो जायेगा। हमारा उद्देश्य स्वराज्य है, स्वतन्त्रता है। अंग्रेजी राज्यसे मुक्त होनेके बाद हम किसी दूसरे राज्यकी अधीनता नहीं चाहते। यों सब तरह विचार करनेपर व्यवहार-दृष्टिसे कोई एक निश्चय करना ही उचित मालूम होता है।

शुद्ध खादी शुद्ध स्वदेशी है, जो इस धर्मको समझता है वह अपनी दूसरी जरूरतें भी देशमें बनी हुई चीजोंसे पूरी कर लेगा, और जो चीजें देशमें न बनती होंगी उनमेंसे अनावश्यक चीजोंको काममें लाना छोड़ देगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १२-५-१९२९

३५५. पत्र : मीराबहनको

नेल्लोर
१३ मई, १९२९

चि० मीरा,

मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास जो ब्योरेवार कार्यक्रम भेजा गया था, वह तुम्हें जरूर मिल गया होगा। आज तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया। आशा है विद्यापीठमें तुम्हारे पास खूब मनोनुकूल कार्य होगा।

द लिग्टकी दूसरी खुली चिट्ठी 'यंग इंडिया' में छप चुकी है। उसके उत्तरमें लिखे मेरे लेखपर[1] तुम्हारी आलोचना जानना चाहता हूँ। मैंने अपने खानेमें परिवर्तन किया है। उसका वर्णन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हम जल्दी ही मिलेंगे। यह परिवर्तन मैंने केवल प्रयोगके तौरपर इसलिए किया है कि वह मुझे पसन्द है और

१. देखिए "एक पेचीदा समस्या", ९-५-१९२९।

मुझे ऐसा आदमी मिल गया है जिसे इस चीजका पूरा ज्ञान है। अलबत्ता, इसमें कोई चिन्ता करनेकी बात नहीं है। अगर यह मुझे माफिक नहीं आया तो छोड़ दूँगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३७५) से।
सौजन्य : मीराबहन

३५६. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

नेल्लोर
मौनवार, १३ मई, १९२९

बहनो,

अब हमारे मिलनेमें थोड़े ही दिन बचे हैं। वहाँकी तरह यहाँ भी गरमी बढ़ती जा रही है। वैसे, मुझे तो बहुत नहीं मालूम होती। तुम प्रार्थना वर्गको, बाल मन्दिरको और पाठशालाको आग्रहपूर्वक चला रही हो, इसमें कल्याण दिखाई देता है। ये सब अपूर्ण हैं, सदा ही अपूर्ण रहेंगे। मगर हम जागृत रहकर उनमें सुधार करते रहे तो काफी है। उन्हें टूटने न दें तो इसीमें कुछ-न-कुछ सुधार हो जाता है। बहनोंकी प्रार्थनाके श्लोक सब बहनोंको ठीक अर्थ सहित सीख लेने चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६९८)की फोटो-नकलसे।

३५७. पत्र : छगनलाल जोशीको

मौनवार, १३ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारे ६, ८ और ९ के तीन पत्र इकट्ठे हो गये हैं। अच्छा किया जो प्रार्थना और भोजनका समय बदल दिया। इसमें कुछ बुराई नहीं।

लेडी रामनाथनको रुपयोंके पहुँचनेकी सूचना तो दे ही दी होगी। यह रकम अभी तिरुच्चेनगोडु नहीं भिजवाई? 'यंग इंडिया'में उसकी स्वीकृति नहीं दी?

फ्रांससे जो रुपया आता है वह किसी भाईका नहीं, बहनका है। वही मीराबेल जो हमारे यहाँ एक महीना रह गई थी — यह उसीका भेजा हुआ है।

शिवाभाई स्वस्थ हो गये होंगे।

तुम्हे 'गीता' जबानी याद रखनेका आग्रह करनेकी जरूरत नही है। 'गीता' विद्यार्थियोको ही कण्ठस्थ करनी चाहिए। हम सबको शुद्ध पढना तो अवश्य आना चाहिए।

सबेरेका नाश्ता छोड़ देना कोई त्याग नही है। सिर्फ मुसाफिरीके दौरान ऐसा करना जरूरी हो गया था। सुबह-शाम सैर करने नही जाता — यह भी लाचारी है। 'गीता' पढानेके लिए मैंने कोई अलग समय निश्चित नही किया है। मेरा उत्साह ही सुविधा ढूँढ लेता है। वहाँ कातनेका समय आश्रमवासियोके साथ बातचीतमें बिताता था। यहाँ पहलेका आधा घटा प्रभावतीको देता हूँ, दोपहरका काम करने-वालोको। प्रार्थनाके समय सबके एक साथ बोलनेके बजाय बारी-बारीसे एक व्यक्ति रोज श्लोकोंका पाठ करता है; और जिसकी बारी होती है उसका उच्चारण सुधारते हैं। इस तरह बहुत कुछ सुधार हो सका है। अभीतक भूले होती तो है, किन्तु कम होती जा रही हैं। इनमे किसी भी बातसे मेरे दिमाग या समयपर बोझ नही पड़ता और मनकी शान्ति बढ़ती है। सीखनेवालेको भी यह बात पसन्द आती है और उसे बोझका अनुभव नही होता।

रगूनके पैसेके बारेमें तो अब वहाँ पहुँचकर ही लिख सकूँगा, ऐसा लगता है।

क्या तुम रोकडबही (कैशबुक) रोज देखते हो? उसमें रोज हस्ताक्षर करते हो? रसीदें (वाउचर) रोज देखते हो? ऐसा न करते हो तो अब जरूर शुरू कर देना। कोई भी क्यों न देखता हो, यह नियम अवश्य लागू करना।

लगता है सीतलासहाय काममे ठीक जुट गया है। मुझे २३ की सुबह पहुँचना था; उसके बदले २२ की रात बम्बई पहुँचूँगा। आशा है आश्रम २८ से पहले पहुँच सकूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४१७)की फोटो-नकलसे।

३५८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

नेल्लोर
मौनवार, १३ मई, १९२९

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। हिज्जे चाहे जैसे हो तो भी पत्र लिखनेमे सकोच नही करना चाहिए। हिज्जे गलत हो जाये तो इसमे तुम्हारे लिए शर्मकी कोई बात नही है। यदि इस काममे भी काफी समय लगाया जाये तो उनमे कोई कमी न रहे। किन्तु इस कामके लिए इस प्रकार समय नही दिया जा सकता। इसलिए जो हो सके वही करो। महत्त्व विचारका है, व्याकरणका नही।

काकूके पिताका[1] निबटारा तो करना ही है। किन्तु अपना स्वास्थ्य भी सुधारना। मैत्रीको भी लाभ होगा।

१. दामोदर सरैया; गंगाबहनके दामाद।

मैं तो यह मानता ही हूँ कि बालिकाओंको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इस विषयमें बात करेंगे। अब बहुत दिनोंका वियोग नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो-६: गं स्व० गंगाबहेनने

३५९. एक पत्रका अंश[1]

नेल्लोर
१३ मई, १९२९

नये बनाये गये कार्यक्रमके अनुसार मैं २२ की रात बम्बई पहुँचूंगा। इसमें और पुराने कार्यक्रममें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७८२)की फोटो-नकलसे।

३६०. पत्र: महादेव देसाईको

१४ मई, १९२९

चि० महादेव,

यह मंगलवारको प्रार्थनासे पहले ३-३० बजे लिख रहा हूँ। ६ बजे रवाना होना है और जहाँ जाकर रहना है वहाँ डाककी क्या गति होगी इसकी कुछ खबर नहीं है।

उनाईके विषयमें (खादी प्रवृत्ति और मद्यपान सम्बन्धी) तुम्हारे लेखका सार 'यंग इंडिया' में छपना चाहिए। आजकल 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' के बीच कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह देख रहे हो न? उसका कारण यही है कि तुम और मैं अलग-अलग जगहपर हैं और काममें लगे हुए हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४३४)की फोटो-नकलसे।

१. पत्र किसे लिखा गया था, यह अज्ञात है।

३६१. पत्र : मीराबहनको

१४ मई, १९२९

चि० मीरा,

तुम्हारा १० तारीखका पत्र मिला। तुम्हारे सारे पत्र मिल गये, पर इतनी देरसे कि मैं जीरादेईके पतेपर एक भी पत्र नहीं भेज सका। तुम्हारा तार पाकर मैंने सदाकत आश्रमके पतेपर पत्र भेजने शुरू किये थे। आशा है उस पतेपर भेजे सभी पत्र तुमको मिल गये होंगे।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३७६)से।
सौजन्य : मीराबहन

३६२. आन्ध्र देशमें [-५]

निम्नलिखित यात्रा-विवरणसे पाठकोंको इस बातका अन्दाजा मिल जायेगा कि पिछले सप्ताह हम कहाँ-कहाँ गये और कहाँ-कहाँसे कितना-कितना चन्दा मिला।

'यंग इंडिया' में कुल रु० १,५४,९६१-१५-०३ की प्राप्ति तो पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।[1]

इस यात्राके क्रममें एकके बाद एक घटनाओंकी ऐसी भीड़ लगती चली गई है कि उन सबके बारेमें लिखना या इसके लिए उनमेंसे कुछ खास घटनाओंको चुन सकना कठिन है। इसलिए मुझे कतिपय बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटनाओंकी मोटी रूप-रेखा बताकर ही सन्तोष करना पड़ेगा।

अस्पृश्यता

अस्पृश्यताका यह घातक साँप जख्मी तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी यह मरा नहीं है। जब आप इसकी बिलकुल उम्मीद नहीं कर रहे हों, तब भी यह अपना विषदन्त दिखाता है। निश्चय ही, मैंने निम्नलिखित पत्र प्राप्त करनेकी आशा नहीं की थी :

> बड़े दुःखके साथ मैं निम्नलिखित तथ्य आपके ध्यानमें ला रहा हूँ। यह बात उस समयकी है जब इसी महीनेकी २२ तारीखको तनकूमें आयोजित

१. इसके बाद पूर्वी गोदावरी जिलेके विभिन्न गाँवोंमें प्राप्त चन्देकी रकमका ब्योरा दिया गया था। चन्देकी रकमका कुल जोड़ २,०१,७९२ रु० १४ आ० ३ पा० था।

> **महिलाओंकी सभा अभी खत्म ही हुई थी। ५ बजे शामके आसपास सभामें कोई तीन-चार सौ महिलाएँ उपस्थित थीं। इसी बीच किसीने कानाफूसी की कि आपकी बगलमें बैठी युवती पंचम वर्णकी थी।**
>
> **ज्यों ही सभा खत्म हुई, उसमें मौजूद सारी महिलाएँ सीधे नहरके पास पहुँचीं और अपने-आपको एक अस्पृश्यका स्पर्श करनेके अक्षम्य पापसे शुद्ध करनेके लिए उसमें स्नान किया। मैंने अपनी आँखों देखा कि छोटे-छोटे बच्चों पर—और उन्हीं पर क्यों, दुधमुँहे बच्चों तक पर पवित्र जल छिड़का गया ताकि उन्हें इस पापसे बचाया जा सके। एक ओर हम आपको छलते हैं और दूसरी ओर सम्मानित करते हैं। हमारा यह पुरातन पाखण्ड है। . . .**
>
> **लोग अज्ञान और अन्धविश्वासमें डूबे हुए हैं, और इस अज्ञान और अन्धविश्वासके साथ मिलकर उच्च वर्णवालोंका अहंकार ही हमें चला रहा है और यह वर्तमान सरकारसे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है।**

मगर सचाई यह थी कि मेरी बगलमें बिहारके प्रसिद्ध नेता ब्रजकिशोर बाबूकी पुत्री श्रीमती प्रभावती देवी बैठी हुई थी। वे कुछ दिनोसे मेरे साथ आश्रममें है और आन्ध्रके दौरेमें मेरे साथ यात्रा कर रही है। अधिकाश लोगोने उन्हे मेरी पुत्रीके समान माना है, कुछ लोगोने उन्हे मेरी पुत्र-वधूके समान माना है, लेकिन अब यह तनकूकी महिलाओके लिए रह गया था कि वे उन्हे अन्त्यज लडकी लक्ष्मी माने, जिसे मैंने अपने ही तरीकेसे अपनी पुत्री बना लिया है; और इसलिए वे सब मेरे जरिये उस काल्पनिक अन्त्यज लडकीकी छूत लग जानेसे अपवित्र हो गईं और फलस्वरूप उन भली महिलाओने खुद पवित्र जलसे स्नान करके और अपने बच्चोको स्नान कराकर या उनपर जल छिडककर अपने-आपको और उन्हे भी शुद्ध किया। इस हास्यास्पद किन्तु दुखद घटनासे हमे एक सबक मिलता है। पुरुष खुद ही अन्धविश्वासी है और इसलिए उन्होने महिलाओको जागृत करनेकी ओर कोई ध्यान ही नही दिया। फलत. महिलाएँ अन्धविश्वासके और भी गहरे अन्धकारमे डूबी हुई है। इस पत्रको पानेके बाद मैं सावधान हो गया और आगे जो सभाएँ हुईं उनमे उपस्थित होने-वाले श्रोताओकी जाँच करने लगा। मैंने पाया कि अधिकाश सभाओमे अस्पृश्य और सवर्ण लोग साथ ही बैठाये गये थे। मैंने श्रोताओसे साफ शब्दोमे पूछा कि क्या उन्हे बैठनेकी इस व्यवस्थापर कोई आपत्ति है। उन्होने कहा कि उन्हे कोई आपत्ति नही है। राजमुंदरीके पास एक गाँवमे एक बडी ही सुव्यवस्थित सभामे मैंने स्वयसेवकोको अपने-अपने हलकेके अस्पृश्यो, सवर्णो और महिलाओकी ओर बडी शानसे इगित करते देखा। मैंने उन्हे झाँसा देकर पूछा. "मेरा खयाल है, आप लोगोने अस्पृश्योको अलग बैठानेके लिए विशेष रूपसे यह व्यवस्था की है?" मेरे प्रश्नका उत्तर देनेवाला बेचारा स्वयसेवक झाँसेमे आ गया और उसने कहा, "हाँ साहब।" बादमे मुझे पता चला कि वह अग्रेजी बहुत कम जानता था और उसने मेरा सवाल नही समझा था। क्योकि मैंने श्रोताओसे सीधे पूछा कि क्या आप लोगोको इसपर कोई आपत्ति है कि

अस्पृश्य लोग आपके साथ बैठे। उन सबने हाथ उठाकर बताया कि उन्हे कोई आपत्ति नही थी। मुझे इतनेपर भी सन्तोष नही हुआ, सो मैंने पूछा कि क्या मै आप लोगोके बीच अस्पृश्योको भेजूं। उन्होने फिर हाथ उठाकर स्वीकृति जाहिर की। मैंने बोलकर स्वीकृति देनेको कहा। उन्होने वैसा ही किया, मगर पहले जरा धीमी आवाजमे। इसपर मैंने कहा कि आप अपनी स्वीकृति जोरसे बोलकर जाहिर करे। उत्तरमें सभी पूरे जोरसे एक साथ बोल पड़े, "सरे, सरे।" तब मैंने अस्पृश्योसे उनके बीच बैठनेको कहा और वे खुशी-खुशी उनके बीच जाकर बैठ गये। फिर मैंने सभामे अस्पृश्यतापर ही भाषण दिया। मैंने कहा कि अपने अस्पृश्य भाइयोको अपने साथ बैठाकर आपने एक पुण्य कार्य किया है और किसी भी मनुष्यको अस्पृश्य मानना पाप है। लोगोने इस विषयमें अपनी भावनाका जो प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया उसके, तथा मैंने ऊपर जो दलील देकर उनके विश्वासको बल पहुँचाया उसके बावजूद यदि महिलाओने अथवा किसी अन्य व्यक्तिने अपने-आपको पवित्र करनेके लिए स्नान किया तो यह सवाल ऐसा है जिसपर मनोविश्लेषकोको विचार और छानबीन करनी चाहिए। अब मै इस कहानीको यह बताकर समाप्त करता हूँ कि अस्पृश्योको अपने बीच बैठनेकी सहमति देनेवालोमे महिलाएँ भी थी, और वास्तविकता यह है कि जब तथाकथित अस्पृश्य लोग सवर्ण पुरुषो और स्त्रियोके पास उनके बदनसे सटकर बैठे तो मैंने किसीको उनसे अलग होनेके लिए इधर-उधर खिसकते नही देखा। पासके एक गाँवमें एक ऐसा स्कूल चलाया जा रहा है जिसमे बिना किसी झगड़ा-तकरारके सवर्ण और अस्पृश्य दोनो वर्गोके बच्चे साथ-साथ रहते-पढते हैं। इसलिए, जहाँ मै तनकूमें हुई घटनापर दुख प्रकट करता हूँ, वहाँ इस बातसे इनकार नही किया जा सकता कि अस्पृश्यता बडी तेजीसे अपनी शक्ति खोकर दम तोड़ रही है।

एक महान संस्था

इस छोटेसे गाँवमे हमारा जाना उस क्षेत्रमे हमारे प्रवेशका प्रारम्भ था जो डा० वी० सुब्रह्मण्यम् द्वारा १९२४में स्थापित गौतमी सत्याग्रहाश्रमकी प्रवृत्तियोके अन्तर्गत आता है। डा० वी० सुब्रह्मण्यम् राजमुदरीमें अपने धन्धेसे खूब पैसा कमा रहे थे, किन्तु राष्ट्र-सेवाके निमित्त उन्होने अपना वह धन्धा छोड़ दिया। उन्हे यह देखते देर नही लगी कि जबतक वे गाँवोके बीच जाकर नही रहते और ग्रामवासियोसे सीधा सम्पर्क स्थापित नही करते तबतक वे राष्ट्र-सेवाका कार्य नही कर सकते। इसलिए वे राजमुदरीसे १४ मील दूर सीतानगरम् नामक स्थानमें जा बसे, क्योकि सीतानगरम्के आस-पासके गाँवोके ही लोगोने असहयोग आन्दोलनके चर्मोत्कर्षके दिनोमे सरकारके विरुद्ध जमकर सघर्ष किया था। उनमेसे बहुत तो ग्राम-अधिकारी थे, जिन्होने इस सघर्षमें अपनी-अपनी नौकरियाँ छोड़ दी थी। इस धृष्टताके लिए उनपर लगभग ५,००० रुपयेका दण्डात्मक कर लगाया गया था।

आश्रम लगभग दस एकड़मे है। खादी इसकी मुख्य प्रवृत्ति है और आनुषगिक प्रवृत्तियाँ ये है: नि:शुल्क चिकित्सीय सेवा, हिन्दी-प्रचार, पुस्तकालय-विकास, तेलुगु पत्रिकाओका प्रकाशन, दलित वर्गोकी सेवा करना और काग्रेसका सामान्य कार्य करना।

इस समय मेरे सामने आश्रमके कार्योंका एक विवरण पड़ा हुआ है। उसके अनुसार "आश्रमके चारों ओर पाँच मीलके अन्दर जो गाँव हैं, उन सभीमें कताईका संगठन किया गया है। इससे एक ही कार्यकर्त्ता नियमपूर्वक सप्ताहमें एक बार प्रत्येक घरमें जाकर वहाँ कामकी देख-रेख कर आता है।" छः धुनकरोंको स्थायी रूपसे कामपर रखा गया है। ये ५ आनेमें ३ पौंडके हिसाबसे पूनियाँ तैयार करते हैं। आश्रमकी वहीमें १९३ पेशेवर कतैयोंके नाम दर्ज हैं। अबतक धुनकरोंने ७९५ रुपये कमाये हैं और कातनेवालोंने २,०३६ रुपये। ऐसा अनुमान है कि एक कातनेवाली स्त्री महीने भरमें ६ से ९ पौंड सूत कातती है और इस तरह रु० १–८–० से रु० २–४–० तक कमा लेती है। सूत ८ से १५ अंक तकके होते हैं। ३ पौंड पूनियोंसे सूत कातनेका पारिश्रमिक १२ आनेसे १४ आने तक होता है। इस क्षेत्रके १३ बुनकर इस सूतसे तौलिये, लुंगियाँ, धोतियाँ और कुरतेका कपड़ा आदि बुनते हैं। बुनकरकी औसत मासिक आय १५ रुपये होती है। आश्रमके बुनाईघरमें भी बुनाईका कुछ बहुत ही श्रेष्ठ काम होता है। बुनकरोंने इस कामसे ८,११४ रुपये कमाये हैं। ब्लीच करने और रँगनेके काममें १,२१७ रुपयेका खर्च आया है। कुल मिलाकर इस फिरकेके २३५ पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंमें १२,१६४ रुपये वितरित किये गये हैं। आश्रमकी एक शाखा पीठापुरमें भी है, जहाँ इसकी देख-रेखमें ४५० चरखे और १२ करघे चलाये जाते हैं और उनके सर्वेक्षणसे पता चलता है कि अगर पूँजी मिले तो और भी चरखे चलाये जा सकते हैं। १९२७ की बंगलोर प्रदर्शनीमें इस केन्द्रमें तैयार किये गये कपड़ेपर सादे कपड़ोंमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करनेके लिए स्वर्ण-पदक दिया गया था। आश्रमके बिक्री-केन्द्र भी हैं। चार फेरीवाले आसपासके क्षेत्रमें नियमित रूपसे फेरी लगाकर खादी बेचते हैं। फेरी लगानेवालोंकी सिरताज डा० सुब्रह्मण्यम्की वृद्धा माता हैं। वे उन लोगोंमें सबसे अधिक उत्साही हैं और उनके अथक परिश्रमसे खादी-को सबसे अधिक ग्राहक प्राप्त होते हैं। आश्रम सुपात्र पंचमोंके हाथों आधे दाम पर खादी बेचता है। विवरणमें कहा गया है:

> यहाँ इस फिरकेमें खादीकी सामान्य सम्भावनाओंपर दो शब्द कहना असंगत नहीं होगा। इस फिरकेके २२ गाँवोंका निकटसे सर्वेक्षण करनेपर निष्कर्ष यही होगा कि अभी एक दशक पूर्व तक रुई उद्योग पूरे जोर पर था, उसका उत्पादन हर गाँवमें होता था और हर घरमें उसे जमा करके रखते थे; तथा हाथकताईको विकसित करनेके लिए कार्य आरम्भ करना आवश्यक है और यह कार्य बड़े उत्साहवर्धक परिणामोंके साथ चलाया जा सकता है। इस समय स्थिति यह है कि यदि कार्यकर्त्ता कताईके कामके सिलसिलेमें घूम-घूम कर देखें तो वे पायेंगे कि ऐसे परिवारोंकी एक अच्छी खासी तादाद है जो अपने-अपने घरोंमें रुई इकट्ठा करके रखते हैं और अपने उपयोगके लिए सूत कातते हैं। अकेले सीतानगरम् गाँवमें ही पिछले वर्ष ९ परिवारोंने अपने उपयोगके लिए ४०० गज कपड़ा बुनने लायक सूत काता।

मुझे ऐसे कई स्थानोमे ले जाया गया जहाँ कई-कई परिवार स्वेच्छासे कातते थे और उनकी कताईका उद्देश्य आर्थिक लाभ नही बल्कि उससे प्राप्त होनेवाला आनन्द ही था। उनमे दो विधवाएँ थी, जिनका एकमात्र धन्धा कताई करना ही था। जब डा० सुब्रह्मण्यम्‌ने उनमेसे एकसे मेरा परिचय करवाया तब चरखेके प्रति उसके प्रेमकी बात बताते हुए वे अपने आँसू नही रोक पाये।

चेरला पेरला ख्यातिके स्वर्गीय आन्ध्र-रत्न गोपाल कृष्णय्याके पास जितनी भी पुस्तकें थी, वे सारीकी-सारी आश्रम पुस्तकालयको भेंटस्वरूप प्राप्त हो गईं और इस तरह पुस्तकालयमे अब पुस्तकोकी कोई कमी नही रह गई है। इसके साथ एक वाचनालय भी है, जिसमे सारे भारतसे पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।

हिन्दी प्रचार कार्य इसकी एक खास विशेषता है। पण्डित पी० वी० सुब्बाराव इस कार्यके प्रधान हैं। १९२५ के सितम्बर महीनेसे पिछले वर्षके अन्त तक १४५ लोगोने हिन्दी सीखी है, और हिन्दी सीखनेके इच्छुक लोगोके लिए आश्रममें नियमित रूपसे कक्षा चलाई जाती है। इस कामपर १,५२८ रुपये खर्च किये गये है, जिनमे पण्डितको वेतन स्वरूप दिये जानेवाले ४९५ रुपये भी शामिल हैं।

दलित वर्गोके बीच किये जा रहे कार्यमे विकासकी गुंजाइश है। आश्रम उनके लिए निःशुल्क रात्रि-शाला चलाता है। एक ऐसा स्कूल भी है, जिसमे सवर्ण और अस्पृश्य दोनो साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करते है। उनमे भजन मण्डलियोका भी आयोजन किया जाता है।

आश्रमके अधीन ३ खैराती दवाखाने है, और एक साफ-सुथरा अस्पताल भी है, जिसमे ५ मरीज रह सकते हैं। अस्पतालमे भरती हुए बिना अबतक बाहरसे चिकित्साका लाभ पानेवालोकी सख्या ६२,४९८ पहुँच गई है और अस्पतालमे भरती होकर अबतक ३०० मरीजोने चिकित्साका लाभ उठाया है।

इस फिरकेमे काग्रेसके ७१६ सदस्य बनाये गये हैं, जिनमे ९ मुसलमान और एक ईसाई है। इनमे से ६१ महिलाएँ है और ५१ अस्पृश्य।

आश्रमसे 'काग्रेस' नामक एक तेलुगु साप्ताहिक भी प्रकाशित होता है, और अब इसे लगभग आत्म-निर्भर हो गया माना जाता है। इसके सम्पादक श्रीयुत एम० अन्नपूर्णय्याको राजद्रोहके अपराधमें गिरफ्तार होनेका भी गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन उनके गिरफ्तार किये जानेपर भी पत्रको बन्द नही होने दिया गया। उनकी जगह श्रीयुत के० रामचन्द्ररावने ले ली, लेकिन जब उन्हे भी गिरफ्तार कर लिया गया, तब उस स्थानपर स्वय डा० सुब्रह्मण्यम् आ गये और तबतक पत्रका सम्पादन करते रहे जबतक कि श्रीयुत अन्नपूर्णय्याने जेलसे छूटकर सम्पादक-पदका दायित्व फिर सँभाल नही लिया। इस पत्रका प्रकाशन फुलस्केप आकारके पर्चेके रूपमे प्रारम्भ हुआ और तब यह साइक्लोस्टाइलमे ही छापा जाता था। किन्तु आज यह रॉयल साइजका १४ पृष्ठोका एक पत्र है। इसमे खास-खास विज्ञापन ही लिये जाते हैं और विदेशी कपडो, शराब और ब्रिटिश मालका विज्ञापन नही छापा जाता और जैसा कि मेरे सामने मौजूदा विवरणमें गर्वपूर्वक कहा गया है, 'यह औपनिवेशिक स्वराज्यके बजाय पूर्ण स्वराज्यका पक्षधर है।' तमिल लिपिमे हिन्दी पाठोका प्रकाशन इसमे

नियमित रूपसे होता है। गत वर्षके अन्ततक आश्रमको अनुदान-स्वरूप ३२,४९१ रुपये नकद, अन्नके रूपमें ३,७४७ रुपये, रोगियो द्वारा स्वेच्छासे दी गई भेंटोके रूपमे १,२५६ रुपये और लकडीके रूपमे ४,००० रुपये प्राप्त हो चुके है। इसकी इमारत पक्की है, जिसमे आश्रमवासी रहते है। उनके भरण-पोषण पर १०,५३५ रुपये खर्च किये गये है। आश्रमके १२ सदस्य है। अकेले व्यक्तिको २० रुपयेका भत्ता मिलता है, दो के परिवारको ३० रुपये और किसी परिवारमे दो से अधिक जितने सदस्य हो उनके लिए प्रति व्यक्ति ५ रुपये और दिये जाते है। इसमे कपड़ेका खर्च भी शामिल है। आश्रममे ३१ परिवार रहते है और उनसे प्रति व्यक्ति ७ रुपयेके हिसाबसे खर्च लिया जाता है।

तथ्योका यह शुष्क विवरण इस महान् सस्थाकी महत्ताका ठीक अन्दाज नही दे पाता। इस यात्राके दौरान मैंने इन गाँवोमे जीवनका जैसा उच्छ्वास देखा, वैसा अन्यत्र कही भी देखनेको नही मिला। आश्रमवासी यद्यपि अपने ही तरीकेसे रहते है, लेकिन वे ग्रामवासियोके जीवनके अंग बन गये है और इसलिए उन लोगो पर उनका बडा प्रभाव है। ये गाँव अपेक्षाकृत निर्धन ही है, फिर भी इनसे चन्देमे ५,००० रुपये मिले। इतना अधिक चन्दा आन्ध्र प्रदेशमे और कही नही मिला। जिस सभामे मैंने भाषण दिया उसमे ५ एकड़ जमीन दानमे दी गई। यह ग्रामवासियोंके बीच आश्रमकी लोकप्रियताका एक स्पष्ट प्रमाण है। यह आश्रम ग्रामोद्धारका पदार्थ-पाठ प्रस्तुत करता है। चूंकि आश्रमवासो गाँववालोके बीच रहते है, इसलिए ग्रामीण भाइयोकी आवश्यकताओ और आकाक्षाओको ध्यानमे रखकर क्रियाशील होना उनके लिए अनिवार्य है और समय आनेपर वे अपनी योग्यता और आत्म-विश्वासके अनुसार अपनी प्रवृत्तियोका विस्तार भी अवश्य करेगे। मैंने देखा कि डा० सुब्रह्मण्यम् बहुत सँभल-सँभल कर कदम रखते है। वे कहते है: "हम साधारण गृहस्थका जीवन व्यतीत करते है और यद्यपि आश्रमवासियोके पास निजी सम्पत्ति बहुत कम ही है, किन्तु हमने आश्रमपर निजी सम्पत्ति रखनेके सम्बन्धमे रोक नही लगाई है। आश्रममे शादी-ब्याह और दूसरे घरेलू सस्कारोके लिए कोई व्यवस्था नही है। हमने सदस्योके जीवनका बीमा नही कराया है। हम मानते है कि हम बहुत ही साधारण राष्ट्र सेवी-जन है।" ऐसे साधारण राष्ट्र-सेवी होनेके लिए उन्हे जितना भी सम्मान दिया जाये, वे उसके योग्य पात्र है। कोई शिक्षित भारतीय यदि भारतके गाँवम रहता है तो यह उसके लिए असाधारण बात क्यो होनी चाहिए? असाधारण चीज तो हमपर छद्म रूपसे थोपी गई वह शिक्षा है जो हमे गाँवोमे रहने और गाँवोके लिए काम करनेकी दृष्टिसे अयोग्य बनाती है।

पुलिसकी निगहबानी

आश्रमसे हम लोग पोलावरम्[1] जानेवाले थे। यह नदीके पार सीतानगरम्से छः मीलकी दूरीपर स्थित एक गाँव है। यह एजेन्सी क्षेत्रमे पड़ता है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ, एजेन्सी क्षेत्रका मतलब नॉन-रेगुलेशन क्षेत्र है। मुझे बताया गया कि

१. देखिए "भाषण: सार्वजनिक सभा, पोलावरम्में", ९-५-१९२९।

यहाँ पुलिस नौकावालेको भयभीत करके कार्यकर्त्ताओंकी तरफसे उसे विमुख करनेमें सफल हुई और फलतः उसने हमे पार उतारनेसे इनकार कर दिया। यह स्थिति परेशान करनेवाली थी। इस तरह पुलिस द्वारा हमारी योजनाका विफल किया जाना मुझे अपमानजनक लगा। सुबह वहाँ पहुँचनेसे पहले हमने एक काफी व्यस्त कार्यक्रम निबटाया था और अब आगे भी उतना ही व्यस्त कार्यक्रम हमारा इन्तजार कर रहा था। और अगर मुझे उस गाँवमे जाना था तो पहले जहाँ उसमें एक घटा लगना था वहाँ अब उस गाँवमें जानेके मतलब थे साढे चार घटे लगाना। लेकिन मुझे समयकी फिक्र नही थी, उस गाँवमे पहुँचना हमारा कर्त्तव्य हो गया था। हमारे मोटरगाडीसे सीधे उस गाँवके सामने पहुँचने और वहाँसे नदी पार करनेके बजाय कार्यकर्त्तागण हमें किसी दूसरे लाच (यंत्र-चलित नौका) से सीतानगरम्से सीधे पोलावरम् ले जा सकते थे। मेरे सामने यह सुझाव रखा गया तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया। लाच तक जानेमे भी कुछ अतिरिक्त श्रम और समय लगना था, लेकिन हम सफलतापूर्वक अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच गये। मुझे इस बातकी खुशी थी कि मनुष्यके अहंकारपूर्ण उद्देश्यको उस सर्वशक्तिमान स्रष्टाने विफल कर दिया जो अहंकारियो और धृष्ट व्यक्तियोके अहंकार और धृष्टताका भजक है।

पोलावरम्मे श्रीयुत पी० कोदण्डरमय्या और ए० वेकटरमय्या द्वारा संचालित एक छोटा-सा आश्रम है। वे आदिवासियोके कुछ बच्चोका लालन-पालन कर रहे है। वे लोग आदिवासियोके बीच काम करते है और उन्ही लोगोने इस यात्राकी योजना बनाई थी। यहाँ यह बता देना असंगत न होगा कि हमारी पूरी यात्रामे हमारे पीछे पुलिसका भी एक दल लगा रहा है। वे संवाददाता बनकर और न जाने किस-किस रूपमें आते रहे है। सामान्यतः मैंने उनसे किसी तरहकी परेशानीका अनुभव नही किया है। बल्कि खुद मेरे प्रति तो उन्होने काफी सौजन्य भी दिखाया है। एक बार हम जिस गाडीसे यात्रा कर रहे थे जब वह खराब हो गई तो उन्होने हमें अपनी गाड़ी दी। उन्हें इतनेका श्रेय तो देना ही पड़ेगा। लेकिन वे लोग अपनी सत्ताका रोब दिखाते हुए भी पाये गये है और हमारे दलपर हाथ डालनेमें भी उन्होने संकोच नही किया है। सीतानगरम्में यदि कार्यकर्त्ताओने डटकर विरोध न किया होता तो वे उस छोटेसे लाचपर आ जमते जिससे हम सीतानगरम्से पोलावरम् गये। कहनेकी जरूरत नही कि पाठक इससे यह न समझे कि यह वही पुलिस दल था जिसने नौकावालेके साथ दखलन्दाजी की थी। पुलिसकी निगहबानीका उल्लेख मैंने सिर्फ यह दिखानेके लिए कर दिया है कि जहाँतक हिंसात्मक इरादोका सम्बन्ध है, मेरा खयाल है, मुझे सन्दिग्ध व्यक्ति नही माना जाता। फिर भी जब मेरे रास्तेमे इस तरह बाधा डालना जरूरी समझा जाता है तब उन लोगोका क्या हाल होगा जिन्हे सन्देहकी दृष्टिसे देखा जाता है और जो इतने तुनकमिजाज है कि पुलिसकी निगहबानीको बर्दाश्त ही नही करते। मैंने अपने जीवन भर अपने सिद्धान्तके एक अंगकी तरह इस नियमका निर्वाह किया है कि पुलिसकी निगाहसे बचकर न चलो बल्कि उसे अपने सारे कार्योको देखनेमें मदद ही दो, क्योकि मैं गोपनीयतासे सदा दूर ही रहा हूँ और इस तरहकी

निगहबानीके प्रति उदासीन रहनेसे मेरा जीवन और कार्य अधिक सुगम हो गया है। इस उदासीनता और पुलिसके प्रति बराबर दिखाये गये सौजन्यका परिणाम यह हुआ है कि उनमे से कईका हृदय-परिवर्तन हो गया है। लेकिन मेरी उदासीनता एक अलग और मेरे लिए एक निजी चीज है। एक प्रणालीके रूपमें तो पुलिसकी इस निगहबानीके बारेमें यही कहा जा सकता है कि यह एक गर्हित चीज है और किसी भी अच्छी सरकारके लिए अशोभनीय है। कर के दुर्वह भारसे दबे कर-दाताओके सिर पर यह एक बेकारका बोझ है। कारण, यह याद रखना चाहिए कि इस सामान्य व्ययके लिए आवश्यक सारा पैसा करोड़ो मेहनतकश लोगोकी जेबोसे आता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-५-१९२९

३६३. दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय

दक्षिण आफ्रिकामें भारत सरकारके प्रतिनिधिका पद सँभालना निश्चय ही कोई फूलोकी शय्या नही है। दक्षिण आफ्रिकासे आई डाकके एक पत्रसे मुझे मालूम हुआ है कि सर के० वी० रेड्डीको अनेक पेचीदा समस्याओसे उलझना पड़ रहा है और उनको दम मारने तककी फुर्सत नही है। उनके लिए अबतक सबसे अधिक चिन्ताका विषय जो मैं समझ पाया हूँ, वह ट्रान्सवालमें गोल्ड एरिया नामसे विख्यात क्षेत्रमें व्यापारिक परवानोसे सम्बन्धित है। ट्रान्सवालमें भारतीय व्यापारियोका सबसे अधिक जमाव इसी क्षेत्रमें है और उनके लिए ये व्यापारिक परवाने जीवन-मरणके प्रश्न जितने ही महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होने इसी आशा से बड़े-बड़े व्यवसाय खडे कर लिए हैं कि उनके परवाने हर साल नये बनते ही जायेंगे। क्रूगर-शासनके दिनोमें किसी भी समय उनका सारा व्यापार एकदम बन्द कर दिये जानेका खतरा पैदा हो गया था। पर वह संकटकी घडी टल जानेके बाद उन्होने सही या गलत यही सोचा था कि वे जबतक ईमानदारीसे व्यापार करते रहेंगे उनके परवानोका नवीकरण हमेशा हर साल होता ही जायेगा। अवश्य ही मेरा विचार यह था कि १९१४ का समझौता इन सभी व्यापारियो और उनके उत्तराधिकारियो पर लागू होता है। यदि इनको भी निहित अधिकार न माना जाये, तो मेरी समझमें नही आता कि ट्रान्सवालमे भारतीयोके निहित अधिकार और हो ही क्या सकते हैं। पर अब मुझे पता चला है कि नगरपालिकाएँ स्वर्ण-कानूनके एक खण्डकी आड लेकर ऐसे परवाने जारी करनेसे इन्कार कर रही हैं। कानूनकी दृष्टिसे शायद स्वर्ण-कानूनके तहत एशियाइयोके व्यापार करनेपर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। लेकिन यह कानून तो क्रूगर-शासनके दौरान भी लागू था। यह समझौता सम्पन्न होनेके समय भी यह कानून मौजूद था। इसलिए श्री के० वी० रेड्डीको इन व्यापारियोके लिए संरक्षण प्राप्त करनेमें कोई कठिनाई नही पड़नी चाहिए। हबीबुल्ला प्रतिनिधिमण्डल द्वारा सम्भव बनाये गये इस समझौतेमें यह सकल्पना

सन्निहित थी कि दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिमें सुधार करके उनको समान दर्जा दिलाया जाये। परन्तु यदि उनकी रोजी-रोटीका एकमात्र साधन भी उनसे छीन लिया जाये तो इन व्यापारियोके लिए समानताका कोई अर्थ ही नही रह जायेगा। इसलिए जरूरी है कि हमारे देशका लोकमत इन व्यापारियोकी सरक्षण पानेकी माँगको फलीभूत बनानेमे दक्षिण आफ्रिका-स्थित भारत सरकारके प्रतिनिधि और भारत सरकारके हाथ मजबूत करे। मै जानता हूँ कि इस काममे मुश्किले है। दक्षिण आफ्रिकामे आम चुनाव होनेवाले है। सघके मन्त्रियोको यदि अपने मनकी करनेकी छूट दी जाये तो वे शायद संरक्षण देना मजूर कर लेगे और सरक्षण है भी अत्यन्त वाछनीय। और यदि केपमे हुए समझौतेको सम्मानपूर्ण ढगसे निभाना है तो ऐसा सरक्षण देना अनिवार्य माना जाना चाहिए। परन्तु दक्षिण आफ्रिकामे चुनावकी परिस्थितियाँ ससारके अन्य भागोकी परिस्थितियोसे अधिक भिन्न नही है। परन्तु परिस्थिति कितनी ही जटिल हो, इन व्यापारियोको तो संरक्षण मिलना ही चाहिए। एक नया कानून बनानेके अतिरिक्त, एक सर्वथा उचित, वैध और सरल दूसरा भी मार्ग मौजूद है जिससे इस समस्याको हल किया जा सकता है। ट्रान्सवालमे १८८५ का कानून ३ अभी भी लागू है। स्वर्ण-कानून इसको रद नही करता। इसलिए स्वर्ण-कानूनको ट्रान्स-वालके १८८५ के कानूनके साथ रखकर पढना और उसका अर्थ लगाना पडेगा। वह कानून सरकारको यह शक्ति प्रदान करता है कि वह भारतीयोके बसने और व्यापार करनेके लिए कुछेक हलको, सडको और बस्तियोको उचित घोषित कर सकता है। इसलिए संघ सरकार चाहे तो प्रशासकीय तौर पर ऐसे क्षेत्रोकी घोषणा कर सकती है जहाँ भारतीय इस समय भी व्यापार कर रहे है। वह उन क्षेत्रोको भारतीयोके निवास और व्यापारके लिए उचित करार दे सकती है।

अन्य कुछ मामले भी इतने ही नाजुक है, लेकिन इस समय उनका उल्लेख करना जरूरी नही है क्योकि उनको लेकर कोई फौरी खतरा नही है; और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इसी बातकी है कि सारा लोकमत इसी एक तात्कालिक खतरेपर केन्द्रित करके उसे एक निश्चित रूप दिया जाये।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १६-५-१९२९

३६४. 'वैचारिक नशा'

मैंने पिछले साल यूरोप-यात्राकी जो योजना बनाई थी, उसे स्थगित करनेके मेरे निर्णयका अनुमोदन करते हुए मेरे एक यूरोपीय मित्रने अन्य बातोके साथ एक यह अत्यन्त सारगर्भित बात भी लिखी है कि आजकल यूरोपीय समाचारपत्रोकी क्या गत बना दी गई है:[1]

> आप जानते ही है कि युद्धकी हालतमें कोई आधुनिक राज्य सबसे पहला काम यही करता है कि वह अपने विरोधीको शेष संसारकी नजरोंमें बिलकुल गिरा देता है; और ऐसा करनेके लिए वह उसकी आवाज एकदम बन्द करके संसार भर में अपनी ही अपनी आवाज गुंजाने लगता है। आपको मालूम ही है कि इस कलामें ब्रिटिश साम्राज्यका जवाब नहीं, और वह भारतकी नाकेबन्दी करने, उसे अन्य देशोंसे अलग-अकेला करने और उन देशोंके कान अपने ही प्रचारसे भर देनेके लिए हर उपायका सहारा ले रहा है। काम शुरू भी हो चुका है। पिछले महीने बम्बईकी घटनाओंकी आड़ लेकर उसने संसारको यह जतानेकी कोशिश की है कि भारत तो आगजनी और खूनखराबीमें लगा हुआ है।...
>
> यूरोपके देश आजकल बौद्धिक निष्क्रियताके जिस भयंकर अंधे गर्तमें गिरते जा रहे हैं उसका अब मुझे काफी अनुभव हो चुका है। १९१४के युद्धकी शुरुआतके दिनोंसे ही यूरोप भरके समाचारपत्र जनताके असन्तुष्ट मस्तिष्कको पत्रकारिताके जरिए ऐसे ही वैचारिक नशेका आदी बनाते रहे हैं और अब हालत यह है कि जनता अपने विचारोंके सही स्वरूपको पहचाननेमें ही असमर्थ हो गई है। यह भी एक प्रकारका नशा है, वैचारिक नशा, जो अन्य किसी भी नशेसे कम ध्वंसकारी नहीं है। कहा जा सकता है कि पाश्चात्य देशोंमें अब लगभग कोई भी समाचारपत्र ऐसा नहीं जिसे स्वतन्त्र कहा जा सके।...

यह तो सही है कि गलतफहमियाँ पैदा करनेवाला प्रचार आन्दोलन हमारे मार्गमें काफी मुश्किलें खड़ी करता रहा है, पर यदि हम मुस्तैदी और मजबूतीसे काम करे तो हम उसकी उपेक्षा कर सकते है और मनम विश्वास रख सकते है कि यदि हमारा काम, हमारा प्रयत्न सच्चा है, सचाईसे भरा है, तो हम यूरोप ही नही अमेरिकामें भी किये जानेवाले इस मिथ्या प्रचारका सफलतासे सामना कर लेंगे और हमारा काम प्रभावशाली सिद्ध होगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १६-५-१९२९

१. यहाँ कुछ ही अंश दिये गये है।

३६५. करनेका ढंग

आन्ध्र देशमें मुझे जो मानपत्र मिले है, उनमें से एककी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है :

> **हमें यह स्वीकार करते हुए दुःख होता है कि अस्पृश्यता-निवारण, नशाबन्दी-प्रचार और हिन्दी-प्रचारमें से कोई एक भी काम ऐसा नहीं, जिसे करनेका हम दावा कर सकें। हम आपसे मदद और रहनुमाईकी प्रार्थना करते है और आशा रखते है कि आप हमें कुछ ऐसे उपाय बतलायेंगे जिनके द्वारा हम उक्त कामोंके लिए आवश्यक धन और निःस्वार्थ कार्यकर्त्ता पा सकें।**

यह एक ऐसी बेबसीकी स्वीकारोक्ति है, जिसे दुनियाके दूसरे हिस्सोमें बसनेवाले लोग शायद मुश्किलसे समझ सकेंगे। क्योकि मुझसे न केवल आवश्यक धन-प्राप्तिका तरीका बतानेको कहा गया है, बल्कि नि स्वार्थ कार्यकर्त्ताओके संग्रहका उपाय भी पूछा गया है। इस मानपत्रके देनेवाले वे लोग है, जो अपने आपको 'आपके (मेरे) अत्यन्त विश्वासपात्र एवं अत्यन्त विनम्र अनुयायी, नगर काग्रेस कमेटीके सदस्य' कहते है। अगर कोई मेरे 'विश्वासपात्र और विनम्र' अनुयायी है, तो मैं सबसे पहले उनसे नि.स्वार्थ होनेकी आशा रखता हूँ। काग्रेस कमेटियोके जो सदस्य निःस्वार्थ नही है, वे काग्रेस कमेटियोमे बैठनेके भी अयोग्य है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आज काग्रेस कमेटियोमें भी पदाधिकार पानेके लिए अशोभनीय स्पर्धा चल रही है। परन्तु यह तो हरएक कांग्रेसी मंजूर करेगा कि अगर कांग्रेसका प्रतिनिधि नि.स्वार्थ नही है, तो वह कुछ भी नही है। और अगर "सूर्य ही प्राण-पोषण करना छोड़ देगा तो दुनिया 'प्राण' किससे पायेगी?" अगर मेरे अनुयायी और कांग्रेस कमेटीके सदस्य ही नि.स्वार्थ नही है तो फिर मैं इन लोगोके लिए नि स्वार्थ सेवक या कार्यकर्त्ता कहाँ पा सकूँगा? इसलिए इन प्रश्नकर्त्ताओको नि.स्वार्थ सेवक या कार्यकर्त्ता पानेका जो एक मार्ग मै बता सकता हूँ, वह है, 'आप स्वयं नि स्वार्थ कार्यकर्त्ता बनो, मै आपको वचन देता हूँ कि आवश्यक धन अपने-आप आपके पास चला आयेगा।' बिना सूर्यके छाया रह नही सकती। धन कमाना आदमीका काम है। धनसे आदमी पैदा होनेकी बात कभी सुनी नही गई है। हाँ, सम्भव है धनसे भाड़ेके टट्टू मिल भी जायें, लेकिन उनसे न तो अछूतोद्धारका काम हो सकेगा, न नशा-बन्दीका कार्य आगे बढ़ सकेगा और न सच्चा हिन्दी-प्रचार-कार्य ही हो सकेगा। इसमें शक नही कि दुनियाके अर्थशास्त्रमें भाडेके टट्टुओका भी अपना एक स्थान है, लेकिन उनका आगमन सुधारके बाद होता है। स्वयं वे किसी तरहका सुधार नही कर सके है। अतः काग्रेसजनोको तिहरा सुधार सफल बनाना है। जब छुआछूत देशमें बीते जमानेकी बात बन जायेगी, जब नशाबन्दी आन्दोलन एक लोकप्रिय आन्दोलन बन जायेगा और जब हरएक स्त्री-पुरुष हिन्दी पढ़ना चाहेगा, तब उन लोगोकी कोई कमी न रहेगी

जो किरायेपर काम करना चाहेंगे और उस कामको पूरा कर सकेंगे जो सर्वथा जोखिमसे परे है।

लेकिन दुर्भाग्यवश इन यात्राओमें मैं बराबर यह देख रहा हूँ कि बहुतसे काग्रेस-जन रचनात्मक कामकी उतनी परवाह नही करते जितनी परवाह वे लोगोमे उत्तेजना फैलानेवाले और सहज ही अपने आपको लोगोमें प्रतिष्ठित बना देनेवाले कामकी करते हैं। कार्यकर्त्ताओकी लगातार आमदका रास्ता खोलनेके लिए पहले इस मनोवृत्तिको बदलना आवश्यक है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अपने चारो ओर चतुर, चुस्त व तन्दुरुस्त स्वयसेवकोको खड़ा पाता हूँ, जो मुझे सुख पहुँचानेकी इच्छासे हर तरहका कष्ट सहनेको तैयार रहते है और सेवा-भावनासे प्रेरित होकर लगातार रात-दिन काम करते नही थकते। अगर इन लोगोकी एक व्यक्ति-विशेषके प्रति इस भक्तिको उस कार्यके प्रति भक्तिमें बदला जा सके, जिसका वह व्यक्ति प्रतिनिधि है, तो यह समस्या हल हुई समझिए। जिस व्यक्तिके प्रति इतनी प्रचण्ड सेवा-भावनाका प्रदर्शन किया जाता है, उसे तो उसकी जरूरत नही है, उलटे वह तो इस सेवा-भावके प्रदर्शनसे दुखी होता है, मारे शर्मके गड़ जाता है। मैं जहाँ जाता हूँ कार्यकर्त्ताओकी सभा बुलाता हूँ। मेरे विचारमें जो काम हमें करना है उसके लिए उतने कार्यकर्त्ता काफी होते है, बशर्ते कि वे उसे करनेमें सच्चे दिलसे लग जायें। लेकिन ये ही कार्यकर्त्ता उक्त मानपत्र-जैसे मानपत्रोकी रचना करते है और इन शान्त सभाओंमें मुझसे धन और जनकी प्राप्तिके उपाय पूछते है। अतः मैं प्रत्येक काग्रेस कमेटीके सामने यह सूचना पेश करता हूँ कि वह अधिक व्यवहार-कुशल बने और सच्चे कार्यकर्त्ताओको चुन-चुन कर उनके वेतनकी रकम निश्चित कर दे और इस तरह रचनात्मक कामके चक्रको चलाती रहे। इस कामके लिए काग्रेसकी उपसमितियाँ प्रान्तीय या केन्द्रीय संस्थाओकी रहनुमाईकी प्रतीक्षा न करे। प्रान्तीय संस्थाएँ अपने प्रान्तीय सेवा मण्डल रखें या न भी रखें। यह हो सकता है कि उनका बोझ इतना ज्यादा बढ जाये कि वे इस तरहका कोई प्रयत्न न कर सकें; लेकिन ताल्लुका या ग्राम काग्रेस कमेटियोके बारेमें ऐसी कोई सम्भावना नही है। वे एकदम स्वावलम्बी हैं। वे धन-सग्रह करने और अपनी पसन्दके सुधारोको लागू करनेके लिए सर्वथा स्वतन्त्र हैं। आन्ध्र देशकी इस दिलचस्प यात्रामें मैंने कही-कही कुछ सुयोग्य समितियोको वह काम करते पाया है, जिसकी अन्य समितियोने बुरी तरह उपेक्षा की है।

काग्रेसीजन १९३० का ध्यान धरना छोड दें। १ जनवरी, १९३० के दिन कोई जादुई चमत्कार नही होगा। मुहलत और तैयारीके इस सालमें जितना राष्ट्रीय काम हो सकेगा, १ जनवरी उसीका सच्चा प्रतिबिम्ब होगी। पहली जनवरीको सारे राष्ट्रमें एकाएक कोई परिवर्तन हो जानेकी कोई सम्भावना नही है। इसलिए कांग्रेसका प्रत्येक सदस्य इस वर्ष जितना काम कर सके, करे और बखूबी करे। ऐसे लोग ही राष्ट्रको जागृत कर सकेंगे। उन्हें यह नही सोचना चाहिए कि किसी राष्ट्र या ध्येयके लिए एक आदमीके किये कुछ नही हो सकता। दुनियामें जितने भी काम होते हैं, वे सब व्यक्तियोंके समुदाय द्वारा किये जाते है। किसी-न-किसी एक व्यक्तिको शुरुआत तो

करनी पड़ती है। इसलिए हरएक व्यक्ति, जो किसी कामकी सफलताके रहस्यको समझता है, अपना काम ध्यानपूर्वक करता जाये और दूसरे लोग अपना काम करते है या नही इसकी चिन्ता छोड़ दे।

किसीको भी की हुई सेवाके बदलेमें मेहनताना लेते हुए शर्माना नही चाहिए। जो काम करता है उसे पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए। उसके पारिश्रमिक स्वीकार कर लेनेसे उसकी निःस्वार्थतामें कोई कमी नही आती। सच्ची बात तो यह है कि एक अत्यन्त नि स्वार्थ मनुष्यको अपना सर्वस्व (तन, मन और आत्मा) देशके अर्पण कर देना पड़ता है। मगर फिर भी उसे अपना पोषण तो करना ही पड़ता है। राष्ट्र ऐसे स्त्री-पुरुषोंकी जीविकाका खुशी-खुशी प्रबन्ध करता है और फिर भी उन्हे नि.स्वार्थ मान कर उनका सम्मान करता है। एक स्वयसेवक और मजदूरके बीच जो अन्तर है, वह यह है कि जहाँ मजदूर मजदूरी देनेवालोकी सेवा करता है, वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपनी सारी सेवाओको राष्ट्रके उस कार्यके लिए अर्पण कर देता है, जिसमें वह श्रद्धा रखता है और उसके लिए भूखो मर मिटना भी पसन्द करता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १६-५-१९२९

३६६. टिप्पणियाँ

पण्डित सुन्दरलालकी पुस्तक

संयुक्तप्रान्त[1] सरकारने पण्डित सुन्दरलालकी 'भारतमें अंग्रेजी राज' नामक पुस्तक जब्त करनेमें बडी सख्तीसे काम लिया। लेकिन उसे इतने ही से सन्तोष न हुआ। अब वह उन लोगोको भी सता रही है, जिनके पास जब्तीकी घोषणासे पहले उक्त पुस्तककी प्रतियाँ पहुँच चुकी थी, या जिनके पास उसके होनेका सरकारको शक है। संयुक्तप्रान्त सरकारकी प्रेरणासे हो, या स्वेच्छासे, मध्यप्रान्त सरकारने भी संयुक्तप्रान्त सरकारकी नकल करते हुए अपने प्रान्तमे इस पुस्तकका प्रवेश रोक दिया है। एक संवाददाता पूछते हैं, "अब वे लोग क्या करे जिनके पास उक्त पुस्तक मौजूद है?" मेरे विचारमें, जिन लोगोके पास यह पुस्तक है उनके लिए यह जरूरी नही है कि वे उसकी जिल्दोको पुलिसके हवाले कर दें। पुस्तकको अपने पास रखनेसे किसी तरह नीतिका उल्लंघन नही होता। और जो लोग पुस्तककी जब्तीको दुष्टतापूर्ण लूट समझते हैं; उनका न केवल यह कर्त्तव्य है कि वे जब्तीके काममें सरकारकी मदद न करे, बल्कि उन्हे तो चाहिए कि वे हर कानूनी उपायसे अधिकारियोकी उन घोर दुष्टतापूर्ण हरकतोंको असफल बनाये, जिनके जरिये वे पुस्तककी उन प्रतियोको भी हड़प जाना चाहते है, जो प्रकाशकके हाथसे निकल कर ग्राहको तक पहुँच चुकी है। अगर मेरे पास उस पुस्तककी कोई जिल्द होती, और मै सरकारी अभियोगकी

१. आजका उत्तर प्रदेश।

जोखिमको सिरपर लेना न चाहता तो मैं उसे जला डालता। लेकिन अगर मैं सरकारके अभियोगको अपने सिर लेना चाहता, तो तुरन्त ही पुलिसको सूचित करता कि पुस्तक मेरे पास है और उसे चुनौती देता कि वह मुझे गिरफ्तार कर ले। अगर मैं अभियोगको अपनी ओरसे न्योता तो नही देना चाहता होता, मगर उसके लगाये जानेकी मुझे चिन्ता भी न होती, तो उस हालतमें भी मैं पुस्तकको अपने पास ही रखना कर्त्तव्य समझता और पुलिसको स्वयं उसका पता लगानेका अवसर देता।

मुझे मालूम हुआ है कि मध्यप्रान्त सरकारकी उक्त विज्ञप्तिके अनुसार उक्त पुस्तकके उद्धरणका छापना भी जुर्म करार दिया गया है। आशा है, यह खबर झूठ होगी। लेकिन अगर सच है, तो समाचारपत्रोके लिए जहाँ ग्रन्थकर्त्ता और प्रकाशकके प्रति स्पष्ट सहानुभूति प्रकट करनेका यह एक अच्छा अवसर है वहाँ इसीके द्वारा सम्बन्धित सरकारोका मनोरथ विफल भी किया जा सकता है। यह काम इस तरह किया जा सकता है कि जिनके पास पुस्तककी प्रतियाँ हो, वे समाचारपत्रोके पास उसके चुने हुए उद्धरण भेजें और समाचारपत्र उन्हे छापें। केन्द्रीय और स्थानीय सरकारें हमें एक छोटे पैमानेपर सविनय अवज्ञाका मौका दे रही हैं। अत. जो लोग सविनय अवज्ञामे विश्वास रखते हो वे इन अवसरोसे लाभ उठानेमें न चूकें। यद्यपि इस समय देशका वातावरण अत्यन्त निराशाजनक और कायरतापूर्ण हो रहा है, तथापि जो निडर और अविचलित हैं उन्हें इस वातावरणसे प्रभावित ही नही होना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे हर उचित और वैध अवसरका लाभ उठाना चाहिए जब वे सरकारको अपनी राक्षसी शक्तिका भरपूर उपयोग कर देखनेकी चुनौती देकर कार्यकर्त्ताओमें आशा और उत्साह फूंक सकते हो।

अभय आश्रम

'यंग इंडिया'के पाठक इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थासे अपरिचित नही हैं। संस्थाके १९२८ के दौरान किये गये कार्योका विवरण अभी-अभी मिला है। यह उसकी चतुर्दिक प्रगतिका विवरण है। संस्थाका सबसे बड़ा कार्य उसका खादी-विभाग है। उसकी दिनोदिन बढती बिक्रीका लेखा इस प्रकार है:

१९२४— २१,८२२ रुपये
१९२५— ७०,६२० "
१९२६—१,४२,९६० "
१९२७—१,४२,८२० "
१९२८—१,८८,०९१ "

मजूरीके तौर पर दी गई कुल राशि ७०,५२५ रुपयेका वितरण इस प्रकार किया गया:

बुनकरोंको— २९,४९२ रुपये
दर्जियोको— ७,०८१ "
कतैयोको —३०,४५३ "
धोबियोंको— ३,४९४ "

यह सारा काम २३ खादी-केन्द्रोके जरिए किया जाता है, जिनसे पूरे समय काम करनेवाले ६१ कार्यकर्त्ताओकी जीविका चलती है। इन केन्द्रोका नियत्रण एक मण्डल करता है जिसका प्रतिवर्ष चुनाव किया जाता है। इस समूचे काममे १,२१,-००० रुपयेकी पूँजी लगी हुई है, जिसमें से ५५,००० रुपये अ० भा० च० सघसे बतौर कर्ज लिये गये हैं। शेष राशि बैंकोसे उधार ली गई है जिनको काफी ऊँचे दर पर सूद चुकाना पड़ता है। सूदकी राशि प्रति वर्ष ५,००० रुपये पड़ती है। अब जनता चाहे तो सूदकी यह राशि साल-दर-साल अदा करती रहे या फिर आश्रमको बिना ब्याजके उतनी रकम बैंको जैसी शर्तोपर ही उधार दे दे।

आजकल आश्रम रँगाईके क्षेत्रमें प्रयोग कर रहा है और उसका दावा है कि "मशीनोंके इस्तेमालके बिना ही वह बिलकुल एकसार और पक्के रगोमे वस्त्र रँग सकता है।" विवरणमे कहा गया है — "हम अपने खरीदारोसे अपने रँगे खाकी रगके वस्त्र खरीदनेका विशेष आग्रह करते हैं, जो धूप, धुलाईके मसालो और पसीनेसे बदरंग नही होते।"

आश्रमका दूसरा कार्य-क्षेत्र है — राष्ट्रीय शिक्षा। वह ३१ प्राथमिक पाठशालाएँ चला रहा है, जिनमें से १९ ढाका, ९ टिपरा और ५ बाँकुरा जिलेमें है। इन पाठशालाओमें १,०५८ छात्र शिक्षा पा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षाके तीन विद्यालय हैं, जिनमें १९९ विद्यार्थी है। शिक्षापर कुल ४,७०२ रुपये ९ आने ६ पाई खर्च किया गया है। आश्रमका एक चिकित्सा-विभाग भी है जिसमे बाहरी रोगियोके लिए एक डिस्पेंसरी, एक अस्पताल एक मेडिकल स्कूल और एक सेवा समिति है। डिस्पेंसरीसे ३,१५७ रोगियोने लाभ उठाया, जिनमेंसे ७२१ महिलाएँ थी। मलेरियासे पीड़ित रोगियोंकी संख्या ही सबसे अधिक रही। दूसरे नम्बरपर थे उदर-कृमियोसे पीड़ित २७७ रोगी और तीसरे नम्बर पर कालाजारके रोगी। अस्पतालमे २० पलंग हैं। आलोच्य वर्षमें २१५ रोगी दाखिल किये गये थे। डिस्पेंसरी और अस्पतालपर क्रमश: १,५७४ और ४,४०० रुपये खर्च हुए। मेडिकल स्कूलमें २० विद्यार्थी प्रशिक्षण पा रहे है। 'सेवा सदन' का मुख्य काम अस्पतालमें दाखिल गरीब रोगियोके लिए घर-घर जाकर चावल उगाहना है। आश्रम अस्पृश्यता या वंशगत जाति-भेदमे विश्वास नही करता। आश्रम छोटे-मोटे पैमानेपर खेती भी करता है और उसने १८ बीघे जमीनमें २०० मन चावलकी पैदावार कर दिखाई और इतनी साग-सब्जियाँ भी पैदा कर ली जो आश्रमके ५० सदस्योंके लिए छ: महीने तक पूरी पड़ती रही। आश्रममे ६ गायें और १० भैसें हैं। ढाकामें एक आदर्श डेरी फार्म बनानेकी कोशिश चल रही है। आश्रमके अनेक केन्द्रोके पास अपने पुस्तकालय भी है। आश्रमने अपने विभिन्न कार्योंके लिए जनतासे ३७,००० रुपये जमा किये है। आश्रमको अपने पाँच वर्षोके जीवनकालमें कुल मिलाकर डेढ़ लाख रुपयेकी राशि चन्देके रूपमें मिली है। अगले वर्षकी उसकी आवश्यकता है — ५०,००० रुपये खादी-विभाग और ५०,००० रुपये अन्य विभागोके लिए। इस प्रकारकी संस्थाको विवेकशील जनतासे आवश्यक रकम प्राप्त करनेमे कोई कठिनाई नही पड़नी चाहिए।

विदेशी वस्त्रका बहिष्कार

विदेशी वस्त्र-बहिष्कार समितिने नीचे लिखा सूचना-सार[1] प्रकाशित किया है। आशा है, दूसरी म्युनिसिपैलिटियाँ और लोकल बोर्ड इससे प्रेरणा पाकर काम करेंगे।

मोटी खादी

विदेशी वस्त्र-बहिष्कार आन्दोलनके कारण खादीके उत्पादन और बिक्रीकी मात्रा सहज ही बढ गई है। मगर यदि खादीके उत्पादनको असीमित बनाना है, तो थोडे समयके लिए खादीकी अच्छाईमें तो फर्क अवश्य पडेगा। अखिल भारतीय चरखा संघ अपने शान्त प्रयत्न और प्रयोगोंके कारण खादीकी सुन्दरता, और उसकी बनावट वगैरामें लगातार प्रगति करता गया है। लेकिन जब कार्यकर्त्ता कच्चे या नौसिखुए कतैयोंके पास जाये और उनसे सूत तलब करे तब कोई खास शर्तें उनपर न लादे। नौसिखुए कातनेवाले आरम्भमें एकदम महीन और इकसार सूत नही कात सकेंगे। इसलिए अगर जनता खादी-आन्दोलनको और उसके द्वारा लाखो भूखो मरनेवालोंको मदद पहुँचाना चाहती है तो उसे चाहिए कि वह खादी-आन्दोलनके प्रत्येक नये दौर और प्रत्येक नये विकासके मौकेपर थोड़े समयके लिए मोटी-झोटी खादी पहनकर ही सन्तोष कर ले। विदेशी वस्त्र-बहिष्कारको सफल बनानेके लिए या भारतके गरीबोंकी मददके लिए मोटी-झोटी खादी पहनकर रहना कोई इतना बडा त्याग तो नही है।

अ० भा० च० संघकी सदस्यता

पाठकोने पिछले हफ्तेके 'यग इडिया' के अंकमें अ० भा० च० सघ द्वारा प्रकाशित यह सूचना देखी होगी कि उसने 'बी' श्रेणीकी सदस्यता समाप्त करनेका निश्चय कर लिया है। मै इसे एक सही कदम मानता हूँ। 'बी' श्रेणीकी सदस्यता उन लोगोको अँटानेके लिए ही चालू की गई थी जो हर महीने एक हजार गज हाथ-कता सूत तैयार करके संघको भेजनेमे अपनी असमर्थता प्रकट करते थे। लेकिन हमारा अनुभव यह रहा है कि प्रतिवर्ष दो हजार गज सूत कातनेकी शर्तपर दी जानेवाली इस 'बी' श्रेणीकी सदस्यताका लाभ कोई बहुत ज्यादा लोगोने नही उठाया। और फिर जब सघकी कार्यकारी परिषदके लिए सदस्योके निर्वाचनमे मर्यादित अधिकार दिये जानेकी घोषणा की गई तब तो फिर 'बी' श्रेणी की सदस्यताका अटपटापन और भी उभर कर सामने आ गया। मतदानका अपना अधिकार बनाये रखनेके लिए 'ए' श्रेणीके सदस्य बारम्बार आग्रह करने लगे कि उनको 'बी' श्रेणीमें रख दिया जाये। परिषद नही चाहती थी कि वह मतदानके लिए निश्चित किये गये अपने नियमोसे मुकरे। इसलिए मूल सूचीमे तो कोई सशोधन-परिवर्तन नही किया गया, लेकिन यह तय कर लिया गया कि आगेसे सदस्योकी केवल 'ए' श्रेणी ही रखी जाये। और चूँकि अखिल भारतीय चरखा सघकी नीति प्रारम्भसे ही केवल उन

१. यह यहाँ नहीं दिया गया है।

लोगोंको सदस्यता देनेकी रही है जिनको चरखेके सन्देशपर पूरी आस्था हो, इसलिए यही ठीक समझा गया कि सदस्योंकी एक ही श्रेणी रखी जाये और उसकी शर्तें अपेक्षाकृत कड़ी रहें। निस्सन्देह इसके फलस्वरूप संघकी सदस्यसंख्या काफी घट जायेगी। परन्तु परिषदको ऐसा खतरा मोल लेनेमें कोई संकोच नहीं है। यदि सदस्यगण प्रति दिन आधा घंटा भी कताईके लिए देनेको तैयार न हों, तो इससे चरखेके संदेशपर उनकी कोई अधिक आस्था प्रकट नहीं होती।

अ० भा० च० संघ के तकनीकी विभागने कताईके विषयमें अपनी अनेक शाखाओंको लिख भेजा है कि सदस्यताके चन्देके रूपमें भेजा जानेवाला सभी सूत समान रूपसे अच्छे किस्मका नहीं रहता। उसे जैसे-तैसे पैकिटोमें रख कर भेज दिया जाता है और बहुधा इस बातका भी खयाल नहीं रखा जाता कि उसपर डाक-खर्च कितना ज्यादा पड़ता है। टिप्पणीमें कहा गया है :

> कई बार तो सूतकी कीमतसे कहीं ज्यादा उसपर डाक-खर्च आ जाता है। एक क्षेत्रसे जितना सूत भेजा गया था उसपर कुल डाक-खर्च ५५ रुपये आया था, अर्थात् सूतकी कुल कीमतका ६० प्रतिशत। इसलिए हमारा सुझाव है कि हर प्रान्तसे केवल एक ही जगहसे सूत भेजा जाये और वह भी मालगाड़ीके जरिए।

कुछ मामलोंमें तो सूत इतना मोटा-झोटा और गाँठ-गठीला था कि उसका कोई उपयोग ही नहीं था। मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि बेकार किस्मका सूत चन्देके रूपमें स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए। चन्देके रूपमें सूत देनेका मतलब ऐसा सूत देना है जिसे बुना जा सके, ठीक उसी तरह जैसे कि चन्देके रूपमें दी जानेवाली मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जो बाजारमें चल सके, खोटी न हो। चन्दा देनेवाले कतैयोंको कताई और लच्छियाँ बनानेके सम्बन्धमें पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और संघकी शाखाओंको इस बातपर ठीक ध्यान देना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १६-५-१९२९

३६७. पत्र : मीराबहनको

१६ मई, १९२९

चि० मीरा,

११ तारीखका एक पत्र मिला। बेशक तुम जितनी बार चाहो पत्र लिखो और दूरी-निवारक सुविधाओंका मनचाहा उपयोग करो। मैंने तो बस इतनी बात कही थी कि सुविधाएँ छिन जानेकी स्थितिमें हमें अपना मन अशान्त नहीं होने देना चाहिए।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

अब मैं कलकत्ताके रास्तेसे जा रहा हूँ। इसलिए मैं शायद बिलकुल ही न लिख सकूँ। ईश्वरने चाहा तो हम २२ तारीखको बम्बईमें मिलेंगे ही।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३७७)से।
सौजन्य : मीराबहन

३६८. पत्र : छगनलाल जोशीको

[१६ मई, १९२९][1]

चि० छगनलाल,

इस समय ऐसी जगहोंमें घूम रहा हूँ जहाँ डाकका कोई भरोसा नही रहता। कार्यक्रममें थोडा भी फेरफार हो जाये तो डाक आगे-पीछे हो जाती है और जब मिलनी चाहिए उससे देरमें मिलती है। लेकिन अब ज्यादा दिन नही हैं। आज गुरुवार है। बुधवारकी रातको बम्बई पहुँच जाने की आशा है।

अभीतक तबीयत ठीक रही है। और मुझे लगता है कि अब बिगडनेकी सम्भावना कम ही है। यहाँ 'दत्तमण्डल' में जितनी सोची थी उतनी गर्मी नही है। आन्ध्रके लोग 'सीडेड ट्रैक्ट्स' को 'दत्तमण्डल' कहते हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

शंकरन यहाँ पहुँच गया है। उसने कोई तीन मासके बाद आश्रम आनेकी बात कही है। सुब्बैयाको राजाजीके पास भेजा है। सम्भव है कि मेरे बम्बई पहुँचनेतक वापस आ जाये।

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–७ : श्री छगनलाल जोशीने

१. गांधीजी बुधवार, २२ मईको बम्बई पहुँचनेवाले थे। पत्र उससे पूर्व गुरुवार, १६ मईको ही लिखा गया होगा।

३६९. पत्र : मोहनलाल भट्टको

१६ मई, १९२९

भाईश्री मोहनलाल,

'यंग इंडिया' के लिए जितनी सामग्री तैयार हुई है उतनी भेज रहा हूँ। आज सुब्बैया यहाँ नही, इसलिए जैसीकी तैसी ही भेज रहा हूँ। यह तुम्हें सोमवारको मिल जानी चाहिए। बहुत ध्यान रखनेपर भी जो सामग्री तुम्हें सोमवारको मिलनी चाहिए वह क्यों नही मिलती, यह समझ नही आता।

'नवजीवन' में महादेवका लेख देख लिया है। उसमें गलतीसे भाषाके दोष रह गये है। 'नवजीवन' तो संग्रहणीय वस्तु है। उसकी मार्फत हम शुद्ध भाषा तथा शब्दोकी वर्तनी देना चाहते है। इसलिए भाषा और शब्दोंके हिज्जे हमारे नियमोके अनुसार होने चाहिए। इसके लिए किसी सतर्क मनुष्यको नियुक्त करनेकी जरूरत हो तो वैसा करें; किन्तु हमारी छपी सामग्री हमेशा निर्दोष होनी चाहिए। महादेवका लेख देख लोगे तो मेरी बात और स्पष्ट हो जायेगी। यह पत्र महादेवको पढा देना।

बापूके आशीर्वाद

[संलग्न :]

प्रोहिबिशन (नशाबन्दी)
आन्ध्र नोट्स (आन्ध्रकी टिप्पणियाँ)
नीड ऑफ द आवर (समयकी पुकार)
लिबरेट द विमेन (स्त्री स्वातन्त्र्य)[१]

गुजराती (एस० एन० ११७५६)की फोटो-नकलसे।

३७०. पत्र : छगनलाल जोशीको

१७ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारा १४का पत्र आज मिला है। दूसरे घूम-फिरकर मिल जायेंगे। यह तो अच्छा हुआ कि रणछोड़भाई आ गये है।

मगनलालके श्राद्धकी मुझे बिलकुल याद न थी। दैनन्दिनी न लिखूँ तो मुझे तारीख और वारका भी ध्यान न रहे। किन्तु मैं तो रोज ही मगनलालका श्राद्ध मनाता हूँ, इसलिए इस लौकिक तिथिका ध्यान नही रहा, इसका मुझे तनिक भी शोक

१. मूलमें ये नाम अंग्रेजीमें है।

नही है। इसे याद रखना तुम सबका कर्त्तव्य था। और लगता है कि तुमने इसका अच्छी तरह पालन किया है।

अखण्ड चरखा चलानेके विचारको बहुत प्रोत्साहन नही देना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। ऐसे अवसरपर एक चरखा चलता रहे, यह तो मै ठीक मानता हूँ।

सफाईके लिए जो निश्चित किया है, वह रोज निभ सके तो ज्यादा अच्छा हो। हमारे पाखाने और पेशाबखाने जितने साफ होने चाहिए, उतने साफ नही रहते।

महादेवका पत्र उसे शोभा देनेवाला है। उसमे जितना निराशाका अश है उसका मुझपर असर नही हुआ है। सब कोई अपनी सामर्थ्यके अनुसार काम कर रहे है, ऐसा मेरा दृढ विश्वास है। हम नीचे नही गिरे। जागृत तो रहना चाहिए, इसलिए आत्मनिन्दा एक हदतक आवश्यक है।

अब तो हम लोग बम्बई पहुँचनेके दिन गिन रहे है। आज शुक्रवार है। रविवार और सोमवार तो कुरनूलमे रहेगे। मगलवारकी रात अडोनीसे फास्ट पैसेन्जर लेनेका इरादा है और बुधवारकी रात बम्बई।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

तकुएके बारेमे मीराबहनका पत्र देखने लायक है। तुममें से जिसे उसमे दिलचस्पी हो उसके पढनेके लिए साथ भेज रहा हूँ।

बापू

गुजराती (जी० एन० ५४१८)की फोटो-नकलसे।

३७१. पत्र: नारणदास गांधीको

१८ मई, १९२९

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। भले ही जिन्दगी-भर मुझे यही करना पडा है, फिर भी मुझे लगता है कि दूर बैठे-बैठे आश्रमकी व्यवस्था देखना मेरे लिए ठीक नही है। मगनलालके समय भी ऐसा ही था। यह सही है कि जैसे-जैसे वह मुझे जानता गया वैसे-वैसे मेरा बोझ हल्का होता गया और मुझसे कुछ पूछनेकी जरूरत कम पड़ने लगी। लेकिन जो जरूरी लगता था सो तो वह पूछ लेता था। फिर भी इस बार वहाँ आनेपर दूसरा जो प्रबन्ध कर सकूँगा, करूँगा। मुझे सब व्यवस्था अपने हाथमें रखनेका मोह तो नही है। तुम्हारा पत्र पढकर फाड दिया था।

अगर कोई आश्रममे छगनलालकी निन्दा करता है तो उसे सहन करना चाहिए। कुछ लोग निन्दा करते है तो स्तुति करनेवाले भी तो है।

मुझे जितने भी पत्र प्राप्त हुए हैं सभी प्रेमभाव व्यक्त करनेवाले हैं। क्या तुम्हे नही लगता कि छगनलालको प्रायश्चित्तके लिए आश्रममें रह ही जाना चाहिए। यदि वह ऐसा करनेमे असमर्थ हो तो दूसरी बात है। धर्म तो यही कहता है। लगता है कि शून्यवत रहनेके बारेमे मेरे कथनका तुम अर्थ नही समझ पाये हो। शून्यवत रहनेका अर्थ काम-काजके बिना नही वरन अभिमानरहित रहना है। 'मै कुछ हूँ' ऐसा अभिमान हमेशा छगनलालके मनमे रहा है। इसलिए तो उसे पाप करनेकी प्रेरणा हुई। मेरे कथनका यही अर्थ था कि यह सब छूट जाना चाहिए। छगनलाल आश्रम जीवनके अनुसार न रह सके, सयुंक्त रसोईमें शामिल न हो सके तो तुम्हारी तरह भी रह सकता है। आश्रममे रहनेसे वह निरभिमानी बनेगा लेकिन इस विषयमे और बात करेगे। इस बारेमें मुझे कोई आग्रह नही है।

जिसमे छगनलाल और काशीका भला हो मै वही करनेको तैयार हूँ और उसीकी इच्छा करता हूँ।

पुरुषोत्तमके विषयमे मिलनेपर बात करूँगा। उसका स्वास्थ्य सुधारना ही होगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

बहुत लोग आ-जा रहे है; उसी भीड-भाड़मे यह पत्र लिखा है।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो–९ : श्री नारणदास गांधीने

३७२. पत्र : के० नरसमको

[१८ मई, १९२९]

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। यदि कमरे अलग-अलग होनेसे भी संघर्षका अन्त नही आता, तो आपको अलग-अलग मकानो या अलग-अलग गाँवो तकमे जाकर रहना चाहिए।

ईश्वरमे अपना चित्त पूरी तरह लगानेसे सभी मनोविकार नष्ट हो जायेंगे?

यदि कोई आदमी अपने-आपको गाँवके लोगोंके साथ बिलकुल घुलामिला देना चाहे, तो खद्दर पहनना उसका परम कर्त्तव्य हो जाता है।

अहिंसा जीवनकी आधार-शिला है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत के० नरसम
तनकू

अंग्रेजी (जी० एन० ८८०९) की फोटो-नकल से।

३७३. एक प्रश्न

मिलमें काम करनेवाले एक नवयुवक लिखते है :[1]

अंग्रेजीमे एक कहावत है। उसका आशय यह है कि डिब्बेको लड्डूसे भरा बनाये रखना और उसमें से खाते भी रहना, दोनो काम एक साथ नही हो सकते। अगर लड्डू खायेंगे तो डिब्बेका खाली होना अनिवार्य है। इसी तरह मिलकी नौकरी छोड़ना और १००) मासिक व्ययको निभानेवाली नौकरी ढूंढना, दोनो काम एक साथ नही हो सकते। थोडा गम्भीर विचार करनेपर हमें पता चलेगा कि बडी-बडी तनख्वाहे ज्यादातर उन्ही धन्धोमें मिलती है, जो अंग्रेजी राज्यमे शुरू हुए है और जो अंग्रेजी राज्यको बनाये रखनेमे कुछ अशतक उसके मददगार होते है। जिस देशमे एक आदमीकी दैनिक आय सात पैसेसे ज्यादा नही है, जहांके १० करोड़ स्त्री-पुरुष प्रतिदिन आधा पेट खाकर जीते है, उस देशमे न तो बडी-बडी तनख्वाहें हो सकती है, न होनी चाहिए। व्यक्तियोकी तनख्वाहे जितनी बडी होती है, गरीबोका बोझ उतना ही ज्यादा बढ जाता है। अत. जो मिल वगैरा विभागोमें नौकरी करना पसन्द न करते हो, उन्हे अपना खर्च घटाना चाहिए। खर्च घटानेके दो रास्ते है: एक तो रहन-सहन सादा बनाना; दूसरे अपने आश्रितोकी संख्या कम करना। जो काम करने योग्य उम्रके है, अपग नही है, उन्हे उद्यम करके घर-खर्चमें हाथ बँटाना चाहिए। घरेलू उद्योग-धन्धोकी कोई कमी नही है। कई घरेलू धन्धे तो सहज ही सीखे जा सकते है और बिना पूंजीके हाथमे लिये जा सकते है। जो इन दो मार्गोमें से एक पर भी चलनेको तैयार न हो, वह अपने वर्तमान कामपर डटा रहे और यह काम करते हुए वह जो-कुछ बचा सके, बचाये, और जितनी सेवा कर सके, करे। मिल मजदूरोके दु.खोका निरीक्षण करके, उनके निवारणके लिए जिन उचित उपायोका अवलम्बन लिया जा सके, उनसे काम ले। वह अपने चरित्र द्वारा साथियोके चरित्र पर असर डाले और स्वयं अपना चरित्र शुद्ध बनाये रखे। अगर नौकर प्रामाणिक और होशियार हो तो वह अपने मालिकको भी प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार मजदूरोके लिए न्याय प्राप्त कर सकता है।

संसारमे कर्म-मात्र, आरम्भ-मात्र दोषमय समझे गये है। यह होते हुए भी जहाँ तक हो सके हम दोष-मुक्त रहें और निर्दोष काम करते जायें। साथ ही कर्म विशेषके दोष देखकर निराश होनेके बदले या तो उस कर्मको छोड देना चाहिए या उसमें लिप्त रहकर भी जहाँतक शुद्ध रहा जा सके, रहना चाहिए। कसाई भी अगर चाहे

१. यहाँ नहीं दिया गया है। युवकने लिखा था कि मजदूरोंके साथ होनेवाले अन्याय और मिल-मालिकोंकी स्वार्थ-वृत्तिको देखते हुए वह वहाँ काम नहीं करना चाहता; पर किसी दूसरे धन्धे द्वारा पर्याप्त धन कमाना भी उनके लिए सम्भव नहीं। इस दशामें उसे क्या करना चाहिए?

तो एक हदतक दयालु बन सकता है। मैं ऐसे कसाइयोको जानता हूँ। 'महाभारत' के सुप्रसिद्ध कसाईका जीवन इस सम्बन्धमें विचार करने योग्य है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-५-१९२९

३७४. एक भ्रम

बम्बईसे एक मित्र लिखते हैं:[1]

इस तरहकी दलील मैं पहले भी सुन चुका हूँ। वहमकी दवा अबतक कोई हकीम या वैद्य नही खोज सका है। इस कारण मुझे बहुत कम आशा है कि मैं जो दलीले दूँगा, उनसे बी० ए० और एल० एल० बी० के मोहमें फँसे हुए लोग अपना मोह छोड देंगे। फिर भी जिनके हृदयमें अबतक शका है, उनके लिए दो तीन सचोट बाते पेश करता हूँ।

देशमें वकीलोकी तादाद बेशुमार है, मगर उनमें से कितने सेवा करते है? जो सेवा करते है उनमे से कितने वकील कानूनी परीक्षाका उपयोग करते है?

गोखले वकील नही थे, फिर भी उनकी सेवामें कही कमी नही मानी जाती। सर दिनशा वाछा वकील नही है, दादाभाई वकील नही थे, ह्यूम भी वकील नही थे।

फिर यह बात भी नही है कि जो वकील लोग इस समय सेवाक्षेत्रमे है, वे अपनी वकालतके कारण चमकते रहे हो, मगर उनमे दूसरी ऐसी शक्तियाँ है जो उन्हे चमकाती है।

दुनियामें अबतक जो महान् देश-सेवक हो चुके है, उनमे वकीलोके नाम इने-गिने ही दिखाई पड़ेगे।

देशकी स्वाधीनता कानूनी बारीकियोसे हासिल नही होती। उसके लिए या तो लोहेकी तलवार जरूरी है या सत्याग्रहकी खड्ग। प्रताप, शिवाजी, नेलसन, वेलिंग्टन, क्रूगर वगैरा वकील नही थे, अमानुल्ला वकील नही है, न लेनिन ही वकील था। इन सबमें वीरता, स्वार्थ-त्याग, साहस आदि गुण थे, यही वजह है कि ये इतनी सेवा कर सके।

मैं ये पंक्तियाँ वकीलोकी या वकालतकी निन्दा करनेकी गरजसे नही लिख रहा हूँ। जीवनमें इनका अपना भी क्षेत्र है। भारतवर्षके अर्वाचीन इतिहासमे वकीलोकी सेवाका हिस्सा बहुमूल्य है। इन पंक्तियो द्वारा मैं यही बताना चाहता हूँ कि सेवाके लिए वकील बनना आवश्यक नही है, और जिन वकीलोने सेवा की है, उनकी सेवामें वकालतका हाथ बहुत थोडा था।

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। लेखकने अपने एक मित्रका उल्लेख किया था जो देश-सेवा करनेके पहले वकालत करना चाहते थे और पूछा था कि इन मित्रका भ्रम कैसे दूर किया जा सकता है।

एक बात और। वकील होना, और कानूनकी कामचलाऊ जानकारी हासिल करना, दो भिन्न बातें है। कानूनकी जरूरी जानकारी हरएक ख्वाहिशमन्द सेवक हासिल कर सकता है। सर्टिफिकेट पैसे कमानेका साधन है, सेवाका कदापि नही।

इस समय हमें हजारोकी तादादमें सेवकोकी आवश्यकता है। बहुत थोड़े लोग वकील हो सकते हैं। सेवाका क्षेत्र अनन्त है। सेवकोकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए जिनके दिलमें सेवाके लिए उत्साह है, सच्ची लगन है, वे वकील बनने या दूसरी उपाधियाँ पानेके लिए एक क्षण भी न रुके। सेवा-मार्गमें सेवकको जिस ज्ञानकी जरूरत पडेगी, उसे वह सहज ही प्राप्त कर लेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-५-१९२९

३७५. डाक्टर दलाल

डाक्टर दलालके देहान्तसे उन अनेक रोगियोको, जिन्होने उनकी शस्त्रक्रियासे लाभ उठाया है, बहुत अधिक दु:ख हुए बिना न रहेगा। वह शस्त्रक्रियामें लगभग अद्वितीय हो गये थे। मेरा उनका सम्बन्ध कई मधुर स्मृतियोसे पूर्ण है। सन् १९१८ मे, जब उनसे पहली बार भेंट हुई थी, उन्होंने अपने आत्मविश्वास, अपनी विनोदप्रियता, और अपनी चातुरी द्वारा मेरा मन चुरा लिया था। उनकी 'फीस' बहुत ज्यादा मानी जाती थी। एक बार इस बारेमें जब मैंने उन्हे ताना दिया था, तब जवाबमें उन्होंने कहा था: "जो देनें योग्य हैं उनसे अगर मैं कसकर फीस न लूँ तो आप-जैसोकी सेवा कैसे कर सकूँ?" इस घटनाके बाद तो कई वर्ष बीत गये, और इस बीच कई रोगियोके लिए मुझे उनकी सेवाकी जरूरत पडी थी। इन रोगियोमें दीनबन्धु एन्ड्रयूज और आचार्य गिडवानी जैसे भी थे। इनमे से किसी एकके लिए भी डाक्टर दलालने कभी सकोच प्रकट नही किया। उनकी मृत्युकी खबर देते हुए महादेव देसाई लिखते हैं:

> अपने देहान्तके एक सप्ताह पहले डाक्टर दलालने जमनालालजीसे कहा था कि "अब आपके सुझावानुसार नासिकमें सेनेटोरियम खोलूँगा और वहीं बस जाऊँगा। अब मुझे धनका लोभ नहीं रह गया है।" मई महीनेमें तो वह तन्दुरुस्त हो जानेकी आशा रखते थे। एक अति उत्तम गुजराती सर्जनके चल बसनेसे गुजरातकी बड़ी भारी क्षति हुई है।

ईश्वर डा० दलालके कुटुम्बियोको धीरज बँधाए। यह जानकर डा० दलालके कुटुम्बका दु:ख हलका होना चाहिए कि उनके दु:खमें भाग लेनेवालोमें डा० दलालके अनेक रोगी और मित्र भी है।

ऐसी मौतें हमें अधिक सावधान बनानेवाली होनी चाहिए। यह जानकर कि बड़े-बड़े डाक्टरों और हकीमोको भी बेखबर रहकर यो ही कूच कर देना पड़ता है,

हम-जैसे सामान्य लोगोको चिकित्साके सम्बन्धमे धीरज रखना चाहिए और उसकी मर्यादा नियमित कर देनी चाहिए। इलाजके लिए जगह-जगह भटकना, चक्कर काटना और पानीकी तरह पैसा बहाना, हमारे मिथ्या मोहकी निशानी है। यह जानकर कि मौत जब चाहेगी तब हमे उठाकर ले जायेगी, हमें चाहिए कि जो अच्छा काम, जो सेवा करनेका हमारा दिल हो उसे हम भविष्यपर कभी न छोड़े।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-५-१९२९

३७६. पत्र: मणिलाल और सुशीला गांधीको

१९ मई, १९२९

चि० मणिलाल और सुशीला,

नीरस होनेपर भी तुम दोनोके पत्र आते अवश्य है। मै तो सरस या नीरस नियमपूर्वक कुछ भी नही लिखता। इसलिए तुम दोनोकी शिकायत सच्ची मानी जायेगी। किन्तु इस यात्रामें तारीखोका कुछ ध्यान नही रख पा रहा हूँ। मेरी समझमे मै बर्मा और आन्ध्र देशकी यात्रामे तुम्हारी डाक नही देख पाया। अब यात्राकी गति कुछ कम होगी इसलिए मै ज्यादा सावधान रहूँगा।

सीता नाम तुम्हे न पसन्द आनेकी खबर मुझे नानाभाईकी मार्फत मिली थी। न पसन्द आनेका कारण तो ठीक लगता है। सुशीलाके लिए तो सीताका आदर्श ठीक है। किन्तु बालिकाके लिए तो किसी विद्रोही महिलाका नाम होना चाहिए। ऐसे सब गुणोवाली किसी कन्याका शास्त्रोमे विवरण है या नही, इस समय मुझे याद नही आ रहा। इस भावनाकी खबर मुझे पहले दे देनी चाहिए थी। अब कोई दूसरा नाम सोचूँगा। हम लोगोमे अंग्रेजोकी तरह एक व्यक्तिके दो-तीन नाम हो सकते है। सीताके चाहे दो तीन नाम रख दे। ऐसा लिख कर मै सीता नामका समर्थन करना चाहता हूँ। सीता जैसे पत्नीत्वका आदर्श है, वैसे ही वह कौमार्यका भी आदर्श है। पर मेरा आदर्श तो है कि स्त्रियाँ विवाहित होते हुए भी कुमारिकाका जीवन बिताये। सीता और पार्वती आदि इन दोनो आदर्शो तक पहुँच चुकी थी। 'रामायण' आदिमे उनका जैसा वर्णन है उसके अनुसार वे विकार-रहित थी। जब सीताको रामचन्द्रका वियोग सहना पडा तो उसे कोई कठिनाई नही हुई क्योकि उसका मन इतना निर्विकार था कि रावण उसे मलिन भावसे स्पर्श भी नही कर सका। इसलिए सीता नाम होते हुए भी स्त्री निर्विकार बननेकी सतत चेष्टा करे। इसीलिए सीता सात सतियोमे से एक है। सतीका अर्थ यह नही कि वह पतिके प्रति वफादार हो। सतीका अर्थ है वह स्त्री जो निर्विकार हो। सीताके दो बालक हुए इसे उसके दोषोमे गिननेकी आवश्यकता नही है, क्योकि वहाँ जो वर्णन है वह यही है कि केवल सन्तानकी इच्छासे ही राम और सीता मिले। आज ऐसा नही होता। आजके बच्चोका

जन्म विकारके कारण होता है। इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति प्रजोत्पत्तिको निषिद्ध मानता है। मै तो सीता आदिके विषयमे जो मान्यता है उसकी बात करता हूँ। सीताको हम ऐतिहासिक स्त्री न माने। केवल एक आदर्श नारी समझे। ऐतिहासिक राम-सीताको हम नही मानते। ऐतिहासिक राम आज मौजूद नही है। किन्तु जिसके बारेमे हम सम्पूर्ण ईश्वरत्वका विश्वास करते है, जो साक्षात् ईश्वर है, वह राम आज मौजूद है। उस रामनामको रटकर हम तरेगे। गुण-दोषोवाले राममे किसीको तारनेकी शक्ति नही होगी। यह सब समझमे न आया हो तो मेरे साथ चर्चा अवश्य करना। जो कुछ मैने अबतक पढा है उसमे मुझे सीताके नामसे उच्च आदर्शवाला कोई नाम मिला नही, इसीलिए यह नाम मुझे बहुत प्रिय है। फिर बोलनेमे मधुर और छोटा है। दोनो व्यजन भी हलके है। संयुक्ताक्षर एक भी नही और अन्तमे 'आ' होनेसे नाममें संगीतकी ध्वनि भी है। किन्तु तुम इसी नामसे बालिकाको बुलाओ, इसका मै आग्रह नही करता। तुम स्वयं कोई नाम ढूंढ कर रख लो, इसमे कुछ दोष नही है। धार्मिक ग्रन्थोमे या उपन्यासोमे से कोई नाम तुम्हारे सोचे हुए गुणोका सूचक हो तो वह नाम रख दो। मै तो और खोजबीन करूँगा ही।

छगनलालका दु:खद किस्सा तो तुम्हे मालूम हो ही गया है। उससे उद्योग मन्दिरमे बडा तूफान आ गया है। अब जब मै वहाँ थोडे दिन बाद पहुँचूंगा तब ज्यादा खबर मालूम होगी। देवदास अभी वही है। नीमू वापस बारडोली पहुँच गई है। रामीका मोरवीका पता है: कुँवरजी खेतसीका घर, त्रिभुवन पारेखकी गली, मोरवी।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। बा भी कुशलपूर्वक है। इमाम साहब कुछ कमजोर तो है; पर वैसे ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७४६)की फोटो-नकलसे।

३७७. पत्र: गंगाबहन झवेरीको

१९ मई, १९२९

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। तुम ठीक आनन्द ले रही हो; इसे बनाये रखना। चि० कुसुमने लिखा है कि तुम दोनो एक-दूसरेके नजदीक आती जा रही हो। मै यही चाहता हूँ। तुम लोगोमे जो एक-दूसरेको जानती है एक हृदय हो जाये तभी वे नई अनुभवहीन बहनोके आनेपर उनकी सेवा कर पायेगी। वसुमतीको भी यही लिखता रहा हूँ। तुमने और वसुमतीने एक-दूसरेको ठीक पहचान लिया है। तुम्हारा मण्डल बड़ा हो जाये तो बहुत काम हो सकता है। दो ही बहनोकी आपसमे बने तो उसमें स्वार्थ आ जाना सम्भव है। सबके साथ बने तो उससे सेवावृत्तिकी वृद्धि हो

सकती है। इसलिए मैं तुमसे यही माँगता हूँ कि तुम सब एक-दूसरेके साथ घुल-मिल जाओ। उसके लिए पहला कदम तो एक-दूसरेको अच्छी तरह जान लेना है।

जब चोर आये तब कोई नही डरा, यह बहुत अच्छी बात है। वे आते हैं तो आते रहे। हम जितनी सावधानी रख सकते हैं उतनी रखनेपर भी आते हैं तो आयें। मेरा ख्याल है कि ये लोग हमें शारीरिक हानि पहुँचाने नही आते। वे हमें जाननेवाले लोग हैं और हो सकता है हमारा मजाक करने ही आते हों।

डाहीबहन पटेलको क्या हो जाता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३०९६) की फोटो-नकलसे।

३७८. पत्र : छगनलाल जोशीको

१९ मई, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारा १२ तारीखका पत्र काफी चक्कर काटनेके बाद मिल गया है; यानी १४ तारीखके पत्रके बाद मिला है।

बालकृष्ण मध्यम मार्गको जानता ही नही है। किन्तु अन्तमे ठिकाने आ जायेगा। उसकी कठिन शर्तोका जो पालन कर सके, वे करे। मैं इस समय इस विषयमें किसीको कुछ नही लिखूँगा। वहाँ पहुँचनेपर ही बात करेंगे।

जयकृष्णको[1] तो मैंने समझाया था। तो भी उसने व्रतका संकल्प कर ही लिया। उसे जबरदस्ती कैसे रोकता? अच्छा काम करनेके इच्छुकको तो प्रोत्साहन देना ही चाहिए। वह प्रयत्न करते हुए असफल भी हो जाये तो इससे क्या होता है?

योग्यताकी क्या पहचान है? छगनलालसे बढकर अच्छा पात्र हम कहाँसे लाये? हमारा इतिहास यही बताता है कि योग्य व्यक्तिका ही पतन होता है। इसमे आश्चर्य और दु.ख करनेकी बात नही है। अधिकार आदिके उपयोगकी भी मर्यादा है। जिन्हे हम योग्य नही मानते, पर जो समय आनेपर योग्य सिद्ध हुए, ऐसे व्यक्तियोके मेरे पास अनगिनत उदाहरण हैं। हम जितने सावधान रह सके, उतने सावधान रहते हुए आगे बढनेका प्रयत्न करे। इस ससारमे जोखिम उठाये बिना कुछ काम नही हो सकता। मोक्ष प्राप्त करनेके पुरुषार्थमें कोई भी जोखिम उठाना पड़े, उठानेसे न डरे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इस पत्रको पूरा करते ही मीराबहनका पत्र हाथमें आया। उससे भी अधिकारी-का निर्णय करनेके बारेमे प्रकाश पडता है। जिसे हम पागल समझते है वह व्यक्ति

१. भणसाली, मूलमें जयकरन है, जो कि स्पष्ट भूल है।

अपनेको योग्य सिद्ध करेगा कि नही यह तो भगवान जाने। किन्तु हमें कैसे मालूम हो? हमारा ज्ञान कितना है? भविष्यकी कौन जानता है? दूसरी तरह भी मीराका पत्र उपयोगी होगा, यह सोचकर भेज रहा हूँ।

बापू

गुजराती (जी० एन० ५४१९) की फोटो-नकलसे।

३७९. टिप्पणी: अनाथाश्रम संघ, नेल्लोरके सम्बन्धमें[1]

१९ मई, १९२९

मुझे आशा है कि ये अनाथ अब अपने आपको अनाथ महसूस नही करते।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ३२३०) की फोटो-नकलसे।

३८०. पत्र: बालकृष्ण भावेको

[१९ मई, १९२९ के आसपास][2]

तुम्हारे जानेसे मुझको दु:ख हुआ। दु:ख इस बातके लिये हुआ कि मैंने यह आश्रम आत्मदर्शनके लिये ही बनाया है; सेवा इसका बाह्य अंग है, व्रतपालन इसका अंतरंग है। मूल उद्देश्य आश्रमका हरिदर्शन ही है। इस हालतमें तुम हरिदर्शनकी लालसामें बाहर क्यों चले गये, यह मैं समझ नहीं पाया।

बापुना पत्रो – ७: श्री छगनलाल जोशीने

३८१. पत्र: कुसुम देसाईको

[२० मई, १९२९ से पूर्व][3]

चि० कुसुम,

तेरा बेचैन होना ठीक ही था। हालाँकि मैंने कहा था कि जो ठीक लगे वही करो। प्रभावती थककर इस समय मेरे पास गहरी नींदमें सोई पड़ी है। पूरी रात

१. संघ द्वारा प्रकाशित एक पर्चेसे उद्धृत।

२. १९ मई, १९२९ को छगनलाल जोशीको लिखे पत्रमें बालकृष्ण भावेका उल्लेख होनेसे यह पत्र इसी तिथिके आसपास लिखा गया प्रतीत होता है।

३. बापुना पत्रो – ३: कुसुमबहेन देसाईनेमें दी गई सूचनाके अनुसार यह पत्र आन्ध्रकी यात्राके दौरान लिखा गया था। गांधीजीने २१ मई, १९२९ को आन्ध्रकी यात्रा समाप्तकी थी।

ट्रेनमें शोर होता रहा। तीसरे दर्जेकी भीड़में महात्माको भी थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है, ऐसा कह सकते हैं। प्रभावती अपने शरीरकी देखभाल कर सकेगी या नहीं, यह देखना बाकी है।

कुछ भी हो, अगली बार यात्रापर तो तुझे साथ रखूँगा ही। कैसे सहन कर सकोगी, यह देखना होगा।

सुलोचनाबहन आनन्दसे होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १७९१) की फोटो-नकलसे।

३८२. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

कुरनूल
मौनवार, २० मई, १९२९

बहनो,

आशा तो यह है कि इस सफरका मेरा यह आखिरी पत्र है। दूसरे सोमवारको तो पत्रके बजाय मैं खुद ही बम्बईसे मन्दिरके लिए रवाना हो जाऊँगा।

इस शहरमें लोगोंने मुझे अपूर्व शान्ति दी है। बाहर भी दर्शनोंके लिए भीड़ खड़ी नहीं होती। अबतक तो मैं सोमवारको भी भीड़से नहीं बच सका हूँ। दो दरवाजोंपर खसकी टट्टी लगा दी गई है, इसलिए बाहर गरम हवा चलनेपर भी अन्दर ठंडक है। इतने प्रेमका अनुभव होनेपर भी मैं सफरकी तकलीफोंकी शिकायत करूँ, तो मेरे जैसा कृतघ्न कौन होगा?

कानोंमें पाँच-सात जगह, नाकमें तीन जगह, हाथकी हरएक अँगुलीमें और पैरकी हरएक अँगुलीमें वाली, अँगूठी व कंगन पहननेवाली बहनोंको कौन समझा सकता है कि इसमें कतई शृंगार नहीं है?

कुछ पढ़ी-लिखी बहनें भी यह सब पहने दिखाई देती हैं। जब-जब इस तरह सजी हुई बहनोंको देखता हूँ, तब-तब (अपने) मन्दिरकी बहनोंकी याद आती है। तुम लोग कितनी उपाधियोंसे छूट गई हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६९९) की फोटो-नकलसे।

३८३. पत्र : छगनलाल जोशीको

मौनवार, २० मई, १९२९

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। 'आश्रम समाचार' भी मिला। कुछ पत्र अब भी इधर-उधरसे आनेको बचे ही होंगे।

आजकल स्वदेशीकी चर्चा होती रहती है। आज एक विद्यार्थीको इस विषयमें 'नवजीवन' मे जवाब दे रहा हूँ। उससे मन्दिरमे रहनेवालोको भी चेतावनी देनेका मन होता है। दूसरे व्यक्ति क्या करते है यह तो एक ओर छोड ही दें; किन्तु हम मन्दिरके लिए जो कुछ लिख मँगाये उसमे स्वदेशीका आग्रह तो करे ही। हमारी डोरी, पट्टी आदि तो हाथसे कते सूतकी होनी ही चाहिए। मगनलालने सीनेका डोरा भी हाथ-कते सूतका ही बनाया था, यह तो मालूम है न? हमारी पेन्सिल, स्याही, कलम आदि स्वदेशी ही होनी चाहिए। जो स्याही मेरे पेनमे है वह स्वदेशी है। इस तरह हर चीजका विचार कर लेना चाहिए। अपने जीवनमें हम जिस असगतिको दूर कर सकते हो, उसे दूर कर देना जरूरी है। जिस विदेशी वस्तुकी आवश्यकता हो उसे लेनेमें शर्म न मानें, किन्तु उसकी आवश्यकता सिद्ध कर लेनी चाहिए।

वहाँ पहुँचनेपर लेडी रामनाथनकी याद कराना। आनेपर कुछ लिखूँगा। 'यग इडिया' के लिए तो २७ तारीखको बम्बई पहुँचनेपर लिखा जायेगा। और यदि उससे पहले वहाँ न पहुँच पाया तो?

भणसाली जगह ले तो इसके लिए उसे रोकनेकी इच्छा नही होती। उसका आदर्श अलग होनेपर भी दिशा एक है। वहाँ भी सयम प्रधान है। किन्तु यह तो चर्चाका विषय है; और बात करेंगे।

मैंने तो सोचा था कि कच्चे अनाजके विषयमें अपने प्रयोगकी बात मैं स्वय आकर बताऊँगा और यहाँसे कोई नहीं लिखेगा। हाँ, रोटी छोडे दस दिन हो गये है। मैं तो मजेमे हूँ। आज ही अपना वजन लिया है। जितना वजन वहाँ था उतना ही आज भी है। काँटा ठीक हो तो यह थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है; ९५½ है। अभी तो प्रयोग डरते-डरते कर रहा हूँ। २० वर्षकी उम्रमें शुरू कर अधूरा छोड दिया था। वही प्रयोग आज मुझे साठ वर्षकी आयुमें करते हुए बहुत आनन्द आ रहा है; क्योकि मैं देखता हूँ कि इस प्रयोगकी सफलताका नतीजा मेरे लिए तथा मेरे साथियोंके लिए बहुत बडा निकलेगा। यह प्रयोग कहाँतक सफल हुआ है, यह अभी कहा नही जा सकता। १८९३ का प्रयोग पन्द्रह दिन करनेके बाद छोड दिया था। फल और गिरी तो बहुत वर्षोतक लेता रहा हूँ, ये तो बिना राँधे हुए ही होते है। किन्तु यह एक निराला प्रयोग है। विशेष मिलनेपर बताऊँगा। कोई भी घबराये नही। मैंने कोई व्रत नही लिया है[1]। शरीरको बिगाडकर प्रयोग जारी नही रखूँगा। खाना तो संयुक्त रसोई-घरमें ही खाऊँगा।

चिमनलाल आदि सब ऊपरके घरोमे चले गये है इसलिए यदि घर इस्तेमाल न किये गये तो खण्डहर हो जायेगे। मुझे लगता है कि उसमें बिना कुटुम्बवाले लोग भी बस सकते है।

बालकृष्ण 'गीता' का अध्ययन जिस तरह चाहे उस तरह जारी रखे।

पण्डितजी[1] यज्ञमें अच्छा योग दे रहे है। नकद पैसा सँभालनेका काम भी उनके ही सिर पडेगा, इसकी मैंने कल्पना तक नही की थी, किन्तु यह भी सच्चा सगीत है। जिन्दगीके अनेक तार जब भी सग-सग बजते है तभी सच्चा सगीत सुनाई देता है। दूसरी तरहका सगीत तो जगतमे कई व्यभिचारी भी गा गये है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४२०) की फोटो-नकलसे।

३८४. पत्र : श्रीमती सोहनलाल शर्माको[2]

२१ मई, १९२९

प्रिय बहन,

तुम्हारा पत्र मिला। जो ब्योरा मुझे बताया गया है यदि वह अक्षरश ठीक है तो तुम्हारे उस नवयुवकके साथ विवाह करनेमे, जो तुम्हारी रक्षा करनेको तैयार है, मुझे कोई आपत्ति नजर नही आती।

तुम्हारा,
मोहनदास गांधी

अग्रेजी (जी० एन० २८२४)की फोटो-नकलसे।

३८५. आन्ध्र देशमें [-६]

यह दौरा मेरे लिए सबसे अधिक शिक्षाप्रद और दिलचस्प रहा है। इस दौरेके विवरणकी अन्तिमसे एक पहली किस्त इस प्रकार है[3]

निस्सन्देह, दौरा कष्ट-साध्य रहा, और उतनी ही कष्टकर यहाँकी गरमी भी। पर मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि गाँवोके लोग अद्भुत उत्साहके साथ आगे आये। दौरेका कष्ट स्वयसेवकोकी तत्परता और अनथक शुश्रूषाने काफी हल्का कर दिया। स्वयसेवकोमे सबसे प्रमुख थे सुब्बारमय्या। श्री सुब्बारमय्याने सरकारी नौकरीको लात मार दी थी और तबसे काग्रेसकी ही सेवामे लगे है। पर मेरी सुख-सुविधाका सबसे

१. नारायण मोरेश्वर खरे, संगीतकार।

२. पत्र स्पष्ट श्रीमती सोहनलाल शर्माके विवाहसे पूर्व लिखा गया था।

३. यहाँ नहीं दी गई है। इसमें विभिन्न जिलोंके गाँवोंमें प्राप्त चन्देकी रकमका ब्योरा था। चन्देकी कुल रकम २,४३,२८३ रु० ३ आने ६ पाई थी।

अधिक ध्यान रखनेवाले थे देशभक्त कोंडा वेंकटप्पैया। अब उन्हे इस बातके लिए आड़े हाथो लिया जा रहा है कि ऐसे कठिन मौसममे वे ही मुझे आन्ध्र ले गये और तिस पर इतना व्यस्त कार्यक्रम बना दिया। किन्तु दोनोमे से किसी भी चीजकी जिम्मेदारी उनपर नही डाली जा सकती। समूचे आन्ध्र देशके दौरेका कार्यक्रम तो बनाना ही था। तब फिर जितना समय दिया गया था, उतनेमे इससे कम व्यस्त कोई कार्यक्रम हो ही नही सकता था। आन्ध्रके नेतागण मुझे फरवरीमे बुलाना नही चाहते थे। और मार्चका महीना मुझे बर्माको देना था। इस तरह आन्ध्रके लिए इस वर्षमें अप्रैल या मई दो ही महीने बच रहे थे, या फिर दौरा अगले वर्षके लिए टाल देना पड़ता। पहले इतनी बार इसे टाला जा चुका था कि अब और टालना सम्भव नही रह गया था। परन्तु दौरेको देशभक्त कोंडा वेंकटप्पैयाने जितना कम कष्टप्रद बना दिया, उससे अधिक किसीके बसका नही था। समयकी पाबन्दी रखने, शोर-शराबेसे बचाने और मेरे ठहरनेके स्थानोको सुविधाजनक बनानेकी कोशिशमे उन्होने अपने-आपको बिलकुल थका डाला। मुझे जिन लोगोंके सम्पर्कमे आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनमे श्री कोंडा वेंकटप्पैया सबसे ज्यादा सौम्य व्यक्तियोमें से एक हैं। लेकिन इस दौरेके दरम्यान उन्होने इतना सख्त और ऐसा शासकोचित लहजा अपना लिया था कि वह उन्हे तनिक भी नही फबता था; वह इतना बनावटी लगता था कि उनके सहयोगी उनकी उस सख्तीको मजाककी चीज समझते थे। ऐसी परिस्थितियोमें, हम कही भी क्यो न हो, और इन्तजाम कितना भी बढ़िया क्यो न हो, गलतियाँ तो होती ही हैं। श्री कोंडा वेंकटप्पैया उनपर नाराज होते थे और उनकी यह बनावटी नाराजी ऊबड़-खाबड़ रास्तोपर लगातार मोटरसे यात्रा करनेसे पैदा हुई एकरसता और ऊबको मिटानेमे मेरे लिए बहुत कामकी सिद्ध हुई। देशभक्त जैसे अधीक्षकोकी देखभालमे और आन्ध्रकी जैसी जनताके बीचमे ऐसे सैकड़ो दौरे करनेको मै बिलकुल तैयार हूँ।

सबका दाता

देशभक्त कोंडा वेंकटप्पैयाके बारेमे लिखते समय मुझे देशोद्धारक नागेश्वररावका जिक्र करना नही भूलना चाहिए। मै सदासे यह कहकर उनका मजाक करता रहा हूँ कि उन्होने सुन्दर-से नामवाले एक पेटेण्ट मलहमसे काफी रुपया कमाया है। इस पर उन्होने हमेशा मुस्कराते हुए यही जवाब दिया है कि "हाँ, काम बुरा तो है, लेकिन मै कर ही क्या सकता हूँ? उससे मिलनेवाले धनसे मै देशकी सेवा करनेकी कोशिश करता हूँ। और यह मलहम किसी भी तरहसे नुकसानदेह भी नही है।" मै उनकी इस सफाईको भी उसी तटस्थतासे सुनता रहा हूँ जिस तटस्थतासे मैंने उनके पेटेण्ट मलहमका मजाक उड़ाया है। इसीलिए इस दौरेके दौरान जब मुझे यह सुखद जानकारी मिली कि वे अपनी दूकानके बलपर आन्ध्रके सार्वजनिक कार्योंके लिए सबके दाता बननेमे समर्थ हुए है तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सदा खुले द्वारसे कभी भी कोई ठीक किस्मका याचक खाली हाथ नही लौटा। मै जहाँ-जहाँ भी गया, मैंने मान-पत्रोमे उनके दानका उल्लेख पाया है। नागेश्वररावने जहाँ अस्पृश्योंके आनन्द आश्रमके लिए कई इमारते खड़ी करा दी है, वही उन्होने जरूरत पड़नेपर पाठशालाओको भी

मदद पहुँचाई है। और यदि डा० सुब्रह्मण्यम्को अपने आश्रमके लिए छापाखानेकी जरूरत हुई है तो नागेश्वररावने ही उनका उद्धार किया है। सबसे अधिक सुख उनको दान देनेमे ही मिलता है। और जहाँतक मै समझ पाया हूँ, वे अपने दानोका कोई लेखा भी रखनेकी चिन्ता नही करते। अपने दौरेके दिनो मैने एक सार्वजनिक कार्यकर्त्तासे जो टिप्पणी सुनी थी मुझे उसपर कोई आश्चर्य नही हुआ। मैंने उनकी 'पेटेण्ट लूट'को लेकर कोई विनोद किया था। उस सार्वजनिक कार्यकर्त्ताने चटसे उत्तर दिया: "मै तो चाहता हूँ उन्हें इस लूटसे और भी ज्यादा धन मिले। वह साराका-सारा धन सार्वजनिक कार्योंके ही काम तो आयेगा।" निजी बातचीतमें मै अक्सर आन्ध्रवासियोकी उनकी इस आदतके लिए आलोचना करता आया हूँ कि ये लोग अपने राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओको बडी उदारतापूर्वक उपाधियाँ देते रहते हैं। लेकिन मै मानता हूँ कि देशोद्धारक नागेश्वररावको जो उपाधि उनके प्रान्तवासियोने दी है वे सचमुच उसके पात्र है। अस्तु, अब मै अपने दौरेके विवरणको आगे बढाऊँ।

एक उल्लेखनीय मानपत्र

मुझे दौरेकी कई महत्त्वपूर्ण बातें तो अगले अंकके लिए ही छोडनी पडेगी। डाकका समय हुआ जा रहा है अत. जल्दीमें घसीटी जा रही इन टिप्पणियोको अब मै बस एक उल्लेखनीय मानपत्रका उल्लेख करके यही समाप्त करने जा रहा हूँ। यह मानपत्र मुझे नेल्लोर जिलेके उल्लावापाडु गाँवमे भेंट किया गया था। वह एक सादे-से मोटे कागजपर तेलुगु और हिन्दी दोनो भाषाओमें लिखा गया था। एक छोटे-से गाँवमे आमतौरपर जैसे चित्रकार मिलते है, वैसे ही एक चित्रकारने उसके हाशिए बेलबूटेसे सजा दिये थे। हिन्दी मानपत्रकी भाषाको न सस्कृत बनानेकी कोशिश की गई थी और न ही फारसी बनानेकी। उसे आमतौरपर व्यवहारमें आनेवाली ठीक किस्मकी हिन्दी भाषामे रखा गया था। वैसी हिन्दी जैसी कि सयुक्त प्रान्तमे वे लोग बोलते है जो न तो हिन्दीके विरोधी है और न ही जो मुसलमान-विरोधी पूर्वग्रहोसे ग्रस्त है। प्रारम्भिक पैरामें मेरे आगमनका शिष्टतापूर्ण उल्लेख था, लेकिन उसमे भाषाका कोई चमत्कार दिखाने या लम्बे-चौडे विशेषण लानेकी कोई कोशिश नही दिखती थी। मानपत्रके पाठका अनुवाद कुछ इस तरह है:[1]

> 'यंग इंडिया'में प्रकाशित आपकी हिदायतोंके मुताबिक, आपकी माँगी हुई जानकारी हम यहाँ इस आशासे यथासम्भव पूरी-पूरी आपके सामने रख रहे है कि इसको देखनेके बाद आप हमें हमारे गाँवकी अपनी विशेष परिस्थितियों-के अनुरूप मार्ग-दर्शन प्रदान करेंगे। . . .
>
> . . . हमें जिस चीजकी तंगी सबसे अधिक दुख देती है, वह है—पीनेका पानी। इस गाँवमें एक विष्णु-मन्दिर और एक धर्मशाला भी है, जहाँ साधुओं और ब्राह्मणोंको मुफ्त भोजन दिया जाता है।

१. मानपत्र मूलतः हिन्दी और तेलुगु भाषामें था, किन्तु हिन्दीका मूल पाठ न मिलनेके कारण इसके कुछ अंशोंको अँग्रेजीसे अनुवाद करके यहाँ दिया गया है।

इस गाँवमें 'दलित वर्गों' के ८९७ लोग हैं। वे गाँवसे बाहर एक खास बस्तीमें रहते हैं और उनके दो समुदाय हैं। ये दोनों समुदाय अपने बीच छूतछात तो नहीं मानते, लेकिन उनमें खानपानका सम्बन्ध नहीं है। एक समुदाय दूसरेको अपने कुँओंका उपयोग भी नहीं करने देता। . . . वे मुरदार मांस खाते हैं, चाहे पशुकी मौत किसी संक्रामक रोगसे ही क्यों न हुई हो। नतीजा यह है कि उनमें, विशेषकर मालंग जातिमें, कोढ़ बहुत फैला रहता है। शराबकी भी उनको बड़ी लत है। . . . इस गाँवमें कोई कांग्रेस कमेटी नहीं है।

यहाँ अ० भा० च० संघकी कोई शाखा नहीं है। इस गाँवमें ५२ चरखे हैं, जिनमें से २२ चालू हैं। उन्हें अधिकतर फुर्सतके समयमें ही चलाया जाता है। इन चरखोंसे महीनेभर में कुल मिलाकर १० सेर सूत निकलता है। इससे प्रति व्यक्तिकी औसत मासिक आय २ रुपये होती है। २० से २५ नम्बरका सूत काता जाता है।

इस गाँवमें ६५ करघे हैं। इनमें से २६ अत्यन्त ही साधारण किस्मके खड्डी करघा (पिटलूम्स) हैं, जिनमें से १२ करघे मिल-कता और हाथ-कता दोनों ही किस्मका सूत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन १४ सिर्फ मिलका कता सूत ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी करघे उड़न-भरती (फ्लाई शटिल) हैं, जो हाथ-कता सूत इस्तेमाल नहीं करते।

. . . इस गाँवमें एक पुस्तकालय और वाचनालय है। ग्रामीण युवकोंने ही ये खोले थे। पुस्तकालयमें १,२३० पुस्तकें हैं और औसत रूपसे प्रतिदिन ३ पुस्तकें पढ़नेके लिए उधार ली जाती हैं। यहाँ हिन्दी और तेलुगु पत्रिकाएँ भी आती हैं। सरकार द्वारा कुछ प्रतिबन्ध लगानेकी कोशिश नाकाम कर देनेके कारण इधर दो वर्षोंसे संगठनकर्त्ताओंको कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है।

यदि इस गाँवमे काग्रेस कमेटी होती और उसका काम काफी आगे बढा हुआ होता, तो भी यह अपने यहाँके जीवनका इससे अधिक पूर्ण विवरण प्रस्तुत नही कर सकती थी। आश्चर्य ही है कि इस गाँवमे काग्रेस कमेटी और अ० भा० च० सघ का एक कार्यकर्त्ता तक क्यों नही है। मै इस गाँवमे काफी सुबहके समय गया था। गाँववालोकी कोई गलती न होनेपर भी, मुझे इस मानपत्रकी प्रति पहलेसे नही मिल पाई थी। और चूँकि मैंने मानपत्र पढ़ा नही था, इसलिए किसान जनता द्वारा अपेक्षित मार्गदर्शन भी मै उनको नही दे पाया था। वह अब दे रहा हूँ।

१ गाँवके बडे-बूढोको तत्काल एक काग्रेस कमेटी गठित करनी चाहिए और हर वयस्क युवक-युवतीको उसका सदस्य बनानेका निश्चय कर लेना चाहिए।

२. उनको अछूतोके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और मुरदार मास खाने तथा शराबखोरीकी लतसे छुटकारा दिलाकर उनको अपने ज्यादा करीब लाना

चाहिए। इसी दृष्टिसे उनको अपने जिला-नेताओंको अछूतोंकी बस्तियोंमें जानेके लिए आमन्त्रित करना चाहिए।

३. ग्रामके बड़े-बूढ़ोंको एक साथ बैठकर योजना बनानी चाहिए और जिलेके परोपकारी वृत्तिके किसी इंजीनियरकी सहायतासे जल सुलभ बनानेकी कोई परियोजना चालू करनी चाहिए।

४. उनको एक व्यवस्थित ढंगसे हर घरमें हाथ-कताई शुरू करानी चाहिए और लक्ष्य यह रखना चाहिए कि गाँवभर की जरूरतके लायक खादी वही तैयार करने लगें।

५. पुस्तकालयका सरकारसे सम्बन्ध टूटना उनको परोक्ष रूपसे मिला एक वरदान ही समझना चाहिए और अब पुस्तकालयको पूरी तौरपर राष्ट्रीय रूप देने तथा उसे प्रौढ़ साक्षरताके प्रसारका एक सच्चा केन्द्र बना डालनेका संकल्प कर लेना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-५-१९२९

३८६. मद्य-निषेध आन्दोलन

कार्य-समितिने मद्य-निषेध आन्दोलन संगठित करनेका काम श्रीयुत च० राजगोपालाचारीको सौंप दिया है। तदनुसार उन्होंने कार्य-समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंके पास भेजा है। कार्यक्रम इस प्रकार है:[1]

आशा है प्रान्तीय कमेटियाँ इसपर शीघ्र ही और प्रभावकारी ढंगसे काम करेंगी। कार्य-समितिने जिन आन्दोलनों — मद्य-निषेध, अस्पृश्यता-निवारण तथा विदेशी वस्त्र-बहिष्कारके लिए अलगसे विशेष समितियाँ गठित की हैं, जैसा कि स्वाभाविक है, उनकी सफलताका दारोमदार इस सम्बन्धमें कांग्रेस-संगठनों द्वारा शीघ्रतासे उठाये जानेवाले कारगर कदमोंपर ही रहेगा। कांग्रेस-संगठनोंकी वर्तमान दशा सन्तोषजनक तो नहीं ही है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके आगामी अधिवेशनका यह कर्त्तव्य होगा कि वह संगठनकी मौजूदा टूटी-फूटी स्थितिके कारणोंकी जाँच करे और उसे प्रभावशाली तथा कार्यक्षम ढंगपर पुनर्गठित करनेके उपाय सोचे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-५-१९२९

१. परिपत्रके लिए देखिए परिशिष्ट २।

३८७. सामयिक आवश्यकता

नेल्लोर जिला काग्रेस कमेटीने, जब मै नेल्लोरमे घूम रहा था, मेरे सामने नीचे लिखा वक्तव्य[1] पेश किया था। इस वक्तव्यसे समितिकी हालतपर अच्छा प्रकाश पडता है।

मुझे यह कहते दु ख होता है कि जो दशा नेल्लोरकी है, ठीक वही दशा अधिकाश काग्रेस कमेटियोकी है, जिनके सम्पर्कमे मै अबतक आया हूँ। नेल्लोर काग्रेस कमेटीके इस कथनसे मै सहमत हूँ कि काग्रेसवालोके चुनावके दलदलमे फँसनेसे काग्रेसका सगठन कमजोर पडा है और उसका मनोबल कम हुआ है। इस बुराईका उपाय खोज निकालना तबतक कठिन ही रहेगा, जबतक काग्रेसवाले एक वार फिरसे १९२१ के बहिष्कारवाले कार्यक्रमको न अपना लेंगे। दूसरी जगहोंकी भाँति ही काग्रेसमे भी द्वितन्त्रकी कोई गुजाइश नही दीख पडती है। कुछ भी क्यो न हो, यह सच है कि रचनात्मक काम और कौसिल-प्रवेश दोनो एक साथ नही चल सकते। जो लोग कौसिलो या स्थानीय बोर्डोमे हैं उन्हे रचनात्मक कामके प्रति बहुत कम रुचि या दिलचस्पी है। और जो लोग रचनात्मक काममे जुटे पडे हैं उनमे निर्वाचित सस्थाओके प्रति कोई दिलचस्पी नही है। इन दोनो दलवाले लोगोके भाषणो और इनके मतोसे तो पता चलता है कि वे दोनो ही रचनात्मक कार्यक्रममे विश्वास रखनेवाले है। अत कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालना सम्भव होना चाहिए जिसके जरिये काग्रेस-यन्त्रका पूरी गति और पूरी योग्यताके साथ सचालन किया जा सके। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका यह परम कर्त्तव्य है कि वह सब काम छोडकर — अगर उनका छोडना आवश्यक हो जाये तो — इस समस्याको हल करनेका पूरा प्रयत्न करे। मै बराबर यह सुना करता हूँ कि स्थानीय कमेटियोके कोषागार खाली पडे रहते हैं। मगर जो लोग यह बात कहते हैं वे यह अनुभव नही करते कि काग्रेस निधिके लिए काग्रेसके सविधानमे एक ऐसी तजवीज है जिसके द्वारा रुपया अपने आप बहता चला आ सकता है। अगर काग्रेस जनताकी सच्ची प्रतिनिधि सस्था बन जाये तो उसे कभी किसी बातकी कमी न रहे। सन १९२१ मे अकेले नेल्लोर जिलेमे १०,००० काग्रेस-सदस्य थे। किसी भी प्रान्तीय कमेटीके ३०,००० से कम सदस्य नही होने चाहिए। अगर यह हो जाये तो प्रत्येक प्रान्तीय कमेटीको सालाना ७,५००) की आमदनी होती रहे, जिसके द्वारा एक प्रान्तीय कमेटीका काम बडी सुगमताके साथ चलाया जा सकता है। जिस संगठनके इतने सदस्य हो उसे विशेष अवसरोपर विशेष चन्दा उगाहनेमे कठिनाई नही होनी चाहिए। अगर काग्रेसका कार्य ईमानदारीके साथ किया जाये तो उसके सदस्योकी तादाद ६० लाखके करीब होनी चाहिए, यह सस्था विधान सभाओके चुनावोमे मत देनेका अधिकार रखनेवाले तमाम मतदाताओकी संख्याके बराबर बैठती

१. इसे यहाँ नहीं दिया गया है।

है। अतः तात्कालिक आवश्यकता तो इस बातकी है कि कांग्रेसका नये सिरेसे फिर संगठन किया जाये और उसको मजबूत बनाया जाये। आशा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी अगली बैठक अपने इस स्पष्ट कर्त्तव्यपर विचार करेगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-५-१९२९

३८८. स्त्रियोंको आजाद करो

मद्रासकी सुप्रसिद्ध समाज-सेविका डाक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डीने मेरे आन्ध्र देशवाले एक भाषणके बारेमें एक लम्बा पत्र लिखा है। उसमें से नीचे लिखा दिलचस्प अंश यहाँ देता हूँ:[1]

> बेजवाड़ासे गुन्टूर तकके अपने प्रवासमें आपने समाज-सुधार और साथ ही हम लोगोंकी दैनिक आदतोंमें स्वस्थ परिवर्तन करनेकी तात्कालिक आवश्यकताके बारेमें जो बातें कहीं हैं, उनका सचमुच मुझपर गहरा असर पड़ा है।
>
> मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करती हूँ कि एक डाक्टरकी हैसियतसे मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। मगर साथ ही नम्रतापूर्वक यह भी कह देना चाहती हूँ कि अगर शिक्षा द्वारा समाज-सुधार, स्वच्छता और जनताका आरोग्य आदि जैसे शुभ परिणामोंकी आशा रखी जाती है, तो कहना चाहिए कि स्त्री-शिक्षा ही इसकी सफलताका एकमात्र उपाय है।
>
> क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि वर्तमान सामाजिक स्थितिमें बहुत कम स्त्रियोंको शिक्षाका, शरीर और मनके सम्पूर्ण विकासका और आत्माभिव्यक्तिका मौका दिया जाता है?
>
> अगर कांग्रेसके सदस्य स्वतन्त्रताको प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्तिका जन्मसिद्ध अधिकार मानते हों, और चाहे जो कीमत देकर भी इस अधिकारको पानेका वे निश्चय कर चुके हों, तो क्या उनका यह कर्त्तव्य नहीं है कि वे स्त्रियोंको उन कुरीतियोंके बन्धनसे मुक्त करें, जो उनके सर्वांगीण विकासमें बाधा डालती हैं और ऐसा कर सकना, उनके अपने हाथकी बात है।
>
> हमारे कवियों, सन्तों और ऋषियोंने बार-बार इसी बातपर जोर दिया है। स्वामी विवेकानन्दने एक जगह कहा है: "जो देश या जो राष्ट्र स्त्रियोंका सम्मान नहीं करता, वह न कभी महान् हुआ है, न भविष्यमें ही कभी होगा। आपकी जाति आज जिस पतनावस्थामें है, उसकी खास वजह यह है कि आप शक्तिकी इन सजीव प्रतिमाओंके प्रति जरा भी आदरभाव नहीं रखते। जो स्त्रियाँ जगन्माताकी साक्षात् मूर्तियाँ हैं, अगर आप उनका उद्धार नहीं करते हैं तो याद रखिए कि आपके उद्धारका कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं।"

१. केवल कुछ अंश ही यहाँ दिये गये हैं।

तमिल प्रान्तके प्रतिभाशाली कवि स्वर्गीय सुब्रह्मण्य भारतीके विचार भी इन्हीं भावनाओंसे गूँज रहे हैं।

अतएव आशा है, आप अपनी यात्राके दौरान पुरुषोंको स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका यह सीधा और अचूक मार्ग ग्रहण करनेकी सलाह देनेकी कृपा करेंगे।

डाक्टर मुत्तुलक्ष्मीको पूरा-पूरा अधिकार है कि वह कांग्रेसवालोसे इस जिम्मेदारीको उठा लेनेकी आशा रखें। बहुतेरे कांग्रेसजन इस ओर व्यक्तिगत या सामुदायिक तौर पर प्रयत्न कर भी रहे है, लेकिन इस बुराईकी जड ऊपर-ऊपरसे देखनेमे जितनी दिखाई देती है उससे कही ज्यादा गहरी है। इसमे अकेली स्त्री-शिक्षाका ही दोष नही है। हमारी सारी शिक्षा-प्रणालीमे ही सडन घुस गई है। किसी एकाध रीति-रिवाजको दोष देना ही काफी नही है, बल्कि इस कुरीतिको दूर करनेकी जरूरत स्पष्ट प्रतीत होनेके बावजूद उसके प्रति हमारी उदासीनता ही हमे उसके विरुद्ध कुछ प्रयत्न करनेसे रोकती है। उक्त पत्रमे जो दोष गिनाये गये है वे सिर्फ मध्यम श्रेणीके लोगोमे, यानी नगर-निवासियोमे यानी भारतके करोड़ो निवासियोमेंसे मुश्किलसे १५ फीसदी लोगोमें हैं। देहातमे बसनेवाली जनतामें न बाल-विवाह है, न विधवा-विवाहका निषेध है। यह सच है कि उनके विकासमे बाधक होनेवाली दूसरी बुराइयाँ उनमें जरूर है। जड़ता तो दोनो वर्गोमे एक-सी है। वास्तविक आवश्यकता तो यह है कि देशको शिक्षा-प्रणालीमे आमूल परिवर्तन कर दिया जाये और एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली तैयार की जाये, जो करोडोकी संख्यामे बसनेवाली प्रजाके लिए अनुकूल पडे। जिस प्रणालीमें बडी उम्रके मनुष्योकी तालीमको बालकोकी तालीमके समान ही महत्त्व नही दिया गया है वह प्रणाली निरर्थक कही जा सकती है। और जिस प्रणालीमे देशी भाषाओको उनका जन्मजात अग्रस्थान नही मिला हो, कहना चाहिए कि वह प्रणाली इस समस्याका स्पर्शतक नही करती। यह काम हमें आजकलके शिक्षित वर्गकी मददसे ही करना है, फिर भले ही यह वर्ग चाहे जैसा क्यो न हो। अतएव बडे पैमाने पर सुधार करनेके पहले शिक्षित वर्गकी मनोदशाको बदलनेकी जरूरत है। और मै डाक्टर मुत्तुलक्ष्मीसे कह देना चाहता हूँ कि भारतमे जो थोडी-बहुत पढी-लिखी बहनें इस समय हैं, उन्हे पाश्चात्य सभ्यताकी चोटीपर से भारत-वर्षके मैदानोमे उतर आना पडेगा। पुरुषोने स्त्रियोकी जो उपेक्षा की है, उनका जो दुरुपयोग किया है, उसके लिए उन्हे पर्याप्त प्रायश्चित्त करना ही है, मगर सुधारका रचनात्मक कार्य तो उन्ही बहनोको करना पडेगा जो अन्धविश्वासोको छोड चुकी हैं और जिन्हे इस बुराईका खयाल हो आया है। आप स्त्रियोकी आजादी, उनके उद्धारका प्रश्न लीजिए, देशकी स्वतन्त्रता, अस्पृश्यता-निवारण और जनताकी माली हालतके सुधार आदि किसी बातके सवालको उठाइए, आखिर ये सब इस एक सवालमे मिल जाते है और वह सवाल है, ग्राम-प्रवेश, देहातमे जाकर रहना, और ग्राम्य-जीवनको पुनर्गठित करना, बल्कि सच पूछा जाये तो उसकी कायापलट करना।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-५-१९२९

३८९. तार : सीतलासहायको

बम्बई
२३ मई, १९२९

सीतलासहाय
आश्रम
साबरमती

जवाहरलाल और मैं सहमत हैं कि आपको यह कहकर दायित्व माननेसे इन्कार कर देना चाहिए कि वकीलोंकी राय है कि इसका आप पर कोई दायित्व नहीं और यदि दायित्व है भी तो आपके पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १५३९४)की माइक्रोफिल्मसे।

३९०. भेंट : 'बॉम्बे क्रॉनिकल'के प्रतिनिधिसे

२४ मई, १९२९

क्या ऐसा समय नहीं आ गया है जब जोरदार कार्रवाईके लिए एक निश्चित योजना बनाकर बहिष्कारको अधिक प्रभावकारी बनाया जा सकता है?

उत्तरमें महात्माजीने कहा कि जो-कुछ सम्भव है, विदेशी वस्त्र बहिष्कार समिति सब कर रही है और मैं इस समय केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जो लोग इस आन्दोलनमें विश्वास रखते हैं और इसमें मदद देना चाहते हैं, उन्हें समय-समयपर समितिके निर्देशोंको कार्यान्वित करके उसके हाथ मजबूत करने चाहिए।

हमारे प्रतिनिधिने विशेष बहिष्कार समितियोंके गठनका सुझाव दिया। उसका कहना था कि ऐसी समितियोंमें कांग्रेसी कार्यकर्त्ता और मिल-मालिक दोनों सहयोगके आधारपर साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

मगर गांधीजीने कहा कि मैं नहीं समझता कि इस समय इससे कोई काम बन सकता है।

लेकिन अगर विदेशी वस्त्र बहिष्कार समिति अपने तरीकेसे बहिष्कारके लिए काम करनेवाली अन्य संस्थाओं और संगठनोंके साथ सहयोग करे तो क्या इससे बहिष्कारका काम बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ सकता है?

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए महात्माजीने विदेशी वस्त्र बहिष्कार समितिकी ओरसे यह आश्वासन दिया कि दूसरे सूत्रोंसे जो भी सहायता प्राप्त हो सकती है, उसका उपयोग किया जा रहा है और भविष्यमें भी किया जायेगा।

क्या इस आशयकी एक गम्भीर प्रतिज्ञा कि प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले लोग केवल स्वदेशी वस्तुओंका ही इस्तेमाल करेंगे, बहिष्कार आन्दोलनमें किसी तरह सहायक होगी?

उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि बहिष्कार आन्दोलनको लोकप्रिय बनानेके लिए किसी प्रतिज्ञाकी जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि विदेशी वस्त्र बहिष्कार समितिने प्रतिज्ञाके सवालपर विचार किया था। जरूरत प्रतिज्ञाकी नहीं, बल्कि तत्काल वास्तविक कार्य करनेकी है।

इस प्रश्नके उत्तरमें कि कपड़ोंकी होली जलाना अधिक बड़े पैमानेपर और संगठित ढंगसे फिरसे शुरू करना चाहिए या नहीं, महात्माजीने कहा कि फिलहाल तो यह आन्दोलन जिस तरह वि० व० ब० समिति चला रही है उसी तरह चलाना ज्यादा लाभदायक होगा।

चूँकि हमारी दृष्टि अगली जनवरीमें हम जो लड़ाई शुरू करनेवाले हैं उसपर टिकी हुई है और चूँकि हमारी राष्ट्रीय माँगको मंजूर करानेके लिए अपेक्षित शक्ति जुटानेकी समस्या हमारे सामने मुँह बाये खड़ी है, इसलिए क्या यह नीतिज्ञताकी बात है कि हम कांग्रेसियों द्वारा पद ग्रहण करने जैसे छोटे-मोटे सवालोंपर अपनी शक्ति बर्बाद करें?

उत्तरमें महात्माजीने पहले तो तुरन्त अपनी वही कूटनीतिज्ञोंवाली हँसी बिखेरी और फिर उससे भी कूटनीतिभरी बात कही कि इस सवालका जवाब देने लायक मै तो नहीं हूँ।

क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस शिविरमें जो अलग-अलग विचारधाराएँ सामने आई हैं, उन सबके बीच सामंजस्य बैठानेके लिए आप मध्यस्थका काम कर रहे हैं? इस प्रश्नके उत्तरमें वे फिर जोरसे हँस पड़े। [उन्होंने कहा:]

आपको काफी-कुछ बता दिया। अब तो आप मुझसे कुछ ऐसी बाते उगलवानेकी कोशिश कर रहे हैं जिन्हे उगलनेको मैं तैयार नही हूँ।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २५-५-१९२९

३९१. पत्र : देवचन्द पारेखको

२५ मई, १९२९

भाईश्री देवचन्द भाई,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। गोंडलकी जनताके बीच खादीकी फेरी लगानेमें शायद कोई दोष नहीं है। मैंने तो अभी यह विचार व्यक्त किया है कि खादीके उत्पादनपर जोर दो। यज्ञके रूपमें सभी सूत कातने लगें तो खादी सहज तैयार की जा सकती है। इस समय अच्छे सूतकी जरूरत है। काठियावाड़में यज्ञार्थ कातने पर ही ज्यादा खादी उत्पन्न की जा सकती है, अलबत्ता ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके तब। इनामी चरखेके बारेमें तो मेरे आश्रम पहुँचनेपर ही कुछ तय किया जा सकेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५६९६)की फोटो-नकलसे।

३९२. भाषण तथा प्रस्ताव : अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें

बम्बई
२५ मई, १९२९

ब्रिटिश सरकार देशभरमें अपना दमन-चक्र चला रही है। इसका प्रमाण है कि कार्य-समितिके सदस्य श्रीयुत साम्बमूर्ति और अन्य अनेक राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंको सजाएँ सुना दी गई हैं, अ० भा० कां० कमेटीके सदस्यों और मजदूर नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं-को चुन-चुनकर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, मजदूर नेताओं और कार्यकर्त्ताओंपर मेरठमें मुकदमा चलाया जा रहा है; अकारण ही लोगोंके मकानोंकी तलाशियाँ ली जा रही हैं और पण्डित सुन्दर-लालकी पुस्तक 'भारतमें अंग्रेजी राज' को मनमाने ढंगसे जब्त कर लिया गया है। अ० भा० कां० कमेटीकी राय है कि इस सबको देखते हुए देशको ऐसे तरीकोंका कारगर ढंगसे मुकाबला करनेके लिए तैयार रहना चाहिए, और चूँकि यह स्पष्ट है कि जबतक एक संतोषप्रद आधारपर कांग्रेस संगठनका पुनर्गठन नहीं किया जाता तबतक कोई भी राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध सम्भव नहीं होगा, इसलिए यह समिति प्रान्तीय संगठनोंका आह्वान करती है कि वे अपने-अपने प्रान्तोंका पुनर्गठन करें जिससे कि निम्नलिखित शर्तोंको पूरा करनेमें वे समर्थ हो सकें :

प्रान्तीय काग्रेस संगठनमे उस प्रान्तकी कुल जनसख्याका ¼ प्रतिशत भाग मूल सदस्योके रूपमे शामिल रहेगा और वह कमसे-कम पचास प्रतिशत जिलोका प्रतिनिधित्व करेगा।

जिला सगठनमे उस जिलेकी कुल जनसख्याका एक प्रतिशत भाग[1] मूल सदस्योके रूपमे शामिल रहेगा और वह कमसे-कम पचास प्रतिशत तहसीलोका प्रतिनिधित्व करेगा।

तहसील-सगठनमे उस तहसीलकी कुल जनसख्याका ¼ प्रतिशत भाग मूल सदस्योके रूपमे शामिल रहेगा और वह अपने इलकेके कमसे-कम दस प्रतिशत गाँवोका प्रतिनिधित्व करेगा।

ग्राम-सगठनमे उसकी कुल जनसख्याका कमसे-कम तीन प्रतिशत भाग[2] मूल सदस्योके रूपमे शामिल रहेगा।

बम्वई और दिल्ली प्रान्तोके लिए मूल सदस्योकी संख्या इन प्रान्तोकी कुल जनसख्याका कमसे-कम तीन प्रतिशत होगी।[3]

बर्मा प्रान्तके[4] बारेमे कार्य-समिति उस प्रान्तके[5] कार्यकर्त्ताओसे परामर्श करके जो भी उचित समझेगी वैसी हिदायते जारी करेगी।

जो भी प्रान्तीय सगठन अगले अगस्तकी ३१ तारीखके अन्दर[6] उक्त कसौटी पर खरा नही उतरेगा उसे समिति मान्यता नही देगी ?

कार्य-समितिको इस बातकी छूट रहेगी कि वह अ० भा० का० कमेटी या कार्य-समिति द्वारा समय-समयपर जारी की जानेवाली हिदायतोका पालन न करनेवाले किसी[7] भी सगठनकी सदस्यता रद कर दे।

गांधीजीने प्रस्ताव पेश करते हुए पहले हिन्दी और बादमें अंग्रेजीमें भाषण किया। उन्होंने कहा कि मैं समितिसे आग्रह कर रहा हूँ कि वह इस प्रस्तावकी प्रतियाँ सदस्योंमें घुमाये बिना और उनको इसपर विचार करनेका अवसर दिये बिना ही इसे स्वीकार कर ले। यह तो एक जल्दबाजीका तरीका हुआ। लेकिन मैं इसे इसलिए अपना रहा हूँ कि परिस्थितिकी यही माँग है। मैं समितिसे कहूँगा कि वह प्रस्तावनाको अपने दिमागसे निकाल दे, क्योंकि प्रस्तावनामें बड़े विस्तारसे चीजोको लिया गया है। प्रस्तावका मुख्य भाग तो उसका वह कार्यक्रम है, जिसपर अमल

१. इसे सशोधित करके इस तरह कर दिया गया था: '¼ प्रतिशत भाग'।

२. संशोधित रूप: 'एक प्रतिशत'।

३. संशोधित रूप: 'बम्बई प्रान्तके लिए मूल सदस्योंकी संख्या उसकी कुल जनसंख्याका कमसे-कम डेढ़ प्रतिशत भाग होगी।'

४. सशोधित रूप: 'सीमा प्रान्त और बर्मा प्रान्तके'।

५. संशोधित रूप: 'प्रान्तों'। यह वाक्य जोड़ा गया था: "भारतीय रजवाड़ों और नॉन-रेगुलेशन इलाकोंसे मिले-जुले एजेन्सी-प्रदेशोंको सदस्योंकी गणनासे अलग रखा जा सकेगा।"

६. संशोधित रूप: 'तक'।

७. संशोधित रूप: 'एक'।

करना है। कांग्रेसने विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार, खादीका उत्पादन और मद्य-निषेधका संगठन करनेवाली तीन समितियाँ नियुक्त की हैं। समितिके सामने इस समय जो प्रस्ताव है वह कांग्रेसके अन्दरूनी संगठनसे सम्बन्धित है। यदि कांग्रेस एक ऐसी अदमनीय शक्ति बनना चाहती है, जिसकी बात या जिसके आदेशका सभी लोग सम्मान करें, तो उसे अपने आपको एक ऐसा शक्तिशाली संगठन बनाना पड़ेगा जिसके सभी भागोंमें परस्पर पूर्ण सामंजस्य हो। आजकल उसमें ऐसा सामंजस्य नहीं है।

यह प्रस्ताव आपको काफी उग्र लग सकता है। लेकिन हमारे सामने जो विषम परिस्थिति आ खड़ी हुई है उसका मुकाबला करनेके लिए हमें उग्र किस्मके उपाय ही करने पड़ेंगे। सच तो यह है कि कार्य-समिति तो इससे भी एक अधिक उग्र रूपमें इस प्रस्तावको स्वीकार करनेके लिए तैयार हो गई थी, अर्थात् यह स्वीकार करनेको तैयार थी कि प्रान्तीय समितियाँ खत्म कर दी जायें और जिला समितियाँ केन्द्रीय समितिके साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करें। लेकिन उसके लिए संविधानमें संशोधन करना आवश्यक हो गया था, और तभी इसकी कठिनाइयोंको महसूस किया गया। पण्डित जवाहरलालकी भी यही राय थी कि समितिको बादमें पछताना पड़ सकता है, लेकिन उनके दिमागमें संशय नहीं था। प्रस्तावमें उग्र किस्मके सुझाव रखे गये। कार्य-समिति यदि समझती है कि देशकी परिस्थिति ऐसे उग्र साधनोंकी अपेक्षा रखती है तो उसे कांग्रेसका दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। यदि इस प्रस्ताव पर पूरी तौर पर अमल हुआ तो फिर वाइसराय विधान-मण्डलका और विस्तार करके देशका अपमान नहीं कर सकेंगे, और न वह विधान सभामें अध्यक्षका अपमान करनेका साहस करेंगे।[1]

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २७-५-१९२९

३९३. 'गोरक्षा कल्पतरु'

धूलियाके श्री रामेश्वरदासने अपने चाचाकी लडकीके स्वर्गवासके निमित्त २५ रु० इस विचारसे भेजे हैं कि उक्त पुस्तक योग्य व्यक्तियों और संस्थाओंके पास मात्र डाक-खर्च लेकर भेज दी जाये। इस रकमकी समाप्ति तक सिर्फ डाक-खर्चके लिए सवा आनेके टिकट और अपना पूरा-पूरा पता लिख भेजने पर गोशालाके सचालकों और दूसरे गोसेवकोंके पास यह भेज दी जायेगी। इस सम्बन्धमें पत्र-व्यवहारका पता है, मन्त्री, गोसेवा संघ, उद्योग-मन्दिर, साबरमती।

१. प्रस्तावका समर्थन श्रीनिवास अय्यगारने किया था। बादमें प्रस्ताव संशोधनोंके साथ पास हो गया।

श्री रामेश्वरदासने अपने हिन्दी पत्रमें कुछ विचारणीय बातें भी लिखी है, जिनका भावार्थ नीचे देता हूँ।

> मैं यह दान ऊपर बताये अनुसार कर रहा हूँ, इसका यह भी एक कारण है कि हम लोगोंके यहाँ आजकल मृत व्यक्तिके नामपर गोदान किया जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इससे तनिक-सी भी गोसेवा नहीं होती। हमारे यहाँ अब गोचर — चारागाह — नाम-मात्रको रह गये है, अतएव ब्राह्मण-वर्ग अन्त तक गायोंका पालन नहीं कर सकता; फल यह होता है कि आखिर वे कसाइयोंके हाथ पड़ती हैं। अतएव आज गोदान शुद्ध गोसेवाके प्रचारमें है। इस प्रचारका एक रूप 'गोरक्षा कल्पतरु' जैसी पुस्तकोंका बड़े पैमानेपर प्रचार करना है। मुझे आशा है, हिन्दू समाज इस बातको समझेगा और यह पुस्तक मँगा कर पढ़ेगा, उसपर विचार करेगा और उसमें सूचित उपायोंपर अमल करेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २६-५-१९२९

३९४. पत्र: माधवजी वी० ठक्करको

२६ मई, १९२९

भाईश्री माधवजी,

तुम्हारे तीन पत्र मुझे बम्बईमें मिले। मैं साबरमती दो दिन पहले पहुँच रहा हूँ।

तुम्हारा जीवन-वृत्तान्त मिल गया। मुझे इसकी जरूरत थी।

तुम्हारे गुस्सेका एक इलाज तो यह है कि तुम थोड़े समयके लिए मेरे साथ रहो। मैं यह चाहता भी हूँ। जुलाई, अगस्तमें मैं आश्रममें रहूँगा। इस बार तो १० जूनतक यहाँ रहूँगा।

बादाम तो खाँसी शुरू हो जानेका कारण नहीं हो सकता। सम्भव है इसका कारण मक्खन हो; सो उसे छोड़कर अच्छा किया है। बादाम भिगोकर छिलका उतार लो और उसे पीस कर दूध बना लो तो कोई हानि नहीं है।

डबल रोटी बनानेके लिए तुम्हारे पास भट्ठी है? थोड़ी तादादमें उन्हें बनाना कठिन है, इसे बनानेकी झंझटमें न पड़ो और फलाहार करो, मैं तो यही चाहता हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ६७८४)की फोटो-नकलसे।

३९५. पत्र : डी० को

२७ मई, १९२९

प्रिय मित्र,

आपके पत्रोसे मै अत्यन्त ही असन्तुष्ट हूँ। आपपर तो जैसे दौरे पडते है। आप शीघ्र ही उत्तेजित हो उठनेवाले, अस्थिर और प्रतिहिंसक वृत्तिके मनुष्य है। आपको उस लडकीके बारेमे सोचना बिलकुल ही बन्द कर देना चाहिए। उसके साथ अपने सम्बन्धके बारेमे ससार भरमे ढोल पीटना आपके लिए अशोभनीय होगा। आपको तो इतनेपर ही बस करनी चाहिए कि लडकीके पिताके सामने अपना प्रस्ताव रखे और अपनी पात्रता सिद्ध करे। आपको अपनी मर्यादा तो समझ ही लेनी चाहिए। क्या कोई भी पिता किसी अपाहिजको अपनी पुत्रीका हाथ खुशी-खुशी दे देगा? हाँ, लडकीको पूरा अधिकार है कि वह चाहे तो अपने जीवन-साथीके रूपमे आपको वर ले। परन्तु यह कदम तो कोई ऐसी ही लड़की उठा सकती है जो साधारण लडकियो से कही ऊपर हो। यदि यह लडकी सचमुच वैसी है तो वह अपनी आयुके अन्तर और अन्य सभी कठिनाइयोपर स्वय पार पा लेगी। उसको आपके संरक्षणकी बिलकुल कोई जरूरत नही। जरूरत तो आपको उसके सरक्षणकी है। आप अपनी मर्यादाको भूल रहे है और अपने दर्शनको ही नकार रहे है।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६१६९)से।
सौजन्य · घनश्यामदास बिड़ला

३९६. पत्र : वालजी गो० देसाईको

२८ मई, १९२९

भाईश्री वालजी,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला।

मैंने तो तुम्हारे बारेमे सोचकर ही लिखा था। इसलिए तुम्हारा शरीर काम करने योग्य हो तो मै तुमसे क्या काम लेना चाहता हूँ, सो लिखता हूँ।

१ हिन्दुस्तानकी प्रत्येक गोशालामे जाकर उसके प्रबन्धकोसे मुलाकात और उनमें प्रचार करना,

२. यह काम करनेके लिए दुग्धालय और चर्मालयका सामान्य ज्ञान प्राप्त करना,

३. इस विषयमे डेनमार्क आदि जो देश आदर्श माने जाते है उनके दुग्धालयोका अध्ययन और गुजरातीमें उसका विवरण तैयार करना;

४. 'नवजीवन' और 'यग इडिया' मे हर सप्ताह इस विषयपर एक व्यावहारिक लेख लिखना,

५. कसाईखानोमें जाना और उनका जी दहलानेवाला वर्णन लिखना।

इस समय तो इतना ही सूझता है।

दूसरी बात, मेरे काते हुए सूतको चन्देके तौरपर लेनेके बारेमें वहाँ आनेपर अधिक विचार करूँगा।

अपने यहाँके दूधकी बिक्रीके बारेमें 'नवजीवन' में लिखना हो तो लिखो।

विंछियाकी गोशालाको सँभालने योग्य कोई मनुष्य हमारे पास हो और हमें उसे चलानेकी पूरी स्वतन्त्रता मिले तो उसकी व्यवस्थाकी जिम्मेवारी ले ली जाये।

'जोडणी-कोश की जिल्दके बारेमें जानकर आश्चर्य हुआ है।

रामेश्वरदासके पैसेके बारेमें अबसे 'नवजीवन' में लिखूँगा।

बापू

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७४०१) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वालजी गो० देसाई

३९७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

२८ मई, १९२९

भाई घनश्यामदासजी,

आपके दोनों खत मीले हैं। . . के मेरे पास भी बहोत खत आये हैं। मैंने आज खत भेजा है उसकी नकल इसके साथ रखता हुं। मुझे दुःख होता है कि ऐसे आदमीके लीये मैंने आपको तकलीफमें डाला। मैं तो उनको कम हि जानता था। एक दो बार ही मीला था। आदमी अच्छा लगा। अब भी अच्छा तो लगता ही है। परतु ऐसे लोगोको आप नहिं रख सकते हैं। अथवा मैं आपको ऐसा खयाल करके अन्याय करता हु। आपमें परोपकारवृत्ति तो है परतु ऐसे लोगोका सग्रह करने तक जाते हो तो बडा भारी कार्य है। उसको तो डर लगा है कि अब वहा नहिं रह सकेगा और आश्रममें बुला लेनेका लीखता है। कहीयो क्या करू?

फारवर्डने क्या लीखा था इसके साथ मेरे लेखका कोई सबध न था। फारवर्डको जो सजा दी गई है वह निर्दय, राक्षसी है उसमे कोई सदेह नहिं है। फारवर्डने बहादुरी बताई है इसमें कुछ शक मुझको नहिं है।

कच्चे अनाजका प्रयोग चल रहा है। ११ जुनको साबरमती छोडुगा।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१६९ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

३९८. एक पत्र सरोजिनी देवीका, और एक उनके बारेमें

पश्चिममें भारतीय जनताकी राजदूत सरोजिनी देवीका ताजा पत्र इस प्रकार है :[1]

मैंने आपको पिछला पत्र लिखा था तबसे अबतक कोई एक माह मैं लगातार यात्रा करती रही हूँ। यह यात्रा लगातार तो हुई ही, काफी श्रम-साध्य भी रही। यह हजारों मील लम्बी यात्रा शिकागोसे आरम्भ हुई थी। शिकागोसे मैं लास एंजलीज तक गई और वापस आई। रास्तेमें अनेक प्रदेशोंसे गुजरी, जिनमें कहीं गेहूँ होता है, कहीं ताँबा, कहीं पशुधनकी बहुतायत है तो कहीं कपासकी। यह एक बहुत लम्बा-चौड़ा भू-क्षेत्र है जो प्रकृति पर मनुष्यकी विजयकी, उसके अदम्य साहस और पराक्रमकी, उसकी सहन-शक्ति, सूझ-बूझ, परिश्रम और उस नरोन्मेषशालिनी दृष्टिकी साक्षी भरता है जिसने प्रकृतिको खुश करके कहिए या बाध्य करके इतने अल्प समयमें इतने सुन्दर परिणाम प्राप्त कर दिखाये हैं। किन्तु एरिजोना रेगिस्तानके ग्रैंड केनयान नामक प्रसिद्ध स्थलमें मैंने प्रकृतिका जो रूप देखा उसकी तुलनामें मनुष्यकी यह सारी शक्ति निष्प्रभ हो जाती है। वहाँ काल-रूपी त्वष्टाने पहाड़की शिलाओंको काट-छाँटकर अज्ञात देवताकी अभ्यर्थनामें सुन्दर और भव्य मन्दिरोंका निर्माण किया है। इन मन्दिरोंमें हमें रंगोंका वह सारा वैभव मिलता है जो रत्नो और फूलोंमें पाया जाता है। मनको अभिभूत कर देनेवाले इस सौन्दर्यको देखकर हमारा स्तुति गीत मौनमें, और मौन पूजामें परिणत हो जाता है।

एरिजोनाका यह रेगिस्तान अनेक रेड इंडियन कबीलोंकी निवास-भूमि है। यह सारा देश किसी समय पूर्वजोंसे प्राप्त उनका अपना देश था। आज तो वे वहाँ शेष समाजसे विच्छिन्न दूर एकान्तमें ही अपनी रंग-बिरंगी, किन्तु आदिम जिन्दगी बसर करते हैं। पश्चिमसे आये हुए उन लोगोंकी तुलनामें जिन्होंने इन कबीलोंसे उनकी यह सम्पत्ति छीन ली है, ये लोग हमारे कहीं ज्यादा पास हैं। ऐसा लगता है कि दुनियाकी सारी आदिम जातियाँ सहज बन्धुत्वकी डोरसे बँधी हुई हैं क्योंकि लोक-हृदय हर जगह, फिर चाहे वह भारत हो या रूमानिया, जुलुलैंड हो या एरिजोनाका रेगिस्तान, अपनेको समान प्रतीकों द्वारा प्रकट करता है और अपने संगीत, अपनी पौराणिक आख्यायिकाओं और अपने नृत्यके द्वारा लगभग उन्हीं मूल गुणोंको प्रकाशित करता है जो आदिम जातियोंमें सर्वत्र पाये जाते हैं। वीरता, मेरा खयाल है, इन मूल गुणोंमें से एक है और ग्रैंड केनयानके पास होपी कबीलेके गरुड़-नृत्य, भैंसेके

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

शिकारका नृत्य, विजय-नृत्य आदि नृत्योंमें इस गुणकी जैसी सशक्त अभिव्यक्ति होती है वैसी अन्यत्र मैंने नहीं देखी। इस प्रसंगमें मैं आपको सान-फ्रांसिस्कोमें मेरे एक भाषणकी समाप्तिपर इंडियन कबीलेके एक युवा प्रतिनिधिने मुझसे जो कहा था वह सुनाऊँ। यह युवक स्पष्टतः सुशिक्षित दिखता था और सम्भवतः किसी विश्वविद्यालयका स्नातक रहा होगा। उसने कहा, "आपने हमारे देशके बारेमें अपने भाषणमें जो-कुछ कहा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह देश किसी समय मेरा और मेरे सजातीयोंका था। हम लोग अब नष्ट होते जा रहे हैं किन्तु मैं आपसे कह दूँ कि वे हमें मार सकते हैं किन्तु जीत नहीं सकते।" उसका यह कथन बिलकुल सही है। ये लोग आकाशचारी गरुड़की, हवा और विद्युत्की सन्तान हैं। उनके तेजोबलको कौन पराभूत कर सकता है? मैं जब एरिजोना गई तब मैंने इस युवककी दर्पोक्तिके सत्यको महसूस किया।

कैलीफोर्निया मुझे बहुत भाया — उसकी पुष्पोज्ज्वल और फेन-विचुम्बित भूमि का हर छोटा-बड़ा टुकड़ा कितना सुन्दर है। लेकिन मेरी प्रसन्नताके शुभ्राकाशमें एक मेघ-खण्ड भी था — यह था वहाँ बसे हुए भारतीयोंकी दुःखद दशा। वे बीस-तीस वर्षोंसे अपनी जमीनोंपर परिश्रमपूर्वक खेती करते आ रहे थे और समृद्धिके रूपमें उन्हें उसका सुफल भी मिला था, किन्तु आव्रजनसे सम्बन्धित हालके कानूनोंने उनसे जमीनके स्वामित्व और नागरिकताके अधिकार छीन लिये हैं। . . .

आफ्रिका और अमेरिकाकी अपनी यात्राओंके बाद मैं अब इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि भारतीय प्रवासियोंको दुनियामें तबतक सन्तोषप्रद दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता जबतक कि स्वयं भारतको दुनियाके स्वतन्त्र राष्ट्रोंमें उसका सही दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता।

आप यह तो जानते हैं कि मनुष्य-रूपी पुस्तकके अध्ययनमें मेरी कितनी गहरी रुचि है। इस पुस्तकके प्रत्येक खण्डमें, चाहे वह सुबोध हो या गूढ़, मुझे रस मिलता है और मैं उसे समझनेकी और उसकी व्याख्या करनेकी कोशिश करती हूँ। अपनी यात्राओंमें मैं न सिर्फ प्रत्येक प्रकारकी जलवायु और निसर्गके प्रत्येक रूपको परखती चलती हूँ बल्कि इस विशाल मानव-जातिके प्रत्येक प्रकारको भी। . . .

इस सप्ताह मुझे काफी देरसे कलकत्तेमें हमारे राष्ट्रीय सप्ताहके दरम्यान जो-जो घटनाएँ (मैं इसमें 'दुर्घटनाएँ' शब्द और जोड़ रही थी पर रुक गई) हुईं उनकी खबर मिली। अखबारोंकी अपेक्षा पद्मजाके छोटे-छोटे शब्द-चित्रोंमें उनका ज्यादा सजीव वर्णन हुआ है और उनसे मैं उनके बारेमें जितना जान पाई उतना अखबारोंमें प्रकाशित विवरणसे नहीं। वह लिखती है, "हमारे जादू-

गरके जादूमें कोई कमी नहीं आई है।" लेकिन जिस जादूसे सच्ची और सफल हिन्दू-मुस्लिम मैत्री होगी और जिस जादूसे हमारे स्वप्न और हमारी साधनाका वह योग सम्पादित होगा जो भारतको उसके जटिल बन्धनोंसे मुक्त करेगा — वह चरम जादू तो अभी प्रकट होना बाकी है।

तो हे जादूगर, इस यायावर गायिकाकी विनतीपर कान दो और अपना वह जादू चलाओ और स्वतन्त्र भारतके हमारे परम सुन्दर सपनेको साकार कर दिखाओ।

यह पत्र कंसास शहरसे ११ फरवरीको लिखा गया था और यदि मैं आन्ध्रके दौरे पर न होता तो पाठकोंको इसके पहले ही पढ़नेको मिल जाता। सरोजिनी देवीके पत्र मैंने इसके पहले जब भी दिये हैं तो उनमें से मैंने अपनेसे सम्बन्धित अंश हमेशा निकाल दिये हैं। किन्तु इस बार मैंने ऐसा नहीं किया; कर नहीं सका। उससे हिन्दू-मुस्लिम मैत्रीके लिए सरोजिनी देवीकी व्याकुलता प्रकट होती है। कितना अच्छा होता कि मैं उनकी इस आशाको पूर्ण कर सकता। लेकिन जादूगरकी जादूकी छड़ी खो गई है। उसका मन भी इस मैत्रीके लिए उतना ही व्याकुल है जितनी वह स्वयं, और 'चारों ओरसे जो अँधेरा घिरता चला आ रहा है' उसके बावजूद उसकी आस्थाकी ज्योति सदासे कहीं ज्यादा उज्ज्वल है। लेकिन लगता है कि शैतानकी माया अभी कायम है और पागलपनकी जो हवा आज देशमें बह रही है, जबतक उसका जोर खतम नहीं हो जाता और वह अपने-आप नष्ट नहीं हो जाती तबतक वह कुछ समय और चलेगी।

लेकिन हम इस भाव-प्रवाहसे निकलकर फिर इस गायिकाकी ओर लौटें। दीन-बन्धु एन्ड्रयूजसे प्राप्त एक पत्रसे सरोजिनी देवीसे सम्बन्धित ये पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है:[1]

सरोजिनी देवीकी यात्राकी सफलता आश्चर्यजनक है। उन्होंने सब लोगोंके मन जीत लिये हैं और मैं कैनेडामें या अमेरिकामें जहाँ भी गया हूँ सर्वत्र उनकी प्रशंसा ही सुननेको मिली है।...उन्हें यहाँ बार-बार आना चाहिए क्योंकि उन्होंने पश्चिमका हृदय जीत लिया है और वे लोग अब उन्हें कभी भूल नहीं सकते। भारतके पक्षमें उन्होंने यहाँ जो मित्रता हासिल की है उसकी रक्षा होनी चाहिए। जो लोग क्यूबेकको जानते हैं उनका कहना है कि अगली बार जब वे यहाँ आयेंगी तो उनका इससे भी ज्यादा स्वागत होगा। क्योंकि तब प्रारम्भमें ही उनके साथ अनेक निष्ठावान मित्र होंगे जो यहाँ उनकी हर जगह मदद करना चाहेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-५-१९२९

१. केवल कुछ अंश दिये गये हैं।

३९९. व्यापारियोंकी उदासीनता

आन्ध्र-यात्रामे मिले हुए एक विचारपूर्ण अभिनन्दनपत्रका कुछ अंश नीचे दे रहा हूँ। खादीका जिक्र करते हुए उसमे कहा गया है.

> अगर हम व्यापारी वर्गका सच्चा सहयोग पा सके होते तो खादीके रचनात्मक कामको पूरे जोशके साथ कर सके होते और इस तरह अपने जिलेके शेष भागोंके सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सके होते। लेकिन कहते दुख होता है कि बात कुछ और ही हुई। इस जिलेके ज्यादातर हिस्सोंमें उदासीनताके भावने घर कर रखा है।

इस अभिनन्दनपत्रमे जो बात कही गई है, वह दुर्भाग्यसे देशके प्राय. हर हिस्सेके बारेमे सही है। यह सच है कि जब व्यापारी वर्ग राष्ट्रीय बातोमे दिलचस्पी लेने लगेगा, तब हमे अपने ध्येय तक पहुँचनेमे ज्यादा समय नही लगेगा। जैसा कि मै पहले कई बार कह चुका हूँ, व्यापारियोके कारण ही हमारा देश विदेशियोके हाथमे गया और अब वे ही उसे वापस भी लौटा ले सकते है। आखिरकार ये ही लोग सरकारके बडे-से-बडे सहयोगी है। इनमे भी कपडे बेचनेवालोका स्थान सबसे आगे है। अतएव प्रत्येक ग्राम कांग्रेस कमेटीका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस समस्याको सुलझाये, इसे हल करनेकी कोशिश करे। अगर ये कमेटियाँ व्यापारियोका सहयोग प्राप्त करना चाहती है, तो इन्हे उनको समझाना चाहिए और उन्हे विदेशी वस्त्रका व्यापार करनेसे होनेवाली हानियाँ बतानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस तरहके प्रयत्न करनेवालोको कई स्थानोमे सफलता मिलेगी। इस कामके दो तरीके होगे एक, विदेशी वस्त्रके व्यापारीको राजी करना, दूसरे ग्राहकोको रजामन्द करना। मैं देखता हूँ कि काग्रेसके कार्यकर्त्ताओमे मौलिकताका अभाव है। थोडेसे सदस्य बनाकर ही वे सन्तुष्ट हो जाते है और फिर बैठ जाते है। नई सदस्यताके लिए भी वे साधारणत' उन्ही लोगोके पास जाते है, जो पढे-लिखे है, या जो उन्हीकी जाति या वर्गके है। आवश्यकता तो इस बातकी है कि काग्रेसका सन्देश प्रत्येक वय-प्राप्त स्त्री-पुरुष तक पहुँचे। उदाहरणार्थ अपने लिए मैने अब एक यह नियम बना लिया है कि खुद हजामत बनानेके बदले किसी खादी-धारी हज्जामसे हजामत बनवाऊँ। यह प्रचारका एक शान्तिपूर्ण साधन है। काग्रेसवाले मेरी तरफ आश्चर्य-भरी निगाहसे देखते है और इस विचारसे घबरा जाते है कि खादीधारी नाई कहाँसे मिलेगा। वे यह महसूस नही करते कि खादीधारी नाई दुनियाकी एक अति सुलभ चीज है, खासकर गाँवोमें। गाँवका नाई खुशी-खुशी खादी पहनने लगेगा, बशर्ते कि उसे खादी सस्ती या मुफ्त मिले। उसे एक छोटी-सी धोतीके सिवा और चाहिए ही क्या? सौभाग्य है कि वह पाजामा, जैकेट और लम्बे-लम्बे साफो या पगड़ियो वगैराका आदी नही है। उसका मामूली परिधान एक छोटी-सी धोती-भर है। साथ ही अगर काग्रेसवाले अपनी सेवाके

लिए खादीधारी नाईको ही तरजीह दे, उसीको पसन्द करे, तो नाई-वर्ग शीघ्र ही यह ताड़ जायेगा कि उसके ग्राहकोमे एक ऐसा दल भी तैयार हो चुका है, जिसे खादीधारी नाइयोकी जरूरत है, और बस वह तत्काल खादी पहनना शुरू कर देगा। उसके साथ अगर थोडी आत्मीयता जताई जाये तो वह समझ जायेगा कि खादी पहननेका क्या अर्थ होता है, और इस प्रकार एक और व्यक्ति खादी-व्रती हो जायेगा।

आन्ध्रके देहातमे जो लोग मेरे आसपास जमा होते थे उनमें से खादी-धारियोको विदेशी वस्त्र-धारियोसे अलग करना मुश्किल था। क्योकि दोनो तरहके लोग मोटा कपड़ा पहनते है और जब उनकी धोतियाँ काफी धुल-पिट जाती है तो दूरसे खादी और विदेशी कपड़ेको पहचानना कठिन हो जाता है। अतएव नगरवासियोको खादीकी ओर रुजू करनेमें जितनी कठिनाइयाँ है, देहातियोके सम्बन्धमे वैसी कोई अड्चन नही है। देहातमे सिर्फ दो बातोंकी जरूरत है: एक, खादीका प्रामाणिक प्रचार, दूसरे, खादी-उत्पादनकी योग्य व्यवस्था। यहाँ हमे यह भी जान लेना चाहिए कि गाँवोमें ही करोड़ो रुपयोंका विदेशी कपडा इस्तेमाल होता है। अतएव जब नियमित और सुव्यवस्थित ढगसे व्यापारियो और ग्राहकोके बीच दोहरा प्रचार-कार्य सचाई और ईमानदारीके साथ शुरू किया जायेगा, तब विदेशी वस्त्रके बहिष्कारमे कोई कठिनाई नही रह जायेगी, और उसका स्थान खादी ले लेगी, जिसे लगभग प्रत्येक गाँवमे तैयार किया जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-५-१९२९

४००. राष्ट्रीय संगठन

काग्रेसवालोके लाभके लिए नीचे मै अखिल-भारतीय काग्रेस कमेटीके कार्यकारी प्रस्तावको[1] जैसाका तैसा दे रहा हूँ:

इस प्रस्तावका भावार्थ यह हुआ कि अगली ३१ अगस्तके पहले ही काग्रेसके रजिस्टरमें कमसे-कम ७½ लाख ऐसे स्त्री-पुरुषोका नाम दर्ज हो जाना चाहिए, जिन्होने काग्रेसके सन्देशको अपनाया है, जिन्होने काग्रेसके सिद्धान्तोको स्वीकार किया है, और जो देहातो सहित देशके हर हिस्सेके रहनेवाले है। यह सख्या मेरी अपनी कल्पित मूल सख्याका अष्टमाश-मात्र है। यह उन मतदाताओकी सख्याका भी आठवाँ हिस्सा है जो विधान सभाओके सदस्योके चुनावमें मत दे सकते है। साथ ही यह भी ध्यानमे रखना चाहिए कि इसमे से देशी राज्यो, 'नॉन रेगूलेटेड' क्षेत्रो, बर्मा और सीमाप्रान्तकी सख्या निकाल दी गई है। बोझ हलका करनेके लिए प्रस्तावमे जो भी

१. यहाँ नहीं दिया गया है। प्रस्तावके पाठके लिए देखिए "भाषण तथा प्रस्ताव: अ० भा० का० कमेटी की बैठकमें", २५-५-१९२९।

संशोधन पेश किये गये थे सबको स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्ताव बड़े उत्साहके साथ पास हुआ। अगर सदस्य सच्ची लगन रखते हों तो निर्धारित समयके पहले ही प्रस्तावकी बातोपर पूरा-पूरा अमल हो जाना चाहिए। अगर प्रस्तावपर सचाईके साथ अमल किया जाये तो हमे फिरसे सन् १९२१ के जैसा एक संगठित और सक्रिय संगठन प्राप्त हो जाये, जो कांग्रेस द्वारा समय-समयपर की जानेवाली माँगोकी भली-भाँति पूर्ति कर सकेगा। अगर विदेशी वस्त्र-बहिष्कार, शराबबन्दी और अस्पृश्यता-निवारणके त्रिविध कार्यक्रमके लिए बनाई गई विशेष समितियोको भली-भाँति संगठित करना है, तो यह काम बहुत जरूरी है।

इस बैठकमे खादी-मताधिकारका सवाल भी उठाया गया था। सच पूछा जाये तो खादीका मताधिकारसे कोई खास सम्बन्ध नही है। कोई भी वय-प्राप्त व्यक्ति, जो कांग्रेसके सिद्धान्तोको स्वीकार करता है और चार आना चन्दा देता है, वह कांग्रेसकी सदस्यताके लिए प्रार्थना कर सकता है। इस तरह कई लोग, जिनमे सरकारके खुफिया विभागके लोग भी है, कांग्रेसके सदस्य बन सके हैं। लेकिन जब कांग्रेसकी बैठकोमे मतदानका मौका आये तब उसके लिए तो नियमित रूपसे खादी पहनना आवश्यक है। सम्भव है, यह धारा कांग्रेस सगठनके समुचित संचालनमे बाधक हो, मगर उसकी प्रतिष्ठा करनेमे नही। इस धाराको सविधानमे रहने दिया जाये या निकाल दिया जाये, यह एक ऐसा सवाल है जिसपर कांग्रेसको खास तौर पर फिरसे जाँच करनी चाहिए, और इसके गुण-दोषोका विवेचन भी। अगर आज इतने समयके बाद भी कांग्रेसवालोको खादीमे विश्वास न हो तो इस धाराको अवश्य ही हटा देना चाहिए। अगर खादीमे विश्वास रखते हुए वे उसे संगठनमें स्थान न देना चाहते हो तो भी उसका निकल जाना ही अच्छा। लेकिन अगर यह धारा कायम रहे, तो कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको मद्देनजर रखते हुए उसका कड़ाईसे पालन करवाया जाना चाहिए। अगर ७½ लाख लोगोंको सचाईके साथ कांग्रेसका सदस्य बनाया जाये तो स्वभावत: कार्यकर्त्तागण उन स्त्री-पुरुषोको, जिन्हे वे सदस्य बनायेंगे, यह भी बतायेंगे कि अबतक कांग्रेसने क्या किया है और आगे वह इन सदस्योसे क्या आशा रखती है। अगर मैं 'कैनवासिंग' का काम हाथमे लूँ तो मैं इस अवसरका उपयोग खादी-बिक्री, अस्पृश्योद्धार आदि प्रचार-कार्योमे करूँगा। साथ ही जिन लोगोंके पास मैं 'कैनवासिंग' करते-करते पहुँचूंगा, अगर वे राजनैतिक बातोमे थोड़ी भी दिलचस्पी रखनेवाले हुए तो मै उनसे नेहरू-सविधानके बारेमे बातचीत करूँगा और उनसे कहूँगा कि अगर सरकार उसे अगली ३१ दिसम्बरसे पहले या उस दिनतक मंजूर नही करेगी तो जहाँतक सम्भव है, कांग्रेस इस संविधानको फाड फेकेगी और अपने आपको पूर्ण स्वातन्त्र्यके पक्षमे घोषित कर देगी। आखिरमे मैं उनसे यह भी कहूँगा कि अगर कांग्रेसने ऐसी घोषणा कर ही दी तो वह अपने प्रत्येक सदस्यसे यह आशा रखेगी कि वह कांग्रेस द्वारा आज्ञापित असहयोग या सविनय अवज्ञा वगैरा किसी भी आन्दोलनमे भाग लेगा। मै जानता हूँ कि अगर हमारा संगठन उत्तम कोटिका प्रामाणिक संगठन बन जाये, वह ऊपर बताई गई तमाम न्यूनतम आवश्यकताओका पूरक बन जाये और अनुशासन-

का पालन करने लगें तो हमें सविनय अवज्ञाके कार्यक्रमको सफल बनानेमें कोई भी कठिनाई न होगी — यानी कि अगर अगले साल सविनय अवज्ञा करना आवश्यक ही हो जाये तो। और वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए इस आवश्यकताकी बडीसे-बडी सम्भावना स्पष्ट है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-५-१९२९

४०१. विदेशी वस्त्र बहिष्कारकी प्रगति

विदेशी वस्त्र बहिष्कार समितिने गत सप्ताह अ० भा० का० कमेटीकी बैठकमें अपने कामका एक विवरण पेश किया था। मुझे आशा है कि इस आन्दोलनमें रुचि रखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इस विवरणकी एक-एक प्रति मन्त्री, कांग्रेस हाउस, बम्बईके पतेसे अवश्य प्राप्त कर लेगा। पत्र-लेखकोंको मेरी सलाह है कि वे डाक-खर्चके लिए एक आनेका डाक-टिकट साथमें भेज दें। विवरणमें ३० अप्रैल तकके केवल दो महीनोंके कामका ब्योरा दिया गया है। प्रगति संतोषप्रद तो रही है, पर यदि कांग्रेसका एक जागरूक संगठन पूरी तेजीके साथ इस दिशामें काम करता तो प्रगति और अधिक की जा सकती थी। नगरपालिकाएँ और स्थानीय निकाय श्रीयुत जयरामदासकी अपीलपर धीरे-धीरे ही आगे आ रहे हैं। अबतक मुश्किलसे तीसने ही अपने उत्तर भेजे हैं। कांग्रेसने जिन स्थानीय निकायोंमें अपना बहुमत बना लिया है, उनमें से तो प्रत्येकको बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्ताव पर निश्चय ही अमल करना चाहिए। संगठित सार्वजनिक निकायोंकी ओरसे हालाँकि बहुत कम पहल हुई है, फिर भी आन्दोलनका प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा है। इस विवरणमें अनेक उद्धरण दिये गये हैं। मैं उनमें से एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह उद्धरण 'दिल्ली पीसगुड्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष, श्री जे० सी० रॉबर्ट्सके भाषणसे लिया गया है.

> चिन्ता उत्पन्न करनेवाली एक दूसरी बात भी है जो व्यापारियोंको काफी चिन्तित बनाये है। यह है — देशकी अनिश्चिततापूर्ण वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और उसीके एक पहलूके रूपमें विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कार-आन्दोलनका खतरा। भारतमें आयी मन्दीके इस मौजूदा दौरका प्रभाव उत्पादन-केन्द्रोंपर भी पड़ने लगा है और देश (इंग्लैंड)से आनेवाले विवरणोंसे पता चलता है कि भारतकी ओरसे माँग न होनेके कारण और भारतीय खरीदारों द्वारा वायदेके सौदे पूरे न कर पानेके कारण ग्रेटब्रिटेनकी कुल सूती कपड़ा मिलोंमें से एक-तिहाईको बन्द कर देना पड़ा है। . . . हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और भविष्य अनिश्चित तथा अंधकारपूर्ण दिखता है।

खादीकी बिक्रीपर प्रचारका काफी व्यापक प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्षकी तुलनामे इस वर्ष उस अवधिमे ही खादीकी बिक्रीमे पचास प्रतिशत वृद्धि हो गई है।

लेकिन कलकत्ताके बारेमें 'टैटरसल' कहता है:

> 'पीसगुड्स'की माँग बढ़नेके लक्षण दिखाई दिये हैं। . . . जहाँतक भारतकी बात है, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि कलकत्तामें सूती कपड़ेकी, विशेषकर धोतियोंकी और अधिक माँग है और अधिक बड़े पैमानेपर उनकी खरीद की गई है।

विवरणमे इसके बारेमे कहा गया है:

> गत वर्ष कलकत्ताने २,८२१ लाख रुपयेके मूल्यके विदेशी वस्त्रोंका आयात किया था, जबकि देशभर ने कुल ६,५१६ लाख रुपयेके मूल्यके विदेशी वस्त्रोका आयात किया था। कलकत्ताका हिस्सा ४३ प्रतिशत रहा था। इस प्रकार कलकत्ता ही विदेशी वस्त्रोंके आयातका मुख्य द्वार है। यह तथ्य उक्त टिप्पणीका महत्त्व बढ़ानेमें ही योग देता है।

कलकत्ताके काग्रेसजनोको इससे चेत जाना चाहिए।

अनेक लोगोको आशका है कि फिलहाल बाजारमे खादी आ ही नही पायेगी और उसके अभावमे हमे पहलेकी भाँति देशी सूती कपडा मिलोकी दयापर ही निर्भर रहना पडेगा और उसमे फिर यह खतरा पैदा हो जायेगा कि जनताको भारतीय सूती कपडा मिलोमे तैयार किये गये वस्त्रोके नामपर विदेशी वस्त्र ही भेजे जायेंगे और उसे खरीदने पडेगे, या कमसे-कम महँगे दाम तो चुकाने ही पडेगे। यदि हम अपनी सारी शक्ति, समय और कौशल सभी सम्भव तरीकोसे खादीका उत्पादन करनेमें नही लगायेंगे, तो यह खतरा वास्तविक बन जायेगा। खादी उत्पादनके तरीके है

१. अपनी जरूरतके लिए कातना,
२. मजूरीके लिए कातना, और
३. यज्ञके रूपमे कातना।

पहला तरीका सबसे महत्त्वपूर्ण और सर्व-व्यापक है और एक बार शुरू कर देनेपर फिर इसकी असफलताका कोई सवाल ही नही। इस दिशामे प्रभावोत्पादक प्रचारका उपयुक्त समय बिलकुल यही है। खादी-प्रतिष्ठानके श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्तने यह बात समझ ली है और वह इसको एक बडे पैमानेपर सगठित कर रहे है। खादी-उत्पादनका यही सबसे कमखर्चीला तरीका है, क्योकि इसमे तैयार मालके लिए बाजार तलाशनेकी परेशानी नही उठानी पडती। मजूरीके लिए कताई करना दूसरा तरीका है। इसके विस्तारके लिए भी व्यापक क्षेत्र पडा हुआ है। परन्तु इस तरीकेमे रुईका स्टाक रखने और बिक्रीका प्रबन्ध करनेके लिए पूँजीकी जरूरत पडती है। और इस तरीकेके लिए हमारे अन्दर व्यावसायिक क्षमता होना भी बिलकुल जरूरी है। यह तरीका हमारे अन्दर सूझ-बूझ पैदा करता है और हमे एक विशाल सगठन खडा करनेमे समर्थ बनाकर मध्यवर्गीय लोगोके लिए जीविकाका एक प्रतिष्ठित

साधन जुटानेकी क्षमता प्रदान करता है। तीसरा तरीका बड़ा उच्चादर्शपूर्ण है, लेकिन गिने-चुने लोग ही उसे अपना सकते है। यदि हमारे देशवासी त्यागकी आवश्यकता भली-भाँति समझ ले, तो इस तरीकेसे हम असीमित मात्रामे सूतका उत्पादन कर सकते है। नगरपालिकाओ द्वारा सचालित सभी पाठशालाएँ ही यदि चाहे तो लाखो लोगोके वस्त्रोके लायक सूत हमे दे सकती है। शहरोमे रहनेवाले लोग यदि चरखेको आधा घटा रोज दिया करे तो प्रत्येक शहरी कमसे-कम १०० गज बढिया सूत तो दे ही सकता है। इसपर अविवेकपूर्ण ढगसे यह फब्ती मत कसिए कि उस आधा घटेका उपयोग सूत कातनेसे कही उपयोगी किसी अन्य कामके लिए किया जा सकता है। रेगिस्तानमे फँसा हुआ साहूकार अपने समयका अच्छेसे-अच्छा उपयोग स्वच्छ और ताजा जल सचय करनेमे ही कर सकता है। इस वर्ष विदेशी वस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार सम्पन्न कर दिखानेके इच्छुक प्रत्येक भारतीय, बडेसे-बडे भारतीय, के लिए अपने समयका सदुपयोग करनेका सबसे अच्छा तरीका एक यही है कि वह बहिष्कार सम्पन्न कर दिखानेके दिनतक स्वय सूत कातता रहे। हम इस अत्यन्त ही सरल और स्पष्ट सत्यको इसलिए नही देख पाते कि हम इस बहिष्कारकी आवश्यकताको गहराईसे महसूस नही करते। खैर, इन तीनो तरीकोसे खादीका उत्पादन किया जा रहा है और यदि हम सब लोग अपनी शक्तिभर जुटकर काम करे तो खादीका अकाल पडनेका सचमुच कोई खतरा नही।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-५-१९२९

४०२. टिप्पणी

अलमोड़ा-यात्रा

मै ११ जूनको साबरमतीसे अलमोड़ाके लिए रवाना होनेकी आशा रखता हूँ। कार्यकर्त्ताओको यह याद दिलानेकी शायद ही जरूरत हो कि

१. किसी तरहकी खर्चीली दिखावट और सजावट न हो,

२. जितने स्थानीय स्वयसेवकोकी नितान्त आवश्यकता हो सिर्फ उतने ही मेरे साथ यात्रामे रहे,

३. दरिद्रनारायणके लिए चन्दा इकट्ठा किया जायेगा,

४ मेरे साथ रहनेवालोको बिलकुल सादा भोजन दिया जाये,

५ दिनमे मुझे कमसे-कम छः घटे मिलने चाहिए, जिनमे मै सम्पादन और पत्र-व्यवहारका काम भली-भाँति कर सकूँ, इसमे भोजन वगैराका समय शामिल न हो,

६ अगर स्वागतका खर्च, एकत्र होनेवाली चन्देकी रकममे से घटाना हो तो उसका जाँच किया हुआ हिसाब मुझे मिलना चाहिए, और

७ मेरे साथके लोग अपने पैसेसे सफर करेगे, स्वागत-समिति उनके लिए परिवहनकी सुविधा-मात्र उपलब्ध कर दे।

चूँकि पडित जवाहरलाल नेहरूने मेरे आराम और काम दोनोको मद्देनजर रखते हुए इस यात्राका आयोजन किया है, मै अपने साथ कुछ ऐसे लोगोंको भी लाऊँगा जिनका यात्रासे कोई सम्बन्ध न होगा, मगर जो स्वास्थ्यकी वजहसे मेरे साथ रहेंगे। स्वागत-समितियोपर उनका किसी भी तरहका बोझ नही पडना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-५-१९२९

४०३. आन्ध्र देशमें [-७]

इस बार हमारी इस लेखमालाका यह शीर्षक उपयुक्त नही है। मै ये टिप्पणियाँ आन्ध्र देशसे नही बल्कि उद्योग मन्दिरमे बैठकर लिख रहा हूँ। किन्तु मेरे चारो ओर अभी भी आन्ध्रका वातावरण है और आन्ध्रके मित्र हैं जिनमें श्री कोडा वेंकटप्पैया भी है जो मेरी इस यात्राके दौरान मेरे प्रमुख जेलर थे। मै अभी भी आन्ध्र प्रदेशसे सम्बन्धित काम कर रहा हूँ और इस समय इन मित्रोके साथ तथा अखिल भारतीय चरखा सघकी परिषदके सदस्योके साथ इस बातकी चर्चा कर रहा हूँ कि दौरेकी अवधिमे जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। अस्तु, यहाँ अपनी उगाहीकी अन्तिम सूची पेश कर रहा हूँ।[1]

जैसा कि मैंने अडोनीके विदाई भाषणमे कहा था, विभिन्न प्रान्तोमे मैंने आजतक जितने दौरे किये है उनमें मेरा आन्ध्रका यह दौरा सबसे लम्बा और सबसे ज्यादा व्यस्त रहा है, और जहाँतक मुझे याद है यहाँ मुझे जो धन-राशि प्राप्त हुई है वह — यदि सन् १९२१ का खयाल न करे तो — किसी एक प्रान्तसे प्राप्त सबसे बडी राशि है। मैंने आन्ध्रमे ६ अप्रैलको प्रवेश किया था और ठीक ४५ दिनके बाद २१ मईको मैंने उसे छोडा था। इस अवधिमे मैंने ३१९ गाँवोकी यात्रा की — गुन्टूर और पूर्व कृष्णा जिलोके ५२ गाँव और पूर्व गोदावरी तथा पश्चिम गोदावरीके क्रमश. ५० और ४८। अगले सप्ताह मैं इनके सम्बन्धमे एक समेकित वृत्तान्त प्रकाशित करनेकी उम्मीद करता हूँ जिसे देशभक्त कोडा वेंकटप्पैया और श्री नारायण मूर्ति मेरे लिए तैयार कर रहे है। असलमे ये साप्ताहिक सूचियाँ श्री नारायण मूर्ति ही तैयार करते रहे हैं।

सबक

इस दौरेसे मै काफी कुछ सीखता रहा हूँ। आन्ध्रमे खादीके उत्पादनके लिए असीम अवकाश है। इसके सिवाय, वह काग्रेसके कार्यक्रमके अन्य अंगोके लिए भी आसानीसे सगठित किया जा सकता है। वहाँ कार्यकर्त्ता पर्याप्त संख्यामे है, किन्तु उन्हे तालीम देनेकी जरूरत है। उन्हे ऐसे नेतृत्वकी आवश्यकता है जो सशक्त हो और साथ ही सहानुभूतिसे काम ले। वहाँ बलिदानकी भावना तो है किन्तु कार्यकर्त्ता यह नही जानते कि उन्हे क्या-क्या करना है और कैसे करना है। पारस्परिक अनबन

१. सूची यहाँ नहीं दी गई है। गांधीजीको इस उगाहीमें कुल रु० २,५६,२७९-७-६ प्राप्त हुए थे।

उन्हे एक दूसरेसे अलग रखती है। विभिन्न और प्राय. परस्पर विरोधी कार्यक्रम तथा नीतियाँ उन्हें विभ्रान्त करती है। खादी एक ऐसा कार्यक्रम है जो उन्हे धीरे-धीरे ही सही किन्तु निश्चयपूर्वक एक-दूसरेसे बाँध रहा है तथा अनुशासनके नियन्त्रणमें ला रहा है। मेरे साथ यहाँ जो कार्यकर्त्ता साबरमती तट चले आये है उनके साथ मै यहाँ जो बातचीत कर रहा हूँ उससे मैं बहुत-कुछ सुफलकी आशा करता हूँ।

सभाओके आयोजकोंको एक सलाह

मै कार्यकर्त्ताओका ध्यान इस दौरेके अपने एक आविष्कार — सचल मंच — की ओर खीचना चाहता हूँ। यह आविष्कार बुद्धिकी नही उस आवश्यकताकी देन है जो अधिकाश आविष्कारोकी जननी है। मेरा शरीर कमजोर है और आदेशके अनुसार बार-बार उठना और बैठना उससे सहन नही होता। मोटर-गाड़ीसे उतरना, फिर अपने प्रशंसकोकी शोर कर रही भीड़को चीर कर आगे बढना, और उसके बाद ऐसे मंचोपर चढ़ना जिनके लक्षणोसे लगता है ये जाने कब गिर जायेगे और जो कभी-कभी गिर भी जाते है, फिर मचसे उतरना और पुनः बढ़ी आ रही भीडमे से अपना रास्ता निकालना, बमुश्किल अपनी गाडीतक पहुँचना और उसमे चढकर अपनी जगह बैठना, और १५ मिनटके बाद फिर इसी क्रियाको दोहराना — यह ऐसी कसरत है जिसे मेरा शरीर अब झेल नही सकता। इसलिए मैनें अपने प्रमुख जेलर श्री कोडा वेकटप्पैयाको यह सुझाया था कि जहाँ भी मुझे बोलना हो वहाँ मेरी गाड़ीको ही उस स्थानके केन्द्र तक पहुँचा दिया जाये, और मचकी तरह उस गाड़ीका ही उपयोग कर लिया जाये। मैने कहा कि मै गाडीकी पीठके किनारेपर बैठ जाया करूँगा और वहीसे बैठे-बैठे भाषण दूँगा। वे तुरन्त सहमत हो गये। इस साधनसे समय, शक्ति, स्थान और पैसा हर चीजकी बचत हुई। इसमे न मचकी आवश्यकता थी, न कुर्सियोंकी, और सजावटके नामपर श्रोताओके सुन्दर हृदयोके सिवा, अन्य किसी सजावटकी आवश्यकता भी न थी। यह व्यवस्था हर तरहसे सम्पूर्ण सिद्ध हुई, और मैं सभाओंके सगठकोको यह सलाह देता हूँ कि जहाँ बहुत सारी सभाओमें भाषण देना हो, वहाँ पर वे मेरी इस ताकीदपर अमल करे।

खादीधारी हज्जाम

ज्यादातर मैं अपनी दाढ़ी स्वय बना लेता हूँ। लेकिन इस बार मै एक मित्रके दिये हुए अपने सेफ्टी-सेटको तिलाजलि देकर पुन. एक बिहारी उस्तरेपर आ गया, जिसे मगनलाल गाधी छोड गये है। हमारा देशी उस्तरा, यदि उसे अच्छी तरह रखा जाये तो, एक बहुत ही बढिया साधन है। हमारे हज्जाम अपना उस्तरा पैनानेके लिए पत्थरकी जिस सिलका या चमड़ेके जिस पट्टेका उपयोग इतनी खूबीसे करते है, उनका उपयोग करनेकी कला मै अभीतक हस्तगत नही कर पाया हूँ, इसलिए अपने इस दौरेके प्रारम्भिक दिनोमें मैंने एक खादीधारी हज्जामको बुला भेजा। आन्ध्रमे खादीधारी हज्जामको ढूँढ लेना बहुत आसान बात है। बम्बईमें ऐसा कर सकना कठिन है। मैंने उसे अपना यह उस्तरा दिया, और उसने मेरी दाढी बहुत मजेसे

बनाई। मैंने देखा कि खादीधारी हज्जामकी सेवाओका यह उपयोग विदेशी वस्त्र बहिष्कार समितिके अध्यक्षके लिए खादी-प्रचारके कार्यमे बहुत सहायक हो सकता है। इससे मुझे दरिद्रनारायणकी सेवाका सन्देश हमारी जनताके एक ऐसे वर्गको देनेका अवसर सुलभ हो गया जिनसे ज्यादा अच्छे प्रचारकोकी आशा करना कठिन है। लेकिन, मैंने देखा कि यदि मै इस भाईको अपने इस साधनका उपयोग करनेको कहता हूँ तो मै उसे पूर्ण स्वदेशीका सन्देश नही दे सकता और न उसे सफाईका ही सबक सिखा सकता हूँ। इसलिए अगली बार मैंने उसे अपने ही साधनोका उपयोग करनेको कहा, अलबत्ता, उनका उपयोग करनेके पहले मैंने उससे उन्हे अच्छी तरह धो डालने और साफ करनेको भी कहा। इस सिलसिलेमे एक जगह तो मेरे पास एक ऐसा खादीधारी हज्जाम लाया गया था जिसके पास पश्चिमका एकदम नवीनतम उस्तरा था। पश्चिमका ही साबुन था, पश्चिमका ब्रुश था, पश्चिमका ही आइना था और ये सब पश्चिमकी ही एक पेटीमे बढिया ढगसे सजे हुए थे। मुझे ऐसा सन्देह है कि ये सारी वस्तुएँ उसकी नही बल्कि मेरे खादीधारी उदार मेजबानकी थी। मैंने महसूस किया कि यह परिस्थिति स्वदेशीके जिस सत्यकी मै सेवा करना चाहता हूँ उसके अनुकूल नही है इसलिए अब मुझे इस बातका खयाल रखनेकी भी जरूरत महसूस हुई कि हज्जाम अपने साथ जो भी साधन लाये वे भी यथासम्भव स्वदेशी होने चाहिए।

तो कार्यकर्त्ताओको मै यह एक सलाह और देना चाहता हूँ। वे स्वदेशीके सन्देशको अपने नाइयो और धोबियो और उन अन्य लोगोतक भी पहुँचाये जिनके साथ रोज मिलने-जुलनेका मौका आता है। हम उन्हे अपना अशिक्षित और उपेक्षणीय आश्रित न मानें। वे हमारे ऐसे साथी नागरिक है जिनकी सेवाओकी देशकी प्रगतिके लिए उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि हममेसे बडेसे-बडे लोगोकी सेवाओकी; और हमे यही मानकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए।

इस घटनासे मुझे एक और सबक भी सीखनेको मिला। हम प्राय ऐसा मानते है कि अगर हमने खादीका पहनना आरम्भ कर दिया तो हमने स्वदेशीके सन्देशका पूरा-पूरा पालन कर लिया। खादी पहनकर हम समझते है कि हमे भारतके बाहरसे आनेवाली हरेक चीजका व्यवहार करनेकी, यहाँतक कि पेरिससे निकलनेवाले नवीनतम फैशनको भी अपनानेकी छूट मिल जाती है। यह स्वदेशीकी विडम्बना और खादीके सन्देशको अस्वीकारना है। खादीको पहनना निश्चय ही भारतवर्षमे हम लोगोके लिए एक ऐसा कर्त्तव्य है जिसका पालन हमे सदा करना होगा, किन्तु साथ ही इसमे भी कोई सन्देह नही कि जहाँ भी सम्भव हो, हमे भारतमे ही बनी चीजोका उपयोग करना चाहिए। फिर चाहे ये वस्तुएँ विदेशी वस्तुओकी तुलनामे कुछ घटिया ही क्यो न हो। बाजारमे आजकल ऐसी अनेक स्वदेशी वस्तुएँ है जिन्हे यदि लोग खरीदे नही तो आश्रयके अभावमे वे लुप्त हो जायेगी। सम्भव है कि ये वस्तुएँ जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी न हो। ऐसी स्थितिमे हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनका उपयोग करे और बनानेवालोसे जहाँ उनमे सुधार सम्भव हो वहाँ सुधार करनेको कहे। 'सबसे अच्छा और सबसे सस्ता' यह नियम हमेशा सच नही होता। जिस

प्रकार हम अपना देश छोडकर ज्यादा अच्छे जलवायुवाले किसी दूसरे देशमे जा वसना पसन्द नही करेगे, बल्कि अपने देशको ही ज्यादा सुन्दर और स्वास्थ्यप्रद बनानेकी कोशिश करेगे, उसी प्रकार हम अच्छी और सस्ती विदेशी वस्तुओको देखकर स्वदेशी वस्तुओको नही छोड सकते। यदि कोई पति अपनी सामान्य शकल-सूरतवाली पत्नीसे असन्तुष्ट होकर किसी ज्यादा सुन्दर स्त्रीको ढूँढने लग जाये तो जिस प्रकार हम उसे अपनी पत्नीके प्रति विश्वासघातका दोषी मानेंगे, उसी प्रकार हम जो मनुष्य अपने देशमे बनी हुई चीजोकी तुलनामें विदेशकी ज्यादा सुन्दर वस्तुओको पसन्द करता है, उसे स्वदेशके प्रति द्रोहका दोषी मानेंगे। किसी भी देशकी प्रगतिके नियमका यह तकाजा है कि उस देशके निवासी अपने ही देशकी बनी हुई चीजोको पसन्द करे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-५-१९२९

४०४. पंजाबकी परीक्षाएँ

ऐसा मालूम होता है कि पजावकी सरकार पजावमे काग्रेस [अधिवेशन] की तैयारियोमे हर तरह रोडे अटकानेकी कोशिश कर रही है। पजाव प्रान्तीय काग्रेस कमेटीने जो केन्द्रीय स्थान [काग्रेस अधिवेशनके लिए] चुना था, सरकारने उसका उपयोग करने देनेसे इनकार कर दिया है। अव कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये जा रहे है, उनके मकानोकी तलाशियाँ ली जा रही है और कई दूसरे तरीकोसे उन्हे सताया जा रहा है। [प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके] मन्त्री डाक्टर सत्यपालको भी कैद कर लिया गया है। फिर भी यह एक शुभ चिह्न है कि पजावी निडर और निर्भीक होकर पूरे उत्साहके साथ तैयारी करनेमे लगे हुए है। मुझे आशा है, पजाव-निवासी आगामी काग्रेस अधिवेशनको सफल बनानेके लिए पूरी मुस्तैदीके साथ कोशिश करेंगे और सरकारको वतला देंगे कि दमनसे उनके जोशको कुचला नही जा सकता, उलटे उसमें और निखार आया है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-५-१९२९

४०५. पत्र: पुरुषोत्तम गांधीको

आश्रम
साबरमती
३० मई, १९२९

चि० पुरुषोत्तम,

तुम्हारा पत्र मिला है। नारणदास तो तुम्हे लिखेगा ही। यदि वैद्य सलाह दे तो उसका उपचार अलमोड़ामे आजमा कर देखना। शायद यह ठीक होगा। यदि यह करना हो तो फिर तुम्हारा मेरे साथ घूमनेके बजाय एक ही जगह टिककर रहना ज्यादा अच्छा होगा। मै जिन दिनो अलमोडामे रहूँगा उन दिनो तो तुम भी मेरे कही पास ही रहोगे। रतिलाल और चम्पाबहन भी किसी ठंडी जगहमे रहना चाहते है। यदि कोई साथ हो तो उन्हें भी भेजा जा सकता है। तुम्हें उलझन न हो तो एक बँगला लेकर उन्हें वहाँ रखूँ और तुम भी उनके साथ रहो क्योकि उनके साथ तो किसी-न-किसीको भेजे बिना नही चलेगा। यदि यह सुझाव तुम्हें पसन्द न आये तो इनकार कर देना। अलमोडा जानेकी बात तो अलहदा है, उसका विचार रतिलालका खयाल आनेसे पहले ही मनमे आया था।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८९७) से।
सौजन्य: नारणदास गाधी

४०६. पत्र: हेमप्रभा दासगुप्तको

उद्योग मदिर
साबरमती
३१ मई, १९२९

प्रिय भगिनि,

आपका पत्र मिला। रोग कुछ पहलेसे अच्छा है वह सुनकर चित्त प्रसन्न होता है। मै भी चाहता हूँ कि हम कुछ अरसे तक साथ रहे ऐसा सुयोग्य कब मिलेगा ये तो भगवान ही जाने। मैने तो यही मागा है कि अब यदि आश्रममे शान्तिसे रह सकती है तो यही कुछ अरसे तक साथ रह जाये। जुलाई, अगस्तमे तो मै यही रहनेवाला हूँ। ११ जूनसे अलमोढाके दौरामे जाता हूँ। जुलाईके आरम्भमे आ जाऊँगा। 'रामायण'का अभ्यास तो चलता ही रहेगा।

मेरा स्वास्थ्य ठीक है।

वापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६६४ की फोटो-नकलसे।

४०७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

उद्योग मंदिर
सावरमती
३१ मई, १९२९

भाई घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मिला। . . . आत्महत्या की है उसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने उसको तार[1] भेजा वह भी सख्त तो था ही। मेरे पर उसके कई तार और चिट्ठियाँ आ गई थी। सब संसार उसके लिये जहरीला हो गया था। उसके प्रति लोगोंने कुछ अन्याय तो अवश्य किया। परन्तु ऐसा अन्याय होता ही रहेगा। . . . बहुत विद्वान थे, लेकीके[2] पुस्तकमें आत्म-हत्याके प्रशंसाके वचन पढे ही थे उसका अमल किया ऐसा प्रतीत होता है। आपने तो उसको सहारा हि दिया। मेरा तार उसका मिलनेके बाद मृत्यु हुआ कि पहले अगर इसका पता चले तो मुझे दे। और भी कुछ खबर मिले तो भेजिए।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१७० से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिडला

१. तार उपलब्ध नहीं है।
२. डब्ल्यू० ई० एच० लेकी (१८३८-१९०३), हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन मॉरल्स फ्रॉम ऑगस्टस टु शार्लमेनके लेखक।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

खादी और स्वराज्य[1]

स्वराज्य प्राप्त करनेमें खादी हमारी सहायता क्यों कर सकती है?

क्योंकि

भारतकी तीन-चौथाई आबादी ऐसे किसानोंकी है जिनके पास न पूरा काम है और न जिन्हें पूरा भोजन ही मिलता है, और खादी उन्हें काम और भोजन प्रदान कर सकती है।

क्योंकि

इंग्लैंडके लिए भारतको गुलाम बनाये रखनेका एक प्रमुख कारण यह है कि उसके सूती कपड़ेके लिए भारत एक बहुत अच्छा बाजार है और खादी उसके इस बाजारको खत्म कर सकती है।

भारतीय मिलोंके कपड़ेकी अपेक्षा खादी स्वराज्य-प्राप्तिमें क्यों अधिक सहायक है?

क्योंकि

खादी करोड़ों ऐसे दीन-दुखी किसानोंको अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकती है जो अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते और इसलिए मिलोंमें काम करनेके लिए नहीं जा सकते।

क्योंकि

सूती कपड़ा मिलें इतना पर्याप्त रोजगार मुहय्या नहीं कर सकतीं जिससे बेरोजगारोंके बहुत बड़े समुदायको कोई राहत पहुँच सके।

क्योंकि

खादीके उत्पादनको बहुत थोड़ी लागतपर शीघ्र ही एक अत्यन्त व्यापक स्तर पर संगठित किया जा सकता है, जब कि मिलोंकी संख्यामें कोई ठोस वृद्धि करनेके लिए जबर्दस्त खर्च पड़ेगा और इसमें कई वर्षोंकी देर लगेगी।

टिप्पणी

२०,००० तकुओंवाली एक आधुनिक सूत कातनेकी मिल बिठानेमें अनुमानतः रु० १,६६०,९१७ का खर्च बैठता है। यदि इतना धन चरखोंपर लगाया जाये तो २०,००० मिलके तकुओंके मुकाबले कमसे-कम १,६६०,९१७ हाथतकुए उपलब्ध किये जा सकते हैं और सूतका उत्पादन मिलके मुकाबले १३-१४ गुना ज्यादा होगा। इतना

१. इसे मीराबहन द्वारा लिखित "नोट्स ऑन खादी" में से लिया गया है; देखिए पृष्ठ ३५।

उत्पादन तब होगा जब हम यह मानकर चले कि मिलमें हर तकुआ दस घंटे चलेगा और हर तकुआ प्रति घंटे ६०० गज सूत तैयार करेगा और इसके विपरीत हाथसे चलनेवाले हर तकुए पर ४ घंटे काम होगा और एक तकुएसे प्रति घंटा २५० गज सूत निकलेगा।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३४५)से।
सौजन्य : मीराबहन

परिशिष्ट २

मद्य-निषेध आन्दोलन[1]

१ प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी प्रान्तमें कांग्रेसके मद्य और मादक-वस्तु विरोधी आन्दोलनके चलानेके लिए एक उप-समिति नियुक्त करेगी या किसी एक व्यक्तिको इसका सचालन-भार सौंपेगी और इस उद्देश्यके लिए पर्याप्त धन अलग निकाल कर रखेगी।

२. प्रत्येक प्रान्तमें उप-समिति या सचालक ऐसे अवैतनिक कार्यकर्त्ताओंको आमन्त्रित करेगें जो ताल्लुकोंमें मद्य-निषेध आन्दोलन सगठित करनेको तत्पर हैं। प्रान्तीय उप-समिति इनमेंसे प्रत्येक ताल्लुकेके लिए एक कार्यकर्त्ता चुनेगी जो ताल्लुका कमेटीमें मद्यपान-विरोधी सगठनका मत्री होगा, बशर्ते कि उप-समितिको आवश्यक होनेपर मत्रीको बदलनेका अधिकार होगा।

३ प्रत्येक ताल्लुकेमें संगठन मत्री ताल्लुकेके ज्यादासे-ज्यादा कस्बों और गाँवोंमें मद्यपान-विरोधी सभाएँ सगठित करेगा और शराब तथा मादक वस्तुओंकी बुराईको समाप्त करने और पूर्ण मद्य-निषेधके लिए कानून बनवानेके उद्देश्यसे जिन लोगोंको सहानुभूति हो, उन सभी लोगोंको इन सभाओंका सदस्य बनायेगा। इन सभाओंके सदस्योंके लिए किसी कांग्रेस कमेटीका सदस्य होना या नियमित रूपसे खादी पहनना आवश्यक नहीं है।

४ ऐसी प्रत्येक मद्यपान-विरोधी सभासे सम्बद्ध और उसके नियत्रणाधीन एक स्वयसेवक दल सगठित किया जायेगा जिसमें उन स्त्री-पुरुषोंकी भर्ती किया जायेगा जो अहिंसाके सिद्धान्तमें विश्वास रखते हुए बिना कोई वेतन लिए सक्रिय सेवा करनेको तैयार हों। वे प्रान्तीय उप-समिति और ताल्लुका-मत्री द्वारा समय-समयपर जारी किये गये आदेशोंका पालन करेंगे।

५. प्रत्येक माहके हर दूसरे रविवारके दिन मादक पदार्थों और शराबके विरुद्ध सभाओं और जुलूसोंका आयोजन किया जायेगा।

६ उपरोक्त मासिक सभाएँ करनेके अलावा प्राथमिक सगठनों और ताल्लुका-मत्रीका कर्त्तव्य होगा कि अपने-अपने क्षेत्रोंमें जितनी सभाएँ कर सकें, करें और अपने-अपने क्षेत्रोंमें नशीली वस्तुओंकी बुराईसे लड़नेके लिए गाँव-गाँव और घर-घर जाकर लोगोंसे मिलें।

१. देखिए पृष्ठ २१६ और ४२९।

७. लोगोंको मद्यपानकी आदतसे विमुख करनेके लिए मद्यपान-विरोधी सभाएँ और कांग्रेस कमेटियाँ जहाँ सम्भव हो वहाँ उपयुक्त स्थानो और उपयुक्त समयपर अन्य स्वस्थ मनोरंजनोका संगठन करेगी।

८. प्रत्येक मद्यपान-विरोधी सभामे लोगोको गम्भीरतापूर्वक नशीली वस्तुओ और शराबका प्रयोग न करनेकी शपथ दिलाई जायेगी।

९. प्रान्तीय उप-समितिकी अनुमति प्राप्त करनेके बाद, जहाँ कही भी उपयोगी ढंगसे किया जा सके वहाँ सभाएँ शराब तथा मादक वस्तुओकी दूकानोपर अपने स्वयसेवकोके धरने बिठा ले।

१० सभाएँ जमीदारो और जमीनके पट्टेदारोपर प्रभाव डालेगी कि वे अपनी जमीनके पेडोको मादक द्रव्य तैयार करनेके लिए ठेकेपर नही उठायेगे।

११ सभाएँ मादक पेय और मादक वस्तुओकी दूकानोके ठेकेकी नीलामीमे बोली लगानेसे लोगोको रोकेंगी।

१२ प्रत्येक माहके तीसरे रविवारको या उससे पूर्व प्रत्येक ताल्लुकेका मंत्री सूचनाएँ एकत्र करेगा और पूर्ववर्ती रविवारकी सभाओकी सक्षिप्त रिपोर्ट और ताल्लुकेमे महीने-भरके दौरान किये गये अन्य कार्योका विवरण प्रान्तीय उप-समितिको भेजेगा। प्रान्तीय उप-समिति इन रिपोर्टोको समेकित करके कार्य-समितिको, तथा प्रकाशनार्थ अखबारोको भेजेगी।

१३ मतदाताओ और नागरिकोसे पूर्ण मद्य-निषेधके समर्थनमे लिखित प्रतिज्ञा कराई जाये। प्रतिज्ञा निम्नलिखित रूपमे होनी चाहिए और उसमे नाम तथा पूरे पते साफ-साफ अक्षरोमें लिखे जाने चाहिए:

"मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देशके नैतिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण तथा प्रगतिके लिए मादक द्रव्यो और पदार्थोका पूर्ण निषेध करनेके लिए कानून बनानेका पूरा समर्थन करूँगा। मै यह भी घोषित करता हूँ कि किसी स्थानीय सस्था या प्रान्तीय और अखिल भारतीय विधान मण्डलके किसी चुनावमे मैं किसी ऐसे व्यक्तिको वोट नही दूँगा और न समर्थन करूँगा जिसने पूर्ण निषेधके प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर न किये होगे।"

इन प्रतिज्ञाओको लेनेके लिए उपयुक्त किताबे प्रान्तीय कमेटियाँ वितरित करेगी।

१४. जिलेमें कामकी दृष्टिसे आवश्यक होनेपर प्रान्तीय उप-समिति एक जिला मद्य-निषेध मंत्री नियुक्त कर सकती है।

१५ विधान-परिषदो और विधान-सभाओके लिए अगर कभी चुनाव होगे और इन चुनावोमें यदि कांग्रेसी लोग भाग लेगे तब कांग्रेसी उम्मीदवार अपनी चुनाव प्रतिज्ञामें यह भी घोषणा करेगे कि वे पूर्ण मद्य-निषेध लागू करायेंगे और सक्रिय रूपसे उसे कार्यान्वित करायेगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-५-१९२९

सामग्रीके साधन-सूत्र

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी फाइले: जो नेहरू स्मारक संग्रहालय, नई दिल्लीमें सुरक्षित है।

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली· गांधी साहित्य और गांधीजीसे सम्बन्धित कागजपत्रोंका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, द्वितीय संस्करण, पृ० ३५५।

साबरमती संग्रहालय: पुस्तकालय तथा संग्रहालय: जिसमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं, देखिए खण्ड १, द्वितीय संस्करण, पृ० ३५५।

'अमृतबाजार पत्रिका': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'आज': वाराणसीसे प्रकाशित हिन्दी दैनिक।

'ट्रिब्यून'· अम्बालासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'नवजीवन': (१९१९-१९३१): गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'प्रजाबन्धु'· अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'फॉरवर्ड': कलकत्तेमे चित्तरंजनदास द्वारा आरम्भ किया गया अंग्रेजी दैनिक।

'बॉम्बे क्रॉनिकल': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'यंग इंडिया' (१९१९-३१): गांधीजी द्वारा सम्पादित तथा अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स': नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू': मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी: जो स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमें सुरक्षित है।

'बापुना पत्रो-१: आश्रमनी बहेनोने' (गुजराती): सं० काका कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।

'बापुना पत्रो-६: गं० स्व० गंगाबहेनने' (गुजराती): सं० काकासाहब कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो-७ श्री छगनलाल जोशीने' (गुजराती): स० छगनलाल जोशी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६२।

'बापुना पत्रो-९: श्री नारणदास गांधीने' (गुजराती): स० नारणदास गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६४।

'बापुनी प्रसादी' (गुजराती): मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१५ फरवरी, १९२९ से ३१ मई, १९२९ तक)

१५ फरवरी: गांधीजीने मीरपुर-खासमें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। सिन्धका दौरा समाप्त किया।

१५ फरवरी या उसके पश्चात्. सिन्ध कांग्रेससे सम्बन्धित मामलेपर वक्तव्य जारी किया।

१७ फरवरी दिल्ली पहुँचे।
कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकमें भाग लिया।

१९ फरवरी: दिल्लीमें।
वाइसरायके संग विट्ठलभाई पटेलकी पार्टीमें शामिल हुए।

२० फरवरी: साबरमती आश्रम पहुँचे।

२८ फरवरी. अहमदाबादमें तिलक प्रतिमाके अनावरणपर, ध्वजा-रोहण समारोहके अवसरपर तथा सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

३ मार्च. कलकत्ता पहुँचे।

४ मार्च: कलकत्तामें श्रद्धानन्द पार्कमें भाषण करते हुए लोगोंको विदेशी वस्त्रका बहिष्कार करनेकी सलाह दी। भाषणके बाद विदेशी वस्त्रोंकी होली जलाई गई। गांधीजीको गिरफ्तार कर लिया गया और बादमें व्यक्तिगत मुचलकेपर छोड़ दिया गया।

५ मार्च. कलकत्तामें विदेशी वस्त्रोंकी होली जलानेसे सम्बन्धित घटनापर रात ढाई बजे समाचारपत्रोंको एक वक्तव्य जारी किया।
सुबह एस० एस० 'एरोंडा' से रंगूनके लिए रवाना हुए।

८ मार्च: रंगून पहुँचे। सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिये।
फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट की।

९ मार्च· रंगूनकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

१० मार्च: रंगूनमें गुजरातियों, आर्य-समाजियों, भारतीय द्वारपालों, भारतीयों तथा विद्यार्थियोंकी सभाओंमें भाषण दिये।

१२ मार्च: मौलमीनमें। गुजरातियोंकी सभामें भाषण दिया।

१३ मार्च· मौलमीनकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

१४ मार्च: रंगूनमें रामकृष्ण मिशन तथा स्त्रियोंकी सभामें भाषण दिया।

१५ मार्च: पौंगदे और प्रोममें भाषण दिये।

१८ मार्च· मांडलेकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

१९ मार्च: टौंगूकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

२० मार्च: श्रमिकों तथा विद्यार्थियोंकी सभाओंमें भाषण दिये।

२२ मार्च: रगूनसे कलकत्ताके लिए रवाना। १,५०,००० रु० से ज्यादा एकत्र किये।
२४ मार्च. कलकत्ता पहुँचे।
२६ मार्च· चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी अदालतमे अपने मुकदमेकी सुनवाईके दौरान बयान दिया।
दिल्लीके लिए रवाना।
२७ मार्च दिल्ली पहुँचे। कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकमें शामिल हुए।
अहमदाबादके लिए रवाना।
२९ मार्च: अहमदाबादमे एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे भेंट की।
३० मार्च मोरवीमे वल्लभभाई पटेलकी अध्यक्षतामे आयोजित पाँचवी काठियावाड़ राजनीतिक परिषदमे भाषण दिया।
१ अप्रैल: रातको मोरवीसे रवाना।
२ अप्रैल: अहमदाबादमे।
५ अप्रैल: बम्बई पहुँचे। बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी नई इमारतके उद्घाटन समारोहपर भाषण दिया।
बम्बईसे आन्ध्र प्रदेशके लिए रवाना हुए।
६ अप्रैल: आन्ध्र देश पहुँचे।
हैदराबाद (दक्षिण) और सिकन्दराबादकी जनताकी ओरसे दिये गये सयुक्त अभिनन्दनपत्रका उत्तर दिया।
७ अप्रैल· हैदराबादमें। स्थानीय स्कूलोका दौरा किया।
बेजवाडाके लिए रवाना।
८ अप्रैल· नन्दीगाँवमे रात्रि व्यतीत की।
९ अप्रैल. सवेरे नन्दीगाँवमें भाषण दिया।
बेजवाडा पहुँचे।
१० अप्रैल: बेजवाडाकी सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।
११ अप्रैल. रात आठ बजे वुय्यूर पहुँचे।
१२ अप्रैल: वुय्यूरमे भाषण दिया।
१३ अप्रैल: मसूलीपट्टममे अरुन्धती आश्रम, आन्ध्र जातीय कलाशाला तथा स्त्रियोंकी सभामे भाषण दिये।
१७ अप्रैल. मसूलीपट्टमसे गुन्टूरके लिए रवाना।
गुन्टूर, केरिचेडु तथा पेडानानडिपाडुकी सार्वजनिक सभाओमे भाषण दिये।
२४ अप्रैल· पोतुनूरुमे विवेकानन्द पुस्तकालयका शिलान्यास किया।
रात सवा आठ बजे गुण्डुकोलनु पहुँचे। वहाँ रात बिताई।
२५ अप्रैल: टाडेपल्लीगुडममें भाषण दिया।
२६ अप्रैल: अचन्तामें भाषण दिया।
२७ अप्रैल. चगल्लुके आनन्द निकेतन आश्रममे रात बिताई।
२८ अप्रैल: शाम ३ बजे विजगापट्टम पहुँचे।
विजगापट्टमकी सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

१ मई : अनकापल्लीकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
२ मई : तुनीकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
३ मई : पीठापुरमकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
५ मई : पालीवेलामें।
६ मई : रेजोलमें।
७ मई : राजमुंदरीकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
८ मई : सीतानगरम्की सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
९ मई : पोलावरम्की सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
१० मई : बुचिरेड्डीपालम तथा कावलीकी सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिये।
१३ मई : नेल्लोरमें।
१९ मई : नेल्लोरमें।
२० मई : कुरनूलमें।
२१ मई : अडोनीके विदाई समारोहमें भाषण दिया।
आन्ध्र देशमें ३१९ गाँवोंका दौरा करके तथा लगभग २,६४,४०० रु० इकट्ठा करनेके बाद बम्बईके लिए रवाना हो गये।
२२ मई : रातको बम्बई पहुँचे।
२४ मई : बम्बईमें 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे भेंट की।
२५ मई : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें भाषण दिया।
२८ मई : साबरमती आश्रम पहुँचे।
३१ मई : साबरमती आश्रममें।

शीर्षक-सांकेतिका

विविध

सांकेतिका

च

छ

ज

झ

ट

न

प

य

र

ल

व

श

ह